

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2026 सत्र

बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2026

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

बालोद जिले में जम्बूरी आयोजन में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

1. (*क्र. 2570) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) छत्तीसगढ़ राज्य स्काउट गार्ड परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? क्या राज्य के शिक्षा मंत्री को ही पदेन अध्यक्ष बनाए जाने संबंधित कोई स्थाई आदेश/निर्देश है? यदि हां तो आदेश/नियमावली की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) जम्बूरी आयोजन को बालोद में कराए जाने संबंधित निर्णय कब व किसके द्वारा लिया गया? क्या इस आयोजन को पूर्व में रायपुर में कराए जाने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो स्थल परिवर्तन करने के पीछे का कारण क्या है? पारित प्रस्ताव अथवा लिए गए निर्णय की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) जम्बूरी आयोजन हेतु क्रियान्वयन एजेंसी किसे बनाया गया? आयोजन हेतु कितनी राशि आबंटित की गई? आबंटित राशि का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया? राशि व्यय करने के लिए कौन-कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? जानकारी प्रदान करें? (घ) क्या राशि व्यय करने में अनियमितता अथवा नियम के पालन नहीं होने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गई? जांच रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य स्काउट गार्ड परिषद के पदेन अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ शासन है। जी हां। नियमावली की प्रति संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) बालोद में राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी आयोजन का निर्णय राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 14.11.2025 को लिया गया। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न नहीं उठता। (ग) जम्बूरी आयोजन हेतु क्रियान्वयन एजेंसी जिला शिक्षा अधिकारी बालोद को बनाया गया। आयोजन हेतु रूपये 5.00 करोड़ (रूपये पांच करोड़ मात्र) आबंटित की गई। आबंटित राशि का उपयोग एरीना निर्माण, शौचालय निर्माण, जल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था, आवास हेतु टेंट, कार्यक्रम हेतु डोम, बेरिकेट, भोजनालय एवं प्रिंटिंग आदि कार्यों में किया गया है। राशि व्यय करने के लिए छत्तीसगढ़ भण्डार कय नियम में निहित प्रक्रिया अपनाई गई। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शालाओं का युक्तियुक्तकरण

[स्कूल शिक्षा]

2. (*क्र. 960) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कितनी शालाओं का युक्तियुक्तकरण विगत वर्ष में किया गया है? रायपुर जिले की विकासखंडवार सूची उपलब्ध करावें ? (ख) युक्तियुक्तकरण के पश्चात उनकी आधारभूत संरचनाओं यथा रिक्त भूमि, रिक्त भवन इत्यादि के विषय में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए ? जानकारी प्रदान करेंगे ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विगत वर्ष पूरे प्रदेश में 10538 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया है। रायपुर जिले की विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) युक्तियुक्तकरण के पश्चात शालाओं की आधारभूत संरचनाओं यथा रिक्त भूमि, रिक्त भवन इत्यादि को शासकीय कार्यों में आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाएगा।

[संलग्न "परिशिष्ट - दो"]

राज्य के जिलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक

[स्कूल शिक्षा]

3. (*क्र. 2298) श्री बघेल लखेश्वर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राज्य के जिलों में अद्यतन स्थिति में कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं ? जिले के नाम सहित विषयवार संख्यात्मक जानकारी देवें? (ख) क्या इन अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए प्रावधानित राशि पूरे राज्य में समान है अथवा अलग-अलग? पृथक-पृथक होने की स्थिति में जिलेवार प्रावधानित मानदेय की राशि बतावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जी हाँ समान है। प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीन"]

रायपुर संभागान्तर्गत स्थापित किये जा रहे सोलर संयंत्र

[वाणिज्य एवं उद्योग]

4. (*क्र. 2674) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
(क) राज्य में सोलर प्लांट स्थापना हेतु क्या नीति है ? रायपुर संभाग में अब तक कितनी-कितनी क्षमता के सोलर संयंत्र कहां-कहां पर स्थापित किए जा रहे हैं ? उपरोक्त सोलर संयंत्रों को कितनी शासकीय और निजी भूमि किस दर पर लीज पर प्रदान की गई है ? संयंत्रवार, आबंटित भूमि, निजी भूमि, लीज दर एवं लीज अवधि की जानकारी जिलावार प्रदान करें? (ख) सोलर संयंत्रों की स्थापना हेतु किसानों से निजी भूमि को किस दर पर लीज पर लेने का प्रावधान है ? (ग) सोलर संयंत्र स्थापना में अनियमितता की कितनी शिकायतें वर्ष 2025 में प्राप्त हुई हैं ? उक्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है? जानकारी संयंत्रवार, जिलावार बताएं?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) राज्य में सोलर प्लांट स्थापना हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2017-30 लागू की गई है, जिसका **विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** उक्त सौर ऊर्जा नीति के तहत प्रभावशील अवधि में स्थापित होने वाले सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों को औद्योगिक नीति में निहित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत सोलर संयंत्रों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है, जिसका **विवरण पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** रायपुर संभाग में विभिन्न क्षमता के

14 सोलर संयंत्र **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र स एवं द** में दर्शित स्थानों पर स्थापित किये जा रहे हैं। सीएसआईडीसी से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त स्थापनाधीन सोलर संयंत्रों में से एक इकाई मेसर्स गोदावरी पावर एवं इस्पात लिमिटेड को ग्राम-जंगलबेड़ा, तहसील- सरायपाली, जिला-महासमुंद में 102.93 हेक्टेयर शासकीय भूमि राशि 4,82,300 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 99 वर्ष की लीज पर प्रदान की गई है। किसी भी सोलर संयंत्र हेतु निजी भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है। शासकीय भूमि पर स्थापनाधीन उद्योग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स** तथा निजी भूमि पर स्थापनाधीन उद्योग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द** अनुसार है। **(ख)** सोलर संयंत्रों की स्थापना हेतु किसानों से निजी भूमि लीज में शासन द्वारा लेने का कोई प्रावधान नहीं है। **(ग)** अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरायपाली, जिला-महासमुंद से प्राप्त जानकारी अनुसार सोलर संयंत्र मेसर्स गोदावरी पावर एवं इस्पात लिमिटेड, ग्राम-जंगलबेड़ा, तहसील- सरायपाली, जिला-महासमुंद की स्थापना के सम्बन्ध में अनियमितता की 03 शिकायतें वर्ष 2025 में प्राप्त हुई हैं, शिकायत तथा उन पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स** अनुसार है।

लेबर लाइसेंस एवं श्रमिकों के पी पी एफ जमा करने संबंधी

[श्रम]

5. (*क्र. 2691) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** श्रम कानून 1970 अंतर्गत शासन के विभिन्न विभागों के अंतर्गत किसी ठेकेदार को लेबर लाइसेंस हेतु क्या-क्या नियम /शर्तें निर्धारित हैं? नियम /शर्तों की प्रति उपलब्ध करावें ? न्यूनतम कितनी संख्या में श्रमिकों को काम देने वाले ठेकेदार / फर्म को लाइसेंस लेना अनिवार्य है? **(ख)** क्या लोक निर्माण विभाग अंतर्गत अक्टूबर, 2020 से जून, 2025 तक हाईकोर्ट में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य जिस कंपनी/ठेकेदार/फर्म द्वारा किया गया, उसने श्रम विभाग से लेबर लाइसेंस / श्रमिकों का पंजीयन करवाया है? **(ग)** क्या प्रश्नांश "ख" की कंपनी /ठेकेदार /फर्म द्वारा इस निर्माण कार्य हेतु कार्य एवं कार्य के अनुपात में आवश्यक लेबर की संख्या हेतु लेबर लाइसेंस लिया गया था? यदि हाँ, तो लाइसेंस एवं जमा चालान की प्रति उपलब्ध करावें ? यदि नहीं, तो किस आधार पर फर्म को कार्य आबंटित किया गया? **(घ)** क्या प्रश्नांश "ख" की कंपनी /ठेकेदार /फर्म द्वारा कार्यरत श्रमिकों का नियमानुसार पी पी एफ जमा किया गया है? यदि नहीं, तो श्रम कानून में निर्धारित नियमों के विपरीत कार्य किये जाने पर क्या कार्रवाई किया जाना निर्धारित है? क्या-क्या कार्यवाही की गई?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 एवं संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन) छ0ग0 नियम, 1973 के अंतर्गत ठेकेदार को अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु नियम एवं शर्तों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 1(4)(ख) के अनुसार बीस या इससे अधिक या पूर्ववर्ती 12 मासों के किसी भी दिन बीस या इससे अधिक संविदा श्रमिक नियोजित करने वाले ठेकेदार को अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है। **(ख)** जी हां, कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-02, जिला बिलासपुर द्वारा अक्टूबर, 2020 से जून, 2025 तक माननीय उच्च न्यायालय परिसर बोदरी, बिलासपुर में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु संविदा श्रमिकों के नियोजन हेतु विभाग से निम्न ठेकेदारों द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त की गयी है:-

क्र.	ठेकेदार का नाम	कार्य का विवरण
1	मेसर्स अशोक खण्डेलवाल, पता-तुलसी नेहरू गार्डन के पास रत्नाबांध, जिला धमतरी	07 नग कोर्ट रूम का निर्माण कार्य

2	मेसर्स अशोक खण्डेलवाल, पता-तुलसी नेहरू गार्डन के पास रलाबांध, जिला धमतरी	72 नग एफ टाईप, 112 नग एच टाईप एवं 172 नग आई टाईप शासकीय आवास गृह निर्माण कार्य, विद्युतीकरण सहित
---	--	--

संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 अंतर्गत श्रमिकों के पंजीयन का प्रावधान नहीं है।(ग) ठेकेदार मेसर्स अशोक खण्डेलवाल, पता-तुलसी नेहरू गार्डन के पास रलाबांधी, जिला धमतरी को माननीय उच्च न्यायालय परिसर बोदरी, बिलासपुर में 07 नग कोर्ट रूम का निर्माण कार्य हेतु 20 श्रमिकों के लिए तथा 72 नग एफ टाईप, 112 नग एच टाईप एवं 172 नग आई टाईप शासकीय आवास गृह निर्माण कार्य, विद्युतीकरण सहित कार्य हेतु 20 श्रमिकों के लिए अनुज्ञप्ति हेतु विभागीय पोर्टल में प्रस्तुत आवेदन के आधार पर अनुज्ञप्ति जारी किया गया। उक्त जारी अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र संबंधी **जानकारी संलग्न प्रपत्र-"ब" अनुसार है** एवं ई-चालान क्रमांक क्रमशः 66160721001270 एवं 6616062300384 के माध्यम से शुल्क जमा किया गया है। विभाग द्वारा फर्म को कार्य आबंटन संबंधी कार्यवाही नहीं की जाती है।(घ) श्रमिकों के भविष्य निधि कटौती (पी0पी0एफ0) की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। अपितु कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 अंतर्गत श्रमिकों का ईपीएफ जमा किए जाने संबंधी कार्य क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त रायपुर, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्राधिकार से संबंधित है, उनसे प्राप्त जानकारी अनुसार ठेकेदार मेसर्स अशोक खंडेलवाल द्वारा श्रमिकों की ईपीएफ कटौती जमा किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चार" \]](#)

जिला बिलासपुर में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

6. (*क्र. 1089) **श्री दिलीप लहरिया** : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) विगत तीन वर्षों में जिला बिलासपुर में आबकारी विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से तथा पुलिस के साथ संयुक्त रूप से अवैध शराब के विरुद्ध कुल कितनी कार्रवाईयां की गई हैं? थाना-वार विवरण दें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) विगत तीन वर्षों में जिला बिलासपुर में आबकारी विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से अवैध शराब (निर्माण, विक्रय, भण्डारण, परिवहन) के विरुद्ध की गई कार्यवाही की थाना-वार, वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से अवैध शराब के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच" \]](#)

चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल जीवन मिशन से स्वीकृत निर्माण कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

7. (*क्र. 394) **श्री विनायक गोयल** : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019 से 2025 तक किन-किन ग्रामों में जल जीवन मिशन से कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारंभ किया गया था? (ख) स्वीकृति प्राप्त कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं? अपूर्ण कार्यों में से कितने स्थानों के निर्माण कार्यों की अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद भी कार्य लंबित/अपूर्ण हैं? (ग) प्रश्नांक "क" अनुसार समयावधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया हो तो निर्माण एजेंसी, फर्म व अनुबंधकर्ता पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? संबंधित ठेकेदार फर्म एवं कार्यवाहीकर्ता के पदनाम सहित कार्यवाहीवार, दिनांकवार जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :(क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019 से 2025 तक जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामों में स्वीकृत निर्माण कार्य की ग्रामवार, राशि की जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) स्वीकृति प्राप्त कार्यो में से 115 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। अपूर्ण कार्यो में से 156 स्थानों के निर्माण कार्यो की अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद भी कार्य लंबित/अपूर्ण है। (ग) प्रश्नांश "क" अनुसार समयावधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए गए निर्माण एजेंसी फर्म व अनुबंधकर्ता, संबंधित ठेकेदार फर्म एवं कार्यवाहीकर्ता के पदनाम सहित कार्यवाहीवार, दिनांकवार जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।

रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नल-जल मिशन योजना के क्रियाशील कनेक्शन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

8. (*क्र. 1795) श्री मोतीलाल साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष-2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में नल-जल मिशन योजना अंतर्गत कुल कनेक्शन की संख्या की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांक (क) अंतर्गत कितने कनेक्शन क्रियाशील तथा कितने कनेक्शन अक्रियाशील हैं?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :(क) रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24 में नल-जल मिशन योजना अंतर्गत कुल कनेक्शन की संख्या 4533, वर्ष 2024-25 में कुल कनेक्शन की संख्या 1365 एवं वर्ष 2025-26 में कुल कनेक्शन की संख्या निरंक हैं। (ख) प्रश्नांक (क) अंतर्गत वर्ष 2023-24 के 3395 कनेक्शन क्रियाशील एवं 1138 कनेक्शन अक्रियाशील तथा वर्ष 2024-25 के 899 कनेक्शन क्रियाशील तथा 466 कनेक्शन अक्रियाशील है। वर्ष 2025-26 में क्रियाशील तथा अक्रियाशील कनेक्शन की जानकारी निरंक है।

जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु अनुबंध

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

9. (*क्र. 2429) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या डौण्डीलोहरा विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत समस्त कार्य हेतु किये गये अनुबंधों में ठेकेदारों के लिए स्पष्ट शर्तें एवं समय सीमा निर्धारित की गई थी? यदि हां, तो प्रमुख शर्तें, नियम एवं समय-सीमा क्या थी ? (ख) क्या शासन को गुमराह करने के लिए विभाग द्वारा ठेकेदारों को मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो जांच एवं क्या कार्यवाही की गई ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :(क) जी हां । प्रमुख शर्तों एवं नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार एवं समय-सीमा की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जी नहीं । प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

[ग्रामोद्योग]

10. (*क्र. 2803) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों (वर्ष 2023-24 एवं 2024-25) में ग्रामोद्योग विभाग द्वारा किन-किन योजनाओं का संचालन किया गया है? योजनावार स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण दें? (ख) उक्त अवधि में प्रतापपुर विधानसभा अंतर्गत कितने हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान किया गया है? विकासखंड एवं ग्राम पंचायतवार विवरण विवरण दें? (ग) क्या प्रतापपुर

विधानसभा क्षेत्र में कुटीर एवं लघु उद्योगों को अपेक्षित प्रोत्साहन एवं विपणन सुविधा नहीं मिल पा रही है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) कुम्भकार टेराकोटा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड (भारत सरकार) द्वारा संचालित उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम (सिल्क समग्र योजना) का संचालन किया गया है। योजनावार स्वीकृत एवं व्यय राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) उक्त अवधि में प्रतापपुर विधानसभा अंतर्गत 20 हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदाय किया गया है। विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायतवार विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छः"]

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल अं.चौकी में कार्यरत शिक्षिकाओं द्वारा प्रताड़ना की शिकायत

[स्कूल शिक्षा]

11. (*क्र. 2071) श्री भोलाराम साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या विधानसभा क्षेत्र खुज्जी अंतर्गत स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल अं.चौकी में दो शिक्षिकाओं के द्वारा एक छात्र के साथ बर्बरता तथा सहायक ग्रेड-03 महिला कर्मचारी एवं महिला प्रधान पाठिका के साथ, शाला में पदस्थ एक व्याख्याता के द्वारा मानसिक प्रताड़ना, दुर्व्यवहार, अश्लील हरकत व हरासमेंट करने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो क्या इनमें जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है ? यदि हाँ, तो जांच अधिकारी के नाम/पदनाम सहित जानकारी देवें ? (ख) क्या प्रश्नांक "क" संवेदनशील प्रकरण में जांच टीम द्वारा जांच प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया ? जांच रिपोर्ट की छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ? इनमें कौन-कौन दोषी हैं एवं दोषियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? प्रकरणवार पृथक-पृथक जानकारी देवें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी **संलग्न प्रपत्र के कालम 4** अनुसार है। (ख) जांच प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्न ही नहीं उठता।

[संलग्न "परिशिष्ट - सात"]

प्रदेश में समग्र शिक्षा अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य मदों में व्यय राशि

[स्कूल शिक्षा]

12. (*क्र. 2764) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या वर्ष 2023 से 20 फरवरी, 2026 तक प्रदेश में समग्र शिक्षा अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य मदों में राशि व्यय की गई है? विवरण देवें? (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार वर्षवार एवं जिलावार समग्र शिक्षा अंतर्गत प्रशिक्षण एवं अन्य मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? समग्र शिक्षा के अन्य मदों में वर्षवार एवं जिलावार कितनी राशि व्यय की गई है तथा कितनी राशि शेष है? जिलेवार बताएं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) वर्ष 2023 से 20 फरवरी, 2026 तक प्रदेश में समग्र शिक्षा अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य मदों में राशि व्यय की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अ, ब, स, द, इ, ई अनुसार है।** (ख) प्रश्नांक 'क' के अनुसार समग्र शिक्षा अंतर्गत प्रशिक्षण एवं अन्य मदों में वर्षवार एवं जिलावार व्यय राशि एवं शेष राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अ, ब, स, द, इ, ई अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - आठ"]

जिला जशपुर अंतर्गत मदिरा दुकानों में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

13. (*क्र. 1366) श्रीमती गोमती साय : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जिला जशपुर अंतर्गत वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2026 तक आबकारी विभाग द्वारा देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में किन-किन ब्रांडों की शराब कितनी-कितनी मात्रा में क्रय की गयी तथा कितनी-कितनी मात्रा में विक्रय हुआ? ब्रांडवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या जिले की मदिरा दुकानों में क्रय-विक्रय में निर्धारित दरों से अधिक मूल्य वसूली, अनियमितता, आपूर्ति अथवा स्टॉक में हेर-फेर की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण देवें? **(ग)** क्या भविष्य में मदिरा के क्रय-विक्रय में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु कोई विशेष निगरानी व्यवस्था अथवा ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली लागू किये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** जिला जशपुर अंतर्गत वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2026 तक आबकारी विभाग द्वारा देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में ब्रांडवार क्रय एवं विक्रय की गई शराब की मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार है। (ख)** जिला जशपुर के मदिरा दुकानों में क्रय-विक्रय में निर्धारित दरों से अधिक मूल्य वसूली, अनियमितता आपूर्ति अथवा स्टॉक में हेर-फेर की प्राप्त शिकायतों एवं उन शिकायतों पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब अनुसार है। (ग)** मदिरा के क्रय-विक्रय में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु ट्रेक एवं ट्रेस सिस्टम निगरानी व्यवस्था लागू है।

वैशाली नगर वि.स. क्षेत्र के फौजी नगर श्रमिक आवासीय बस्ती के खेल मैदान का उद्योग को आवंटन

[वाणिज्य एवं उद्योग]

14. (*क्र. 1127) श्री रिकेश सेन : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत फौजी नगर श्रमिक आवासीय बस्ती से लगा हुआ एकमात्र खेल मैदान उद्योग के लिए आवंटित किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त भूमि का खसरा नंबर, क्षेत्रफल और आवंटित उद्योग का नाम क्या है? **(ख)** क्या उक्त खेल मैदान को उद्योग हेतु आवंटित किए जाने के विरोध में स्थानीय नागरिकों एवं खिलाड़ियों का विषय शासन के संज्ञान में है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई? क्या आवंटन निरस्त किया गया है, तो जानकारी दें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** जी नहीं, वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत फौजी नगर श्रमिक आवासीय बस्ती से लगा हुआ एक मात्र खेल मैदान उद्योग के लिए आवंटित नहीं किया गया है। वस्तुतः वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत राजस्व विभाग से वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु शासकीय भूमि रकबा 89.649 हेक्टेयर हस्तांतरित किया गया था। विभाग की भूमि खसरा नं. 1322, 1344, 1345, 1346, 1347 का भाग, 1348, 1452, 1453 एवं 1457 में से 06 इकाईयों को कुल रकबा 0.892 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। आवंटित उद्योग का नाम एवं क्षेत्रफल का **विवरण संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जी हाँ, उक्त खेल मैदान को उद्योग हेतु आवंटित किए जाने के विरोध में स्थानीय नागरिकों एवं खिलाड़ियों का विषय शासन के संज्ञान में है। षष्ठम् विधानसभा के द्वितीय सत्र दिनांक 21 फरवरी 2024 को 06 भूखण्ड के आवंटन को निरस्त करने की सदन में घोषणा की गई थी। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के पत्र क्र. 966/221/2024/11/6 दिनांक 01.04.2024 द्वारा प्रदान किए गए निर्देश के परिपालन में मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग द्वारा आवंटित समस्त 06 इकाईयों को लीजडीड की कंडिकाओं का उल्लंघन किए जाने से भू-निरस्तीकरण हेतु 15 दिवसीय

सूचना पत्र दिनांक 03.07.2024 को जारी किया गया। वर्तमान वस्तुस्थिति अनुसार "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015" की शर्तों के उल्लंघन के कारण 04 इकाइयों को आबंटित भूखण्ड निरस्त कर दिए गए हैं, 01 इकाई मेसर्स बाबा ट्रेडर्स द्वारा निरस्तीकरण के विरुद्ध प्रस्तुत अपील अभ्यावेदन में मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग द्वारा सुनवाई के पश्चात् इकाई की अपील मान्य करते हुए आदेश क्र. 265 दिनांक 09.12.2024 के माध्यम से इकाई की स्थापना हेतु 06 माह का अतिरिक्त समय दिया गया तथा 01 इकाई मेसर्स जान्हवी इण्डस्ट्रीज द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग के भूमि निरस्तीकरण आदेश के 15 दिवसीय सूचना पत्र के विरुद्ध माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष रिट पिटीशन दाखिल किया गया है जिसका वाद क्रमांक डब्ल्यू.पी.सी. 1284/2024 है। प्रकरण माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विचाराधीन होने के कारण भूखण्ड निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की गई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु प्राप्त आवेदन

[वाणिज्य एवं उद्योग]

15. (*क्र. 2290) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रदेश के किन-किन जिलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये हैं? औद्योगिक क्षेत्रों में वर्ष 2023 - 24 से 31/01/2026 तक किस-किस प्रकार के उद्योगों की स्थापना हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? प्राप्त आवेदनों में कितने पात्र तथा कितने अपात्र घोषित किये गये हैं? उद्योग की स्थापना हेतु हितग्राहियों को कितनी मात्रा में किस दर पर जमीन का आबंटन किया जाता है? **(ख)** प्रश्नांक (क) अनुसार हितग्राहियों को आबंटित जमीन में कितने उद्योगों की स्थापना दिनांक 31.01.2026 तक कर ली गई है तथा कितने हितग्राहियों द्वारा उद्योगों की स्थापना नहीं की गई है? पंजीयन होने के बाद भी उद्योग की स्थापना नहीं किये जाने के कारण संबंधितों पर क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** प्रदेश के कुल 25 जिलों में 67 औद्योगिक क्षेत्र तथा 11 फूडपार्क एवं अन्य औद्योगिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक क्षेत्र अर्थात् कुल 78 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। सीएसआईडीसी एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों में वर्ष 2023-24 से 31.01.2026 तक उद्योग की स्थापना हेतु भूमि आबंटन बाबत कुल 1080 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदनों में 531 पात्र, 483 आवेदन अपात्र तथा 66 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। हितग्राहियों को भूमि का आबंटन संबंधी दर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश (क) अनुसार हितग्राहियों को आबंटित जमीन में उद्योग स्थापना हेतु पात्र 531 आवेदनों में से 28 उद्योगों द्वारा इकाई की स्थापना की जा चुकी है, 02 आवेदकों द्वारा आबंटित भूमि विभाग को समर्पित की गई है, 08 आवेदकों को आबंटित भूमि के अनुबंध की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा शेष 493 आवेदकों द्वारा उद्योग स्थापना हेतु समय सीमा शेष है। सभी 493 इकाईयां लीजडीड निष्पादन पश्चात् उत्पादन हेतु निर्धारित समयावधि में है। अतः संबंधितों पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं है। उद्योग स्थापना संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है।

जिला कांकेर में जल जीवन मिशन के योजनाओं की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

16. (*क्र. 2090) श्री आशा राम नेताम : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला उत्तर बस्तर कांकेर के जल जीवन मिशन अंतर्गत कुल कितने ग्रामों की योजना स्वीकृत की गई ? स्वीकृत ग्रामों में से कितने ग्रामों की योजना पूर्ण, अपूर्ण है ? **(ख)** पूर्ण ग्रामों में से कितनी योजना ग्राम

पंचायत को हस्तांतरित की गयी है एवं कितने ग्रामों की योजना स्वीकृत राशि के आधार पर 100% भुगतान किया गया है? जानकारी दें ? (ग) अपूर्ण योजना के तहत कितनी योजनाओं का 90% भुगतान किया जा चुका है एवं इन्हें कब तक पूर्ण कर ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जाएगा ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :(क) जिला उत्तर बस्तर कांकेर के जल जीवन मिशन अंतर्गत 1065 ग्रामों की योजनाएं स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत ग्रामों में से 179 ग्रामों की योजनाएं पूर्ण एवं 886 ग्रामों की योजनाएं अपूर्ण है। (ख) पूर्ण ग्रामों में से 182 योजनाएं ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की गई है। योजना स्वीकृत राशि के आधार पर 100 प्रतिशत भुगतान किये गये ग्रामों की जानकारी निरंक है । (ग) अपूर्ण योजना के तहत 30 योजनाओं का 90 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है, इन योजनाओं को पूर्ण कर ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

वि.स.क्षेत्र साजा में पेयजल संकट के निवारण हेतु शासन की कार्य योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

17. (*क्र. 2270) श्री ईश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या वर्ष 2025 की गर्मी में साजा विधानसभा क्षेत्र में गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ा था? (ख) यदि हाँ, तो क्या वर्ष 2026 की गर्मी में संभावित जल संकट से निपटने के लिए कोई विशेष आकस्मिक कार्ययोजना तैयार की गयी है? जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जी नहीं । तथापि वर्ष 2025 की ग्रीष्म में शिवनाथ नदी सूख जाने के कारण साजा समूह जलप्रदाय योजना से 45 दिवस जलापूर्ति बंद रही। इस परिस्थिति में योजना से लाभान्वित 40 ग्रामों में पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई थी। उक्त सभी ग्रामों में विभाग एवं ग्राम पंचायतोंद्वारा स्थानीय संसाधनों यथा हैण्डपंप, सिंगलफेस पावर पंप एवं पानी टैंकरों के माध्यम से तत्कालीक पेयजल आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी थी। जिससे उक्त 40 ग्रामों में गंभीर पेयजल संकट की स्थिति नहीं बनी। (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

नगर पंचायत, भानुप्रतापपुर में खेल मैदान का उन्नयन

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

18. (*क्र. 1135) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नगर पंचायत, भानुप्रतापपुर में खेल मैदान के उन्नयन हेतु 1 करोड़ 90 लाख रुपए की स्वीकृति मिली थी, जिसकी पहली किस्त की राशि 47 लाख रुपए जारी भी कर दी गई थी एवं जिसके समस्त दस्तावेज 2023 में जॉइंट डायरेक्टर, जगदलपुर से मंत्रालय को भेजे जा चुके हैं ? (ख) यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? जानकारी देवें ? यदि नहीं, तो उक्त खेल मैदान का कब तक उन्नयन होगा ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) नगर पंचायत भानुप्रतापपुर को राज्य शहरी विकास अभिकरण छ.ग. नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 922 दिनांक 10.05.2023 द्वारा खेल मैदान उन्नयन कार्य हेतु राशि रू.190.30 लाख की स्वीकृति प्रदान कर प्रथम किस्त की राशि रू.47.57 लाख जारी की गई थी। (ख) राज्य शासन के पत्र क्रमांक 1481/1435/ 2024/18 दिनांक 27.02.2024 के माध्यम से प्रदेश के नगरीय निकायों में अप्रारंभ कार्यों को निरस्त किया गया है। नगर पंचायत भानुप्रतापपुर द्वारा खेल मैदान उन्नयन कार्य हेतु नवीन प्रस्ताव दिनांक 06.03.2024 को प्रस्तुत किया गया। पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण

छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 20.06.2024 को नगर पंचायत भानुप्रतापपुर को प्रेषित किया गया। पूर्ण प्रस्ताव प्राप्ति उपरांत प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा।

कोण्डागांव जिले में संचालित हायर सेकेंड्री शालाएं

[स्कूल शिक्षा]

19. (*क्र. 2715) सुश्री लता उसेंडी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** कोण्डागांव जिले अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान में कितने हायर सेकेंड्री स्कूल संचालित हैं? क्या सभी विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में दर्ज संख्या अनुसार शिक्षक एवं बैठक कक्ष की उपलब्धता है? यदि नहीं, तो उक्त हेतु क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें? **(ख)** क्या विभाग को हायर सेकेंड्री शालाओं में नए पाठ्यक्रम के संचालन हेतु कोई प्रस्ताव/ पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें? **(ग)** क्या जिले अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में शाला परिसर में खेल मैदान की उपलब्धता है? यदि नहीं, तो उक्त हेतु शासन की क्या कार्ययोजना है? जानकारी देवें? **(घ)** विभाग अंतर्गत जिले में भारत स्काउट एंड गाइड्स योजना कितनी शालाओं में संचालित है ? विगत 2 वर्षों में कोण्डागांव जिले में योजना अंतर्गत कितनी सामग्री प्राप्त हुई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** जिला कोण्डागांव अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान में कुल 101 हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है। जी नहीं। वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। **(ख)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी नहीं। जानकारी निरंक है। **(घ)** जिला कोण्डागांव में भारत स्काउट एंड गाइड्स योजना 45 संस्थाओं में संचालित है। विगत 02 वर्षों में योजना अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सामग्री प्राप्त नहीं हुई है।

प्रदेश में युक्तियुक्तकरण के माध्यम से स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था

[स्कूल शिक्षा]

20. (*क्र. 2558) श्री विक्रम मंडावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रदेश में युक्तियुक्तकरण के माध्यम से स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था के निर्णय का उद्देश्य क्या था? किस सेटअप के आधार पर किया जाना था ? **(ख)** युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के बाद प्रदेश में कितने स्कूल वर्तमान में एक शिक्षकीय हैं ? कितने स्कूलों में अभी भी अतिशेष शिक्षक पदस्थ हैं? कितने स्कूल शिक्षकविहीन हैं? जिलेवार जानकारी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 के अनुसार। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दस"]

ग्रामोद्योग विभाग में पंजीकृत/लाभान्वित हाथकरघा/बांस शिल्पकार

[ग्रामोद्योग]

21. (*क्र. 2585) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला राजनांदगांव व केसीजी में ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा हाथकरघा/बांस शिल्पकार को वर्ष 2023-24 से दिनांक 15/2/2026 तक कितनी राशि आबंटित की गयी है ? डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल

कितने पंजीकृत हाथकरघा/बांस शिल्पकार हैं? विकासखण्डवार पूर्ण जानकारी देवें? **(ख)** प्राप्त आवेदनों में से कितने हितग्राही पात्र एवं अपात्र हैं ? जिनमें से कितने पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है और कितने पात्र/अपात्र हितग्राही लंबित हैं? पूर्ण जानकारी देवें? उक्त योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही/समूहों पर की गई व्यय राशि समूहवार कितनी-कितनी प्रदाय की गई ? पूर्ण जानकारी देवें? **(ग)** उक्त जिलों में ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा उक्त वर्षों में आज पर्यन्त तक बांस शिल्पकार/हाथकरघा समग्र विकास योजना के अंतर्गत कुल कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई है? जानकारी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** कुल राशि रू. 286.14 लाख आबंटित की गई है। खैरागढ़ विकासखंड में निरंक, राजनांदगांव विकासखंड में 01 बुनकर सहकारी समिति तथा डोंगरगढ़ विकासखण्ड में 01 बुनकर सहकारी समिति तथा 06 बांस शिल्पकार पंजीकृत है। **(ख)** प्राप्त 499 आवेदन में से सभी 499 हितग्राही पात्र हैं। सभी पात्र 499 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। लंबित आवेदनों की संख्या निरंक है। योजना से लाभान्वित हितग्राहियों की समितिवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** जिला राजनांदगांव व जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में वर्ष 2023-24 से दिनांक 15.02.2026 तक समग्र हाथकरघा विकास योजनांतर्गत नवीन बुनाई प्रशिक्षण हेतु राशि रू. 74.80 लाख, उन्नत/सहायक उपकरण हेतु राशि रू. 20.94 लाख तथा अधोसंरचना निर्माण हेतु राशि रू. 5.40 लाख कुल राशि रू. 101.14 लाख व्यय की गई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह" \]](#)

बेमेतरा विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहभट्टा में स्थापित किए जा रहे सोलर प्लांट संबंधी

[वाणिज्य एवं उद्योग]

22. (*क्र. 2799) श्री दीपेश साह : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या बेमेतरा विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहभट्टा में सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो किस कंपनी/एजेंसी द्वारा कितने हेक्टेयर/एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है? **(ख)** ग्राम पंचायत द्वारा उक्त सोलर प्लांट हेतु कितने हेक्टेयर/एकड़ भूमि की एन.ओ.सी. प्रदान की गई है? वास्तविक रूप से प्लांट कितने क्षेत्रफल में स्थापित है? सरकार के साथ उक्त प्लांट का एग्रीमेंट/अनुबंध कितने वर्षों के लिए किया गया है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** जी हाँ, उक्त इकाईयों की जानकारी भूमि का रकबा सहित **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** ग्राम पंचायत मोहभट्टा, तहसील बेरला, जिला बेमेतरा द्वारा उक्त 09 सोलर प्लांट हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्रदान की गई है। जिसके क्षेत्रफल की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। 01 इकाई मेसर्स आरडीबी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उद्यम आकांक्षा प्राप्त नहीं किया गया है, अतः भूमि हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है। उक्त 09 इकाईयों में जारी एन.ओ.सी. के क्षेत्रफल के विरुद्ध अधिक क्षेत्र में स्थापित करने संबंधी कोई जानकारी कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बेमेतरा के संज्ञान में नहीं है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, रायपुर के साथ इकाई मेसर्स हरियाणा रोलिंग मिल्स (भिलाई) प्राइवेट लिमिटेड (सोलर पॉवर जनरेटिंग यूनिट-1) एवं मेसर्स एपीआई इस्पात एंड पॉवरटेक प्राइवेट लिमिटेड (सोलर डिविजन) द्वारा 25 वर्षों का अनुबंध किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बारह" \]](#)

जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी की सड़कों का पेंचवर्क कार्य

[लोक निर्माण]

23. (*क्र. 2139) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2025-26 में 20 फरवरी, 2026 तक जिला मोहला मानपुर अं.बागढ़ चौकी अंतर्गत कितनी सड़कों के पेंचवर्क कार्य हेतु कितनी राशि की स्वीकृति मिली है? विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रत्येक सड़कों के पेंचवर्क कार्य संधारण हेतु कितनी प्रशासकीय स्वीकृति की प्राप्ति हुई है? कितने कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं? कितने कार्य प्रक्रियाधीन हैं? कितने का निर्माण शुरू नहीं हुआ है, की जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** एवं **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह" \]](#)

छत्तीसगढ़ प्रदेश में खेल अधोसंरचनाओं की स्थिति

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

24. (*क्र. 2659) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ में 18 फरवरी, 2026 की स्थिति में कितने खेल अधोसंरचना (स्टेडियम ,मिनी स्टेडियम, इंडोर हाल, खेल मैदान)अपूर्ण एवं कितने जर्जर स्थिति में हैं? जिलावार बताएं? **(ख)** प्रश्नांश 'क' की अधोसंरचनाओं के निर्माण व मरम्मत के लिए वर्ष 2023 -24 एवं 2024 -25 में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं कितना व्यय किया गया? जिलावार, कार्यवार,वर्षवार बताएं? **(ग)** प्रदेश के ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में खेल सुविधा विस्तार हेतु क्या-क्या कार्ययोजना बनाई जा रही है ? खेल प्रशिक्षक (कोच) के स्वीकृत, रिक्त, कार्यरत पद की जानकारी, 2026 की स्थिति में बताएं?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** जानकारी **पुस्तकालय** में रखे "प्रपत्र - अ" अनुसार। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय** में रखे "प्रपत्र - ब" एवं "प्रपत्र - स" अनुसार। **(ग)** प्रदेश के ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र में खेल सुविधा के विस्तार हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, बस्तर में खेल अकादमी, छत्तीसगढ़ क्रीडा प्रोत्साहन योजना, ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन जैसे कार्य योजना प्रावधानित है। 01 जनवरी 2026 की स्थिति में खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत प्रशिक्षक (कोच) पद की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे "प्रपत्र - द" अनुसार।

नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी, 2026 का आयोजन

[स्कूल शिक्षा]

25. (*क्र. 2483) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी, 2026 दुधली, बालोद के आयोजन में किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? उक्त आयोजन के लिए किन-किन फर्मों को किस-किस कार्य के लिए किस दर से टेंडर प्रदान किया गया ? टेंडर प्राप्तकर्ता फर्मों का नाम, पता सहित जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार क्या टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता और तय समय सीमा का पालन किया गया है ? यदि हाँ, तो जानकारी देवें ? क्या उक्त टेंडर प्रक्रिया में शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई ? **(ग)** उक्त आयोजन में देश एवं विदेश के कितने छात्र/छात्राओं ने भाग लिया? विवरण देवें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** नेशनल रोवर-रेंजर जंबूरी 2026 दुधली बालोद के आयोजन में क्रीडांगन (एरीना निर्माण), शौचालय निर्माण, जल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था, आवास हेतु टेंड,

कार्यक्रम हेतु डोम, बेरिकेट, भोजनालय एवं प्रिंटिंग आदि कार्य के लिये अद्यतन राशि रूपये 02.00 करोड़ (अक्षरी दो करोड़ रूपये मात्र) का व्यय किया गया है। उक्त कार्य के लिये अमर भारत किराया भण्डार, रायपुर छत्तीसगढ़ को रूपये 5,18,88,860/- (अक्षरी पाँच करोड़ अठारह लाख अठ्ठासी हजार आठ सौ साठ मात्र) का एकजाई कार्यादेश दिनांक 05.01.2026 को जारी किया गया। **(ख)** जी हां। टेंडर प्रक्रिया हेतु शिकायत अप्राप्त है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उक्त आयोजन में देश एवं विदेश के 10103 छात्र/छात्राओं ने भाग लिया है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह"]

भाग-2**नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर****जिंदल कंपनी प्रा.लि.द्वारा लगाई जा रही परियोजना**

[वाणिज्य एवं उद्योग]

1. (क्र. 107) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या जिला बिलासपुर के सीपत क्षेत्र में जिंदल कंपनी द्वारा कोई परियोजना स्थापित की जा रही है ? अगर हाँ तो कौन सी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? परियोजना से कौन कौन से ग्राम प्रभावित हो रहे हैं? (ख) परियोजना का निर्माण स्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है और परियोजना स्थल की भूमि कौन से मद की है? परियोजना के निर्माण में कितना वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है और कुल कितने पेड़ कटेंगे? (ग) परियोजना का लाभ कौन कौन से राज्यों को प्राप्त होगा? परियोजना के निर्माण से बिलासपुर एवं छत्तीसगढ़ को क्या क्या लाभ प्राप्त होगा?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) हां, जिला बिलासपुर के सीपत क्षेत्र में जिंदल कंपनी द्वारा बिलासपुर पम्ड स्टोरेज विद्युत् परियोजना (1000 मेगावाट) स्थापित की जा रही है। इस परियोजना की स्थापनासे ग्राम कारीछापर, जुलही और सोठी प्रभावित हो रहे हैं। (ख) परियोजना निर्माण स्थल का कुल क्षेत्रफल 275.08 हेक्टेयर है, जिसमें वन, निजी एवं शासकीय मद की भूमि सम्मिलित है। जिंदल कंपनी से प्राप्त जानकारी अनुसार लगभग 168.78 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित होगा, वन विभाग को आवेदन प्रदान करने के पश्चात् पेड़ों की संख्या निर्धारित हो सकेगी। (ग) परियोजना से छत्तीसगढ़ राज्य को उत्पादन से संबंधित निविदाओं में विकल्प प्राप्त होगा, राज्य शासन की औद्योगिक विकास नीति के अनुरूप स्थानीय लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार मिलेगा एवं सीएसआर की राशिप्राप्त होगी।

कारखाना अधिनियम 1948 के तहत श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य हेतु उपाय

[श्रम]

2. (क्र. 623) श्री प्रेमचंद पटेल : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- कारखाना अधिनियम 1948 के तहत एनटीपीसी, एस. ई. सी. एल. बालकों आदि कार्य स्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य के लिए क्या उपाये किए गए?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत एन.टी.पी.सी, एस.ई.सी.एल. बालकों आदि कारखानों के कारखाना प्रबंधन से प्राप्त जानकारी अनुसार कार्य स्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य के लिए किये गये उपाय की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह "]

जिला गौरेला-पेंडा-मरवाही में जर्जर स्कूल भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

3. (क्र. 708) श्री प्रणव कुमार मरपची : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- नवम्बर-दिसम्बर 2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 65 (क्रमांक 614) दिनांक 17 दिसम्बर 2025 में प्राप्त

जानकारी अनुसार जर्जर स्कूल की संख्या-14, भवन विहीन-08, अहाता विहीन -110, प्रयोगशाला विहीन-07 है, क्या विभाग के द्वारा उक्त स्कूलों के कार्यों की स्वीकृति वर्ष 2025-26 या 2026-27 में की गई है? जानकारी दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : प्रश्न में अंकित स्कूलों में से 01 जर्जर स्कूल एवं 02 भवन विहीन शालाओं की स्वीकृति वर्ष 2025-26 में की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 की स्वीकृति निरंक है।

कांकेर नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत अवैध प्लाटिंग

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

4. (क्र. 745) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 1 जनवरी, 2023 से लेकर दिनांक 31/01/2026 तक कांकेर नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से कालोनी को अवैध पाया गया एवं कॉलोनी में अवैध प्लाटिंग की जाना चिन्हांकित किया गया है? उक्त अवधि में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उक्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्रवाई की गई है? क्या शिकायत पर चिन्हांकित अवैध कॉलोनी, अवैध प्लाटिंग में निकाय द्वारा भवन अनुज्ञा या विभाग की अन्य सेवाएं दी गई हैं? **(ख)** क्या कांकेर नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत रेरा से स्वीकृत कॉलोनी में बाह्य एवं आंतरिक निर्माण पूर्ण न होने के बाद भी निकाय द्वारा ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट दे दिया गया है? अगर हां तो किस आधार पर दे दिया गया है? क्या इस संबंध में कोई शिकायत विभाग के संज्ञान में प्राप्त हुई है? यदि हां, तो ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट देने वाले अधिकारी पर क्या कार्रवाई की गई है ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** 01 जनवरी 2023 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक कांकेर नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत कोई भी अवैध कॉलोनी नहीं पायी गई है न ही अवैध प्लाटिंग चिन्हांकित किया जाना पाया गया है। उक्त अवधि में एक शिकायत प्राप्त हुआ है। उक्त शिकायत पर संबंधित भूमि स्वामी को निकाय के पत्र क्रमांक 1286भ.अनु.शा/न.पा.प/2025 कांकेर दिनांक 18.10.2025 के माध्यम से नोटिस जारी किया गया तथा उप पंजीयन कार्यालय को भी खसरा क्र. 328 में रजिस्ट्री पर रोक लगाये जाने हेतु पत्र क्रं. 897 दिनांक 11.08.2025 जारी किया गया है। उक्त संबंध में राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मौका मुआयना किया गया, उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं पाया गया। चूंकि निकाय में उक्त अवधि में कोई अवैध कॉलोनी, अवैध प्लाटिंग चिन्हांकित नहीं हुआ है अतएव भवन अनुज्ञा एवं अन्य सेवाएं उद्भूत नहीं होता है। **(ख)** नगर पालिका कांकेर क्षेत्रान्तर्गत रेरा से स्वीकृत कॉलोनी में बाह्य एवं आंतरिक निर्माण बिना पूर्ण किए निकाय के द्वारा ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है।

राज्य में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से पारंपरिक खेलों को बढ़ावा

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

5. (क्र. 951) श्री प्रेमचंद पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- राज्य में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से कितने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : वर्तमान में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक संचालित नहीं है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय स्कूलों में संचालित वोकेशनल कोर्स एवं शिक्षक

[स्कूल शिक्षा]

6. (क्र. 1040) श्री अजय चंद्राकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के कितने शासकीय स्कूलों में, कौन-कौन से ट्रेड में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है? इनके प्रशिक्षण हेतु कितने प्रशिक्षकों की आवश्यकता है तथा उसके अनुरूप कितने प्रशिक्षकों की भर्ती की गयी है और कितने पद रिक्त हैं? **(ख)** उक्त व्यावसायिक प्रशिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता के क्या मापदंड व भर्ती प्रक्रिया क्या है? **(ग)** विगत तीन वर्षों में व्यावसायिक प्रयोगशाला एवं इससे संबंधित अन्य कार्यों के लिये कितने स्कूलों में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुयी है तथा कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) :**(क)** प्रदेश के समग्र शिक्षा अंतर्गत 1285 शासकीय स्कूलों में 15 ट्रेड में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है -1/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, 2/ऑटोमोटिव, 3/ रिटेल, 4/एग्रीकल्चर, 5/ टेलीकम्युनिकेशन, 6/ ब्यूटी एंड वेलनेस, 7/ आईटी-आईटीईएस. 8/हेल्थकेयर, 9/ बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, 10/मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, 11/ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, 12/ कंस्ट्रक्शन, 13/प्लंबिंग, 14/अपैरल, मेड-अप्स एंड होम फर्निशिंग, 15/पावर । इनके प्रशिक्षण हेतु प्रति स्कूल 2 ट्रेड के मान से 2570 व्यावसायिक प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। तथा उसके अनुरूप 2071 व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भर्ती की गई है। तथा 499 व्यावसायिक प्रशिक्षकों के पद रिक्त है। **(ख)** उक्त व्यावसायिक प्रशिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य मापदण्ड व भर्ती प्रक्रिया पं. सुन्दरलाल शर्मा, व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल के **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** विगत तीन वर्ष में व्यावसायिक प्रयोगशाला एवं इससे संबंधित अन्य कार्यों के लिए स्कूलों में निम्न राशि प्राप्त हुई :-

(राशि लाख में)

क्र.	सत्र	स्कूलों की संख्या	प्राप्त राशि	व्यय राशि
1	2022-23	592	703.296	698.05488
2	2023-24	592	2143.04	593.97728
3	2024-25	1144	4141.28	937.28250

[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]

छत्तीसगढ़ खेल संघ में लोधा कमिटी का पालन

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

7. (क्र. 1042) श्री अजय चंद्राकर : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ में भारतीय खेल संघ एवं छत्तीसगढ़ खेल संघ से मान्यता प्राप्त कौन-कौन से खेल है और उनके अध्यक्ष/सदस्य एवं सचिव कौन-कौन हैं और कब से पदस्थ हैं तथा इनमें से कौन-कौन शासकीय विभागों में कार्यरत हैं? **(ख)** उक्त खेल संघ को अनुदान प्रदाय करने के नियम-शर्तें क्या-क्या है? क्या अनुदान हेतु भारतीय खेल संघ से मान्यता प्राप्त करने की अनिवार्यता है ? वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में कितनी-कितनी राशि का अनुदान, किन-किन खेल संघों को प्रदाय किया गया ? वर्षवार बतायें? **(ग)** क्या छत्तीसगढ़ में लोधा कमिटी (LODHA COMMITTEE) के नियम लागू किये गये है ? यदि हां तो कब से लागू किये गये है? और इसके क्या-क्या नियम शर्तें हैं? किन-किन खेलों के लिये लागू होता है? लागू उपरांत अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं किया गया है तो उसका कारण क्या है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :**(क)** प्रश्नानुसार विभाग अंतर्गत खेल संघों को मान्यता दी जाती है। अतः भारतीय खेल संघ एवं छत्तीसगढ़ खेल संघ से मान्यता प्राप्त 'खेल' की

जानकारी "निरंक" है। (ख) विभाग अंतर्गत खेल संघों को अनुदान/आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु विभागीय मान्यता एवं आर्थिक सहायता नियम 2018 प्रभावशील है। भारतीय खेल संघ से संबद्धता प्राप्त खेल संघ/संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदाय किया जाता है। खेल गतिविधियों हेतु पृथक-पृथक नियम एवं शर्तें निर्धारित हैं। प्रश्नाधीन अवधि में संघों को प्रदाय की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है। (ग) छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ से लोढ़ा समिति के सिफारिशों को छत्तीसगढ़ में लागू किए जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है की छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) द्वारा यह पुष्टि करते हैं कि छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) अपने संविधान के अनुसार कार्य कर रहा है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (Committee of Administrators) द्वारा दिनांक 27.09.2019 को विधिवत अनुमोदित किया गया है। CSCS से प्राप्त जानकारी अनुसार CSCS का संविधान लोढ़ा समिति द्वारा निर्धारित सिफारिशों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप है तथा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत स्वीकृत एवं लागू किया गया है। चूंकि लोढ़ा समिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति द्वारा कार्यान्वित कराया गया है जो न्यायालयीन क्षेत्राधिकार में होने के कारण जवाब दिया जाना उचित नहीं है।

एनटीपीसी सीपत द्वारा CSR मद अंतर्गत स्वीकृत विकास कार्य

[वाणिज्य एवं उद्योग]

8. (क्र. 1099) श्री दिलीप लहरिया : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या जिला कलेक्टर, बिलासपुर के अनुमोदन/अनुशंसा से एनटीपीसी सीपत द्वारा CSR मद अंतर्गत विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं? यदि हाँ, तो विगत दो वर्षों में कलेक्टर के अनुमोदन से स्वीकृत कार्यों का कार्यवार, विभागवार एवं राशि-वार विवरण देवे। (ख) जिला कलेक्टर बिलासपुर को विगत दो वर्षों में विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास कार्यों के संबंध में प्राप्त पत्रों में से कितने कार्यों का अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है, और कितने पत्र वर्तमान में लंबित हैं?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) कार्यालय कलेक्टर, जिला बिलासपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला कलेक्टर, बिलासपुर के अनुमोदन/अनुशंसा से एनटीपीसी सीपत द्वारा CSR मद अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11 एवं 2025-26 में 12 कुल 23 विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। विगत दो वर्षों में कलेक्टर के अनुमोदन से स्वीकृत कार्यों का कार्यवार, विभागवार एवं राशि-वार विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) कार्यालय कलेक्टर, जिला बिलासपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार कलेक्टर बिलासपुर को जनप्रतिनिधियों से विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 167 एवं 2025-26 में 297 कुल 464 पत्र/ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 74 प्रस्ताव स्वीकृत/अनुमोदित, 20 प्रस्ताव आंशिक स्वीकृत तथा पर्याप्त बजट की अनुपलब्धता के कारण 370 प्रस्ताव वर्तमान में लंबित हैं। विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।

सामरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अधूरे भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

9. (क्र. 1113) श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या सामरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड राजपुर के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सिधमा में भवन निर्माण कार्य कई वर्षों से अधूरा है, यदि हां तो क्यों? (ख) उक्त भवन निर्माण कार्य को कब तक पूर्ण किया जाएगा? समय-सीमा बतावे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जी हाँ। कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग

रामानुजगंज के द्वारा कार्य के अनुबंध को समाप्त किया गया है। (ख) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में नलजल कनेक्शनों की अद्यतन स्थिति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

10. (क्र. 1136) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) भौतिक सत्यापन के आधार पर भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने गांवों में नल-जल कनेक्शन चालू स्थिति में हैं? विकासखण्डवार जानकारी दें? जिन ग्रामों तक नलजल कनेक्शन नहीं पहुंचा है, वहां कब तक पहुंचा दिया जाएगा? (ख) नल जल कनेक्शन कार्य के संबंध में शिकायत के आधार पर अब तक के कितने ठेकेदारों पर कार्रवाई की गई? जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) भौतिक सत्यापन के आधार पर विधानसभा भानुप्रतापपुर क्षेत्र के 154 गांवों में घरेलू नल-जल कनेक्शन पूर्ण रूप से एवं 110 गांवों में घरेलू नल-जल कनेक्शन आंशिक रूप से चालू स्थिति में है। विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) नल जल कनेक्शन कार्य के संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं होने से ठेकेदारों पर कार्यवाही की जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]

बसना से पदमपुर मार्ग का चौड़ीकरण कार्य

[लोक निर्माण]

11. (क्र. 1167) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बसना से पदमपुर मार्ग का चौड़ीकरण कार्य किस वर्ष में, कितनी लागत से व किस एजेंसी के द्वारा किया गया था, विवरण सहित बतावें? (ख) क्या उक्त निर्माण कार्य अधिकारियों द्वारा बनाये गये प्राक्कलन व नक्शे के अनुरूप हुआ था? (ग) क्या उक्त निर्माण से सम्बंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई थी, अगर हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई, अगर नहीं, तो क्यों, कारण सहित बतावें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) (ख) एवं (ग) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अठारह"]

कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बसना के द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता की जांच

[स्कूल शिक्षा]

12. (क्र. 1184) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बसना द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता/गबन की जांच कराई गई थी, यदि हाँ, तो जांच किस स्तर के, किस अधिकारी द्वारा की गई? जांच में क्या पाया गया, जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रशंश "क" के दोषी अधिकारी व कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की गई है? अगर नहीं, तो क्यों, कारण सहित बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जी हाँ, सहायक संचालक स्तर के अधिकारी श्री अमर दास कुर्रे एवं श्री अरूण कुमार दास के द्वारा जाँच कराई गई है। जाँच में वित्तीय अभिलेख अपूर्ण तथा कक्ष लिपिक द्वारा प्रभार नहीं दिया जाना पाया गया। **जाँच प्रतिवेदन संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।** (ख) दोषी तत्कालीन विकासखंड

शिक्षा अधिकारी बसना के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा दोषी कक्ष प्रभारी लिपिक को निलंबित कर विभागीय जाँच की कार्यवाही की जा रही है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस" \]](#)

पंजीकृत श्रमिकों की दुर्घटना/मृत्यु पर परिजनों को देय मृत्यु/दुर्घटना हितलाभ

[श्रम]

13. (क्र. 1509) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** पंजीकृत कुशल/अकुशल श्रमिकों की असमय मृत्यु/दुर्घटना में दिव्यांग हो जाने की स्थिति में विभाग द्वारा क्या-क्या हितलाभ श्रमिकों/परिजनों को प्रदान किया जाता है? **(ख)** अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में जनवरी, 2022 से जनवरी, 2026 के मध्य कुल कितने पंजीकृत कुशल/अकुशल श्रमिकों की दुर्घटना में दिव्यांगता/मृत्यु हुई? वर्षवार, ग्रामवार जानकारी देवें? **(ग)** क्या 'ख' अनुसार चिन्हांकित श्रमिकों/परिजनों को योजनानुसार लाभ का भुगतान कर दिया गया है? वर्षवार जानकारी देवें? **(घ)** कितने श्रमिकों/परिजनों को योजनानुसार लाभ दिया जाना लंबित है और कितने दिनों से लंबित है? वर्षवार जानकारी देवें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** श्रम विभाग अंतर्गत कुशल एवं अकुशल श्रमिक के आधार पर श्रमिकों का पंजीयन किये जाने का प्रावधान नहीं है। अपितु छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत निर्माण श्रमिक, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत असंगठित कर्मकार तथा छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत संगठित श्रमिक का पंजीयन किये जाने का प्रावधान है। छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत संचालित "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दिव्यांग एवं मृत्यु सहायता योजना" के प्रावधानानुसार पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर उनके आश्रितों को 01 लाख एवं कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु पर 05 लाख तथा दुर्घटना से स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में श्रमिक को 02 लाख 50 हजार रूपए प्रदान किया जाता है। अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु पर उनके आश्रित को 01 लाख रूपये प्रदाय किया जाता है। छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत संचालित "असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना" के प्रावधानानुसार पंजीकृत कर्मकार की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 01 लाख रूपए एवं स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में कर्मकार को 50 हजार रूपए प्रदान किया जाता है। छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत संचालित "श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना" के प्रावधानानुसार पंजीकृत संगठित श्रमिकों की कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु पर उनके आश्रित को 50 हजार रूपये प्रदाय किया जाता है। **(ख)** विभाग के अधीन संचालित मंडलों द्वारा क्षेत्र में श्रमिकों के हुए दिव्यांगता/मृत्यु की जानकारी संधारित नहीं की जाती है, अपितु मंडलों द्वारा संचालित योजनाओं में पंजीकृत श्रमिक/परिजन द्वारा दुर्घटना में दिव्यांगता/मृत्यु संबंधी आवेदन करने पर योजना के प्रावधानानुसार लाभान्वित किया जाता है। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रश्रंंकित अवधि में छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजना अंतर्गत दुर्घटना से दिव्यांगता/मृत्यु की वर्षवार एवं ग्रामवार **जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।** छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल तथा छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत जानकारी निरंक है। **(ग) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।** **(घ)** लंबित आवेदन निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बीस" \]](#)

विद्यालयों की छत से गुजरने वाली विद्युत तारों का विस्थापन

[स्कूल शिक्षा]

14. (क्र. 1511) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या प्रदेश में विद्यालयों के छत से विद्युत् तारों को गुजारने की अनुमति है? **(ख)** रायपुर जिला अंतर्गत किन-किन

विद्यालयों की छत से होकर विद्युत् तार गुजरता है? विद्युत तारों के कारण विद्यालयों में कितनी दुर्घटनाएं वर्ष 2020 से 2026 के मध्य घटी हैं? (ग) विद्यालयों के छत से गुजरने वाली विद्युत तारों को अन्यत्र विस्थापित किये जाने हेतु क्या विभाग द्वारा कोई योजना संचालित है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जी नहीं। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। विद्युत तारों के कारण किसी भी विद्यालयों में वर्ष 2020 से 2026 के मध्य दुर्घटनाएं की संख्या निरंक है। (ग) जी नहीं।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस" \]](#)

प्रदेश में उद्योगों में घटित आगजनी में मुआवजा एवं कृत कार्यवाही

[श्रम]

15. (क्र. 1527) श्री देवेन्द्र यादव : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) वर्ष 2025-26 में प्रदेशभर के किन-किन उद्योगों में आगजनी की घटना घटित हुई है। जिलेवार, दिनांकवार उत्तर दीजिए। (ख) आगजनी की घटनाओं में कितनी जनहानि एवं श्रमिकों के घायल/मृत्यु होना पाया गया है? जानकारी दीजिए। (ग) क्या प्रश्न "ख" अनुसार शासन अथवा संस्था/उद्योगों की ओर से मुआवजा राशि दी गई है। यदि हां तो जिलेवार नाम, पता एवं राशि सहित जानकारी दीजिए। (घ) क्या उक्त फैक्ट्री उद्योगों के खिलाफ जांच की कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो जांच में क्या-क्या अनियमितता पाई गई, उद्योगवार जानकारी दीजिए? शासन की ओर से क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) वर्ष 2025-26 में प्रदेशभर के कारखानों में हुई अग्नि दुर्घटना की जिलेवार एवं दिनांकवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) वर्ष 2025-26 में प्रदेशभर के कारखानों में हुई अग्नि दुर्घटना में 03 श्रमिकों की मृत्यु हुई तथा घायल श्रमिकों की जानकारी निरंक है। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) जी हां। प्रश्नांक (ख) के अनुसार कारखाना प्रबंधन द्वारा मृत श्रमिक के आश्रितों को दी गई आर्थिक सहायता राशि की जानकारी जिलेवार, नाम एवं पता संबंधी जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (घ) जी हां। प्रश्नांक (क) के कारखानों में हुई अग्नि दुर्घटना की जांच में पाये गये अनियमितता एवं की गई कार्यवाही की जानकारी कारखानावार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस" \]](#)

सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता हेतु उच्च न्यायालय के आदेश का पालन

[स्कूल शिक्षा]

16. (क्र. 1709) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सत्य है कि दिनांक 4 मई 2023 को जारी सहायक शिक्षक के 6285 पदों की भर्ती अधिसूचना में न्यूनतम कटऑफ निर्धारित किया गया था? यदि हाँ, तो श्रेणीवार निर्धारित न्यूनतम कटऑफ विवरण क्या है? यदि नहीं, तो बिना स्पष्ट कटऑफ के चयन प्रक्रिया किस आधार पर संपन्न की गई? (ख) सहायक शिक्षक के 1316 पद एवं 984 पदों की भर्ती में वर्तमान में वर्गवार (सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) कितने पद रिक्त हैं? वर्गवार रिक्तियों का अद्यतन विवरण प्रदान करें। (ग) क्या यह सत्य है कि दिनांक 2 अप्रैल 2024 को माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा सहायक शिक्षक भर्ती प्रकरण में बी.एड. अभ्यर्थियों को अपात्र ठहराते हुए मेरिट सूची पुनः व्यवस्थित (Re-arrange) करने का आदेश दिया गया था? यदि हाँ, तो उक्त आदेश के पालन में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जी नहीं। भर्ती परीक्षा के प्रावीण्य सूची के आधार पर की गई

है। **(ख)** वर्तमान में रिक्तियों की संख्या निरंक है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी हाँ। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के निर्णय के परिपालन में विभाग द्वारा सहायक शिक्षक पद के पांचवें चरण की भर्ती प्रक्रिया की गई है।

राज्य शासन के विभागों में प्रदर्शनी उद्घाटन, बड़े समारोह के लिए टेंट एवं प्रचार-प्रसार की व्यवस्था

[वाणिज्य एवं उद्योग]

17. (क्र. 1746) श्री राजेश मूणत : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** राज्य शासन से संबंधित विभागों में प्रदर्शनी, उद्घाटन या बड़े-बड़े समारोह के लिए ईवेंट कंपनी, टेंट प्रचार-प्रसार की व्यवस्था के संबंध में क्या नार्स है? इस कार्यों को करने के लिए क्या निविदा आमंत्रित की जाती है या कोटेशन के माध्यम से भाव आमंत्रित कर कार्य संपादन करा लिया जाता है? विवरण दें। **(ख)** जिलों में होने वाली प्रदर्शनी उद्घाटन या अन्य समारोहों के लिए भी कार्य निविदा आमंत्रण कर कराया जाता है अथवा रेट कांट्रैक्ट आधार पर या कोटेशन के माध्यम से कराया जाता है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : विभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वाटर सप्लाई हेतु नगरीय प्रशासन विभाग की कार्ययोजना

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

18. (क्र. 1747) श्री राजेश मूणत : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नगरीय प्रशासन विभाग की नगर पालिक निगम रायपुर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने के लिए क्या कार्य योजना है? **(ख)** क्या खारून नदी में गंदा पानी आने की कोई शिकायत राज्य शासन को प्राप्त हुई है? यदि हां तो उसकी रोकथाम हेतु तथा नदी का जल शुद्ध रखने हेतु नगरीय प्रशासन विभाग या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अथवा जल संसाधन विभाग द्वारा कोई कार्य योजना बनाई है? यदि हां तो वह क्या है? **(ग)** अमृत मिशन योजना के लाभ से वंचित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु क्या राज्य शासन द्वारा नगर निगम रायपुर को कोई आबंटन देने पर विचार किया जा रहा है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** रायपुर नगर निगम में विभिन्न मदों से स्थापित कुल क्षमता 310 एमएलडी के जल शोधन संयंत्र के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त दतरेंगा क्षेत्र में 100 एमएलडी क्षमता के नवीन जल शोधन संयंत्र के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट में राशि रू. 13061.11 लाख का प्रावधान किया गया है। **(ख)** चिंगरी नाला का दूषित जल नाले में बनाये गये पिकअप वियर से ओवर फ्लो होकर खारून नदी में प्रवाहित हो जाता है। उक्त समस्या के रोकथाम हेतु नगर निगम रायपुर द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसके अंतर्गत चिंगरी नाला के लाईनिंग का कार्य, स्टॉप डैम/वियर की ऊंचाई में वृद्धि तथा अतिरिक्त इंटर सेप्टर पाईप विस्तार आदि कार्य किया जाना प्रस्तावित है। **(ग)** अमृत मिशन योजना के लाभ से वंचित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अधोसंरचना मद में राशि रू. 2609.11 लाख, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना अंतर्गत राशि रू. 2338.28 लाख तथा 15वें वित्त आयोग मद अंतर्गत राशि रू. 4533.18 लाख, इस प्रकार कुल राशि रू. 9480.57 लाख की स्वीकृति नगर पालिक निगम रायपुर को प्रदान की गयी है। उक्त के अतिरिक्त नगर निगम रायपुर क्षेत्र के पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 100 एमएलडी क्षमता के नवीन जल शोधन संयंत्र निर्माण हेतु राशि रू. 13061.11 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट में किया गया है।

पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु निविदा प्रक्रिया

[स्कूल शिक्षा]

19. (क्र. 1748) श्री राजेश मूणत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या आगामी शिक्षा सत्र हेतु स्टेट बोर्ड के समस्त विद्यालयों (शासकीय एवं अशासकीय) के विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण हेतु पुस्तक छापने की टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है? यदि नहीं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? **(ख)** पुस्तकें छापने के लिए दिये जाने वाले पेपर खरीदने के नार्म्स क्या-क्या थे? क्या इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई थी? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई बतावें? **(ग)** पुस्तकें छापने के लिए आमंत्रित निविदा में प्रतिभागिता करने हेतु क्या नार्म्स निर्धारित थे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा आगामी शिक्षा सत्र हेतु पुस्तक मुद्रण हेतु निविदा क्रमांक पी-3/2026-27 GeM-Bid क्रमांक GEM/2026/B/7183806, Date 04.02.2026 जारी की जा चुकी है, जो कि प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** पुस्तकें छापने के लिए दिये जाने वाले पेपर खरीदने के नार्म्स एवं शर्तें निविदा में उल्लेखित है, जो **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं प्रपत्र ब** अनुसार है। जी नहीं, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** पुस्तकें छापने के लिए आमंत्रित निविदा में प्रतिभागिता हेतु नार्म्स एवं शर्तें निविदा में उल्लेखित है, जो **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।**

बालोद जिले में राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी का आयोजन

[स्कूल शिक्षा]

20. (क्र. 1754) श्री कवासी लखमा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** राज्य के बालोद जिले में जंबूरी का आयोजन करने का निर्णय किस पदाधिकारी/समिति द्वारा किस तिथि को लिया गया? जंबूरी आयोजन हेतु कितनी राशि का बजट प्रावधान था? कितनी राशि जारी की गई? कितनी राशि व्यय हुई? कितनी राशि शेष है? विवरण देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' हेतु आयोजन स्थान पर व्यवस्था निर्माण हेतु कितने कार्यों के लिये कितनी राशि की निविदा किस तिथि को जारी हुई? कार्य एजेन्सी का नाम सहित संपूर्ण ब्यौरा देवें? **(ग)** कार्यक्रम स्थल पर निर्माण कार्य सहित अन्य व्यवस्था का पर्यवेक्षण किस अधिकारी द्वारा किया गया है? एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत देयक किस अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया? कितना भुगतान किया गया? ब्यौरा देवें? **(घ)** कार्यक्रम हेतु प्रयुक्त सामग्री क्रय में क्या भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है? कुल व्यय राशि बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** बालोद जिले में जंबूरी आयोजन कार्यक्रम का निर्णय राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 14.11.2025 को लिया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जंबूरी आयोजन हेतु 10.00 करोड़ (अक्षरी दस करोड़ रूपये) का प्रावधान किया गया है। रूपये 05.00 करोड़ (अक्षरी पांच करोड़ रूपये) जारी की गई। वर्तमान में राशि रूपये 02.00 (अक्षरी दो करोड़ रूपये) का व्यय हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद को आवंटित राशि में से 03.00 (अक्षरी- तीन करोड़ रूपये) शेष है। **(ख)** जंबूरी कार्यक्रम में एरीना निर्माण, शौचालय निर्माण, जल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था, आवास हेतु टेंट, कार्यक्रम हेतु डोम, बेरिकेट, भोजनालय एवं प्रिंटिंग आदि कार्यों के लिये जेम पोर्टल के माध्यम से खुली निविदा दिनांक 23.12.2025 को जारी की गई। कार्य एजेन्सी का नाम अमर भारत किराया भण्डार, रायपुर है। **(ग)** जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा कार्यक्रम स्थल का पर्यवेक्षण किया गया। एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत देयक को अपर कलेक्टर बालोद की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा प्रमाणित किया गया। वर्तमान में राशि रूपये 02.00

(अक्षरी दो करोड़ रुपये) का भुगतान किया गया है। (घ) जी हां। वर्तमान में राशि रुपये 02.00 (अक्षरी दो करोड़ रुपये) का व्यय हुआ है।

समग्र शिक्षा अंतर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षकों के भर्ती

[स्कूल शिक्षा]

21. (क्र. 1769) श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) समग्र शिक्षा के अंतर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षकों के कितने पदों के लिये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई? (ख) कंडिका "क" के पदों के लिये जारी विज्ञापन में कौन-कौन से अर्हताएं निर्धारित की गई? (ग) क्या ये सही है कि कंडिका "क" के पदों पर नियम विरुद्ध नियुक्ति किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है? हों तो अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) समग्र शिक्षा के अंतर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षकों के 1507 पदों में से 1008 पदों के लिये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई। (ख) कंडिका "क" के पदों के लिये जारी विज्ञापन में पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल द्वारा अर्हताएं **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। (ग) कंडिका "क" के पदों पर नियम विरुद्ध नियुक्ति किये जाने की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस"]

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के अंतर्गत स्थित स्वामी आत्मानंद विद्यालय का सेटअप

[स्कूल शिक्षा]

22. (क्र. 1822) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के अंतर्गत संचालित स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में कितने कक्षा तक का सेटअप है? (ख) क्या सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में कितने विद्यालयों में सेटअप के अनुसार पर्याप्त शिक्षक हैं? यदि है तो शिक्षकों की संख्या कितनी है? ब्लॉकवार, विद्यालयवार, विषयवार जानकारी प्रदान करें? यदि नहीं तो रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती कब तक की जाएगी? जानकारी प्रदान करें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ'** अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'ब'** अनुसार है। शेषांश का प्रश्न ही नहीं उठता।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस"]

धरसीवा में संचालित शालाओं में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के रिक्त पद

[स्कूल शिक्षा]

23. (क्र. 1866) श्री अनुज शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत कितने-कितने और कौन-कौन से हाई स्कूल तथा हायरसेकेण्डरी स्कूल संचालित है तथा इनमें कितने-कितने विद्यार्थी अध्ययनरत है? ग्रामवार/ब्लाकवार विवरण प्रदान करें? (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार पूर्व दो वर्षों में वार्षिक परीक्षाओं में इन शालाओं में परीक्षा परिणाम कितने-कितने प्रतीशत रहा? (ग) प्रश्नांक 'क' अनुसार इन शालाओं में शिक्षकों/विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के कितने-कितने पद रिक्त तथा कितने पद भरे हुये हैं? विवरण प्रदान करें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र-'ब' अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस"]

नगर पंचायत खरोरा में निर्माणाधीन गौरव पथ की जांच

[लोक निर्माण]

24. (क्र. 1948) श्री अनुज शर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा कितनी-कितनी लम्बाई की सड़कों का निर्माण किया गया? वर्षवार/सड़कवार विवरण प्रदान करें? (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार नगर पंचायत खरोरा में निर्माणाधीन नायकताड से खरोरा सड़क (गौरवपथ)का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा तथा क्या इस सड़क की निर्माण गुणवत्ता की जांच की गई है यदि हां तो कब-कब की गई और किस-किस अधिकारी के द्वारा? (ग) प्रश्नांक 'ख' अनुसार क्या इस मार्ग निर्माण में स्ट्रीट लाईट/डिवाइडर लाईट का प्रावधान किया गया था ? यदि हां तो कितनी राशि का और यदि नहीं तो क्या निविदा में अंतरित राशि से लाईट स्थापना का कार्य कराये जाने की कोई योजना है ? यदि हां तो कब तक इसे पूर्ण कर लिया जायेगा?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ, राशि रु. 96.00 लाख का प्रावधान है। जानकारी संलग्न प्रपत्र-'ब' अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"]

जिला गरियाबंद में स्कूल जतन योजना के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

25. (क्र. 2028) श्री जनक ध्रुव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2024 एवं 2025 में जिला गरियाबंद में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल जतन योजनान्तर्गत आदिवासी विकास विभाग को एजेंसी बनाकर जिले के किन-किन शालाओं में कितने कितने कार्य स्वीकृत किए गए है? शालावार, कार्यवार लागत सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रश्नांक 'क' में वर्णित योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है ? (ग) किन-किन शालाओं में कलेक्टर, जिला गरियाबंद द्वारा कार्यों की जांच के निर्देश दिए गए है? जांच में क्या क्या गड़बड़ियाँ पाई गई हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार हैं। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र के कालम नं. 2 अनुसार है। जांच प्रक्रियाधीन हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"]

दुर्ग जिले अंतर्गत युक्त-युक्तिकरण में व्याख्याताओं की पदस्थापना

[स्कूल शिक्षा]

26. (क्र. 2046) श्री देवेन्द्र यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दुर्ग जिले अंतर्गत शिक्षा विभाग में वर्ष 2025 में युक्त-युक्तिकरण के समय विद्यालय में संलग्निकरण के माध्यम से संलग्न कितने व्याख्याता/व्याख्याता एल.बी. (विषय- अंग्रेजी) शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में थे ? नाम, विद्यालय के स्थान सहित जानाकारी दीजिए। (ख) क्या युक्त-युक्तिकरण में स्वामी आत्मानंद विद्यालय को सम्मिलित किया

गया है ? यदि हां तो ऐसे कौन-कौन से विद्यालय में व्याख्याता/व्याख्याता एल.बी. (विषय- अंग्रेजी) को पदस्थापना प्रदाय की गयी है ? सूची सहित जानकारी दीजिए। (ग) प्रश्नानुसार क्या ऐसे कोई व्याख्याता/व्याख्याता एल.बी. (विषय- अंग्रेजी) हैं, जिसे युक्त-युक्तिकरण/अन्य माध्यम से आदेश के तहत अन्य विद्यालय में पदस्थ किया गया है ? यदि हां तो नाम व विद्यालय के पता सहित जानकारी दीजिए।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही नहीं उठता। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्वाईस"]

सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ब्रिज निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति

[लोक निर्माण]

27. (क्र. 2086) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2023 से 31.01.2026 तक सिहावा विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से ब्रिज निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) स्वीकृत कार्यों को कब तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य था ? स्थल वार जानकारी देवें ? (ग) इनमें से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हैं तथा कौन-कौन से अपूर्ण हैं ? अपूर्ण हैं तो क्यों एवं अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण किया जाएगा ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस"]

रायगढ़ जिलान्तर्गत जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

28. (क्र. 2145) श्री उमेश पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) रायगढ़ जिला अंतर्गत जल जीवन मिशन अंतर्गत कितने पानी टंकी बनाए गए हैं? कितने पूर्ण हैं ? कितने कार्यरत हैं और कितने अपूर्ण हैं, कितने में हर-घर तक नल का जल पहुंचाया जा रहा है और कितना विफल है ? जानकारी विकासखंडवार देवें । (ख) केन्द्रीय भूजल बोर्ड की डाइनेमिक ग्राउन्ड वाटर रिसोर्स में जिले के कौन-कौन से ब्लॉक शामिल हैं ? उक्त ब्लॉक के लोगों को पानी के व्यवस्था के लिए क्या कार्ययोजना सरकार द्वारा बनाई गयी है ? जानकारी बतावें।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) रायगढ़ जिला अंतर्गत जल जीवन मिशन अंतर्गत बनाए गए टंकी, पूर्ण, कार्यरत, अपूर्ण, हर घर तक नल का जल पहुंचने की विकासखंडवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। कोई टंकी विफल नहीं है । (ख) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड की डाइनेमिक ग्राउन्ड वाटर रिसोर्स में रायगढ़ जिला का ब्लाक-पुसौर सेमी-क्रिटिकल श्रेणी में शामिल हैं। उक्त ब्लॉक के लोगों को पानी की व्यवस्था के लिए जल जीवन मिशन योजना के तहत कुल 145 ग्रामों के 38381 घरों में घरेलु नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति की कार्ययोजना बनाई गई है। उक्त ब्लॉक में 1112 हैण्डपम्प एवं 687 सिंगल फेस पॉवर पम्प के माध्यम से भी पेयजल उपलब्ध हो रहा है। आवश्यक होने पर समस्याग्रस्त बसाहटों में नलकूप खनन कर हैण्डपम्प या सिंगल फेस पॉवर पम्प स्थापित कर पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीस"]

जिला रायगढ़ अंतर्गत औद्योगिक हादसों में जनहानि

[श्रम]

29. (क्र. 2146) श्री उमेश पटेल : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** रायगढ़ जिला अंतर्गत उद्योगों में वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 में कितने औद्योगिक हादसे हुए हैं ? इन हादसों में कितने कर्मचारियों की मौत हुई है और कितने घायल हुए हैं ? इन सभी हादसों में कितने का प्रकरण दर्ज कराया गया और उन पर क्या कार्यवाही हुई ? परिजनों को कितना मुआवजा दिया गया है? **(ख)** उद्योगों में सुरक्षा के लिए क्या मानदंड हैं? क्या इसका पालन सभी उद्योग कर रहे हैं? यदि नहीं तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है? उद्योगों के हादसों में जनहानि न हो इसके लिए क्या कार्ययोजना बनाई गई है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** रायगढ़ जिला अंतर्गत कारखानों में वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 में हुए औद्योगिक दुर्घटनाओं की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक श्रमिकों की संख्या	घायल श्रमिकों की संख्या
2023-24	13	7	6
2024-25	32	21	17
2025-26	32	24	17
कुल	77	52	40

इन सभी दुर्घटनाओं में 77 अपराधिक प्रकरण माननीय श्रम न्यायालय में दायर किया गया है। उन पर की गई कार्यवाही एवं परिजनों को दी गई मुआवजा राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।** **(ख)** उद्योगों में सुरक्षा के लिए कारखाना अधिनियम 1948 तथा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत श्रमिकों के कार्य के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु सुरक्षित कार्यस्थल एवं सुरक्षित कार्यविधि अपनाये जाने संबंधी मानदंड नियत है। उपरोक्त अधिनियमों में विहित सुरक्षा मानकों का कारखानों में निरीक्षण कर परिपालन कराया जाता है तथा उल्लंघन पाये जाने पर कारखाना प्रबंधन के विरुद्ध न्यायालयीन कार्यवाही की जाती है। उल्लंघनकर्ता कारखाना प्रबंधनों के विरुद्ध प्रश्रांकित अवधि में कुल 162 अपराधिक प्रकरण माननीय श्रम न्यायालय रायगढ़ में दायर किया गया है। उद्योगों के हादसों तथा जनहानि न हो इसके लिये कारखानों में रैण्डम पद्धति से निरीक्षण कर सुरक्षा मापदंडों का पालन सुनिश्चित कराया जाता है। कारखानों में सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति किये जाने, खतरनाक कारखानों में आपात प्रबंधन योजना के अनुरूप मॉकड्रील करने, नियोजन के पूर्व समस्त श्रमिकों को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण अनिवार्यतः देने सहित अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कारखानों में कार्य के दौरान श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये है।

व्यावसायिक प्रशिक्षकों के कार्यरत व रिक्त पद

[स्कूल शिक्षा]

30. (क्र. 2161) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** दिनांक 01.02.2026 की स्थिति में वर्तमान में कितने व्यावसायिक प्रशिक्षक विद्यालयों में कार्यरत हैं एवं कितने विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का पद रिक्त है? जिलावार संख्या प्रदान करें ? **(ख)** इन व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भर्ती क्या आउटसोर्स कंपनी द्वारा की जाती है ? अगर हाँ तो कितनी प्लेसमेंट कंपनियां इस कार्य के लिए अधिग्रहित की गयी हैं ? इन कंपनियों को कितने साल का अनुबंध दिया जाता है ? जानकारी प्रदान करें? **(ग)** प्रश्रांक **(क)** अनुसार इन व्यावसायिक प्रशिक्षकों के आवश्यक वेतन, कटौतियों की जानकारी प्रदान करें ? लंबित वेतन की स्थिति में आउटसोर्स कंपनियों पर क्या कार्यवाई की गई है? जानकारी प्रदान करें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) दिनांक 01.02.2026 की स्थिति में वर्तमान में 2071 व्यावसायिक प्रशिक्षक विद्यालयों में कार्यरत हैं एवं 499 विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का पद रिक्त है। जिलेवार संख्या संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) इन व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भर्ती नेशनल स्किल डेवेलपमेंट कापोरेशन में चयनित पंजीकृत वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर द्वारा की जाती है। वर्तमान में 08 वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर इस कार्य के लिए अधिग्रहित की गयी हैं। पूर्व से कार्यरत कंपनियों से वर्तमान में 04 वर्ष तक का अनुबंध किया गया है। नवीन नियुक्ति से संबंधित कंपनियों से अनुबंध की प्रक्रिया नहीं की गयी है। (ग) व्यावसायिक प्रशिक्षकों की आवश्यक वेतन, कटौतियां वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर द्वारा की जाती है। तत्पश्चात वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर द्वारा प्रस्तुत प्रतिपूर्ति देयकों का भुगतान समग्र शिक्षा द्वारा किया जाता है। अपने प्रशिक्षकों को लंबित वेतन की स्थिति में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर को कम से कम 03 बार कारण बताओ सूचना पत्र दिया जाता है। फिर भी संतोष प्रद जवाब वेतन नहीं देने पर अनुबंध समाप्ति की कार्यवाही की जाती है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस" \]](#)

उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषणा, राज्य अलंकरण समारोह एवं स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

31. (क्र. 2220) श्री ब्यास कश्यप : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या राज्य शासन द्वारा विभागों में रिक्त पदों के 02 प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो वर्ष 2020 से 15.02.2026 तक उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में कुल कितनों को नियुक्ति दी गई? (ख) क्या यह सत्य है कि विगत लगभग 8 वर्षों से प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? और कौन जिम्मेदार है? (ग) क्या " राज्य अलंकरण समारोह" पुनः प्रारंभ किया गया है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जी हाँ। जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जी नहीं। दिनांक 17.05.2018 को 01 उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया है। 2018-19 एवं 2019-20 में जारी विज्ञापन के अनुवर्तन में उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषणा संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हाँ। प्रश्न का शेष भाग उपस्थित नहीं होता।

साजा विधानसभा क्षेत्र के साजा, थानखमहरिया आत्मानंद विद्यालय की भौतिक स्थिति

[स्कूल शिक्षा]

32. (क्र. 2312) श्री ईश्वर साह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) स्वामी आत्मानंद विद्यालय साजा, थानखमहरिया की भौतिक स्थिति बताने का कष्ट करेंगे। (ख) यदि आज पर्यन्त तक दोनों विद्यालय अपूर्ण हैं तो कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) स्वामी आत्मानंद स्कूल साजा का कार्य 85 प्रतिशत एवं स्वामी आत्मानंद स्कूल थानखमहरिया का कार्य 65 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। (ख) दिसंबर 2026 तक ।

अमृत मिशन (AMRUT) के तहत जलापूर्ति और जल निकासी (Drainage) प्रणाली

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

33. (क्र. 2430) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में AMRUT 2.0 के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत एवं खर्च की गई है? मिशन के तहत बालोद जिले के शहरी क्षेत्रों में कुल कितने घरों को कार्यशील नल कनेक्शन (FHATC) देने का

लक्ष्य था और वर्तमान में कितने प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया है? **(ख)** बालोद जिले के मुख्य बाजारों और निचले इलाकों में जलभराव की समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के कितने प्रोजेक्ट्स अमृत मिशन के तहत स्वीकृत हैं? विकासखंडवार बताये ? **(ग)** जल संचयन में देश में प्रथम आने पर बालोद जिले को जो ₹2 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिली है, उसका उपयोग किन शहरी जल योजनाओं में किया जा रहा है? 'मिशन अमृत सरोवर' के तहत बालोद जिले में चयनित 75 जल निकायों में से कितने का सौंदर्यकरण और गहरीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** प्रदेश में मिशन अमृत 2.0 हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राशि रू. 2828.66 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है एवं योजनांतर्गत राशि रू. 620.84 करोड़ अद्यतन व्यय की गयी है। मिशन के तहत बालोद जिले के 03 नगरीय निकायों (शहरी क्षेत्रों) में कुल 5732 घरों में नल कनेक्शन देने का लक्ष्य प्रावधानित है। वर्तमान में तीनों परियोजनाओं का कार्य प्रगतिरत है, जिसके कारण लक्ष्य प्राप्ति की जानकारी निरंक है। **(ख)** मिशन अमृत 2.0 अंतर्गत बालोद जिले में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं है। **(ग)** जल संचयन में देश में प्रथम आने पर जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बालोद जिले को राशि रू. 2 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गयी है, जिसका उपयोग शहरी जल योजनाओं में नहीं किया जा रहा है। मिशन अमृत सरोवर के तहत जिले में महात्मा गांधी नरेगा एवं कृषि विभाग के अन्य मद से कुल 111 चयनित जल निकायों में से 32 नये तालाब निर्माण एवं 79 तालाब गहरीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत तालाब सौंदर्यकरण की जानकारी निरंक है।

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में पेय जल आपूर्ति हेतु स्वीकृत नलकूप खनन एवं मोटर पंप की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

34. (क्र. 2435) श्री पुन्लाल मोहले : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में पेय जल आपूर्ति हेतु जनवरी, 2024 से दिनांक 15.02.2026 तक किस-किस योजना या मद से नलकूप खनन एवं मोटर पंप प्रतिस्थापना कार्य कितने-कितने राशि के लागत से किस-किस प्रक्रिया के तहत स्थान चयन कर स्वीकृत किया गया है? उक्त कार्य की भौतिक स्थिति क्या है? क्या उक्त का खनन कहां-कहां किया गया है? स्थानवार स्थल चयन प्रक्रिया सहित विवरण देवे ? **(ख)** वित्तीय वर्ष 2024-25 से दिनांक 15.02.2026 तक नलकूप खनन एवं मोटर पंप प्रतिस्थापना हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? **(ग)** क्या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा अनुसार नलकूप खनन एवं मोटर पंप प्रतिस्थापना का कार्य स्वीकृति किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा अनुसार कितने कार्य स्वीकृत किये गये, विवरण देवे ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु जनवरी 2024 से दिनांक 15.02.2026 तक योजनावार, मदवार स्वीकृत नलकूप खनन एवं मोटर पंप प्रतिस्थापना कार्य की स्वीकृत राशि एवं स्थल चयन प्रक्रिया की स्थलवार भौतिक प्रगति की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** वित्तीय वर्ष 2024-25 से दिनांक 15.02.2026 तक नलकूप खनन एवं मोटर पंप प्रतिस्थापना हेतु 94 आवेदन प्राप्त हुए हैं। **(ग)** जी हां। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के अनुशंसानुसार स्वीकृत किये गये कार्य का विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस"]

जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

35. (क्र. 2440) श्री बालेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिनांक 17 फरवरी, 2026 की स्थिति में जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कुल कितने कार्य स्वीकृत है ? इनमें से पूर्ण, अपूर्ण व अप्रारंभ कार्यों की संख्या कितनी है तथा पूर्ण हुए कितने कार्यों से वर्तमान में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है ? जिलेवार जानकारी देवें ? **(ख)** विगत 02 वर्षों में जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना के तहत स्वीकृत कार्यों में गुणवत्ताहीन निर्माण, कार्यों की धीमी गति, कार्यों में अनियमितता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ? जानकारी देवें ? **(ग)** प्रश्नांक "क" के स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध विगत 02 वर्षों में किन-किन ठेकेदारों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? विवरण देवें ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** दिनांक 17 फरवरी, 2026 की स्थिति में जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत कुल 238 कार्य स्वीकृत है। इनमें से 157 पूर्ण, 81 अपूर्ण है व अप्रारंभ कार्यों की संख्या निरंक है। पूर्ण 157 कार्यों में से 142 कार्यों से वर्तमान में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** विगत 02 वर्षों में जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना के तहत स्वीकृत कार्यों में गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य के निरंक, कार्यों की धीमी गति के निरंक, कार्यों में अनियमितता की 04 शिकायतें प्राप्त हुई तथा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग)** प्रश्नांक "क" के स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध विगत 02 वर्षों में ठेकेदारों को भुगतान की गयी राशि का विवरण **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तैतीस" \]](#)

जिला दुर्ग में अवैध प्लाटिंग पर कृत कार्यवाही

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

36. (क्र. 2455) श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दुर्ग जिले के नगरीय प्रशासन विभाग अंतर्गत नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पालिक निगम में 01 जनवरी, 2024 से 31 जनवरी, 2026 तक अवैध प्लाटिंग के कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है ? **(ख)** कंडिका "क" के वर्षों में किये गये अवैध प्लाटिंग के शिकायतों पर नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा अब तक क्या कार्यवाही किन-किन पर की गई है ? नहीं तो क्यों ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** दुर्ग जिले के नगरीय निकायों में 01 जनवरी, 2024 से 31 जनवरी 2026 तक अवैध प्लाटिंग के 55 शिकायतें प्राप्त हुई है। **(ख)** कंडिका "क" के वर्षों में किये गए अवैध प्लाटिंग के शिकायतों पर संबंधित के विरुद्ध 19 प्रकरणों में नोटिस जारी किया गया, 28 प्रकरणों में पंजीयन पर रोक लगाये जाने हेतु तहसीलदार/उप पंजीयक को पत्र प्रेषित किया गया, 02 प्रकरणों में बेदखली की कार्यवाही की गई है तथा 06 प्रकरणों में मार्ग संरचना हटाने की कार्यवाही किया गया है। प्रकरणवार की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस" \]](#)

प्रदेश की जर्जर सड़कों का संधारण कार्य

[लोक निर्माण]

37. (क्र. 2561) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में विभाग को वार्षिक संधारण मद एवं विशेष संधारण

मद में कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान था? कितनी राशि व्यय हुई? कितनी राशि शेष है? वर्षवार जानकारी देवे? **(ख)** प्रदेश के कितनी सड़कों के संधारण हेतु वार्षिक संधारण मद/विशेष संधारण मद अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत हुए? कितने कार्यों/सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई? कितने सड़कों का संधारण कार्य पूर्ण किया गया? वर्षवार, लोक निर्माण संभागवार विवरण देवे? **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के तहत प्रस्तावित जर्जर सड़कों में से परफार्मेंस गारन्टी की कितनी सड़कें हैं? सड़क का नाम एवं प्रस्तावित राशि का विवरण भी बतावें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' अनुसार है। **(ख)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'ब' अनुसार है। **(ग)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'स' अनुसार है।

वस्त्र खरीदी के लिए जारी क्रय आदेश एवं राशि का भुगतान

[ग्रामोद्योग]

38. (क्र. 2571) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित- रायपुर द्वारा वस्त्र खरीदी के लिए कौन-कौन सी कंपनी को कितनी-कितनी राशि के कपड़ों की खरीदी हेतु क्रय आदेश जारी किया गया? कितनी राशि का भुगतान किया गया? एवं कितनी राशि शेष है? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** अवधी में फर्मों द्वारा आपूर्ति किए गए वस्त्र, मंगाई गई वस्त्र से पृथक/अन्य वस्त्र भेजने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हां तो विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? संपूर्ण जानकारी प्रदान करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित-रायपुर द्वारा वस्त्र खरीदी के लिए कोई भी कंपनी को कपड़ों की खरीदी हेतु कोई क्रय आदेश जारी नहीं किया गया है। **(ख)** जी हां। जांच कमेटी गठित कर प्राप्त शिकायत की जांच कराई गई। लापरवाही बरतने एवं अनुशासनहीनता पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को निलंबित कर उसके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित किया गया है।

गरियाबंद नगर पालिका में निर्मित वाटिका

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

39. (क्र. 2572) श्री जनक ध्रुव : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या यह गरियाबंद नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत रावाभाठा के समीप नेशनल हाईवे 130 से लगे स्थान पर आम जनता की सुविधा हेतु एक गार्डन का निर्माण कराया गया था? **(ख)** उक्त गार्डन के निर्माण में कुल कितनी राशि व्यय की गई थी? **(ग)** क्या सड़क चौड़ीकरण कार्य के कारण उक्त गार्डन को ध्वस्त/हटा दिया गया है? यदि हाँ, तो इसके लिए किस विभाग/एजेंसी द्वारा निर्णय लिया गया तथा क्या पूर्व अनुमति ली गई थी? **(घ)** क्या नगर के नागरिकों हेतु वैकल्पिक रूप से नए उद्यान/सार्वजनिक स्थल के निर्माण की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो उसका विवरण एवं समय-सीमा क्या है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** जी हाँ, नगर पालिका गरियाबंद क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्र.07 रावणभाठा में पी.एच.ई.कार्यालय के सामने नेशनल हाईवे 130 से लगे स्थान पर अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण निधि मद से गार्डन निर्माण कार्य कराया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	स्वीकृति आदेश क्र. व दिनांक	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)
1	3417/ 30.09.2021	जिला मुख्यालय के अनुसार गार्डन निर्माण कार्य।	14.99	12.15
2	3419/ 30.09.2021	लाईट लगाने का कार्य जिला मुख्यालय के अनुसार निर्मित गार्डन में।	5.04	2.52
3	3421/ 30.09.2021	जिला मुख्यालय के अनुसार गार्डन निर्माण कार्य में फाउन्टेन लगाने हेतु।	15.00	8.12
	योग		35.03	22.79

(ख) उक्त गार्डन निर्माण में राशि रू.22.79 लाख व्यय की गई थी। (ग) हाँ, सड़क चौड़ीकरण कार्य के कारण उक्त गार्डन को हटा दिया गया है। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग उपसंभाग क्रमांक 01 पेंशन बाड़ा रायपुर (छ.ग.) का ज्ञापन क्रमांक 293/शिल्प/2026 रायपुर दिनांक 01.01.2026 के द्वारा प्राप्त पत्र के अनुक्रम में कार्यवाही की गई है। पूर्व में अनापत्ति नहीं ली गई थी। (घ) नहीं, नगर के नागरिकों हेतु वैकल्पिक रूप से नए उद्यान/सार्वजनिक स्थल के निर्माण की वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

इलेक्ट्रॉनिक चाक हेतु प्राप्त आवेदन व वितरण

[ग्रामोद्योग]

40. (क्र. 2598) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) जिला राजनांदगाव व केसीजी में माटीकला बोर्ड के द्वारा डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत वर्ष 2023-24 से 15.2.2026 तक कुल कितने पंजीकृत कुम्हार हैं, एवं इलेक्ट्रॉनिक चाक हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए वर्षवार विकासखण्डवार पूर्ण जानकारी देवें? (ख) प्राप्त आवेदन में से कितने हितग्राही पात्र एवं अपात्र हैं, जिनमें से कितने पात्र हितग्राहियों को वितरण किया गया है कितने लाभान्वित एवं कितने लंबित हैं, विकासखण्डवार पूर्ण जानकारी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) कुल 12 पंजीकृत कुम्हार हैं एवं इलेक्ट्रॉनिक चाक हेतु कुल 36 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्राप्त 36 आवेदन में से सभी हितग्राही पात्र हैं, जिनमें से 25 हितग्राहियों को विद्युत चाक का वितरण किया गया है एवं लंबित 11 हितग्राहियों को चाक प्रदायगी हेतु नियमानुसार सर्वे कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस" \]](#)

व्यावसायिक प्रशिक्षक भर्ती प्रक्रिया में दोषियों पर कृत कार्रवाई

[स्कूल शिक्षा]

41. (क्र. 2599) श्री धरमलाल कौशिक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या प्रश्न क्रमांक 505 दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 के उत्तर अनुसार विभाग द्वारा पुलिस अधीक्षक को व्यावसायिक प्रशिक्षक भर्ती प्रक्रिया में प्रकरण दर्ज करने पत्र लिखा गया था? यदि हाँ तो किस-किस के विरुद्ध, एफआईआर दर्ज कराई गई है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या पुलिस अधीक्षक रायपुर को प्रेषित पत्र में उल्लेख है कि प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जावे? यदि हां, ताे प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन कब, किसके द्वारा, किसको प्रस्तुत किया गया? क्या-क्या अनियमितता पाई गई व किन-किन संस्था/अधिकारियों को दोषी पाया गया है? (ग) क्या सह सही है कि इन संस्थाओं के दिनांक

11 व 15 जुलाई, 2025 के कार्य आदेश में शिकायत प्राप्ति पर अनुबंध समाप्ति का उल्लेख है? यदि हाँ तो इन संस्थाओं पर अनुबंध समाप्ति पर क्या कार्यवाही की गई? कब संबंधितों द्वारा उपस्थिति दी गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जी हाँ, प्रश्न क्रमांक 505 दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 के उत्तर अनुसार विभाग द्वारा पुलिस अधीक्षक को व्यावसायिक प्रशिक्षक भर्ती प्रक्रिया में प्रकरण दर्ज करने पत्र लिखा गया था। वर्तमान में पुलिस जांच प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ, पुलिस अधीक्षक रायपुर को प्रेषित पत्र में उल्लेख है कि प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जावे। प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन जांच समिति द्वारा प्रबंध संचालक राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन में भर्ती प्रक्रिया में तृतीय पक्षों द्वारा लेन देन की शिकायत पाये जाने के कारण विवेचना का विषय होना पाया गया। वर्तमान में पुलिस जांच प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हाँ, किन्तु वर्तमान में पुलिस द्वारा जांच प्रक्रियाधीन है।

वार्षिक संधारण मद (एआर)

[लोक निर्माण]

42. (क्र. 2600) श्री धरमलाल कौशिक : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विगत 2 वित्तीय वर्ष में बिलासपुर, रायपुर व सरगुजा संभाग अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा वार्षिक संधारण मद (एआर) हेतु कितना बजट प्रावधान किया गया था व वर्षवार एआर मद में कुल कितनी राशि की स्वीकृति कितने कार्यों के लिये किनका अनुशंसा/मांग पर की गई है तथा कितनी राशि व्यय की गई, कितनी शेष है तथा कितने कार्य पूर्ण व अपूर्ण हैं? विधानसभावार वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यों की ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में संधारण की स्थिति व लंबित कार्यों की संख्या कितनी है तथा भौतिक प्रगति स्थिति क्या है? विधानसभा वार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार कार्यों की अनियमितता अथवा गुणवत्ताहीन कार्य के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) वार्षिक संधारण मद (ए.आर.) के तहत वित्त विभाग से पूरे प्रदेश हेतु एकजाई प्रावधान एवं आबंटन प्राप्त होता है संभागवार/विधानसभावार प्रावधान एवं आबंटन प्राप्त नहीं होता। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-‘अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-‘ब’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-‘अ’ अनुसार है।

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र की शराब दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मेनपावर उपलब्ध कराया जाना

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

43. (क्र. 2611) श्री बालेश्वर साहू : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) जिला जांजगीर-चांपा व सक्ती में कौन सी प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा शराब दुकानों में मेनपावर सप्लाई का कार्य किया जा रहा है ? दुकानों में कितने-कितने तथा किस-किस पद पर मेनपावर दिया जाता है ? जैजैपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत किस-किस दुकान में मेनपावर (मैनेजर, सेल्समेन, गार्ड) की संख्या कितनी-कितनी है ? मापदंड अनुसार कितना-कितना होना चाहिए ? (ख) क्या वर्तमान में जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र की शराब दुकानों में योग्यता के अनुरूप सेटअप सभी दुकानों में दिया गया है ? क्या सभी कर्मचारी स्थानीय निवासी है या अन्य प्रांत से भी कर्मचारी कार्यरत है ? (ग) क्या प्लेसमेंट के सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन किया गया है? यदि हां, तो क्या किसी कर्मचारी के विरुद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज है ? ऐसे कितने कर्मचारी हैं ? कृपया जानकारी देवें ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) जिला जांजगीर-चांपा व सक्ती में मैनपावर एजेंसी मेसर्स प्राइमवन वर्कफोर्स प्रा.लि. एवं सिक्योरिटी एजेंसी मेसर्स सिक्योर्ड सिक्योरिटी साल्यूशन प्रा.लि. द्वारा शराब दुकानों में मैनपावर सप्लाई का कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक मदिरा दुकानों में पदवार दिये गये मैनपावर की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अ अनुसार है।** जैजैपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत दुकानवार मैनपावर की मापदंड अनुसार संख्या की **जानकारी संलग्न प्रपत्र ब अनुसार है।** (ख) जी हां। वर्तमान में जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र की शराब दुकानों में योग्यता के अनुरूप सेटअप सभी दुकानों में दिया गया है। सभी कर्मचारी स्थानीय निवासी है। अन्य प्रांत से कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। (ग) जिला जांजगीर-चांपा व सक्ती के मदिरा दुकानों में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन एवं दर्ज प्रकरणों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र स अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"]

प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित मध्याह्न भोजन योजना हेतु खरीदी

[स्कूल शिक्षा]

44. (क्र. 2612) श्री इन्द्रशाह मंडावी (श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या वर्ष 2023-24 से जनवरी 2026 तक स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत राज्य स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत बर्तनों की खरीदी की गई है? यदि हां तो कितनी-कितनी राशि से कौन-कौन से प्रकार की बर्तनों की खरीदी की गई है? (ख) क्या मध्याह्न भोजन में उपयोग होने वाले बर्तनों की खरीदी हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हां तो निविदा हेतु जारी विज्ञापन का दिनांक, निविदा भरने की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि तथा निविदा में सफल निविदाकर्ताओं के नाम की जानकारी देवें। (ग) खरीदी उपरांत कौन-कौन से बर्तनों की सप्लाई की गयी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जी हां। वर्ष 2025-26 में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत राज्य स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत बर्तनों की खरीदी की गई है। बर्तनों की खरीदी छात्र संख्या के आधार पर भारत सरकार से स्वीकृत राशि के अनुसार किट बनाकर की गई है, **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) जी हां। निविदा हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक/GEM/2025/B/6513185, दिनांक 04/08/2025, निविदा भरने की प्रारंभिक तिथि 04/08/2025 एवं अंतिम तिथि 29/08/2025 तथा निविदा में सम्मिलित होने वाले निविदाकर्ताओं के नाम आशीष फॉइल्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडिमेट प्रेस मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड, कुणाल हाउसवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड, गणपति इंटरप्राइजेज, एन.आर. एसोसिएट्स, श्री राम क्रिएशन्स है। (ग) "क" में **संलग्न प्रपत्र के कॉलम नंबर 2 एवं 3 अनुसार** बर्तनों की सप्लाई की गई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस"]

रायगढ़ जिले में हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं की जांच

[श्रम]

45. (क्र. 2615) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायगढ़ जिले के एम.एस.पी. स्टील एण्ड पावर लिमिटेड में वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक कितनी दुर्घटना हुई है? कितने मजदूरों एवं कार्यरत कर्मियों, अधिकारियों की मौत हुई? मृतक का नाम, पदनाम, पता सहित जानकारी वर्षवार उद्योगों के नाम सहित देवें? (ख) प्रश्नांश 'क' संबंध में जांच कब हुई? जांच रिपोर्ट का विवरण देवें? क्या दुर्घटनाएं मानवीय त्रुटिवश अथवा प्रबंधन की लापरवाही से हुई? यदि हां तो क्या कारखाना प्रबंधक एवं मालिक के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी? यदि नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश 'क' के अनुसार

दुर्घटना मे मृतक एवं घायलों को कारखाना प्रबंधकों द्वारा दिए गए क्षतिपूर्ति मुआवजा एवं पुर्नवास लाभ का विवरण देवें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) रायगढ़ जिले के एम. एस. पी. स्टील एण्ड पावर लिमिटेड में वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 10 दुर्घटनाएं घटित हुई है जिसमें 07 श्रमिकों की मृत्यु हुई है। मृतक का नाम, पदनाम, पता सहित वर्षवार कारखाने के नाम सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र- "अ" अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश "क" के संबंध में घटित दुर्घटना की जांच, जांच का विवरण/दुर्घटना का कारण दुर्घटना में लापरवाह कारखाना प्रबंधन के विरुद्ध कारखाना अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र- "ब" अनुसार है।** घटित दुर्घटना में मृत श्रमिकों के प्रकरणों में थाना चक्रधर नगर, जिला-रायगढ़ द्वारा 06 एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। 01 प्रकरण में जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) प्रश्नांश "क" के अनुसार दुर्घटना में मृतक श्रमिक के आश्रितों एवं घायलों को कारखाना प्रबंधन द्वारा दिए गए क्षतिपूर्ति मुआवजा की **जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र- "स" अनुसार है।**

लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र मे पुलों का निर्माण व मरम्मत कार्य

[लोक निर्माण]

46. (क्र. 2616) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2023-24 से 15 फरवरी 2026 तक लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में सेतु संभाग द्वारा कितने पुल को बनवाया गया है, पुल का नाम सहित बतावें? (ख) क्या इन पुलों का मरम्मत एवं पेंटिंग का कार्य प्रतिवर्ष कराया जाता है? यदि हां तो प्रत्येक पुल की मरम्मत राशि बतावें? यदि नहीं तो कितने वर्षों के अन्तराल में पुलों का पेंटिंग/मरम्मत का कार्य किया जाता है? (ग) क्या भविष्य में खरसिया से ऐडु (चन्द्रशेखर पुल) ग्राम के मध्य निर्मित पुल का मरम्मत किया गया है? यदि नहीं तो कब तक किया जावेगा?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) निर्मित पुल वर्तमान में परफारमेंस गारंटी अवधि में है। पुल-पुलियों का वर्ष में 2 बार (बारिश के पहले और बाद में एक एक बार) निरीक्षण किया जाता है। (ग) जी नहीं। निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस"]

सेजेस विद्यालयों में पदस्थ प्रतिनियुक्त प्राचार्य

[स्कूल शिक्षा]

47. (क्र. 2628) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या यह सही है कि लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर द्वारा जारी पत्र क्र. 1445 दिनांक 21/08/2025 एवं पत्र क्र. 1973 दिनांक 20.11.2025 के अनुसार सेजेस विद्यालयों के प्राचार्य पदों को भरा हुआ माना गया है ? यदि हाँ तो क्या आदेश क्र. 1973 का संशोधित दिनांक 20/11/2025 को जारी पदोन्नत सूची में उन्हीं पदों को रिक्त मान कर नियमित प्राचार्य की नियुक्ति किस आदेश/नियम शर्त के आधार पर की गयी? (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार सेजेस अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थ प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अंग्रेजी भाषा में कार्यकुशलता या शिक्षण-अनुभव का कोई अनिवार्य मापदंड निर्धारित है? यदि हाँ, तो वर्तमान नियुक्तियाँ किन मापदंडों के आधार पर किया गया? (ग) आदेश क्र. 234 दिनांक 16/12/2025 के पत्र में प्रतिनियुक्त प्राचार्यों को यथावत रखने का आदेश किया गया है ? यदि हाँ तो उनके अधिकार एवं दायित्व स्पष्ट क्यों नहीं किए गए है? जानकारी देवें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

विधानसभा चन्द्रपुर क्षेत्र अंतर्गत युवाओं में खेल को बढ़ावा एवं जागृति

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

48. (क्र. 2629) श्री रामकुमार यादव : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर अंतर्गत वर्ष अप्रैल 2024 से फरवरी 2026 तक की अवधि में खेलों के प्रति जागृति एवं बढ़ावा हेतु युवाओं को कोई प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है ? यदि हां तो कहाँ - कहाँ एवं विभाग द्वारा प्रशिक्षण हेतु कितने प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गई है ? जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) क्या चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में अब तक युवाओं के खेलकूद हेतु कोई स्टेडियम/इनडोर स्टेडियम की स्वीकृति प्रदाय की गई है ? यदि हां तो स्थलवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर अंतर्गत वर्ष अप्रैल 2024 से 15 फरवरी 2026 तक की अवधि में युवाओं के खेलकूद हेतु कहाँ -कहाँ स्टेडियम/इनडोर स्टेडियम/ इनडोर बैडमिंटन स्टेडियम एवं आधुनिक कबड्डी मेट तथा अन्य खेल कीट सामग्री की मांग की गई है ? जिसमें कितनी मांगों को पूर्ण कर लिया गया है ? तथा कितना शेष है ? शेष मांगों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) विधानसभा चन्द्रपुर क्षेत्र अंतर्गत विकास खण्ड मालखरौदा के दशहरा मैदान में सत्र 2024-25 में ग्रीष्मकालीन खो-खो खेल का प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। विभाग द्वारा प्रशिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। व्यायाम शिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। (ख) जानकारी निरंक। (ग) विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर अंतर्गत वर्ष अप्रैल 2024 से 15 फरवरी 2026 तक की अवधि में युवाओं के खेलकूद हेतु 12 खेल अभ्यास केन्द्रों के मांगपत्र के आधार पर खेलकीट सामग्री प्रदाय की गई है। शेष जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस"]

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की शौचालयविहीन शासकीय शालाएं

[स्कूल शिक्षा]

49. (क्र. 2650) श्रीमती भावना बोहरा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की शौचालय विहीन शालाओं को चिन्हांकित कर सूचीबद्ध किया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) उक्त शौचालय विहीन शासकीय शालाओं में छात्राओं एवं महिला स्टाफ हेतु शौचालय निर्माण कार्य एवं मूलभूत सुविधा की उपलब्धता कब तक सुनिश्चित की जावेगी ? इस हेतु विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा क्या है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जी हां। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति की जाती है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस"]

पंडरिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित शासकीय शालाओं के भवनों की स्थिति

[स्कूल शिक्षा]

50. (क्र. 2651) श्रीमती भावना बोहरा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या विभाग द्वारा पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित शासकीय शालाओं के भवनों की वर्तमान

स्थिति के संबंध में कोई सर्वेक्षण/निरीक्षण कराया गया है? यदि हाँ, तो उक्त सर्वेक्षण/रिपोर्ट में कितनी ऐसी शासकीय शालाओं का उल्लेख है जो भवनविहीन, जर्जर, अतिजर्जर एवं अन्य भवनों में संचालित हो रही हैं? विकासखण्डवार जानकारी दें? (ख) उक्त भवनविहीन एवं जर्जर शालाओं हेतु नवीन भवन निर्माण अथवा मरम्मत के लिए विभाग द्वारा क्या कोई समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तावित की गई है उक्त हेतु वर्ष 2024 से 15 जनवरी, 2026 तक कितनी राशि स्वीकृत की गई है? स्वीकृत कार्यों में से कितने पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश 'क' में कथित सर्वेक्षण/परीक्षण में कितनी शालाएँ विद्यार्थियों के लिए असुरक्षित/डिसमेंटल योग्य घोषित की गई हैं? ऐसी शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

छत्तीसगढ़ के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों के पालन में कमी

[श्रम]

51. (क्र. 2661) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ में 2023 -24, 2024- 25 तथा वर्ष 2025-26 की अवधि में औद्योगिक दुर्घटनाओं तथा उसमें मृत व घायल व्यक्तियों की संख्या वर्षवार, जिलावार बताएं ? (ख) प्रश्नांश 'क' की अवधि में उद्योगों की सुरक्षा मानकों की कमी के कारण की गई कार्यवाही वर्षवार, जिलावार, उद्योगवार बताएं? (ग) क्या छत्तीसगढ़ के निजी क्षेत्र में न्यूनतम वेतन (मजदूरी) नियम का समुचित पालन किया जा रहा है ? इस नियम के अनुपालन का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? प्रश्नांश 'क' की अवधि में नियम से कम वेतन मजदूरी की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा क्या कार्रवाई की गई? वर्षवार, जिलावार बताएं?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 की अवधि में कारखानों में हुई दुर्घटनाओं तथा उसमें मृत एवं घायल श्रमिकों की संख्या वर्षवार, जिलावार, **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' अनुसार है।**(ख) प्रश्नांश 'क' की अवधि में कारखानों में सुरक्षा मानकों की कमी के कारण कारखानों के विरूद्ध की गई वैधानिक कार्यवाही की वर्षवार, जिलावार, **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'ब' अनुसार है।**(ग) राज्य में न्यूनतम वेतन अधिनियम का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति के अंतर्गत रेण्डम निरीक्षण पद्धति से संस्थानों का निरीक्षण कर पायी गयी कमियों को दूर करने हेतु निर्देशित किया जाता है तथा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में प्रावधानानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाती है। उक्त अधिनियम अंतर्गत श्रम निरीक्षक एवं श्रम उप निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाता है। वर्ष 2023-24, 2024-25 तथा वर्ष 2025-26 की अवधि में कम मजदूरी भुगतान संबंधी 38 शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा शिकायतों पर की गई कार्यवाही की वर्षवार एवं जिलावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'स' अनुसार है।**

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सरस्वती सायकल वितरण

[स्कूल शिक्षा]

52. (क्र. 2666) श्री धर्मजीत सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या शासन द्वारा छात्राओं को सरस्वती सायकल योजना के तहत सायकल वितरण किया जाता है? यदि हां तो कौन-कौन सी कक्षा की छात्राओं को और सरस्वती सायकल योजना हेतु पात्रता के क्या नियम हैं? (ख) कंडिका "क" के तहत सायकल वितरण हेतु वर्ष 2025 - 26 में कब से कब तक समय सीमा निर्धारित

की गयी है? क्या तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निश्चित समय सीमा में सायकल वितरण किया गया है? यदि नहीं तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? (ग) वर्ष 2025-26 में तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने स्कूलों में कितनी छात्राओं को सरस्वती सायकल योजना अंतर्गत सायकल वितरण किया गया है? (घ) सायकल वितरण हेतु कब टेंडर किया गया? कब टेंडर ओपन हुआ? कब सायकल की सप्लाई की गयी एवं क्या सायकल मानक स्तर के हैं? यदि हां तो किसके द्वारा सत्यापित किया गया है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जी हाँ, शासकीय एवं शासन द्वारा अनुदान प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 9वीं की नवप्रवेशी, नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवार की पात्र हितग्राही बालिकाओं को योजनांतर्गत निःशुल्क सायकल प्रदान किया जाता है। (ख) शिक्षा सत्र के भीतर प्रदान किया जाता है। जी हाँ, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्ष 2025-26 में तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 49 स्कूलों में 2253 छात्राओं को सरस्वती सायकल योजना अंतर्गत सायकल वितरण किया गया है। (घ) सायकल वितरण हेतु 29 मई 2025 को टेंडर किया गया। 19 जून 2025 को टेंडर ओपन हुआ, 18 जुलाई 2025 से सायकल की सप्लाई की गयी। जी हाँ, जिसका सत्यापन थर्ड पार्टी आई.आर.क्लासेज सिस्टम एवं सलूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सायकल वितरण के पहले एवं बाद में तथा विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सायकल वितरण के पूर्व किया गया है।

बिलासपुर के यदुनंदन से घुरू अमेरी रोड रेलवे क्रॉसिंग तक गौरव पथ की स्वीकृति

[लोक निर्माण]

53. (क्र. 2669) श्री धर्मजीत सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग अंतर्गत बिलासपुर के यदुनंदन नगर, तिफरा, सब्जी मार्केट से घुरू अमेरी रोड रेलवे क्रॉसिंग तक गौरव पथ की स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हां तो कब एवं कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? (ख) कंडिका "क" के मार्ग निर्माण कार्य को कब तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है? (ग) कंडिका "क" के मार्ग की अद्यतन स्थिति क्या है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस"]

न.पा. परिषद सरायपाली में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाई

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

54. (क्र. 2675) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) महासमुंद जिले के सरायपाली नगर पालिका परिषद के अंतर्गत वर्ष 2023- 24 से दिनांक 19 फरवरी, 2026 तक किन किन निर्माण कार्यों में अनियमितता, गड़बड़ी एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें किन किन व्यक्तियों के द्वारा की गई है ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है ? की गई कार्रवाई की जानकारी बताएं? (ख) क्या गौरव पथ निर्माण में अनियमितता और गड़बड़ियों की शिकायत की उपरांत तत्कालीन सीएमओ और इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है ? यदि हां तो दोषी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के क्या कारण है ? क्या इस्टीमेट के विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारियों और ठेकेदार के विरुद्ध रिकवरी अथवा एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई कल तक की जाएगी ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) नगर पालिका सरायपाली अंतर्गत वर्ष 2023-24

से दिनांक 19 फरवरी 2026 तक विभिन्न निर्माण कार्यों के संबंध में कुल 23 शिकायते प्राप्त हुई, जिस पर की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** जी हां। गौरव पथ निर्माण कार्य में किये गये अनियमित कार्यवाही के लिए संचालनालय के आदेश दिनांक 04.10.2024 द्वारा उप अभियंता तथा शासन के आदेश दिनांक 05.12.2024 द्वारा तत्का. मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निलंबित किया गया था। तकनीकी अधिकारी के दिशा-निर्देश अनुसार कार्य किये जाने से ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है। मूल प्राक्कलन में संशोधित कार्य के कार्योंत्तर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति संचालनालय के पत्र दिनांक 20.06.2025 द्वारा प्रदान की गई है। संशोधित निर्माण कार्य में अनावश्यक अथवा अतिरिक्त व्यय नहीं होने से रिकवरी अथवा एफआईआर दर्ज संबंधी कार्यवाही नहीं की गई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस" \]](#)

वि.स.क्षेत्र डोंगरगांव में सड़क निर्माण की अद्यतन स्थिति

[लोक निर्माण]

55. (क्र. 2682) श्री दलेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या-33 (क्र.1423) दिनांक 06/03/2025 डोंगरगांव में सड़क निर्माण की अद्यतन स्थिति के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट के सरल क्र.- 1,3,10,11,14,16, एवं 17 में उल्लेखित मार्गों में स्तंभ (कालम)-17 "टीप" में उक्त मार्गों के सम्मुख अंकित संख्या अनुसार पुलियों की आवश्यकता नहीं होने (समस्त मार्गों में कुल 62 पुलिया आवश्यक नहीं) का उल्लेख किया गया है? क्या उक्त मार्गों के प्राक्कलन में पुलियों की तकनीकी स्वीकृतियाँ प्राप्त थी? यदि हाँ तो निर्माण नहीं करने का कारण क्या है? पुलिया निर्माण नहीं करने से स्वीकृत प्राक्कलन/तकनीकी स्वीकृति की राशि में कितना अंतर आया? **(ख)** क्या प्राक्कलन में सम्मिलित कार्यों के अतिरिक्त कार्य भी सम्पन्न कराए गए हैं? यदि हाँ तो अतिरिक्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति में प्रावधानित राशि कितनी थी एवं किस सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपरांत कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य किये गये हैं व अतिरिक्त कार्यों का मूल्यांकन/सत्यापन किस स्तर के अधिकारी द्वारा कब कब किया गया? मार्गों में पुलियों के निर्माण नहीं करने से तथा अतिरिक्त कार्यों के संपादन के पश्चात भी कोई कार्य शेष है? उक्ताशय की कार्यवार, संरचनावार, राशिवार एवं भुगतान की जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ' अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-'ब' अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस" \]](#)

पंजीकृत ठेकेदारों से परफॉर्मेंस गारंटी राशि की कटौती

[लोक निर्माण]

56. (क्र. 2683) श्री दलेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- अतारांकित प्रश्न संख्या-48 (क्र.294) दिनांक 15 जुलाई, 2025 **(क)** वर्ष 2022-23 में डोंगरगांव-बड़गांव मार्ग के किमी. 1 से 3/6 = 2.60 किमी. में सी.सी.रोड की खुरदुरी सतह को अनुबंध द्वारा परफॉर्मेंस गारंटी के अंतर्गत बी.टी.कार्य (डामरीकरण) किया गया? यदि हाँ तो किये गये निर्माण कार्य को अनुबंध के किस नियम/शर्त के आधार पर कराया गया एवं कितनी राशि परफॉर्मेंस गारंटी से काटा गया है? वर्ष 2023 से 2025 तक राजनांदगांव जिला एवं डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के किन-किन ठेकेदारों/एजेंसियों से कौन-कौन से कार्य हेतु कितनी राशि काटी गयी है एवं क्या उक्त राशि का व्यय किया गया है? किये गये व्यय की वर्षवार, कार्यवार, एजेंसीवार, संरचनावार, सामग्रीवार, राशिवार जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार है।

रायपुर नगर निगम क्षेत्रांतर्गत नाले एवं शासकीय नजूल की भूमि पर अवैध बिल्डिंग निर्माण

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

57. (क्र. 2698) श्री इंद्र साव : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या यह सही है कि रायपुर नगर निगम क्षेत्रांतर्गत व्ही.आई.पी. रोड स्थित नाले एवं शासकीय नजूल भूमि पर अवैध कब्जा करके तथा अनाधिकृत रूप से करेंसी टॉवर नाम से बिल्डिंग का निर्माण किया गया है ? यदि हां तो उक्त बिल्डिंग किसके नाम पर है तथा निर्माण की गई बिल्डिंग के भूमि का क्षेत्रफल कितना है ? जिसमें कितनी निजी एवं शासकीय नजूल की भूमि शामिल है ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार क्या उक्त स्थान पर निर्माण किए करेंसी टॉवर बिल्डिंग का मिसल नक्शा, भूमि का डायवर्सन, भूमि का नक्शा और बिल्डर द्वारा अवैध निर्माण का नियमितीकरण कराया गया है? यदि हां तो उसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं? (ग) नाला तथा शासकीय नजूल की जमीन पर किस नियम के तहत बिल्डिंग निर्माण की अनुमति निगम द्वारा तथा शासन के द्वारा दी गई है ? इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थी ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जी नहीं। करेंसी टॉवर भवन मेसर्स लालगंगा बिल्डर्स प्रा.लि. द्वारा श्री अशोक कुमार जैन पिता श्री हुकुमचंद जैन के नाम पर है। कुल 15324.19 वर्गमीटर निजी स्वामित्व की भूमि पर निर्मित है। (ख) निर्माण किये करेंसी टॉवर बिल्डिंग का भूमि नक्शा एवं अवैध निर्माण का नियमितीकरण कराया गया है। जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है:- उक्त बिल्डिंग का संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर से जारी पत्र पृ.क्र. 6303/नग्रा./पीएल-244/2009 रायपुर दिनांक 15/09/2009 में विकास अनुज्ञा जारी किया गया। नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा पंजीयन प्र. क्र. 71 दिनांक 10/05/2011 अनुज्ञा क्र. 183 दिनांक 06/08/2011 को प्रथम बेसमेंट (पार्किंग), द्वितीय बेसमेंट (पार्किंग), भूतल (वाणिज्यिक भवन एवं होटल), प्रथम तल (वाणिज्यिक भवन एवं होटल), द्वितीय तल (वाणिज्यिक भवन एवं होटल), तृतीय तल (वाणिज्यिक भवन एवं होटल) निर्माण प्रयोजन की अनुमति दी दी गयी। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा पत्र क्र. 9118/नग्रा./धारा 30-क/प्र.क्र.20/2013 रायपुर दिनांक 22/10/2013 को संशोधित विकास अनुज्ञा जारी किया गया। नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा पंजीयन प्र.क्र. 71 दिनांक 10/05/2011 अनुज्ञा क्र. 33 दिनांक 16/05/2014 को लोवर बेसमेंट, अपर बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, चतुर्थ तल, पंचम तल, षष्ठम तल एवं सप्तम तल पर वाणिज्यिक कार्यालय प्रयोजन की अनुमति दी गयी। नगर पालिक निगम रायपुर से जारी भवन निर्माण अनुज्ञा पंजीयन प्र.क्र. 71 दिनांक 10/05/2011 अनुज्ञा क्र. 67 दिनांक 16/06/2015 को लोवर बेसमेंट, अपर बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, चतुर्थ तल, पंचम तल, षष्ठम तल एवं सप्तम तल, वाणिज्यिक कार्यालय एवं होटल प्रयोजन की अनुमति दी गयी। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा पत्र क्र. 14198/अ.निय.प्र.क्र.- 1562/ 23/जोन क्र.10/जोन प्र.क्र. 175/2023 रायपुर दिनांक 05/12/2023 के अनुसार सदस्य सचिव, जिला नियमितीकरण प्राधिकारी द्वारा भवन का नियमितीकरण किया गया। उक्त भूमि का डायवर्सन कार्यालय, कलेक्टर परिवर्तित शाखा, रायपुर के आदेश दिनांक 23/07/2010 को हुआ है। करेंसी टावर बिल्डिंग की भूमि का मिसल व अन्य राजस्व रिकार्ड संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने हेतु तहसीलदार, रायपुर को पत्र क्र. 1324 दिनांक 27/02/2024 प्रेषित किया गया है। (ग) नाला तथा शासकीय नजूल की जमीन पर बिल्डिंग निर्माण की अनुमति नहीं दी गयी है। उक्त भूमि के संबंध में 02 शिकायतें प्राप्त हुई जिस पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने तहसीलदार, रायपुर को पत्र क्र. 919

दिनांक 10/03/2025 एवं पत्र क्र. 28 दिनांक 07/04/2025 प्रेषित किया गया। जिस पर सीमांकन दल गठित किया गया है किन्तु सीमांकन की कार्यवाही नहीं हो पाया है।

जल जीवन मिशन अंतर्गत ठेकेदारों की लंबित राशि के भुगतान

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

58. (क्र. 2699) श्री इंद्र साव : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रदेश में कराए जाने वाले कार्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी प्रतिशत राशि राज्य शासन को दी जाती है व राज्य शासन द्वारा कितने प्रतिशत राज्यांश के रूप में दी जाती है ? वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्माण कार्यों तथा नल-जल विस्तार की कितने प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है? प्रदान की गई राशि में राज्य शासन द्वारा कितने प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में दी गई है ? वर्षवार जानकारी दें ? **(ख)** क्या प्रदेश में जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यों को करने वाले ठेकेदारों के द्वारा कराए गए कार्यों का भुगतान लंबित है ? यदि हां तो ठेकेदारों की लंबित राशि का भुगतान कब तक करा दिया जाएगा? समय सीमा बताएं?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रदेश में कराए जाने वाले कार्यों के लिए हितग्राहीयों के अंशदान को छोड़कर केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन को दी जाती है व राज्य शासन द्वारा 50 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में दी जाती है। जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्माण कार्यों तथा नल-जल विस्तार हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5.67 प्रतिशत राशि एवं 2025-26 में निरंक राशि केन्द्रांश के रूप में प्रदान की गई है। प्रदान की गई राशि में राज्य शासन द्वारा वर्ष 2024-25 में 94.33 प्रतिशत राशि एवं 2025-26 में 100 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में दी गई है। **(ख)** जी हां। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

राज्य में पेयजल योजनाओं की स्थिति एवं जलापूर्ति व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

59. (क्र. 2711) श्री ओंकार साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य में विगत वित्तीय वर्ष में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कितनी नवीन पेयजल योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं तथा कितनी योजनाएँ मरम्मत/पुनर्स्थापन हेतु स्वीकृत की गई हैं? उनके कार्यों के नाम, स्वीकृत राशि एवं जिला-वार विवरण सदन पटल पर रखा जाए? **(ख)** उक्त स्वीकृत योजनाओं में से कितनी योजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं, कितनी प्रगतिरत हैं तथा कितनी योजनाएँ प्रारंभ नहीं हो सकी हैं? विलंब के कारणों सहित जानकारी दी जाए? **(ग)** ग्रामों/नगरीय क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल संकट उत्पन्न के अस्थायी एवं स्थायी समाधान हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** राज्य में विगत वित्तीय वर्ष में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्वीकृत नवीन पेयजल योजनाओं की जानकारी निरंक है। पुनर्स्थापन हेतु स्वीकृत योजनाएँ, उनके कार्यों के नाम, स्वीकृत राशि एवं जिलावार विवरण **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** उक्त स्वीकृत सभी योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। **(ग)** ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल संकट उत्पन्न के समाधान हेतु आवश्यकतानुसार शासन द्वारा अस्थायी एवं स्थायी कार्यवाही निम्नानुसार की जा रही है :- अस्थायी :- ग्रीष्म ऋतु के पूर्व 15 मार्च से 15 अप्रैल तक 01 माह का विशेष हैण्डपंप संधारण अभियान चलाया जाएगा। पेयजल स्रोतों क्लोरीनेशन का कार्य किया जाएगा । पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 का आवश्यकता अनुसार अधिरोपण । पेयजल व्यवस्था की मॉनीटरिंग कंट्रोल रूम स्थापना । स्थायी :- 1. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु

स्थापित सिंगल फेस पॉवर पंप को चालू रखना। 2. संचालित नल जल प्रदाय एवं स्थल जल योजनाओं सुदृढीनीकरण करना। 3. विभागीय रिग मशीनों से आवश्यकतानुसार नलकूप खनन कार्य। 4. लोक शिकायत निवारण प्रणाली के टोल-फ्री नंबर 1800-233-0008 और 1916 को सक्रिय रखना।

[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस"]

सरस्वती साइकिल वितरण योजना अंतर्गत छात्राओं को वितरित साइकिलों की गुणवत्ता की जांच

[स्कूल शिक्षा]

60. (क्र. 2712) श्री ओंकार साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या प्रदेश में विगत दो वर्षों में सरस्वती साइकिल वितरण योजना अंतर्गत छात्राओं को वितरित की गई साइकिलों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं? **(ख)** क्या उक्त साइकिलों की आपूर्ति के पूर्व एवं वितरण के पश्चात उनकी तकनीकी एवं गुणवत्ता संबंधी जांच कराई गई है? यदि हाँ, तो जांच किस एजेंसी/प्रयोगशाला द्वारा कराई गई तथा जांच रिपोर्ट का विवरण दे? **(ग)** क्या जांच में गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन अथवा घटिया सामग्री का उपयोग पाया गया है, तो संबंधित सप्लायर/कंपनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** जी नहीं। **(ख)** जी हाँ, सायकल क्रय उपरांत उसकी गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी- आई.आर.क्लासेज सिस्टम एवं सलूशन प्राइवेट लिमिटेड तथा विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा कराई गई है। जांच रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। **(ग)** जी नहीं, शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

कोंडागांव जिले अंतर्गत उद्योग क्लस्टर हेतु आरक्षित भूमि

[वाणिज्य एवं उद्योग]

61. (क्र. 2716) सुश्री लता उर्सेडी : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** कोंडागांव जिले अंतर्गत उद्योग क्लस्टर हेतु कितनी भूमि आरक्षित है? क्या उक्त हेतु विभाग को कोई प्रस्ताव/पत्र प्राप्त है? यदि हां तो उस पर की गई कार्यवाही से अवगत करावे ? जिले अंतर्गत विगत 3 वर्षों में उद्योग स्थापित करने हेतु विभाग को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं एवं कितनी स्वीकृति प्राप्त हुई है? **(ख)** कोंडागांव जिले में शिल्पियों के उत्थान हेतु क्या शासन द्वारा शिल्प क्लस्टर बनाने हेतु कोई कार्ययोजना प्रस्तावित है जानकारी दे?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** सीएसआईडीसी से प्राप्त जानकारी अनुसार, कोण्डागांव जिले अंतर्गत उद्योग क्लस्टर हेतु भूमि आरक्षित नहीं है एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को कोई प्रस्ताव/पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोण्डागांव से प्राप्त जानकारी अनुसार, जिले अंतर्गत विगत 3 वर्षों में 20 उद्योग स्थापना हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से 20 उद्योग स्थापित होकर कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोण्डागांव में पंजीकृत हुए हैं। **(ख)** छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड कोण्डागांव से प्राप्त जानकारी अनुसार, कोण्डागांव जिले में शिल्पियों के उत्थान हेतु शिल्प क्लस्टर बनाने हेतु कोई कार्ययोजना प्रस्तावित नहीं है। अतः जानकारी निरंक मान्य किया जावे।

रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ले-आउट अप्रूवल

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

62. (क्र. 2720) श्री मोतीलाल साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत दो वर्षों में नगर पालिक निगम-रायपुर/बीरगांव में कितने क्षेत्रों को ले-आउट अप्रूवल (मार्ग संरचना) में शामिल नहीं किया गया है? विवरण देवें? **(ख)** कितनी जगहों में ले-आउट अप्रूवल (मार्ग संरचना) शामिल नहीं होने पर भी निर्माणाधीन भवनों/संस्थानों एवं अन्य पर कार्यवाही की गई है एवं कितने बिल्डरों को उक्त मार्ग संरचना में शामिल न होने पर भी भवन निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है? उनका नाम/स्थान/खसरा नंबर एवं रकबा सहित विवरण देवें? **(ग)** प्रश्नांक **(क)** अंतर्गत नगर पालिक निगम-रायपुर/बीरगांव के कितने क्षेत्रों में लेआउट अप्रूवल की कार्यवाही की जा रही है? वार्डवार जानकारी देवें और कब तक स्वीकृति आदेश जारी किया जा सकेगा?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिक निगम-रायपुर में 46 ले-आउट अप्रूवल (मार्ग संरचना) में मार्ग संरचना के शर्तों के अनुरूप नहीं होने के कारण शामिल नहीं किया गया है। नगर पालिक निगम बीरगांव में कुल 02 क्षेत्रों को ले-आउट अप्रूवल (मार्ग संरचना) के शर्तों के अनुरूप नहीं होने के कारण शामिल नहीं किया गया है। **विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - अ अनुसार है।** **(ख)** मार्ग संरचना में शामिल नहीं होने पर निर्माणाधीन भवनों/संस्थानों एवं अन्य पर की गई कार्यवाही का **विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - अ अनुसार है।** नगर पालिक निगम रायपुर में मार्ग संरचना में शामिल नहीं क्षेत्रों/स्थानों हेतु कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। नगर पालिक निगम बीरगांव की जानकारी निरंक है। **(ग)** प्रश्नांक "क" अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर के विभिन्न वार्डों में कुल 16 क्षेत्रों के लेआउट अप्रूवल की कार्यवाही की जा रही है। नगर पालिक निगम बीरगांव के वार्ड क्रं. 19 क्षेत्रान्तर्गत हर्षित विहार क्षेत्र में ले-आउट अप्रूवल की कार्यवाही प्रस्तावित है। मार्ग संरचना का प्रस्ताव नियमानुसार होने पर स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा। वार्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - ब अनुसार है।**

संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में नल जल कनेक्शन की स्थिति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

63. (क्र. 2733) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिनांक 15 फरवरी, 2026 की स्थिति में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के कुल कितने ग्रामों के कितने घरों में लक्ष्य के विरूद्ध कितने नल-जल कनेक्शन दिये जा चुके हैं एवं कितने ग्रामों में कितने नल-जल कनेक्शन दिया जाना शेष है? दिये गये नल कनेक्शन में से कितने में शुद्ध पेयजल आ रहा है? विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ख)** कण्डिका 'क' के ग्रामों में शत-प्रतिशत नल-जल कनेक्शन लगाने का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए था? नल-जल कनेक्शन हेतु शेष ग्रामों के घरों में कनेक्शन लगाने हेतु कब तक का समय निर्धारित किया गया है? **(ग)** उक्त योजना के क्रियान्वयन में किन-किन ठेकेदारों के विरूद्ध गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य करने, गुणवत्ताहीन सामग्रियों का उपयोग करने आदि के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** दिनांक 15 फरवरी, 2026 की स्थिति में संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के कुल 210 ग्रामों के 50184 लक्ष्य के विरूद्ध 47730 नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं एवं 65 ग्रामों के 2454 नल कनेक्शन दिया जाना शेष है। 44792 नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल आ रहा है। विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** भारत सरकार द्वारा ग्रामों में शत प्रतिशत नल जल कनेक्शन लगाने का कार्य वर्ष 2024 तक निर्धारित था, परन्तु वर्ष 2024-25 के केन्द्रीय बजट में नल जल

कनेक्शन लगाने के कार्य वर्ष 2028 तक पूर्ण किया जाना लक्षितकिया गया है। (ग) ठेकेदारों के विरुद्ध गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य करने, गुणवत्ताहीन सामग्रियों का उपयोग करने के संबंध में प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस"]

जल जीवन मिशन योजना में व्यय राशि

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

64. (क्र. 2742) डॉ. चरण दास महंत : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में योजना प्रारंभ दिनांक से दिसम्बर, 2023 तक के केन्द्रांश प्राप्ति एवं राज्यांश उपलब्धता का विवरण क्या था? उक्त तिथि तक विभाग को प्राप्त राशि के विरुद्ध व्यय राशि बतावे? दिसंबर, 2023 तक कितने घरों के लोग जल की सुविधा प्राप्त कर चुके थे? जिलेवार जानकारी बतावें? **(ख)** जनवरी 2024 से 20 फरवरी, 2026 तक केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि एवं उपलब्ध कराए गए राज्यांश की जानकारी बतावें? उक्त अवधि में विभाग को प्राप्त राशि के विरुद्ध व्यय राशि का विवरण देवें? उक्त अवधि में कितने घरों में जल सुविधा प्रदान प्रदान की गई? जिलेवार जानकारी बतावें? **(ग)** प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के अनुसार 20 फरवरी, 2026 की स्थिति में योजना में प्रावधानित व्यय राशि, कुल व्यय राशि तथा कितने घरों में जल उपलब्धता का लक्ष्य था? कितने घरों में जल उपलब्ध कराया गया तथा लक्ष्य के विरुद्ध कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है? विवरण देवें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में योजना प्रारंभ दिनांक से दिसम्बर, 2023 तक के केन्द्रांश प्राप्ति एवं राज्यांश उपलब्धता एवं विभाग को प्राप्त राशि के विरुद्ध व्यय राशि की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। दिसंबर, 2023 तक जल की सुविधा प्राप्त घरों की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ख)** जनवरी 2024 से 20 फरवरी, 2026 तक केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि, उपलब्ध कराए गए राज्यांश एवं विभाग को प्राप्त राशि के विरुद्ध व्यय राशि का जिलेवार विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। उक्त अवधि में जल सुविधा प्रदान घरों की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग)** प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के अनुसार 20 फरवरी, 2026 की स्थिति में योजना में प्रावधानित व्यय राशि रु. 16,54,453.35 लाख, कुल व्यय राशि रु. 15,68,377.70 लाख तथा 49,96,927 घरों में जल उपलब्धता का लक्ष्य था। 32,95,710 घरों में जल उपलब्ध कराया गया तथा लक्ष्य के विरुद्ध 65.95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस"]

छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा क्रय व भुगतान

[स्कूल शिक्षा]

65. (क्र. 2745) श्री पुरन्दर मिश्रा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2024 के मध्य छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम को कुल कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिये कब-कब प्राप्त हुई ? कार्यवार, माहवार, भुगतान प्राप्तकर्ता संस्थावार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** प्रश्न 'क' अनुसार क्या उक्त अवधि में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा क्रय व भुगतान में अनियमितता किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन-किनके विरुद्ध? संबंधितों का नामवार, पदवार एवं की गई कार्यवाही की जानकारी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जी हाँ, जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस" \]](#)

जिला रायगढ़ में उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक संस्थानों को भूमि आबंटन

[वाणिज्य एवं उद्योग]

66. (क्र. 2746) श्री पुरन्दर मिश्रा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) ग्राम शिवपुरी पटवारी हल्का नंबर 27 तहसील व जिला रायगढ़ के खसरा नंबर 28/5 रकबा 68.270 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 12/5 रकबा 109.496 हेक्टेयर भूमि को उद्योग विभाग/ सीएसआईडीसी लैण्ड बैंक से वर्ष 2012 से 2014 के मध्य किसी औद्योगिक संस्थान ने मांग किया था? यदि हां, तो उस संस्थान को क्यों नहीं दिया गया ? विवरण देवें? (ख) प्रश्नांक 'क' में उल्लेखित भूमि वर्तमान में किस संस्थान को कब व किन नियम शर्तों के तहत दी गई है ? एवं कितनी धन राशि कब-कब जमा की गयी है? विवरण देवें? (ग) क्या यह सत्य है कि प्रश्नांक 'क' में उल्लेखित भूमि पर दो लाख से भी अधिक साल, महुआ, आम व अन्य प्रजाति के वृक्ष हैं तथा उक्त भूमि पर किसी संस्थान द्वारा घेराव कर कब्जा किया गया है? यदि हां, तो अब तक की गई कार्यवाही का विवरण देवें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम शिवपुरी, पटवारी हल्का नंबर 27, तहसील व जिला रायगढ़ के खसरा क्रमांक 28/2 (प्रश्न में 28/5 उल्लिखित है, किन्तु वास्तव में खसरा क्रमांक 28/2 हे. है), रकबा 68.270 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 12/5, रकबा 109.496 हेक्टेयर भूमि को सीएसआईडीसी लैण्ड बैंक से मेसर्स श्याम इण्ड्स पॉवर लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा आवेदन दिनांक 29.04.2014 के माध्यम से मांग की गई थी। तत्समय सीएसआईडीसी के आधिपत्य में उक्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त संस्थान को आबंटन नहीं किया गया। (ख) उत्तरांश (क) में उल्लिखित भूमि वर्तमान में मेसर्स एन.आर.आयरन एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम शिवपुरी, तहसील एवं जिला रायगढ़ को इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु दिनांक 21.06.2023 को आबंटित कर, निहित शर्तों के अधीन पट्टाविलेखों का निष्पादन इकाई द्वारा दिनांक 07.07.2023 को किया गया है। उक्त भूमि छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015 एवं पट्टाविलेख में निहित शर्तों के अधीन उद्योग स्थापना हेतु आबंटित की गई है। इकाई द्वारा निगम से जारी मांग पत्र दिनांक 04.12.2021 में उल्लिखित 10 प्रतिशत राशि 3,31,59,137 रु. का भुगतान दिनांक 10.12.2021 एवं निगम से जारी भू-आशय पत्र दिनांक 07.02.2022 में उल्लिखित 90 प्रतिशत राशि 35,28,18,713 रु. का भुगतान दिनांक 27.06.2022 को किया गया है। इस प्रकार इकाई से कुल राशि 38,59,77,850 रु. जमा कराई गई है। (ग) उत्तरांश (क) में उल्लिखित भूमि पर कलेक्टर, रायगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2014 में विभिन्न प्रजाति (महुआ, साल एवं अन्य मिश्रित) के 22,607 वृक्षों का उल्लेख है। उक्त भूमि पर किसी संस्थान द्वारा घेराव कर कब्जे की शिकायत सीएसआईडीसी को प्राप्त नहीं हुई है।

लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र के बजट में स्वीकृत कार्य

[लोक निर्माण]

67. (क्र. 2749) श्री प्रबोध मिंज : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) लुण्ड्रा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2025-26 के बजट में स्वीकृत कार्यों की वर्षवार सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांक 'क' अंतर्गत कौन-कौन से कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 20.02.2026

तक दी गई है? प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक एवं राशि, निविदा दिनांक एवं राशि, निविदा खोलने का दिनांक, स्वीकृत ठेकेदार का नाम, अनुबंधित राशि एवं दिनांक की जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) इनमें कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं? मूल्यांकित राशि सहित संपूर्ण जानकारी देवें? (घ) बजट में स्वीकृत कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने एवं निविदा से लेकर कार्य पूर्ण करने तक की क्या प्रक्रिया है? जानकारी देवें ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क), (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (घ) बजट में सम्मिलित कार्यों का सर्वेक्षण कर प्राक्कलन तैयार किया जाता है एवं पी.एम.जी.एस.वाई. विभाग, सी.एम.जी.एस.वाई. विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा वन क्षेत्र होने की स्थिति में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। तत्पश्चात प्राक्कलन प्रशासकीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जाता है। वित्त सहमति पश्चात प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत तकनीकी स्वीकृति एवं निविदा की कार्यवाही पूर्ण कर न्यूनतम दर पर निविदाकार से अनुबंध कर कार्यदिश जारी किया जाता है। कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जाने हेतु समय सीमा निर्धारित कर कार्य पूर्ण कराया जाता है।

सरगुजा जिले के भवनविहीन स्कूल

[स्कूल शिक्षा]

68. (क्र. 2750) श्री प्रबोध मिंज : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सरगुजा जिले में कितनी भवनविहीन शालाएं हैं? प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों की जानकारी देवें? (ख) भवनविहीन शालाओं के भवन निर्माण की क्या योजना है एवं कब तक भवन बनाए जाएंगे? (ग) अनुसूचित क्षेत्रों में शाला भवनों के निर्माण हेतु केंद्र शासन एवं राज्य शासन की कौन-कौन सी योजनाएं हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) सरगुजा जिले में 117 शासकीय शाला भवन विहीन है। 79 प्राथमिक शाला, 32 पूर्व माध्यमिक शाला, 06 हाई स्कूल भवन विहीन हैं। (ख) बजट उपलब्धता के आधार पर भवन विहीन शालाओं में नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति की जाती हैं। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) बजट उपलब्धता के आधार पर भवन विहीन शालाओं में नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति की जाती हैं।

चन्द्रपुर विधानसभा अंतर्गत नवीन उन्नयित विद्यालयों हेतु भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

69. (क्र. 2759) श्री रामकुमार यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) चन्द्रपुर विधानसभा में विगत दो वर्षों में कितने नवीन उन्नयन किए गए विद्यालय संचालित हैं ? स्कूलों का उन्नयन कब किया गया ? क्या उन सभी उन्नयन विद्यालयों में भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है? यदि हां, तो कितनों में ? यदि नहीं, तो कब तक प्रशासकीय स्वीकृति दी जाएगी? (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार कितने शासकीय स्कूलों में शौचालय, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है? कितने शासकीय स्कूलों में कम्प्यूटर लैब या स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा उपलब्ध नहीं है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : क) जानकारी निरंक है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी निरंक है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश के शासकीय स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर की भर्ती

[स्कूल शिक्षा]

70. (क्र. 2766) श्री विक्रम मंडावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के शासकीय स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर भर्ती हेतु विज्ञापन कब जारी किया गया? भर्ती प्रक्रिया क्या थी? सेवा शर्तें शिक्षकों के समान है अथवा पृथक से सेवा शर्तें विभाग द्वारा बनाई गई हैं? स्पेशल एजुकेटर के कितने पद सृजित हैं? कितने भरे हैं? कितने रिक्त हैं? विवरण देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार कितने पदों पर भर्ती की गई है? क्या भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** प्रदेश के शासकीय स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती हेतु 03 अक्टूबर, 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था। चयन हेतु उक्त पद के लिये निर्धारित अर्हतादायी परीक्षाओं में प्राप्तांको को अधिमान (Weightage) देते हुये भर्ती प्रक्रिया की गई है। सेवा की शर्तें, शिक्षकों के समान है। स्पेशल एजुकेटर के 848 पद सृजित है। 62 पद भरे है। 786 पद रिक्त है। **(ख)** स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों पर भर्ती की गई है। जी नहीं।

जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत लोकनिर्माण विभाग के बजट में शामिल कार्य

[लोक निर्माण]

71. (क्र. 2772) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत लोकनिर्माण विभाग द्वारा कुल कितने कार्यों को बजट में शामिल किया गया है? कृपया वर्षवार, योजनावार, मदवार एवं कार्यवार सूची सहित स्वीकृत बजट राशि की जानकारी देवें? **(ख)** उक्त वर्षों में शामिल कार्यों में से कितने कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है ? जानकारी देवें ? **(ग)** कितने कार्य ऐसे हैं जिन्हें बजट में शामिल किए जाने के बावजूद वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** **(ख)** एवं **(ग)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस"]

राजकीय मार्ग क्रं 05 के 46/6 से 62 किलोमीटर जर्जर सड़क की मरम्मत

[लोक निर्माण]

72. (क्र. 2773) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** लोक निर्माण विभाग जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत राजकीय मार्ग 05 के 46/6 से 62 किलोमीटर (खैरागढ़ से छुईखदान तक) वर्ष 2022 से 2025 के मध्य मरम्मत, डामरीकरण, रिनिवल, नवीनीकरण एवं मजबूतीकरण वार्षिक संधारण मद, बजट से कार्य कराए गए हैं? यदि हाँ, तो कार्यवार, किलोमीटर कहाँ-कहाँ तक कराए गए है? कार्य प्रारंभ तिथि एवं पूर्णता तिथि क्या है? किस निविदा प्राप्त ठेकेदार से कार्य कराया गया? जानकारी प्रदान करें? **(ख)** क्या डामरीकरण, नवीनीकरण रिनिवल कार्यों की पूर्णता दिनांक के पश्चात (PG) पश्चात उक्त मार्ग पर पुनःपरफार्मेंस गैरंटी अवधि में ठेकेदारों द्वारा जर्जर हुए उक्त निर्मित मार्ग में किसी प्रकार मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य कराया गया? यदि हाँ, तो किन-किन वर्षों में तथा कितनी बार कराया गया? यदि नहीं तो परफार्मेंस गैरन्टी के दौरान अब तक ठेकेदारों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? **(ग)** उपरोक्त कार्यों हेतु किन-किन ठेकेदारों/फर्मों को कार्यदिश (वर्क ऑर्डर) जारी किए गए? प्रत्येक कार्य के लिए ठेकेदार/फर्म का नाम, स्वीकृत लागत राशि, भुगतान की गई राशि बतावें ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-‘अ’ अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र-‘ब’ अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उच्चास"]

जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

73. (क्र. 2775) श्री किरण देव : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से फरवरी, 2026 तक जल जीवन मिशन अंतर्गत कितने-कितने कार्य कितनी लागत के कहां-कहां स्वीकृत किये गये ? विकासखंडवार ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश 'क' के स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण, कितने किन कारणों से अपूर्ण एवं अप्रारंभ है ? अपूर्ण कार्यों की अद्यतन स्थिति बतावें ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे ? जानकारी विकासखंडवार, ग्रामवार उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश 'क' के कार्यों में से कितने में पानी टंकी निर्माण पश्चात भी पानी की आपूर्ति प्रारंभ नहीं हो सकी है ? आपूर्ति प्रारंभ नहीं होने के क्या कारण हैं ? आपूर्ति कब तक प्रारंभ कर दी जावेगी ? विकासखण्डवार ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) जगदलपुर विधानसभा में योजना अंतर्गत कितने घरों में नल कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है ? कितने को प्रदान किया गया है ? जानकारी विकासखंडवार, ग्रामवार उपलब्ध करावें? (ड.) प्रश्नांश 'क' के पूर्ण अपूर्ण कार्यों में अनियमितता/भ्रष्टाचार/खराब गुणवत्ता की सामग्री उपयोग की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से फरवरी, 2026 तक जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत कार्य, लागत की विकासखंडवार, ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' के स्वीकृत कार्यों में से कार्य पूर्ण, अपूर्ण, अप्रारंभ एवं कार्य अपूर्ण होने का कारण की विकासखण्डवार, ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नांश 'क' के कार्यों में से पानी टंकियाँ के निर्माण पश्चात भी पानी की आपूर्ति प्रारंभ नहीं होने एवं आपूर्ति प्रारंभ नहीं होने का कारण की विकासखण्डवार, ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जगदलपुर विधानसभा में योजना अंतर्गत घरों में नल कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य, प्रदाय नल कनेक्शन की विकासखंडवार, ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। (ड.) प्रश्नांश 'क' के पूर्ण, अपूर्ण कार्यों में अनियमितता/भ्रष्टाचार/खराब गुणवत्ता की सामग्री उपयोग की प्राप्त शिकायतें निरंक है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कामानार से दरभा तक सड़क निर्माण

[लोक निर्माण]

74. (क्र. 2776) श्री किरण देव : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राज मार्ग अंतर्गत ग्राम कामानार से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान होते ग्राम दरभा तक डामरीकरण, मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य स्वीकृत किया गया है ? यदि हां तो स्वीकृति कब प्रदान की गई ? सड़क की कुल लंबाई एवं संभावित व्यय सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश 'क' की स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हो पाने का क्या कारण है ? विभाग द्वारा उक्त सड़क के निर्माण हेतु क्या-क्या प्रयास किया गया ? सड़क का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पचास "]

जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही स्थित खेलकूद स्टेडियम एवं आबंटित खेल सामग्री

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

75. (क्र. 2784) श्री प्रणव कुमार मरपची : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में कितने खेलकूद स्टेडियम कहां-कहां हैं ? ब्लॉकवार जानकारी दें? (ख) क्या भविष्य में जिले को खेलकूद स्टेडियम देने की योजना है ? अगर हां तो कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी? (ग) वर्ष 2020-21 से फरवरी, 2026 तक जिले को खेल के लिए कितनी राशि एवं खेल सामग्री प्रदान की गई है ? संस्थावार वर्षवार जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में विकासखंड गौरेला अंतर्गत गुरुकुल स्टेडियम एवं माधव राव सप्रे मिनी स्टेडियम है। (ख) हाँ। वित्तीय वर्ष 2026-27 में "छ.ग.क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में जिला स्तरीय बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण कार्य हेतु बजट प्रावधान सम्मिलित किया गया है तथा लोक निर्माण विभाग के शीर्ष में जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही अंतर्गत स्टेडियम निर्माण कार्य हेतु बजट प्रावधान सम्मिलित किया गया है। स्वीकृति की तिथि निश्चित किया जाना संभव नहीं। (ग) वर्ष 2020-21 से फरवरी, 2026 तक जिले को खेल के लिए प्रदान की गई राशि की जानकारी संलग्न "प्रपत्र अ" अनुसार तथा जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही अंतर्गत संस्थाओं को खेल सामग्री प्रदाय संबंधी जानकारी संलग्न "प्रपत्र ब" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन"]

जे के लक्ष्मी सीमेंट संयंत्र अहिवारा का क्षेत्रफल

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

76. (क्र. 2788) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) नगर पालिका अहिवारा जिला दुर्ग में स्थित जे के लक्ष्मी सीमेंट संयंत्र का नगरीय क्षेत्र में कुल कितना क्षेत्रफल में विस्तार है और कुल निर्मित भवनों का क्षेत्रफल कितना है ? (ख) जे के लक्ष्मी संयंत्र व बी एस पी प्रबंधन द्वारा निर्माणाधीन रेल परियोजना जो कि नगरीय क्षेत्र में है उक्त की अनुमति नगरीय निकाय से ली गई है या नहीं जानकारी दें? (ग) यदि नहीं तो क्या कार्यवाही की गई है ? जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) नगर पालिका अहिवारा जिला दुर्ग क्षेत्रान्तर्गत खासाडीह की भूमि में जे.के.लक्ष्मी सीमेंट संयंत्र की कुल 5564428 वर्ग फीट (लगभग 127.74 एकड़) भूमि में विस्तार है। जिसमें से कुल 2,95,383 वर्ग फीट (दो लाख पंचानबे हजार तीन सौ तैरासी) में निर्माण हुआ है। विवरण निम्नानुसार है:- भूतल पर विभिन्न उद्योग औद्योगिक पक्का भवन - 209187 वर्ग फीट प्रथम तल औद्योगिक निर्मित - 39522 वर्ग फीट स्थायी टीन शेड - 42525 वर्ग फीट अस्थायी टीन शेड - 4149 वर्ग फीट 2,95,383 वर्ग फीट (ख) जे.के. लक्ष्मी संयंत्र के द्वारा नगरीय क्षेत्र में निर्माणाधीन रेल परियोजना के आंशिक भाग की अनुमति (जे.के. लक्ष्मी सीमेंट संयंत्र परिसर के अंदर) नगरीय निकाय से ली गई है। शेष निर्माणाधीन भवन, पोल स्थापना एवं रेल परियोजना जो कि नगरीय निकाय क्षेत्र में बी.एस.पी. प्रबंधन की भूमि पर निर्माणाधीन है, की अनुमति जे.के. लक्ष्मी संयंत्र/बी.एस.पी. प्रबंधन दोनों के द्वारा नहीं ली गई है। (ग) बी.एस.पी. प्रबंधन द्वारा बिना अनुमति के जो निर्माण कराये जा रहे है, उसके संबंध में दस्तावेज उपलब्ध कराने निकाय से पत्र दिनांक 24.09.2025 जारी करने उपरांत कार्य रूकवाया गया था तथा दिनांक 23.01.2026 को नोटिस (जे.के लक्ष्मी

संयत्र व बी.एस.पी. प्रबंधन) जारी किया गया था। दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जाने पर पुनः दिनांक 26.02.2026 को अंतिम अवसर देते हुए 15 दिवस के भीतर दस्तावेज उपलब्ध कराने अन्यथा नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया है। निकाय द्वारा दिनांक 11.02.2026 को अवैध निर्माण को रूकवाते हुए अधिनियम की धारा 223 व 226 के उल्लंघन पर केबल जप्त करने की कार्यवाही की गई है।

जिला रायगढ़ में जल जीवन मिशन के स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

77. (क्र. 2789) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला रायगढ़ अन्तर्गत जल जीवन मिशन के कितने कार्य स्वीकृत हुए है ? कितने कार्य पूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्यों की अपूर्णता के क्या कारण है ? कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे? क्या स्वीकृत कार्यों की राशि का भुगतान कर लिया गया है? विकासखंडवार जानकारी दें? **(ख)** क्या जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों में शिकायत प्राप्त हुई है ? उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो कब तक कार्यवाही की जाएगी? **(ग)** कितनी ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण हो चुका है और कितने घरों में नलजल पहुंच रहा है ? कितनी ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्णता के बाद भी नलजल नहीं पहुंच रहा है ? वहां जल पहुंचने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ? कब तक सभी घरों में नलजल पहुंचा दिया जाएगा?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** रायगढ़ जिला अंतर्गत जल जीवन मिशन के कुल 1348 कार्य स्वीकृत हुए है। 640 कार्य पूर्ण है। अपूर्ण कार्यों की अपूर्णता के कारण की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। स्वीकृत कार्यों की राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है। विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** जी हाँ। शिकायतवार की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** 222 ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण हो चुका है और 73747 घरों में नल से जल पहुंच रहा है। कार्य पूर्णता के बाद भी जल नहीं पहुंच पाने वाले ग्राम पंचायत की संख्या निरंक है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बावन" \]](#)

आबकारी विभाग द्वारा जिलों में अहाता संचालन हेतु जारी टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

78. (क्र. 2791) श्री ब्यास कश्यप : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में अहाता संचालन हेतु जारी टेंडर प्रक्रिया में की गई ? यदि हां तो कब ? **(ख)** कितनी निविदाएं प्राप्त हुई, कितनी तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित की गई ? जिलावार जानकारी दी जाए ? **(ग)** उक्त टेंडर प्रक्रिया के विरुद्ध कोई शिकायत/आपत्ति प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या जांच कराई गई तथा जांच की वर्तमान स्थिति क्या है? **(घ)** टेंडर प्रक्रिया से राज्य शासन को अपेक्षित राजस्व कितना था तथा वास्तविक स्वीकृत दरों के आधार पर अनुमानित राजस्व कितना प्राप्त हुआ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 में देशी तथा विदेशी मदिरा दुकानों के परिसर में अहाता संचालन हेतु ऑनलाईन निविदा की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की निविदा की अवधि 02 वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2026-27 तक है। **(ख)** उक्त निविदा प्रक्रिया में वर्ष 2025-26 में (दिनांक 27.02.2026 तक) कुल 937 निविदाएं प्राप्त हुई जिसमें से 13 निविदा तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया गया है। जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अ अनुसार है। (ग)** उक्त निविदा प्रक्रिया के विरुद्ध 03 शिकायत प्राप्त हुई है जिस पर नियमानुसार जांच किया

गया, जांच की वर्तमान स्थिति प्रकरणवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र ब अनुसार है। (घ)** अहाता संचालन हेतु निविदा प्रक्रिया से राज्य शासन को अपेक्षित राजस्व राशि 47,57,50,962 (सैतालीस करोड़ संतावन लाख पच्चास हजार नौ सौ बैसठ) रूपये निर्धारित था तथा वास्तविक स्वीकृत दर राशि 63,88,41,504 (तिरसठ करोड़ अठयासी लाख इक्वालीस हजार पाँच सौ चार) रूपये के आधार पर दिनांक 27.02.2026 तक राशि 53,00,17,860 (तिरपन करोड़ सत्रह हजार आठ सौ साठ) रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन" \]](#)

कांकेर जिले में जल ज्वीन मिशन अंतर्गत किये गये कार्यों की स्थिति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

79. (क्र. 2812) श्री विक्रम उसेण्डी : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कांकेर जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत कितने ग्रामों में कार्य कब तक कार्य पूर्ण होना है? योजना की प्रगति की अद्यतन रिपोर्ट दें? वर्तमान में कितने ग्रामों में जल प्रदाय योजना प्रारंभ हो चुकी है तथा कितने हितग्राही इससे लाभान्वित है? ग्रामवार जनसंख्यावार, विकासखंडवार जानकारी दें ? **(ख)** योजनांतर्गत पेयजल प्रदाय करने हेतु जल स्रोत का विवरण प्रदान करें ? क्या कांकेर जिले अंतर्गत ग्रामवार पर्याप्त जलस्रोत उपलब्ध है ? जानकारी देवें ? **(ग)** जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामों में क्या-क्या निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं तथा उक्त निर्माण कार्य हेतु विभाग को कोई शिकायत प्राप्त हुई है तथा उक्त प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें ? **(घ)** जिले अंतर्गत ऐसे कितने ग्राम हैं, जहां 75 प्रतिशत से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा उक्त भुगतान पश्चात् भी ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा पूर्ण रूप से प्राप्त प्राप्त नहीं हुई है? यदि हां तो संबंधित एजेन्सी पर क्या कार्यवाही की गई है? भुगतानवार, कार्यवाही जानकारी देवें ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** कांकेर जिले में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 1065 ग्रामों में वर्ष 2028 तक कार्य पूर्ण होना लक्षित है। अद्यतन प्रगति, योजनांतर्गत जल प्रदाय आरम्भ एवं लाभान्वित हितग्राही की, ग्रामवार, जनसंख्यावार, विकासखण्डवार जानकारी **पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** योजना अंतर्गत पेयजल प्रदाय करने हेतु भू-जल (नलकूप) को जल स्रोत लिया गया है। जी नहीं। कांकेर जिले में जल जीवन मिशन अन्तर्गत 1027 ग्रामों में पर्याप्त जल स्रोत, 31 ग्रामों में आंशिक जल स्रोत एवं 07 ग्राम जल स्रोत विहिन है। **(ग)** जल जीवन मिशन अन्तर्गत ग्रामों में जल स्रोत निर्माण (नलकूप खनन), पावरपंप स्थापना, सोलर पंप स्थापना, पाईप लाईन बिछाना, उच्च स्तरीय पानी टंकी निर्माण, पंप हाउस, घरेलू नल कनेक्शन एवं अहाता निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। कांकेर जिले में उक्त निर्माण कार्य में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जिला अन्तर्गत ऐसे ग्राम जहां 75 प्रतिशत से अधिक राशि के भुगतान के पश्चात् भी ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई है, से संबंधित एजेन्सी पर की गई कार्यवाही की भुगतानवार, कार्यवाहीवार जानकारी **पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है।

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मिनी स्टेडियम निर्माण, खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने एवं खेल सामग्री का प्रदाय

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

1. (क्र. 1019) श्री दिलीप लहरिया : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या मिनी स्टेडियम निर्माण कार्यों की एवं स्वीकृति प्रक्रिया क्या है? विवरण देवें? **(ख)** राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खेल सामग्री उपलब्ध कराए जाने का कोई प्रावधान शासन द्वारा किया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त खेल सामग्री किन-किन योजनाओं, मदों अथवा माध्यमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है? **(ग)** खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु अनुमोदन (स्वीकृति) किस-किस स्तर पर प्रदान की जाती है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** खेल एवं युवा कल्याण विभाग में मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु कोई योजना संचालित नहीं है, अपितु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में मिनी स्टेडियम निर्माण की योजना संचालित है। विशेष प्रकरणों में लोक निर्माण विभाग के मद में सम्मिलित बजट प्रावधान के अनुसार जिलों से प्राप्त प्राक्कलन व भूमि की जानकारी सहित प्रस्ताव के आधार पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा शासन स्तर से मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। **(ख)** हाँ, राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र खेल अभ्यास योजना व छ.ग. क्रीडा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। **(ग)** खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर संचालनालय स्तर पर अनुमोदन प्रदान की जाती है।

अवैध शराब का निर्माण, परिवहन एवं विक्रय के दर्ज प्रकरण

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

2. (क्र. 1020) श्री दिलीप लहरिया : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत तीन वर्षों में जिला बिलासपुर में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय से संबंधित कुल कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं तथा वर्षवार कितनी गिरफ्तारियाँ और कितने प्रकरणों में दोषसिद्धि/सजा हुई है? **(ख)** जिला बिलासपुर से लगे सीमावर्ती जिलों/अन्य राज्यों से होने वाली अवैध शराब तस्करी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा लागू विशेष कार्ययोजनाओं का विवरण क्या है? **(ग)** विगत तीन वित्तीय वर्षों में जिला बिलासपुर से आबकारी विभाग को (वर्षवार) प्राप्त कुल राजस्व कितना है? **(घ)** विगत तीन वर्षों में जिला बिलासपुर में मिलावटी शराब की जांच, फील्ड टेस्ट किट एवं आकस्मिक निरीक्षण की क्या व्यवस्था है? **(ड.)** क्या जिला बिलासपुर में शराब दुकानों के संचालन अथवा नई दुकानों की अनुमति से पूर्व ग्रामसभा/नगर निकायों की सहमति लेने की कोई व्यवस्था लागू है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष 2025-26 (दिनांक 27.02.2026 तक) में जिला बिलासपुर में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय से संबंधित प्रकरण तथा गिरफ्तारियाँ और प्रकरणों में दोषसिद्धि/सजा की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अ अनुसार**

है। (ख) जिला बिलासपुर से लगे सीमावर्ती जिलों अन्य राज्यों से होने वाली अवैध शराब तस्करी की रोकथाम हेतु जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में आमसूचना तंत्र मजबूत कर नियमित गश्त किया जाता है एवं किसी भी प्रकार की शिकायत या सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकरण कायम कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) विगत तीन वित्तीय वर्षों एवं वर्तमान वर्ष 2025-26 (दिनांक 27.02.2026 तक) में जिला बिलासपुर से आबकारी विभाग को प्राप्त राजस्व की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र ब अनुसार है। (घ)** विगत तीन वर्षों में जिला बिलासपुर में मिलावटी शराब की जांच हेतु टेस्ट किट उपलब्ध है तथा मदिरा दुकानों का विभागीय अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है। (ड.) जिला बिलासपुर के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 61-ड.(2) के अनुसार "ग्राम सभा की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर समाविष्ट किसी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा की सहमति या अनुज्ञा के बिना किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण के लिए कोई नई विनिर्माण शाला स्थापित नहीं की जाएगी और मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए कोई नया निकास नहीं खोला जाएगा।" गैर अनुसूचित अर्थात् सामान्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त बाध्यता नहीं है किन्तु ऐसे स्थानों हेतु नवीन मदिरा दुकान हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के पूर्व जिले के कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत की सहमति प्राप्त की जाती है। शहरी क्षेत्रों में नवीन मदिरा दुकानें जिले के कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार शासन द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन"]

सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) की स्वीकृति एवं वित्तीय व भौतिक स्थिति

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

3. (क्र. 1044) श्री अजय चंद्राकर : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कितने सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना की स्वीकृति की गयी है? उसका उद्देश्य व प्रक्रिया क्या है तथा उसकी लागत कितनी-कितनी है? वर्षवार बतायें। **(ख)** उक्त प्लांट की स्थापना हेतु निविदा कब जारी की गयी? कितने एजेंसियों ने भाग लिया तथा कार्यदिश किन-किन एजेंसियों को कब-कब, कितनी कार्यावधि एवं किन नियम-शर्तों पर जारी की गयी? **(ग)** प्रश्नांक **(ख)** उक्त प्लांटों की भौतिक स्थिति क्या है? रियल टाइम मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जा रही है? कितनी प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है? निर्धारित कार्यावधि के अनुरूप उसकी स्थिति क्या है? यदि धीमा है तो उसका कारण क्या है और क्या कार्यवाही उन एजेंसी के खिलाफ की गयी? तथा कितनी-कितनी राशि उन एजेंसियों को अब तक भुगतान की जा चुकी है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** प्रदेश में प्रश्नांकित अवधि में स्वीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	एसटीपी की संख्या	लागत राशि (राशि रू. लाख में)
2022-23	7	11971.88
2023-24	-	-
2024-25	47	100241.73
2025-26	73	21855.32
योग	127	134068.93

उपरोक्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की स्थापना का उद्देश्य नगरीय निकाय क्षेत्रों में उत्सर्जित होने वाले उपयोगित जल का उपचार किया जाना है। उपरोक्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की स्थापना हेतु विभागीय प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि हेतु प्रश्नांक 'ख' के परिपेक्ष्य में **जानकारी संलग्न प्रपत्र- 'अ' अनुसार है। (ग)** प्रश्नांकित अवधि हेतु प्रश्नांक 'ग' के परिपेक्ष्य में **जानकारी संलग्न प्रपत्र- 'ब' अनुसार है। [संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]**

जलजीवन योजना अंतर्गत स्रोत विहीन स्थान

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

4. (क्र. 1046) श्री अजय चंद्राकर : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रश्नोत्तरी दिनांक 16 दिसंबर, 2025 परिवर्तित अतारांकित प्रश्न 10 (क्र 56) के तारतम्य में 31 जनवरी, 2026 की स्थिति में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कितने ग्रामों में नल कनेक्शन का कार्य पूर्ण/प्रगतिरत/अप्रारंभ की स्थिति में तथा कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है? (ख) प्रश्नांक (क) पर्याप्त स्रोत एवं अपर्याप्त स्रोत वाले कितने गांव है? उनमें से ऐसे कितने गांव व घर हैं, जहां नल कनेक्शन कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा उनके एजेंसी को कितना-कितना भुगतान किया गया है? (ग) 15 नवंबर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक शेष कितने स्रोत विहीन गांवों में कितने नल कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया? और कितना शेष है और उसकी लागत कितनी है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) प्रश्नोत्तरी दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 परिवर्तित अतारांकित प्रश्न 10 (क्र. 56) के तारतम्य में 31 जनवरी, 2026 की स्थिति में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 7207 ग्रामों में नल कनेक्शन का कार्य पूर्ण, 12432 ग्रामों में प्रगतिरत एवं 17 ग्रामों में अप्रारंभ की स्थिति है तथा 82.08 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। (ख) प्रश्नांश (क) पर्याप्त स्रोत एवं अपर्याप्त स्रोत वाले 19,551 गांव है। इनमें से 7,401 गांव में 17,61,332 घर में नल कनेक्शन कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा उनके एजेंसी को रूपये 4,98,836.41 लाख भुगतान किया गया है। (ग) 15 नवम्बर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक शेष स्रोत विहीन गांवों में नल कनेक्शन का कार्य पूर्ण एवं शेष नल कनेक्शन तथा लागत की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन"]

बसना विधानसभा क्षेत्र में साक्षरता दर एवं शाला त्यागी विद्यार्थियों की संख्या

[स्कूल शिक्षा]

5. (क्र. 1193) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बसना विधानसभा क्षेत्र के शैक्षणिक वर्ष 2023 से जनवरी 2026 तक की स्थिति में वर्षवार महिला/ पुरुष पृथक पृथक साक्षरता दर की जानकारी ब्लॉक वार, ग्राम पंचायत वार प्रदान करें? (ख) विगत 2 शैक्षणिक वर्षों की स्थिति में कितने विद्यार्थी दर्ज हुए एवं कितने विद्यार्थी शाला त्यागी हुए? प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के बालक/बालिका की पृथक-पृथक वर्ष वार, ब्लॉकवार जानकारी प्रदान करें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) वर्ष 2011 के पश्चात जनगणना का कार्य नहीं कराए जाने के कारण जानकारी निरंक है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन"]

समग्र शिक्षा अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य के भुगतान हेतु शेष राशि

[स्कूल शिक्षा]

6. (क्र. 1218) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला धमतरी अन्तर्गत समग्र शिक्षा अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में सत्र 2023-24 से 31-01-2026 तक क्या-क्या कार्य और कितनी-कितनी राशि के कराये गये थे? कराये गये कार्यों की कितनी राशि भुगतान की गई है ? कितनी राशि शेष है ? कृपया अवगत करावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : जिला धमतरी अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के तहत शैक्षणिक

संस्थाओं में सत्र 2023-24 से 31.01.2026 तक कराये गए निर्माण कार्य एवं भुगतान की गई राशि तथा शेष राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन" \]](#)

केन्द्र एवं राज्य शासन से प्राप्त मदवार राशि का व्यय

[स्कूल शिक्षा]

7. (क्र. 1365) श्रीमती गोमती साय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला जशपुर में वर्ष 2023-24 से जनवरी, 2026 तक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा केन्द्र एवं राज्य शासन से प्राप्त मदवार राशि किन-किन कार्यों में व्यय किया गया? वर्षवार, मदवार, योजनावार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार क्रय किये गये सामग्रियों का नाम, मात्रा, लागत, क्रय तिथि एवं संबंधित संस्था का विवरण दें। (ग) क्रय कार्य किस आवश्यक आकलन, स्वीकृति आदेश, तकनीकी अनुमोदन एवं किस प्राधिकृत समिति/प्रक्रिया के आधार पर किया गया? क्या सभी क्रय छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम/जीएफआर के प्रावधानों के अनुरूप किया गया? निविदा दर/निविदा संख्या एवं चयनित फर्मों की जानकारी दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र अ** अनुसार है। (ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र ब** अनुसार है। (ग) जानकारी **संलग्न प्रपत्र स** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्सठ" \]](#)

जशपुर विधानसभा के विद्यालयों का पुनरीक्षण

[स्कूल शिक्षा]

8. (क्र. 1372) श्रीमती रायमुनी भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
जशपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में जशपुर के विद्यालयों के पुनरीक्षण, पुस्तक सामग्री, डिजिटल शिक्षा, शौचालय, पेयजल, कक्षा भवन जैसी बुनियादी सुविधाओं के सुधार हेतु कितनी राशि स्वीकृत और व्यय की गई है? कृपया योजनाओं के नाम और खर्च का विवरण दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि/खर्च का विवरण (लाख में)
1	विद्यालयों में पुनरीक्षण	254.06	113.53
2	पुस्तक सामग्री	1.28	1.28
3	डिजिटल शिक्षा	66.57	66.57
4	शौचालय	167.91	86.82
5	पेयजल	1.50	1.50
6	कक्षा भवन	175.08	146.82
7	रैम्प एवं हैण्डरेल	1.80	1.80
8	नवीन शाला भवन निर्माण	313.96	21.10

नवीन बार हेतु लाइसेंस एवं मदिरा दुकान का विरोध

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

9. (क्र. 1724) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या राज्य में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में शराब दुकानों, बार लाइसेंस एवं मदिरा विक्रय से संबंधित नीतियों में परिवर्तन किया गया है? अगर हाँ तो क्या क्या परिवर्तन किया गया है? (ख) वर्ष 2024-25 एवं 2025-

26 में राज्य में कुल कितने नए बार लाइसेंस जारी किये गये है? जिलेवार जारी किये गये नये बार एवं श्रेणी की जानकारी क्या है? (ग) प्रदेश में कितने श्रेणी एवं प्रकार के बार लाइसेंस जारी किये जा रहे है? बार लाइसेंस के लिये श्रेणी वार शुल्क एवं मापदण्ड क्या निर्धारित किया गया है? छत्तीसगढ़ में बार से कितनी राजस्व की प्राप्ति हो रही है? (घ) वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कितने नए मदिरा दुकान खुलने की अनुमति प्रदान की गयी है? कितने खोले गये और कितने बाकी हैं? नव संचालित मदिरा दुकान का जिलेवार नाम एवं विवरण क्या है? शराब दुकान से प्राप्त होने वाली राजस्व क्या है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) वर्ष 2025-26 में शासन द्वारा वर्ष 2024-25 की कुल संचालित 674 मदिरा दुकानों का 10 प्रतिशत अर्थात् 67 नवीन मदिरा दुकानों को खोलने की स्वीकृति दी गई है। उक्त दोनों ही वर्षों में दुकानों का संचालन छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कापर्िेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है। वर्ष 2024-25 की बार नीति में एफ.एल.2(क) स्तरीय रेस्टॉरेंट बार, एफ.एल.3(घ) विमानपत्तन रेस्टॉरेंट बार अनुज्ञप्ति की नवीन श्रेणी निर्मित की गई थी, जिसे वर्ष 2025-26 की बार नीति में यथावत रखे जाने का प्रावधान किया गया है। मदिरा विक्रय के संबंध में 2024-25 की तुलना में 2025-26 में शुष्क दिवसों की संख्या में कमी की गई है। वर्ष 2024-25 में कुल 07 तिथियों पर शुष्क दिवस घोषित था जिसमें कमी कर वर्ष 2025-26 में 04 तिथियों को ही शुष्क दिवस घोषित किया गया है। (ख) वर्ष 2024-25 में 18 एवं वर्ष 2025-26 में (दिनांक 27.02.2026 तक) 25 नए बार लाइसेंस जारी किये गये है। नये बार की श्रेणीवार जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार है।** (ग) प्रदेश में 8 प्रकार के बार/क्लब लायसेंस जारी किये जा रहे है। वर्ष 2024-25 के लिए बार/क्लब लायसेंस के लिये श्रेणीवार निर्धारित शुल्क एवं मापदण्ड की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब अनुसार है** एवं वर्ष 2025-26 के लिए बार/क्लब लायसेंस के लिये श्रेणीवार निर्धारित शुल्क एवं मापदण्ड की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र स अनुसार है।** वर्ष 2024-25 में बार/क्लब के नवीन/नवीनीकरण किये जाने से 41,73,79,338/- (इकचालीस करोड़ तिहत्तर लाख उनयासी हजार तीन सौ अड़तीस रूपये) एवं वर्ष 2025-26 में (दिनांक 27.02.2026 तक) बार/क्लब के नवीन लायसेंस से 8,18,62,943/- (आठ करोड़ अठारह लाख बासठ हजार नौ सौ तिरालिस रूपये) की राजस्व प्राप्त हुई है एवं बार/क्लब के नवीनीकरण किये जाने से माह मार्च 2026 में राजस्व प्राप्त होना संभावित है। (घ) वर्ष 2024-25 में कोई भी नवीन मदिरा दुकान की अनुमति नहीं थी। वर्ष 2025-26 में शासन द्वारा 67 नवीन मदिरा दुकानों की स्वीकृति दी गई है जिसमें से 32 नवीन मदिरा दुकानों को खोलने के आदेश जारी किये गये हैं। उक्त 32 में से जिला बलरामपुर-रामानुजगंज की 01 मदिरा दुकान "कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान सनावल" का संचालन प्रारंभ किया गया है तथा 31 दुकानों को खोला जाना शेष है। उक्त के साथ ही वर्ष 2025-26 में 27 नवीन प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों को खोलने की अनुमति प्राप्त हुई है जिसके विरुद्ध 14 दुकानों को खोला जा चुका है तथा 13 दुकानों का खोला जाना शेष है। नव संचालित प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र द अनुसार है।** विभाग को शराब दुकान से वर्ष 2024-25 में 10145.40 करोड़ रूपये (दस हजार एक सौ पैतालिस करोड़ चालीस लाख रूपये) एवं वर्ष 2025-26 में माह फरवरी तक 9659.80 करोड़ रूपये (नौ हजार छः सौ उनसठ करोड़ अस्सी लाख रूपये) राजस्व प्राप्त हुआ है।

प्रदेश में संचालित विद्यालयों 10 वीं व 12 वीं बोर्ड परीक्षा की परीक्षा केन्द्र के मापदण्ड व प्रक्रिया

[स्कूल शिक्षा]

10. (क्र. 1731) श्री रिकेश सेन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये परीक्षा केन्द्र चयन की प्रक्रिया क्या-क्या है तथा क्या-क्या नियम-शर्तें लागू हैं? और इसके मापदण्ड क्या है? एवं किनके द्वारा तय की जाती है? (ख) पी.एम.श्री

स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रामचन्द्रपुर, जिला-बलरामपुर परीक्षा केन्द्र को निरस्त करने का कारण क्या है? उसके स्थान पर वर्तमान में परीक्षा केन्द्र के रूप में किस विद्यालय को चयनित किया गया है? और उसके मापदण्ड क्या-क्या तय की गयी है और उसकी क्षमता कितनी हैं? (ग) क्या प्रश्नांक (ख) उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को मांग पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां तो क्या निर्णय लिया गया?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 5 कि०मी० की दूरी पर एवं आदिवासी क्षेत्रों में 15 कि०मी० की दूरी पर संचालित संस्था को जिसमें छात्रों की बैठक क्षमता, प्रकाश, विद्युत, पेयजल की सुविधाओं एवं आवागमन को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव का मण्डल की परीक्षा समिति से अनुमोदन कर परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जाता है। (ख) पी०एम०श्री स्वामी आत्मानंद शास० उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रामचन्द्रपुर जिला-बलरामपुर (711039) को विषय-गणित एवं सामाजिक विज्ञान के 04 छात्रों की मुख्य/पूरक उत्तरपुस्तिका में लिखावट में भिन्नता पाये जाने के कारण मण्डल की परीक्षा एवं परीक्षाफल समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 02.12.2024 को लिये गये निर्णयानुसार परीक्षा केन्द्र निरस्त किया गया था। इसके स्थान पर वर्ष 2026 की परीक्षा हेतु शास० उ०मा०वि० गांजर (711046) को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। गांजर में छात्रों की पर्याप्त बैठक क्षमता, प्रकाश, पेयजल व अन्य सुविधाये है और बैठक क्षमता 300 है। (ग) जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर से मांग पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात् दिनांक 09.02.2026 को प्राप्त हुआ। विलंब से प्राप्त होने के कारण विचार नहीं किया जा सका।

रायपुर नगर में सिटी बस का संचालन

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

11. (क्र. 1749) श्री राजेश मूणत : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायपुर नगर में सिटी बस योजना के तहत बस संचालित करने के क्या नामर्स थे? अभी कितनी बसे संचालित हो रही हैं? यदि नहीं हो रही है तो क्यों? विवरण दें? (ख) क्या भविष्य में सिटी बस संचालन की कार्य योजना पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है? यदि हां तो जानकारी दें। (ग) प्रश्नांक "क" अनुसार वर्तमान में जिन मार्गों पर बसें संचालित हो रही हैं, उन मार्गों के चयन का आधार क्या था?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) रायपुर नगर में सिटी बस योजना के तहत बसों का संचालन जवाहरलाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी के माध्यम से किया जा रहा है। सोसायटी द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित बस ऑपरेटर द्वारा वर्तमान में 37 बसों का संचालन किया जा रहा है। (ख) भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश के 04 शहरों हेतु 240 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें रायपुर शहर हेतु 100 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। योजना अंतर्गत आवश्यक अधोसंरचना यथा बस डिपो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तथा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। भारत सरकार से बसों की डिलिवरी प्राप्त होने पर संचालन प्रारंभ किया जावेगा। (ग) रायपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी द्वारा बसों की उपलब्धता एवं यात्रियों के प्रतिसाद के आधार पर चयनित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचित मार्गों में से वर्तमान में 06 मार्गों पर सिटी बस का संचालन किया जा रहा है।

कोटा एवं गौरला विकासखंड में शिक्षकों का संलगनीकरण

[स्कूल शिक्षा]

12. (क्र. 1762) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या कोटा एवं गौरला विकासखंड में कौन-कौन से विषयों के शिक्षकों की कमी है? विकासखंडवार जानकारी दे? (ख) क्या कोटा एवं गौरला विकासखंड के सहायक शिक्षक, शिक्षक (एल.बी) एवं व्याख्याता अपने पदस्थापना स्कूल से अन्यत्र स्कूल संस्था एवं कार्यालयों में संलग्न होकर कार्यरत हैं? अगर हाँ तो संलग्न शिक्षक का नाम, पद नाम, पदस्थापना स्कूल का नाम, वर्तमान संलग्न स्कूल संस्थान एवं कार्यालय का नाम क्या है? कब से, किस कारण से और किस आदेश के तहत संलग्न है? विकासखंडवार जानकारी क्या है? (ग) कितने शिक्षक पदस्थापना विकासखंड में ही संलग्न है और कितने शिक्षक अन्य विकासखंडों में संलग्न है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जी हां। जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) 03 शिक्षक पदस्थापना विकासखंड में संलग्न है, शेषांश की जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - साठ"]

नगर पालिक निगम बीरगांव के कार्यक्षेत्र में अप्राधिकृत निर्माण के मामले में कृत कार्यवाही

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

13. (क्र. 1768) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या विधान सभा प्रश्न क्र. 2324 के उत्तर दिनांक 19 मार्च 2025 में यह बताया गया था कि "प्राप्त शिकायत के आधार पर वर्तमान में जांच प्रक्रियाधीन है।"? (ख) यदि हां तो जांच किसके द्वारा की जा रही है तथा जांच की प्रगति की स्थिति क्या है? यदि जांच पूर्ण हो चुकी हो तो क्या निष्कर्ष आया? जांच प्रतिवेदन की प्रति भी उपलब्ध कराएं? (ग) क्या जिस अप्राधिकृत निर्माण का राजीनामा किया गया है, उसको करने के लिए आयुक्त सक्षम थे? यदि हां तो तत्संबंधी प्रावधान को स्पष्टतः बताएं?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जी हां। (ख) आयुक्त, नगर पालिक निगम के द्वारा श्री केवल चंद साहू, सहायक अभियंता, श्री कृष्ण विजय सिंह सहायक अभियंता एवं श्री नितीश अमन साहू, उप अभियंता की 03 सदस्यीय जांच समिति गठित कर जांच कराया गया है, समिति के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जांच में यह निष्कर्ष आया है, कि आवेदक के द्वारा जानबूझकर राजीनामा की शर्तों की अनदेखी करते हुए राजीनामा किये गए क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में निर्माण किया गया एवं पूर्णता प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया है। उक्त राजीनामा को निरस्त करने हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम बीरगांव द्वारा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 299-क के तहत प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किया गया है, जो परीक्षण के अधीन है। जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) उपरोक्त राजीनामा वर्ष 2014 में तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा किया गया है। छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187-क के अंतर्गत कृत राजीनामा जांच प्रतिवेदन प्राप्ति उपरांत परीक्षण के अधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ"]

नगर पंचायत राहौद में अधोसंरचना मद की राशि को बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (एफ.डी.) किया जाना

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

14. (क्र. 1861) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जांजगीर-चाँपा जिला अंतर्गत नगर पंचायत राहौद को जनवरी 2020 से दिनांक 31.01.2026

तक अधोसंरचना मद एवं अन्य सभी मदों में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है? क्या उक्त मद की राशि को बैंक में सावधि जमा (फिक्सड डिपॉजिट) के रूप में रखा गया है? यदि हाँ, तो कितनी राशि, किस बैंक में और किस दिनांक से जमा की गई है? उक्त जमा राशि पर अब तक कुल कितना ब्याज (इंटेरेस्ट) अर्जित हुआ है तथा उस ब्याज राशि का व्यय किन कार्यों में किया गया है? मदवार विवरण दें। **(ख)** छ.ग.नगर पालिका अधिनियम या शासन के वर्तमान नियमों के अंतर्गत क्या किसी विकास कार्य हेतु आवंटित मद की राशि को बैंक में एफ.डी. करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो अधिकतम कितनी राशि और कितनी अवधि के लिए ऐसी जमा राशि रखी जा सकती है? इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्य है या नहीं?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) नगर पंचायत राहौद को जनवरी 2020 से दिनांक 31.01.2026 तक अधोसंरचना एवं अन्य मद में आवंटित राशि एवं बैंक में फिक्सड डिपॉजिट की जानकारी निम्नानुसार है:-

नगर पंचायत राहौद

क्र	अवधि	मद का नाम	आबंटित राशि (लाख में)	बैंक में सावधि जमा (फिक्सड डिपॉजिट) का विवरण
1	(जनवरी 2020 से 31.01.2026 तक)	अधोसंरचना	533.39	निरंक
2		मरम्मत संधारण	53.13	निरंक
3		चुंगीक्षतिपूर्ति	61.18	निरंक
4		उत्पादकर	3.17	निरंक
5		पार्षद निधि	195.00	निरंक
6		अध्यक्ष निधि	65.00	निरंक
7		पेयजल कष्ट निवारण	12.38	निरंक
8		मुद्रांक शुल्क	17.89	निरंक
9		रा.प्र.वि.यो.	59.39	निरंक
10		केन्द्र प्रवर्तित	110.81	निरंक
11		केन्द्र प्रवर्तित (15 वित्त)	188.68	निरंक
12		प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी- 2.0	486.20	निरंक
13		स्वच्छ भारत मिशन शहरी- 2.0	0.00	निरंक
14		मिशन अमृत 2.0	1144.11	निरंक
		महायोग	2930.33	

(ख) शासन द्वारा लंबी अवधि तक उपयोग न होने वाली राशि को सावधि जमा एवं बचत खातों को आटोस्वीप खाते के रूप में नगरीय निकायों में परिवर्तित करने का निर्देश जारी किया गया है।

जिला बलौदा बाजार के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार

[वाणिज्य एवं उद्योग]

15. (क्र. 1862) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बलौदा बाजार में स्थापित बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कंपनियों की संख्या कितनी है तथा इनमें कुल कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) अंतर्गत संचालित उद्योगों में छत्तीसगढ़ के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने हेतु क्या कोई अनिवार्य प्रावधान/आरक्षण या प्राथमिकता नीति लागू है? यदि हाँ, तो क्या उसका पालन किया जा रहा है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बलौदाबाजार-भाटापारा से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा में कुल 13 बड़े औद्योगिक इकाई विभाग में पंजीकृत है। इनमें कुल 11,634 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है। (ख) उत्तरांश (क) के अंतर्गत संचालित उद्योगों को औद्योगिक नीति के अंतर्गत घोषित किये गये औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए उद्यमी को राज्य के मूल निवासियों को रोजगार से संबंधित शर्तों का पालन करने का प्रावधान है। उक्त इकाईयों के द्वारा तत्समय प्रचलित औद्योगिक नीति में प्रावधानित शर्तों के अनुसार राज्य के मूल निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर नीति का पालन किया गया है।

सड़क निर्माण में उपयोग हेतु मुरूम एवं गिट्टी की रायल्टी का भुगतान

[लोक निर्माण]

16. (क्र. 1949) श्री अनुज शर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 अंतर्गत विभाग द्वारा निर्मित सड़कों हेतु तय मापदण्ड अनुसार कितनी-कितनी क्यूबिक मीटर मुरूम एवं गिट्टी का उपयोग किया गया? वर्ष एवं सड़कवार जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार क्या मुरूम एवं गिट्टी उपभोग की नियमानुसार रायल्टी निर्माण एजेंसीयों के द्वारा शासन को जमा की गई ? यदि हां, तो कितनी-कितनी रायल्टी का भुगतान किस-किस कार्य के लिये कब-कब किया गया? विवरण प्रदान करें? (ग) प्रश्नांक 'ख' अनुसार क्या निर्माण एजेंसीयों द्वारा प्रस्तुत रायल्टी रसीद एवं उपयोग मुरूम गिट्टी की मात्रा का मिलान विभाग द्वारा कराये जाने का प्रावधान है? यदि हां तो किस-किस अधिकारी द्वारा परीक्षण किया गया?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - बैसठ" \]](#)

प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों की ईलाज के लिए औषधियों के क्रय में गड़बड़ी की शिकायत की जांच

[श्रम]

17. (क्र. 1953) श्री बालेश्वर साहू : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2024-25 से 31.01.2026 तक की स्थिति में पंजीकृत श्रमिकों की ईलाज के लिए छ. ग. कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं विभाग की ओर से कब-कब खरीदी की गई है? कृपया, मात्रा और राशि सहित जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार की गई खरीदी में भण्डार एवं क्रय नियम का पालन किया गया है ? जानकारी दें ? (ग) क्या प्रश्नांक "क" और "ख" के अनुसार खरीदी में गड़बड़ी एवं शिकायत के आधार पर विभागीय मंत्री ने पत्र क्रमांक 1346/R, दिनांक 06.11.2025 द्वारा संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं को क्रय आदेश निरस्त करने के निर्देश दिए गए थे ? यदि हां तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी दें ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) वर्ष 2024-25 से 31.01.2026 तक की स्थिति में पंजीकृत श्रमिकों की ईलाज के लिए छ.ग. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु दिनांक 10.10.2024 तथा 2025-26 हेतु दिनांक 25.09.2025 को औषधि क्रय हेतु प्रदाय आदेश जारी किये गये हैं। खरीदी की गई औषधियों की मात्रा और राशि सहित वर्षवार जानकारी **पुस्तकालय में रखें प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।** (ख) छ.ग.भण्डार क्रय नियम 4.3.3 (ब) का पालन किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अंतर्गत संचालित औषधालयों के उपयोग हेतु जो दवाई की खरीदी की जाती है वह राज्य सरकार के बजट से नहीं खरीदी जाती है। अपितु कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अंतर्गत औषधियों के क्रय सहित होने वाले समस्त व्यय का वहन कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो कि भारत का सरकार का उपक्रम है, के

द्वारा किया जाता है। औषधि क्रय के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा जारी दिशा निर्देश ही बाध्यकारी हैं। (ग) दवाई खरीदी के शिकायत पर विभागीय मंत्री के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1346/R/मंत्री/वाणिज्य/उद्योग/सा.उ./आबकारी/श्रम, दिनांक 06.11.2025 वर्ष 2025-26 के औषधियों के क्रय आदेश को निरस्त करने के परिपालन में संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें द्वारा समस्त औषधालय के प्रभारियों को पत्र दिनांक 07.11.2025 लिखा जाकर निर्देशित किया गया कि आगामी आदेश तक वर्ष 2025-26 हेतु विभिन्न औषधि निर्माता संस्थानों द्वारा केन्द्रों को भेजी गई औषधियों को प्राप्त न करें। तदोपरान्त इस संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें छ.ग. द्वारा मुख्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम से मार्गदर्शन चाहा गया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में मुख्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पत्र दिनांक 18.11.2025 द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। तत्पश्चात् श्रम विभाग के स्तर पर परीक्षण कर यह पाया गया कि किया गया औषधि क्रय राज्य शासन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा जारी नियम-निर्देशों के तहत ही किया गया है। अतः छ.ग.शासन, श्रम विभाग के पत्र दिनांक 11.12.2025 के द्वारा पूर्व में जारी किये गये औषधि क्रय निरस्तीकरण आदेश को रद्द किया गया है तथा श्रम विभाग के पत्र दिनांक 03.12.2025 द्वारा औषधि क्रय के संबंध में प्राप्त शिकायत को नस्तीबद्ध किया गया है।

अतिथि शिक्षक विद्या मितान संघ के मांगों पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

18. (क्र. 2047) श्री देवेन्द्र यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या अतिथि शिक्षक विद्या मितान संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश डब्लू क्र. 5573/2024 के परिपालन में मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है। यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? जानकारी दें। (ख) क्या कार्यरत सभी अतिथि शिक्षकों से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अन्य विभाग व जिला/राज्य स्तरीय कार्यों की संपादन हेतु आदेशित कर कार्य लिया जाता है ? यदि हां तो क्या दिए गए अतिरिक्त कार्य में मानदेय राशि का भुगतान किया जाता है। (ग) क्या राज्य सरकार द्वारा अतिथि शिक्षक विद्या मितान की एक वर्ष की कार्यवाधि निर्धारित किया गया है ? जानकारी दीजिए। (घ) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31.01.2026 तक शिक्षकों को नियमित/संविलियन/समायोजन किए जाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जी हां। प्रावधान नहीं है। (ख) जी नहीं। प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

जिले के संचालित राईस मिलों में दुर्घटनाओं में पीड़ितों को सहायता राशि

[श्रम]

19. (क्र. 2078) श्री भोलाराम साह : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी अंतर्गत कितने लाइसेंस धारी राईसमिल संचालित है ? विकासखण्डवार, मिलर के मालिक के नाम पता सहित जानकारी देवे? (ख) क्या कंडिका "क" के राईस मिलों में 2023-24 से 31.01.2026 तक कितने मजदूरों की मौत किन-किन कारणों से हुई है ? इनमें कौन-कौन दोषी हैं ? दोषियों के उपर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? मृतक के नाम, पता सहित वर्षवार, राईसमिलवार जानकारी देवे ? (ग) प्रश्नांक "ख" के किन-किन पीड़ित परिवारों को कितनी-कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है ? वर्षवार, विकासखण्डवार राईसमिलवार, भुगतानवार, पीड़ित परिवार के नाम पता सहित जानकारी देवे ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) जिला राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 110 राईस मिल हेतु कारखाना अधिनियम 1948 अंतर्गत अनुज्ञप्ति जारी की गई है विकासखण्डवार

राईस मिल के अधिभोगी का नाम एवं पता सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-"अ" अनुसार है।(ख)** कंडिका 'क' के राईस मिलों में 2023-24 से 31.01.2026 तक घटित दुर्घटनाओं में 03 मजदूरों की मौत हुई है। दुर्घटनाओं का कारण, उत्तरदायी के नाम एवं की गई कार्यवाही तथा मृतक का नाम एवं पता की वर्षवार एवं राईस मिलवार **जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-"ब" अनुसार है।(ग)** प्रश्नांक 'ख' के अनुसार मृतक के आश्रितों को प्रदान की गई सहायता राशि वर्षवार,विकासखण्डवार राईस मिलवार, आश्रित के नाम पता सहित की **जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-"स" अनुसार है।**

प्रदेश में हैण्डपंप तकनीशियनों के स्वीकृत व रिक्त पद

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

20. (क्र. 2079) श्री भोलाराम साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में हैण्डपंप तकनीशियनों के कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पद के विरुद्ध के कितने भरे हैं एवं कितने रिक्त हैं और रिक्त पद की पूर्ति कब तक की जावेगी ? जिलेवार जानकारी देवें ? **(ख)** क्या हैण्डपंप तकनीशियनों को प्रति टेक्नीशियन स्थाई इस्प्रेस्ट/स्थायी उचन्ति राशि दी जाती है ? यदि हाँ तो कितनी-कितनी राशि कब-कब से प्रदान की जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ? जिलेवार, जानकारी देवें ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** विभाग अंतर्गत प्रदेश में हैण्डपंप तकनीशियनों के 876 पद स्वीकृत है। स्वीकृत पद के विरुद्ध 462 पद भरे है एवं 414 पद रिक्त है। रिक्त पद की पूर्ति हेतु निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। आवश्यक नहीं होने से प्रदान नहीं की जा रही है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ" \]](#)

धमतरी जिले में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

21. (क्र. 2087) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** धमतरी जिले में वर्ष दिसम्बर 2024 से दिनांक 31.01.2026 तक की स्थिति में कहां-कहां पर खेल मैदान, मिनी स्टेडियम एवं राजीव गांधी खेल स्टेडियम के अन्तर्गत स्टेडियम निर्माण के संबंध में स्थानीय स्तर से शासन को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? **(ख)** खेल मैदान मिनी स्टेडियम के संबंध में विगत दो वर्षों में कहां-कहां के लिए, कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र अ" अनुसार। **(ख)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र ब" अनुसार।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौंसठ" \]](#)

कांकेर जिले मे जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनाओं हेतु आमंत्रित निविदा

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

22. (क्र. 2091) श्री आशा राम नेताम : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जल जीवन मिशन अंतर्गत कांकेर जिले में वर्ष 2023 से 15.02.2026 तक कितनी निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं? जानकारी देवें ? **(ख)** आमंत्रित निविदाओं में कितने ठेकेदारों को पात्र किया गया? कितने

ठेकेदारों को अपात्र किया गया ? अपात्र ठेकेदारों द्वारा क्या दावा आपत्ति की गयी है? जानकारी दें ? **(ग)** क्या आमंत्रित निविदाओं में कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ? विवरण दें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** जल जीवन मिशन अन्तर्गत कांकेर जिले में वर्ष 2023 से 15.02.2026 तक 1402 निविदाएं आमंत्रित की गई है । **(ख)** आमंत्रित निविदाओं में 1646 ठेकेदारों को पात्र किया गया । 533 ठेकेदारों को अपात्र किया गया । अपात्र ठेकेदारों द्वारा कोई दावा आपत्ति नहीं की गयी है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । **(ग)** जी नहीं । प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

उद्योगों की स्थापना हेतु एमओयू

[वाणिज्य एवं उद्योग]

23. (क्र. 2147) श्री उमेश पटेल : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किन-किन उद्योग कंपनियों के साथ कब-कब, कितनी-कितनी राशि का एमओयू किया गया है ? उसमें कितने राज्य /राष्ट्रीय /विदेश के कॉम्पनियाँ हैं? कितने एमओयू किन-किन कॉम्पनियों के साथ, किन-किन कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं? वर्षवार बताएं। **(ख)** उक्त कंपनियों को उद्योग लगाने हेतु कहाँ-कहाँ किस जिले में कितनी शासकीय/निजी भूमि आबंटित की गई ? इनमें कौन-कौन सी कंपनियाँ स्थापित हो चुकी हैं और उन्होंने उत्पादन प्रारंभ कर दिया है तथा कितनी कंपनियाँ स्थापित एवं कार्य प्रारंभ नहीं की है और इसके कारण क्या हैं ? **(ग)** उक्त अंतर्गत कितने रोजगार के पद सृजित किया जाना था एवं छत्तीसगढ़ के कितने लोगों को रोजगार प्रदाय किया गया है ? प्रश्नावधि में उन उद्योग कंपनियों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति क्या है ? वर्षवार बताएं ।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 246 उद्योग कंपनियों को एमओयू / इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट/अभिस्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं। कंपनी का नाम, दिनांक, प्रस्तावित पूंजी निवेश की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** के कॉलम क्रमशः 2, 3 एवं 4 पर अंकित है। इसमें 153 राज्य, 86 राष्ट्रीय एवं 7 विदेशी कंपनियाँ हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** के कॉलम-5 में उल्लेखित है। कुल 5 उद्योग कंपनियों के एमओयू अभिस्वीकृति पत्र निरस्त किए गए हैं। निरस्तीकरण का कारण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** के कॉलम-7 में वर्षवार उल्लेखित है। **(ख)** एमओयू निष्पादित कंपनियों में से 20 उद्योगों/कंपनियों को सीएसआईडीसी/ के माध्यम से 258.56 हेक्टेयर शासकीय एवं 751.251 हेक्टेयर निजी भूमि आबंटित की गई है। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स** पर है। निवेशकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर 15 इकाइयों द्वारा उद्योग स्थापित कर उत्पादन आरंभ किया गया है इसमें से 04 उद्योगों को विभाग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया गया है। 43 इकाइयाँ निर्माणाधीन है एवं 92 इकाइयों द्वारा क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है, शेष इकाइयों के साथ एमओयू इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट एवं अभिस्वीकृति पत्र विगत 06 माह के भीतर जारी किया गया है अतः क्रियान्वयन प्रारंभ नहीं किया गया है, जो **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ"** के कॉलम 6 पर दर्शित है। **(ग)** उत्तरांश "क" अवधि में निष्पादित एमओयू/ इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट एवं अभिस्वीकृति पत्र जारी इकाइयों द्वारा 1,71,504 रोजगार प्रस्तावित है एवं निवेशकों से प्राप्त जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ के 1121 लोगों को रोजगार प्रदाय किया गया है। 15 उद्योग/कंपनियों द्वारा राशि रुपये 8015.29 करोड़ का निवेश करते हुये उत्पादन प्रारंभ किया गया है। उद्योग/कंपनियों की भौतिक स्थिति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** के कॉलम 06 में दर्शित है।

रायगढ़ जिला में पेय जल टेस्टिंग हेतु सैम्पल का परिणाम

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

24. (क्र. 2148) श्री उमेश पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** रायगढ़ जिला अंतर्गत 2025-26 में पेय जल टेस्टिंग के कितने सैम्पल लिए गए? कितने फेल हुए? की जानकारी विकासखण्डवार देवें। **(ख)** जांच की गई सैपलों में कितने मानकों पर खरा नहीं उतरे? कितने सैपलों में विभिन्न प्रकार के खनिजों की अधिकता या कमी पाई गई, जो हमारे स्वास्थ्य के लिहाज से गंभीर खतरा मानी जाती है? **(ग)** रायगढ़ जिला वासियों को शुद्ध पेय जल की आपूर्ति हो, इसके लिए विभाग द्वारा क्या कार्य योजना बनायी गयी है ? जानकारी देवें।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** रायगढ़ जिला अंतर्गत वर्ष 2025-26 में पेयजल टेस्टिंग हेतु लिए गए सैम्पल एवं फेल सैम्पल की विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जांच की गई सैम्पलों में मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले सैम्पलों की संख्या निरंक है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** रायगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हो, इसके लिए जल जीवन मिशन योजना के तहत कुल 919 ग्रामों के 242253 घरों में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेय जल आपूर्ति की कार्य योजना बनायी गयी है एवं कार्य प्रगति पर है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैसठ" \]](#)

विधानसभा सीतापुर क्षेत्र अंतर्गत नल जल योजना का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

25. (क्र. 2163) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा सीतापुर क्षेत्र अंतर्गत नल जल योजना के तहत अब तक कितने घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति के लिए कनेक्शन प्रदान किया गया है? वर्ष 2018 से 2026 तक की स्थिति में ब्लॉकवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** नल जल योजना की प्रगति क्या है ? अब तक यह कार्य अधूरा है तो उसके कारण क्या है ? अधूरे कार्य कब तक पूरे होंगे? जानकारी प्रदान करें? **(ग)** प्रश्नांक **(क)** अनुसार नल जल योजना के क्रियान्वयन में हुई वित्तीय व्यय की राशि कितनी है ? क्या किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुयी हैं? अगर हाँ तो क्या कार्यवाही हुई? जानकारी प्रदान करें ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** विधान सभा सीतापुर क्षेत्र अन्तर्गत नलजल योजना के तहत वर्ष 2018 से 2026 तक पाइप लाईन के माध्यम से जलापूर्ति के लिये प्रदान किये गये कनेक्शन की विकासखंडवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** विधान सभा सीतापुर क्षेत्र अन्तर्गत कुल 980 योजनायें स्वीकृत हैं, जिसमें से 227 पूर्ण व 753 अपूर्ण है। कार्य में विलम्ब का कारण पर्याप्त आबंटन उपलब्ध नहीं होना, उपलब्ध स्त्रोतों में पर्याप्त जल आवक क्षमता नहीं होना एवं कार्य एजेंसी द्वारा कार्य में विलंब करना है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** प्रश्नांक **(क)** अनुसार नलजल योजना के क्रियान्वयनमें राशि रु. 22941.00 लाख व्यय हुआ है। जी नहीं। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छैंसठ" \]](#)

वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में स्वीकृत निर्माण कार्य में संशोधन

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

26. (क्र. 2244) श्री देवेन्द्र यादव : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या दुर्ग जिला के विधानसभा क्षेत्र वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड क्र. 21 कैलाश नगर में आदेश क्र./या.प्र.-

5/15वां वित्त/2024/4559 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30/08/2024 15वें वित्त आयोग मद से स्वीकृत कार्य सरल क्र. 04 को संशोधन किया गया है? यदि हां तो इसमें निवदा प्रक्रिया पूर्ण की जा चुका थी या नहीं? जानकारी दीजिए? **(ख)** प्रश्न **(क)** अनुसार उक्त मार्ग के निर्माण कार्य हेतु संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी है? क्या पूर्व में स्वीकृत मार्ग को बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है? कारण बताइए? **(ग)** क्या प्रश्नानुसार निर्माण कार्य संशोधन किए जाने हेतु नगर निगम आयुक्त को सीधे अधिकार है। जानकारी दीजिए।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** जी हाँ। निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई थी। **(ख)** पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव के प्राक्कलन में नाली निर्माण का प्रावधान न होने के कारण स्थल परिवर्तन की कार्यवाही की गई है। वर्तमान में पूर्व में स्वीकृत मार्ग के प्राक्कलन में नाली एवं सड़क निर्माण सम्मिलित कर मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना में स्वीकृति प्राप्त की गई है। कार्यदिश प्रदान किया गया है। कार्य प्रगतिरत है। **(ग)** जी नहीं। संचालनालय, न.प्र. एवं वि. का पत्र क्र./यां.प्र./5(1)/15 वां वित्त/9137 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24.12.2024 के माध्यम से पूर्व में स्वीकृत कार्य में संशोधित कर नवीन कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है।

एनएमडीसी, किरंदुल, बचेली एवं नगरनार से सीएसआर मद में स्वीकृत राशि

[वाणिज्य एवं उद्योग]

27. (क्र. 2297) श्री बघेल लखेश्वर : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** एनएमडीसी, किरंदुल, बचेली एवं नगरनार (जगदलपुर) से वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में सीएसआर मद में कुल प्रावधानित राशि एवं व्यय की स्थिति की जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में उक्त 03 वर्षों में सीएसआर मद से स्वीकृत कार्य स्वीकृत राशि सहित बतावें ? **(ग)** सीएसआर मद के लिए राशि का प्रावधान व कार्यप्रस्तावों के स्वीकृति के नियम व दिशा-निर्देश क्या तय किये गये हैं? कृपया बतावें ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जगदलपुर, बस्तर से प्राप्त जानकारी अनुसार एन0एम0डी0सी0, किरन्दुल, बचेली एवं नगरनार (जगदलपुर) से वर्ष 2022-23 में रुपये 4221.30 लाख, वर्ष 2023-24 में रुपये 540.64 लाख, वर्ष 2024-25 में रुपये 5592.67 लाख प्रावधानित किया गया है। प्रावधानित राशि के विरुद्ध वर्ष 2022-23 में रुपये 3008.92 लाख, वर्ष 2023-24 में रुपये 357.25 लाख, वर्ष 2024-25 में रुपये 1237.84 लाख सीएसआर मद अन्तर्गत विभिन्न कार्यों में व्यय किया गया है।

(ख) उत्तरांश "क" के परिपेक्ष्य में उक्त 03 वर्षों में सीएसआर मद से स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र पर है। (ग)** सीएसआर मद में उद्योगों द्वारा राशि प्रदान करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम-2013 (2013 का 18) की धारा 135 के अंतर्गत नियम/मापदण्ड निर्धारित है। निर्धारित नियम/मापदण्ड के अनुसार प्रत्येक कंपनी जिसकी गत वित्तीय वर्ष में नेटवर्थ रुपये 500 करोड़ अथवा अधिक या गत वित्तीय वर्ष में विक्रय रुपये 1000 करोड़ या अधिक या गत वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ रुपये 5 करोड़ अथवा अधिक हो, के द्वारा गत तीन वित्तीय वर्ष के औसत लाभ का न्यूनतम 2 प्रतिशत राशि का व्यय किये जाने का मापदण्ड निर्धारित है। सीएसआर मद में राशि कंपनी द्वारा स्वयं अथवा स्व-निर्धारित एजेंसी के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची 7 में उल्लेखित गतिविधियों में खर्च किए जाने का प्रावधान है। कार्य प्रस्तावों की स्वीकृति कंपनी के संचालक मंडल द्वारा प्रदान की जाती है।

बर्खास्त बी.एड. अभ्यर्थी के जगह डी.एड. अभ्यर्थी को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

28. (क्र. 2304) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बर्खास्त किए गए 2621 बी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थियों के स्थान पर अब तक कुल कितने डी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई है? जिलेवार जानकारी दें? (ख) यदि नहीं, तो वर्तमान में कुल कितने पद रिक्त है और रिक्त पद पर कब तक नियुक्ति की जाएगी, उक्त जानकारी वर्गवार (सामान्य/ओबीसी/एससी/एस टी) दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) सेवा समाप्त किए गए 2621 बी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थियों के स्थान पर 1319 डी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सड़सठ"]

चारों लेबर कोड्स/श्रम संहिताओं के संबंधी निर्देश एवं उल्लंघन संबंधी शिकायत पर कृत कार्यवाही

[श्रम]

29. (क्र. 2318) श्री अनुज शर्मा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या राज्य में नवम्बर, 2025 से देशभर में लागू सभी चारों लेबर कोड्स/श्रम संहिताओं को लागू कर दिया गया है? यदि हां तो क्या इन संहिताओं के पालन संबंधी निर्देश राज्य में स्थापित उद्योगों/फैक्ट्रीयों एवं सभी संस्थानों को जारी कर दिये गये हैं? (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार इन सभी लेबर कोड्स के पालन, नियंत्रण तथा निबंधन हेतु राज्य शासन द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण प्रदान करें? (ग) माह नवम्बर, 2025 से दिनांक 15.02.2026 तक नये श्रम संहिताओं के उल्लंघन एवं नियमों के अक्रियान्वयन संबंधी क्या कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हां तो इन पर क्या कार्यवाही की गई?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 21.11.2025 को अधिसूचना जारी कर मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक श्रम संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 को संपूर्ण देश में प्रभावशील किया गया है। इन संहिताओं के पालन संबंधी निर्देश पृथक से राज्य में स्थापित उद्योगों/फैक्ट्रीयों एवं सभी संस्थानों को जारी नहीं किये गये हैं। (ख) श्रम संहिताओं के प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नियम बनाये जाने, पोर्टल अपडेशन तथा विभागीय अधिकारियों एवं निरीक्षकों के प्रशिक्षण की कार्यवाही की जा रही है। (ग) प्रश्नांकित अवधि में विभाग को नये श्रम संहिताओं के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सेतु संभाग रायगढ़ में पुल पुलिया निर्माण में विलम्ब

[लोक निर्माण]

30. (क्र. 2403) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या सेतु संभाग रायगढ़ में 31 दिसम्बर, 2025 की स्थिति में 4 वर्ष से अधिक पुराने पुल के निर्माण कार्य चल रहे हैं? यदि हाँ तो कार्य का नाम, अनुबंधक का नाम व अनुबंध क्रमांक की जानकारी दें? (ख) क्या सारंगढ़ विधानसभा में सत्र 2025-26 के बजट में शामिल 8 पुलों का प्राक्कलन / शासन स्तर को प्रेषित किया गया है? यदि नहीं तो कब तक प्राक्कलन शासन को भेजे जायेंगे तथा इन पुलों का निर्माण कार्य किस किस संभाग द्वारा किया जायेगा? कृपया जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जी हां। जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) जी हां। जानकारी संलग्न प्रपत्र-'ब' अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अडसठ"]

बिलासपुर जिले में संचालित देशी/विदेशी शराब दुकानों में की जा रही अनियमितता

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

31. (क्र. 2422) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या बिलासपुर जिले में वर्ष 2025-26 में संचालित देशी/विदेशी शराब दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसी में कार्यरत कर्मचारियों के अतिरिक्त कर्मचारी भर्ती कर बिना अनुमति के जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा भुगतान किया गया है? यदि हां तो कितने कर्मचारियों का भुगतान किया गया है? कर्मचारियों नाम सहित भुगतान की गई राशि, दर, माह सहित जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार बिना अनुमति के भुगतान करने वाले अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्या? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** अवधि में बिलासपुर जिले के शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक दर पर शराब बेचने व मिलावट के कितने मामले पर कार्यवाही की गई, जानकारी देवें? यदि नहीं तो कार्यवाही कब तक की जावेगी जानकारी देवें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) जी नहीं। प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(ख)** प्रश्नांक-क अनुसार प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नांश (क) अवधि में बिलासपुर जिले के शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक दर पर शराब बेचने के 7 आपराधिक प्रकरण कायम किये गये हैं, जिसमें प्लेसमेंट एजेंसी के 7 कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया है। इसी प्रकार मदिरा में मिलावट का 1 आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है, जिसमें प्लेसमेंट एजेंसी के 3 कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया है।

डौण्डी लोहारा विधानसभा अंतर्गत पानी टंकी का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

32. (क्र. 2428) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** डौण्डी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2024-2025 एवं 2025-2026 में 20 फरवरी, 2026 तक पानी टंकी के निर्माण हेतु योजनावार कितनी-कितनी राशि को बजट में शामिल किया गया था, एवं कितने स्थानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है? कितने स्थानों का निर्माण व मरम्मत कार्य पूर्ण हो चुका है? कितने स्थानों का कार्य शेष है? **(ख)** ऐसे कितने ग्राम है जहां पेयजल की व्यवस्था नहीं है? नाम बतावें ? पेयजल की व्यवस्था कब तक की जावेगी ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2024-2025 एवं 2025-2026 में 20 फरवरी, 2026 तक पानी टंकी के निर्माण हेतु योजनावार बजट में शामिल राशि की जानकारी निरंक है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में पेयजल विहिन ग्राम की संख्या निरंक है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

रोजगार उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक परियोजना/ क्षेत्र की स्थापना

[वाणिज्य एवं उद्योग]

33. (क्र. 2436) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर औद्योगिक परियोजना/ क्षेत्र की स्थापना के लिए राज्य शासन के द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? **(ख)** प्रश्नांक (क) अनुसार क्या मुंगेली विधानसभा क्षेत्र

के ग्राम खम्हरिया में औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हेतु जमीन चयनित की गई है? यदि हां, तो उक्ताशय हेतु कुल कितनी जमीन का अधिग्रहण किया गया है? उद्योग लगाने हेतु कितने आवेदकों द्वारा दिनांक 15.02.2026 तक कितने आवेदन दिये गये हैं, कितने स्वीकृत, कितने अस्वीकृत हुए? आवेदकों द्वारा दिनांक 15.02.2026 तक किन- किन उद्योगों की स्थापना की गई है तथा कितना आवेदकों द्वारा जमीन आबंटन पश्चात भी उद्योग की स्थापना नहीं की गई है? कितनी जमीन उद्योग आबंटन हेतु दिनांक 15.02.2026 तक शेष है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) सीएसआईडीसी, रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार विधान सभा क्षेत्र मुंगेली में रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर औद्योगिक क्षेत्र, खम्हरिया स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र मुंगेली में रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। हितग्राहीमूलक स्वरोजगार योजनाओं यथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के माध्यम से आवेदकों के ऋण प्रकरण बैंकों को प्रेषित किये जाते हैं। (ख) जी हाँ, मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खम्हरिया, जिला मुंगेली में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु भूमि चयनित की गई है। इस हेतु कुल रकबा 24.281 हेक्टेयर भूमि का राजस्व विभाग से दिनांक 20.07.2016 को आधिपत्य प्राप्त होने के उपरांत सीएसआईडीसी, रायपुर द्वारा औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कार्य कराया गया। निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। सीएसआईडीसी, रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार उद्योग लगाने हेतु कुल 129 आवेदकों द्वारा दिनांक 15.02.2026 तक आवेदन दिये गये हैं। इनमें से 67 आवेदन स्वीकृत एवं 59 अस्वीकृत हुए। 03 आवेदन आबंटन हेतु प्रक्रियाधीन हैं। दिनांक 15.02.2026 तक एक आवेदक द्वारा उद्योग मेसर्स आदर्श फूड प्रोडक्ट्स की स्थापना की गयी है। शेष 66 उद्योगों में उद्योग स्थापित करने की समयावधि वर्तमान में शेष है। दिनांक 15.02.2026 तक एक भू-खंड (रकबा 600 वर्गमीटर) आबंटन हेतु शेष है।

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में श्रमिक कार्ड एवं श्रमिकों को सामग्री का वितरण

[श्रम]

34. (क्र. 2437) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत श्रम विभाग के द्वारा वर्ष 2024 से दिनांक 15.02.2026 तक कितने-कितने सिलाई मशीन, साईकिल व श्रमिक औजार का वितरण किया गया? (ख) प्रश्नांक (क) के अवधि में कितने श्रमिक कार्ड बनाये जाने हेतु आवेदन प्राप्त हुए एवं कितने लंबित कितने एवं कितने निरस्त किये गये, कितने श्रमिक कार्ड बनाये गये, जानकारी देवें ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2024 से दिनांक 15.02.2026 तक विभाग के अधीन मंडलों अंतर्गत सायकल, सिलाई मशीन एवं श्रमिक औजार वितरित नहीं की गयी है, अपितु छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा सिलाई मशीन, सायकल एवं औजार किट हेतु श्रमिकों को योजना अंतर्गत निम्नानुसार राशि डी.बी.टी. कर लाभान्वित किया गया है-

क्र	योजना का नाम	लाभान्वित निर्माण श्रमिक	व्यय राशि
1	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	381	14,11,140
2	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	02	15,800
3	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	820	28,58,537
	योग	1203	42,85,477

छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत संचालित "सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना" से 05 हितग्राहियों को प्रति श्रमिक 1000/- रूपये के मान से 5000/- रूपये

डी.बी.टी. कर लाभान्वित किया गया है। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत श्रमिक पंजीयन हेतु प्राप्त, लंबित एवं निरस्त आवेदनों तथा पंजीकृत श्रमिकों की मंडलवार जानकारी निम्नानुसार है -

क्र	मंडल का नाम	प्राप्त आवेदन	निरस्त आवेदन	लंबित आवेदन	पंजीकृत श्रमिक/ जारी कार्ड संख्या
1	छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	13815	839	23	12953
2	छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल	1363	200	0	1163

प्रश्नांकित अवधि में छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत 559 संगठित श्रमिक पंजीकृत है। मंडल अंतर्गत संगठित क्षेत्र की स्थापना के नियोक्ता द्वारा स्थापना में कार्यरत श्रमिकों के नाम, पता इत्यादि की प्रविष्टि विभागीय वेबसाईट में ऑनलाइन की जाती है, जिससे श्रमिक स्वतः पंजीकृत हो जाते हैं। छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल में पंजीयन कार्ड जारी करने का प्रावधान नहीं है।

सांसद खेल महोत्सव (बालोद) में हुई कथित अनियमितता

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

35. (क्र. 2446) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बालोद जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के लिए कुल कितना बजट स्वीकृत था और इसमें से कितनी राशि विपणन (Marketing) और कितनी राशि खिलाड़ियों की सुविधाओं (ठहरने और भोजन) पर खर्च की गई? मद-वार विवरण उपलब्ध कराएं। **(ख)** खेल महोत्सव के दौरान खिलाड़ियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था हेतु किस-किस एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई थी?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** जानकारी "निरंक"। **(ख)** जानकारी "निरंक"।

प्री मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना

[स्कूल शिक्षा]

36. (क्र. 2454) श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा (श्री ललित चंद्राकर) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा केन्द्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजना जैसे अग्निवीर या अन्य को प्रोत्साहित करने हेतु प्री मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हेतु राज्य सरकार के द्वारा पहल की गई ? हाँ तो किस-किस स्थान पर और कब-कब ? **(ख)** क्या राज्य सरकार के द्वारा इस हेतु ट्रेनिंग सेंटर खोलने हेतु राशि स्वीकृत की गई है? हाँ तो कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी राशि किस मद में स्वीकृत की गई है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

जिला जांजगीर-चांपा में आबकारी व्यवस्था की अद्यतन स्थिति

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

37. (क्र. 2470) श्री ब्यास कश्यप : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला जांजगीर-चांपा में अवैध शराब निर्माण, परिवहन एवं विक्रय की घटनाओं के विगत तीन वर्षों में दर्ज प्रकरण, अवैध शराब की जल मात्रा, गिरफ्तार आरोपियों एवं न्यायालयीन प्रकरणों की संख्या वर्षवार दें? **(ख)** क्या जिले में प्रश्नांश 'क' अवधि में स्वीकृत देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की संख्या में वृद्धि की गई है?

यदि हां, तो विकासखंडवार विवरण दें ? (ग) जिले में नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रमों पर विगत दो वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई तथा कितने शिविर आयोजित किए गए?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) प्रश्नांश की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जी हां। जिला जांजगीर-चांपा में प्रश्नांश "क" अवधि में विकासखण्ड बम्हनीडीह में 01 प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान खोली गई है। (ग) आबकारी विभाग द्वारा जिले में विगत दो वर्षों में नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम शिविर आयोजित नहीं किये गये है, अतः व्यय राशि की जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनहत्तर"]

भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

38. (क्र. 2473) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-वित्तीय वर्ष 2023 -24 से जनवरी, 2026 तक की अवधि में भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किन-किन योजनाओं / मदों के अंतर्गत कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किए गए हैं ? वर्षवार, योजनावार व स्थानवार जानकारी देवें ? साथ ही पूर्ण/ अपूर्ण की स्थिति से भी अवगत करावें ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : वित्तीय वर्ष 2023-24 से जनवरी, 2026 तक की अवधि में भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य की वर्षवार, योजनावार, राशिवार, स्थानवार एवं पूर्ण, अपूर्ण की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

जिला रायगढ़ अन्तर्गत सी एस आर मद में प्राप्त राशि की जानकारी

[वाणिज्य एवं उद्योग]

39. (क्र. 2480) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला रायगढ़ अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 से जनवरी, 2026 तक किन-किन उद्योगों द्वारा कितनी-कितनी राशि सी एस आर मद में दी गई है? वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** सी एस आर राशि देने तथा प्राप्त राशि को व्यय करने के लिए क्या-क्या नियम मापदंड निर्धारित हैं? उक्त मद में प्राप्त राशि किसके अनुमोदन से एवं किसकी-किसकी निगरानी में किन कार्यों में व्यय की जा सकती है? **(ग)** प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त राशि किन किन कार्यों में कहां कहां व्यय की गई है वर्षवार कार्यों की अद्यतन स्थिति सहित जानकारी देवें? **(घ)** क्या प्राप्त राशि प्रभावित ग्रामों में खर्च नहीं करने तथा किए गए कार्यों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) कार्यालय कलेक्टर (सी.एस.आर. शाखा) रायगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला रायगढ़ अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 से जनवरी, 2026 तक कुल 14 उद्योगों द्वारा राशि 40,12,15,365 रु. सी.एस.आर. मद में जमा की गई। राशि की वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र में दर्शित है। **(ख)** सीएसआर मद की राशि के मापदंड भारत सरकार के कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 की 18) की धारा 135 एवं इसके अधीन कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत निर्धारित हैं। प्रत्येक कम्पनी, जिनका निवल संपत्ति 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या जिसका गत वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये या अधिक हो, के द्वारा गत तीन वर्षों के औसत लाभ का न्यूनतम 2 प्रतिशत व्ययसीएसआर मद में कंपनी के संचालक मंडल की

अनुमोदन एवं निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। सीएसआर मद की राशि का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची 7 में उल्लिखित गतिविधियों यथा भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता प्रोत्साहन, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, वृद्धाश्रम, पर्यावरणीय स्थिरता, वनस्पति और जीव-जंतुओं की सुरक्षा, कृषि वानिकी, राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण इत्यादि में किया जा सकता है। (ग) कार्यालय कलेक्टर (सी.एस.आर. शाखा) रायगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्रंकीत अवधि में प्राप्त राशि से कार्यवार व्यय एवं अद्यतन स्थिति सहित जानकारी **संलग्न प्रपत्र** में दर्शित है। (घ) कार्यालय कलेक्टर (सी.एस.आर. शाखा) रायगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राप्त राशि प्रभावित ग्रामों में खर्च नहीं करने तथा किए गए कार्यों में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तर" \]](#)

जिला बालोद अंतर्गत सड़क मार्ग निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति

[लोक निर्माण]

40. (क्र. 2484) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बालोद अंतर्गत पसौद से झिटिया होते हुए केंवट नवागाँव मार्ग एवं मुख्यमार्ग देवरी से नर्मदाधाम सुरसुली पहुँच मार्ग तथा जगन्नाथपुर से परसदा हेतु हुए पापरा मार्ग की 15.02.2026 तक की स्थिति में प्रगति क्या है ? **(ख)** यदि कार्य अप्रारम्भ है तो प्रशासकीय स्वीकृति होने के बावजूद कार्य अप्रारम्भ होने का क्या कारण है , एवं कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ? जानकारी दें ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** एवं **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इकहत्तर" \]](#)

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/कर्मचारी

[स्कूल शिक्षा]

41. (क्र. 2485) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में कुल कितने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित हैं ? उक्त विद्यालयों में संविदा में कार्यरत कुल कितने शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पद पर कौन-कौन से शिक्षा के माध्यम से कार्यरत, कितने स्वीकृत तथा कितने रिक्त हैं ? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी दें ? **(ख)** स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में व्यायाम शिक्षक की पदों की नियुक्ति हेतु कौन से शिक्षा माध्यम को पात्रता दी जाती है ? जानकारी दें ? **(ग)** क्या विभाग द्वारा उक्त शिक्षक/कर्मचारियों का वेतन वृद्धि, भविष्य सुरक्षा निधि (पी.एफ./ई.पी.एफ.) तथा निः शुल्क उपचार हेतु कोई योजना बनाई गई है ? जानकारी दें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** प्रदेश में कुल 403 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** अंग्रेजी माध्यम। **(ग)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बहत्तर" \]](#)

नगर पंचायत भटगांव में निर्मित व्यावसायिक परिसर

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

42. (क्र. 2576) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या नगर पंचायत भटगांव में अंबेडकर व्यावसायिक परिसर के निर्माण हेतु अड़बंदा

तालाब का चयन किया गया है ? यदि हां तो किस स्थान पर ? नक्शा खसरा एवं विभागीय अनुमति सहित जानकारी दें। (ख) क्या अड़बंधा तालाब का निर्माण नगर पंचायत एवं आसपास के सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई के प्रयोजन हेतु किया गया है ? यदि हां तो उक्त तालाब पर पटाव कार्य/ निर्माण कार्य करने की कोई योजना है ? बतावें। (ग) क्या राष्ट्रीय राज मार्ग अधिनियम के तहत सड़क के 100 मीटर दायरे में खरीदी-बिक्री/निर्माण कार्य नहीं कराया जाता है? यदि हाँ तो फिर प्रस्तावित मार्ग से 5 मीटर के दायरे में स्थित अड़बंधा तालाब में उक्त निर्माण कार्य की अनुमति किस अधिकारी के द्वारा एवं क्यों एवं किस आधार पर दी गई?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) नगर पंचायत भटगांव में अम्बेडकर व्यावसायिक परिसर निर्माण हेतु अड़बंधा तालाब का चयन नहीं किया गया है। अड़बंधा तालाब के बगल स्थित खसरा क्रमांक 2052/2 रकबा 0.0690 निकाय की भूमि को व्यावसायिक परिसर के निर्माण हेतु चयन किया गया है। जिसका चयन कार्यपालन अभियंता जल संसाधन निर्माण संभाग कसडोल के अनापत्ति एवं कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्र. 1 पेंशनबाड़ा रायपुर (छ.ग.) के पत्र में उल्लेखित शर्तों के अधीन न्यायालय कलेक्टर, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ के आदेश क्रमांक 2414 दिनांक 17.06.2025 के द्वारा भूमि खसरा नं. 2052/2 रकबा 0.0690 विधिवत आबंटित है। (ख) अड़बंधा तालाब के खसरा नं. एवं व्यावसायिक परिसर निर्माण हेतु आबंटित भूमि से आस-पास के भूमि पर सिंचाई के प्रयोजन में बाधित नहीं होगी। अड़बंधा तालाब के खसरा नं. में तालाब के मूलभूत परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। (ग) उक्त योजना को मूर्त रूप देने के पूर्व निकाय द्वारा सर्व संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए राजस्व विभाग से उक्त रिक्त शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 2052/2 का निकाय के पक्ष में दुकान निर्माण हेतु आबंटन प्राप्त किया गया। भूमि आबंटन की समस्त प्रक्रिया राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही शुरू होने के दौरान भूमि खरीदी बिक्री पर रोक लगने के पूर्व ही पूर्ण हो चुकी थी। कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्र. 1 पेंशनबाड़ा रायपुर (छ.ग.) का ज्ञाप. क्र. 2133 दिनांक 23.05.2025 में राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 130 बी वर्तमान में 4-लेन सड़क चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित को सड़क के मध्य से 16.50 मीटर छोड़कर निर्माण कार्य कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

प्रदेश में नए औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों की स्थापना

[वाणिज्य एवं उद्योग]

43. (क्र. 2583) श्री राघवेंद्र कुमार सिंह : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में नए औद्योगिक नीति (2024-30) के तहत कितने मध्यम एवं बड़े औद्योगिक इकाइयों द्वारा स्थापना हेतु प्रस्ताव रखा गया है? कितनी कंपनियों से अनुबंध हो चुका है? कितने उद्योगों की स्थापना हो चुकी है? कितना निवेश हुआ? कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुए? उद्योगों को कितनी राशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की गई एवं कितनी राशि लंबित है? सेक्टरवार संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। (ख) उक्त औद्योगिक नीति के तहत कौन-कौन सी विदेशी कंपनियों द्वारा किन-किन स्थानों पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रस्ताव व अनुबंध किया गया है? कंपनियों के नाम, सेक्टर, निवेश राशि सहित संपूर्ण जानकारी प्रदान करें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदेश में नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के तहत 16 मध्यम एवं 116 बड़े औद्योगिक इकाइयों द्वारा स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इन निवेश प्रस्तावों पर कुल 132 इकाइयों को एमओयू/इनविटेशन टू इन्वेस्ट तथा अभिस्वीकृति पत्र जारी किये गए हैं। निवेशकों से प्राप्त जानकारी अनुसार 7 उद्योगों की स्थापना हो चुकी है तथा इनमें राशि 4512.03 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ है। 449 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। उद्योगों को सब्सिडी के रूप में कोई राशि प्रदान नहीं की गई एवं राशि लंबित नहीं

है। सेक्टरवार संपूर्ण जानकारी **संलग्न प्रपत्र अ** अनुसार है। **(ख)** राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के तहत 04 विदेशी कंपनियों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रस्ताव व अनुबंध किया गया है। स्थल चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कंपनियों के नाम, सेक्टर, निवेश राशि सहित संपूर्ण जानकारी **संलग्न प्रपत्र ब** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिहत्तर" \]](#)

प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन

[स्कूल शिक्षा]

44. (क्र. 2584) श्री राघवेंद्र कुमार सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कितनी अनुसंशाओं का क्रियावयन किया जा चुका है तथा शेष अनुसंशाओं का क्रियावयन कब तक किया जावेगा? **(ख)** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक-विद्यार्थियों का अनुपात कितना होना चाहिए? क्या इस वर्ष विभाग द्वारा किए गए युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन किया गया है? **(ग)** प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्र कौन-कौन से हैं? विकासखण्ड/जिले का नाम बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात (PTR) 30:1 होना चाहिए। जी हाँ युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन किया गया है। **(ग)** जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौहत्तर" \]](#)

खेलों का आयोजन व प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्रवाई

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

45. (क्र. 2601) श्री धरमलाल कौशिक : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत 2 वर्षों में खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा कितने व कौन-कौन से आयोजन राष्ट्रीय, राज्य व अन्य स्तर के कराये गए ? व इन आयोजन के लिए कितना-कितना बजट प्रावधान किया गया व कितना व्यय किया गया व कितना शेष है? क्या किसी आयोजन के बजट में वृद्धि हुई? यदि हाँ, तो कितना व किस स्तर पर अनुमोदन लिया गया? क्या विभाग के किसी आयोजन में सीएजी/आंतरिक ऑडिट द्वारा आपत्तियाँ दर्ज की गईं? उनका निराकरण क्या हुआ? आपत्तियाँ वार जानकारी दें। **(ख)** कडिका **(क)** अवधि में उक्त आयोजन हेतु कौन-कौन सी सामग्री व सेवा प्राप्त करने के लिये जेम पोर्टल के अतिरिक्त किस पद्धति से कितनी मात्रा, दर एवं राशि की क्रय की गई है? जानकारी दें। उक्तानुसार सामग्री आपूर्ति करने वाली किस-किस फर्म/संस्था को कितना-कितना भुगतान किया गया कितना शेष है फर्मवार, सामग्रीवार वर्षवार जानकारी दें।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** जी हाँ। जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **"प्रपत्र-अ, ब, स एवं द"** अनुसार एवं विभाग के किसी भी आयोजन में सीएजी/आंतरिक ऑडिट द्वारा आपत्तियाँ दर्ज नहीं की गई है। अतः उक्त जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्नांश **(ख)** की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **"प्रपत्र - ई, फ, म एवं य"** अनुसार।

समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत जारी निविद

[स्कूल शिक्षा]

46. (क्र. 2602) श्री धरमलाल कौशिक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत 2 वित्तीय वर्षों में प्रदेश को समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत केन्द्र एवं राज्यांश से कितनी राशि प्राप्त

हुई व कितनी व्यय की गई? वर्षवार जानकारी देवें। **(ख)** कडिका **(क)** अवधि में रायपुर एवं बिलासपुर संभाग में योजनांतर्गत कौन-कौन सी सामग्री जेम पोर्टल पर निविदा के माध्यम से एवं कौन-कौन सी सामग्री जेम पोर्टल के अतिरिक्त किस माध्यम/प्रकार/पद्धति से कितनी मात्रा एवं राशि की क्रय की गई है? जानकारी देवें। उक्तानुसार सामग्री आपूर्ति करने वाली किस-किस फर्म/संस्था को कितना-कितना भुगतान किया गया कितना शेष है फर्मवार, सामग्रीवार वर्षवार जानकारी देवें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) विगत 2 वित्तीय वर्षों में प्रदेश को समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत केंद्र एवं राज्यांश से कितनी राशि प्राप्त हुई व कितनी व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

वित्तीयवर्ष	प्रारंभिक शेष	केन्द्रांश राशि	राज्यांश राशि	कुल प्राप्त राशि	व्यय राशि
2023-24	40728.00	77659.00	51773.00	170160.00	137394.00
2024-25	27212.00	83065.00	55377.00	165654.00	118990.00

(ख) रायपुर एवं बिलासपुर संभाग में योजना अंतर्गत सी०एस०आई०डी०सी० के रेट कांटेक्ट के माध्यम से सामग्रियों का क्रय किया गया है। सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्म/संस्था का नाम, भुगतान राशि, शेष राशि फर्मवार सामग्रीवार वर्षवार जानकारी संलग्न 'प्रपत्र-अ एवं ब' अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचहत्तर"]

लैलुंगा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पुलों का रख-रखाव

[लोक निर्माण]

47. (क्र. 2617) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सेतु निर्माण द्वारा निर्मित पुलों की औसत आवागमन अवधि कितनी होती है ? **(ख)** यदि हां तो लैलुंगा विधानसभा क्षेत्र के रामपुर से गोवर्धनपुर मार्ग में केलो नदी पर बना गोवर्धनपुर पुल मे बने कितनी अवधि हो गई हैं? क्या उक्त पुल खराब हो गया यदि हां तो इसके क्या कारण है? **(ग)** क्या इस पुल के निर्माण कार्य में लापरवाही की गयी है? यदि हां तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** सेतु निर्माण द्वारा निर्मित पुलों की औसत आवागमन अवधि 100 वर्ष मानक है। **(ख)** सेतु निर्माण कार्य दिनांक 30.03.2010 को पूर्ण किया था। अतः निर्माण हुए 15 वर्ष की अवधि हुई है। जी हाँ, पुल का स्लैब खराब हो गया है। इतनी जल्दी स्लैब खराब हो जाने के कारणों की जाँच एवं कारण का पता लगाने हेतु शासन के निर्देशानुसार मुख्य अभियंता सेतु परिक्षेत्र द्वारा जाँच की जा रही है। **(ग)** मुख्य अभियंता सेतु परिक्षेत्र द्वारा जाँच की जा रही है।

रायगढ़ जिले में निर्माणधीन पुलों का अनुबंध

[लोक निर्माण]

48. (क्र. 2618) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या सेतु संभाग रायगढ़ में 31 दिसम्बर 2025 की स्थिति में 4 वर्ष से कितने पुल के निर्माण कार्य चल रहे हैं यदि हां तो क्यों? **(ख)** कार्य का नाम अनुबंधक का नाम/अनुबंध क्रमांक दिनांक इत्यादि बतावें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** एवं **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छिहत्तर"]

शराब दुकानों में शासन की बिना अनुमति के स्टाफ भर्ती की जांच

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

49. (क्र. 2636) श्री बालेश्वर साहू : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2022 से दिनांक 15.02.2026 तक की स्थिति में, जांजगीर चाम्पा व सक्ती जिले के अंतर्गत संचालित देशी विदेशी शराब दुकानों में कितने स्टाफ की भर्ती की गई है? कृपया, वर्षवार, पद एवं वेतनमान सहित जानकारी दें? (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार की गई भर्ती के लिए शासन से कब-कब अनुमति ली गई और जिन पदों की भर्ती के लिए अनुमति नहीं ली गई है इसके क्या कारण हैं ? कृपया, जानकारी दें? (ग) प्रश्नांक "क" एवं "ख" के अनुसार जिन पदों की भर्ती के लिए शासन से अनुमति नहीं ली गई, क्या शासन उसकी जांच कर कार्यवाही करेगी ? हां, तो कब तक कृपया, जानकारी दें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) प्रश्नांश की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) प्रश्नांक 'क' के अनुसार की गई भर्ती के लिए विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-3/2017/वा.कर (आब.)/पांच दिनांक 17.03.2017 एवं पत्र क्रमांक एफ 10-3/2017/वा.कर (आब.)/पांच दिनांक 12.07.2017 द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। शराब दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा आऊटसोर्सिंग के माध्यम से निविदा शर्तों के अधीन स्टाफ को नियोजित किया जाता है, जिसके लिए सक्षम स्तर से अनुमति ली जाती है। (ग) प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सतत्तर"]

छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सामग्री की आपूर्ति

[ग्रामोद्योग]

50. (क्र. 2637) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2023-24 से जनवरी, 2026 तक छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त सामग्री आपूर्ति आदेश के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड अंतर्गत आने वाली ईकाईयों से तथा अन्य बाहरी व बोर्ड में पंजीकृत प्राईवेट आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्था से कुल कितनी-कितनी राशि, मात्रा की क्या-क्या सामग्री आपूर्ति कराई गई? जानकारी दें? (ख) क्या यह सही है कि बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों के लिये सामग्री आपूर्ति कार्य-आदेश बिना निविदा आमंत्रित किये जारी किए गए? यदि हाँ तो कितने कार्य-आदेश और कितनी राशि के जारी किये गए? वर्षवार जानकारी दें? (ग) क्या सामग्री आपूर्ति बिना बाजार दर से तुलना के कराई गई है तथा आपूर्तिकर्ता फर्मों को भुगतान सामग्री के बिना गुणवत्ता परीक्षण/भौतिक सत्यापन के किया गया है? जानकारी दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** एवं **प्रपत्र-ब** अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) सामग्री आपूर्ति बाजार दर से तुलना करके नहीं, अपितु बोर्ड द्वारा सामग्री आपूर्ति बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों अनुसार एवं संचालक मंडल में पारित निर्णय के परिपालन में पंजीकृत इकाईयों से दर मंगाकर न्यूनतम दर के आधार पर की गई है तथा संबंधित विभागों को सामग्री आपूर्ति कर विभागों से सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण/भौतिक सत्यापन होने की प्रमाणित पावती प्राप्त होने के उपरांत फर्म को भुगतान की गई है।

जिला कबीरधाम में संचालित एकल शिक्षकीय विद्यालय

[स्कूल शिक्षा]

51. (क्र. 2652) श्रीमती भावना बोहरा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला कबीरधाम में संचालित एकल शिक्षकीय विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? विधानसभावार एवं

विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ख)** कबीरधाम जिले में व्यक्तिव्युक्तकरण की प्रक्रिया से प्रभावित कौन-कौन से विद्यालय हैं? विधानसभावार एवं विकासखण्डवार विद्यालयों के नाम, स्थान एवं प्रभावित शिक्षकों/पदों के विवरण सहित जानकारी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अ अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र ब अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अठहत्तर" \]](#)

परंपरागत एवं कुटीर उद्योगों हेतु संचालित योजनाएं

[ग्रामोद्योग]

52. (क्र. 2653) श्रीमती भावना बोहरा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या राज्य सरकार द्वारा परंपरागत एवं कुटीर उद्योगों (हथकरघा, हस्तशिल्प आदि) के संरक्षण, संवर्धन एवं विपणन हेतु कोई विशेष योजना संचालित की जा रही है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें? **(ख)** कबीरधाम जिले में उक्त योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में कितने हथकरघा/हस्तशिल्प कारीगर एवं कुटीर उद्योग इकाईयाँ पंजीकृत हैं? विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ग)** कबीरधाम जिले में परंपरागत कारीगरों को प्रशिक्षण, डिजाइन उन्नयन एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पिछले दो वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई है? विकासखण्डवार जानकारी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत परंपरागत एवं कुटीर उद्योगों के संरक्षण, संवर्धन एवं विपणन हेतु कोई विशेष योजना संचालित नहीं है, अपितु विभाग अंतर्गत परंपरागत एवं कुटीर उद्योगों हेतु समग्र हाथकरघा विकास योजना, रिवाल्विंग फण्ड योजना, हाथकरघा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य, हाथकरघा उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु सहायता, बाजार अध्ययन, हाथकरघा बुनकर पुरस्कार योजना, कम्बल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, टसर रेशम विकास एवं विस्तार योजना, मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, कारीगर प्रशिक्षण योजना, हस्तशिल्प विकास योजनाओं हेतु अनुदान, शिल्पियों को उन्नत औजार उपकरण/कर्मशाला निर्माण सहायता, परंपरागत शिल्पकारों/बेरोजगार युवकों को रोजगार हेतु प्रशिक्षण, राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार योजना, हस्तशिल्पियों को कार्यशील पूंजी अनुदान, शिल्पी/शिल्पियों के बच्चों हेतु डिजाईन एवं विकास शिक्षा योजना, प्रदर्शनी प्रचार-प्रसार योजना तथा कुम्भकार टेराकोटा योजना संचालित है। **(ख)** कबीरधाम जिले के कवर्धा विकासखण्ड में 01 बुनकर सहकारी समिति, बोड़ला विकासखण्ड में 01 रेशम कृमिपालन समूह एवं 01 कुम्हार, पंडरिया विकासखण्ड में 01 कुम्हार तथा सहसपुर-लोहारा विकासखण्ड में 15 कुम्हार इस प्रकार जिले में कुल 01 बुनकर सहकारी समिति, 01 रेशम कृमिपालन समूह एवं 17 कुम्हार पंजीकृत है। **(ग)** कबीरधाम जिले में विगत दो वर्षों में कुम्भकार टेराकोटा योजनांतर्गत सहसपुर-लोहारा विकासखण्ड के 03 कुम्भकारों को निशुल्क विद्युत चाक वितरण किया गया है, जिसमें कुल राशि ₹. 0.65 लाख व्यय की गई है। शेष विकासखण्ड कवर्धा, बोड़ला एवं पंडरिया की जानकारी निरंक है।

छत्तीसगढ़ में पेयजल योजनाओं की स्थिति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

53. (क्र. 2663) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ में शहरी / ग्रामीण पेयजल योजनाओं (स्वीकृत, पूर्ण, अपूर्ण, अप्रारंभ) की जानकारी जिलावार वर्ष 2024 -25, 2025 -26 की स्थिति में वर्षवार बताएं? **(ख)** प्रश्नांश 'क' की अपूर्णता के क्या कारण

हैं? कब तक पूर्ण कर दी जाएगी? समय सीमा में पूरा न कर पाने के जिम्मेदार व्यक्ति व एजेंसी के विरुद्ध उक्तावधि में क्या कार्यवाही की गई? जिलावार बताएं? (ग) 18 फरवरी, 2026 की स्थिति में महासमुंद जिले में किन-किन स्थानों, ग्रामों में पेयजल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पेयजल उपलब्ध नहीं है? विकासखंडवार बताएं? इन स्थानों में गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) छत्तीसगढ़ में ग्रामीण पेयजल योजनाओं (स्वीकृत, पूर्ण, अपूर्ण, अप्रारंभ) की वर्ष 2024-25, 2025-26 की स्थिति में वर्षवार एवं जिलावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** एवं शहरी पेयजल योजनाओं की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' की अपूर्णता, पूर्ण, समय-सीमा में पूरा न कर पाने के जिम्मेदार व्यक्ति व एजेंसी के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जिलावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** एवं **प्रपत्र-ब** अनुसार है। (ग) 18 फरवरी, 2026 की स्थिति में महासमुंद जिले के स्थानों एवं ग्रामों में पेयजल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप उपलब्ध नहीं होने की जानकारी निरंक है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्यासी"]

जिला महासमुंद में नगरीय निकायों में कार्यों की स्वीकृति एवं कार्यों की भौतिक स्थिति

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

54. (क्र. 2665) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला महासमुंद में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत) को राज्य मद एवं केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा उसमें से वास्तविक व्यय कितनी राशि का हुआ? निकायवार बताएं? **(ख)** उक्त अवधि में जिला महासमुंद में स्वीकृत विकास कार्यों (सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज) में से कितने कार्य पूर्ण, प्रगतिरत एवं लंबित हैं? लंबित कार्यों का कारण बतायें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जिला महासमुंद में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत) को राज्य मद एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत कुल स्वीकृत राशि एवं वास्तविक व्यय राशि की निकायवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** (ख) उक्त अवधि में जिला महासमुंद में स्वीकृत विकास कार्यों (सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाईट, सीवरेज) में से पूर्ण/प्रगतिरत/लंबित कार्यों की जानकारी तथा लंबित होने का कारण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - अस्सी"]

लोक निर्माण विभाग अंतर्गत तखतपुर वि.स. क्षेत्र के बजट में शामिल कार्य

[लोक निर्माण]

55. (क्र. 2671) श्री धर्मजीत सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के बजट में कौन-कौन से कार्यों को शामिल किया गया था? **(ख)** कंडिका "क" के कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति मिल गई है एवं कौन-कौन से कार्य लंबित हैं? **(ग)** कंडिका "क" के स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) (ख) एवं (ग) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।**

तखतपुर नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत विगत 02 वर्षों में स्वीकृत कार्य

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

56. (क्र. 2672) श्री धर्मजीत सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **:- (क)** तखतपुर नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत विगत 02 वर्षों में कौन-कौन से मद से कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुए हैं? **(ख)** कंडिका "क" के कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण एवं अप्रारंभ हैं? **(ग)** कंडिका "क" के अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्य को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** नगर पालिका तखतपुर को विगत 02 वर्षों में मदवार स्वीकृति की जानकारी निम्नानुसार है:-

नगर पालिका तखतपुर

क्र वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि लाख में	पूर्ण कार्यो की संख्या	अपूर्ण कार्यो की संख्या	अप्रारंभ कार्यो की संख्या
1	अधोसरचना	485.88	23	21	1
2	रा.प्र.वि.यो.	0.00	0	0	0
3	केन्द्र प्रवर्तित (14 वित्त)	0.00	0	0	0
4	वर्ष 2024 (01 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक)	केन्द्र प्रवर्तित (15 वित्त)	310.97	16	1
5		स्वच्छ भारत मिशन (शहरी 2.0)	28.20	0	1
6		प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0	0.00	0	0
7		मिशन अमृत 2.0	4719.16	0	1
योग		5544.21	39	24	2
1	अधोसरचना	367.86	0	3	0
2	रा.प्र.वि.यो.	107.28	0	0	1
3	केन्द्र प्रवर्तित (14 वित्त)	0.00	0	0	0
4	वर्ष 2025 (01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक)	केन्द्र प्रवर्तित (15 वित्त)	64.10	0	0
5		स्वच्छ भारत मिशन (शहरी 2.0)	718.51	0	0
6		प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0	248.96	0	54
7		मिशन अमृत 2.0	0.00	0	0
योग		1506.71	0	57	17

मदवार कार्यवार **जानकारी पुस्ताकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।(ख)** प्रश्नांश "ख" की जानकारी पुस्ताकालय में रखे प्रपत्र में समाहित है।**(ख)** प्रश्नांश "ग" की जानकारी पुस्ताकालय में रखे प्रपत्र में समाहित है।

महासमुंद जिले में प्रस्तावित खेल मैदान, मिनी स्टेडियम

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

57. (क्र. 2676) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** महासमुंद जिले में वर्ष 2023-24 से फरवरी, 2026 तक की स्थिति में कहाँ-कहाँ पर खेल मैदान, मिनी स्टेडियम एवं राजीव गांधी खेल स्टेडियम के अंतर्गत स्टेडियम निर्माण के संबंध में स्थानीय स्तर से शासन को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? विकासखंडवार जानकारी दें? **(ख)** खेल मैदान, मिनी स्टेडियम के संबंध में विगत दो वर्षों में कहाँ-कहाँ के लिए, कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? विकासखंडवार जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार। **(ख)** जानकारी "निरंक" है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्यासी "]

महासमुंद जिले में सड़क मरम्मत एवं संधारण मद में व्यय राशि

[लोक निर्माण]

58. (क्र. 2677) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-महासमुंद जिले में विगत 03 वर्षों में कौन-कौन सी पुरानी एवं जर्जर सड़कों में कितनी-कितनी लागत के मरम्मत/संधारण कार्य किन-किन एजेंसियों के माध्यम से कराये गये हैं? वर्षवार, सड़कों के नाम, व्यय राशि की जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार दें ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के कर्मचारियों का मानदेय भुगतान

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

59. (क्र. 2684) श्री दलेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन संचालित है? यदि हाँ तो उक्त योजना में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या उक्त कार्यरत कर्मचारियों को अक्टूबर, 2025 से 20/02/26 तक का मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सका है यदि हां तो भुगतान नहीं करने का क्या कारण है? लंबित मानदेय कब तक जारी कर दिया जावेगा? क्या वैकल्पिक व्यवस्था जैसे चुंगी क्षतिपूर्ति/निकाय मद/राज्य सहकारी विकास अभिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजना के मदों में उपलब्ध राशि से मानव संसाधन के मानदेय भुगतान करने का प्रावधान है यदि? हाँ तो मानदेय का भुगतान उक्त मदों से क्यों नहीं किया गया है? जिलेवार लंबित मानदेय भुगतान की माहवार, कर्मचारीवार जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : वर्तमान में प्रदेश में दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन संचालित नहीं है। अपितु दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(डेएनयूएलएम) संचालित थी। योजना की समयावधि सितम्बर 2024 को समाप्त हो चुकी है। राशि की उपलब्धता एवं योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मानव संसाधन के मानदेय का भुगतान किया जा सकता है। तदनुसार राशि की उपलब्धता के आधार पर डेएनयूएलएम अंतर्गत संयोजित मानवबल को सितंबर 2025 तक का मानदेय भुगतान किया गया है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

राजनांगांव जिला के वि.ख. डोंगरगांव में संचालित मदरसा

[स्कूल शिक्षा]

60. (क्र. 2685) श्री दलेश्वर साह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) राजनांगांव जिला के वि.ख. डोंगरगांव में संचालित मदरसा रहीमिया दारूल उलूम, गौसिया नगर, डोंगरगांव को राज्य मदरसा बोर्ड/संबंधित विभाग से विधिवत मान्यता प्राप्त है ? यदि हां तो उसकी मान्यता की अवधि एवं पंजीयन क्रमांक क्या है ? (ख) क्या यह सत्य है कि उक्त मदरसे का पंजीयन समाप्त होने के पश्चात भी उसी पंजीयन क्रमांक का उल्लेखन कर चंदा/राशि वसूली की गई ? यदि हां तो इस संबंध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त हुई एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई है? (ग) नाजरा (प्राथमिक) स्तर की मान्यता होने के बावजूद दारूल उलूम (उच्च स्तर) की पढ़ाई कराई गई? यदि हां तो क्या यह नियमों का उल्लंघन है एवं इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) :(क) मदरसा रहीमिया दारूल उलूम गौसिया नगर डोंगरगांव जिला राजनांगांव छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड से सत्र 2016-17 नाजरा स्तर पर पंजीकृत हुआ था। जिसका पंजीयन क्रमांक 78600044 दिनांक 13.01.2017 उसकी मान्यता की अवधि पंजीयन दिनांक से 1 वर्ष थी। (ख) जी हाँ। मदरसा द्वारा पंजीयन क्रमांक का उल्लेख कर चंदा वसूली संबंधी शिकायत छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड को प्राप्त हुई है। मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसा के पंजीयन एवं अन्य कार्यवाही हेतु जिला शिक्षा अधिकारी राजनांगांव को पत्र प्रेषित किया गया है। जाँच प्रक्रियाधीन है। (ग) छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसों को आधुनिक शिक्षा कक्षा 01 से 05 प्राथमिक स्तर, कक्षा 06 से 08 तक पूर्व माध्यमिक स्तर एवं नाजरा औपचारिक धार्मिक शिक्षा हेतु पंजीकृत किया जाता है। उच्च स्तर की धार्मिक शिक्षा हेतु मदरसे अपनी सुविधानुसार संचालित करते हैं। शेषांश का प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा विभाग में संविलियन पश्चात शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

61. (क्र. 2692) श्री सुशांत शुक्ला : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा संचालित स्कूलों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है? यदि हां तो कब किया गया? (ख) क्या नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्कूलों के संचालन हेतु नगरीय निकाय क्षेत्र में शिक्षा उपकर लिया जाता था? यदि हां तो संविलियन पश्चात क्या इसे समाप्त कर दिया गया है? यदि नहीं तो अभी भी शिक्षा उपकर लिये जाने का कारण और औचित्य बताएं ? (ग) प्रश्नांश "ख" की स्कूलों के संविलियन पश्चात जनवरी, 2026 तक ली जा रही शिक्षा उपकर से कितना राजस्व प्राप्त हुआ? प्राप्त राशि का उपयोग किन-किन कार्यों में किया जा रहा है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 1-2/2015/1/एक दिनांक 05.03.2019 के द्वारा समस्त शालाओं का प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है। (ख) जी हाँ। शासन के आदेश क्र. 605/740/18-3 /2000 दिनांक 15.03.2000 के द्वारा शिक्षा उपकर लिया जाता है। निकायों द्वारा संचालित स्कूलों के प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपे जाने के पश्चात् भी शासन के निर्देश क्र. 3174 दिनांक 02.05.2017 के अधीन निकायों द्वारा शिक्षा उपकर की राशि से निकाय के स्वयं के मद से निर्मित स्कूल भवन, ज्ञानस्थली योजना के तहत निर्मित भवन एवं अतिरिक्त कक्ष, निकाय को शासन से हस्तांतरित स्कूल भवन, अन्य शासकीय योजनाओं के तहत निर्मित स्कूल भवन एवं अतिरिक्त कक्ष व ऐसे शाला भवन या शाला में निर्मित अतिरिक्त कक्ष जो निकाय को

दान स्वरूप प्राप्त हुआ हो, के संधारण कार्य शिक्षा उपकर की राशि से की जाती है। (ग) वर्ष 2018-19 से जनवरी 2026 तक नगरीय निकायों को शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व की राशि एवं कराये जाने वाले कार्यों की सूची संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बयासी"]

औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं एवं औद्योगिक इकाइयों को दिए गए अनुदान/सब्सिडी

[वाणिज्य एवं उद्योग]

62. (क्र. 2710) श्री ओंकार साहू : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) राज्य में औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान में कौन-कौन सी औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाएँ संचालित की जा रही हैं तथा धमतरी जिला एवं कांकेर जिला में विगत वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी औद्योगिक इकाइयों को अनुदान/सब्सिडी स्वीकृत एवं वितरित की गई है? इकाइवार एवं जिला-वार विवरण सदन पटल पर रखा जाए? (ख) उक्त अवधि में औद्योगिक प्रोत्साहन मद अंतर्गत धमतरी एवं कांकेर जिलों के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा उसमें से कितनी राशि का वास्तविक भुगतान किया गया है? यदि कोई राशि लंबित है तो उसके कारण क्या हैं? (ग) क्या धमतरी एवं कांकेर जिलों में अनुदान/सब्सिडी के दुरुपयोग, गलत दावा अथवा निर्धारित शर्तों के उल्लंघन की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही का विवरण दे?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) राज्य में औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान में प्रचलित औद्योगिक विकास नीति 2024-30 अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन यथा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क से छूट, स्टाम्प शुल्क से छूट, नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति, मंडी शुल्क से छूट, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान, रोजगार अनुदान, परिवहन अनुदान, प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति, औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत, जल एवं ऊर्जा दक्षता (एनर्जी ऑडिट) व्यय प्रतिपूर्ति आदि का प्रावधान किया गया है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से प्राप्त जानकारी अनुसार धमतरी जिला एवं कांकेर जिला में विगत वित्तीय वर्ष में औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत किसी औद्योगिक इकाई को अनुदान/सब्सिडी स्वीकृत एवं वितरित नहीं की गई है। (ख) जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, धमतरी से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त अवधि में पूर्व की औद्योगिक नीति 2014-19 तथा औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत औद्योगिक प्रोत्साहन मद अंतर्गत धमतरी जिले के लिए कुल राशि 4,84,28,701 रुपये स्वीकृत की गयी है एवं उसमें से राशि 4,71,74,721 रुपये का वास्तविक भुगतान किया गया है। वर्तमान में समस्त स्वीकृत राशि का भुगतान किया जा चुका है एवं कोई राशि वितरण हेतु लंबित नहीं है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, कांकेर से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त अवधि में पूर्व की औद्योगिक नीति 2014-19 तथा औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत औद्योगिक प्रोत्साहन मद अंतर्गत कांकेर जिले के लिए कुल राशि 22,60,15,597.40 रुपये स्वीकृत की गयी है एवं उसमें से राशि 22,54,04,348.40 रुपये का वास्तविक भुगतान किया गया है। वर्तमान में 03 इकाइयों का राशि 6,11,249 रु. अनुदान वितरण हेतु लंबित है, जिसमें एक इकाई का वितरण स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति प्रक्रियाधीन होने के कारण तथा दो इकाइयों का वितरण बज़ट अभाव में लंबित है। (ग) धमतरी एवं कांकेर जिलों में अनुदान/सब्सिडी के दुरुपयोग, गलत दावा अथवा निर्धारित शर्तों के उल्लंघन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा शासकीय संस्थाओं के समीप सड़क निर्माण
[लोक निर्माण]

63. (क्र. 2717) सुश्री लता उसेंडी : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्र, शालाओं, स्वास्थ्य केंद्रों एवं राशन दुकान के पास आवागमन हेतु पक्की सड़क की व्यवस्था उपलब्ध है? यदि नहीं तो उक्त हेतु क्या विभाग के पास कोई प्रस्ताव/ पत्र प्राप्त हुआ है? **(ख)** क्या विभाग द्वारा जिले अंतर्गत पूर्व में कंडिका क अनुसार कोई सर्वे का कार्य किया गया है? यदि हां तो क्या उक्त सर्वे उपरांत आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किया गया है? **(ग)** क्या कोंडागांव जिले अंतर्गत स्थिति बाईपास मार्ग के एक्सटेंशन हेतु विभाग को कोई प्रस्ताव या पत्र प्राप्त हुआ है? उक्त की स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करावें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित स्थानों तक पक्की सड़क की उपलब्धता के संबंध में जानकारी विभाग में उपलब्ध नहीं है। जी हां। **(ख)** जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता। **(ग)** जी हां। उक्त कार्य का परीक्षण किया जा रहा है।

कोंडागांव जिले में जल जीवन मिशन योजना का निर्धारित लक्ष्य
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

64. (क्र. 2718) सुश्री लता उसेंडी : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** कोंडागांव जिले में विभाग अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत सभी ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित है? **(ख)** क्या जिले अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत जल उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त मात्रा में जल स्रोत उपलब्ध हैं? क्या जिले अंतर्गत विभाग द्वारा जल प्रदाय करने हेतु इंटेकवेल बनाने हेतु कोई योजना प्रस्तावित है जानकारी देवे?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** कोणडागांव जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत 571 ग्रामों में 126576 घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। **(ख)** जी नहीं। जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

जिला रायपुर अंतर्गत आर0टी0ई0 अंतर्गत प्रवेश के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]

65. (क्र. 2721) श्री मोतीलाल साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला रायपुर अंतर्गत वर्ष 2024 से दिनांक 01.01.2026 तक आर0टी0ई0 के तहत प्रवेशित छात्रों/छात्राओं का विवरण देवें? वर्षवार, स्कूलवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नावधि में कितने छात्र/छात्राओं ने स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) हेतु आवेदन किया? टीसी लिये जाने के बाद भी छात्र/छात्राओं का नाम उक्त विद्यालय से नहीं काटे जाने की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई? उस पर की गई कार्यवाही की जानकारी देवें? **(ग)** प्रवेशित कितने छात्रों को उक्त योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 25-26 में कितनी राशि प्रदान की गयी? स्कूल/संस्थावार जानकारी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** जिला रायपुर अंतर्गत आर.टी.ई.के तहत सत्र 2024-25 में प्रवेशित छात्र/छात्राओं की संख्या 4481 एवं सत्र 2025-26 में संख्या 4695 है। जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र के कॉलम नम्बर 2 से 4 अनुसार है।** **(ख)** प्रश्नावधि में कुल 2015 छात्र/छात्राओं ने स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) हेतु आवेदन किया। टीसी लिये जाने के बाद भी छात्र/छात्राओं का नाम उक्त विद्यालय से नहीं काटे

जाने की शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।(ग) सत्रवार प्रवेशित छात्रों एवं उक्त योजना अंतर्गत राशि भुगतान की जानकारी निम्नानुसार है:-

सत्र	आर.टी.ई.के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या	शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान की गई राशि
2023-24	4732	15,64,55,728
2024-25	4481	43,05,79,484
2025-26	4695	15,43,39,097

संस्थावार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र के कॉलम नं. 9 से 14 अनुसार है।

नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत सफाई व्यवस्था

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

66. (क्र. 2722) श्री मोतीलाल साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** नगर निगम रायपुर में सफाई कर्मचारी, स्वीपिंग मशीन, मिस्ट मशीन का उपयोग किन मार्गों पर किया जा रहा है? **(ख)** प्रश्नांक क अंतर्गत किन-किन कंपनी/एजेंसी को कार्यदिश दिया गया है? पृथक-पृथक जानकारी दें? **(ग)** क्या कचरा कलेक्शन मशीन के खराब होने की स्थिति में तथा मरम्मत होते तक, दूसरे वाहन को भेजे जाने की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यो अब तक उक्त कंपनी को वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 25-26 (01.01.2026 तक) में कितना भुगतान एवं कटौती की गयी? **(घ)** स्वीपिंग मशीन एवं मिस्ट मशीन का उपयोग किन क्षेत्रों में तथा कितने अंतराल में किया जा रहा है? उक्त मशीन की खरीदी लागत एवं नियम-शर्तों का विवरण दें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :**(क)** नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) अंतर्गत मुख्य मार्गों की नियमित एवं विशेष साफ-सफाई कराई जाती है। इसके साथ-साथ वी.आई.पी. कार्यक्रमों एवं विशेष कार्यक्रमों के अवसर पर भी आवश्यकतानुसार विशेष सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है एवं कैनल रोड, वी.आई.पी. रोड, एक्सप्रेस-वे सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर साफ-सफाई का कार्य संपादित किया जाता है। साथ ही बाजार क्षेत्रों एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में भी विशेष सफाई अभियान चलाया जाता है। संबंधित जोनों द्वारा मांग अनुसार एवं आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती कर कार्यवाही की जाती है, जिससे स्वच्छता व्यवस्था प्रभावी एवं व्यवस्थित बनी रहे तथा जोन क्रमांक 01 से 10 अंतर्गत आने वाले प्रत्येक जोन के समस्त 07 वार्डों में सफाई व्यवस्था हेतु किया जाता है। मिस्ट मशीन का उपयोग निम्नलिखित मार्गों में किया जा रहा है- 1. चाँदनी चौक से भाठागाँव चौक होते हुए शीतला चौक तक एवं आस पास के मुख्य मार्गों में। 2. टाटीबंध चौक से एम्स तक एवं आस पास के मुख्य मार्गों में। 3. घड़ी चौक से देवेन्द्र नगर, सिटी सेन्टर मॉल, कपड़ा मार्केट पंडरी एवं आस पास के मुख्य मार्गों में। 4. घड़ी चौक से जयस्तंभ चौक तक एवं आस पास के मुख्य मार्गों में। घड़ी चौक से रेल्वे स्टेशन तक एवं आस पास के मुख्य मार्गों में। नगर पालिक निगम, रायपुर क्षेत्रांतर्गत मशीनीकृत स्वीपिंग मशीन से चिन्हांकित मार्गों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। जिसकी सूची **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख)** मशीनीकृत स्वीपिंग मशीन से मार्गों की सफाई हेतु मेसर्स ग्लोबल गुज वेस्ट मैनेजमेंट एलएलपी के साथ दिनांक 13.07.2021 को अनुबंध निष्पादित कर कार्यदिश क्रमांक 804/SWM/नपानि/2021-22 रायपुर दिनांक 14.07.2021 तथा दिनांक 17.10.2025 को अनुबंध निष्पादित कर कार्यदिश क्रमांक 609/ SWM /नपानि/2025-26 रायपुर दिनांक 17.10.2025 को जारी किया गया है। मिस्ट मशीन हेतु मेसर्स रोहित गर्ग, नोएडा (उ.प्र.) को दिनांक 17.07.2025 को कार्यदिश जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय एवं जोन क्रमांक-01 से 10 अंतर्गत सफाई कार्य हेतु कंपनी/एजेंसी की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।(ग)** मशीनीकृत स्वीपिंग मशीन के खराब होने पर रिजर्व्ड स्वीपिंग

मशीन से चिन्हांकित मार्गों की सफाई की जाती है। अब तक उक्त कंपनी को 2023-24, 2024-25 एवं 25-26 (01.01.2026) में निम्नानुसार भुगतान एवं कटौती की गयी है:-

वर्ष	भुगतान राशि (रू. लाख में)	कटौती राशि (रू. लाख में)
2023-24	1046.00	4.68
2024-25	1203.00	6.24
2025-26(01.01.2026)	1272.00	8.28

(घ) नगर पालिक निगम, रायपुर क्षेत्रांतर्गत विभिन्न मार्गों 07 स्वीपिंग वाहनों से कुल सड़क लम्बाई 149.58 किलोमीटर के 2 लेन, 4 लेन एवं 6 लेन कुल 70 चिन्हांकित मार्गों की मशीनीकृत स्वीपिंग मशीन से 1 दिवस के अंतराल में सप्ताह में 3 दिवस सड़क सफाई कार्य किया जा रहा है। नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा मशीनीकृत स्वीपिंग मशीन के माध्यम से सड़क सफाई कार्य किया जा रहा है। सर्विस लिया जा रहा है। उक्त मशीन क्रय नहीं किया गया है। मिस्ट मशीन का उपयोग शहर के मुख्य मार्गों, निर्माणाधीन क्षेत्रों, व्यस्त बाजार क्षेत्रों एवं अधिक यातायात वाले मार्गों पर किया जा रहा है एवं चक्रानुक्रम में प्रतिदिवस किया जाता है। शहर में 02 मिस्ट मशीनें हैं जिसकी खरीदी लागत राशि रू. 59.59 लाख है। मिस्ट मशीन का क्रय ईप्राक्योरमेंट पोर्टल में ऑनलाईन निविदा आमंत्रित कर किया गया है। जिसमें निविदाकार द्वारा मिस्ट मशीन का सप्लाई कार्य किया गया है, तथा इसका संचालन-संधारणकार्य नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा किया जाता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरासी"]

जल जीवन मिशन के निर्माण कार्यों में लापरवाही, गुणवत्ताहीन निर्माण

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

67. (क्र. 2732) श्री संदीप साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या जल जीवन मिशन तथा अन्य निर्माण कार्यों में लापरवाही, गुणवत्ताहीन निर्माण एवं समय-सीमा का पालन न करने के कारण जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के जिला प्रशासन द्वारा 5 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त 5 ठेकेदारों के नाम, फर्म का पंजीयन विवरण, कायदेशि संख्या एवं कार्य की प्रकृति क्या थी? (ख) संबंधित कार्यों की स्वीकृत लागत, अब तक किया गया भुगतान तथा शेष देय राशि का विवरण क्या है? (ग) लापरवाही/अनियमितता की प्रकृति क्या थी तथा किस स्तर के अधिकारियों द्वारा तकनीकी परीक्षण/निरीक्षण किया गया? क्या अनियमितता पाई गई है? और क्या कार्रवाई की गई है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

प्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायालयों में दीवानी एवं फौजदारी के लंबित प्रकरण

[विधि एवं विधायी कार्य]

68. (क्र. 2734) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) 15 फरवरी, 2026 की स्थिति में प्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायालयों में दीवानी एवं फौजदारी के कुल कितने प्रकरण प्रचलन में हैं? जिलेवार जानकारी देवें? (ख) विगत 03 वर्षों में प्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायालयों में दीवानी एवं फौजदारी के कितने प्रकरणों पर निर्णय पारित किया गया है? वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : उत्तर (क) 15 फरवरी, 2026 की स्थिति में प्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायालयों में दीवानी एवं फौजदारी के कुल प्रचलित प्रकरणों की जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार

है। **(ख)** विगत 03 वर्षों में प्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायालयों में दीवानी एवं फौजदारी के जितने प्रकरणों पर निर्णय पारित किया गया है उसकी वर्षवार, जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौरासी"]

श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाएं तथा प्राप्त एवं व्यय राशि

[श्रम]

69. (क्र. 2735) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** श्रम विभाग के अंतर्गत बालोद जिले में राज्य एवं केन्द्र सरकार की कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित हैं? **(ख)** विगत 03 वर्षों में श्रम विभाग जिला बालोद को किन-किन योजनाओं/मदों में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है एवं प्राप्त राशि का उपयोग किन-किन योजनाओं/मदों में कितना-कितना किया गया है? वर्षवार, योजनावार/मदवार जानकारी देवें? **(ग)** विगत 03 वर्षों में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के कितने हितग्राहियों को विभाग की किन-किन योजनाओं से लाभान्वित किया गया है? जानकारी देवें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** विभाग के अधीन छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल तथा छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत वर्तमान में संचालित योजनाओं की मंडलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ'** अनुसार है।**(ख)** विगत 03 वर्षों (वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल व छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा जिला बालोद को मदवार आबंटित तथा योजनावार व्यय राशि की मंडलवार एवं वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-'ब'** अनुसार है।छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत जिलावार बजट आबंटन करने का प्रावधान नहीं है।**(ग)** संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 03 वर्षों (वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल तथा छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की मंडलवार एवं योजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-'स'** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चासी"]

रायपुर संभाग में उद्योगों द्वारा सी.एस.आर. मद से आबंटित राशि

[वाणिज्य एवं उद्योग]

70. (क्र. 2747) श्री पुरन्दर मिश्रा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 में रायपुर संभाग के किन-किन शासकीय/सार्वजनिक/प्रायवेट उद्योगों द्वारा सी.एस.आर. मद की राशि कितनी-कितनी प्रदाय की गई? उद्योग वार,वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्न 'क' अनुसार उक्त अवधि में प्राप्त सी.एस.आर. मद की राशि किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी व्यय की गई? वर्षवार जानकारी देवें? **(ग)** क्या प्रश्न 'क' अनुसार अवधि में अनेक उद्योग समूहों द्वारा सी.एस.आर. मद की राशि नहीं दी गई है? यदि हां, तो कब से व किनके द्वारा?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** कलेक्टर, जिला-रायपुर, कलेक्टर, जिला-धमतरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-महासमुंद तथा राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार, वर्ष 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 में रायपुर संभाग के शासकीय/सार्वजनिक/ प्राइवेट उद्योगों द्वारा सीएसआर मद में राशि 11,23,06,848 रुपये प्रदाय की गई है; उद्योगवार, वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।कलेक्टर जिला बलौदाबाज़ार-भाटापारा एवं मुख्य कार्यपालन

अधिकारी, जिला पंचायत-गरियाबंद से प्राप्त जानकारी अनुसार, उपरोक्त अवधि में सीएसआर मद में कोई राशि जिला प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है। (ख) जिला-रायपुर, जिला-धमतरी, जिला-महासमुंद तथा राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार, उत्तरांश (क) की अवधि में प्राप्त सीएसआर मद की व्यय राशि 9,16,79,889 रुपये की कार्यवार एवं वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ग) संलग्न प्रपत्र में वर्षवार उल्लिखित से भिन्न, रायपुर संभाग के अन्य उद्योगों द्वारा सी.एस.आर. मद की राशि नहीं दी गई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छियासी" \]](#)

छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों में आरटीई सीटों का प्रवेश

[स्कूल शिक्षा]

71. (क्र. 2755) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** शासन द्वारा आरटीई के तहत प्रवेश को केवल इस वर्ष कक्षा 1 तक करने के क्या कारण है? **(ख)** जिन स्कूलों में कक्षा 1 प्रवेश स्तर नहीं है उन स्कूलों में RTE के तहत प्रवेश हेतु आरक्षित 25% सीट्स किस प्रकार भरी जाएंगी? जानकारी दे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" केवल 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिये लागू है। **(ख)** जिन स्कूलों में कक्षा 1 प्रवेश स्तर नहीं है उन स्कूलों में RTE के तहत प्रवेश देने का प्रावधान नहीं है।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सामग्री आपूर्ति में अनियमिता की प्राप्त शिकायतें

[ग्रामोद्योग]

72. (क्र. 2760) श्री रामकुमार यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** अप्रैल, 2024 से फरवरी, 2026 तक छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को कृषि विकास एवं किसान कल्याण, स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभागों से किन-किन सामग्री की आपूर्ति हेतु आदेश प्राप्त हुए हैं? विभागवार एवं राशिवार जानकारी दें? **(ख)** बोर्ड द्वारा प्रश्नांश 'क' अनुसार इन सामग्रियों की आपूर्ति किस प्रकार से कराई गई? क्या छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? आपूर्ति की गई सामग्री का भुगतान कितना किन-किन फर्मों/संस्था को किया गया है? तिथिवार, सामग्रीवार, आपूर्ति मात्रावार, दर एवं कुल राशिवार जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांश 'ख' अनुसार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अंतर्गत कितनी आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्था किन-किन सामग्री आपूर्ति के लिए पंजीकृत किया गया है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : **(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सामग्री की आपूर्ति बोर्ड द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं बोर्ड से पंजीकृत इकाईयों के माध्यम से की गई है। जी हां। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। **(ग)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।

अंतर्राष्ट्रीय शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम को लीज पर दिया जाना

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

73. (क्र. 2771) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छ.ग. शासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम रायपुर को 30 वर्षों की लीज पर बी.सी.सी.आई/सी.एस.सी.एस. को किस आधार पर दिया गया है? **(ख)** उक्त स्टेडियम को

लीज पर देने से शासन को प्रतिवर्ष कितने रूपयों का लाभ होगा तथा आयोजित होने वाले प्रतियोगिता हेतु टिकटों का शेयर कितना-कितना है? बी.सी.सी. आई/सी.एस.सी.एस. द्वारा कितने मैच का आयोजन किया जा चुका है तथा उसमें शासन को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है? (ग) आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता हेतु कुल कितने कॉम्पलीमेंटरी/फ्री टिकट का वितरण किया गया है तथा उसकी राशि का वहन किसके द्वारा की गया है? क्या शासन को कॉम्पलीमेंटरी/फ्री टिकटों के वितरण से कोई आर्थिक हानि होती है? जानकारी दें ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 14.11.2025 में प्राप्त अनुमोदन के उपरांत शासन से जारी आदेश दिनांक 18.11.2025 के आधार छ.ग. राज्य क्रिकेट संघ के साथ समझौता अनुबंध निष्पादित कर लीज पर दिया गया है। राज्य शासन के अनुमति उपरांत 30 वर्षों के लिए समझौता अनुबंध (MOU) निष्पादन कर दिया गया है। (ख) लीज समझौता अनुबंध (MOU) अनुसार छ.ग. क्रिकेट संघ (cscs) द्वारा शासन को प्रतिवर्ष 1.50 करोड़ प्रदान किये जाने का प्रावधान है। प्रतियोगिताओं में कुल टिकटों का 02 प्रतिशत टिकट तथा 02 कार्पोरेट बाक्स खेल एवं युवा कल्याण विभाग हेतु आरक्षित है। लीज समझौता अनुबंध (MOU) उपरांत 02 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें शासन को कुल 40 लाख राजस्व की प्राप्ति हो चुकी है। (ग) जानकारी निरंक।

जिला गौरेला-पेंडा-मरवाही में अवैध कॉलोनी विकास करने की शिकायत

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

74. (क्र. 2785) श्री प्रणव कुमार मरपची : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-वर्ष 2025 में जिला गौरेला-पेंडा-मरवाही में कितने अवैध कॉलोनी विकास करने की शिकायत प्राप्त हुई है ? उस पर क्या कार्यवाही की गई है? नगरवार, नाम सहित जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : वर्ष 2025 में जिला गौरेला-पेंडा-मरवाही के नगर पालिका परिषद गौरेला, पेण्ड्रा एवं नगर पंचायत मरवाही में अवैध कॉलोनी विकास करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विधानसभा क्षेत्र महासमुंद के सड़कों की मरम्मत/उन्नयन कार्य

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

75. (क्र. 2793) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र महासमुंद के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से फरवरी, 2026 तक नगरीय क्षेत्रों में गड्ढा मुक्त सड़क योजना के अंतर्गत कितनी सड़कों की मरम्मत / उन्नयन किया गया ? वर्षवार सड़कों के नाम एवं स्वीकृत राशि सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" के कार्यों में अनियमितता की कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई ? बतावें ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में गड्ढा मुक्त सड़क योजना प्रचलित नहीं है। विधानसभा क्षेत्र महासमुंद अंतर्गत वर्ष 2023-24 से फरवरी, 2026 तक नगरीय क्षेत्रों में विभागीय प्रचलित मदों से सड़कों के मरम्मत/उन्नयन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	निकाय का नाम	मद का नाम	वित्तीय वर्ष	मरम्मत/ उन्नयन हेतु स्वीकृत सी.सी.रोड/बी.टी.रोड की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख में)	
1	न.पा.महासमुन्द	अधोसंरचना	2023-24	0	0.00	
			2024-25	22	66.09	
			2025-26 (28 फरवरी 2026 तक)	3	7.27	
			योग	25	73.36	
		14वां वित्त	2023-24	0	0.00	
			2024-25	0	0.00	
			2025-26 ¼(28 फरवरी 2026 तक)	0	0.00	
			योग	0	0.00	
		15वां वित्त	2023-24	0	0.00	
			2024-25	0	0.00	
			2025-26 (28 फरवरी 2026 तक)	0	0.00	
			योग	0	0.00	
		कुल योग			25	73.36

क्र.	निकाय का नाम	मद का नाम	वित्तीय वर्ष	मरम्मत/ उन्नयन हेतु स्वीकृत सी.सी.रोड/बी.टी.रोड की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख में)	
2	न.पं.तुमगांव	अधोसंरचना	2023-24	26	102.88	
			2024-25	4	28.91	
			2025-26 (28 फरवरी 2026 तक)	0	0.00	
			योग	30	131.79	
		14वां वित्त	2023-24	0	0.00	
			2024-25	0	0.00	
			2025-26 (28 फरवरी 2026 तक)	0	0.00	
			योग	0	0.00	
		15वां वित्त	2023-24	0	0.00	
			2024-25	0	0.00	
			2025-26 (28 फरवरी 2026 तक)	0	0.00	
			योग	0	0.00	
		कुल योग			30	131.79

निकायवार, वर्षवार, सड़कों के नाम एवं स्वीकृत राशि की विस्तृत जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।
(ख) प्रश्नांश "क" के कार्यों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तासी"]

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बोर खनन कार्यों की स्थिति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

76. (क्र. 2800) श्री दीपेश साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** बेमेतरा विधानसभा अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को विगत 03 वर्षों में विभिन्न मदों से कितने बोर खनन कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए? उनमें से कितने स्वीकृत किए गए? स्वीकृत कार्यों में से कितने पूर्ण तथा कितने अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों का वर्षवार विवरण प्रदान करें? **(ख)** उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्यों का भुगतान किया जा चुका है तथा कितने कार्यों का भुगतान लंबित है? वर्षवार एवं मदवार जानकारी प्रदान करें? **(ग)** ऐसा कितने प्रकरण है जिसमें स्थल परिवर्तन के कारण कार्य अपूर्ण/लंबित है? स्थल परिवर्तन की स्वीकृति देने हेतु सक्षम अधिकारी कौन है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को विगत 03 वर्षों में विभिन्न मदों से 121 बोर खनन कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए। उनमें से 76 कार्य स्वीकृत किये गये। स्वीकृत कार्य में सभी 76 पूर्ण है। वर्षवार विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** स्वीकृत कार्यों में सभी 76 का भुगतान किया जा चुका है। वर्षवार एवं मदवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग)** स्थल परिवर्तन के कारण बोर खनन कार्य अपूर्ण/लंबित की जानकारी निरंक है। ट्यूबवेल की प्रशासकीय स्वीकृति देने हेतु सक्षम अधिकारी ही स्थल परिवर्तन की स्वीकृति देने हेतु सक्षम अधिकारी है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टासी"]

विधानसभा बिन्द्रानवागढ़ अंतर्गत नवीन हायर सेकंडरी विद्यालय भवन का निर्माण

[स्कूल शिक्षा]


77. (क्र. 2805) श्री जनक ध्रुव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-विधानसभा बिन्द्रानवागढ़ अंतर्गत कितने स्थानों पर नवीन हायर सेकेंडरी विद्यालय भवन के निर्माण हेतु निविदा जारी की गई है? निविदा की राशि कितनी है तथा किस-किस निविदाकार से कार्य हेतु अनुबंध संपादित किया गया है? विद्यालयवार जानकारी दें? निर्माण कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है तथा कितनी-कितनी राशि निविदाकार को भुगतान की जा चुकी है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : जानकारी निम्नानुसार है:-

स्थान का नाम	निविदा की राशि (लाख में)	निविदाकार का नाम	निर्माण कार्य की भौतिक स्थिति	निविदाकार को भुगतान राशि (लाख में)
कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल वि.खं. देवभोग	104.01	मुकुल चंद्राकर	नींव खुदाई कार्य प्रगति पर।	8.04
हायर सेकेण्डरी स्कूल उरमाल वि.खं. मैनपुर	127.47	अनिल कुमार चन्सोरिया	छज्जा लेबल तक कार्य पूर्ण।	18.61
हायर सेकेण्डरी स्कूल धुरवागुड़ी वि.खं. मैनपुर	123.42	अनिल कुमार चन्सोरिया	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर।	73.73

↓
तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
परींशष्ट - एक
तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 2570) की जानकारी

प्रपत्



17. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य मुख्य आयुक्त का चुनाव :-

(i) अध्यक्ष-

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं राज्य मुख्य आयुक्त पद पर मनोनीत किया जायेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षामंत्री प्रदेश राज्य अध्यक्ष मनोनीत होंगे। तदनुसार राज्य परिषद द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व राज्य मुख्य आयुक्त का कार्यकाल एवं शक्तियां रूल्स बुक चेप्टर-03 के अनुसार होगी। अध्यक्ष अपनी सुविधा अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं।

(ii) उपाध्यक्ष-

(a)- एक या एक से अधिक उपाध्यक्ष होंगे लेकिन 12 से अधिक नहीं होंगे। इनमें से 06 महिलाएं होंगी।

(iii) राज्य मुख्य आयुक्त-

(a)- राज्य मुख्य आयुक्त पद पर यथायोग्य व्यक्ति को राज्य के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत किया जायेगा जिसे राज्य परिषद अनुमोदित करेगी। उक्त पद हेतु रूल्स बुक 66.1 लागू नहीं होंगे शेष सभी चेप्टर-3 विधान रूल्स बुक एवं ए.पी.आर. ओ-1,2,3 स्कीम ऑफ ट्रेनिंग पुस्तकों में उल्लिखित नियम सामान्यतया छत्तीसगढ़ भारत स्काउट्स एवं गाइड्स संस्था में मान्य होंगे तथा लागू होंगे।

(b)- राज्य मुख्य आयुक्त 05 वर्ष के लिए या राज्य परिषद की अवधि तक के लिए पद में रह सकते हैं, बशर्ते वह तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं हो जाता।

(iv) राज्य कोषाध्यक्ष -

(a)- भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य के सदस्यों में से राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा राज्य कार्यकारिणी की सहमति से राज्य कोषाध्यक्ष मनोनीत किया जायेगा जो वित्तीय प्रणाली में विशेषज्ञ होंगे।

(b)- कोषाध्यक्ष का कार्यकाल एक समय में 05 वर्ष के लिए या राज्य कार्यकारिणी समिति की कार्य अवधि तक के लिए पद में रह सकते हैं, बशर्ते वह तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं हो जाता। किसी कारण से पद रिक्त होने की स्थिति में राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा शेष कार्यकाल के लिए नये कोषाध्यक्ष के रूप में संघ के किसी भी सदस्य को इस पद पर मनोनीत किया जा सकेगा।

सहायक सचालक
लोक शिक्षण नया रायपुर,

STATE SECRETARY
BHARAT SCOUTS & GUIDES
CHHATTISGARH

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
महानदी भवन
रायपुर, अटल नगर


परोशेष्ट - दो

तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 960) की जानकारी

प्रपत्र

रायपुर जिले में विकासखंडवार युक्तियुक्तकृत शालाओं की सूची

क्रमांक	जिला	विकासखंड	युक्तियुक्तकरण शालाओं की संख्या	रिमॉक
1	2	3	4	5
1	रायपुर	धरसीवा	135	
2	रायपुर	आरंग	96	
3	रायपुर	अभनपुर	74	
4	रायपुर	तिल्दा	84	
योग			389	



सहायक संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग.



अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
संचालनालय, महानदी भवन
नया रायपुर, अटल नगर

स.क्र.	जिला का नाम	कार्यरत अतिथि शिक्षकों की विषयवार संख्या						योग
		अंग्रेजी	गणित	भौतिक	रसायन	जीवविज्ञान	वाणिज्य	
1	बिलासपुर	0	0	0	0	0	0	0
2	जीपीएम	14	6	0	6	10	3	39
3	जांजगीर-चांपा	0	0	0	0	0	0	0
4	कोरबा	8	9	4	3	10	23	57
5	मुंगेली	0	0	0	0	0	0	0
6	रायगढ़	21	10	6	12	18	3	70
7	सक्ती	0	0	1	0	1	1	3
8	सारंगढ़-बिलाईगढ़	4	8	3	7	9	0	31
9	नारायणपुर	8	10	2	2	9	5	36
10	कांकेर	25	28	10	18	19	26	126
11	बस्तर	45	21	5	18	28	17	134
12	बीजापुर	4	9	2	10	11	12	48
13	सुकमा	18	7	2	2	13	6	48
14	कोंडागांव	52	21	3	18	44	3	141
15	दन्तेवाड़ा	11	4	0	9	7	0	31
16	महासमुंद	4	5	1	2	8	2	22
17	धमतरी	1	4	0	2	2	3	12
18	बलौदाबाजार- भाटापारा	6	4	4	4	9	1	28
19	गरियाबंद	15	18	7	11	20	11	82
20	रायपुर	0	0	0	0	0	0	0
21	मो.मा.अं.चौ.	11	8	2	9	4	0	34
22	बालोद	5	2	2	3	0	1	13
23	दुर्ग	0	0	0	0	0	0	0
24	बेमेतरा	0	0	0	0	0	0	0
25	राजनांदगांव	0	0	0	0	0	0	0



अनुभाग-अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

स.क्र.	जिला का नाम	कार्यरत अतिथि शिक्षकों की विषयवार संख्या						योग
		अंग्रेजी	गणित	भौतिक	रसायन	जीवविज्ञान	वाणिज्य	
26	कबीरधाम	3	2	2	1	2	1	11
27	खैरागढ़	0	0	0	0	0	0	0
28	सरगुजा	22	26	4	11	7	2	72
29	मनेन्द्रगढ़-चिरमीरी- भरतपुर	34	14	2	15	24	8	97
30	जशपुर	0	4	1	5	0	0	10
31	बलरामपुर	56	54	14	23	42	31	220
32	सूरजपुर	36	26	6	16	29	17	130
33	कोरिया	9	8	5	5	10	6	43
महायोग		412	308	88	212	336	182	1538


उप संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय



अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, नंदा रायपुर, अटल नगर


परोशेष्ट - चार

तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 2691) की जानकारी

प्रपत्र अ

संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) छ0ग0 नियम, 1973 के अंतर्गत ठेकेदार को अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु नियम, शर्तों एवं प्रावधान की जानकारी

क्र0	धारा/नियम	प्रावधान
1	धारा 1(4) (क) तथा (ख)	(क) ऐसे प्रत्येक स्थापन को लागू होता है जिसमें बीस या इससे अधिक कर्मकार ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन नियोजित थे ; (ख) ऐसे प्रत्येक ठेकेदार को लागू होता है, जो बीस या इससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है या जिसने पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन बीस या इससे अधिक कर्मकार नियोजित किए थे :
2	धारा 13	अनुज्ञप्तियों का प्रदान किया जाना - (1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की जाने के लिए प्रत्येक आवेदन विहित प्ररूप में किया जाएगा और उसमें स्थापन की अवस्थिति तथा उस प्रक्रिया, संक्रिया या काम की, जिसके लिए ठेका श्रमिकों का नियोजन किया जाना है, प्रकृति से सम्बन्धित विशिष्टियां और ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाए। (2) अनुज्ञापन अधिकारी उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन के बारे में ऐसा अन्वेषण कर सकेगा और ऐसा कोई अन्वेषण करते समय अनुज्ञापन अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाए। (3) इस अध्याय के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगी और उसका समय-समय पर नवीकरण ऐसी अवधि के लिए और ऐसी फीस देने पर तथा ऐसी शर्तों पर किया जा सकेगा जो विहित की जाएं।
3	नियम 21	अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन- (1) अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने के लिये ठेकेदार द्वारा प्रत्येक आवेदनपत्र प्ररूप-"चार" में, उस क्षेत्र, जिसमें स्थापना अवस्थित हो, जिसके संबंध में वह ठेकेदार हो, के अनुज्ञापन प्राधिकारी को छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के श्रमिक सेवा पोर्टल पर ऑनलाईन किया जायेगा। (2) अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ प्ररूप "5" में प्रमुख नियोजक का इस आशय का प्रमाणपत्र की प्रति अपलोड की जायेगी। आवेदक को उसके स्थापन के सम्बन्ध में ठेकेदार के रूप में उसके द्वारा नियुक्त किया गया है, और यह कि वह आवेदक द्वारा ठेका श्रमिकों के नियोजन के सम्बन्ध में अधिनियम के समस्त उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों का जहां तक कि वे उपबन्ध उसे प्रमुख नियोजक के रूप में उसे लागू होते हैं पालन किये जाने का जिम्मा लेता है। (3) विलोपित। (4) आवेदक द्वारा उप-नियम (1) में निर्दिष्ट ई-आवेदन के प्रस्तुत किए जाने पर स्वचालित पावती, वेब-पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से सृजित होगी। (5) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में नियम 24 में विनिर्दिष्ट दरों पर निक्षेप की प्रतिभूति और नियम 26 में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क का संदाय ई-पेमेंट द्वारा किया जायेगा।


अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर

4	नियम 22	<p>ये बातें जिन पर अनुज्ञप्ति की मंजूरी देते समय या उसे नामंजूर करते समय ध्यान दिया जायेगा— अनुज्ञप्ति मंजूर करते या नामंजूर करते समय अनुज्ञापन प्राधिकारी निम्नलिखित बातों पर ध्यान देगा, अर्थात्—</p> <p>(क) क्या आवेदक—</p> <p>(i) अवयस्क है, या</p> <p>(ii) विकृत मस्तिष्क का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा इस रूप में घोषित किया गया है ;</p> <p>(iii) अनुन्मुक्त दिवालिया है ; या</p> <p>(iv) (आवेदन करने की तारीख के तत्काल पूर्ववर्ती पाँच वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी समय) ऐसे अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता के अन्तर्गत आता हो,</p> <p>(ख) क्या उस स्थापन में जिसके लिये आवेदक एक ठेकेदार है, इस विशिष्ट प्रकार के कार्य के बारे में ठेका श्रमिकों की समाप्ति के लिये उपयुक्त सरकार का कोई आदेश या कोई पंचाट या समझौता है,</p> <p>(ग) क्या धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन के संबंध में कोई आदेश दिया गया है और यदि ऐसा हो तो क्या ऐसे आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि बीत चुकी है</p> <p>(घ) क्या आवेदन—पत्र के लिये नियम 26 में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस जमा कर दी गई है, और</p> <p>(ङ) क्या आवेदक द्वारा नियम 24 में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिभूति जमा कर दी गई है।</p>
5	नियम 24	<p>प्रतिभूति—</p> <p>1(क) अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के पूर्व ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित किये जाने वाले प्रत्येक कर्मकार के लिये, जिसके कि सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन—पत्र दिया गया है, रु० 1000/- की दर से संगणित राशि ठेकेदार द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों के समय निष्पादन तथा अधिनियम के उपबन्धों के या उसके बनाये गये नियमों के पालन के लिये ई—पेमेंट द्वारा जमा की जायेगी।</p> <p>(ख) जहां आवेदक, अन्य कार्य के संबंध में अनुज्ञप्ति धारण कर रहा हो, और वह अनुज्ञप्ति समाप्त हो चुकी हो, यदि अनुज्ञापन पदाधिकारी का यह विचार हो, कि उस अनुज्ञप्ति के संबंध में जमा प्रतिभूति की किसी राशि को, नियम 31 के अंतर्गत आवेदक को वापस किए जाने का निर्देश दिया जाना है, तो वह संलग्न प्ररूप— पांच—क में उस प्रयोजन के लिए आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन करने पर, नई—अनुज्ञा के लिए जमा की जाने वाली अपेक्षित प्रतिभूति की वापस की जाने वाली राशि को आनलाईन समायोजित कर सकेगा तथा ऐसी दशा में ऐसे समायोजन के बाद शेष राशि यदि कोई हो, ई—पेमेंट के माध्यम से ही आवेदक को जमा करानी होगी।</p> <p>(2) विलोपित ।</p>


अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर

6	नियम 25	<p>अनुज्ञप्ति का प्ररूप और निबन्धन तथा शर्तें -</p> <p>(1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप से सृजित प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्ररूप "6" में होगी।</p> <p>(2) उपनियम (1) के अधीन मंजूर की गई या नियम 29 के अधीन नवीकृत की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी अर्थात् :-</p> <p>(i) अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय होगी;</p> <p>(ii) स्थापन में ठेका श्रमिकों के रूप में नियोजित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी;</p> <p>(iii) इन नियमों में उपबन्धित स्थिति के सिवाय यथास्थिति अनुज्ञप्ति मंजूर किये जाने या उसके नवीकरण के लिये भुगतान की गई फीस लौटाई नहीं जायेगी -</p> <p>(iv) ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को देय मजदूरी की दरें ऐसे नियोजन के लिये जहाँ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) लागू होता हो, उसके अधीन विहित दर से कम नहीं होगी और जहाँ ऐसी दरें करार समझौते या पंचाट द्वारा नियत की गई हों, वहां से इस प्रकार नियत दरों से कम नहीं होगी;</p> <p>(v)(क) ऐसे मामलों में जहाँ ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकार वही या उसी प्रकार का काम करते हों जो कि स्थापन के प्रमुख नियोजक द्वारा सीधे नियोजित कर्मकार करते हों वहाँ ठेकेदार के कर्मकारों के कार्य के घण्टे तथा सेवा की अन्य शर्तें, मजदूरी की दरें, छुट्टियाँ वही होगी जो कि स्थापन के प्रमुख नियोजक द्वारा वही या उसी प्रकार के काम पर सीधे नियोजित कर्मकारों को लागू होती हों :</p> <p>परन्तु उस दशा में जहाँ काम के प्रकार के सम्बन्ध में असहमति हो, वहां उसे श्रम आयुक्त द्वारा विनिश्चित किया जायगा जिसका कि विनिश्चय अंतिम होगा।</p> <p>(ख) अन्य मामलों में ठेकेदार कर्मकारों के कार्य के घण्टे तथा सेवा की शर्तें वही होंगी, जो कि श्रमायुक्त द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाये। स्पष्टीकरण - उपखण्ड (ख) के अधीन मजदूरी की दरें, छुट्टियाँ, कार्य के घण्टे तथा सेवा की अन्य शर्तें विनिश्चित करते समय श्रम आयुक्त समान नियोजनों को लागू मजदूरी की दरें, छुट्टियाँ, कार्य के घण्टे तथा सेवा की शर्तों का सम्यक रूप से ध्यान रखेगा।</p> <p>(vi)(क) ऐसे प्रत्येक स्थापन में, जहां साधारणतया बीस या इससे अधिक महिलाओं को संविदा श्रमिकों के रूप में नियोजित किया जाये, वहां उन्हें छः वर्ष के कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिये समुचित लम्बाई चौड़ाई के दो कमरों की व्यवस्था की जायेगी।</p> <p>(ख) इनमें से एक कमरे का उपयोग बच्चों के लिये खेलने के कमरे के रूप में तथा दूसरे का शयन कक्ष के रूप में किया जायेगा।</p> <p>(ग) ठेकेदार खेल के कमरे में पर्याप्त संख्या में खिलौने तथा खेल के सामान तथा शयन कक्ष में पर्याप्त खाटों तथा बिस्तरों की व्यवस्था करेगा।</p> <p>(घ) शिशुग्रहों के निर्माण तथा अनुरक्षण का स्तर वही होगा जो कि इस सम्बन्ध में श्रम आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।</p> <p>(vii) अनुज्ञप्तिधारी कामगारों की संख्या या कार्य की शर्तों में होने वाले किसी भी परिवर्तन की सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा।</p>
---	---------	--


अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा सूरपुर

		<p>(3) रात्रि पाली में महिला ठेका कर्मकारों के नियोजन एवं शर्तें - ठेकेदार द्वारा, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, महिला कर्मकार को रात्रि 07:00 बजे से सुबह 06:00 बजे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियोजित किया जा सकेगा :-</p> <p>(एक) रात्रिकालीन नियोजन हेतु महिला कर्मकार की सहमति प्ररूप-6(1) में लिया जाना आवश्यक होगा।</p> <p>(दो) रात्रि पाली में कम से कम 03 महिला कर्मचारी का नियोजन किया जाना आवश्यक होगा।</p> <p>(तीन) रात्रि पाली में नियोजित महिला कर्मकारों को कार्यस्थल से उनके निवास तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने हेतु सुरक्षा गार्ड के साथ समुचित वाहन की व्यवस्था की जायेगी। पुलिस द्वारा सत्यापित वाहन, वाहन चालक एवं सुरक्षा गार्ड का विवरण इत्यादि तथा अन्य अपेक्षित जानकारी नियोजक द्वारा रखी जायेगी।</p> <p>(चार) प्रत्येक ठेकेदार कार्यस्थल पर सहजगोचर स्थान पर स्थानीय पुलिस थाना, पुलिस कंट्रोल रूम एवं महिला सहायता केन्द्र का फोन नंबर प्रदर्शित करेगा।</p> <p>(पांच) प्रत्येक ठेकेदार द्वारा दुकान/स्थापना में महिला कर्मियों के लिए पृथक से मूत्रालय एवं शौचालय की व्यवस्था की जायेगी, जिसके दरवाजे में केवल अंदर की ओर से सुरक्षा सिटकनी की व्यवस्था होगी।</p> <p>(छः) किसी महिला कर्मकार को मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 (1961 का सं. 53) के अधीन मातृत्व हितलाभ प्रावधानों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जायेगा।</p> <p>(सात) प्रत्येक कार्यस्थल में पर्याप्त प्रकाश, हवा के साथ-साथ स्वास्थ्य अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जायेगा।</p> <p>(आठ) कार्यस्थल, जहां कि कर्मकारों से लगातार खड़े होकर कार्य की अपेक्षा की जाती हो वहां प्रत्येक कर्मकार के लिए पृथक से बैठने की व्यवस्था नियोजक द्वारा की जायेगी, जिससे कि कर्मकार नियत अन्तराल में आवश्यकतानुरूप बैठ सकें।</p> <p>(नौ) प्रत्येक ठेकेदार, अग्नि से सुरक्षा संबंधी समुचित प्रावधान का पालन करेगा।</p> <p>(दस) कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 14), जो स्थापनाओं पर लागू हो, के उपबंधों का अनुपालन किया जावेगा।</p> <p>(ग्यारह) शाम 07:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के मध्य किसी भी कारखाने या खतरनाक श्रेणी के कार्य में ठेकेदार द्वारा महिलाओं का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।</p>
7	नियम 26	<p>फीस -</p> <p>(2) धारा 12 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु भुगतान किया जाने वाला शुल्क एक रूपये प्रति श्रमिक प्रतिमाह होगी।</p>


अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर

8	नियम 27	अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता - नियम 25 के अधीन मंजूर की गयी प्रत्येक अनुज्ञप्ति, आवेदक द्वारा आवेदित अवधि, जिसके लिये निर्धारित फीस जमा कर दी गयी है, तक के लिए प्रवृत्त रहेगी।
---	---------	--


अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर

पत्र - "ब"

FORM VI
[See Rule 25 (1)]



GOVERNMENT OF CHHATTISGARH

Office of Licensing Officer **BILASPUR (Chhattisgarh)**

License No. : **BSP/2021/40022124**

Date : **11/08/2021**

Fee paid Rs. : **480.00**

License

Licence is hereby granted to **M/S ASHOK KHANDELWAL PARTNER PARAG DOSHI**
C/O BIPIN DOSHI TULSI NEHRU GARDEN KE PASS RATNABANDHI

Under Section 12(1) of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 for employment
of **20 Contract Labours**, subject to the conditions specified in the Annexure.

Nature of work : **Construction Services of Commercial buildings, n.e.c**

Place of Work : **HIGH COURT PARISAR BODRI**

Name of work : **माननीय उच्च न्यायालय परिसर बोदरी बिलासपुर में 07 नाग कोर्ट रूम का निर्माण कार्य**

Work Order No : **ज्ञाप क्रमांक 1040/ व.ले.लि./2020-21**

Name of Principal Employer **OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD (B/R) DIVISIO**
and Address **NEAR JHULELAL DHARMSHALA CHAKARBHATA CAMP**

The licence shall remain in force **From 04/05/2020 To 03/04/2022**

Date : -----

Digitally signed by
JYOTI SHARMA
Date: 2021.08.11
17:55:04 +05'30'


Licensing Officer


अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर

Annexure

The licence is subject to the following conditions :-

1. The licence shall be non-transferable.
2. The number of workmen employed as contract labour in the establishment shall not, on any day, exceed **20 Labour**
3. Except as provided in the rules the fees paid for the grant, or as the case may be, for renewal of the licence shall be non refundable.
4. The rates or wages payable to the workmen by the contractor shall not be less than the rates prescribed for the Schedule of employment under the Minimum Wages Act, 1948, Where applicable, and where the rates have been fixed by agreement, settlement or award, not less than the rates fixed.
5. In cases where the workmen employed by the contractor perform the same or similar kind of work as the workmen directly employed by the principal employer of the establishment, the wage-rates, holidays hours of work and other conditions of service of the workmen of the contractor shall be the same as applicable to the workmen directly employed by the principal employer of the establishment on the same or similar kind of work: Provided that in the case of any disagreement with regard to the type of work the same shall be decided by the Labour Commissioner whose decision shall be final.
6. In other cases the wage-rates, holidays, hours of work and conditions of service of the workmen of the Contractor shall be such as may be specified in this behalf by the Labour Commissioner.
7. In every establishment where 20 or more women are ordinarily employed as contract labour there shall be provided 2 rooms of reasonable dimensions for the use of the children under the age of six years, One of such rooms would be used as play room for the children and the other as bed room for the children. For this purpose the contractor shall supply adequate number of toys and games in the play room and sufficient number of cots and beddings in the sleeping-room, The standard of construction and maintenance of the crèches may be such as may be specified in this behalf by the Labour Commissioner.
8. The licensee shall notify any change in the number or workmen or the conditions of work to the Licensing Officer.


अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर

FORM VI
[See Rule 25 (1)]



GOVERNMENT OF CHHATTISGARH

Office of Licensing Officer **BILASPUR (Chhattisgarh)**

License No. : **BSP/2023/40032200**

Date : **13/07/2023**

Fee paid Rs. : **500.00**

License

Licence is hereby granted to **M/S ASHOK KHANDELWAL PARTNER PARAG DOSHI**
C/O BIPIN DOSHI TULSI NEHRU GARDEN KE PASS RATNABANDH

Under Section 12(1) of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 for employment
of **20 Contract Labours**, subject to the conditions specified in the Annexure.

Nature of work : **Labour supply services**

Place of Work : **CHHATTISGARH HIGH COURT**

Name of work : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय परिसर बोदरी बिलासपुर में द्वितीय चरण के अंतर्गत 72 नग एफ़
टाइप 112 नग एच टाइप एवं 172 नग आई टाइप शासकीय आवास गृह निर्माण कार्य वा स से फि एवं
विद्युतीकरण सहित

Work Order No : **ज्ञाप क्रमांक/6837/ब ले लि/2022-23**

Name of Principal Employer **OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIVISION 2** and

Address **CHAKARBHATA CAMP**

The licence shall remain in force **From 03/07/2023 To 31/07/2025**

Date : -----

JYOTI

Digitally signed
by JYOTI SHARMA

SHARMA

Date: 2023.07.13
13:24:01 +05'30'

Licensing Officer


अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर

Annexure

The licence is subject to the following conditions :-

1. The licence shall be non-transferable.
2. The number of workmen employed as contract labour in the establishment shall not, on any day, exceed **20 Labour**
3. Except as provided in the rules the fees paid for the grant, or as the case may be, for renewal of the licence shall be non refundable.
4. The rates or wages payable to the workmen by the contractor shall not be less than the rates prescribed for the Schedule of employment under the Minimum Wages Act, 1948, Where applicable, and where the rates have been fixed by agreement, settlement or award, not less than the rates fixed.
5. In cases where the workmen employed by the contractor perform the same or similar kind of work as the workmen directly employed by the principal employer of the establishment, the wage-rates, holidays hours of work and other conditions of service of the workmen of the contractor shall be the same as applicable to the workmen directly employed by the principal employer of the establishment on the same or similar kind of work: Provided that in the case of any disagreement with regard to the type of work the same shall be decided by the Labour Commissioner whose decision shall be final.
6. In other cases the wage-rates, holidays, hours of work and conditions of service of the workmen of the Contractor shall be such as may be specified in this behalf by the Labour Commissioner.
7. In every establishment where 20 or more women are ordinarily employed as contract labour there shall be provided 2 rooms of reasonable dimensions for the use of the children under the age of six years, One of such rooms would be used as play room for the children and the other as bed room for the children. For this purpose the contractor shall supply adequate number of toys and games in the play room and sufficient number of cots and beddings in the sleeping-room, The standard of construction and maintenance of the crèches may be such as may be specified in this behalf by the Labour Commissioner.
8. The licensee shall notify any change in the number or workmen or the conditions of work to the Licensing Officer.


अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
भटल नगर, नवा सन्धपुर

परोशिष्ट - पाँच

तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 1089) की जानकारी

प्रपत्र

जिला-बिलासपुर में अवैध शराब के (निर्माण, विक्रय, भण्डारण, परिवहन) दर्ज प्रकरण एवं की गई कार्यवाही की जानकारी						
वर्ष 2022-23						
क्र.	थाना का नाम	आबकारी विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से अवैध शराब के प्रकरण की कार्यवाही का विवरण				
		कार्यवाही की संख्या	दर्ज प्रकरण की संख्या	जप्त मदिरा की मात्रा (ली.में.)	आरोपियों की संख्या	जप्त वाहन की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	तोरवा	14	14	263.4	0	0
2	चकरभाठा	77	77	1165	37	2
3	कोटा	69	69	666.39	50	0
4	सकरी	28	28	174.23	21	0
5	सिविल लाईन	14	14	321.12	8	1
6	कोनी	59	59	460.12	41	0
7	सरकण्डा	4	4	141.245	6	0
8	सीपत	108	108	1639.5	76	1
9	तखतपुर	111	111	1357.145	99	3
10	रतनपुर	34	34	436	23	0
11	बेलगहना	7	7	51.50	6	0
12	मस्तूरी	28	28	441.98	23	1
13	पचपेडी	68	68	1348.09	49	0
14	मोपका	3	3	84.00	1	0
15	हिर्री	10	10	59.4	7	0
16	सिटी कोतवाली	1	1	0.00	1	0
17	जूनापारा	1	1	3.50	1	1
18	बिल्हा	25	25	219.5	15	0
19	मल्हार	3	3	9.000	3	0

वर्ष 2023-24

क्र.	थाना का नाम	आबकारी विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से अवैध शराब के प्रकरण की कार्यवाही का विवरण				
		कार्यवाही की संख्या	दर्ज प्रकरण की संख्या	जप्त मदिरा की मात्रा (ली.में.)	आरोपियों की संख्या	जप्त वाहन की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	तोरवा	18	18	224.43	4	1
2	चकरभाठा	62	62	1991.52	30	0
3	कोटा	80	80	2080.87	48	0
4	सकरी	27	27	673.76	23	0
5	सिविल लाईन	10	10	279.24	7	1
6	कोनी	41	41	671.44	22	0
7	सरकण्डा	7	7	100.04	8	0
8	सीपत	106	106	2157.4	57	0
9	तखतपुर	28	28	425.54	17	0
10	रतनपुर	26	26	396	17	0
11	बेलगहना	6	6	80.50	4	0
12	मस्तूरी	25	25	713.32	13	0
13	पचपेड़ी	62	62	2712.62	31	2
14	हिर्री	22	22	672.22	10	1
15	बिल्हा	17	17	238.56	10	0
16	जूनापारा	26	26	400.18	24	0
17	सिरगिट्टी	2	2	16	2	0
18	मल्हार	2	2	3.6	2	0

वर्ष 2024-25

क्र.	थाना का नाम	आबकारी विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से अवैध शराब के प्रकरण की कार्यवाही का विवरण				
		कार्यवाही की संख्या	दर्ज प्रकरण की संख्या	जप्त मदिरा की मात्रा (ली.में.)	आरोपियों की संख्या	जप्त वाहन की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	तोरवा	14	14	163.5	3	0
2	चकरभाठा	41	41	18029.09	18	1
3	कोटा	45	45	1366.65	22	0
4	सकरी	7	7	134.32	6	0
5	सिविल लाईन	12	12	129.855	10	2
6	कोनी	54	54	701.7	33	0
7	सरकण्डा	18	18	275.88	14	1
8	सीपत	61	61	448.64	30	1
9	तखतपुर	44	44	305.9	24	0
10	रतनपुर	8	8	198.64	3	0
11	बेलगहना	15	15	190.50	10	0
12	मस्तूरी	31	31	532.71	22	0
13	पचपेडी	63	63	789.88	25	0
14	हिर्री	13	13	280.3	11	1
15	बिल्हा	25	25	998.305	10	0
16	तारबाहर	4	4	6	4	0
17	जूनापारा	5	5	71.00	3	0
18	केंदा	2	2	15.00	2	0
19	सिरगिटटी	12	12	268.85	7	0
20	सिटी कोतवाली	2	2	78.00	0	0

वर्ष 2025-26 (27.02.2026 तक)

क्र.	थाना का नाम	आबकारी विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से अवैध शराब के प्रकरण की कार्यवाही का विवरण				
		कार्यवाही की संख्या	दर्ज प्रकरण की संख्या	जप्त मदिरा की मात्रा (ली.में.)	आरोपियों की संख्या	जप्त वाहन की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	तोरवा	12	12	222.32	7	0
2	चकरभाठा	70	70	3427.9	42	0
3	सकरी	15	15	137.7	11	0
4	कोनी	47	47	1349.42	35	0
5	सीपत	67	67	1319.59	47	1
6	तखतपुर	40	40	1569.33	21	0
7	रतनपुर	16	16	347.10	12	0
8	मस्तूरी	12	12	108.63	13	0
9	पचपेडी	47	47	1121.92	20	1
10	हिर्री	14	14	308.46	10	0
11	बिल्हा	26	26	1728.94	14	1
12	सिरगिटटी	5	5	161.00	2	0
13	सिविल लाईन	2	2	36.00	2	0
14	सरकण्डा	2	2	15.48	2	0
15	मोपका	3	3	29.37	3	0
16	तारबाहर	2	2	25.56	1	0
17	सिटी कोतवाली	1	1	7.50	1	0
18	मल्हार	1	1	7.56	1	0

पारिशेष - छः

तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 2803) की जानकारी

प्रपत्र-अ

योजनावार स्वीकृत एव व्यय राशि की जानकारी

(राशि रु. लाख में)

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	स्वीकृत सहायता	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	रिमार्क
1	2023-24	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	उद्योग स्थापना हेतु अनुदान	0.25	0.25	
2	2023-24	कुम्भकार टेशकोटा योजना	निशुल्क चाक वितरण	-	-	चाक का निशुल्क वितरण किया जाता है। पृथक से राशि स्वीकृत नहीं की जाती है।
3	2024-25	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा संचालित सिल्क समग्र योजना	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा संचालित सिल्क समग्र योजना	5.0	0.90	
4.	2024-25	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा संचालित सिल्क समग्र योजना	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा संचालित सिल्क समग्र योजना	35.00	24.71	
			योग:-	40.25	25.86	

अनुभाग अधिकारी

ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

प्रपत्र-ब

विकासखंड एवं ग्राम पंचायतवार विवरण

(राशि रु. लाख में)

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	विकासखंड	ग्राम पंचायत	हितग्राही की संख्या	स्वीकृत सहायता	रिमार्क
1	2023-24	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	प्रतापपुर	केरता	01	उद्योग स्थापना हेतु अनुदान	
2	2023-24	कुम्भकार टेराकोटा योजना	ओडगी	ओडगी	03	निशुल्क चाक वितरण	चाक का निशुल्क वितरण किया जाता है। पृथक से राशि स्वीकृत नहीं की जाती है।
			प्रतापपुर	खैराडीह	02		
			ओडगी	करौटीबी	06		
3	2024-25	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा संचालित सिल्क समग्र योजना	प्रतापपुर	धरमपुर	01	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा संचालित सिल्क समग्र योजना	
4	2024-25	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा संचालित सिल्क समग्र योजना	प्रतापपुर	धरमपुर	03	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा संचालित सिल्क समग्र योजना	
				भरदा	02		
				पलढा	02		
योग					20		


अनुभाग अधिकारी
 ग्रामोद्योग विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

परोक्ष - सात

तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 2071) की जानकारी

प्रपत्र-

जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी की जानकारी

जांच अधिकारी की जानकारी

क्र.	शिकायत का प्रकार	जांच अधिकारी नियुक्तकर्ता	जांच अधिकारी के नाम व पदनाम	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	दो शिक्षिकाओं के द्वारा एक छात्र के साथ बर्बता की शिकायत के संबंध में।	कलेक्टर, जिला-मोहला- मानपुर-अं. चौकी	1. श्री योगदास साहू, जिला शिक्षा अधिकारी, मोहला- मानपुर-अं. चौकी 2. श्रीमती अनुरिमा टोप्पो, तहसीलदार, तहसील अं. चौकी 3. डॉ. आर.आर. ध्रुवे, खण्ड चिकित्सा अधिकारी अं. चौकी	जांच प्रतिवेदन अप्राप्त
2	सहायक ग्रेड 03 महिला कर्मचारी एवं महिला प्रधान पाठिका के साथ शाला में पदस्थ एक व्याख्याता के द्वारा मानसिक प्रताड़ना, अश्लील हरकत व हरासमेंट की शिकायत के संबंध में।	कलेक्टर, जिला-मोहला- मानपुर-अं. चौकी	1. श्री योगदास साहू, जिला शिक्षा अधिकारी, मोहला- मानपुर-अं. चौकी 2. श्रीमती सुनीता कावरे, विशाखा समिति, शिक्षा विभाग जिला- मोहला- मानपुर-अं. चौकी 3. सुश्री नेहा विश्वकर्मा, तहसीलदार, तहसील- मोहला 4. श्री श्याम कुमार धीवर, खण्ड शिक्षा अधिकारी अं.चौकी 5. श्रीमती अंजली अग्रवाल, प्राचार्य, शा.उ. मा.वि. छछानपाहरी 6. श्री पुरुषोत्तम लाल साहू, प्राचार्य शा. क.शि.परिसर अं. चौकी 7. श्री धर्मेन्द्र पसाद सारस्वत, प्राचार्य, शा. उ.मा.वि. चिल्हाटी	जांच प्रतिवेदन अप्राप्त

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय रायपुर

Podara
सहस्यक संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

प्रपत्र-अ
प्रदेश में समग्र शिक्षा अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण वर्ष 2023-24

क्र.	स्तर	वर्ष	मद/उपमद	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	शेष राशि (लाख में)	रिमाक
1	3	4	5	6	7	8	9
				1996.075	718.587	598.283	एच.सी.ई.आर.टी. को शिक्षक प्रशिक्षण हेतु अंतरित किया गया
					7.50		एमएलई कार्यशाला जिला वस्तर
					183.432		जिला, विकासखंड एवं संकुल स्तर पर खिलौना निर्माण प्रशिक्षण हेतु
					90.00		स्थानीय भाषाओं में शिक्षण और मातृभाषा शिक्षण पर मार्गदर्शन
					15.286		स्थानीय कृतानियों / विद्यालय पुस्तकालयों के लिए पुस्तिका विकास
					199.6075		संकुल स्तर पर प्राथमिक स्तर के प्रशिक्षण हेतु
					152.86		विद्यार्थियों के रचनात्मक लेखन कौशल विकास
					30.52		संकुल, विकासखंड एवं जिला स्तर तक समझ के साथ स्पीड रीडिंग पर आधारित प्रतियोगिता
				1996.075	1397.793	598.28	
2	प्राथमिक स्तर	2023-24	राशि	7002.21	330.3111	6366.18	पूर्व वर्ष 2022-23 में कार्य की लेख राशि को रायपुर, मुरजपुर एवं जशपुर को मांग अनुसंधार दिया गया
					34.1400		"अंगना म शिक्षा" कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विकासखंड स्तर पर प्रत्येक विकासखंड से दो-दो सीआरजी को एक दिवसीय प्रशिक्षण
					270.02994		"अंगना म शिक्षा" कार्यक्रम हेतु प्रत्येक प्राथमिक शाला से संबंधित वसाहट में अंगना म शिक्षा मेले का आयोजन
					1.55000		"अंगना म शिक्षा" कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु संभाग स्तर पर चयनित 2-2 मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रत्येक विकासखंड से दो-दो वीआरजी को एक दिवसीय प्रशिक्षण
				7002.21	636.0310	6366.18	
3	प्राथमिक स्तर	2023-24	राशि	150.0000	150.0000	0.00	सामाजिक अकेक्षण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा भरे गए विद्यार्थी विकास सूचकांकों की सत्यता की पुष्टि
				150.0000	150.0000	0.0000	
				9148.2850	2183.8235	6964.46	
4	प्राथमिक स्तर	2023-24	राशि	15.0000	15.0000	0.00	विकासखंड स्तर पर पीएलसी के माध्यम से गुणवत्ता संबंधी कार्य के लिए विकासखंडों को दिया गया
				15.0000	15.0000	0.0000	
				93.3400	93.3400	0.00	विद्यार्थियों के लिए समग्र रिपोर्ट कार्ड जिला स्तर पर मुद्रण कराये जाने हेतु
				93.3400	93.3400	0.0000	

6/5/24
A. S. Singh

प्रपत्र-अ
प्रदेश में समग्र शिक्षा अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण_वर्ष 2023-24

क्र.	स्तर	वर्ष	मव/उपमद	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	शेष राशि (लाख में)	रिमार्क
1	3	4	5	6	7	8	9
6	सेकेंडरी स्तर	2023-24	आकांक्षी जिलों में पीएलसी के माध्यम से भायलट परियोजनाएं राशि	2.4000	2.4000	0.00	जिलों को जारी किया गया है
7	प्राथमिक स्तर	2023-24	शिक्षकों के लिए सुरक्षा एवं सैफ्टी कार्यक्रम राशि	2.4000	2.4000	0.0000	शाला सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक विकासखंड से 6-6 शिक्षकों को प्रशिक्षण
8	प्राथमिक स्तर	2023-24	यूथ एंड इको क्लब राशि	393.780	393.780	0.00	कक्षा 6वीं से 8वीं तक के शालाओं में कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु
9	सेकेंडरी स्तर	2023-24	यूथ एंड इको क्लब राशि	393.7800	393.7800	0.0000	कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शालाओं में कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु
10	सेकेंडरी स्तर	2023-24	ब्यावसायिक शिक्षा से परिचय (कक्षा 6 - 8) राशि	234.600	234.6000	0.00	उच्च प्राथमिक शालाओं में ब्यावसायिक शिक्षा हेतु
				98.8000	98.8000	0.00	
				98.8000	98.8000	0.0000	
				9992.5050	3028.0435	6964.4615	

नोट - यह आवर्ती मद में स्वीकृत राशि है जो 31 मार्च को स्वतः समाप्त हो जाता है, इस राशि को स्वीकृत वर्ष में ही व्यय किया जाना होता है।
सत्र 2023-24 में शिक्षक प्रशिक्षण एवं अन्य मदों में कुल स्वीकृत राशि 9992.5050 लाख रु. (शब्दों में निन्यानवे करोड़ वानवे लाख पचास हजार पाँच सौ रु.) में से 3028.0435 लाख रु. (शब्दों में तीस करोड़ अठारहस लाख चार
हजार तीन सौ पचास रु.) व्यय राशि है। शेष में उल्लेख राशि आवर्ती मद होने के कारण स्वतः समाप्त हो जाता है। अतः शेष राशि का कोई औचित्य नहीं है।

Handwritten signature

Handwritten signature
उत्तम अशिकारी
उप-निदेशक, शिक्षण
प्रशासन, दिल्ली

प्रपत्र-ब

प्रदेश में समय शिक्षा अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण_वर्ष 2023-24

प्राथमिक स्तर (2023-24)

क्र.	जिला नाम	स्वीकृत राशि	एकपयपन - क्या 1 से 5 तक के तिककों की समता निर्माण उपयुक्त	एनएनई कार्यवाही जिला बस्तर	छिंटनों की शिक्षा और छिंटनी बनाने के सत्रों पर मार्गदर्शन	स्वामीय माताओं में शिक्षण और मातृभाषा शिक्षण पर मार्गदर्शन	स्वामीय बहुदिवसीय / विद्यालय पुस्तकालयों के लिए पुस्तिका विकास	सुलुल स्तर पर प्राथमिक स्तर के प्रशिक्षण हेतु	विद्यार्थियों के रचनात्मक लेखन कोष विकास	सुलुल स्तर तक समग्र के साथ स्वीड सीडिंग पर कारगरित प्रतियोगिता	विकासक स्तर तक समग्र के साथ स्वीड सीडिंग रीडिंग पर कारगरित प्रतियोगिता	जिला स्तर तक समग्र के साथ स्वीड सीडिंग पर कारगरित प्रतियोगिता
		अव राशि	अव राशि	अव राशि	अव राशि	अव राशि	अव राशि	अव राशि	अव राशि	अव राशि	अव राशि	अव राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बल्लार				490000.00	245000.00	408000.00	637500.00	408000.00	865000.00	50000.00	40000.00
2	बल्लारबाजार				7100000.00	3550000.00	5915000.00	11367500.00	5915000.00	13625000.00	65000.00	60000.00
3	बनारसपुर				8130000.00	4070000.00	6775000.00	7775000.00	6775000.00	11950000.00	60000.00	40000.00
4	बस्तर			7500000.00	9150000.00	4580000.00	7625000.00	8110000.00	7625000.00	1330000.00	70000.00	40000.00
5	बेमठगा				4460000.00	2230000.00	3715000.00	6647500.00	3715000.00	835000.00	40000.00	40000.00
6	बीजापुर				3230000.00	1620000.00	2695000.00	2805000.00	2695000.00	480000.00	40000.00	40000.00
7	बिबिसपुर				6680000.00	3340000.00	5565000.00	11070000.00	5565000.00	990000.00	50000.00	40000.00
8	दंतवाड़ा				3550000.00	1780000.00	2960000.00	2985000.00	2960000.00	515000.00	40000.00	40000.00
9	धनबारी				5260000.00	2630000.00	4365000.00	6200000.00	4365000.00	840000.00	40000.00	40000.00
10	दुर्ग				3260000.00	1630000.00	2715000.00	5762500.00	2715000.00	460000.00	30000.00	40000.00
11	जोगिपुर				5860000.00	2930000.00	4860000.00	6197500.00	4860000.00	755000.00	50000.00	40000.00
12	मरियावद				9170000.00	4580000.00	7640000.00	12107500.00	7640000.00	1465000.00	90000.00	80000.00
13	जांखीर_बागा				9870000.00	4940000.00	8225000.00	9070000.00	8225000.00	1325000.00	60000.00	40000.00
14	जयपुर	199607500.00	71858700.00		9500000.00	4750000.00	7915000.00	7942500.00	7915000.00	1215000.00	70000.00	40000.00
15	कच्छा				5640000.00	2820000.00	4865000.00	6830000.00	4865000.00	750000.00	40000.00	40000.00
16	कोडानाच				7350000.00	3680000.00	6125000.00	5925000.00	6125000.00	1145000.00	50000.00	40000.00
17	कोडानाच				8860000.00	4430000.00	7380000.00	8107500.00	7380000.00	1240000.00	60000.00	40000.00
18	कोरबा				6720000.00	2860000.00	4770000.00	5195000.00	4770000.00	850000.00	50000.00	80000.00
19	कोरिया				7670000.00	3280000.00	6390000.00	8090000.00	6390000.00	920000.00	40000.00	40000.00
20	महुामुंद				3950000.00	1980000.00	3295000.00	5455000.00	3295000.00	650000.00	30000.00	40000.00
21	सुगौली				2450000.00	1220000.00	2040000.00	1652500.00	2040000.00	345000.00	20000.00	40000.00
22	नारायणपुर				11820000.00	5910000.00	9850000.00	13372500.00	9850000.00	1652500.00	85000.00	60000.00
23	रायगढ़				4540000.00	1700000.00	3785000.00	8832500.00	3785000.00	1035000.00	50000.00	40000.00
24	रायपुर				11020000.00	5510000.00	9185000.00	11882500.00	9185000.00	1645000.00	90000.00	120000.00
25	राजमहलान				4340000.00	2170000.00	3620000.00	2630000.00	3620000.00	550000.00	30000.00	40000.00
26	राजमा				6300000.00	4150000.00	6915000.00	7645000.00	6915000.00	1210000.00	60000.00	40000.00
27	राजपुर				7850000.00	3880000.00	6625000.00	7907500.00	6625000.00	1180000.00	70000.00	40000.00
28	सदरुबा				18340000.00	90030000.00	15286000.00	198607500.00	152860000.00	27700000.00	1500000.00	1320000.00
	कुल राशि	189607500.00	71858700.00	750000.00								

(Handwritten signature)

6/15/24
 जयपुर जिला शिक्षा
 कुल शिक्षा विभाग
 जयपुर, राजस्थान

नोट - यह आवृत्ती मद में स्वीकृत राशि है जो 31 मार्च को स्वतः समाप्त हो जाता है, इस राशि को स्वीकृत वर्ष में ही व्यय किया जाना होता है।

प्रपत्र-ब

प्राथमिक स्तर।

क्र.	जिला नाम	पूर्व वर्ष 2022-23 में कार्य की संख्या राशि को राज्य, केंद्रपुर एवं जलपुर को भाग बढ़ाए बिना मना	स्वीकृत राशि	अन्य राशि	"अंगना म शिक्षा" कार्यक्रम हेतु प्रत्येक प्राथमिक शाला में संशोधित बसाहट में अंगना म शिक्षा देने का आवेदन	"अंगना म शिक्षा" कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विकसित स्तर पर प्रत्येक विकसित से जो-जो सीआरपी को एक दिवसीय प्रशिक्षण	"अंगना म शिक्षा" कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु संभार स्तर पर बजटित 2-2 मास्टर ट्रेनिंग द्वारा प्रत्येक विकसित से जो-जो सीआरपी को एक दिवसीय प्रशिक्षण	आरों का स्वयं, आवर्ती और समय मूल्यांकन-उपभार	सामाजिक क्षेत्र के माध्यम से शिक्षा द्वारा प्रो-ग्रेड विद्यापी शिक्षा सुधारों की संख्या की पुष्टि			राज्य स्तरीय के माध्यम से प्राप्त-भर			स्वीकृत राशि
									अन्य राशि	स्वीकृत राशि	अन्य राशि	स्वीकृत राशि	अन्य राशि	स्वीकृत राशि	
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	बालीद			720739.00	106800.00	5000.00		408000.00		50000.00					
2	बनारस			1044855.00	156800.00	6000.00		591500.00		65000.00					
3	बनारस			1196816.00	147000.00	6000.00		677500.00		70000.00					
4	बनारस			1346970.00	163800.00	8000.00		762500.00		40000.00					
5	बनारस			656261.00	102600.00	4000.00		371500.00		40000.00					
6	बनारस			476077.00	60000.00	4000.00		269500.00		50000.00					
7	बनारस			983067.00	121800.00	6000.00		566500.00		50000.00					
8	बनारस			522889.00	64200.00	4000.00		296000.00		40000.00					
9	बनारस			774618.00	103200.00	4000.00		438500.00		40000.00					
10	बनारस			516707.00	108800.00	5000.00		197000.00		40000.00					
11	बनारस			479610.00	57000.00	3000.00		271500.00		30000.00					
12	बनारस			862061.00	93600.00	5000.00		488000.00		50000.00					
13	बनारस			1349620.00	181200.00	9000.00		764000.00		90000.00					
14	बनारस	7274700.00	700221000.00	1452961.00	163800.00	8000.00	15000000.00	822500.00	15000000.00	80000.00	93340000.00				
15	बनारस			1398199.00	150000.00	7000.00		791500.00		70000.00					
16	बनारस			859411.00	92400.00	4000.00		486500.00		40000.00					
17	बनारस			1081992.00	141600.00	5000.00		612500.00		50000.00					
18	बनारस			1303690.00	152400.00	6000.00		738000.00		80000.00					
19	बनारस			842629.00	105000.00	5000.00		477000.00		50000.00					
20	बनारस			1128805.00	113400.00	5000.00		544000.00		50000.00					
21	बनारस			582068.00	79800.00	3000.00		329500.00		30000.00					
22	बनारस			360370.00	42800.00	2000.00		204000.00		20000.00					
23	बनारस			1740020.00	214200.00	9000.00		985000.00		85000.00					
24	बनारस	5020610.00		668627.00	127200.00	6000.00		283000.00		50000.00					
25	बनारस			1622547.00	202800.00	9000.00		918500.00		90000.00					
26	बनारस			639480.00	67800.00	3000.00		362000.00		30000.00					
27	बनारस	20735800.00		1221547.00	148800.00	6000.00		691500.00		60000.00					
28	बनारस			1170318.00	145800.00	8000.00		662500.00		70000.00					
	कुल राशि	33031110.00	700221000.00	27002994.00	3414000.00	155000.00	15000000.00	15000000.00	15000000.00	15000000.00	93340000.00				

अनुभाग अधिकारी
स्वीकृत राशि
मंत्रालय, बनारस

6/15/2026

अनुभाग अधिकारी
स्वीकृत राशि
मंत्रालय, बनारस

नोट - यह आवर्ती मद में स्वीकृत

प्रपत्र-ब

क्र.	वित्त नाम	समग्र रिपोर्ट फंड (क्र. स्तर)		शिक्षण के लिए सुरक्षा एवं वेस्टी कार्यालय (प्राथमिक स्तर)		ग्रुप एंड इको स्काव (प्राथमिक स्तर)		ग्रुप एंड इको स्काव (सेकेंडरी स्तर)		व्यावसायिक शिक्षा से परिचय (कक्षा 8-8) (सेकेंडरी स्तर)		आकांक्षी विद्यार्थी में पीएलसी के माध्यम से पायलट परियोजनाएं (सेकेंडरी स्तर)	
		अव्यय राशि	स्वीकृत राशि	अव्यय राशि	स्वीकृत राशि	अव्यय राशि	स्वीकृत राशि	अव्यय राशि	स्वीकृत राशि	अव्यय राशि	स्वीकृत राशि	अव्यय राशि	स्वीकृत राशि
1	2	24	25	28	27	28	29	30	31	32	33	34	
1	बालीव	266600.00		21000.00		1230000.00		865000.00		300000.00			
2	बनीबाजार	609200.00		25200.00		2043000.00		1300000.00		450000.00			
3	बनारसपुर	375900.00		25200.00		1829000.00		685000.00		300000.00		20000.00	
4	बस्तर	344300.00		29400.00		1872000.00		880000.00		300000.00			
5	बंसगा	372000.00		16800.00		1161000.00		830000.00		300000.00		20000.00	
6	बीजापुर	171800.00		16800.00		471000.00		320000.00		300000.00			
7	बिनामपुर	620200.00		21000.00		1554000.00		1120000.00		300000.00		20000.00	
8	बोयाडा	117600.00		16800.00		618000.00		390000.00		300000.00		20000.00	
9	धमसरी	236900.00		16800.00		1332000.00		840000.00		300000.00			
10	दुर्ग	345400.00		16800.00		1008000.00		895000.00		300000.00			
11	जोतिपुर	128900.00		12600.00		702000.00		340000.00		300000.00			
12	गुरियाबंद	252400.00		21000.00		1320000.00		760000.00		300000.00			
13	जाजगीर, चोपा	558900.00		37800.00		2322000.00		1475000.00		600000.00			
14	जरापुर	290600.00	630000.00	33600.00	38378000.00	1395000.00	23460000.00	745000.00	9880000.00	300000.00	240000.00		
15	जगदल	270600.00		29400.00		1818000.00		1235000.00		300000.00			
16	कलसा	385200.00		16800.00		1488000.00		765000.00		300000.00		20000.00	
17	कोटागांव	268300.00		21000.00		1785000.00		815000.00		300000.00		20000.00	
18	फोरबा	393000.00		25200.00		1539000.00		910000.00		300000.00			
19	कोरिया	222000.00		21000.00		1221000.00		740000.00		600000.00			
20	महासुंद	377000.00		21000.00		1473000.00		925000.00		300000.00			
21	मुंगली	343200.00		12600.00		810000.00		665000.00		300000.00		20000.00	
22	नाथपपुर	67000.00		8400.00		393000.00		175000.00		300000.00			
23	रायगढ़	442300.00		37800.00		2556000.00		1310000.00		450000.00			
24	रायपुर	506100.00		21000.00		1371000.00		1035000.00		300000.00		60000.00	
25	रायबंदगाँव	584700.00		37800.00		2384000.00		1650000.00		500000.00		20000.00	
26	सुलमा	144800.00		12600.00		621000.00		265000.00		280000.00			
27	सुल्तपुर	335600.00		25200.00		1663000.00		775000.00		300000.00			
28	सुल्तपुर	304100.00		29400.00		1647000.00		840000.00		300000.00			
	कुल राशि	8334000.00	630000.00	630000.00	39378000.00	39378000.00	23460000.00	23460000.00	9880000.00	8880000.00	240000.00	240000.00	

नोट - यह आवर्ती मद में स्वीकृत

Handwritten signature and stamp:
 05/05/2026
 31/03/2026
 [Stamp: 31/03/2026]

प्रपत्र-स
प्रदेश में समग्र शिक्षा अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण वर्ष 2024-25

क्र.	स्तर	वर्ष	मद/उपमद	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	शेष राशि (लाख में)	रिमांक
1	3	4	5	6	7	8	9
1	प्राथमिक स्तर	2024-25	एफएलएन - नवीन शिक्षण पद्धतियों के कार्यान्वयन हेतु राशि	8787.5250	819.3600 55.4000	7968.17	जिला स्तर पर आइई पिटारा निर्माण एवं उपयोग हेतु सामग्रियों को विकासखंड स्तर तक पहुंचाये जाने हेतु
2	सेकेंडरी स्तर	2024-25	व्यावसायिक शिक्षा से परिचय (कक्षा 6 - 8) राशि	99.0000	99.0000	0.00	उच्च प्राथमिक शालाओं में व्यावसायिक शिक्षा हेतु
3	प्राथमिक स्तर	2024-25	रंगोल्सव राशि	5.0000	4.5000	0.5000	प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण हेतु
4	प्राथमिक स्तर	2024-25	यूथ एंड इको क्लब राशि	1523.850	380.9600	1142.89	कक्षा 1 से 5 वीं तक के शालाओं में कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु
5	प्राथमिक स्तर	2024-25	यूथ एंड इको क्लब (कक्षा 6 - 8) राशि	1963.9500	490.9900	1472.96	कक्षा 6 वीं से 8 वीं तक के शालाओं में कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु
6	सेकेंडरी स्तर	2024-25	यूथ एंड इको क्लब राशि	1172.750	293.190	879.56	कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के शालाओं में कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु
7	प्राथमिक स्तर	2024-25	राज्य स्तर पर मूल्यांकन राशि	660.000	123.087 146.8170	390.10	एस सी आर टी की शिक्षकों का प्रशिक्षण हेतु कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं के बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में सुधार हेतु मांक टेस्ट का आयोजन
			कुल राशि	14212.075	269.9040 2413.304	390.0960 11798.771	

नोट - यह आवर्ती मद में स्वीकृत राशि है जो 31 मार्च को स्वतः समाप्त हो जाता है, इस राशि को स्वीकृत वर्ष में ही व्यय किया जाना होता है। सत्र 2024-25 में शिक्षक प्रशिक्षण एवं अन्य मदों में कुल स्वीकृत राशि 14212.075 लाख रु. (शब्दों में एक बरब बयालीस करोड़ बारह लाख सात हजार पाँच सौ रु.) में से 2413.304 लाख रु. (शब्दों में चौबीस करोड़ तेरह लाख तीस हजार चार सौ रु.) व्यय राशि है। शेष में उल्लेख राशि आवर्ती मद होने के कारण स्वतः समाप्त हो जाता है। अतः शेष राशि का कोई भी चिन्ता नहीं है।

6/5/25
B. S. N. S.

प्रपत्र-व
प्रदेश में समग्र शिक्षा अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण वर्ष 2024-25

क्र.	विला नाम	एफएलएन - नवीन शिक्षण पद्धतियों के कार्यान्वयन हेतु शिक्षण-अभियान कार्यक्रम (प्रारंभिक स्तर)		आवृत्त शिक्षण से वरिष्ठ (स्तर B - B) (सेकेंडरी स्तर)		रंगोत्सव (प्रारंभिक स्तर)		यूथ पंथ ड्रको क्लब (प्रारंभिक स्तर)		यूथ पंथ ड्रको क्लब (उच्च प्राथमिक स्तर)		यूथ पंथ ड्रको क्लब (सेकेंडरी स्तर)		राज्य स्तर पर आयोजित (स्तर 10वीं एवं 12वीं के चोखे परीक्षाओं के परिणाम में सुधार हेतु मासिक टेस्ट का आयोजन)	
		स्वीकृत राशि	अव्यय राशि	स्वीकृत राशि	अव्यय राशि	स्वीकृत राशि	अव्यय राशि	स्वीकृत राशि	अव्यय राशि	स्वीकृत राशि	अव्यय राशि	स्वीकृत राशि	अव्यय राशि	स्वीकृत राशि	अव्यय राशि
1	बालीच		1814000.00		173000		15000.00		1010000.00		1530000.00		1087500.00		588099.00
2	बल्लोवाजार		2246000.00		192000		18000.00		1102500.00		1736250.00		1275000.00		656337.00
3	बल्लोवाजार		3664000.00		238000		18000.00		1685000.00		2025000.00		668750.00		352131.00
4	बल्लोवा		3688000.00		286000		21000.00		1890000.00		2321250.00		1100000.00		872189.00
5	बल्लोवा		2170000.00		187000		12000.00		922500.00		1451250.00		1037500.00		579520.00
6	बल्लोवा		1640000.00		96000		12000.00		660250.00		588750.00		375000.00		404706.00
7	बल्लोवा		3200000.00		188000		15000.00		1375000.00		1931250.00		1408250.00		887340.00
8	बल्लोवा		1986000.00		103000		12000.00		737600.00		776250.00		362500.00		503882.00
9	धमतरी		2144000.00		108000		12000.00		1086250.00		1661250.00		1125000.00		250217.00
10	डुंग		1386000.00		177000		12000.00		713750.00		1248750.00		1125000.00		789021.00
11	परियाबंद		2458000.00		151000		15000.00		1206250.00		1681250.00		850000.00		157630.00
12	गोदाला रक्षा मारवाडी		1604000.00		92000		15000.00		671250.00		870000.00		425000.00		264192.00
13	जंजगीर-बांसा		1938000.00		164000		15000.00		547500.00		1548750.00		1037500.00		301393.00
14	जुगपुर		4892000.00		265000		24000.00		2042500.00		1743750.00		931250.00		488939.00
15	जुगपुर		3574000.00		243000		21000.00		1965000.00		2272500.00		1543750.00		704276.00
16	मन्डवा		2882000.00		150000		12000.00		1211250.00		1822500.00		956250.00		431333.00
17	सोहरगांव		1244000.00		231000		6000.00		565000.00		682500.00		481250.00		300584.00
18	सोहरगांव		2750000.00		248000		15000.00		152385000.00		2231250.00		1012500.00		547099.00
19	सोहरगांव		4336000.00		73000		18000.00		1817500.00		1916250.00		1137500.00		776786.00
20	सोहरगांव		1192000.00		87000		6000.00		478750.00		626250.00		318750.00		94190.00
21	महासमुद्र		3594000.00		184000		15000.00		1586250.00		1641250.00		606250.00		306895.00
22	मोहनगढ़-चिचिरी-मालपुर		1572000.00		130000		9000.00		701250.00		896250.00		543750.00		120468.00
23	मोहनगढ़-मालपुर-चौकी		1674000.00		69000		9000.00		750250.00		776250.00		831250.00		16420.00
24	मालपुर		2064000.00		250000		9000.00		485000.00		1008750.00		206250.00		248024.00
25	मालपुर		904000.00		207000		6000.00		1771250.00		2373750.00		1297500.00		89953.00
26	मालपुर		4546000.00		148000		21000.00		921250.00		1702500.00		1306250.00		691513.00
27	राजनांदगांव		1976000.00		101000		15000.00		953750.00		1496250.00		1037500.00		1135127.00
28	राजनांदगांव		2060000.00		78000		12000.00		953750.00		1350000.00		1037500.00		346143.00
29	बल्लोवा		2066000.00		128000		12000.00		1036250.00		1627500.00		700000.00		255800.00
30	गारागढ़-बिजौरगढ़		2530000.00		161000		8000.00		931250.00		742500.00		318750.00		311130.00
31	गुलामा		1694000.00		110000		8000.00		1710000.00		2066250.00		988750.00		481377.00
32	सुजपुर		3710000.00		242000		300000.00		1650000.00		2085000.00		1050000.00		301705.00
33	सुजपुर		8183600.00		238000		990000.00		152385000.00		186395000.00		117275000.00		14681761.00
	कुल राशि		878752500.00		5540000.00		500000.00		4500000.00		38098250.00		19098750.00		66000000.00

Handwritten signature and stamp: *Handwritten signature*
 20/05/2024
 20/05/2024
 20/05/2024

नोट - यह आवृत्ति मद में स्वीकृत राशि है जो 31 मार्च को स्वतः समाप्त हो जाता है, इस राशि को स्वीकृत वर्ष में ही व्यय किया जाना होता है।

प्रपत्र-इ
प्रदेश में समग्र शिक्षा अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण_वर्ष 2025-26

क्र.	स्तर	वर्ष	मद/उपमद	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	शेष राशि (लाख में)	रिमार्क
1	3	4	5	6	7	8	9
1	प्राथमिक स्तर	2025-26	एफएलएन - नवीन शिक्षण पद्धतियों के कार्यान्वयन हेतु शिक्षण-अधिगम सामग्री	762.3500	381.1750	381.18	एस सी आर टी को शिक्षकों का प्रशिक्षण हेतु
2	सेकेंडरी स्तर	2025-26	राशि	762.3500	381.1750	381.1750	उच्च प्राथमिक शालाओं में व्यावसायिक शिक्षा हेतु
4	प्राथमिक स्तर	2025-26	व्यावसायिक शिक्षा से परिचय (कक्षा 6 - 8)	99.0000	99.0000	0.00	
4	प्राथमिक स्तर	2025-26	राशि	99.0000	99.0000	0.0000	
4	प्राथमिक स्तर	2025-26	यूथ एंड इको क्लब	609.88	530.130	79.75	कक्षा 1 से 5 वीं तक के शालाओं में कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु
5	प्राथमिक स्तर	2025-26	राशि	609.8800	530.1300	79.7500	
5	प्राथमिक स्तर	2025-26	यूथ एंड इको क्लब (कक्षा 6 - 8)	654.100	603.275	50.83	कक्षा 6वीं से 8वीं तक के शालाओं में कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु
6	सेकेंडरी स्तर	2025-26	राशि	654.1000	603.2750	50.8250	
6	सेकेंडरी स्तर	2025-26	यूथ एंड इको क्लब	459.700	459.700	0.00	कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शालाओं में कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु
			राशि	459.7000	459.7000	0.0000	
			कुल राशि	2585.030	2073.280	511.750	

नोट - यह आवर्ती मद में स्वीकृत राशि है जो 31 मार्च को स्वतः समाप्त हो जाता है, इस राशि को स्वीकृत वर्ष में ही व्यय किया जाना होता है। सत्र 2025-26 में शिक्षक प्रशिक्षण एवं अन्य मदों में कुल स्वीकृत राशि 2585.030 लाख रु. (शब्दों में पच्चीस करोड़ पचासी लाख तीन हजार रु.) में से 2073.280 लाख रु. (शब्दों में बीस करोड़ लिहातर लाख बट्टाईस हजार रु.) व्यय राशि है। शेष में उल्लेख राशि आवर्ती मद होने के कारण स्वतः समाप्त हो जाता है। शतः शेष राशि का कोई औचित्य नहीं है।

25/3/26
Nishant

अनुमान अशिक्षारी
पब्लिक रिजर्व सिविल
महाराष्ट्र सरकार

प्रपत्र-ई
प्रदेश में समग्र शिक्षा अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण वर्ष 2025-26

क्र.	जिला नाम	व्यावसायिक शिक्षा से परिचय (कक्षा 6 - 8) (सेकेंडरी स्तर)		भूय एंड इको क्लव (प्राथमिक स्तर)		स्वीकृत राशि		भूय एंड इको क्लव (उच्च प्राथमिक स्तर)		स्वीकृत राशि		भूय एंड इको क्लव (सेकेंडरी स्तर)	
		स्वीकृत राशि	अव्यय राशि	स्वीकृत राशि	अव्यय राशि	स्वीकृत राशि	अव्यय राशि	स्वीकृत राशि	अव्यय राशि	स्वीकृत राशि	अव्यय राशि	स्वीकृत राशि	अव्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	नाहोद		3000000.00		1353000.00		1842500.00		1730000.00				
2	बलीदादाजार		3000000.00		1455000.00		2097500.00		1980000.00				
3	बलरामपुर		3000000.00		2964000.00		2630000.00		1350000.00				
4	बस्तर		3000000.00		2764000.00		3107500.00		1720000.00				
5	बेनेतरा		3000000.00		1204000.00		1732500.00		1610000.00				
6	बीजापुर		3000000.00		1408000.00		785000.00		610000.00				
7	बिलासपुर		3000000.00		1888000.00		2267500.00		2200000.00				
8	दोबीडा		3000000.00		1108000.00		1047500.00		580000.00				
9	धमतरी		3000000.00		1416000.00		2027500.00		1640000.00				
10	दुर्ग		3000000.00		888000.00		1457500.00		1820000.00				
11	गरियाचंद		3000000.00		1602000.00		2040000.00		1510000.00				
12	गौरिना पंडा मरवाही		3000000.00		911000.00		1082500.00		660000.00				
13	जालगीर-बांधा		3000000.00		1214000.00		1900000.00		1620000.00				
14	जशपुर		3000000.00		3019000.00		2155000.00		1450000.00				
15	कोकर		3000000.00		2718000.00		2702500.00		2410000.00				
16	कवर्धा		3000000.00		1628000.00		2277500.00		1460000.00				
17	वीरगढ़-सुईबदाल-गडई	9900000.00	3000000.00	60988000.00	782000.00	65410000.00	835000.00	45970000.00	730000.00				
18	कोडरगढ़		3000000.00		2069000.00		2737500.00		1580000.00				
19	कोरिया		3000000.00		2555000.00		2350000.00		1760000.00				
20	महासमुंद		3000000.00		716000.00		777500.00		510000.00				
21	मोन्दगढ़-चिरमिरी-भरतपुर		3000000.00		2211000.00		2205000.00		1840000.00				
22	मोहला-भानपुर-चींकी		3000000.00		978000.00		1072500.00		970000.00				
23	मारायणपुर		3000000.00		1070000.00		865000.00		840000.00				
24	रायगढ़		3000000.00		1144000.00		1170000.00		1310000.00				
25	रायपुर		3000000.00		729000.00		640000.00		360000.00				
26	राजनादगांव		3000000.00		2389000.00		2930000.00		1990000.00				
27	सफी		3000000.00		1221000.00		1977500.00		2030000.00				
28	सारंगढ़-विद्याईगढ़		3000000.00		1263000.00		1807500.00		1620000.00				
29	सुकमा		3000000.00		1347000.00		1702500.00		1300000.00				
30	सुरजपुर		3000000.00		1366000.00		2017500.00		1090000.00				
31	सरगुड़ा		3000000.00		2529000.00		937500.00		500000.00				
32	कुल राशि	9900000.00	9900000.00	60988000.00	53013000.00	65410000.00	60327500.00	45970000.00	45970000.00				
33													45970000.00

नोट - यह आवर्ती मद में स्वीकृत राशि है जो 31 मार्च को स्वतः समाप्त हो जाता है, इस राशि को स्वीकृत बर्ष में ही अव्यय किया जाता होता है।

(Handwritten Signature)

(Handwritten Signature)

पारिशेष्य - नौ

तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1127) की जानकारी

प्रपत्र

क्र	वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत औद्योगिक संस्थान, भिलाई में आर्बटित उद्योग का नाम	आर्बटित भूखण्ड क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	आर्बटन दिनांक	क्या भूखण्ड निरस्त किया गया है?	निरस्तीकरण का दिनांक	टिप्पणियाँ	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	मेसर्स साहिल इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक संस्थान भिलाई, जिला-दुर्ग	98/एच-2	0.202	29.06.2020	हाँ	24.07.2024	-	
2	मेसर्स सौभाग्य इंजीनियरिंग, औद्योगिक संस्थान भिलाई, जिला-दुर्ग	98/एच-4	0.140	10.06.2021	हाँ	19.07.2024	-	
3	मेसर्स हेमंत इंजीनियरिंग, औद्योगिक संस्थान भिलाई, जिला-दुर्ग	98/एच-5	0.140	10.06.2021	हाँ	19.07.2024	-	
4	मेसर्स गर्ग इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक संस्थान भिलाई, जिला-दुर्ग	98/एच-6	0.116	06.06.2021	हाँ	19.07.2024	-	
5	मेसर्स जान्हवी इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक संस्थान भिलाई, जिला-दुर्ग	98/एच-1	0.202	29.06.2020	नहीं	-	प्रकरण मान. उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विचारधीन होने से भूखण्ड निरस्त नहीं किया गया है।	
6	मेसर्स बाबा ट्रेडर्स, औद्योगिक संस्थान भिलाई, जिला-दुर्ग	98/एच-3	0.092	03.04.2021	नहीं	-	इकाई द्वारा निरस्तीकरण के विरुद्ध प्रस्तुत अपील अग्रावेदन में सुनवाई के पश्चात् इकाई की अपील मान्य करते हुए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग के आदेश क्र. 265 दिनांक 09.12.2024 के माध्यम से इकाई की स्थापना हेतु 06 माह का अतिरिक्त समय दिया गया।	
योग :-							0.892	

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रदेश में युक्तियुक्तकरण के माध्यम से स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था।

स.क्र.	जिले का नाम	एकल शिक्षकीय	अतिशेष शिक्षकों वाले स्कूल की संख्या	शिक्षक विहीन
1	रायपुर	1	304	0
2	महासमुन्द	38	0	0
3	धमतरी	55	110	0
4	बलौदाबाजार-भाटापारा	5	0	0
5	गरियाबंद	77	53	4
6	दुर्ग	13	18	0
7	बालोद	38	155	1
8	बेमेतरा	3	0	0
9	राजनादगांव	31	0	0
10	खैरागढ़-छुईखदान-गडई	10	0	0
11	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी	149	0	3
12	कबीरधाम	14	0	0
13	बिलासपुर	27	17	0
14	जांजगीर-चांपा	3	154	0
15	सक्ती	5	12	0
16	कोरबा	95	0	0
17	मुंगेली	10	24	1
18	गौरला पेण्ड्रा मरीवाही	18	0	2
19	रायगढ़	82	183	2
20	सारगढ़-बिलाईगढ़	14	189	0
21	सरगुजा	8	226	0
22	कोरिया	18	40	0
23	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भतरपुर	0	56	0
24	सूरजपुर	87	252	0
25	जशपुर	42	262	2
26	बलरामपुर-रामानुजगंज	113	128	5
27	बस्तर	297	0	0
28	कांकेर	74	341	0
29	दन्तेवाड़ा	10	0	0
30	कोडागांव	19	192	0
31	सुकमा	186	0	0
32	बीजापुर	324	0	12
33	नारायणपुर	68	0	0

Alant
अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

ju
सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय,
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

पारिशिष्ट - प्यारह

तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 2585) की जानकारी

जिला राजनांदगांव व खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में ग्रामोद्योग विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 से 15.02.2026 तक आर्बिटि राशि की समितिवार जानकारी

क्र.	जिला	वर्ष	समिति का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत आदेश क्र. /दिनांक	योजना मद	हितग्राही संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रु.)
1	राजनांदगांव	2023-24	ममता बुनकर सहकारी समिति मर्या. देवरी	छुरिया	1557/06.10.2023	बुनकर वर्कशेड सह आवास	3	7.50
2		2023-24	श्री लक्ष्मी बुनकर सहकारी समिति मर्या. मेढा	डोंगरगढ़	538/15.03.2024	बुनकर वर्कशेड सह आवास	10	25.00
3		2023-24	श्री लक्ष्मी बुनकर सहकारी समिति मर्या. मेढा	डोंगरगढ़	539/15.03.2024	बुनकर वर्कशेड सह आवास	5	12.50
4		2023-24	कर्माता बुन.सह.स.मर्या. लखोली	राजनांदगांव	1812/07.12.2023	बुनकर वर्कशेड सह आवास	2	5.00
5		2023-24	श्री साईं बुनकर सहकारी समिति मर्या. रेवाडीह	राजनांदगांव	450/12.03.2024	बुनकर वर्कशेड सह आवास	2	5.00
6		2023-24	रानी दुर्गावती बुनकर सहकारी समिति मर्या. सागिनकछार	डोंगरगढ़	448/12.03.2024	बुनकर वर्कशेड सह आवास	4	10.00
7		2023-24	कर्माता बुन.सह.स.मर्या. लखोली	राजनांदगांव	1785/06.12.2023	नवीन बुनाई प्रशिक्षण	20	6.80
8		2023-24	ममता बुनकर सहकारी समिति मर्या. देवरी	छुरिया	1786/06.12.2023	नवीन बुनाई प्रशिक्षण	20	6.80
9		2023-24	साईनाथ बुन.सह.स.मर्या. भेईकला	राजनांदगांव	1794/06.12.2023	नवीन बुनाई प्रशिक्षण	20	6.80
10		2023-24	कबीर बुनकर सहकारी समिति मर्या. पदुमतरा	राजनांदगांव	1788/06.12.2023	नवीन बुनाई प्रशिक्षण	20	6.80
11		2023-24	जगृति बुनकर सहकारी समिति मर्या. शंकरपुर	राजनांदगांव	203/07.02.2024	नवीन बुनाई प्रशिक्षण	20	6.80
12		2023-24	आशानगर बुनकर सहकारी समिति मर्या. आशानगर	राजनांदगांव	425/11.03.2024	नवीन बुनाई प्रशिक्षण	20	6.80
13		2023-24	मां शारदा बुन.सह.स.मर्या. उरईडबरी	डोंगरगढ़	533/15.03.2024	उन्नत/सहायक उपकरण	11	2.00
14		2023-24	रानी दुर्गावती बुनकर सहकारी समिति मर्यादित सागिनकछार	डोंगरगढ़	445/11.03.2024	रिवाल्विंग फण्ड	10	1.50
				योग :-				
1	राजनांदगांव	2024-25	जय गढ़माता बुन.सह.स.मर्या. ठाकुरटोला	डोंगरगढ़	1198/10.09.2024	नवीन बुनाई प्रशिक्षण	20	6.80
2		2024-25	मां अन्नपूर्णा बुन.सह.स.मर्या. मोहारा	राजनांदगांव	1389/21.10.2024	नवीन बुनाई प्रशिक्षण	20	6.80
3		2024-25	आशानगर बुनकर सहकारी समिति मर्या. आशानगर	राजनांदगांव	228/24.02.2025	नवीन बुनाई प्रशिक्षण	20	6.80
4		2024-25	मां शारदा बुन.सह.स.मर्या. उरईडबरी	डोंगरगढ़	1094/12.08.2024	उन्नत/सहायक उपकरण	5	0.88
5		2024-25	आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या. बूचाटोला	छुरिया	1126/22.08.2024	उन्नत/सहायक उपकरण	18	3.24
6		2024-25	आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या. बूचाटोला	छुरिया	1127/22.08.2024	उन्नत/सहायक उपकरण	4	0.72
7		2024-25	श्री लक्ष्मी बुनकर सहकारी समिति मर्या. मेढा	डोंगरगढ़	1150/28.08.2024	बुनकर वर्कशेड सह आवास	4	10.00
8		2024-25	आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या. बूचाटोला	छुरिया	1136/22.08.2024	बुनकर वर्कशेड सह आवास	3	7.50
9		2024-25	आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या. बूचाटोला	छुरिया	31/10.01.2025	बुनकर वर्कशेड सह आवास	4	10.00
10		2024-25	बन्नेश्वरी बुनकर सहकारी समिति मर्या. रामाटोला	डोंगरगढ़	57/17.01.2025	बुनकर वर्कशेड सह आवास	6	15.00
11		2024-25	बन्नेश्वरी बुनकर सहकारी समिति मर्या. रामाटोला	डोंगरगढ़	58/17.01.2025	बुनकर वर्कशेड सह आवास	1	2.50
12		2024-25	जय गढ़माता बुन.सह.स.मर्या. ठाकुरटोला	डोंगरगढ़	1420/29.10.2024	बुनकर वर्कशेड सह आवास	4	10.00
				योग :-				
							109	80.24

क्र.	जिला	वर्ष	समिति का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत आदेश क्र. /दिनांक	योजना मद	हितग्राही संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रु.)	
1	राजनांदगांव	2025-26	आदर्श बुनकर सहकारी समिति मर्या. सोमाझिटिया	छुरिया	982/23.07.2025	बुनकर वर्कशेड सह आवास	2	5.00	
2		2025-26	आदर्श बुनकर सहकारी समिति मर्या. सोमाझिटिया	छुरिया	983/23.07.2025	बुनकर वर्कशेड सह आवास	1	2.50	
3		2025-26	महिला शक्ति बुनकर सहकारी समिति मर्या. भोथली	डोंगराड	1149/11.09.2025	बुनकर वर्कशेड सह आवास	5	12.50	
4		2025-26	श्री साई बुनकर सहकारी समिति मर्या. रेवाडीह	राजनांदगांव	1395/03.11.2025	बुनकर वर्कशेड सह आवास	6	15.00	
5		2025-26	मां शारदा बुन.सह.स.मर्या. उरईडवरी	डोंगरगांव	1619/11.12.2025	बुनकर वर्कशेड सह आवास	3	7.50	
6		2025-26	ममता बुनकर सहकारी समिति मर्या. देवरी	छुरिया	45/13.01.2026	बुनकर वर्कशेड सह आवास	1	2.50	
7		2025-26	ममता बुनकर सहकारी समिति मर्या. देवरी	छुरिया	46/13.01.2026	बुनकर वर्कशेड सह आवास	5	12.50	
8		2025-26	इन्द्रावती बुनकर सहकारी समिति मर्या. पर्थी	छुरिया	1509/21.11.2025	नवीन बुनाई प्रशिक्षण	20	6.80	
9		2025-26	मां सरस्वती बुनकर सहकारी समिति मर्या. लाल बहादुर नगर	डोंगराड	49/13.01.2026	उन्नत/सहायक उपकरण	50	1.50	
10		2025-26	जय महामाया बुनकर सहकारी समिति मर्या. खुर्शीपार	डोंगरगांव	29/12.01.2026	उन्नत/सहायक उपकरण	10	1.80	
11		2025-26	कबीर बुनकर सहकारी समिति मर्या. पदुमतरा	राजनांदगांव	205/13.02.2026	उन्नत/सहायक उपकरण	30	5.40	
12		2025-26	आशानगर बुनकर सहकारी समिति मर्या. आशानगर	राजनांदगांव	206/13.02.2026	उन्नत/सहायक उपकरण	30	5.40	
13		2025-26	बन्नेश्वरी महिला बुनकर सहकारी समिति मर्या. रामटोला	डोंगराड	50/13.01.2026	अथोसरंजना (संस्थागत)		5.40	
14		2025-26	जय महामाया बुनकर सहकारी समिति मर्या. खुर्शीपार	डोंगरगांव	28/12.01.2026	रिवाल्विंग फण्ड	10	1.50	
15		2025-26	शिवम बुनकर सहकारी समिति मर्या. पिनकापार	डोंगराड	157/06.02.2026	रिवाल्विंग फण्ड	10	1.50	
16		2025-26	शिवनाथ बुनकर सहकारी समिति मर्या. सुरगी	राजनांदगांव	158/06.02.2026	रिवाल्विंग फण्ड	10	1.50	
17		2025-26	महादेव बुनकर सहकारी समिति मर्या. तुमडीबोड	राजनांदगांव	159/06.02.2026	रिवाल्विंग फण्ड	10	1.50	
18	खैरागढ़- छुईखदान- गंडई	2025-26	छुईखदान बुनकर सहकारी समिति मर्या. छुईखदान	छुईखदान	118/29.01.2026	नवीन बुनाई प्रशिक्षण	20	6.80	
							योग :-	223	96.60
							महायोग :-	499	286.14


अनुभाग अधिकारी
 प्रामोद्योग विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

पारिशेष - बारह
तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 2799) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	इकाई का नाम व पता	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	क्षमता (मेगावॉट में)	उत्पादन दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	मे. हरियाणा रोलिंग मिल्स (भिलाई) प्राइवेट लिमिटेड (सोलर पॉवर जनरेटिंग यूनिट-1), ग्राम-मोहमट्टा, तह.-बेरला, जिला-बेमेतरा	2.40	2	02.01.2025	ग्राम पंचायत मोहमट्टा तह. बेरला द्वारा दिनांक 24.01.2024 को 2.4 हेक्टेयर भूमि हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2	मे. एपीआई इस्पात एंड पॉवरटेक प्राइवेट लिमिटेड (सोलर डिबीजन), ग्राम-मोहमट्टा, तह.-बेरला, जिला-बेमेतरा	36.00	50	03.11.2025	ग्राम पंचायत मोहमट्टा तह. बेरला द्वारा दिनांक 24.06.2025 को 36 हेक्टेयर भूमि हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
3	मे. अमृत मेटल मेटल्स एंड गैसेज एलएलपी (सोलर डिबीजन), ग्राम-मोहमट्टा, तह.-बेरला, जिला-बेमेतरा	0.80	2	-	इकाई को सोलर प्लांट स्थापना हेतु 0.801 हेक्टेयर भूमि पर ग्राम पंचायत मोहमट्टा तह. बेरला द्वारा दिनांक 24.06.2025 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
4	मे. राधाकिशन एग्रोटैक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-मोहमट्टा, तह.-बेरला, जिला-बेमेतरा	0.86	2	-	इकाई को सोलर प्लांट स्थापना हेतु 0.86 हेक्टेयर भूमि पर ग्राम पंचायत मोहमट्टा तह. बेरला द्वारा दिनांक 24.06.2025 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
5	मे. शिवम स्ट्रक्चरल एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड (सोलर डिबीजन), ग्राम-मोहमट्टा, तह.-बेरला, जिला-बेमेतरा	0.90	1.25	-	इकाई को सोलर प्लांट स्थापना हेतु 0.90 हेक्टेयर भूमि पर ग्राम पंचायत मोहमट्टा तह. बेरला द्वारा दिनांक 24.09.2025 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
6	मे. यू के स्टील, ग्राम-मोहमट्टा, तह.-बेरला, जिला-बेमेतरा	1.53	2	-	इकाई को सोलर प्लांट स्थापना हेतु 1.53 हेक्टेयर भूमि पर ग्राम पंचायत मोहमट्टा तह. बेरला द्वारा दिनांक 07.12.2024 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
7	मे. ब्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड (सिलतरा डिबीजन), ग्राम-मोहमट्टा, तह.-बेरला, जिला-बेमेतरा	10.80	20	-	इकाई को सोलर प्लांट स्थापना हेतु 10.80 हेक्टेयर भूमि पर ग्राम पंचायत मोहमट्टा तह. बेरला द्वारा दिनांक 07.12.2024 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।


अनुभाग अधिकारी
युगिज्य एवं उद्योग विभाग
राज्य, नवा रायपुर, अटल नगर

8	मे. वासवानी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-मोहभट्ठा, तह.-बेरला, जिला-बेमेतरा	36.91	50	-	इकाई को सोलर प्लॉट स्थापना हेतु 36.91 हेक्टेयर भूमि पर ग्राम पंचायत मोहभट्ठा तह. बेरला द्वारा दिनांक 07.12.2024 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
9	मे. मधुर आयरन एंड स्टील (इंडिया) लिमिटेड - सोलर डिविजन, ग्राम-मोहभट्ठा, तह.-बेरला, जिला-बेमेतरा	2.40	3	-	इकाई को सोलर प्लॉट स्थापना हेतु 2.40 हेक्टेयर भूमि पर ग्राम पंचायत मोहभट्ठा तह. बेरला द्वारा दिनांक 24.06.2025 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
10	मे. आरडीबी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-मोहभट्ठा, तह.-बेरला, जिला-बेमेतरा	4.32	6	-	उक्त इकाई उद्यम आकांक्षा धारित नहीं है। इकाई की जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, रायपुर अनुसार है।



अनुभाग अधिकारी

यागिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष्य - तेरह

तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 2139) की जानकारी

प्रपत्र

जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 20 फरवरी तक सड़कों का पंचवर्क कार्य।

क्र.	विकासखण्ड	कार्य का नाम	आबंटित राशि (लाख में)	कार्य की स्थिति			कार्य अप्रारंभ का कारण
				पूर्ण	प्रगति	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अं.चौकी	राजनांदगांव-डोगरगांव-चौकी-मोहला-मानपुर मार्ग के कि.मी 43/2 से 51/10 = 9.00 कि.मी. का बी.टी. पंच मरम्मत कार्य।	5.83	पूर्ण	-	-	-
2	अं.चौकी	अं.चौकी से पांगरी मार्ग लंबाई 2.00 कि.मी. का बी.टी. पंच मरम्मत कार्य।	3.32	पूर्ण	-	-	-
3	अं.चौकी	गौरव पथ राजीव गांधी चौक से जनपद पंचायत चौक अं.चौकी तक लंबाई 0.80 कि.मी. का बी.टी. पंच मरम्मत कार्य।	12.41	पूर्ण	-	-	-
4	अं.चौकी	चौकी-चिल्हाटी-कोरचाटोला मार्ग लंबाई 22.20 कि.मी. का बी.टी. पंच मरम्मत कार्य।	5.85	पूर्ण	-	-	-
5	अं.चौकी	हाडीटोला-कहाडकसा-सिंगाभेडी मार्ग लंबाई 2.00 कि.मी. का बी.टी. पंच मरम्मत कार्य।	2.91	पूर्ण	-	-	-
6	अं.चौकी	कौडूटोला-सोनसायटोला-केकतीटोला-भरीटोला मार्ग लंबाई 9.20 कि.मी. का बी.टी. पंच मरम्मत कार्य।	4.74	पूर्ण	-	-	-
7	अं.चौकी	मोंगरा-सेम्हरबांधा मार्ग लंबाई 4.80 कि.मी. का बी.टी. पंच मरम्मत कार्य।	2.62	पूर्ण	-	-	-



अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

क्र.	विकासखण्ड	कार्य का नाम	आबंटित राशि (लाख में)	कार्य की स्थिति			कार्य अप्रारंभ का कारण
				पूर्ण	प्रगति	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	मोहला / मानपुर	राजनांदगांव-डोगरगांव-चौकी-मोहला-मानपुर मार्ग के 76 से 98 / 10 = 23.00 किमी. में बी.टी. पेंच कार्य।	37.60	-	प्रगतिरत	-	-
9	मोहला / मानपुर	राजनांदगांव-डोगरगांव-चौकी-मोहला-मानपुर मार्ग के 60 से 75 एवं 99 से 100 / 2 = 16.200 किमी. में डब्ल्यू.एम.एम. पेंच कार्य।	32.46	पूर्ण	-	-	-
10	मोहला	बोरिया मोहला मार्ग किमी. 1 से 19.60 किमी. में डब्ल्यू.एम.एम. एवं बी.टी. पेंच कार्य।	16.96	पूर्ण	-	-	-
11	मोहला	मानपुर रेस्ट हाऊस लंबाई 200 मीटर में बी.टी. पेंच कार्य।	4.68	पूर्ण	-	-	-
12	मोहला	बोरिया रेस्ट हाऊस लंबाई 105 मीटर में बी.टी. पेंच कार्य।	0.92	पूर्ण	-	-	-
13	मोहला	कलेक्टर / एसपी. कार्यालय पहुंच मार्ग लंबाई 495 मीटर में बी.टी. पेंच कार्य।	3.50	पूर्ण	-	-	-
14	मानपुर	सीतागांव से सेन्डावाही हलांजूर मार्ग के किमी. 1 से 3 में डब्ल्यू.एम.एम. पेंच कार्य।	1.22	पूर्ण	-	-	-
		योग:- 14 कार्य	135.02	13 पूर्ण	01 प्रगति		


 अनुभाग अधिकारी
 लोक निर्माण विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

मुख्य अभियंता (प्रशासन)
 कार्या. प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.,
 नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

प्रश्न

Sl.No	STATE NAME	TOTAL CERT. ISSUED
1	Andhra Pradesh	9
2	Assam	18
3	Bihar	275
4	Chhattisgarh	4753
5	Delhi	21
6	Dadra & Nagar Haveli	19
7	East Central Railway	195
8	East Coast Railway	20
9	Eastern Railway	141
10	Gujarat	21
11	Haryana	435
12	Himachal Pradesh	240
13	Jammu & Kashmir	68
14	Jharkhand - I	30
15	Jharkhand - II	64
16	Karnataka	179
17	K.V.S	71
18	Kerala	59
19	Madhya Pradesh	433
20	Maharashtra	144
21	Meghalaya	40
22	Nagaland	19
23	North Central Railway	10
24	Northern Railway	135
25	Odisha	370
26	Punjab	8
27	Rajasthan	981
28	S.C. Railway	131
29	South East Central Railway	96
30	S.E. Railway	151
31	Tamilnadu	199
32	Telangana	13
33	Uttar Pradesh	470
34	Uttarakhand	139
35	West Bengal	88
36	Western Railway	53
37	Srilanka	5
TOTAL		10103

अनुभाग अधिकारी
शूल शिक्षा विभाग
विद्यालय, रायपुर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण नयागढ़

एन.टी.पी.सी, एस.ई.सी.एल., बालकों आदि कारखाना प्रबंधन द्वारा कार्य स्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य के लिए किये गये उपाय की जानकारी

क्र.	सुरक्षा प्रावधान	सुरक्षा का विवरण
1	सुरक्षा प्रशिक्षण	संयंत्र में नियोजित सभी श्रमिकों को नियुक्ति के समय अनिवार्य सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। समय-समय पर कार्य-विशिष्ट प्रशिक्षण एवं आवधिक पुनः प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। प्रतिदिन टूलबॉक्स टॉक कराया जाता है। ऊँचाई पर कार्य, संकीर्ण स्थान में प्रवेश, हॉट वर्क, लिफ्टिंग ऑपरेशन एवं विद्युत कार्य जैसे उच्च जोखिम वाली गतिविधियों हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।
2	सेफ्टी ऑडिट	बाह्य/आंतरिक सुरक्षा ऑडिट कराया जाता है।
3	सुरक्षित मानक संचालन	सभी परिचालन एवं रखरखाव गतिविधियों के लिए मानक संचालन विकसित की गयी है। इन्हे कार्यस्थलों पर प्रदर्शित की जाती है तथा प्रशिक्षण के दौरान श्रमिकों को एसओपी के पालन हेतु जागरूक किया जाता है।
4	आपातकालीन सुरक्षा	आपातकालीन योजना लागू है जिसे मुख्य कारखाना निरीक्षक, छ. ग. शासन द्वारा अनुमोदित किया गया है। आवधिक रूप से मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है तथा फायर डिटेक्शन एवं अग्निशमन प्रणालियों का नियमित रखरखाव एवं निरीक्षण किया जाता है।
5	आंतरिक सुरक्षा	जोखिमपूर्ण कार्यों हेतु पी.टी.डब्लू. प्रणाली का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है। रखरखाव या मरम्मत कार्य से पूर्व (लोडो) प्रक्रियाओं का विधिवत पालन सुनिश्चित किया जाता है। जोखिम पहचान एवं जोखिम मूल्यांकन किया जाता है।
6	सुरक्षा उपकरण	सुरक्षा उपकरण जैसे:- हेलमेट, हेपामास्क, सुरक्षा जूता, दस्ताने, ईयरप्लग, फेससील्ड आदि कार्यरत समस्त श्रमिकों को कार्यान्वयन उपलब्ध कराया जाकर कार्य के दौरान धारण कराया जाना सुनिश्चित की जाती है।
7	अग्नि सुरक्षा	अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सीआईएसएफ की अग्निशमन शाखा तैनात है।
8	सुरक्षा समिति गठन	श्रमिकों और प्रबंधन कर्मियों के सदस्यों के साथ सुरक्षा समिति का गठन किया गया है और समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं।

9	मॉक ड्रिल	समय-समय पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं, जिनमें बहु-एजेंसी मेगा मॉक ड्रिल और सीआईएसएफ द्वारा आयोजित ड्रिल शामिल हैं।
10	सुरक्षा अधिकारी एवं सुपरविजन	श्रमिकों के कार्यस्थल के पर्यवेक्षण एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कारखानों में नियमानुसार सुरक्षा अधिकारी एवं सुपरवाइजर्स की नियुक्ति की गयी है। सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए कार्य पर्यवेक्षण, आवधिक सुरक्षा निरीक्षण, सुरक्षा सर्वेक्षण आदि आयोजित किए जाते हैं।
11	अतिरिक्त सुरक्षा उपाय	<ul style="list-style-type: none"> ● सुरक्षा अधिकारी, कल्याण अधिकारी और कारखाना चिकित्सा अधिकारी नियोजित किया है। ● हाईजिन सर्वे निष्पादित की जाती है। ● भवन/संरचना का स्थायित्व प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। ● वर्क परमिट प्रणालियाँ अपनायी जाती है। ● धूल निष्कर्षण प्रणाली का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। ● ऊँचाई पर सुरक्षित रूप से कार्य किये जाने हेतु लाईफ लाईन एवं सुरक्षा जाल की व्यवस्था की जाती है।
12	जोखिमयुक्त कार्यस्थलों की पहचान	कार्यक्षेत्रों की निगरानी खतरों की पहचान करने के लिए की जाती है, मानक संचालन प्रक्रियाएं, मानक रखरखाव प्रक्रियाएं और HIRA (विभिन्न गतिविधियों पर जोखिम पहचान और खतरा मूल्यांकन) तैयार की जाती हैं और दुर्घटना-मुक्त संचालन सुनिश्चित करने के लिए इनका पालन किया जाता है तथा सभी गतिविधियां कड़ी निगरानी में की जाती हैं।
13	सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम	सुरक्षा जागरूकता के लिए कर्मचारियों के साथ सीधे संवाद हेतु प्रबंधन द्वारा समय-समय पर सामूहिक प्रेरक वार्ता आयोजित की जाती है। सुरक्षा प्रथाओं में सुधार और जागरूकता बढ़ाने के लिए अन्य संयंत्रों और स्थानों पर घटी घटनाओं की जानकारी भी कर्मचारियों के साथ साझा की जाती है।
14	चिकित्सा सेवाएं	व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित और संचालित किया जाता है उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में नियमानुसार चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ नियोजित किया गया है। साथ ही एम्बुलेंस सेवा 24X7 भी उपलब्ध है। कारखाने में नियोजित श्रमिकों का सामयिक एवं कालिक चिकित्सक परीक्षण कराया जाता है एवं नियमित रूप से स्वास्थ्य एवं फर्स्ट एड के संबंध में श्रमिकों को ट्रेनिंग दी जाती है।


 अनुभाग अधिकारी
 श्रम विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर

पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल, द्वारा विभिन्न सेक्टर/जॉब रोल के लिए तैयार पाठ्यक्रमों के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्यता एवं अन्य आवश्यक मापदंड निम्नानुसार सुझाए गए हैं। संविदा के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए अंतिम निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।

1. शैक्षणिक योग्यता (Qualification)

व्यावसायिक प्रशिक्षक की शैक्षणिक योग्यता संबंधित सेक्टर (ट्रेड) एवं जॉब रोल के अनुसार निर्धारित की जाती है। सामान्यतः संबंधित क्षेत्र में निम्न प्रकार की योग्यताएँ अपेक्षित होती हैं -

- संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा / स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष योग्यता।
- संबंधित क्षेत्र में मान्यता प्राप्त तकनीकी अथवा व्यावसायिक प्रमाणपत्र।
- सेक्टर स्किल काउंसिल अथवा संबंधित प्राधिकरण द्वारा मान्य प्रशिक्षण/प्रमाणन (जहाँ लागू हो)।

2. न्यूनतम दक्षताएँ (Minimum Competencies)

व्यावसायिक प्रशिक्षक में सामान्यतः निम्न दक्षताएँ अपेक्षित होती हैं -

1. संबंधित जॉब रोल/सेक्टर में आवश्यक कार्यानुभव।
2. विषय से संबंधित उपकरणों, तकनीकों तथा प्रक्रियाओं का ज्ञान।
3. सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मानकों की जानकारी।
4. अंग्रेज़ी एवं स्थानीय भाषा में संप्रेषण कौशल।
5. आवश्यकतानुसार कंप्यूटर/आईटी उपकरणों के उपयोग का ज्ञान।

3. आयु सीमा (Age Limit)

व्यावसायिक शिक्षक/प्रशिक्षक की आयु सीमा सामान्यतः 18 से 37 वर्ष निर्धारित की जाती है। आरक्षित वर्गों को शासन के नियमानुसार आयु में छूट प्रदान की जाती है।

4. भर्ती प्रक्रिया (Recruitment Process)

व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति सामान्यतः संविदा के आधार पर की जाती है। चयन की प्रक्रिया राज्य सरकार अथवा अधिकृत Vocational Training Provider (VTP) द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें सामान्यतः निम्न चरण शामिल होते हैं -

1. पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करना।
2. योग्यता एवं अनुभव के आधार पर चयन / मेरिट निर्धारण।
3. आवश्यकतानुसार लिखित परीक्षा / साक्षात्कार / कौशल परीक्षण।

4. चयन के पश्चात् सावदा के आधार पर नियुक्ति।

उक्त अनुसार व्यावसायिक शिक्षकों/प्रशिक्षकों की योग्यता, न्यूनतम दक्षताएँ तथा आयु सीमा सेक्टर एवं जॉब रोल के अनुसार निर्धारित की जाती है तथा नियुक्ति की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है।

नोट - उपर्युक्त उल्लिखित व्यावसायिक शिक्षकों की योग्यताएँ सुझावात्मक (suggestive) हैं, अनिवार्य (prescriptive) नहीं हैं। राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार, प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त समिति के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्यताओं में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं।

ये दिशानिर्देश विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षक/प्रशिक्षकों की नियुक्ति में राज्यों की सहायता एवं मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षकों को नियुक्त करते समय जिन प्रमुख मापदंडों पर विचार किया जाना आवश्यक है, उनमें चयन की विधि एवं प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, उद्योग अनुभव तथा प्रमाणन/मान्यता शामिल हैं।

राज्य, समग्र शिक्षा के अंतर्गत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण घटक के अंतर्गत अनुमोदित विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति निम्नलिखित तरीकों से कर सकता है -

1. प्रत्यक्ष रूप से, पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल, NCERT अथवा संबंधित सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) द्वारा सुझाई गई निर्धारित योग्यताओं एवं उद्योग अनुभव के अनुसार।

या

2. मान्यता प्राप्त वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर के माध्यम से, जिन्हें नेशनल क्वालिटी एसयोरेंस फ्रेमवर्क (National Quality Assurance Framework) (NQAF) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हो। NQAF को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमिटी (National Skill Qualification Committee) द्वारा 21.07.2016 को अनुमोदित किया गया है। यदि राज्य VTP के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति करता है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि VTP को कम से कम NQAF Level-2 या उससे अधिक स्तर पर मान्यता प्राप्त हो।

नेशनल क्वालिटी एसयोरेंस फ्रेमवर्क (NQAF) उन मानकों अथवा गुणवत्ता मानदंडों को निर्धारित करता है, जिन्हें शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न संस्थाओं को पूरा करना आवश्यक होता है, ताकि वे सक्षम प्राधिकरणों द्वारा सरकार द्वारा वित्तपोषित शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संचालन के लिए मान्यता प्राप्त कर सकें। यह व्यवस्था उन सभी संस्थाओं पर लागू होती है जो NSQF के अनुरूप योग्यताएँ प्रदान करती हैं।

किसी विशेष जॉब रोल के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षक बनने हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता उस जॉब रोल के NSQF अनुरूप पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से उल्लिखित रहती है। राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक/प्रशिक्षकों के पास प्रदान की जा रही NSQF योग्यता के अनुरूप तकनीकी दक्षता उपलब्ध हो।


व्यावसायिक प्रशिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चयन के लिए एक मानकीकृत प्रक्रिया का पालन किया जाए। चयन प्रक्रिया में सामान्यतः VTPs द्वारा निम्नलिखित चरण शामिल होने चाहिए -

1. संबंधित सेक्टर के तकनीकी/डोमेन विशेष ज्ञान के परीक्षण हेतु लिखित परीक्षा।

2. विशेषज्ञों एवं राज्य प्रतिनिधियों के पैनल द्वारा साक्षात्कार, जिसमें प्रशिक्षक के ज्ञान, रुचि एवं अभिरुचि का मूल्यांकन किया जाता है।

3. कक्षा/कार्यशाला/प्रयोगशाला में प्रायोगिक परीक्षण अथवा मॉक टेस्ट।

यदि नियुक्त Vocational Training Provider (VTP) के माध्यम से की जाती है, तो उपर्युक्त प्रक्रिया के आधार पर चयन राज्य सरकार एवं VTP के प्रतिनिधियों वाली समिति द्वारा किया जा सकता है।


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर



भाग ब :

समग्र शिक्षा फ्रेमवर्क के दिशा-निर्देशों के अनुसार

(D.O. No. 2-18/2018-IS-1/IS-15; दिनांक: 12 अक्टूबर 2022)

11.17 संकाय एवं स्टाफ (Faculty and Staff)

11.17.3

व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (VET) में आवश्यक गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक हैं। लचीली अधिगम प्रणाली (Flexible Learning) के शैक्षणिक (Pedagogical), तकनीकी तथा प्रबंधकीय पहलुओं की समझ बढ़ाने हेतु गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान एवं उसके प्रसार की आवश्यकता है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन शिक्षकों/स्किल ट्रेनरों की सहायता से तथा आवश्यकता के अनुसार अतिथि संकाय (Guest Faculty) की मदद से किया जाएगा। प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम समूह (Cluster) के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल, द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले शिक्षकों/स्किल ट्रेनरों को नियुक्त किया जा सकता है।

राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को यह लचीलापन प्रदान किया गया है कि वे व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति सीधे कर सकते हैं या फिर National Council for Vocational Education and Training (NCVET) द्वारा मान्यता प्राप्त Vocational Training Providers (VTPs) के माध्यम से भी कर सकते हैं।

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए Vocational Training Providers (VTPs) अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षकों के साथ न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए उपयुक्त समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से उन्हें नियुक्त करने पर भी विचार कर सकते हैं।

11.17.4

नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC) तथा सेक्टर स्किल काउंसिल (SSCs), जो उद्योग एवं नियोक्ताओं के प्रतिनिधि हैं, विद्यालयों में संचालित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

11.17.5

व्यावसायिक शिक्षक/प्रशिक्षकों की भर्ती वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर (VTPs) के माध्यम से की जा सकती है, परंतु वे पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान अन्य शिक्षकों की तरह विद्यालय को ही रिपोर्ट करेंगे।

व्यावसायिक शिक्षक/प्रशिक्षक केवल विद्यालय में शिक्षण-अधिगम गतिविधियों के आयोजन में ही शामिल नहीं होते, बल्कि उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा विद्यालय के बाहर आयोजित गतिविधियों के संचालन में भी आवश्यक सहयोग प्रदान करते हैं।

शिक्षक/स्किल ट्रेनर द्वारा सैद्धांतिक (Theory) एवं प्रायोगिक (Practical) दोनों प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है।

11.17.5

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष - सत्रह
पारिवाहक अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1136) की जानकारी

प्रपत्र

भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनाओं में नलजल कनेक्शन की स्थिति की जानकारी

क्रं.	विकासखण्ड	पूर्ण रूप से जल प्रदाय प्रारंभ गावों की संख्या	आंशिक रूप से जल प्रदाय प्रारंभ गावों की संख्या
1	2	3	4
1	चारामा	39	27
2	भानुप्रतापपुर	53	39
3	दुर्गकोन्दल	62	44
कुल योग:-		154	110

Sedhan
अनुभाग अधिकारी
लोक स्वास्थ्य मांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर


प्रपत्र

विषय :- बसना से पदमपुर मार्ग का चौड़ीकरण कार्य।

स.क्र.	मार्ग का नाम	निर्माण वर्ष	निर्माण लागत (लाख में)	एजेंसी का नाम	क्या उक्त निर्माण कार्य अधिकारियों द्वारा बनाये गए प्राक्कलन व नक्शा के अनुरूप हुआ था।	क्या उक्त निर्माण से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई थी	शिकायत पर की गई कार्यवाही	शिकायत में कार्यवाही नहीं, तो क्यों, कारण बतावें	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जिला महासमुन्द के बसना- पदमपुर मार्ग लं. 14.80 कि. मी. का उन्नयन कार्य।	19.2.2023	2783.87	मे. मनोज कुमार कोडिया, सारंगढ	जी हों !	जी हों !	बसना-पदमपुर मार्ग के वास्तविक कि.मी. 5/4 पर निर्मित दुधीपाली के पास पुल निर्माण के लिये पर्याप्त चौड़ाई नहीं मिलने एवं स्वीकृत प्राक्कलन में भू-अर्जन की राशि नहीं होने के कारण स्वीकृत पुल 12 मीटर चौड़ाई (लागत राशि 184.28 लाख) के स्थान पर IRC SP- 13 के अनुसार मुख्य जिला मार्ग पर निर्धारित कल्वर्ट ओवर ऑल चौड़ाई 8.40 मीटर (लागत राशि 72.33 लाख) के अनुरूप कराया गया है। जिसका ड्राईंग (GAD) अनुमोदन हेतु अनुशसा सहित अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि. मंडल क्र. 2 रायपुर द्वारा मुख्य अभियंता, लो.नि. वि. रायपुर परिक्षेत्र रायपुर को प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात् उक्त पुल के संबंध में दिनांक 12.3.2022 को मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. रायपुर परिक्षेत्र रायपुर एवं माननीय तत्कालीन विधायक महोदय बसना के द्वारा दूरभाष पर चर्चा की गई एवं उनके द्वारा कार्य संतुष्ट होते हुए कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। जिसके परिपालन में कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग महासमुंद द्वारा पत्र क्र. 2405/तक./बसना-पदमपुर महासमुंद, दि. 9.5.2022 द्वारा शिकायत निराधार मानते हुये प्रतिबेदन उच्च कार्यालय एवं माननीय तत्कालीन विधायक बसना को भी प्रतिलिपि प्रेषित किया गया है। अतः किसी पर कोई कार्यवाही नहीं किया गया है।	-	



अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर



मुख्य अभियंता
कार्या. प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि. नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पारोशिए - उन्नीस

पारिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 1184) की जानकारी

प्रपत्र

जॉच प्रतिवेदनजॉच स्थल - कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बसना जिला-महासमुन्द (छ.ग.)जॉच दिनांक - 15/04/2025

जॉच का विषय :- श्री सूर्यकान्त मिश्रा तत्कालिन लेखापाल/लिपिक कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना, जिला महासमुन्द छ.ग. ने दिनांक 01.04.2018 से 15.06.2019 तक की अवधि का कार्यालयीन रोकड़ पंजी नहीं बनाया है, संधारित नहीं किया है। इसके बावजूद समस्त मद की राशि आहरण एवं व्यय किया गया है। इसके साथ कार्यालयीन अन्य अभिलेख और पंजी नहीं बनाया गया है अथवा गायब कर दिया गया है।

जॉच के पूर्व प्रक्रिया :-

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर का पत्र क्र./संतर्कता/शि.जां./महासमुन्द/एफ-53/2024/1418 रायपुर दिनांक 08/04/2024 के माध्यम से दो सदस्यीय जॉच दल गठित कर श्री अरुण कुमार प्रधान सहायक प्राध्यापक, डाइट महासमुन्द एवं श्री अमरदास कुर्रे सहायक संचालक, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर को जॉच कर स्पष्ट अभिमत सहित जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया। पत्र के परिपालन में कार्यालय जॉच अधिकारी (डाइट महासमुन्द) का पत्र क्र. 03/शिकायत जॉच/2025 महासमुन्द दिनांक 11.04.2025 के माध्यम से जॉच हेतु दिनांक 15/04/2025 समय 2.00 बजे दोपहर स्थान कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना, जिला महासमुन्द (छ.ग.) निर्धारित करते हुए श्री विनोद कुमार दास शिकायतकर्ता, आवश्यक कार्यालयीन अभिलेख उपलब्ध कराने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, लेखापाल, तत्कालीन लेखापाल/लिपिक श्री सूर्यकान्त मिश्रा को नियत तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। तथा जॉच के दरम्यान जॉच से संबंधित अन्य प्रतिवादियों को भी दूरभाष से सूचित कर उपस्थित होने निर्देशित किया गया। जॉच के दौरान उपस्थित उभय पक्षों का उपस्थिति पत्रक संलग्न है।

शिकायत की जॉच प्रारंभ करने के पूर्व 01.04.2018 से 15.06.2019 के दरम्यान कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं लेखापाल/वित्त प्रभारी कार्यालय सहायकों (कार्यालय प्रभारियों) की सूची ली गई।

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी

1. श्री वाई.आर. लहरे दिनांक 07.12.2015 से 02.07.2018 तक।
2. श्री विनोद कुमार शुक्ला दिनांक 02.08.2018 से 29.01.2019 तक।
3. श्री जे.आर. डहरिया दिनांक 30.01.2019 से अब तक।

कार्यालय प्रभारी (लेखापाल/वित्त प्रभारी)


1. श्री विनय कुमार मिश्रा दिनांक 29.09.2017 से 31.08.2018 तक।
2. श्री सूर्यकान्त मिश्रा दिनांक 01.09.2018 से 18.07.2019 तक।

शिकायत बिन्दु निम्नानुसार है :-

1. रोकड़ बही एवं बिल रजिस्टर अपूर्ण है-

श्री सूर्यकान्त मिश्रा का कथन -

रोकड़ बही एवं बिल रजिस्टर अपूर्ण होने के संबंध में लेख है कि तत्कालीन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा रोकड़ बही एवं बिल रजिस्टर का संधारण विकासखण्ड के पूर्व सेवा निवृत्त प्रधान पाठक श्री महेन्द्र कुमार महापात्र द्वारा कराया जाता था और बिल रजिस्टर एवं रोकड़ बही के अपूर्ण होने या नहीं भराये जाने की जानकारी तत्कालीन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ही दे पायेंगे, क्योंकि कार्यालय में पूर्व से ही बिल रजिस्टर एवं रोकड़ बही का संधारण श्री महेन्द्र कुमार महापात्र से ही कराया जा रहा था।




2. मध्यान्ह भोजन का रोकड़ पंजी नहीं बनाया गया है -

श्री सूर्यकान्त मिश्रा का कथन :-

मध्यान्ह भोजन रोकड़ पंजी नहीं भराये जाने के संबंध में लेख है कि उक्त योजना के प्रभार में नहीं था और मध्यान्ह भोजन रोकड़ पंजी नहीं भराने की जानकारी मुझे नहीं है।

3. व्हाऊचर्स फाइल एवं स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है-

श्री सूर्यकान्त मिश्रा का बयान -

उक्त अवधि के समस्त वित्तीय अभिलेखों का संधारण श्री महेन्द्र कुमार महापात्र सेवा निवृत्त प्रधान पाठक द्वारा कराया जाता था, और उक्त व्हाऊचर्स फाइल एवं स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाये जाने की मुझे जानकारी नहीं है।

4. सामान्य भविष्य निधि रजिस्टर एवं सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान रजिस्टर नहीं बनाया गया है।

श्री सूर्यकान्त मिश्रा का बयान -

सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान रजिस्टर नहीं बनाये जाने के संबंध में उक्त अवधि का समस्त वित्तीय अभिलेखों का संधारण श्री महेन्द्र कुमार महापात्र सेवा निवृत्त प्रधान पाठक द्वारा किया जाता रहा है।

5. सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए रजिस्टर नहीं बनाया गया है (अर्जित अवकाश, जी.आई.एस, जी.पी.एफ)

श्री सूर्यकान्त मिश्रा का बयान -

श्री महेन्द्र कुमार महापात्र सेवा निवृत्त प्रधान पाठक द्वारा ही संधारण किया जाता रहा है। इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

6. मध्यान्ह भोजन बिल देयक एवं चेक रजिस्टर नहीं बनाया गया है -

श्री सूर्यकान्त मिश्रा का बयान -

मध्यान्ह भोजन योजना का प्रभारी नहीं था। इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

7. सूचना का अधिकार का रजिस्टर तथा चालान से पटायी गई चालान प्रति नहीं :-

श्री सूर्यकान्त मिश्रा का बयान -

सूचना का अधिकार का प्रभार श्री देवेन्द्र कुमार साव सहायक ग्रेड-02 को आवंटित था। इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

8. सेवा पुस्तिका एवं पास बुक की सूची नहीं सौंपी गई -

श्री सूर्यकान्त मिश्रा का बयान -

सेवा पुस्तिका एवं पास बुक की सूची नहीं सौंपी गई है कि संबंध में लेख है कि वित्तीय अभिलेखों का संधारण श्री महेन्द्र कुमार महापात्र सेवा निवृत्त प्रधान पाठक द्वारा कराया जाता था। मुझे किसी के द्वारा सेवा पुस्तिका एवं पास बुक की सूची नहीं सौंपी गई थी।

9. अन्य आपत्ति देयक भुगतान करने हेतु शेष बचा है तो उसकी जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

श्री सूर्यकान्त मिश्रा का बयान -

समस्त कार्यालयीन वित्तीय कार्य का संधारण श्री महेन्द्र कुमार महापात्र सेवा निवृत्त प्रधान पाठक द्वारा कराया जाता था। उक्त आपत्ति देयक की जानकारी मुझे नहीं है। तत्कालीन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ही बता पायेंगे।

10. इसके अलावा और कोई अभिलेख लेखापाल/लिपिक के प्रभार में है तो उसे भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

श्री सूर्यकान्त मिश्रा का बयान –

केवल नाम मात्र के लिए हमें कक्ष का प्रभार सौंपा गया था। वित्त विभाग के समस्त कार्यों का निर्वहन पूर्व बी.ई.ओ. द्वारा श्री महेन्द्र कुमार महापात्र सेवा निवृत्त प्रधान पाठक से कराया जाता था, और उक्त समय के अभिलेख मुझे किसी भी लिपिक या लेखापाल द्वारा नहीं दिया गया था। उक्त संबंध में मुझे किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है।

(संलग्न श्री सूर्यकान्त मिश्रा का बयान पेज नं. 15 एवं 16)

श्री सोहन लाल कैवर्त का बयान –

मैं 08.08.2016 से 28.09.2017 तक वित्तीय प्रभार में था। मेरे द्वारा श्री विनय कुमार मिश्रा को सम्पूर्ण वित्तीय प्रभार सौंपा गया। मध्यान्ह भोजन के प्रभार में नहीं था।

प्रभार सौंपने से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।

(संलग्न श्री सोहन लाल कैवर्त का बयान पेज नं. 17)

श्री देवेन्द्र कुमार साव सहायक ग्रेड-02 सूचना का अधिकार के प्रभार में थे। वे बगैर सूचना/अवकाश आवेदन के अक्टूबर 2023 से आज पर्यन्त कार्यालय से अनुपस्थित हैं।

श्री विनय कुमार मिश्रा तत्कालीन लेखापाल कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (वर्तमान पदस्थापना- शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ेटेमरी सहायक ग्रेड-02) से दूरभाष से सम्पर्क कर बयान हेतु बुलाया गया पर वे अनुपस्थित रहे।

श्री एस.एन. शर्मा (वर्तमान लेखापाल) के लिखित बयान निम्नानुसार है –

शिकायत अवधि का रोकड़ पंजी एवं बिल व्हाऊचर्स, मध्यान्ह भोजन का रोकड़ पंजी, व्हाऊचर्स एवं स्टॉक रजिस्टर, सामान्य भविष्य निधि रजिस्टर एवं सामान्य भविष्य अंतिम भुगतान रजिस्टर नहीं बनाया गया है।

सेवा निवृत्त कर्मचारियों के अर्जित अवकाश, जी.आई.एस, एफ.बी. का रजिस्टर नहीं बनाया गया है।

श्री देवेन्द्र कुमार साव सहायक ग्रेड-2 सूचना का अधिकार के प्रभार में थे। अभी वर्तमान में लम्बी अनुपस्थित है। अनुपस्थिति की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द को दी जा चुकी है।

सेवा पुस्तिका, पास बुक की सूची नहीं सौंपी गई है।

मध्यान्ह भोजन संबंधी कोई भी सामग्री एवं अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है और न ही बनाया गया है।

(संलग्न श्री एस.एन. शर्मा का बयान पेज नं. 18 एवं 19)

श्री विनोद कुमार शुक्ला तत्कालीन प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना (वर्तमान सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना) का बयान :-

मैं विनोद कुमार शुक्ला, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना 02 अगस्त 2018 से 30 जनवरी 2019 तक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के प्रभार में था। तत्कालीन समय में वित्तीय एवं स्थापना संबंधी प्रभार श्री सूर्यकान्त मिश्रा के पास था। सभी प्रकार के दस्तावेज के रखरखाव एवं वित्तीय अभिलेख का संधारण उनके द्वारा कराये जाने का दायित्व था। मेरे कार्यकाल के पश्चात् भी यह दायित्व श्री सूर्यकान्त मिश्रा के पास यथावत था। उस समय से विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी श्री जे.आर. डहरिया जी हैं।

(संलग्न श्री विनोद कुमार शुक्ला का बयान पेज नं. 46)

श्री सूर्यकान्त मिश्रा को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरायपाली के लिये कार्यमुक्त किया गया उस समय समस्त दस्तावेज किसे सौंपा गया इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जबकि जुलाई 2019 में वर्तमान लेखापाल श्री सत्यनारायण शर्मा जी के पास वित्तीय एवं स्थापना संबंधित प्रभार अभी तक है।

समस्त दस्तावेज पूर्ण-अपूर्ण होने के संबंध में जानकारी श्री सूर्यकान्त मिश्रा ही बता पायेंगे।

श्री एस.एन.शर्मा द्वारा दिनांक 14.03.2023 जिला स्तरीय जाँच टीम को प्रस्तुत पत्र :-

श्री डहरिया के लिखित बयान अनुसार श्री सूर्यकान्त मिश्रा तत्कालीन कक्ष लिपिक को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरायपाली के पत्र क्र./736/क/वा-1/अविअ./19 सरायपाली दिनांक 31.07.2019 के अनुसार तहसील कार्यालय सरायपाली में संलग्न किया गया था। दिनांक 14/08/2019 को संबंधित लिपिक के द्वारा कार्यमुक्ति के दौरान लिखित में दिया गया है कि 01/09/2018 से 18.07.20219 के बीच वित्त प्रकरणों से संबंधित राशि निकासी जमा आहरण एवं बिल व्हाउचर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरायपाली में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर विधि पूर्वक कार्यरत श्री एस.एन.शर्मा लेखापाल को सौंपने हेतु एवं व्हाउचर विधि पूर्वक नहीं सौंपने पर जिम्मेदारी संबंधित लिपिक श्री सूर्यकान्त मिश्रा द्वारा अपने उपर लिया गया है। चूंकि जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द के पत्र क्र. 4363/शिकायत/नोटिस/2022 महासमुन्द दिनांक 30/09/2022 के तहत श्री सूर्यकान्त मिश्रा द्वारा राशि 623348/- (अक्षरी छः लाख तेईस हजार तीन सौ अड़तालीस रुपये) बिजली बिल भुगतान की पावती जाँच दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः श्री सूर्यकान्त मिश्रा तत्कालीन लिपिक कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना के द्वारा राशि 623348/- (अक्षरी छः लाख तेईस हजार तीन सौ अड़तालीस रुपये) बिजली बिल भुगतान की पावती एवं बिल व्हाउचर मुझे आज दिनांक 14/03/2023 तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे जाँच अधिकारी एवं लेखा परीक्षकों को बिजली संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने में मैं असमर्थ हूँ।

कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना द्वारा नोटिस क्र. 456 बसना दिनांक 30/07/2019 के माध्यम से श्री सोहन लाल कैवर्त सहायक ग्रेड-3 श्री विनय कुमार मिश्रा सहायक ग्रेड-3 एवं श्री सूर्यकान्त मिश्रा सहायक ग्रेड-3 को अपने कार्यावधि के समस्त दस्तावेज श्री एस.एन. शर्मा लेखापाल को सौंपने नोटिस जारी किया गया था।

(संलग्नक पृ.क्र 20 से 45)

श्री सूर्यकान्त मिश्रा ने दिनांक 14/08/2019 को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना को प्रस्तुत पत्र के अनुसार उन्होंने 01/09/2018 से 18/07/2019 के बीच वित्तीय प्रकरणों संबंधी या राशि निकासी, जमा, आहरण मेरे द्वारा हुआ है इनके व्हाउचर मैं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरायपाली में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर विधि पूर्वक कार्यरत लेखापाल श्री एस.एन.शर्मा को सौंपूंगा/नहीं सौंपूंगा तो मेरी सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना के पत्र क्र. 2075 बसना दिनांक 24/10/2018 के अनुसार कार्यालय के समस्त वित्तीय प्रभार का दायित्व निम्नांकित लेखापाल /लिपिक को सौंपा गया था।

श्री विनय कुमार मिश्रा - 01/09/2018 तक

श्री सूर्यकान्त मिश्रा - 01/09/2018 से

श्री जे.आर.डहरिया विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना का बयान -

कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना के पत्र क्र. 2075/वित्तीय प्रभार/2018 बसना दिनांक 24/10/2018 को श्री सूर्यकान्त मिश्रा तत्कालीन सहायक ग्रेड-3 दिनांक 01/09/2018 से वित्तीय प्रभार में थे।

अवधि 2018-19 में बिजली बिल देयकों के अनुसार चेक क्र. 740391 की राशि 299258/- (अक्षरी दो लाख निन्यानवे हजार दो अट्ठावन रुपये) दिनांक 28/02/2019 को श्री सूर्यकान्त मिश्रा तत्कालीन लिपिक (कक्ष प्रभारी) चेक काटकर दिया गया है। जिसको संबंधित लिपिक के द्वारा बैंक से राशि आहरण किया गया (बैंक स्कॉल की कॉपी संलग्न है) जिसका व्हाऊचर कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

चेक क्र. 740463 दिनांक 21/05/2019 को राशि 894420/- (अक्षरी आठ लाख चौरानवे हजार चार सौ बीस रुपये) का चेक काटा गया, जिसको श्री सूर्यकान्त मिश्रा तत्कालीन लिपिक (कक्ष प्रभारी) के द्वारा बैंक से आहरण किया गया (बैंक स्कॉल की कापी संलग्न है) उक्त राशि में से राशि 414870/- (अक्षरी चार लाख चौदह हजार आठ सौ सत्तर रुपये) की व्हाऊचर संबंधित श्री सूर्यकान्त मिश्रा के द्वारा उपलब्ध कराया (व्हाऊचर की प्रति संलग्न)

कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना ने पत्र क्र. 163 दिनांक 17/05/2022 के तहत जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द को संबंधित कक्ष लिपिक (श्री सूर्यकान्त मिश्रा) द्वारा अभिलेख एवं व्हाऊचर प्रस्तुत नहीं करने संबंधी पत्र प्रस्तुत किया गया।

मेरे कार्यभार ग्रहण दिनांक 30/01/2019 से 18/07/2019 तक कार्यकाल के दौरान श्री सूर्यकान्त मिश्रा तत्कालीन सहायक ग्रेड-3 कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना वित्तीय शाखा प्रभारी थे, उनके द्वारा वित्त से संबंधित कार्य किया जाता था, बिल रजिस्टर, बी.टी.आर., चेक बुक एवं अन्य दस्तावेज श्री सूर्यकान्त मिश्रा के पास था।

(संलग्न श्री जे.आर.डहरिया का बयान पेज नं. 60 एवं 61)

शिकायत की जांच में अधोलिखित तथ्य पाए गये-

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना (कार्य अवधि)

- श्री वाई.आर. लहरे - दिनांक 07.12.2015 से 02.08.2018 तक
- श्री विनोद कुमार शुक्ला - दिनांक 02.08.2018 से 29.01.2019 तक
- श्री जे.आर. डहरिया - दिनांक 30.01.2019 से अब तक
- ❖ 05.04.2018 से केश बुक में प्रविष्टि प्रारंभ।
- ❖ 05.06.2018 से 24.08.2018 (व्हाऊचर नंबर 139/24.08.2018) तक केश बुक में प्रविष्टि है परन्तु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है।
- ❖ केश बुक के पेज नं. 68 से 75 तक निरस्त किया गया है, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है।
- ❖ कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना जिला महासमुन्द छ.ग. का पत्र क्र. 2075/वित्तीय प्रभार/2018 बसना दिनांक 24/10/2018 के तहत श्री विनय कुमार मिश्रा सहायक ग्रेड-3 को विधानसभा निर्वाचन 2018 तहसील कार्यालय बसना हेतु मुक्त करते हुए दिनांक 01.09.2018 से समस्त वित्तीय प्रभार श्री सूर्यकान्त मिश्रा सहायक ग्रेड-3 को सौंपते हुए समस्त वित्तीय कार्य नोटशीट के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे, वित्तीय केश बुक प्रत्येक वित्तीय लेनदेन पश्चात् अद्यतन स्थिति में हो, संपूर्ण सेवा पुस्तिका एवं अन्य वित्तीय अभिलेखों को सुरक्षित संधारित रखा जावे। अन्यथा किसी भी अनियमितता की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, निर्देशित किया गया था।
- ❖ अप्रैल 2018 से अगस्त 2018 तक का समस्त वित्तीय प्रभार श्री विनय कुमार मिश्रा सहायक ग्रेड-3 के पास था।

- ❖ 01.09.2018 से 15.06.2019 तक की अवधि में श्री सूर्यकान्त मिश्रा सहायक ग्रेड-3 समस्त वित्तीय प्रभार में रहे।
- ❖ श्री विनय कुमार मिश्रा एवं श्री सूर्यकान्त मिश्रा द्वारा कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के समस्त वित्तीय प्रभार में रहते हुए वित्तीय अभिलेखों का समुचित संधारण नहीं किया गया और न ही तत्कालीन समयावधि के बिल व्हाऊचर प्रस्तुत किए।
- ❖ 05.06.2018 से 24.08.2018 की अवधि में श्री वाई.आर. लहरे, श्री विनोद कुमार शुक्ला विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त अवधि में वित्तीय अभिलेखों के विधिवत संधारण करने में कोई रूचि नहीं ली।
- ❖ कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना के नोटिस क्र. 456 दिनांक 30.07.2019 के माध्यम से श्री सोहन लाल कैवर्त सहायक ग्रेड-3, श्री विनय कुमार मिश्रा सहायक ग्रेड-3 एवं श्री सूर्यकान्त मिश्रा सहायक ग्रेड-3 को कार्यालय के संपूर्ण अभिलेख अपूर्ण होने के कारण से कार्यालयीन कार्य करने में असुविधा हो रही है, उल्लेख करते हुए अभिलेख पूर्ण कर संपूर्ण प्रभार श्री एस.एन. शर्मा लेखापाल को सौंपने नोटिस जारी किया गया।
- ❖ श्री सूर्यकान्त मिश्रा ने अपने लिखित बयान में उल्लेख किया है कि केवल नाम मात्र के लिए हमें वित्त कक्ष का प्रभार सौंपा गया था। वित्त विभाग के समस्त कार्यों का निर्वहन शिकायत अवधि के दरम्यान कार्यरत विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा श्री महेन्द्र कुमार महापात्र सेवा निवृत्त प्रधान पाठक से करवाते रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस आपत्ति जनक कार्यों के लिए कभी मौखिक या लिखित विरोध करने के आशय का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।
- ❖ श्री एस.एन. शर्मा लेखापाल के लिखित बयान अनुसार शिकायत अवधि के दौरान वित्तीय प्रभार में रहे वित्त/स्थापना प्रभारियों द्वारा रोकड़ बही, बिल रजिस्टर, सामान्य भविष्य निधि दस्तावेज, बिल व्हाऊचर आदि समस्त वित्तीय/स्थापना संबंधी दस्तावेज अब तक उपलब्ध नहीं कराये गये।
- ❖ दिनांक 15.04.2025 को शिकायत जॉच के दरम्यान श्री विनय कुमार मिश्रा को अपने पक्ष प्रस्तुत करने दूरभाष से सूचित किया गया परन्तु वे अनुपस्थित रहें।
- ❖ श्री देवेन्द्र कुमार साव सहायक ग्रेड-2 कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना अक्टूबर 2023 से आज पर्यन्त तक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित है। उक्त अवधि से वेतन रोक दिया गया है। इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द को दी गई है।
- ❖ श्री जे.आर. डहरिया विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना के लिखित बयान अनुसार श्री सूर्यकान्त मिश्रा को अवधि 2018-19 में बिजली बिल देयक हेतु कमशः दिनांक 28.02.2019 चेक क्र. 740391 राशि रु. 299258/- एवं 21.05.2019 को चेक क्र. 740463 राशि रु. 894420/- दिया गया। श्री मिश्रा द्वारा उक्त राशि का आहरण किया गया। कुल राशि में से रु. 623348/- (अक्षरी छः लाख तेईस हजार तीन सौ अड़तालीस रु.) का बिल व्हाऊचर अब तक जमा नहीं किया गया है।

अभिमत :-

- (1) शिकायत अवधि (01.04.2018 से 15.06.2019) के दरम्यान श्री विनय कुमार मिश्रा एवं श्री सूर्यकान्त मिश्रा वित्त/स्थापना के प्रभार में रहते हुए वित्त संबंधी दस्तावेज (कैश बुक, बिल रजिस्टर, बिल व्हाऊचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। अब तक अपूर्ण है।
- (2) श्री आई.आर. लहरे एवं श्री विनोद कुमार शुक्ला विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों ने शिकायत अवधि के दरम्यान आहरण एवं संवितरण अधिकारी के दायित्व में रहते हुए व्यक्तिगत रूचि न लेते हुए वित्तीय अभिलेखों का संधारण नहीं करवाया गया। जबकि छत्तीसगढ़ वित्त संहिता नियम 17 के अनुसार जिन शासकीय सेवक का कर्तव्य सार्वजनिक धन अथवा भण्डार का लेखा तैयार करने के तथा हिसाब रखने का है, उसका यह व्यक्तिगत दायित्व भी है कि वह पूर्ण रूपेण सही-सही हिसाब रखें और उसे निर्धारित तिथियों पर निर्दिष्ट कार्यालय पर भेजें, परन्तु उन्होंने अपने पदीय दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना पाया गया।
- (3) श्री जे.आर. डहरिया ने चेक के माध्यम से श्री सूर्यकान्त मिश्रा को क्रमशः दिनांक 28.02.2019 को राशि रु. 299258/- एवं दिनांक 21.05.2019 को राशि रु. 894420/- प्रदान किया। प्रथम बार जारी राशि के समायोजन के पश्चात् ही दूसरी बार राशि जारी किया जाना चाहिए था।
- (4) श्री देवेन्द्र कुमार साव सहायक ग्रेड-2, बगैर सूचना/अवकाश के अक्टूबर 2023 से आज पर्यन्त अपने कर्तव्य से अनुपस्थित है।
- (5) तत्कालीन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों श्री वाई.आर. लहरे के कार्यकाल में दिनांक 05.06.2018 से 02.08.2018 तक कैश बुक में इंद्राज है किन्तु हस्ताक्षर नहीं है एवं श्री विनोद शुक्ला के कार्यकाल में दिनांक 03.08.2018 से 24.08.2018 तक कैश बुक में इंद्राज है किन्तु हस्ताक्षर नहीं है। पृ.क्र. 66 दिनांक 24.08.2018 के कैशबुक प्रवृष्टि में हस्ताक्षर पाया गया। अतः संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने पदीय दायित्व का सही-सही निर्वहन नहीं किया गया है।

अतः श्री विनोद कुमार दास प्रेस रिपोर्टर, आर.टी.आई. व सामाजिक कार्यकर्ता निवासे बसना द्वारा श्री सूर्यकान्त मिश्रा तत्कालीन लेखापाल/लिपिक के विरुद्ध कुल 11 बिन्दुओं पर शिकायत की गई है जिसमें बिन्दु क्र. 1 से 10 तक की शिकायत की पूर्ति हो रही है।

बिन्दु क्र. (11) - 12 लाख रुपये मध्यान्ह भोजन योजना में गड़बड़ी किये थे, जिसकी तत्कालीन जाँच अधिकारी नुपुर राशि पन्ना (आई.ए.एस.) अनुविभागीय अधिकारी (राजरव) सरायपाली द्वारा पूर्व में जाँच की जा चुकी है।

जाँच अधिकारी
(अमर दास करें)
सहायक संचालक,

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय रायपुर

जाँच अधिकारी
(अरुण कुमार प्रधान)
सहायक प्राध्यापक,

A.D. ready
19/5

प्रपत्र

अमनपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रशुनकित अवधि में छ0ग0 भवन एवं अलु सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में संचालित 'मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना' अंतर्गत दुर्घटना से दिव्यांगता/मृत्यु की वर्षवार एवं ग्रामवार जानकारी

क्र.	वर्ष	मृत्यु का प्रकार	ग्राम/वार्ड तथा विकासखण्ड/नगरीय निकाय का नाम	प्राप्त आवेदन संख्या	लामान्वित हितग्राही संख्या	निरस्त आवेदन संख्या
1	2022	कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर	परसट्ठी, अमनपुर	1	0	1
2			चंपारण, अमनपुर	1	1	0
3	2023	कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर	अकोलीकला (लिंगाडीह), आरंग	1	1	0
4	2024	कार्य स्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता होने पर	शास्त्री वार्ड, गोबरानयापारा	1	1	0
5	2025	कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर	आमनेर, अमनपुर	1	1	0
6			गौरमाठ, आरंग	1	1	0
योग				6	5	1

Rashmi

अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मेवालय
अटल कंठ, नया सयपुर

परिशेष - इक्कीस
परिवाहित अतारोकेत प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1511) की जानकारी

प्रपत्र

रायपुर जिला अंतर्गत विद्यालय की छत से होकर विद्युत तार गुजरने वाली शालाओं की जानकारी

क्रं	विकास खण्ड	ऐसे शाला का नाम जिसके छत से होकर विद्युत तार गुजरती है
1	तिल्दा	शास. हाई स्कूल भिंभौरी
2	तिल्दा	शास प्रा.शा. छतौद
3	तिल्दा	शास पू.मा. छतौद
4	तिल्दा	शास. पू.मा. सुंगेरा
5	तिल्दा	शास. प्रा.शा. धिवरा
6	तिल्दा	शास. पू.मा. शा. धिवरा
7	तिल्दा	शास. पू.मा.शा. बेलदार सिवनी
8	तिल्दा	शास. पू.मा.शा. बुड़ेनी
9	आरंग	शास प्रा.शा. बकतरा
10	आरंग	शास. पू.मा.शा. बकतरा
11	आरंग	शास. हाई स्कूल गोइंदा
12	आरंग	शास. पू.मा.शा. चिखली
13	आरंग	शास. पू.मा.शा. बेनीडीह
14	आरंग	शास प्रा.शा. रसनी
15	आरंग	शास. पू.मा.शा. रसनी
16	आरंग	शास प्रा.शा. परसदा सेमरीया
17	आरंग	शास. पू.मा.शा. अमेरी
18	आरंग	शास. हाई स्कूल अमेरी
19	आरंग	शास प्रा.शा. बोरीद
20	आरंग	शास प्रा.शा. कलई
21	आरंग	शास प्रा.शा. खौली
22	आरंग	शास. पू.मा.शा. कुसमुंद
23	आरंग	शास. हाई स्कूल चटौद
24	धरसीवा	शास. हाई स्कूल कुशालपुर
25	धरसीवा	शास.प्राथ. शाला संतोषी नगर
26	धरसीवा	पूर्व माध्यमिक शाला संतोषी नगर
27	धरसीवा	शास प्रा.शा. लालपुर मटीया

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर, अटल नगर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

प्रपत्र

प्रदेश में स्थित कारखानों में घटित अग्नि दुर्घटना में श्रमिकों के मृत्यु, मुआवजा, जांच, जांच में पाई गई अनियमितता एवं की गई कार्यवाही की जिलेवार, दिनांकवार जानकारी

क्र.	जिला	कारखाने का नाम एवं पता	अग्नि दुर्घटना दिनांक	जांच - दिनांक	दुर्घटनाग्रस्त श्रमिकों का नाम, उम्र एवं पता (मृत/घायल)	अग्नि दुर्घटना का विवरण	मुआवजा राशि का विवरण	जांच के दौरान पाई गई अनियमितता	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रायपुर	मेसर्स वाग इण्डस्ट्रीज, ग्राम-कुटेसर, तहसील-आरं ग, जिला-रायपुर	27.06.2025	29.06.2025 & 03.07.2025	श्री त्रिलोचन धुव, उम्र-18 वर्ष (मृत) पता - वार्ड क्र.-7, पठार, ग्राम-मूलगांव, तहसील- मगरलोड, जिला- धमतरी (छ.ग.)	कारखाने में कारखानों स्थापित टाईटनियम श्रेणियों में संजारीत श्रेणियों में अण्डे टाईटनियम सॉलिड में आग लग जाने से प्राणांतक दुर्घटना घटी।	कारखाना प्रबंधन द्वारा मृतक के आश्रित को रुपये 3.50 लाख सहायता राशि प्रदान की गई है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति एण्ड अधिनियम, 1923 के अंतर्गत देय मुआवजा राशि प्राप्त किये जाने हेतु मृतक श्रमिक के आश्रित को दावा प्रकरण श्रम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की सलाह देते हुये आयुक्त, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, श्रम न्यायालय, जिला रायपुर को लिखित में सूचित किया गया है।	श्रमिक के कार्य का सुपरविजन एवं श्रमिक को उचित प्रशिक्षण न देने के कारण, कारखाने में अग्निशामक यंत्र एवं फॉयर हाइड्रेंट न रखने के कारण तथा रॉ-मटेरियल शेड में आवागमन का सुरक्षित मार्ग न होने के कारण यह दुर्घटना घटित हुयी।	कारखाना प्रबंधन के विरुद्ध कारखाना अधिनियम 1948 के उल्लंघन के लिये माननीय श्रम न्यायालय में दिनांक 29.08.2025 को परिवाद दायर किया गया।	प्रकरण माननीय श्रम न्यायालय रायपुर में विचाराधीन।


अनुभाग आधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नया रायपुर

क्र.	जिला	कारखाने का नाम एवं पता	अग्नि दुर्घटना दिनांक	जांच दिनांक	दुर्घटनाग्रस्त श्रमिकों का नाम, उम्र एवं पता (मृत/घायल)	अग्नि दुर्घटना का विवरण	मुआवजा राशि का विवरण	जांच के दौरान पाई गई अनियमितता	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	रिमाक
1	2	मेसर्स रायपुर तार प्रोडक्ट्स, इण्डस्ट्रीयल एरिया, भनपुरी, जिला-रायपुर (छ.ग.)	07.02.2026	5	6	7	8	9	10	11
2				09.02.2026	कोई जनहानि नहीं हुई है।	कारखाने के पीछे दूसरे कारखाने द्वारा किये जा रहे नये शोध निर्माण में वेल्डिंग के दौरान निकली विंगारी अंडर ग्राऊंड रॉ-मटेरियल शोध के पीछे पड़े सूखे कचड़े, किस्टल नेथनील बैग एवं कोल तार पीच के ऊपर पड़ने से आग लग जाने अथवा शार्ट सर्किट के परिणामस्वरूप अग्नि दुर्घटना घटित हुई।		अंडर ग्राऊंड रॉ-मटेरियल शोध एवं गोडाऊन शोध को अग्नि प्रतिरोधक दीवारों द्वारा निर्मित नहीं पाया गया, ज्वलनशील प्रकृति के किसी बेकार पदार्थ को हर एक दिन या एक पाली में कम से कम एक बार और जब संभव हो अधिक बार उसे वहाँ से हटाया नहीं गया, कार्यान्वयन उपयुक्त मात्रा में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था नहीं पाई गई। कारखाने की ऑन साईट आपात योजना मुख्य कारखाना निरीक्षक से अनुमोदित नहीं पाया गया।	कारखाना प्रबंधन को कारखाना अधिनियम 1948 के उल्लंघन के लिये कारण बताओ नोटिस क्रमांक 225 दिनांक 18.02.2026 प्रेषित किया गया।	वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3	दुर्ग	मे. शिवम हाईटेक स्टील्स प्राय. लिमि., प्लॉट नं. 4, 4 बी, 4 डी, व 3 आई, लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.)	25.06.2025	28.06.2025	कोई जनहानि नहीं हुई है।	कारखाने में टाईटेनियम टर्निक गोडाऊन में भंडारित टाईटेनियम टर्निक एण्ड टाईटेनियम सोलिड में आग लग जाने से उक्त अग्नि दुर्घटना घटी।		कारखाने में अग्निशमन यंत्र की पर्याप्त व्यवस्था एवं सेप्टी ऑडिट नहीं कराया जाना पाया गया।	कारखाना प्रबंधन को निरीक्षण के संबंध में विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रेषित किया गया। जिसके जवाब में कारखाना प्रबंधन द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जो कि संतोषप्रद पाया गया।	-


 अनुभाग अधिकारी
 भ्रम विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवल पुर

क्र.	जिला	कारखाने का नाम एवं पता	अग्नि दुर्घटना दिनांक	जांच दिनांक	दुर्घटनाग्रस्त श्रमिकों का नाम, उम्र एवं पता (मृत/घायल)	अग्नि दुर्घटना का विवरण	मुआवजा राशि का विवरण	जांच के दौरान पाई गई अनियमितता	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		मे. ब्लास्ट फर्नेस 08, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई जिला- दुर्ग	15.08.2025	19.08.2025	कोई जनहानि नहीं हुई है।	कारखाने में ब्लॉस्ट फर्नेस-08, के डस्ट कैचर ब्लास्ट हो जाने से अग्नि दुर्घटना घटी।		कारखाने में अग्निशमन यंत्र की पर्याप्त व्यवस्था एवं सेफ्टी ऑडिट नहीं कराया जाना पाया गया।	कारखाना प्रबंधन को निरीक्षण के संबंध में विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रेषित किया गया। जिसके जवाब में कारखाना प्रबंधन द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जो कि संतोषप्रद पाया गया।	-
5		श्री साई इंडस्ट्रीज, ग्राम- मुरमदा, तह. धमधा, जिला - दुर्ग	23.11.2025	23.11.2025	कोई जनहानि नहीं हुई है।	कारखाने में फोम निर्माण के दौरान होल फेटीज में आग लगी जिससे यह अग्नि दुर्घटना घटी।		कारखाने में अग्निशमन यंत्र की पर्याप्त व्यवस्था एवं सेफ्टी ऑडिट नहीं जाना पाया गया।	कारखाना प्रबंधन को निरीक्षण के संबंध में विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रेषित किया गया। जिसके जवाब में कारखाना प्रबंधन द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जो कि संतोषप्रद पाया गया।	-
6		मेसर्स - पावर एण्ड ब्लोईंग स्टेशन, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई जिला- दुर्ग (छ.ग.)	12.12.2025	12.12.2025	कोई जनहानि नहीं हुई है।	कारखाने में कोक ओवन गैस पाईप लाईन में गैस लिकेज होने के कारण आग लग जाने से दुर्घटना घटी।		पर्याप्त अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था नहीं पाई गई एवं फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं कराया जाना पाया गया।	कारखाना प्रबंधन को निरीक्षण के संबंध में विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रेषित किया गया। जिसके जवाब में कारखाना प्रबंधन द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जो कि संतोषप्रद पाया गया।	

Arjun
अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा सयपुर

क्र.	जिला	कारखाने का नाम एवं पता	अग्नि दुर्घटना दिनांक	जांच दिनांक	दुर्घटनाग्रस्त श्रमिकों का नाम, उम्र एवं पता (मृत/घायल)	अग्नि दुर्घटना का विवरण	मुआवजा राशि का विवरण	जांच के दौरान पाई गई अनियमितता	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		कन्वर्टर शॉप, एम.एम. एस-2, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, जिला- दुर्ग	12.01.2026	22.01.2026	कोई जनहानि नहीं हुई है।	कारखाने में कन्वर्टर बी में स्लेग से टैपिंग के दौरान स्लेग छिटकर कन्वर्टर 8 मीटर दूरी पर कैबल गैलरी में गिरा जिससे कैबल गैलरी में आग लग जाने से दुर्घटना घटी।	---	अग्निशमन व्यवस्था, फायर ऑडिट प्रस्तुत नहीं किया गया।	कारखाना प्रबंधन को निरीक्षण के संबंध में विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रेषित किया गया। जिसके जवाब में कारखाना प्रबंधन द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जो कि संतोषप्रद पाया गया।	---
8		मे. शिवम हाईटेक स्टील्स प्राय. लिमि., प्लॉट नं. 40, लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.)	13.02.2026	16.02.2026	कोई जनहानि नहीं हुई है।	कारखाने में टाइटेनियम टर्निक गोडाउन में भंडारित टाइटेनियम टर्निक एण्ड टाइटेनियम सॉलिड में आग लग जाने से दुर्घटना घटी।	---	पर्याप्त अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था नहीं पाई गई एवं फायर सेपटी ऑडिट नहीं कराया जाना पाया गया।	कारखाना प्रबंधन को निरीक्षण के संबंध में विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रेषित किया गया। कारखाना प्रबंधन द्वारा संतोषप्रद पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।	वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।


अनुभाग अधीकार
श्रम विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा खणपुर

क्र.	जिला	कारखाने का नाम एवं पता	अग्नि दुर्घटना दिनांक	जांच दिनांक	दुर्घटनाग्रस्त श्रमिकों का नाम, उम्र एवं पता (मृत/घायल)	अग्नि दुर्घटना का विवरण	मुआवजा राशि का विवरण	जांच के दौरान पाई गई अनियमितता	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	बिलासपुर	सेसर्स-एस.एस. कोमिकल्स, प्लॉट नं. 107 डी, सेक्टर-बी, औद्योगिक क्षेत्र, सिरगिट्टी जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	23.12.2025	23.12.2025 एवं 24.12.2025	श्री अभिजीत सूर्यवंशी उर्फ आयुष, उम्र 20 वर्ष (मृत) पता- वार्ड नंबर-5, तिफरा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	कारखाने में टैंकर से तारपीन तेल मोटर पंप के द्वारा प्लास्टिक टैंकियों में भरा जा रहा था। तभी मोटर पंप से इलेक्ट्रिकल स्पार्क होने से वहां रखे टैंकियों में भरे तारपीन तेल व अन्य सामग्रियों में आग लगने से दुर्घटना घटी।	कारखाना प्रबंधन द्वारा मृतक के आश्रित को रुपये 10.25 लाख सहायता राशि प्रदान की गई है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत देय मुआवजा राशि प्राप्त किये जाने हेतु मृतक श्रमिक के आश्रित को दावा प्रकरण श्रम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की सलाह देते हुये आयुक्त, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, श्रम न्यायालय, जिला रायपुर को लिखित में सूचित किया गया है।	कर्मचारों को जानकारी निर्देश एवं प्रशिक्षण नहीं दिया जाना पाया गया, पर्याप्त अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था नहीं पाई गई, सुरक्षित कार्य पद्धति नहीं अपनाई गई	कारखाना प्रबंधन के विरुद्ध कारखाना अधिनियम 1948 के उल्लंघन के लिये दिनांक 05.02.2026 को मा. श्रम न्यायालय, बिलासपुर में अभियोजन दायर किया गया।	मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.02.2026 अर्धदण्ड राशि रुपये 2,00,000/-
					श्री रितेश शुक्ला, उम्र 23 वर्ष (मृत) पता- वार्ड नंबर-10, माँ भवानी नगर, सिरगिट्टी बिलासपुर जिला- बिलासपुर (छ.ग.)	कारखाना प्रबंधन द्वारा मृतक के आश्रित को रुपये 10.00 लाख सहायता राशि एवं अंतिम संस्कार हेतु रुपये 25,000/- प्रदान की गई है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत देय मुआवजा राशि प्राप्त किये जाने हेतु मृतक श्रमिक के आश्रित को दावा प्रकरण श्रम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की सलाह देते हुये आयुक्त, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, श्रम न्यायालय, जिला रायपुर को लिखित में सूचित किया गया है।				


अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, भंडालय
अटल बजार, रायपुर

क्र.	जिला	कारखाने का नाम एवं पता	अग्नि दुर्घटना दिनांक	जांच दिनांक	दुर्घटनाग्रस्त श्रमिकों का नाम, उम्र एवं पता (मृत/घायल)	अग्नि दुर्घटना का विवरण	मुआवजा राशि का विवरण	जांच के दौरान पाई गई अनियमितता	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	राजनांदगांव	मेसर्स जया स्पेशलिटी केमिकल्स प्रा0लि0, प्रा0-मोहंदी, जिला-राजनांदगांव	16.02.2026	16.02.2026	कोई जनहानि नहीं हुई है।	अज्ञात कारणों की वजह से अग्नि दुर्घटना घटी।	—	यह प्लॉट अभी उत्पादन में भी नहीं था तथा मशीनों के लिए विद्युत कनेक्शन चार्ज भी नहीं किया गया था। इलेक्ट्रिकल इंचार्ज एवं इलेक्ट्रिशियन द्वारा भी अवगत कराया गया कि शोड के उक्त भाग पर कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं था। अतः इलेक्ट्रिकल शॉट सर्किट द्वारा अग्नि दुर्घटना का होना प्रतीत नहीं होता है। इस शोड में अन्य कोई रसायन नहीं होने की जानकारी दी गयी है। अतः कारखाना जया स्पेशलिटी केमिकल्स प्रा0 लि0 में दिनांक 16.02.2026 को घटित दुर्घटना का कारण अज्ञात है तथा इस दुर्घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है।	कारखाने को सेफ्टी ऑडिट कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।	—


अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंडालय
अटल नगर, नवा सयपुर

पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल, द्वारा विभिन्न सेक्टर/जॉब रोल के लिए तैयार पाठ्यक्रमों के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्यता एवं अन्य आवश्यक मापदंड निम्नानुसार सुझाए गए हैं। संविदा के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए अंतिम निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।

1. शैक्षणिक योग्यता (Qualification)

व्यावसायिक प्रशिक्षक की शैक्षणिक योग्यता संबंधित सेक्टर (ट्रेड) एवं जॉब रोल के अनुसार निर्धारित की जाती है। सामान्यतः संबंधित क्षेत्र में निम्न प्रकार की योग्यताएँ अपेक्षित होती हैं -

- संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा / स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष योग्यता।
- संबंधित क्षेत्र में मान्यता प्राप्त तकनीकी अथवा व्यावसायिक प्रमाणपत्र।
- सेक्टर स्किल काउंसिल अथवा संबंधित प्राधिकरण द्वारा मान्य प्रशिक्षण/प्रमाणन (जहाँ लागू हो)।

2. न्यूनतम दक्षताएँ (Minimum Competencies)

व्यावसायिक प्रशिक्षक में सामान्यतः निम्न दक्षताएँ अपेक्षित होती हैं -

1. संबंधित जॉब रोल/सेक्टर में आवश्यक कार्यानुभव।
2. विषय से संबंधित उपकरणों, तकनीकों तथा प्रक्रियाओं का ज्ञान।
3. सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मानकों की जानकारी।
4. अंग्रेज़ी एवं स्थानीय भाषा में संप्रेषण कौशल।
5. आवश्यकतानुसार कंप्यूटर/आईटी उपकरणों के उपयोग का ज्ञान।

3. आयु सीमा (Age Limit)

व्यावसायिक शिक्षक/प्रशिक्षक की आयु सीमा सामान्यतः 18 से 37 वर्ष निर्धारित की जाती है। आरक्षित वर्गों को शासन के नियमानुसार आयु में छूट प्रदान की जाती है।

4. भर्ती प्रक्रिया (Recruitment Process)

व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति सामान्यतः संविदा के आधार पर की जाती है। चयन की प्रक्रिया राज्य सरकार अथवा अधिकृत Vocational Training Provider (VTP) द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें सामान्यतः निम्न चरण शामिल होते हैं -

1. पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करना।
2. योग्यता एवं अनुभव के आधार पर चयन / मेरिट निर्धारण।
3. आवश्यकतानुसार लिखित परीक्षा / साक्षात्कार / कौशल परीक्षण।
4. चयन के पश्चात संविदा के आधार पर नियुक्ति।

उक्त अनुसार व्यावसायिक शिक्षकों/प्रशिक्षकों की योग्यता, न्यूनतम दक्षताएँ तथा आयु सीमा सेक्टर एवं जॉब रोल के अनुसार निर्धारित की जाती है तथा नियुक्ति की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है।

नोट - उपर्युक्त उल्लिखित व्यावसायिक शिक्षकों की योग्यताएँ सुझावात्मक (suggestive) हैं, अनिवार्य (prescriptive) नहीं हैं। राज्य आपत्ती आवश्यकता के अनुसार, प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त समिति के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्यताओं में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं।

विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षक/प्रशिक्षकों की नियुक्ति में राज्यों की सहायता एवं मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षकों को नियुक्त करते समय जिन प्रमुख मापदंडों पर विचार किया जाना आवश्यक है, उनमें चयन की विधि एवं प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, उद्योग अनुभव तथा प्रमाणन/मान्यता शामिल हैं।

राज्य, समग्र शिक्षा के अंतर्गत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण घटक के अंतर्गत अनुमोदित विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति निम्नलिखित तरीकों से कर सकता है -

1. प्रत्यक्ष रूप से, पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल, NCERT अथवा संबंधित सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) द्वारा सुझाई गई निर्धारित योग्यताओं एवं उद्योग अनुभव के अनुसार।

या

2. मान्यता प्राप्त वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर के माध्यम से, जिन्हें नेशनल क्वालिटी एसयोरेंस फ्रेमवर्क (National Quality Assurance Framework) (NQAF) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हो। NQAF को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमिटी (National Skill Qualification Committee) द्वारा 21.07.2016 को अनुमोदित किया गया है। यदि राज्य VTP के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति करता है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि VTP को कम से कम NQAF Level-2 या उससे अधिक स्तर पर मान्यता प्राप्त हो।

नेशनल क्वालिटी एसयोरेंस फ्रेमवर्क (NQAF) उन मानकों अथवा गुणवत्ता मानदंडों को निर्धारित करता है, जिन्हें शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न संस्थाओं को पूरा करना आवश्यक होता है, ताकि वे सक्षम प्राधिकरणों द्वारा सरकार द्वारा वित्तपोषित शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संचालन के लिए मान्यता प्राप्त कर सकें। यह व्यवस्था उन सभी संस्थाओं पर लागू होती है जो NSQF के अनुरूप योग्यताएँ प्रदान करती हैं। किसी विशेष जॉब रोल के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षक बनने हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता उस जॉब रोल के NSQF अनुरूप पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से उल्लिखित रहती है। राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक/प्रशिक्षकों के पास प्रदान की जा रही NSQF योग्यता के अनुरूप तकनीकी दक्षता उपलब्ध हो। व्यावसायिक प्रशिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चयन के लिए एक मानकीकृत प्रक्रिया का पालन किया जाए। चयन प्रक्रिया में सामान्यतः VTPs द्वारा निम्नलिखित चरण शामिल होने चाहिए -

1. संबंधित सेक्टर के तकनीकी/डोमेन विशेष ज्ञान के परीक्षण हेतु लिखित परीक्षा।
2. विशेषज्ञों एवं राज्य प्रतिनिधियों के पैनल द्वारा साक्षात्कार, जिसमें प्रशिक्षक के ज्ञान, रुचि एवं अभिरुचि का मूल्यांकन किया जाता है।
3. कक्षा/कार्यशाला/प्रयोगशाला में प्रायोगिक परीक्षण अथवा मॉक टेस्ट।

यदि नियुक्ति Vocational Training Provider (VTP) के माध्यम से की जाती है, तो उपर्युक्त प्रक्रिया के आधार पर चयन राज्य सरकार एवं VTP के प्रतिनिधियों वाली समिति द्वारा किया जा सकता है।

भाग ब :

समग्र शिक्षा फ्रेमवर्क के दिशा-निर्देशों के अनुसार

(D.O. No. 2-18/2018-IS-1/IS-15; दिनांक: 12 अक्टूबर 2022)

11.17 संकाय एवं स्टाफ (Faculty and Staff)

11.17.3

व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (VET) में आवश्यक गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक हैं। लचीली अधिगम प्रणाली (Flexible Learning) के शैक्षणिक (Pedagogical), तकनीकी तथा प्रबंधकीय पहलुओं की समझ बढ़ाने हेतु गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान एवं उसके प्रसार की आवश्यकता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन शिक्षकों/स्किल ट्रेनरों की सहायता से तथा आवश्यकता के अनुसार अतिथि संकाय (Guest Faculty) की मदद से किया जाएगा। प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम समूह (Cluster) के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल, द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले शिक्षकों/स्किल ट्रेनरों को नियुक्त किया जा सकता है।

राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को यह लचीलापन प्रदान किया गया है कि वे व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति सीधे कर सकते हैं या फिर National Council for Vocational Education and Training (NCVET) द्वारा मान्यता प्राप्त Vocational Training Providers (VTPs) के माध्यम से भी कर सकते हैं।

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए Vocational Training Providers (VTPs) अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षकों के साथ न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए उपयुक्त समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से उन्हें नियुक्त करने पर भी विचार कर सकते हैं।

11.17.4

नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC) तथा सेक्टर स्किल काउंसिल (SSCs), जो उद्योग एवं नियोक्ताओं के प्रतिनिधि हैं, विद्यालयों में संचालित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

11.17.5

व्यावसायिक शिक्षक/प्रशिक्षकों की भर्ती वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर (VTPs) के माध्यम से की जा सकती है, परंतु वे पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान अन्य शिक्षकों की तरह विद्यालय को ही रिपोर्ट करेंगे। व्यावसायिक शिक्षक/प्रशिक्षक केवल विद्यालय में शिक्षण-अधिगम गतिविधियों के आयोजन में ही शामिल नहीं होते, बल्कि उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा विद्यालय के बाहर आयोजित गतिविधियों के संचालन में भी आवश्यक सहयोग प्रदान करते हैं।

शिक्षक/स्किल ट्रेनर द्वारा सैद्धांतिक (Theory) एवं प्रायोगिक (Practical) दोनों प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है।


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - चौबीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1822) की जानकारी

प्रपत्र- 'अ'

विधान क्षेत्र सीतापुर के अंतर्गत संचालित स्वामी आत्मानंद विद्यालयों की जानकारी

क्र.	विकास खण्ड	विधानसभा क्षेत्र	सेजेस विद्यालय का नाम	सेटअप
1	3	4	5	6
1	बतौली	सीतापुर	सेजेस बतौली	कक्षा 1 से 12 तक
2	बतौली	सीतापुर	सेजेस बिलासपुर	कक्षा 1 से 12 तक
3	मैनपाट	सीतापुर	सेजेस नर्मदापुर	कक्षा 1 से 12 तक
4	मैनपाट	सीतापुर	सेजेस राजपुर	कक्षा 1 से 12 तक
5	सीतापुर	सीतापुर	सेजेस देवगढ़	कक्षा 1 से 12 तक
6	सीतापुर	सीतापुर	सेजेस भुसू	कक्षा 1 से 12 तक

Ladema
सहायक संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

scul
अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय रायपुर

प्रपत्र- 'ब'

जिला- अम्बिकापुर, सरगुजा की जानकारी

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के अंतर्गत संचालित स्वामी आत्मानंद विद्यालय की विषयवार जानकारी

स.क्र.	विकासखण्ड	विधान सभा क्षेत्र	सेजेस विद्यालय	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद				रिक्त पद
						प्रति नियुक्ति पर	संविदा पर	अन्य कार्यरत	योग	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	बतौली	सीतापुर	सेजेस बतौली	1 प्राचार्य	1	0	0	1	1	0
				2 व्या. हिन्दी (अं.मा.)	1	0	1	0	1	0
				3 व्या. हिन्दी (हि.मा.)	1	0	1	0	1	0
				4 व्या. संस्कृत (अं.मा.)	1	0	1	0	1	0
				5 व्या. अंग्रेजी (अं.मा.)	1	0	1	0	1	0
				6 व्या. अंग्रेजी (हि.मा.)	1	0	0	0	0	1
				7 व्या. गणित (अं.मा.)	1	0	1	0	1	0
				8 व्या. गणित (हि.मा.)	1	0	1	0	1	0
				9 व्या. भौतिकी (अं.मा.)	1	0	1	0	1	0
				10 व्या. जीवविज्ञान (अं.मा.)	1	0	1	0	1	0
				11 व्या. जीवविज्ञान (हि.मा.)	1	0	1	0	1	0
				12 व्या. रसायन (अं.मा.)	1	0	1	0	1	0
				13 व्या. वाणिज्य (अं.मा.)	2	0	2	0	2	0
				14 व्या. वाणिज्य (हि.मा.)	1	0	0	0	0	1
				15 व्या. सामाजिक अध्ययन (अं.मा.)	1	0	1	0	1	0
				16 प्रधान पाठक पूर्व मा. (अं.मा.)	1	1	0	0	1	0
				17 प्रधान पाठक प्रा.शा. (अं.मा.)	1	1	0	0	1	0

18	शिक्षक हिन्दी (हि.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0	
19	शिक्षक संस्कृत (हि.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0	
20	शिक्षक अंग्रेजी (अ.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0	
21	शिक्षक गणित (अ.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0	
22	शिक्षक विज्ञान (अ.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0	
23	शिक्षक सामाजिक विज्ञान (अ.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0	
24	सहायक शिक्षक हिन्दी (अं.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0	
25	सहायक शिक्षक अंग्रेजी (अं.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0	
26	सहायक शिक्षक गणित (अं.मा.)	1	0	1	0	0	0	0	0	1	
27	सहायक शिक्षक विज्ञान (अं.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0	
28	सहायक शिक्षक सामा.विज्ञान (अं.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0	
29	कम्प्यूटर शिक्षक (अं.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0	
30	व्यायाम शिक्षक (अं.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0	
31	सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला (अं.मा.)	3	0	2	0	0	2	0	2	1	
योग (शैक्षणिक पद) सेजिस बतौली :-											
2	बतौली	सीतापुर	सेजिस बिलासपुर	1	1	1	0	0	1	0	4
				1	1	1	0	0	1	0	
				1	1	1	0	0	1	0	
				1	0	0	1	0	1	0	
				1	0	1	0	0	1	0	
				2	0	0	0	2	2	0	
				1	0	0	1	0	1	0	
				2	0	0	0	1	1	1	
				1	0	0	1	0	1	0	
				1	0	0	1	0	1	0	
				1	0	0	1	0	1	0	
				1	0	0	0	1	1	0	

13	व्या. रसायन (अं.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0
14	व्या. वाणिज्य (अं.मा.)	2	0	2	0	0	2	0	2	0
15	व्या. सामाजिक अध्ययन (अं.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0
16	व्या. सामाजिक अध्ययन (हि.मा.)	1	1	0	0	0	1	0	1	0
17	प्रधान पाठक पूर्व मा. (हि.मा.)	1	0	0	0	0	0	0	0	1
18	प्रधान पाठक प्रा.शा. (हि.मा.)	1	1	0	0	0	1	0	1	0
19	शिक्षक हिन्दी (हि.मा.)	1	0	0	0	1	0	1	1	0
20	शिक्षक अंग्रेजी (अ.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0
21	शिक्षक अंग्रेजी (हि.मा.)	1	0	0	0	1	0	1	1	0
22	शिक्षक गणित (अ.मा.)	1	0	0	0	0	0	0	0	1
23	शिक्षक गणित (हि.मा.)	1	0	0	0	1	0	1	1	0
24	शिक्षक विज्ञान (अ.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0
25	शिक्षक विज्ञान (हि.मा.)	1	0	0	0	1	0	1	1	0
26	शिक्षक सामाजिक विज्ञान (अ.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0
27	शिक्षक सामाजिक विज्ञान (हि.मा.)	1	1	0	0	0	1	0	1	0
28	सहायक शिक्षक हिन्दी (अं.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0
29	सहायक शिक्षक अंग्रेजी (अं.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0
30	सहायक शिक्षक गणित (अं.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0
31	सहायक शिक्षक विज्ञान (अं.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0
32	सहायक शिक्षक सामा.विज्ञान (अं.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0
33	सहायक शिक्षक विज्ञान संकाय (हि.मा.)	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34	सहायक शिक्षक कला संकाय (हि.मा.)	1	1	0	0	0	0	0	1	0
35	कम्प्यूटर शिक्षक (अं.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0
36	व्यायाम शिक्षक (अं.मा.)	1	0	1	0	0	1	0	1	0
37	सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला (अं.मा.)	2	0	2	0	0	2	0	2	0
38	सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला (हि.मा.)	1	0	0	0	0	0	0	0	1
योग (शैक्षणिक पद) सेजस बिलासपुर :-		42	8	21	8	21	8	37	5	

क्र	विकासखंड का नाम	ग्राम	हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल का नाम	अध्ययनरत विद्यार्थी	परीक्षा परिणाम सत्र 2023-24 (प्रतिशत में)				परीक्षा परिणाम सत्र 2024-25 (प्रतिशत में)			
					9वीं	10वीं	11वीं	12वीं	9वीं	10वीं	11वीं	12वीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	धरसीवा	गिरौद	शासकीय हाई स्कूल गिरौद (आरएमएसए)	86	68.75%	52.08%	-	-	67.30%	-	-	-
2	धरसीवा	मांडर बस्ती	शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडर बस्ती	645	66%	72.38%	69.18%	100%	65%	59.26%	77.27%	75.64%
3	धरसीवा	मोहदी	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहदी	322	83%	76.08%	85%	97.95%	76%	72.10%	90.10%	86.90%
4	धरसीवा	सेरीखेड़ी	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेरीखेड़ी	212	55.80%	84.31%	80.76%	-	54.65%	83.70%	95.12%	84.61%
5	धरसीवा	परसतराई	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दाऊ पोसन लाल परसतराई	458	55.73%	69.44%	75.69%	94.59%	51.81%	66.67%	66.67%	92.17%
6	धरसीवा	आमासिवनी	शासकीय हाई स्कूल आमासिवनी	76	75%	-	-	-	55%	56%	-	-
7	धरसीवा	तुलसी	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसी(बाराडेरा)	258	60.30%	64%	93%	96%	62%	74%	95%	97%
8	धरसीवा	कुंरा	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उकृष्ट विद्यालय कुंरा	770	52.37%	82.85%	53.57%	92.67%	48%	91.09%	74.75%	95.90%
9	धरसीवा	चरौदा	शासकीय कन्या हाईस्कूल चरौदा	153	68%	76.10%	-	-	69.70%	64.90%	-	-
10	धरसीवा	सिलतरा	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलतरा (ईडीयू एवं आरएमएसए)	553	68.32%	81.40%	93.75%	98.82%	74.61%	87.06%	87.03%	90.51%
11	धरसीवा	रायपुर	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मांडर कालोनी	469	71.34%	84.11%	96%	96.70%	62.78%	76.39%	89.27%	91.40%
12	धरसीवा	बरबंदा	स्वामी आत्मानंद उकृष्ट विद्यालय प्रबंध समिति बरबंदा	283	67%	70.96%	100%	-	75.93%	74.75%	100%	100%
13	धरसीवा	बरोदा	शासकीय हाई स्कूल बरोदा	108	81.03	82.61%	-	-	60.66%	71.11%	-	-
14	धरसीवा	दोदिकला	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दोदिकला	430	54.80%	79.54%	89.52%	97.84%	55.03%	86%	90.12%	98.05%
15	धरसीवा	जरोदा	शासकीय हाई स्कूल जरौदा	118	61.60%	78.04%	-	-	55%	89.36%	-	-

क्र	विकासखंड का नाम	ग्राम	हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल का नाम	अध्ययनरत विद्यार्थी	परीक्षा परिणाम सत्र 2023-24 (प्रतिशत में)				परीक्षा परिणाम सत्र 2024-25 (प्रतिशत में)			
					9वीं	10वीं	11वीं	12वीं	9वीं	10वीं	11वीं	12वीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	धरसीवा	सांकरा	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांकरा	511	66.80%	56.17%	97.63%	87.73%	80.55%	67.56%	91.17%	94.30%
17	धरसीवा	कुम्हारी	शासकीय हाई स्कूल कुम्हारी	125	56%	100%	-	-	48%	74%	-	-
18	धरसीवा	कपसदा	शासकीय हाई स्कूल कपसदा (आरएमएसए)	138	80.59%	94.20%	-	-	74.69%	96.22%	-	-
19	धरसीवा	देवरी	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवरी	333	68%	37.93%	92%	89.65%	67%	81%	100%	96.15%
20	धरसीवा	रायपुर	स्वामी आत्मानंद उल्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल शांति नगर	600	52%	78%	89%	96%	53%	75%	83%	98%
21	धरसीवा	डुंडा	शासकीय हाई स्कूल डुंडा (आरएमएसए)	129	50.70%	50%	-	-	60%	52%	-	-
22	धरसीवा	सारागांव	स्वामी आत्मानंद उल्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल सारागांव	700	73.86%	78.44%	90.04%	92.73%	62.68%	76.82%	84.52%	88.88%
23	धरसीवा	गुमा	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुमा	297	46.71	94.18%	72.97%	98.79	47.47%	90.60%	80.24%	100%
24	धरसीवा	पथरी	शासकीय जे.बी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पथरी	143	58.80%	73.60%	96.87%	96.10%	66%	73.30%	96.77%	80%
25	धरसीवा	सिलयारी	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खूब चंद बघेल सिलयारी	763	53.79%	60.09%	77.10%	88.60%	47.70%	55.09%	85.10%	88.19%
26	धरसीवा	रायपुर	शासकीय नगर निगम नवीन सरस्वती गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरानी बस्ती	224	84%	33%	95%	70%	68%	42%	97%	81%
27	तिल्दा	रायखेड़ा	स्वामी आत्मानंद उल्कृष्ट विद्यालय प्रबंध समिति रायखेड़ा	243	65.06%	64.19%	98.20%	90.50%	59.74%	73.21%	97.95%	90.90%
28	तिल्दा	सोनतारा	शासकीय हाई स्कूल सोनतारा (आरएमएसए)	40	75%	70%	-	-	66.66%	73.68%	-	-
29	तिल्दा	मढी	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मढी	250	64.94%	93.65%	83.01%	75%	64.04%	65.38%	76.66%	73.46%
30	तिल्दा	अडसेना	शासकीय हाई स्कूल अडसेना (आरएमएसए)	89	52.17%	90.90%	-	-	49.20%	79.17%	-	-

क्र	विकासखंड का नाम	ग्राम	हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल का नाम	अध्ययनरत विद्यार्थी	परीक्षा परिणाम सत्र 2023-24 (प्रतिशत में)					परीक्षा परिणाम सत्र 2024-25 (प्रतिशत में)				
					9वीं	10वीं	11वीं	12वीं	9वीं	10वीं	11वीं	12वीं		
					6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	88.09%	64.10%	97%	92%	81%	61.03%	100%	86.36		
31	तिल्दा	गनियारी	स्वामी आत्मानंद उल्कृष्ट विद्यालय प्रबंध समिति गनियारी	239	65%	59.70%	97.67%	65.38%	56.17	64.06%	95.34%	71.42%		
32	तिल्दा	असौदा	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय असौदा	240	72.00%	-	-	-	55%	41%	-	-		
33	तिल्दा	बरौडा	शासकीय हाई स्कूल बरौडा	75	59.64%	-	-	-	50%	87%	-	-		
34	तिल्दा	मांठ	शासकीय हाई स्कूल मांठ	78	62.74%	82.50%	-	-	82.20%	74.19%	-	-		
35	तिल्दा	भड़हा	शासकीय हाई स्कूल भड़हा (आरएमएसए)	76	54.62%	78.78%	65%	66%	52%	61.72%	64.61%	89.65%		
36	तिल्दा	पवरी	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पवरी	328	69.69%	34.61%	-	-	50%	52.38%	-	-		
37	तिल्दा	इल्दा	शासकीय हाई स्कूल इल्दा	53	68.75%	64.28%	-	-	52.38%	76.19%	-	-		
38	तिल्दा	घिवरा	शासकीय हाई स्कूल घिवरा (आरएमएसए)	65	51.02%	48.48%	100%	59.09%	58.13%	58.33%	90.90%	84.33%		
39	तिल्दा	बेलदारसिवनी	शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलदारसिवनी	120	58%	80%	93%	87%	59%	78%	92%	92%		
40	तिल्दा	मोहरेंगा	शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहरेंगा (एडीयू और आरएमएसए)	328	55.70%	81.53%	75.80%	97.78%	60%	83.33%	91.56%	86%		
41	तिल्दा	बंगोली	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंगोली	262	72.50%	100%	-	-	60.97%	83%	-	-		
42	तिल्दा	मुरा	शासकीय हाई स्कूल मुरा	70	49.29%	59.45%	-	-	48%	45.16%	-	-		
43	तिल्दा	कठिया नंबर-1	शासकीय हाई स्कूल कठिया नंबर O1(EDU)	86	58.51%	88.40%	62.54%	95.08%	50.96%	80.10%	65.77%	99.55%		
44	तिल्दा	नगर पंचायत खरोरा	भरत देवान उल्कृष्ट अग्रिजी माध्यम विद्यालय प्रबंध समिति खरोरा	1082	63.48%	86%	95.23%	92%	60.23%	75%	80.76%	83%		
45	तिल्दा	कनकी	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी	542	64%	93.60%	71.09%	97.22%	64.10%	75.50%	83.73%	93.80%		
46	धरसीवा	माना कैम्प	स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम उल्कृष्ट स्कूल माना कैम्प	465	56.25%	70%	76.08%	92.80%	57.28%	68.67%	85.33%	84.80%		
47	धरसीवा	भनपुरी	काशीराम शर्मा उल्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल भनपुरी	437										

M

क्र	विकासखंड का नाम	ग्राम	हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल का नाम	अध्ययनरत विद्यार्थी	परीक्षा परिणाम सत्र 2023-24 (प्रतिशत में)				परीक्षा परिणाम सत्र 2024-25 (प्रतिशत में)			
					9वीं	10वीं	11वीं	12वीं	9वीं	10वीं	11वीं	12वीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	धरसीवा	बोरिया खुर्द	शासकीय हाई स्कूल बोरियाखुर्द	88	69%	56.53%	-	-	40%	40%	-	-
49	तिल्दा	खौना	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खौना	252	70.32%	84.05%	92.31%	98.21%	64.10%	83.07%	92.59%	95.01%
50	धरसीवा	कचना	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कचना ई.डी.यू. एवं आरएमएसएड	359	44.52%	90%	85%	96%	44.66%	85%	92%	97%


अनुभाग अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 नवा रायपुर, अटल नगर


सहायक सचिव
 लोक शिक्षण संचालनालय
 छत्तीसगढ़

स.क्र.	विकास खंड	ग्राम	हाईस्कूल / हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम	पदों का विवरण	विषयवार पद												
					पूर्व	द्वि-तृ-तृ	चौथे	पाँच	छठे	सात	आठ	नौ	दस	ग्यारह	बारह	तेरह	चौदह
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	धरसीवा	गिरौद	शास.हाईस्कूल गिरौद	कार्यरत रिक्त	1 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0
2	धरसीवा	मांडर बस्ती	शास.उ.मा.वि. मांडर बस्ती	कार्यरत रिक्त	1 1	2 0	1 1	0 1	1 1	2 0	1 0	1 0	1 0	2 0	0 0	0 0	0
3	धरसीवा	मोहदी	शास.उ.मा.वि. मोहदी	कार्यरत रिक्त	1 0	1 0	1 0	1 0	0 1	1 0	1 0	1 0	1 0	2 0	0 0	0 0	0
4	धरसीवा	सेरीखेड़ी	शास.उ.मा.वि. सेरीखेड़ी	कार्यरत रिक्त	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 0	0
5	धरसीवा	परसतराई	शास.उ.मा.वि. परसतराई	कार्यरत रिक्त	1 1	2 0	1 1	1 0	1 1	1 0	1 0	1 0	1 0	2 0	0 0	2 0	0
6	धरसीवा	आमासिवनी	शास.हाईस्कूल आमासिवनी	कार्यरत रिक्त	1 0	1 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0
7	धरसीवा	तुलसी, बाराडेरा	शास.उ.मा.शा. तुलसी, बाराडेरा	कार्यरत रिक्त	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	2 0	0 0	0 0	0
8	धरसीवा	कुरां	स्वामी आत्मानंद शास.अग्रणी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय कुरां	कार्यरत रिक्त	2 1	2 1	1 0	1 0	1 0	1 0	0 0	1 0	2 1	0 0	0 0	0 0	0
9	धरसीवा	चरौदा	शास.कन्या हाईस्कूल चरौदा	कार्यरत रिक्त	1 0	1 0	1 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0
10	धरसीवा	सिलतरा	शास.उ.मा.वि. सिलतरा	कार्यरत रिक्त	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	2 -1	0 0	0 0	0 0	0
11	धरसीवा	मांडर कालोनी	शास.उ.मा.वि. मांडर कालोनी	कार्यरत रिक्त	1 0	2 0	1 1	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	2 0	0 0	0 0	0
12	धरसीवा	बरंबदा	स्वामी आत्मानंद शासकीय अग्रणी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय बरंबदा	कार्यरत रिक्त	1 1	1 1	1 1	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0
13	धरसीवा	बरौदा	शास.हाईस्कूल बरौदा	कार्यरत रिक्त	1 0	1 0	1 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0
14	धरसीवा	दौदेकला	शास.उ.मा.वि. दौदेकला	कार्यरत रिक्त	1 1	2 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 0	1 0	2 0	0 0	0 0	0
15	धरसीवा	जरौदा	शास.हाईस्कूल जरौदा	कार्यरत रिक्त	1 0	1 0	1 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0
16	धरसीवा	साकरा	शास.उ.मा.वि. साकरा	कार्यरत रिक्त	1 0	1 0	1 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	2 0	0 0	0 0	0
17	धरसीवा	कुहारी	शास.हाईस्कूल, कुहारी	कार्यरत रिक्त	1 0	1 0	1 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0
18	धरसीवा	कपसदा	शास.हाईस्कूल कपसदा	कार्यरत रिक्त	1 0	1 0	1 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0
19	धरसीवा	देवरी	शा.उ.मा.वि.दे. देवरी	कार्यरत रिक्त	0 1	0 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 0	0 0	1 0	2 0	0 0	0 0	0

विषयवार पद

स.क.	विकास खंड	ग्राम	हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम	पदों का विवरण	पूर्व	नियुक्ति	रिक्त	पदोपस्थापित									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	धरसीवा	रायपुर	पी.जी.उमाठे शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय शांति नगर, रायपुर	कार्यरत	3	2	1	3	2	2	2	2	2	3	1	0	1
21	धरसीवा	डूंडा	शास.हाईस्कूल डूंडा	रिक्त	1	2	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
22	धरसीवा	सारागांव	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय सारागांव,	कार्यरत	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	0	0	0
23	धरसीवा	गुमा	शास.उ.मा.शा. गुमा	रिक्त	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0
24	धरसीवा	पथरी	शास.उ.मा.शाला पथरी	कार्यरत	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0
25	धरसीवा	सिलयारी	शास.उ.मा.वि. सिलयारी	रिक्त	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
26	धरसीवा	रायपुर	नगर निगम नवीन सरस्वती कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल पुरानी बस्ती	कार्यरत	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0
27	तिल्दा	रायखेड	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय रायखेडा	रिक्त	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
28	तिल्दा	सोनतरा	शास.हाईस्कूल सोनतरा	कार्यरत	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
29	तिल्दा	मढ़ी	शास.उ.मा.वि. मढ़ी	रिक्त	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
30	तिल्दा	अड़सेना	शास.हाईस्कूल अड़सेना	कार्यरत	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
31	तिल्दा	गनियारी	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय गनियारी	रिक्त	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
32	तिल्दा	आसौंदा	शास.उ.मा.शा.आसौंदा	कार्यरत	1	2	2	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0
33	तिल्दा	बरौण्डा	शास.हाईस्कूल बरौण्डा	रिक्त	1	0	-1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
34	तिल्दा	मांठ	शास.हाईस्कूल मांठ	कार्यरत	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
35	तिल्दा	मडहा	शास.हाईस्कूल मडहा	रिक्त	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
36	तिल्दा	पचरी	शा.उ.मा.वि. पचरी	कार्यरत	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0
37	तिल्दा	ईल्दा	शा. हाईस्कूल ईल्दा	रिक्त	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0

विषयवार पद

स.क.	विकास खंड	ग्राम	हाईस्कूल/ हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम	पदों का विवरण	पूरा	कुछ	रिक्त	पूरा	कुछ	रिक्त	अनुपस्थित/अप्राप्त	हाईस्कूल/विद्यालय	हाईस्कूल	हाईस्कूल	हाईस्कूल	हाईस्कूल	हाईस्कूल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
38	तिल्वा	धिवरा	शास.हाईस्कूल धिवरा	कार्यरत रिक्त	1 0	1 0	1 -1	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0
39	तिल्वा	बेल्दरसिवनी	शास. उ. मा.शाला. बेल्दरसिवनी	कार्यरत रिक्त	0 1	1 0	1 0	0 1	1 0	1 0	1 0	0 1	1 0	0 0	2 0	0 0	0
40	तिल्वा	मोहरंगा	शास. उ. मा. वि. मोहरंगा	कार्यरत रिक्त	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 1	0 1	1 0	0 2	0 0	0 0	0
41	तिल्वा	बंगोली	शास. उ. मा.शाला. बंगोली	कार्यरत रिक्त	0 1	2 0	1 0	2 0	1 0	1 0	1 0	1 0	2 0	2 0	0 0	0 0	0
42	तिल्वा	मूरा	शास. हाईस्कूल, मूरा	कार्यरत रिक्त	0 1	1 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 1	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0
43	तिल्वा	कठिया	शास. हाईस्कूल कठिया नं. 1	कार्यरत रिक्त	0 1	1 0	0 1	1 0	0 0	0 0	0 1	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0
44	तिल्वा	खरोरा	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय खरोरा	कार्यरत रिक्त	0 3	2 1	2 1	1 2	1 2	2 1	0 2	0 3	2 1	1 3	0 0	0 0	0
45	तिल्वा	कनकी	शास. उ. मा. वि. कनकी	कार्यरत रिक्त	1 0	1 0	1 0	1 0	0 0	1 0	1 0	1 0	1 0	2 0	0 0	0 0	0
46	धरसीवा	माना कैम्प	स्वामी आत्मानंद शास. अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय माना कैम्प	कार्यरत रिक्त	0 2	0 2	0 2	1 1	1 1	1 1	0 0	0 0	2 2	2 2	0 0	0 0	0
47	धरसीवा	भरपुरी	काशी राम शर्मा शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय भरपुरी, रायपुर	कार्यरत रिक्त	2 3	2 2	1 2	1 2	2 2	2 2	1 1	1 2	2 2	4 4	0 0	0 0	0
48	धरसीवा	बोरियाखुर्द	शास. हाईस्कूल बोरियाखुर्द	कार्यरत रिक्त	0 1	1 0	1 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0
49	तिल्वा	खौना	शास. उ. मा. वि. खौना	कार्यरत रिक्त	1 0	1 0	1 0	2 0	1 0	1 0	1 0	0 1	2 0	1 1	0 0	0 0	0
50	धरसीवा	कवना	शास. उ. मा. वि. कवना	कार्यरत रिक्त	0 1	1 0	1 -1	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 0	0



अनुभा अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संस्थानालय
छत्तीसगढ़

पारिशेष - छब्बीस

परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1948) की जानकारी

प्रपत्र-अ

नगर पंचायत खरोरा में निर्माणाधीन गौरव पथ की जांच।

क्र.	मार्ग का नाम	स्वीकृत मार्ग की लंबाई (कि.मी. में)	प्रशासकीय स्वीकृति		मार्ग की पूर्णता तिथि	टीप
			राशि (रु.लाख में)	दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2024-25						
1	जिला-रायपुर के दौदेकला-पचेड़ा मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य लंबाई 3.50 किमी पुल-पुलिया सहित (कार्य वर्ष 2019-20)	3.50	732.80	08.07.2021	15.06.2024	कार्य पूर्ण
2	जिला रायपुर के सारागांव- देवरी मार्ग किमी 1/2 से 3/10, 4/2 से 6/10, 7/2 से 8/10 = 8.00 किमी. का उन्नयन एवं नवीनीकरण (कार्य वर्ष 2020-21)	8.00	841.52	08.07.2021	15.06.2024	कार्य पूर्ण
3	जिला रायपुर के नवागांव- बेलटुकरी- भड़हा मार्ग लंबाई 8.20 किमी. का उन्नयन कार्य (कार्य वर्ष 2021-22)	7.50	1527.05	07.09.2022	05.07.2024	कार्य पूर्ण
योग :- 03 कार्य		19.00	3101.37			03 कार्य पूर्ण


अनुराग अधिकारी
 लोक निर्माण विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

क्र.	मार्ग का नाम	स्वीकृत मार्ग की लंबाई (कि.मी. में)	प्रशासकीय स्वीकृति		मार्ग की पूर्णता तिथि	टीप
			राशि (रु.लाख में)	दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2025-26						
1	जिला रायपुर के नायकताड़ से खरोरा शहर मार्ग के गौरव पथ निर्माण लं.-3.50 कि.मी.। (कार्य वर्ष 2023-24)	3.50	1946.70	22.09.2023	30.04.2025	सिविल कार्य पूर्ण
योग :- 01 कार्य			1946.70			01 सिविल कार्य पूर्ण



अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मन्त्रालय, अटल नगर, रायपुर



मुख्य अभियंता
कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.
रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र-ब

नगर पंचायत खरोरा में निर्माणाधीन गौरव पथ की जांच।

क्र.	मार्ग का नाम	स्वीकृत मार्ग की लंबाई (कि.मी. में)	प्रशासकीय स्वीकृति		मार्ग की पूर्णता तिथि	गुणवत्ता की जांच का विवरण				मार्ग में स्ट्रीट लाइट/ डिवाइडर लाइट का प्रावधान			टीप
			राशि (रु.लाख में)	दिनांक		प्रयोगशाला से सामग्री टेस्ट का विवरण	जांचकर्ता अधिकारी	निरीक्षण दिनांक	राशि (रु.लाख में)	कार्य योजना	पूर्णता तिथि		
1	जिला रायपुर के नायकताड़ से खरोरा शहर मार्ग के गौरव पथ निर्माण लं.-3.50 कि.मी.। (कार्य वर्ष 2023-24)	3.50	1946.70	22.09.2023	30.04.2025 (सिविल कार्य पूर्ण)	7	8	9	10	11	12	13	स्ट्रीट लाइट/ डिवाइडर लाइट हेतु राशि रु. 96.00 लाख एवं युटिलिटी शिफ्टिंग कार्य हेतु राशि रु. 62.62 लाख का प्रावधान है। प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति में युटिलिटी शिफ्टिंग एवं स्ट्रीट लाइट हेतु सम्मिलित रूप से राशि रु. 158.62 लाख प्रावधानित है। युटिलिटी शिफ्टिंग कार्य हेतु विद्युत मण्डल खरोरा से प्राप्त विस्तृत प्रावकलन राशि रु. 179.44 लाख के विरुद्ध राशि रु. 1,19,99,893/- व्यय हुआ है। उक्त व्यय पश्चात राशि रु. 38.62 लाख शेष है, शेष बचत राशि से स्ट्रीट लाइट कार्य हेतु अग्रिम कार्यवाही किया जाना है।
योग :- 01 कार्य			1946.70										

मुख्य अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.
रायपुर अटल नगर (छ.ग.)अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

वर्ष 2024 एवं 2025 में जिला गरियाबंद में स्कूल जतन योजना अंतर्गत आदिवासी विकास विभाग को एजेन्सी बनाकर किये गये कार्यों की जानकारी

क्र.	शाला का नाम	स्वीकृत राशि (लागत राशि)	स्वीकृत कार्य संख्या	स्वीकृत कार्य का नाम	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
1	शास.बालक आश्रम धवलपुर	10.00	1	शाला मरम्मत कार्य	10.00
2	शास.आश्रम प्राथ.शाला आमामोरा	6.34	1	जीणोद्धार कार्य	3.49
3	शास.प्राथ.शाला आश्रम भौदी	14.30	1	शाला मरम्मत कार्य	14.30
4	शास.प्राथ.शाला आदि.बालक आश्रम पीपरछेड़ी	4.25	1	जीणोद्धार कार्य	3.41
5	शास.कन्या आश्रम गरियाबंद	7.21	1	मरम्मत कार्य	6.00
6	शास.प्राथ.शाला बालक कुमार आश्रम गरियाबंद	27.90	1	मरम्मत कार्य	26.36
7	शास. प्राथमिक शाला आश्रम मौहाभाठा	16.60	1	अतिरिक्त कक्ष मरम्मत कार्य	12.97
8	शास.आदि.बालक प्राथ.शाला आश्रम टेंवारी	8.49	1	मरम्मत कार्य	7.93
9	शास. कन्या आश्रम बारुका	8.49	1	जीणोद्धार/मरम्मत कार्य	8.19
10	शास. प्राथ.शाला चिन्दाभाटा	4.57	1	अतिरिक्त कक्ष कार्य	3.43
11	शास. प्राथ.शाला कामेपुर	4.57	1	कक्ष मरम्मत कार्य	1.828
12	शास.प्राथ.शाला बालक कोचबाय	3.38	1	जीणोद्धार कार्य कोचबाय	1.352
13	शास. प्राथ.शाला नगरार	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष	8.30
14	शास. प्राथ.शाला कुकरार	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष	12.45
15	शास. प्राथ.शाला रायअमा	8.32	1	अतिरिक्त कक्ष कार्य	6.24
16	शास. प्राथ.शाला कोपेकासा	8.32	1	अतिरिक्त कक्ष कार्य	6.24
17	शास. प्राथ.शाला कामेपुर	8.32	1	अतिरिक्त कक्ष कार्य	3.328
18	प्राथमिक शाला हथौडाडीह	20	1	नवीन भवन निर्माण	10.00
19	प्राथमिक शाला जोबपार	20	1	नवीन भवन निर्माण	10.00
20	शास. प्राथ.शाला अमलोर	5.27	1	अतिरिक्त कक्ष मरम्मत कार्य	5.27
21	शास. प्राथ.शाला बोदापाला	8.32	1	अतिरिक्त कक्ष	8.32
22	शास. प्राथ.शाला तुपेंगा	8.32	1	अतिरिक्त कक्ष	3.328
23	शास. प्राथ.शाला खुर्शीडीह	8.32	1	अतिरिक्त कक्ष कार्य	8.32
24	शा.प्रा. आ.क.आश्रम शाला शोभा	15.50	1	अतिरिक्त कक्ष व स्कूल मरम्मत कार्य	15.50

h/s om

क्र.	शाला का नाम	स्वीकृत राशि (लागत राशि)	स्वीकृत कार्य की संख्या	स्वीकृत कार्य का नाम	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
25	शा.बा. प्रा.आ.शाला बुरजाबहाल	12.80	1	अतिरिक्त कक्ष व स्कूल मरम्मत कार्य	9.29
26	शास.माध्य. आदि. आश्रम छिंदौला	16.60	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	16.60
27	शास.माध्य.आदि.बालक आश्रम मैनपुर	16.60	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	4.46
28	शास.प्राथ.आदि.बालक आश्रम शाला बड़ेगोबरा	16.60	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	14.92
29	शा.मा.आदि.बा./क. आश्रम शाला बड़ेगोबरा	16.60	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	13.62
30	शास.कन्या माध्य.आश्रम शाला कुल्हाडीघाट	16.60	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	16.60
31	शा.प्रा.आ.क. आ.नकबेल	18.40	1	अतिरिक्त कक्ष व बालिका शौचालय निर्माण कार्य	0.00
32	शास. आदि.कन्या आश्रम कालीमाटी	24.90	1	03 अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	2.09
33	प्राथमिक शाला देवझर अमली अमाड़	10.2	1	नवीन भवन निर्माण	4.08
34	शास. प्राथ.शाला धनोरा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.3
35	शास. प्राथ.शाला खलियामुड़ा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	13.28
36	शास. प्राथ.शाला छैला	10.1	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	5.05
37	शास. प्राथ.शाला भुतबेड़ा	9.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	7.68
38	शास. प्राथ.शाला गौरघाट	4.33	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	3.464
39	शास. प्राथ.शाला मुडामहन	10	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8
40	शास. प्राथ.शाला भैंसमुडी	10	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8
41	शास. प्राथ.शाला पदमपुर	8.32	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	6.656
42	शास.माध्य. शाला पदमपुर	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	10
43	शास. प्राथ.शाला मोतीपानी	9.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	7.68
44	शास. प्राथ.शाला फरसरा	8.25	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	6.6
45	शास. प्राथ.शाला खोखमा	5.16	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	4.128
46	शास. प्राथ.शाला गुरुजीभाठा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.3
47	शास. प्राथ.शाला खरकापारा	8.32	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	4.16
48	शास. हायर सेकेण्डरी झरगांव	3.62	1	बालिका एवं बालक शौचालय निर्माण	2.896
49	शास. हायर सेकेण्डरी अमलीपदर	3.62	1	बालक एवं बालिका शौचालय निर्माण	2.896
50	शास.माध्य. शाला मुचबहाल	1.81	1	बालक शौचालय निर्माण	1.448
51	शास. प्राथ.शाला कोदोभाठा	1.81	1	बालक शौचालय निर्माण	1.448
52	शास. प्राथ.शाला आडपथर	1.81	1	बालक शौचालय	1.448

क्र. सं.	शाला का नाम	स्वीकृत राशि (लागत राशि)	स्वीकृत कार्य की संख्या	स्वीकृत कार्य का नाम	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
53	शास. नवीन प्राथ.शाला मुंशीपारा	1.81	1	बालक शौचालय निर्माण	1.81
54	शास.माध्म. शाला साह्नेभाठा	1.81	1	बालिका शौचालय	1.448
55	शास. प्राथ.शाला कुमकोट	1.81	1	बालक शौचालय निर्माण	1.448
56	शास. प्राथ.शाला जुगाड़	1.81	1	बालिका शौचालय निर्माण	1.448
57	शास. नवीन प्राथ.शाला महुलपुटका	1.81	1	बालिका शौचालय	1.448
58	शास. प्राथ.शाला कुहीमाल	1.81	1	बालक शौचालय	1.448
59	शास. प्राथ.शाला आमपारा	1.81	1	बालक शौचालय निर्माण	1.448
60	शास.माध्म. शाला डूमरघाट	1.81	1	बालक शौचालय निर्माण	1.448
61	शास. प्राथ.शाला डूमरपड़ाव	1.81	1	बालक शौचालय निर्माण	1.448
62	शास. प्राथ.शाला लुठापारा	1.81	1	बालिका शौचालय निर्माण	1.448
63	शास. प्राथ.शाला महुलपारा	1.81	1	बालक शौचालय	1.448
64	शास. प्राथ.शाला उसरीजोर	10.1	1	अतिरिक्त कक्ष एवं बालिका शौचालय	8.08
65	शास. प्राथ.शाला ताराझार	7.15	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	3.58
66	शास. प्राथ.शाला बुडगेलटप्पा	10	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	5
67	शास. प्राथ.शाला पेन्द्रा	10	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8
68	शास. प्राथ.शाला ठेमली	8.32	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	6.656
69	शास. प्राथ.शाला देवडोगर	10.1	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.08
70	शास. प्राथ.शाला गवेरमुड	10.1	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.08
71	शास. प्राथ.शाला जालपारा	14.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	11.68
72	शास. प्राथ.शाला नवापारा	14.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	11.68
73	शास. प्राथ.शाला चिखली	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.3
74	शास. प्राथ.शाला कछारपारा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	13.28
75	शास. नवीन प्राथ.शाला अमली	8.32	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	4.16
76	शास. प्राथ.शाला भाताडीगगी	10.1	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.08
77	शास. प्राथ.शाला पटीयलपारा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.3
78	शास.माध्म. शाला कुरलापारा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.3
79	शास. प्राथ.शाला कुरवापानी	7.15	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	3.58
80	शास. प्राथ.शाला भालुडीगगी	7.15	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	3.58
81	शास. ज्ञान ज्योति मटल	7.15	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	3.58
82	शास.हायर सेकेंडरी स्कूल बुरजाबहल	20.2	1	अतिरिक्त कक्ष व सह शौचालय	10.1
83	शास. प्राथ.शाला मुडगेलमाल	20.2	1	सह शौचालय एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण	10.1
84	शास.हायर सेकेंडरी स्कूल मुडगेलमाल	20.2	1	अतिरिक्त कक्ष एवं सह शौचालय	10.1
85	शास.माध्म. शाला लाटापारा	18.4	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं बालक शौचालय निर्माण	9.2
86	शास.हायर सेकेंडरी स्कूल सरनाबहल	18.4	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं शौचालय निर्माण	9.2

क्र. 3	शाला का नाम	स्वीकृत राशि (लागत राशि)	स्वीकृत कार्य की संख्या	स्वीकृत कार्य का नाम	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
87	शास. प्राथ.शाला माजापारा	18.4	1	अतिरिक्त कक्ष एवं बालिका शौचालय निर्माण	9.2
88	शास.माध्म. शाला घुमरापदर	18.4	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं बालिका शौचालय	9.2
89	शास. प्राथ.शाला नवापारा	18.4	1	अतिरिक्त कक्ष एवं बालिका शौचालय निर्माण	18.4
90	शास.माध्म. शाला कोकडीमाल	18.4	1	बालिका शौचालय एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण	18.4
91	शास. प्राथ.शाला डोगरीपारा	18.4	1	अतिरिक्त कक्ष एवं शौचालय निर्माण	18.4
92	शास.माध्म. शाला शोभा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष	16.6
93	शास.माध्म. शाला धनोरा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष	16.6
94	शास.माध्म. शाला खलीयामुड़ा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष	8.3
95	शास.माध्म. शाला गरीबा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	13.28
96	शास. प्राथ.शाला गरीबा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	13.28
97	शास.माध्म. शाला गौरघाट	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	6.64
98	शास. प्राथ.शाला भाटीगढ़	16.6	1	दो अतिरिक्त कक्ष निर्माण	16.6
99	शास. प्राथ.शाला नवापारा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	16.6
100	शास.माध्म. शाला सरईपानी	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	16.6
101	शास. प्राथ.शाला सरनाबहल	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष	16.6
102	शास. प्राथ.शाला जड़ापारा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष	16.6
103	शास. प्राथ.शाला फलसपारा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष	16.6
104	शास.माध्म. शाला पिपलखुंटा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष	16.6
105	शास. प्राथ.शाला चलकीपारा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	16.6
106	शास.माध्म. शाला भाठीगढ़	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	16.6
107	शास.बालिका माध्म. शाला अमलीपदर	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.3
108	शास. प्राथ.शाला जांगडा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष	13.28
109	शास.माध्म. शाला जांगड़ा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	13.28
110	शास.माध्म. शाला कुरुभाठा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष	8.3
111	शास.माध्म. शाला छोटोगोबरा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष	13.28
112	शास.माध्म. शाला चिखली	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.3
113	शास.माध्म. शाला पयलीखंड	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष	8.3
114	शास. कनिस्ट प्राथ.शाला मौहानाला	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	13.28
115	शास. प्राथ.शाला गजीमुड़ा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	13.28
116	शास. प्राथ.शाला नगवेल	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष	13.28
117	शास. प्राथ.शाला कोकडीमाल	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष	6.64
118	शास. प्राथ.शाला जयंती नगर	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष	13.28
119	शास. प्राथ.शाला डुमरघाट	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.3
120	हायर सेकंडरी स्कूल धुरावागुदी	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष	6.64

क्र.	शाला का नाम	स्वीकृत राशि (लागत राशि)	स्वीकृत कार्य की संख्या	स्वीकृत कार्य का नाम	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
121	शास. प्राथ.शाला केन्दुकोट	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.3
122	शास. प्राथ.शाला भादरीपारा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	13.28
123	शास. प्राथ.शाला कमारपारा कुचेंगा	16.6	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	13.28
124	शास. प्राथ.शाला श्यहीडोगरी	11.9	1	सह शौचालय एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण	5.95
125	शास. प्राथ.शाला धौराझोला	10.1	1	बालक शौचालय एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण	4.04
126	शास.माध्म. शाला बुडगेल टपपा	10.1	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं बालक शौचालय निर्माण	8.08
127	शास. प्राथ.शाला साहेबिन कच्छर	10.1	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं बालक शौचालय निर्माण	5.05
128	शास.माध्म. शाला साहेबिन कच्छर	10.1	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं बालिका शौचालय निर्माण	10.1
129	शास. प्राथ.शाला इन्दागांव	10.1	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं बालिका शौचालय निर्माण	10.1
130	शास. प्राथ.शाला नगेश	10.1	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं बालक शौचालय निर्माण	10.1
131	शास.माध्म. शाला कुरलापारा	10.1	1	अतिरिक्त कक्ष व बालिका शौचालय	10.1
132	शास.माध्म. शाला बिरीघाट	8.32	1	अतिरिक्त कक्ष	8.32
133	शास. प्राथ.शाला खैरामाल	8.32	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.32
134	शास. प्राथ.शाला पोटापारा	8.32	1	अतिरिक्त कक्ष	8.32
135	शास. बालक माध्म.शाला अमलीपदर	8.32	1	अतिरिक्त कक्ष	8.32
136	शास. प्राथ.शाला करलाझर	8.32	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.32
137	शास. प्राथ.शाला कालीमाटी	8.32	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.32
138	शास.आश्रम शाला परसदाखुर्द	8.49	1	स्कूल मरम्मत कार्य	8.49
139	शास.प्राथ.शाला आश्रम तौरेंगा	16.60	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	14.60
140	शा.क. आ. नागिनबाहरा	5.27	1	भवन एवं शौचालय मरम्मत निर्माण कार्य	5.27
141	शास. कन्या आश्रम दादरगांव	16.20	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	15.13
142	शास. आदिवासी कन्या आश्रम छुरा	14.70	1	स्कूल मरम्मत कार्य	14.24
143	शास.प्राथ.शाला आश्रम गायडबरी	10.00	1	भवन मरम्मत कार्य	10.00
144	शास.माध्यमिक शाला बम्हनी	8.32	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	8.32
145	शास. प्राथ.शाला धरमपुर	5	1	प्रा शा भवन मरम्मत कार्य	2
146	शास. प्राथ.शाला खुसरूपाली	4.57	1	स्कूल मरम्मत कार्य व शौचालय मरम्मत निर्माण	1.828
147	शास. प्राथ.शाला कमारपार	2	1	भवन फर्स मरम्मत कार्य	2
148	शास. प्राथ.शाला बिरोडार	2	1	भवन फर्स मरम्मत कार्य	1.5
149	शास. नवीन माध्म.शाला बिरोडार	2	1	भवन फर्स मरम्मत कार्य	1.5
150	शास. प्राथ.शाला चरौदा बिरोडार	2	1	प्रा शा भवन मरम्मत कार्य	1.5

क्र.	शाला का नाम	स्वीकृत राशि (लागत राशि)	स्वीकृत कार्य की संख्या	स्वीकृत कार्य का नाम	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
151	शास. प्राथ.शाला गाड़ाघाट	2	1	भवन फ़र्स मरमत कार्य	2
152	शास. प्राथ.शाला पाटसिवनी	2	1	भवन फ़र्स मरमत कार्य	2
153	शास. प्राथ.शाला मडेली	2	1	भवन फ़र्स मरमत कार्य	2
154	शास. ज्ञान ज्योति बैदपारा	2	1	भवन फ़र्स मरमत कार्य	2
155	शास. प्राथ.शाला असरा	2	1	भवन फ़र्स मरमत कार्य	2
156	शास. नवीन प्राथ.शाला कोडामाल	2	1	प्रा शा भवन मरम्त कार्य	2
157	शास. प्राथ.शाला कमारपार पाटसिवनी	0.75	1	भवन फ़र्स मरमत कार्य	0.75
158	शांस. हायर सेकेण्डरी माड़ागांव	32.8	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण और विद्यालय मरम्मत	30.5
159	शास.माध्म. शाला माड़ागांव	25	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	25
160	शास. प्राथ.शाला सुपेबेड़ा	16.7	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	16.7
161	शास.माध्म. शाला खोखसरा	16.7	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	16.7
162	शास.माध्म. शाला सितलीजोर	16.7	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	16
163	शास. हाईस्कूल बरबहली	16.7	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	15.6
164	शास. हाईस्कूल मगररोड़ा	16.7	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	16.7
165	शास. हाईस्कूल लाटापारा	8.32	1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	8.32

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मन्त्रालय, रायपुर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

प्रपत्र - अ

दुर्ग जिले अंतर्गत युक्तियुक्तकरण में व्याख्याताओं की पदस्थापना (विषय अंग्रेजी)

स.क.	अतिशेष व्याख्याता / व्याख्याता एल.बी. का नाम	पदनाम	विषय	मूल संस्था का नाम	संलग्नीकरण (अध्यापन व्यवस्था) वाले शाला का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती संख्या भारती	व्याख्याता एल.बी	अंग्रेजी	शास. कन्या उ.मा.वि. वैशालीनगर, वि.खं. दुर्ग	शास. उ.मा.वि. सुरडुंग, वि.खं. धमधा
2	श्री एम.पी.तिवारी	व्याख्याता	अंग्रेजी	सेजेस अहिवारा, वि.खं. धमधा	सेजेस खम्हरिया, वि.खं. दुर्ग
3	श्री संजय कुमार दास	व्याख्याता एल.बी	अंग्रेजी	शास. कन्या उ.मा.वि. वैशालीनगर, वि.खं. दुर्ग	शास. हाईस्कूल बटंग, वि.खं. पाटन
4	श्री निलेश श्रीवास्तव	व्याख्याता एल.बी	अंग्रेजी	शास. हाईस्कूल सोमनी, वि.खं. पाटन	शास. हाईस्कूल मोहलाई, वि.खं. दुर्ग


अनुभाग अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 नवा रायपुर, अटल नगर


सहायक संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग.

दुर्ग जिले अंतर्गत युक्तियुक्तकरण में व्याख्याताओं की पदस्थापना (विषय अंग्रेजी)

कं.	शिक्षक का नाम	पूर्व संस्था का नाम	पदस्थापना वाले शाला का नाम
1	श्रीमती प्रेमलता वर्मा	शा.उ.मा.वि. नारधा, वि.खं.धमधा	शा.हाईस्कूल पुरदा, वि.खं.धमधा
2	प्रीति मिश्रा	शास. उ.मा.वि. विनायकपुर, वि.खं. दुर्ग	शा.हाईस्कूल पेण्डी कु, वि.खं.धमधा
3	श्री एम.पी.तिवारी	सेजेस अहिवारा, वि.खं.धमधा	शा.हाईस्कूल सिलतरा, वि.खं.धमधा
4	कु. अनिता साहू	स्वा.आ.उ.हि.मा.वि.चंदखुरी, वि.ख. दुर्ग	शा.हाईस्कूल बिरेझर, वि.खं.धमधा
5	श्रीमती हुमा खान	शा उ.मा.वि भिलाई 03, वि.खं.पाटन	शा.हाईस्कूल दनिया, वि.खं.धमधा
6	श्री निलेश श्रीवास्तव	हाईस्कूल सोमनी, वि.खं.पाटन	शा.उ.मा.वि. खिलौराकला, वि.खं.धमधा
7	श्री संजय कुमार दास	शास. कन्या उ.मा.वि. वैशालीनगर, वि.खं.दुर्ग	शा.उ.मा.वि. घोटवानी, वि.खं.धमधा
8	श्रीमती भारती प्रकाश	शा.उ.मा.वि.बघेरा, वि.खं.दुर्ग	शा.उ.मा.वि. सुरडुंग, वि.खं.धमधा
9	श्री ओ.पी.शुक्ला	शा.उ.मा.वि.शाला कुगदा, वि.खं.पाटन	शा.उ.मा.वि. सिरसाकला, वि.खं.पाटन
10	श्रीमती संगीता घाटगे	सेजेस अंग्रेजी माध्यम पाटन, वि.खं.पाटन	शा.हाईस्कूल सेमरी, वि.खं.पाटन
11	श्रीमती संध्या भारती	शास. कन्या उ.मा.वि. वैशालीनगर, वि.खं.दुर्ग	शा.उ.मा.वि. औंधी, वि.खं.पाटन
12	श्रीमती रेखा सिंह	उ.मा.वि.पहंजोर, वि.खं.पाटन	शा.उ.मा.वि.गनियारी, वि.खं.पाटन
13	श्रीमती निहारिका कश्यप	शास. उ.मा.वि. तिलक दुर्ग, वि.खं.दुर्ग	शा.उ.मा.वि. रसमड़ा, वि.खं. दुर्ग

Okent

Shardha
सहायक संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय छ ग

प्रपत्र

सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ब्रिज निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति

क्र.	विकासखंड	स्वीकृति प्राप्त कार्यों एवं स्थल का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि व दिनांक		पूर्ण/अपूर्ण	अपूर्ण का कारण	अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण किया जावेगा
			राशि (रु.लाख में)	दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मगरलोड	जिला धमतरी के रेंगाडीह से सिंगपुर मार्ग में नागदेव नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य। (कार्य वर्ष 2023-24)	721.78	29.9.23	अपूर्ण	छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश दिनांक 20.12.2023 के तारतम्य में वित्त विभाग से मितव्यता हेतु अनुमति अपेक्षित।	तिथि बताना संभव नहीं।
2	नगरी	दुधावा-मुरुमसिल्ली बनरौद मार्ग के किमी. 36/10 सिलयारी नाला पर पुल का निर्माण। (कार्य वर्ष 2024-25)	1458.52	11.12.25	अपूर्ण	मू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	तिथि बताना संभव नहीं।
3	नगरी	जिला धमतरी के राजनांदगांव गुंडरदेही धमतरी नगरी सिहावा बोराई मार्ग (राज्यमार्ग क्र. 23) के किमी. 98/10 में क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नवीन पुल निर्माण कार्य 2 X 6 मी. स्पॉन (पुलिया) (कार्य वर्ष 2025-26)	76.87	20.03.25	अपूर्ण	अनुबंधानुसार पूर्णता दिनांक 31.05.2026	अबटमेंट कार्य प्रगतिपर
4	मगरलोड	जिला धमतरी के मगरलोड विकासखण्ड के बड़ेमुड़ा नाला में मध्यम पुल निर्माण कार्य (मार्ग की श्रेणी-ग्रामीण मार्ग) 5 X 6 मी. स्पॉन (पुलिया) (कार्य वर्ष 2025-26)	195.46	09.01.26	अपूर्ण	निविदा प्रक्रियाधीन निविदा दिनांक 13.02.2026 खुलने का दिनांक 10.03.2026	-



अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

मुख्य अभियंता
कार्या. प्रमुख अभियंता लो.नि.वि.
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पारिशेष - तीस

परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 28 (क. 2145) की जानकारी

प्रपत्र

जिला रायगढ़ में जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत पानी टंकी कार्य की पूर्ण, अपूर्ण एवं प्रगतिरत तथा टंकियों से हर-घर तक नल का जल पहुंचाये जाने की विकासखंडवार जानकारी

क्रमांक	विकास खंड	स्वीकृत पानी टंकी की संख्या (आरसीसी + सोलर + स्टील स्ट्रक्चर)	पूर्ण पानी टंकी की संख्या	अपूर्ण पानी टंकी की संख्या	पूर्ण टंकियों में से चालू एवं कार्यरत टंकियों की संख्या	चालू टंकियों से हर घर नल से जल प्रदाय की संख्या	पूर्ण परंतु जल प्रदाय अप्रारंभ टंकियों की संख्या (4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायगढ़	171	160	11	125	21321	35
2	पुसौर	193	176	17	112	18265	64
3	खरसिया	158	150	8	128	20328	22
4	घरघोडा	176	168	8	140	11240	28
5	तमनार	152	128	24	57	3918	71
6	लैलूंगा	419	359	60	214	17390	145
7	धरमजयगढ़	632	412	220	379	31215	33
	योग:-	1901	1553	348	1155	123677	398

Shyam
अनुभाग अधिकारी
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग
भवालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर

क्र	जिला	विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षक	व्यावसायिक प्रशिक्षक रिक्त पद रिक्त
1	बालोद	92	2
2	बलौदाबाजार	105	37
3	बलरामपुर	75	33
4	बस्तर	83	9
5	बेमेतरा	100	22
6	बीजापुर	26	2
7	बिलासपुर	86	48
8	दंतेवाड़ा	41	1
9	धमतरी	58	8
10	दुर्ग	121	19
11	गरियाबंद	46	10
12	गौरला पेंडा मरवाही	16	6
13	जांजगीर-चांपा	61	25
14	जशपुर	57	19
15	कांकेर	95	5
16	कवर्धा	94	16
17	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	36	14
18	कोडागांव	66	8
19	कोरबा	81	17
20	कोरिया	16	6
21	महासमुंद	101	13
22	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	20	10
23	मोहला-मानपुर-चौकी	21	3
24	मुंगेली	59	29
25	नारायणपुर	24	0
26	रायगढ़	48	20
27	रायपुर	150	34
28	राजनंदगांव	72	8
29	सक्ती	48	14
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	40	18
31	सुकमा	25	3
32	सूरजपुर	53	23
33	सरगुजा	55	17
	कुल	2071	499

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
महानदी गवन
नगर

17

परिशिष्ट - बत्तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 2435) की जानकारी

प्रपत्र-अ

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु जनवरी 2024 से दिनांक 15.02.2026 तक स्वीकृत नलकूप खनन, मोटर पंप प्रतिस्थापना कार्य की लागतवार, स्थलवार एवं कार्य की भौतिक स्थिति की योजना/मदवार जानकारी

क्र.	विकास खंड	ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	नलकूप खनन का स्थल	स्थल चयन प्रक्रिया	स्वीकृत योजना/मद का नाम		स्वीकृत नलकूप खनन		मोटर पंप स्थापना कार्य की भौतिक स्थिति			
					योजना का नाम	मद	संख्या	राशि (रु. लाख में)	संख्या	राशि (रु. लाख में)	पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	पथरिया	जगताकापा	गोठानपारा/पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
2	मुंगेली	अनंतपुर	जांगड़ेपारा/पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
3	पथरिया	अमोरा	शा. उच्च माध्य. शाला के पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
4	मुंगेली	उस्तापुर	वार्ड क्र. 13/भगताराम पटेल के घर पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
5	मुंगेली	औराबांधा	प्राथमिक व माध्यमिक शाला के पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.285	0	0	1	0
6	मुंगेली	कतेली	आंगनबाड़ी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
7	मुंगेली	कत्रौलियाकापा	आंगनबाड़ी के पास बाजारपारा	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
8	मुंगेली	करही	यादव समाज भवन के पास/बाजारपारा	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.285	0	0	1	0
9	मुंगेली	किशनपुर	रामसागर तालाब पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
10	पथरिया	कुकुसदा	दैहानपारा/पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
11	मुंगेली	कुकुसदा	लोहड़िया मोड़ पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
12	मुंगेली	केशरवाडीह	ठाकुरपारा/निर्मल सिंह के घर पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.285	0	0	1	0
13	मुंगेली	कोदवाबानी	दैहानपारा	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
14	मुंगेली	कोदूकापा	पड़रिया छाप	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
15	मुंगेली	कोना	प्राथमिक व माध्यमिक शाला के पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.285	0	0	1	0
16	मुंगेली	कोलिहाडीह	धोबीपारा/कैलाश निर्मलकर के घर पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
17	मुंगेली	कोसमा	ठाकुर पारा	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
18	मुंगेली	कोहड़िया	एस. सी. पारा	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			धान मण्डी के पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			वार्ड क्र 8/पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.285	0	0	1	0
			आवासपारा/पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			यादवपारा/नानुराम यादव के घर पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			दैहानपारा	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			सुखचंद के घर पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0

क्र.	विकास खंड	ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	नलकूप खनन का स्थल	स्थल चयन प्रक्रिया	स्वीकृत योजना/मद का नाम		स्वीकृत नलकूप खनन		माटर पंप स्थापना		कार्य की भौतिक स्थिति	
					योजना का नाम	मद	संख्या	राशि (रु. लाख में)	संख्या	राशि (रु. लाख में)		संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	मुंगेली	खेड़ा	आफिसर कालोनी खेड़ा	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.626	0	0	1	0
20	पथरिया	खैरझिटी	संजयपारा/तालाब के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
21	मुंगेली	खैरवार	यादवमोहल्ला/पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
22	पथरिया	खैरी	शीतलावार्ड पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
23	मुंगेली	गितपुरी	सुरेश धुव एवं शमसान घाट के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.285	0	0	1	0
24	पथरिया	गाइन्द्री	स्कूलपारा/पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
25	पथरिया	गाइन्द्री	शा.पू.माध्यम शाला प्रांगण में	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
26	मुंगेली	घुंठेरा	स्कूलपारा/पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
27	मुंगेली	घोरपुरा	स्कूलपारा	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
28	मुंगेली	चकरभाठा	पंचायत भवन पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
29	मुंगेली	चमारी	प्राइमरी हेल्थ सेंटर के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.285	0	0	1	0
30	मुंगेली	चातरखार	साहूपारा	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.285	0	0	1	0
31	मुंगेली	चिरहुला	स्कूलपारा	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.285	0	0	1	0
32	मुंगेली	छटन	कस्तुरबा गांधी हास्टल के पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
33	मुंगेली	छाता	शंकर जोशी के घर पास/यादवपारा	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
34	मुंगेली	छोतापुर	बांधा के पास वार्ड क्र 10	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
35	पथरिया	जगताकापा	डिलवापारा/छटवा प्रजापति के घर पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.285	0	0	1	0
36	पथरिया	जमकुही	वार्ड क्र. 10/ साविता सोनकर के घर पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
37	मुंगेली	जमहा	साहूपारा/बजरगबली मींदर के पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
38	मुंगेली	जरहागांव	स्कूलपारा/पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.285	0	0	1	0
39	पथरिया	जेवरा	स्कूलपारा/पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
40	मुंगेली	जैतपुरी	प्राथमिक शाला भवन के पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
41	मुंगेली	टिगीपुर	मासोचैरा/बजरग यादव के घर पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
42	मुंगेली	ठकुरीकापा	स्कूलपारा/पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0

क्र.	विकास खंड	ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	नलकूप खनन का स्थल	स्थल चयन प्रक्रिया	स्वीकृत योजना/मद का नाम		स्वीकृत नलकूप खनन		मोटर पंप स्थापना		कार्य की भौतिक स्थिति	
					योजना का नाम	मद	संख्या	राशि (रु. लाख में)	संख्या	राशि (रु. लाख में)	संख्या	राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	मुंगेली	ठाकुरकापा	जय स्तंभ चैक	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
44	पथरिया	डांडगांव	तेलीतालाब	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
45	मुंगेली	डोडा	गुडी चैक/हरीचरण साहू के घर पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
46	मुंगेली	डामनपुर	जयस्तंभ चैक/कुंवर के घर पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
47	मुंगेली	ढबहा	वार्ड क्र. 6	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्त्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
48	पथरिया	तरकीडीह	पटेलपारा/ पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्त्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
49	मुंगेली	दशरंगपुर	आवासपारा/नीहर मोहल के दुकान पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
50	मुंगेली	दामपुर (म.)	शा.उ. मा.शाला के प्रांगण में	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
51	मुंगेली	दुल्हीबाई	रामदेव यादव के घर पास/स्कूलपारा	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
52	मुंगेली	देवरी	अश्वनी भास्कर के घर पास/ पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्त्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.285	0	0	1	0
53	मुंगेली	देवरी	धर्बी समाज भवन के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्त्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
54	मुंगेली	धनगांव गो.	पुलिस कार्यालय मंस के पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
55	मुंगेली	धनगांव च	मण्डलीई गुरूजी के घर पास/एस.टी.पार	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
56	मुंगेली	धपई	आवासपारा	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
57	मुंगेली	धरमपुरा	गौठान के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्त्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
58	पथरिया	नवागांव	रामलीला मैदान	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्त्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
59	मुंगेली	नवागांव (धु)	पंचायत भवन व पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
60	मुंगेली	निरजाम	वार्ड क्र. 03/मोहन साहू के घर पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.285	0	0	1	0
61	मुंगेली	पंडरभट्टा	वार्ड क्र. 09/मुक्तिधाम के पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
62	पथरिया	परसाकापा	वार्ड क्र. 09/मुक्तिधाम के पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
63	मुंगेली	पोनी	देहानपारा/पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्त्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
64	मुंगेली	फरहदा	स्कूलपारा/शैकुमार साहू के घर पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
65	मुंगेली	बईहोकापा	साहूपारा	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
66	पथरिया	बगबुड़वा	कवटपारा	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.285	0	0	1	0
67	पथरिया	बछेरा	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्त्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
68	पथरिया	बरछा	ब्राम्हण मोहल्ला	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
69	मुंगेली	बरडुली	आवासपारा/पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.285	0	0	1	0
70	मुंगेली	बरबसपुर	महामाया मंदिर पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्त्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.65	0	0	1	0
			पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			स्कूलपारा/आगनबाड़ी के पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			आगनबाड़ी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्त्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.285	0	0	1	0
			श्री गोकुल यादव घर पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्त्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.285	0	0	1	0
			आवासपारा/पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्त्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.285	0	0	1	0
			पंचायत भवन के पास/पानी टंकी	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्त्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.285	0	0	1	0
			टिंगली यादव के घर पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0

क्र.	विकास खंड	ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	नलकूप खनन का स्थल	स्थल चयन प्रक्रिया	स्वीकृत योजना/मद का नाम		स्वीकृत नलकूप खनन		माटर पंप स्थापना		कार्य की भातिक स्थिति	
					योजना का नाम	मद	संख्या	राशि (रु. लाख में)	संख्या	राशि (रु. लाख में)	संख्या	राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			वार्ड क्र. 16/ कबीर वार्ड	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			वार्ड क्र. 08/ परमहंस वार्ड	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			वार्ड क्र. 22/पं.दीनदयाल उपाध्याय वार्ड	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			वार्ड क्र. 9/ गांधी वार्ड	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			परमहंस वार्ड क्र. 06	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			परमहंस वार्ड 06/सालिकराम के घर पास	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			पंडाराकापा फिल्डर प्लॉट के पास	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			बजरगबली मंदिर के पास	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			मजगाव पारा वार्ड क्र 17 तिलक वार्ड	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			इन्दु वार्ड सिद्ध शक्तिपीठ के सामने	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			पं.दीनदयाल वार्ड/गोतिश साहू के घर पास	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			पशु चिकित्सालय के पास	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			आगर क्लब सामु. स्टा. केंद्र के पास	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			कापरेटीव बैंक के पास	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			विजय गंधर्व के घर पास	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			टि-स्कू. कुंभकार के घर पास	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			शंकरवार्ड/ आत्माराम बडई के घर पास	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			शंकर वार्ड सी.एम.ओ. कालोनी के पास	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			काली माई वार्ड क्र. 14/आशीष के घर पास	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			पण्डाराकापा वार्ड क्र 20 अशाक यादव के पास	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			ठाकुरकापा रोड वार्ड क्र 22 दीनदयाल के पास	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			वार्ड क्र 06 श्रवण जायसवाल के घर पास	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			वार्ड क्र 02 आगर खल पारसर शिव मंदिर के पास	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			हीरालाल वार्ड क्र 18 पी.एस.ठाकुर के घर पास	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			वार्ड क्र 21 श्रीवास भवन के पास	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			ठक्कर बापा वार्ड क्र 12	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			वार्ड क्र 02 पुराना पूल सत्यनारायण मंदिर के पास	नगर पालिका पारिशद की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
91	मुंगेली	मुड़पार	पटेलपारा/सूखी पटेल के घर पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
92	मुंगेली	मुड़िया	तालाब के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्त्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
93	पथरिया	मोतिमपुर	जयसंतभपारा/शिव बारमते के घर पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.42	0	0	1	0
94	मुंगेली	रमईपुर	आवासपारा/पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्त्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
95	मुंगेली	रामगढ़	पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्त्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.285	0	0	1	0
96	मुंगेली	रेहुटा	स्कूलपारा/पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्त्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
97	पथरिया	रौनाकापा	आनन्द आश्रम एवं सियान सदन पारसर	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
98	मुंगेली	लच्छनपुर	भट्टारोड अकोला/कमल यादव के घर पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.285	0	0	1	0
			आकार सोनकर के घर पास/खरोघाट	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			स्कूलपारा/पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्त्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
			धुरीपारा	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्त्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.285	0	0	1	0
			राम पटेल के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्त्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.65	0	0	1	0
			यादवपारा/पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्त्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0

क्र.	विकास खंड	ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	नलकूप खनन का स्थल	स्थल चयन प्रक्रिया	स्वीकृत योजना/मद का नाम		स्वीकृत नलकूप खनन		मोटर पंप स्थापना		कार्य की भौतिक स्थिति	
					योजना का नाम	मद	सेख्या	राशि (रु. लाख में)	सेख्या	राशि (रु. लाख में)		पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	पथरिया	लाटा	ब्राम्हणपारा/महेंद्र दुबे के घर पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
100	मुंगेरी	लावाकापा	एस.सी.पारा/पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
101	मुंगेरी	लीलाकापा	वार्ड क्र. 02/ पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
102	मुंगेरी	सिंगबांधा	शा.प्रा.शाला के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
103	मुंगेरी	सिल्ली	एस.सी.पारा/पंचायत भवन के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
104	मुंगेरी	सुरेठा	मंदिरपारा/शिव मंदिर के पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
105	मुंगेरी	सेमरचुवा	मंदिरपारा/तालाब के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
106	मुंगेरी	सोनपुरी	स्कूलपारा	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
107	पथरिया	सोनपुरी	रासखार/ रज्जू यादव के घर पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
108	पथरिया	हथनीकला	फूलचन्द निर्मलकर के घर पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
109	पथरिया	हथनीखुर्द	भगतसिंह पारा/दिनेश धुब के घर पास	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
110	मुंगेरी	हेडसपुर	होल्हापारा	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
111	मुंगेरी	नुन्याकछार	यादवपारा/दिलीप यादव के घर पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
112	मुंगेरी	तोलारकापा	तालाब के बगल में	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
113	मुंगेरी	दुल्लापुर (सिंगा.)	मुख्य बस्ती	तकनीकी उपयुक्तता एवं ग्राम पंचायत की सहमति से	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.566	0	0	1	0
114	मुंगेरी	फंदवानीकापा	प्राइमरी स्कूल के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.42	0	0	1	0
115	मुंगेरी	शीतलकुण्डा	पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.42	0	0	1	0
116	मुंगेरी	लालपुर	आंगनबाड़ी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.42	0	0	1	0
117	मुंगेरी	चिरौजपुर	पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.42	0	0	1	0
118	मुंगेरी	दुल्लापुर (मु.)	श्री दिनेश साहू के घर के सामने	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.42	0	0	1	0
119	मुंगेरी	चितवाकापा	पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.42	0	0	1	0
120	मुंगेरी	बिरगांव (दामा.)	श्री रोशन देवांगन के घर के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.42	0	0	1	0
121	मुंगेरी	अचानकपुर	सोलर टैंक के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.42	0	0	1	0
122	मुंगेरी	मदनपुर	श्री विजय साहू के घर पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.42	0	0	1	0
			सोलर टैंक के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हेण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.42	0	0	1	0

क्र.	विकास खंड	ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	नलकूप खनन का स्थल	स्थल चयन प्रक्रिया	स्वीकृत योजना/मद का नाम		स्वीकृत नलकूप खनन		माटर पंप स्थापना			कार्य की भौतिक स्थिति
					योजना का नाम	मद	संख्या	राशि (रु. लाख में)	संख्या	राशि (रु. लाख में)	संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	मुंगेली	केशलीकला	श्री देवदत्त गोयल घर के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.42	0	0	1	0
124	मुंगेली	चमारी (बौदा)	तालाब के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.42	0	0	1	0
125	मुंगेली	गोपतपुर	पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.42	0	0	1	0
126	मुंगेली	संगवाकापा	श्री निरंजन साहू घर के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.42	0	0	1	0
127	पथरिया	कंचनपुर	पानी टंकी के पास	तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर जल स्रोत निर्माण हेतु	हैण्डपंप योजना	राज्य मद	1	1.65	0	0	1	0
योग:-							208	313.847	0	0	208	0

Dr. Anam
अनुभाग सचिवकारी
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

मुंगेरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 से दिनांक 15.02.2026 तक नलकूप खनन एवं मोटर पंप प्रतिस्थापना हेतु क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की अनुशंसा प्राप्त एवं अनुशंसा अनुसार स्वीकृत कार्य की जानकारी

क्र.	जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुशंसा	अनुशंसा अनुसार स्वीकृत नलकूप/मोटर प्रतिस्थापना की संख्या
1	2	3
1	मान. उप मुख्यमंत्री छ.ग.शासन	6
2	शशि सुरेन्द्र पाल, सरपंच दुल्लापुर	1
3	अध्यक्ष जनपद पंचायत मुंगेरी	2
4	जय प्रकाश मिश्रा, उपाध्यक्ष न.पा.प. मुंगेरी	1
5	श्रीकांत पाण्डेय, अध्यक्ष जिला पंचायत	5
6	श्रीमती रजनी मानिक सोनवानी, सदस्य जिला पंचायत मुंगेरी	1
7	सरपंच एवं समस्त ग्रामवासी बोधापारा	3
8	सरपंच कोदूकापा	1
9	सरपंच चिरहुला	1
10	सरपंच छटन	2
11	सरपंच तरवरपुर	1
12	सरपंच दशरंगपुर	1
13	सरपंच पंडरभुठा	1
14	सरपंच मानपुर	1
15	सरपंच लालाकापा	1
16	सरपंच लिलवाकापा	1
17	सरपंच सुरीघाट	1
18	सरपंच सोनपुरी शी.	1

क्र.	जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुशंसा	अनुशंसा अनुसार स्वीकृत नलकूप/मोटर प्रतिस्थापना की संख्या
1	2	3
19	सरपंच हेड़सपुर	1
20	सरपंच कोहड़िया	1
योग:-		33

Sharma
अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य मंत्रिकी विभाग,
 मंत्रालय, महाश्वेदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-अ

जैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना के तहत दिनांक 17 फरवरी 2026 की स्थिति में स्वीकृत कार्य, पूर्ण, अपूर्ण, अप्रारंभ कार्यों एवं पूर्ण हुए कार्यों से वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की जानकारी

क्रमांक	जिला	स्वीकृत कार्यों का विवरण			पूर्ण योजना से पेयजल आपूर्ति की संख्या	
		कुल	पूर्ण	अपूर्ण		अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6	7
1	जांजगीर-चांपा	64	54	10	0	39
2	सक्ती	174	103	71	0	103
	कुल :-	238	157	81	0	142

Shyam
अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 भवलय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत दो वर्षों में जल जीवन मिशन योजना के तहत स्वीकृत कार्यों में गुणवत्ताहीन निर्माण, कार्यों की धीमी गति, कार्यों में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर की गई शिकायतों एवं शिकायतों का विवरण


क्रमांक	जिला	गुणवत्ताहीन निर्माण की शिकायत	धीमी गति की शिकायत	अनियमितता की शिकायत	शिकायतों पर की गई कार्यावाही
1	2	3	4	5	6
1	जांजगीर-चांपा	-	-	1	अनुबंध की कंडिकाओं के अनुरूप कार्य में विलम्ब की स्थिति के लिए अर्धदण्ड हेतु राशि रू 620179/- रोकी गयी है।
2	जांजगीर-चांपा/सक्ती	-	-	1	शिकायत की जांच में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी।
3	जांजगीर-चांपा	-	-	1	शिकायत के सम्बन्ध में अनुबंधित ठेकेदार से मरम्मत कार्य कराया गया है।
4	जांजगीर-चांपा	-	-	1	जांच प्रक्रियाधीन है।

Sharma
अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
 ब्यालथ, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत दो वर्षों (2023-24 तथा 2024-2025) में स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध ठेकेदारों को किये गये भुगतान की जानकारी

क्रमांक	जिला	विगत दो वर्षों में ठेकेदारों को किया गया भुगतान	
		ठेकेदार का नाम	भुगतान की गई राशि (रू. लाख में)
1	2	3	4
1	जांजगीर-चांपा	मेसर्स जगनी कंस्ट्रक्शन	48.63
2	जांजगीर-चांपा	अनुप बोरवेल्स एण्ड पंपस	156.14
3	जांजगीर-चांपा	ऋषि सिंह	42.78
4	जांजगीर-चांपा	एस.सी. ड्रीलर्स	2.30
5	जांजगीर-चांपा	त्रिलोक ऑफसेट प्रेस	44.37
6	जांजगीर-चांपा	नेशन पेस्ट कंट्रोल	11.38
7	जांजगीर-चांपा	मेसर्स एम. के. गुप्ता एण्ड कंपनी	142.48
8	जांजगीर-चांपा	मेसर्स केड़वास एंटरप्रेन्योर	35.15
9	जांजगीर-चांपा	मेसर्स गणेशा कंस्ट्रक्शन	52.23
10	जांजगीर-चांपा	मेसर्स गुप्ता एग्रो इंजिनियर्स	194.60
11	जांजगीर-चांपा	मेसर्स गोयल बोरवेल्स	27.36
12	जांजगीर-चांपा	मेसर्स तिरूपति इंटरप्राइजेस	487.81
13	जांजगीर-चांपा	मेसर्स निशांक चन्द्रा	9.28
14	जांजगीर-चांपा	मेसर्स बंजरग लाल दिवाकर	29.28
15	जांजगीर-चांपा	मेसर्स भवानी बोरवेल्स	13.45
16	जांजगीर-चांपा	मेसर्स मनोज कुमार शर्मा	102.54
17	जांजगीर-चांपा	मेसर्स रितेश कुमार अग्रवाल	321.17
18	जांजगीर-चांपा	मेसर्स लक्की जयसवाल	4.15
19	जांजगीर-चांपा	मेसर्स विष्णु प्रसाद अग्रवाल	365.43
20	जांजगीर-चांपा	मेसर्स शांतम कश्यप	12.55
21	जांजगीर-चांपा	मेसर्स सुभाष बोरवेल्स	281.42
22	जांजगीर-चांपा	मेसर्स सैफुद्दीन खान	31.29
23	जांजगीर-चांपा	मेसर्स हर्ष सिंह	9.02
24	जांजगीर-चांपा	राजेश कुमार चन्द्रा	6.72
25	जांजगीर-चांपा	श्री जी कंस्ट्रक्शन	88.64

क्रमांक	जिला	विगत दो वर्षों में ठेकेदारों को किया गया भुगतान	
		ठेकेदार का नाम	भुगतान की गई राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4
26	जांजगीर-चांपा	सुनील कुमार अग्रवाल	46.39
योग :-			2566.57
27	सक्ती	मेसर्स अग्रवाल क्रसिंग स्टोन कोरबा	57.89353
28	सक्ती	मेसर्स अजित कन्स्ट्रक्शन, जांजगीर	36.845
29	सक्ती	मेसर्स अदिति एसोसिएट्स, बिलासपुर	60.66
30	सक्ती	मेसर्स अनुप बोरवेल्स एण्ड पंप्स, डभरा	790.21
31	सक्ती	मेसर्स अभिषेक इंटरप्राइजेस, सक्ती	43.86
32	सक्ती	मेसर्स अवनी कन्स्ट्रक्शन, जांजगीर	142.983
33	सक्ती	मेसर्स अशोक केजरीवाल, सारगढ	160.71
34	सक्ती	मेसर्स उदय इंटरप्राइजेस,	70.3
35	सक्ती	मेसर्स ऋषि कुमार दीक्षित, अकलतरा	159.89
36	सक्ती	मेसर्स ए.आर. कन्स्ट्रक्शन वर्क्स, कटारी	55.51
37	सक्ती	मेसर्स एम.के.गुप्ता, कोरबा	95.37
38	सक्ती	मेसर्स एस.सी. ड्रिलर्स, खरसिया	6.74
39	सक्ती	मेसर्स ओम इंटरप्राइजेस, कोरबा	145.13
40	सक्ती	मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि., बिलासपुर	248.24
41	सक्ती	मेसर्स कमलेश, हसौद	3.37
42	सक्ती	मेसर्स गुप्ता एग्री इम्प्लिमेंट, बिलासपुर	137.23
43	सक्ती	मेसर्स जगत कन्स्ट्रक्शन, जैजैपुर	60.39
44	सक्ती	मेसर्स जगदीश प्रसाद अग्रवाल, नैला	12.5
45	सक्ती	मेसर्स जे.के. तिवारी कन्स्ट्रक्शन, रायपुर	72.61
46	सक्ती	मेसर्स जैन इन्फ्रा, रायपुर	90.76
47	सक्ती	मेसर्स तिरुमाला कन्स्ट्रक्शन, बाराद्वार	230.67
48	सक्ती	मेसर्स तिरुपाते इंटरप्राइजेस, नैला	1470.52
49	सक्ती	मेसर्स नेशन पेस्ट कंट्रोल, जांजगीर	55.03
50	सक्ती	मेसर्स बजरंग लाल अग्रवाल, नैला	32.63
51	सक्ती	मेसर्स बाबा बरफानी बिल्डकॉन, रायपुर	121.59
52	सक्ती	मेसर्स भवानी बोरवेल्स, जांजगीर	588.59
53	सक्ती	मेसर्स मनोज कुमार शर्मा, नैला	175.36
54	सक्ती	मेसर्स महेश प्रसाद चंद्रा, जैजैपुर	130.36
55	सक्ती	मेसर्स रितेश कुमार अग्रवाल, रायगढ़	383.04
56	सक्ती	मेसर्स वर्षा साल्यूशन, कोरबा	212.92
57	सक्ती	मेसर्स विष्णु प्रसाद अग्रवाल, बिलासपुर	778.09
58	सक्ती	मेसर्स श्री.जी. कन्स्ट्रक्शन नैला	252.53
59	सक्ती	मेसर्स संजय शर्मा, जांजगीर	10.79
60	सक्ती	मेसर्स सत्यनारायण चंद्रा, सक्ती	25.47
61	सक्ती	मेसर्स सरस गोलाय, रायगढ़	142.54
62	सक्ती	मेसर्स सालासार एसोसिएट्स, रायपुर	66.27
63	सक्ती	मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल, बाराद्वार	3069.83
64	सक्ती	मेसर्स स्वास्का कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि., भिलाई	825.84
योग :-			11023.27
महायोग :-			13589.84


अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य प्राधिकारी विभाग
 महालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

पारिवाहक अतारोकेत प्रश्न संख्या 36 (क. 2455) की जानकारी

प्रश्न

क्र.	निकाय का नाम	अवैध स्टाटिंग की संख्या	खसरा नम्बर	अवैध स्टाटिंगकर्ता का नाम	अवैध स्टाटिंग पर की गई कार्यवाही
1	नगर पालिक निगम दुर्ग	1	293/1	श्री संजय बालन आर श्री प्रदीप बाका, बालन अर्जुन, वार्ड 59 कानुलनेई, दुर्ग	नोटिस 402 दिनांक 2025 जारी एवं द्वितीय नोटिस जारी
2	नगर पालिक निगम दुर्ग	2	48/16	श्री मंगल सिंह ओभरय आर रम अमरवीर सिंह ओभरय एवं अन्य.	गर्भ संरचना को हटाने की कार्यवाही की गई एवं पंजीयन पर रोक लगाते आदेशक कार्यवाही हेतु अनुपस्थिति अधिकाारी को पत्र प्रेषित किया गया है।
3	नगर पालिक निगम दुर्ग	3	53/19	श्री मणवरण यादव आर रम रमेशचंद्र यादव एवं अन्य 07	नोटिस 200 दिनांक 07.08.2024 जारी एवं द्वितीय नोटिस जारी
4	नगर पालिक निगम दुर्ग	4	47/04,12,31, 32,34,35,17,07,09,12, 49/2,3,11,13,14,15,27,28,29,30,02	श्री मोहनलाल चंदकर आर महासिंह चंदकर एवं श्री पवन आर आर आनमल जैन	गर्भ संरचना को हटाने की कार्यवाही की गई एवं पंजीयन पर रोक लगाते आदेशक कार्यवाही हेतु अनुपस्थिति अधिकाारी को पत्र प्रेषित किया गया है।
5	नगर पालिक निगम दुर्ग	5	377/22, 23 377/16 377/20	1. श्री प्रदीप कुमार आर श्री चंद्र सिंह कुशवाहा, समीर नगर, विलाई, दुर्ग, 0970 2. रमेश्वरी देवान्य आर श्री ईशवती राम देवान्य एवं अन्य दे, 4030 829, वार्ड 30 14, माणवरा कुशुद विलाई, दुर्ग, 0970 3. श्रीमती एम. जयदेवी आर श्री दिनेश देवान्य आर सिंघर देवान्य, गण्ड 141/21, गण्डोली काम्पलेक्स महाराजा चौक, मुक्त नगर, दुर्ग, 0970	नोटिस 200 347, 348, 349 दिनांक 21.10.2024 जारी एवं द्वितीय नोटिस जारी
6	नगर पालिक निगम दुर्ग	6	248/9	श्रीमती नीमा जैन चंडी घरवादे जैन, चोटीसी, दुर्ग	नोटिस 200 481 दिनांक 10.12.2024 एवं द्वितीय नोटिस जारी
7	नगर पालिक निगम दुर्ग	7	51/17, 51/18	श्रीमती शशिनी सोमानी, चंडी श्री प्रदीप कुमार सोमानी, घरवाणपुर, दुर्ग (0970)	नोटिस 200 576 दिनांक 30.01.2025 एवं द्वितीय नोटिस जारी
8	नगर पालिक निगम दुर्ग	8	177, 213	शिवराम देवतारपुंज आर श्री प्रदीप देवतारपुंज - 209, द्वितीय एर, चौधन खोबा, गंजपारा, दुर्ग, 0970	नोटिस 200 406 दिनांक 22.11.2024 एवं द्वितीय नोटिस जारी
9	नगर पालिक निगम दुर्ग	9	215/8	1. श्री प्रदीप कुमार सेनी आर श्री विठ्ठल राम (6871780003) 2. श्री जय प्रकाश आर श्री विठ्ठल राम (975728100) 3. श्री महीम एके आर श्री धीरजलाल एके (939506787) करहीडीह, सिकोला गावा दक्षिण, वार्ड 30 15, दुर्ग, 0970	संबंधितों को सूचित करवाते एवं अतिरिक्त एवं प्रत्येक अधिनियम की सार 2924 एवं 2925 के खसरा नोटिस जारी किया गया है।
10	नगर पालिक निगम दुर्ग	10	14/2	श्री देवेश कुमार यादव आर मनमाल यादव एवं श्री चंद्र यादव आर मनमाल यादव, पोसलायापारा, दुर्ग	नोटिस 200 149 दिनांक 22.05.2025 एवं द्वितीय नोटिस जारी
11	नगर पालिक निगम दुर्ग	11	215/4 203/5 203/2	1. श्री प्रदीप कुमार सेनी आर श्री विठ्ठल राम (6871780003) 2. श्री जय प्रकाश आर श्री विठ्ठल राम (975728100) 3. श्री महीम एके आर श्री धीरजलाल एके (939506787) करहीडीह, सिकोला गावा दक्षिण, वार्ड 30 15, दुर्ग, 0970	नोटिस 200 648 दिनांक 24.03.2025 जारी, अग्रपुत्र महोदय के आदेश 20 02 दिनांक 01.04.2025 के पक्ष दिनांक 04.04.2025 को खसरा से मांग संख्या हटाने, गण्डोली, मुनिगा, बालुडीवाल को खसरा करने की कार्यवाही की गई।
12	नगर पालिक निगम दुर्ग	12	383/8	श्री मोहन लाल यादव आर जेठुराम यादव, करहीडीह, सिकोला गावा, वार्ड 15, दुर्ग, 0970	नोटिस 200 645 दिनांक 24.03.2025 जारी एवं द्वितीय नोटिस जारी
13	नगर पालिक निगम दुर्ग	13	687/224	1. श्री सतीश सिंह गुप्ता आर श्री अजय सिंह गुप्ता, 2. श्री विनायक सिंह गुप्ता आर श्री अजय सिंह गुप्ता, नौर पंच पीठ, वार्ड 20 40, दुर्ग, 0970	नोटिस 200 03 दिनांक 01.04.2025 जारी, खसरा सौकरन व खसरा बंदकन की जानकारी हेतु करहीडीह दुर्ग को पत्र 261 दिनांक 06.07.2025, पत्र 260 343 दिनांक 11.08.2025 व पत्र 260 370 दिनांक 19.08.2025 प्रेषित। पत्र 260 को खसरा के पंजीयन पर रोक लगाते जाने हेतु उप पंजीयन दुर्ग को पत्र 200 371 दिनांक 19.08.2025
14	नगर पालिक निगम दुर्ग	14	492/49, खसरा 0.100 हे. खोर्नो 482/39,50, खसरा 0.100 व 0.090 हे. खसरा 0.100 व 0.090 हे. एवं खोर्नो 482/44,45,46, खसरा 0.120 व 0.210, खसरा 0.120 व 0.210, 0.040 हे. हे	1. श्रीमती जसोती जैन चंडी श्री रिता जैन (खोर्नो 482/49, खसरा 0.100 हे.) 2. श्री रिता जैन आर श्री रमेशचंद्र जैन (खोर्नो 482/39,50, खसरा 0.100 व 0.090 हे.) 3. श्री जसोती जैन आर श्री रमेशचंद्र जैन (खोर्नो 482/44,45,46, खसरा 0.120 व 0.210, खसरा 0.120 व 0.210, 0.040 हे.) वार्ड 20 35, गणपतर, दुर्ग, 0970	नोटिस 200 40 दिनांक 17.04.2025 एवं जारी एवं खसरा बंदकन की जानकारी हेतु करहीडीह दुर्ग को पत्र 249 दिनांक 02.07.2025 प्रेषित। पत्र 249 को पंजीयन पर रोक लगाते हेतु उप पंजीयन, दुर्ग को पत्र 200 668 दिनांक 06.11.2025 प्रेषित।
15	नगर पालिक निगम मिलाई	1	729/2, 728/3, 728/1 से 728/35	श्री नारायण आ. कामता प्रसाद श्री विवेक कुमार आ. कामता प्रसाद	अवैध स्टाटिंगकर्ता को कार्यवाही पर प्रार्थना 169 दिनांक 29.04.2025 को मूखण्डों को अवैध रूप से विक्रय किये जाने के संबंध में नोटिस प्रेषित किया गया है।

क्र.	निकाय का नाम	अवैध प्लानिंग की संख्या	खसरा नम्बर	अवैध प्लानिंगकर्ता का नाम	अवैध प्लानिंग पर की गई कार्यवाही
16	नगर पालिक निगम भिलाई	2	8884/1 एवं इसके अन्य टुकड़े	अज्ञात	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1565 दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से उप-पंजीयक जिला कार्यालय दुर्ग को अवैध प्लानिंग भूमि के पंजीयन पर रोक लगाने के संबंध में पत्र प्रेषित।
17	नगर पालिक निगम भिलाई	3	47/1, 172/1, 172/2, 554/4, 556/1, 556/2, 547/1, 150, 148, 149, 140, 141, 147/2, 146, 315, 316, 317, 318, 320, 319, 323, 324, 322, 321, 504, 503, 502/1, 561, 485, 484, 483/1, 2, 3, 4, 482, 481, 500, 499, 498, 497/1, 2, 484, 482, 491, 493, 495/1, 5, 530, 528, 529, 526, 527/3, 525, 520, 519, 518/2, 516, 515, 517, 520, 518/1, 2, 525, 383, 123, 122,	श्री. सुरेश दास, श्रीमती पुनम देवी, श्री कौशल कुमार शंभु शर्मा, राकेश, रवी, सुरेश दास, श्रीमती पुनम देवी, श्री कौशल कुमार सिंह एवं अन्य अज्ञात।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 369 दिनांक 06.06.2024 के माध्यम से उप-पंजीयक जिला कार्यालय दुर्ग को अवैध प्लानिंग भूमि के पंजीयन पर रोक लगाने के संबंध में पत्र प्रेषित। दिनांक 22.04.2024, 01.05.2024 एवं 23.05.2024 को विभागीय वेदखती की कार्यवाही की गई।
18	नगर पालिक निगम भिलाई	4	1524, 1546	श्री परस, श्री संदीप गुप्ता, श्रीराम बरन गुप्ता, श्री प्रदीप गुप्ता	अवैध प्लानिंगकर्ता को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 716 दिनांक 02.06.2025 को भूखण्डों को अवैध रूप से विक्रय किये जाने के संबंध में नोटिस प्रेषित किया गया है।
19	नगर पालिक निगम भिलाई	5	547/1, 548, 556/1	श्री कमल, श्री चमपाल, मेहरारी, सरस्वती	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 369 दिनांक 06.06.2024 के माध्यम से उप-पंजीयक जिला कार्यालय दुर्ग को अवैध प्लानिंग भूमि के पंजीयन पर रोक लगाने के संबंध में पत्र प्रेषित।
20	नगर पालिक निगम भिलाई	6	1518/1, 1518/2	अज्ञात	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 369 दिनांक 06.06.2024 के माध्यम से उप-पंजीयक जिला कार्यालय दुर्ग को अवैध प्लानिंग भूमि के पंजीयन पर रोक लगाने के संबंध में पत्र प्रेषित।
21	नगर पालिक निगम भिलाई	7	2136, 2142, 2143, 2144, 2145	अज्ञात	दिनांक 23.05.2024 को वेदखती की कार्यवाही की गई।
22	नगर पालिक निगम भिलाई	8	59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 48, 86	अज्ञात	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 369 दिनांक 06.06.2024 के माध्यम से उप-पंजीयक जिला कार्यालय दुर्ग को अवैध प्लानिंग भूमि के पंजीयन पर रोक लगाने के संबंध में पत्र प्रेषित।
23	नगर पालिक निगम भिलाई	9	716, 5245	श्री शिव नारायण देशमुख आ. कामता प्रसाद	दिनांक 05.07.2024 को वेदखती की कार्यवाही की गई।
24	नगर पालिक निगम भिलाई	10	801 का भाग, 800, 789,	श्री चरणवीर सिंह आ. गुरुचरण सिंह	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1319 दिनांक 09.01.2025 के माध्यम से उप-पंजीयक जिला कार्यालय दुर्ग को अवैध प्लानिंग भूमि के पंजीयन पर रोक लगाने के संबंध में पत्र प्रेषित।
25	नगर पालिक निगम भिलाई	11	1180/1, 1185/3, 1185/11, 1185/8, 1185/10, 1185/8, 1185/7, 1185/6, 1185/1, 1185/2	श्री बी.के. दास आ. एन.सी. दास, श्री राजेन्द्र प्रसाद आ. श्री ए.सी.दास, श्री ए.सी.दास आ. श्री रामचन्द्र दास	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1319 दिनांक 09.01.2025 के माध्यम से उप-पंजीयक जिला कार्यालय दुर्ग को अवैध प्लानिंग भूमि के पंजीयन पर रोक लगाने के संबंध में पत्र प्रेषित।
26	नगर पालिक निगम भिलाई	12	129/9, 129/10, 128/2, 120/3	अज्ञात	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1319 दिनांक 09.01.2025 के माध्यम से उप-पंजीयक जिला कार्यालय दुर्ग को अवैध प्लानिंग भूमि के पंजीयन पर रोक लगाने के संबंध में पत्र प्रेषित।
27	नगर पालिक निगम भिलाई	13	321/2	अज्ञात	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1319 दिनांक 09.01.2025 के माध्यम से उप-पंजीयक जिला कार्यालय दुर्ग को अवैध प्लानिंग भूमि के पंजीयन पर रोक लगाने के संबंध में पत्र प्रेषित।
28	नगर पालिक निगम भिलाई	14	39/4, 39/5, 34/2, 34/3	अज्ञात	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1319 दिनांक 09.01.2025 के माध्यम से उप-पंजीयक जिला कार्यालय दुर्ग को अवैध प्लानिंग भूमि के पंजीयन पर रोक लगाने के संबंध में पत्र प्रेषित।
29	नगर पालिक निगम भिलाई	15	419, 420, 422, 424,	अज्ञात	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1432 दिनांक 29.01.2025 के माध्यम से उप-पंजीयक जिला कार्यालय दुर्ग को अवैध प्लानिंग भूमि के पंजीयन पर रोक लगाने के संबंध में पत्र प्रेषित।
30	नगर पालिक निगम भिलाई	16	1512/3, 1513/2,	श्री चविन्द कुमार आ. राजेन्द्र अर्वा	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1720, 1722, 1718 दिनांक 12.03.2025 के माध्यम से अवैध प्लानिंग के संबंध में नोटिस प्रेषित किया गया है।

क्र.	निकाय का नाम	अवैध प्लानिंग की संख्या	खसरा नम्बर	अवैध प्लानिंगकर्ता का नाम	अवैध प्लानिंग पर की गई कार्यवाही
31	नगर पालिक निगम भिलाई	17	1503/2, 1504/2,	श्री गोपाल कृष्ण साहू आ. रामविलास साहू	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1720, 1722, 1718 दिनांक 12.03.2025 के माध्यम से अवैध प्लानिंग को संबन्ध में नोटिस प्रेषित किया गया है।
32	नगर पालिक निगम भिलाई	18	1511/2, 1512/2	श्री सुरांत दुखरण आ. दुखहरण सिंह	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1720, 1722, 1718 दिनांक 12.03.2025 के माध्यम से अवैध प्लानिंग को संबन्ध में नोटिस प्रेषित किया गया है।
33	नगर पालिक निगम भिलाई	19	176/2, 3, 4, 5,	श्री उमाशंकर पटेल आ. महारजी पटेल	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1745 दिनांक 17.03.2025 के माध्यम से उप-पंजीयक जिला कार्यालय दुर्ग को अवैध प्लानिंग भूमि के पंजीयन पर रोक लगाने के संबंध में पत्र प्रेषित।
34	नगर पालिक निगम भिलाई	20	31, 32, 35	अज्ञात	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1428 दिनांक 29.01.2025 के माध्यम से अवैध बटोलन के रोक एवं नियमानुसार कार्यवाही हेतु अतिरिक्त सहस्रीलदार भिलाई को पत्र प्रेषित किया गया है।
35	नगर पालिक निगम भिलाई	21	711	अज्ञात	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1398 दिनांक 24.01.2025 के माध्यम से अवैध बटोलन के रोक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उप-पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग जिला-दुर्ग को पत्र प्रेषित किया गया है।
36	नगर पालिक निगम भिलाई	22	2149/1, 6, 13	अज्ञात	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 895 दिनांक 28.01.2025 के द्वारा पंजीयन पर रोक लगाये जाने हेतु पंजीयन कार्यालय, दुर्ग, जिला-दुर्ग को पत्र प्रेषित किया गया है।
37	नगर पालिक निगम भिलाई	23	1539/1, 3, 1538/5, 6, 7, 8, 1533, 1452/1, 3, 5, 1459, 1484/1, 2	शैल खण्डेलवाल किरण खण्डेलवाल सत्यम खण्डेलवाल	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1484, 1466, 1468, 1470 दिनांक 04.02.2025 के द्वारा अवैध रूप भूखण्डों पर क्रिये जाने पर नोटिस प्रेषित किया गया है।
38	नगर पालिक निगम भिलाई	24	1185/1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 1190/1	वासुदेव दास, रामेश दास, सतीश कुमार दास, राता मंजरी दास, सहदेव दास, ए.सी.दास, राजेन्द्र प्रसाद, धी.के.दास	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741 दिनांक 13.02.2025 के द्वारा अवैध रूप भूखण्डों पर क्रिये जाने पर नोटिस प्रेषित किया गया है।
39	नगर पालिक निगम भिलाई	25	1332/1, 2, 4, 6, 7, 8, 1327, 1328/2, 1332/12, 16, 1345, 1357, 1358, 1346/1, 1546/2, 1546/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1548/1, 17, 5371/6, 11, 12, 13, 14, 47, 177, 151, 381, 382/1, 385, 384, 387, 4887/2, 8 4886/4, 64/4, 1704/86, 4059/1, 2, 3, 4, 455/4, 436/1, 435/1, 5086/5	अज्ञात	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1563 दिनांक 14.02.2025 के द्वारा भूखण्डों के विखण्ड कर रहे अवैध प्लानिंग के पंजीयन पर रोक लगाये जाने कलेक्टर, दुर्ग, जिला-दुर्ग को पत्र प्रेषित किया गया है।
40	नगर पालिक निगम भिलाई	26	303/9	श्रीमती निकिता अग्रवाल पति कवस विशार अग्रवाल	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 706 दिनांक 02.06.2025 के माध्यम से अवैध बटोलन के रोक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सहस्रीलदार दुर्ग जिला-दुर्ग को पत्र प्रेषित किया गया है।
41	नगर पालिक निगम भिलाई	27	1328/1, 1328/6, 1335/1, 1335/2, 1645/2	श्रीमती रामेश्वरी देवांगन, श्रीमती हेमा देवांगन	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 06.08.2025 को उक्त खसरे के पंजीयन पर रोक लगाने हेतु उप-पंजीयक जिला दुर्ग को पत्र प्रेषित किया गया है।
42	नगर पालिक निगम भिलाई	28	1368, 1373, 1374, 1376/1	श्री सोना राम अरोरा	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1889 दिनांक 07.01.2026 तथा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1891 दिनांक 07.01.2026 के माध्यम से उप-पंजीयक तथा अतिरिक्त सहस्रीलदार को उक्त खसरे का बटोलन एवं पंजीयन में रोक लगाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।
43	नगर पालिक निगम भिलाई	29	6150/1, 6150/2, 6150/3	महाश्वरी डेवलर्स	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1231 दिनांक 10.02.2026 को उक्त खसरे के पंजीयन पर रोक लगाने हेतु उप-पंजीयक जिला दुर्ग को पत्र प्रेषित किया गया है।
44	नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा	1	395/10, 395/54	अज्ञात	अवैध प्लानिंग में की गयी गरी मार्ग संरचना को ध्वस्त किया गया एवं क्रिये गए फौसिंग को तोड़ने की कार्यवाही की गयी है।
45	नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा	2	656	अज्ञात	अवैध प्लानिंग में की गयी गरी मार्ग संरचना को ध्वस्त किया गया एवं क्रिये गए फौसिंग को तोड़ने की कार्यवाही की गयी है।

क्र.	निकाय का नाम	अवैध प्लानिंग की संख्या	खसरा नम्बर	अवैध प्लानिंगकर्ता का नाम	अवैध प्लानिंग पर की गई कार्यवाही
46	नगर पालिका निगम भिलाई-चरौदा	3	90/1,90/5,90/6	मोहबिया कंस्ट्रक्शन	अवैध प्लानिंग में की बनायी गयी मार्ग संरचना को खस्त किया गया एवं किये गए फोसिंग को तोड़ने की कार्यवाही की गयी है।
47	नगर पालिका निगम भिलाई-चरौदा	4	-	अज्ञात	अवैध प्लानिंग में की बनायी गयी मार्ग संरचना को खस्त किया गया एवं किये गए फोसिंग को तोड़ने की कार्यवाही की गयी है तथा खसरा नम्बर उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार को पत्र लिखा गया है।
48	नगर पालिका निगम भिलाई-चरौदा	5	-	सुशांत सिंह	अवैध प्लानिंग में की बनायी गयी मार्ग संरचना को खस्त किया गया एवं किये गए फोसिंग को तोड़ने की कार्यवाही की गयी है तथा खसरा नम्बर उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार को पत्र लिखा गया है।
49	नगर पालिका निगम भिलाई-चरौदा	6	-	अज्ञात	अवैध प्लानिंग में की बनायी गयी मार्ग संरचना को खस्त किया गया एवं किये गए फोसिंग को तोड़ने की कार्यवाही की गयी है तथा खसरा नम्बर उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार को पत्र लिखा गया है।
50	नगर पालिका निगम रिसाली			निरंक	
51	नगर पालिका परिषद जामुल			निरंक	
52	नगर पालिका परिषद कुम्हारी	1	291 / 25	श्री जय प्रकाश गोयल पिता श्री रामपाल गोयल के द्वारा ग्राम-जंजगिरी,	दिनांक 13.02.2026 को अतिक्रमण दस्ता के द्वारा मार्ग निर्मित मार्ग संरचना को हटाया गया एवं खसरा पंजीयन पर रोक लगाये जाने हेतु उप पंजीयक, भिलाई-03 को पत्र प्रेषित किया गया है।
53	नगर पालिका परिषद कुम्हारी	2	1583 / 2	श्री संजय अग्रवाल पिता श्री राधेश्याम अग्रवाल के द्वारा ग्राम कुम्हारी,	दिनांक 13.02.2026 को अतिक्रमण दस्ता के द्वारा मार्ग निर्मित मार्ग संरचना को हटाया गया एवं खसरा पंजीयन पर रोक लगाये जाने हेतु उप पंजीयक, भिलाई-03 को पत्र प्रेषित किया गया है। कार्यालय उप पंजीयक, भिलाई-03 को खसरा नं. 1583/2 में कुल 15 लोगों का विक्रय किये जाने की जानकारी दिया गया। जिसके आधार पर संबंधित के खिलाफ परिवारवाद दायर किये जाने हेतु अधिवक्ता को सम्पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराकर परिवारवाद दायर किये जाने की कार्यवाही निकाय द्वारा किया जा रहा है।
54	नगर पालिका परिषद अहिवारा			निरंक	
55	नगर पालिका परिषद अमलेश्वर	1	768	श्रीमती गीता बाई पति श्री गोविंद यादव	कार्यालयीन पत्र क्रं 1001 दिनांक 04.07.2025 को उक्त खसरो में कय-विक्रय में प्रतिबंध लगाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, जिला-दुर्ग को पत्र प्रेषित किया गया है।
56	नगर पालिका परिषद अमलेश्वर	2	425 / 2	श्री पन्नालाल पिता श्री कंजूराम साहू	कार्यालयीन पत्र क्रं 1001 दिनांक 04.07.2025 को उक्त खसरो में कय-विक्रय में प्रतिबंध लगाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, जिला-दुर्ग को पत्र प्रेषित किया गया है।
57	नगर पालिका परिषद अमलेश्वर	3	426 / 1, 426 / 2	श्री रमेश पिता श्री गंगाराम	कार्यालयीन पत्र क्रं 1001 दिनांक 04.07.2025 को उक्त खसरो में कय-विक्रय में प्रतिबंध लगाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, जिला-दुर्ग को पत्र प्रेषित किया गया है।
58	नगर पालिका परिषद अमलेश्वर	4	425, 425 / 1	श्री रामाधार पिता श्री ईतवारी	कार्यालयीन पत्र क्रं 1001 दिनांक 04.07.2025 को उक्त खसरो में कय-विक्रय में प्रतिबंध लगाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, जिला-दुर्ग को पत्र प्रेषित किया गया है।
59	नगर पंचायत धमथा			निरंक	
60	नगर पंचायत पाटन			निरंक	
61	नगर पंचायत उत्तई			निरंक	
	कुल	55	-	-	-


अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मन्त्रालय, नया रायपुर, अटल नगर.

परिशेष - पेंतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 2598) की जानकारी

प्रपत्र -अ

पंजीकृत कुम्हार एवं इलेक्ट्रानिक्स चाक हेतु प्राप्त आवेदन की वर्षवार विकासखंडवार जानकारी

क्र.	वर्ष	विकासखंड	पंजीकृत कुम्हार की संख्या	इलेक्ट्रानिक चाक हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या
1	2023-24	खैरागढ़	2	16
		डोंगरगढ़	4	8
		राजनांदगांव	1	0
2	2024-25	खैरागढ़	1	0
		डोंगरगढ़	0	0
		राजनांदगांव	1	0
3	2025-26 (दिनांक 15.02.2026 तक)	खैरागढ़	3	12
		डोंगरगढ़	0	0
		राजनांदगांव	0	0
	योग		12	36


अनुभाग अधिकारी
 ग्रामोद्योग विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

प्रपत्र-ब

इलेक्ट्रिक चाक हेतु प्राप्त आवेदन की विकासखंडवार जानकारी

क्र.	विकासखंड	पात्र हितग्राहियों की संख्या	अपात्र हितग्राहियों की संख्या	पात्र हितग्राही, जिन्हें विद्युत चाक का वितरण किया गया	लंबित
1	खैरागढ़	28	0	17	11
2	डोंगरगढ़	8	0	8	0
3	राजनांदगांव	0	0	0	0
योग		36	0	25	11


अनुभाग अधिकारी
 ग्रामोद्योग विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

पारिशिष्ट - छत्तीस

पारिवाहक अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 2611) की जानकारी:-

प्रपत्र अ

वर्ष 2025-26 (दिनांक 27.02.2026 तक) जांजगीर चांपा एवं सक्ती के अंतर्गत शराब दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसी के स्वीकृत कर्मचारियों की जानकारी:-							
क्र.	जिला का नाम	दुकान का नाम	स्वीकृत पद की संख्या				योग
			मुख्य विक्रयकर्ता	विक्रयकर्ता	मल्टीपर्पस	सुरक्षाकर्मी	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	जांजगीर चांपा	दे.म.दु. कोटमीसोनार	1	2	1	2	6
2		दे.कम्पो. म. दु. अर्जुनी	1	2	1	2	6
3		वि.म.दु. कोटमीसोनार	1	2	1	2	6
4		दे.कम्पो.म.दु. खोखरा	1	3	1	3	8
5		दे.कम्पो.म.दु. खिसोरा	1	2	1	3	7
6		दे.कम्पो.म.दु. बुडगहन	1	2	1	3	7
7		दे.कम्पो.म.दु. सरखों	1	3	1	3	8
8		दे.म.दु. तुष्मा	1	3	1	2	7
9		वि.कम्पो.म.दु. केरा	1	2	1	2	6
10		दे.कम्पो.म.दु. कचंदा	1	3	1	3	8
11		दे.म.दु. नवागढ़	1	2	1	2	6
12		वि.म.दु. नवागढ़	1	2	1	2	6
13		वि.म.दु. तुष्मा	1	2	1	2	6
14		वि.म.दु. तरौद	1	2	1	2	6
15		दे.म.दु. सिवनी	1	2	1	2	6
16		प्री.शॉप जांजगीर	1	2	1	3	7
17		दे.म.दु. रहौद	1	2	1	2	6
18		दे.म.दु. जांजगीर	1	3	1	3	8
19		वि.म.दु. सिवनी	1	2	1	2	6
20		वि.म.दु. बिरा	1	2	1	2	6
21		दे.कम्पो.म.दु. करनौद	1	2	1	3	7
22		दे.कम्पो.म.दु. धुरकोट	1	4	1	3	9
23		दे.कम्पो.म.दु. रसौटा	1	2	1	3	7
24		दे.म.दु. पामगढ़	1	3	1	2	7
25		वि.म.दु. बलौदा	1	2	1	2	6
26		वि.म.दु. पामगढ़	1	3	1	2	7
27		वि.म.दु. जांजगीर	1	4	1	3	9
28		वि.म.दु. चोरिया	1	2	1	2	6
29		दे.म.दु. चोरिया	1	2	1	2	6
30		प्री.शॉप चाम्पा	1	2	1	2	6
31		दे.म.दु. भोजपुर	1	2	1	2	6
32		दे.कम्पो.म.दु. बोडसरा	1	3	1	2	7
33		वि.म.दु. भोजपुर	1	2	1	2	6
34		दे.म.दु. चाम्पा	1	2	1	3	7
35		वि.म.दु. चाम्पा	1	2	1	2	6
36		दे.म.दु. बिरा	1	2	1	2	6
37		वि.कम्पो.म.दु. बम्हनीडीह	1	2	1	3	7
38		दे.कम्पो.म.दु. कोटाडबरी	1	2	1	3	7

क्र.	जिला का नाम	दुकान का नाम	स्वीकृत पद की संख्या				योग
			मुख्य विक्रयकर्ता	विक्रयकर्ता	मल्टीपर्पस	सुरक्षाकर्मी	
1	2	4	5	6	7	8	9
39		दे.म.दु. बलौदा	1	3	1	2	7
40		दे.कम्पो.म.दु. लोहसी	1	2	1	3	7
41		वि.म.दु. रहौद	1	2	1	2	6
42	जांजगीर चांपा	दे.कम्पो.म.दु. ससहा	1	3	1	3	8
43		दे.कम्पो.म.दु. पिसौद	1	3	1	3	8
44		दे.म.दु. अकलतरा	1	3	1	2	7
45		वि.म.दु. अकलतरा	1	2	1	2	6
46		दे.कम्पो.म.दु. नरियरा	1	2	1	2	6
47		दे.म.दु. तरौद	1	2	1	2	6
48		वि.कम्पो.म.दु. नैला	1	4	1	2	8
योग			48	114	48	113	323
1	सक्ती	देशी मदिरा दुकान सक्ती	1	4	1	2	8
2		देशी मदिरा दुकान डूमरपारा	1	3	1	2	7
3		देशी मदिरा दुकान डभरा	1	2	1	2	6
4		देशी मदिरा दुकान कोटमी	1	2	1	2	6
5		देशी मदिरा दुकान बड़ेरबेली	1	2	1	2	6
6		विदेशी मदिरा दुकान सक्ती	1	3	1	2	7
7		विदेशी मदिरा दुकान डूमरपारा	1	2	1	2	6
8		विदेशी मदिरा दुकान डभरा	1	2	1	2	6
9		विदेशी मदिरा दुकान कोटमी	1	2	1	2	6
10		देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान अड़भार	1	2	1	3	7
11		देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान सिंघरा	1	2	1	2	6
12		देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान सकराली	1	2	1	2	6
13		देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान कचन्दा	1	2	1	2	6
14		देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान किकिरदा	1	2	1	2	6
15		विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान टुण्डी	1	2	1	2	6
16		विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान जैजैपुर	1	2	1	2	6
17		विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान हसौद	1	2	1	2	6
18		विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान पोता	1	2	1	2	6
19		विदेशी प्रीमियम मदिरा दुकान सक्ती	1	0	1	2	4
योग			19	40	19	39	117

जांजगीर चांपा के जैजैपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत शराब दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसी के कार्यरत् कर्मचारियों एवं मापदण्ड अनुसार पदों की जानकारी:-

क्र.	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर	दुकान का नाम	मापदण्ड अनुसार पद की संख्या					कार्यरत् पद की संख्या				
				मुख्य विक्रयकर्ता	विक्रयकर्ता	मल्टी पर्पस	सुरक्षा कर्मी	योग	मुख्य विक्रयकर्ता	विक्रयकर्ता	मल्टी पर्पस	सुरक्षा कर्मी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	जांजगीर चांपा (छ0ग0)	विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर	विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान बम्हनीडीह	1	2	1	3	7	1	2	1	3	7
2			दे.कम्पो.म.दु. करनौद	1	2	1	3	7	1	2	1	3	7
3			विदेशी मदिरा दुकान बिरा	1	2	1	2	6	1	2	1	2	6
4			देशी मदिरा दुकान बिरा	1	2	1	2	6	1	2	1	2	6
5	सक्ती	विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर	देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान कचन्दा	1	2	1	2	6	1	2	1	2	6
6			देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान किकिरदा	1	2	1	2	6	1	2	1	2	6
7			विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान जैजैपुर	1	2	1	2	6	1	2	1	2	6
8			विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान हसौद	1	2	1	2	6	1	2	1	2	6
9			देशी मदिरा दुकान बड़ेरबेली	1	2	1	2	6	1	2	1	2	6
योग				9	18	9	20	56	9	18	9	20	56

वर्ष 2025-26 (दिनांक 27.02.2026 तक) में जांजगीर चांपा एवं सक्ती जिला के क्षेत्रांतर्गत शराब दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसी के कार्यरत कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन संबंधी जानकारी:-

क्र.	जिला का नाम	कार्यरत कर्मचारी की संख्या	पुलिस वेरिफिकेशन कराये गये कर्मचारियों की संख्या	पुलिस वेरिफिकेशन कराये जाने पर दर्ज पाये गये पुलिस प्रकरणों से संबंधी कर्मचारी की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	जांजगीर चांपा	320	320	2	-
2	सक्ती	111	110	3	01 सुरक्षाकर्मी का पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रियाधीन है।

जिला जांजगीर चांपा में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी के पुलिस प्रकरण दर्ज होने के संबंध में जानकारी:-

(1) विदेशी मदिरा दुकान कोटमीसनार में मुख्य विक्रयकर्ता के पद पर कार्यरत कृष्ण कुमार पुलिस थाना मुलमुला द्वारा जारी अस्थायी चरित्र प्रमाण-पत्र में कृष्ण कुमार के विरुद्ध थाना अकलतरा के अपराध क्रमांक 189/09 धारा 147, 148, 149, 294, 506 बी, 323 भादवि के प्रकरण में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांजगीर के न्यायालय से 24.01.2012 को 1500 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त मुख्य विक्रयकर्ता को सेवा से पृथक कर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है।

(2) देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान रसौटा में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत शिव कुमार राय के पुलिस थाना पामगढ़ द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र में शिव कुमार राय के विरुद्ध अपराध क्रमांक 52/2009, धारा 452, 325, 323, 294, 34 भादवि एवं इस्त. क्रमांक 143/2007, 444/2019 दोनो धारा 107, 116 (3) जा.फौ. दर्ज होने पर उक्त सुरक्षाकर्मी को सेवा से पृथक कर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है।

जिला सक्ती में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी के पुलिस प्रकरण दर्ज होने के संबंध में जानकारी:-

(1) देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान अड़भार में मल्टीपर्स वंकर के पद पर कार्यरत सुरेन्द्र कुमार के पुलिस थाना डभरा द्वारा जारी अस्थायी चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक 30-10-2025 अनुसार सुरेन्द्र कुमार के विरुद्ध पुलिस थाना डभराके अपराध क्रमांक 417/2022 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि आपराधिक प्रकरण का लेख होनापाया गया है जो नेशनल लोक अदालत डभरा में दोषमुक्त किया गया है।

(2) देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान किंकिरदा में विक्रयकर्ता के पद में कार्यरत शरद कुमार के पुलिस थाना शिवरीनारायण द्वारा जारी अस्थायी चरित्र प्रमाण पत्र में शरद कुमार के विरुद्ध पुलिस थाना शिवरीनारायण के अपराध क्रमांक 03/22 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि दर्ज पाया गया जो की नेशनल लोक अदालत पामगढ़ के आदेश दिनांक 13-09-2025 से दोषमुक्त किया गया है।

(3) देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान सिंघरा में कार्यरत सुरक्षाकर्मी नितेश कुमार चंद्रा के पुलिस चौकी छपोरा थाना मालखरोदा द्वारा जारी अस्थायी चरित्र प्रमाण पत्र में नितेश कुमार चंद्रा के विरुद्ध पुलिस चौकी छपोरा के अपराधिक प्रकरण क्रमांक 115/2023, धारा 34 आबकारी एक्ट इस्तागाशा क्रमांक 62/2023 धारा 107, 116 (3) जा. फौ. इस्तागाशा क्रमांक 100/2023 धारा 107, 116 (3) जा. फौ. दर्ज होने पर उक्त सुरक्षाकर्मी को सेवा से पृथक कर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है।

प्रपत्र				
क्रमांक	किट	वर्तन के प्रकार	नग	निविदा में प्राप्त किट का मूल्य (जी0एस0टी0 सहित)
1	2	3	4	5
1	किट-1 (छात्र संख्या 01 से 50 तक)	आई.एस.आई. मार्क वाला प्रेशर कुकर - 10 लीटर (आई.एस. - 2347)	1	9089.06
		ढक्कन के साथ भगोना (स्टेनलेस स्टील), क्षमता 10 लीटर	1	
		लोहे की कड़ाही (बिना इंसुलेशन वाले हैंडल के), क्षमता 10 लीटर	1	
		चौमुखा (स्टेनलेस स्टील)	1	
		बाल्टी (स्टेनलेस स्टील), क्षमता 5 लीटर	1	
		बिना ढक्कन वाला जग (स्टेनलेस स्टील), क्षमता 1.5 लीटर	1	
		धामा/तगाड़ी (स्टेनलेस स्टील)	2	
		परात (स्टेनलेस स्टील), छोटी	1	
		सर्विंग स्पून (परोसने का चम्मच) - चावल के लिए	1	
		सर्विंग स्पून (परोसने का चम्मच) - सामान्य उपयोग के लिए	1	
		करछुल (स्टेनलेस स्टील)	2	
		झारा (स्टेनलेस स्टील)	1	
		पलटा (खुरपा) - लंबे हैंडल वाला, बिना लकड़ी की पकड़ के	1	
		उरचानी (डॉंगा) - प्लास्टिक ग्रिप के साथ, क्षमता 200 मिली लीटर	2	
		कुल	17	
2	किट-2 (छात्र संख्या 51 से 151 तक)	आई.एस.आई. मार्क प्रेशर कुकर - 10 लीटर (आई.एस 2347)	2	13638.74
		भगोना ढक्कन के साथ (स्टेनलेस स्टील), क्षमता 20 लीटर	1	
		लोहे की कड़ाही (बिना इंसुलेटेड हैंडल), क्षमता 15 लीटर	1	
		चौमुखा (स्टेनलेस स्टील)	1	
		बाल्टी (स्टेनलेस स्टील), क्षमता 5 लीटर	2	
		जग बिना ढक्कन के (स्टेनलेस स्टील), क्षमता 1.5 लीटर	2	
		धामा/तगारी (स्टेनलेस स्टील), क्षमता लगभग 5 लीटर	3	
		परात (स्टेनलेस स्टील) (मध्यम)	1	
		सर्विंग स्पून (स्टेनलेस स्टील) (चावल के लिए)	2	
		सर्विंग स्पून (स्टेनलेस स्टील) (सामान्य उपयोग हेतु)	1	
		करछुली (स्टेनलेस स्टील)	2	
		झारा (स्टेनलेस स्टील)	1	
		पालता (खुरपा) (स्टेनलेस स्टील) लंबे हैंडल के साथ (बिना लकड़ी की पकड़)	1	
		उरचानी (डॉंगा) (स्टेनलेस स्टील) प्लास्टिक ग्रिप के साथ, क्षमता 200 मिली लीटर	2	
		कुल	22	

क्रमांक	किट	वर्तन के प्रकार	नग	निविदा में प्राप्त किट का मूल्य (जी0एस0टी0 सहित)
1	2	3	4	5
3	किट-3 (छात्र संख्या 151 से 250 तक)	आई.एस.आई. मार्क प्रेशर कुकर - 10 लीटर (आई.एस. 2347)	1	18168.74
		आई.एस.आई. मार्क प्रेशर कुकर - 15 लीटर (आई.एस. 2347)	1	
		भगोना ढक्कन के साथ (स्टेनलेस स्टील), क्षमता 10 लीटर	1	
		भगोना ढक्कन के साथ (स्टेनलेस स्टील), क्षमता 20 लीटर	1	
		लोहे की कड़ाही (बिना इंसुलेटेड हैंडल), क्षमता 20 लीटर	1	
		चौमुखा (स्टेनलेस स्टील)	1	
		बाल्टी (स्टेनलेस स्टील), क्षमता 5 लीटर	2	
		जग बिना ढक्कन के (स्टेनलेस स्टील), क्षमता 1.5 लीटर	3	
		धामा/तगारी (स्टेनलेस स्टील), क्षमता लगभग 5 लीटर	4	
		परात (स्टेनलेस स्टील) (मध्यम)	2	
		सर्विंग स्पून (स्टेनलेस स्टील) (चावल के लिए)	2	
		सर्विंग स्पून (स्टेनलेस स्टील) (सामान्य उपयोग हेतु)	2	
		करछुली (स्टेनलेस स्टील)	2	
		झारा (स्टेनलेस स्टील)	2	
		पालता (खुरपा) (स्टेनलेस स्टील) लंबे हैंडल के साथ (बिना लकड़ी की पकड़)	1	
		पालता (खुरपा) (स्टेनलेस स्टील) लकड़ी की ग्रिप हैंडल के साथ	1	
		उरचानी (डॉंगा) (स्टेनलेस स्टील) प्लास्टिक ग्रिप के साथ, क्षमता मिली लीटर	2	
		कुल	29	
4	किट-4 (छात्र संख्या 251 से अधिक)	आई.एस.आई. मार्क प्रेशर कुकर - 15 लीटर (आई.एस. 2347)	2	22734.36
		भगोना ढक्कन के साथ (स्टेनलेस स्टील), क्षमता 10 लीटर	1	
		भगोना ढक्कन के साथ (स्टेनलेस स्टील), क्षमता 28 लीटर	1	
		लोहे की कड़ाही (बिना इंसुलेटेड हैंडल), क्षमता 10 लीटर	1	
		लोहे की कड़ाही (बिना इंसुलेटेड हैंडल), क्षमता 25 लीटर	1	
		चौमुखा (स्टेनलेस स्टील)	2	
		बाल्टी (स्टेनलेस स्टील), क्षमता 5 लीटर	1	
		बाल्टी (स्टेनलेस स्टील), क्षमता 10 लीटर	1	
		जग बिना ढक्कन के (स्टेनलेस स्टील), क्षमता 1.5 लीटर	2	
		धामा/तगारी (स्टेनलेस स्टील), क्षमता लगभग 5 लीटर	4	
		परात (स्टेनलेस स्टील) (मध्यम)	2	
		सर्विंग स्पून (स्टेनलेस स्टील) (चावल के लिए)	2	
		सर्विंग स्पून (स्टेनलेस स्टील) (सामान्य उपयोग हेतु)	2	
		करछुली (स्टेनलेस स्टील) लकड़ी के हैंडल के साथ	2	
		झारा (स्टेनलेस स्टील)	1	
		पालता (खुरपा) (स्टेनलेस स्टील) लंबे हैंडल के साथ (बिना लकड़ी की पकड़)	1	
		पालता (खुरपा) (स्टेनलेस स्टील) लकड़ी की ग्रिप हैंडल के साथ	1	
		उरचानी (डॉंगा) (स्टेनलेस स्टील) प्लास्टिक ग्रिप के साथ, क्षमता 200 मिली लीटर	4	
		खॉमचा (ट्रे)	1	
		कुल	32	

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मन्त्रालय, रायपुर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

परिशेष - अड़तीस

परिवाहित अतारोकेत प्रश्न संख्या 46 (क्र. 2616) की जानकारी

प्रपत्र

लौलूंगा विधानसभा क्षेत्र में पुलों का निर्माण व मरम्मत कार्य।

स.क.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		मरम्मत / पेंटिंग कार्य	मरम्मत की तारीख / माह	पूर्णता तिथि
		राशि (लाख में)	दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7
बजट वर्ष 2023-24						
बजट वर्ष 2024-25						
बजट वर्ष 2025-26						
1	जिला रायगढ़ के लौलूंगा के पाकरगोव मार्ग के मध्य खारून नदी पर पुल निर्माण।	639.06	30.12.2020	-	-	कार्य पूर्ण। दिनांक 15.05.2025



अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)



मुख्य अभियंता

कार्या. प्रमुख अभियंता लो.नि.वि.
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

परिशेष - उनतालीस

परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 2629) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा चन्द्रपुर क्षेत्र अंतर्गत युवाओं में खेल के प्रति बढ़ावा एवं जागृति। श्री रामकुमार यादव

(विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 2629 प्रश्नांश - (ग) की जानकारी)

प्रश्नाधीन अवधि में विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर अंतर्गत स्टेडियम/इंडोर स्टेडियम/इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम की मांग -

क्र.	स्थान का नाम	निर्माण कार्य का नाम	पूर्ण/अपूर्ण	पूर्णता की तिथि
01	सकर्गा, वि.ख. मालखरौदा जिला सक्ती	उच्च स्तरीय खेल स्टेडियम निर्माण	अपूर्ण	निश्चित नहीं
02	सारसडोल, वि.ख. मालखरौदा, जिला सक्ती	उच्च स्तरीय खेल स्टेडियम निर्माण	अपूर्ण	निश्चित नहीं
03	अइभार, वि.ख. मालखरौदा जिला सक्ती	उच्च स्तरीय खेल स्टेडियम निर्माण	अपूर्ण	निश्चित नहीं
04	कुसुमझर, वि.ख. डभरा, जिला सक्ती	मिनी स्टेडियम निर्माण	अपूर्ण	निश्चित नहीं
05	कुसमुल, वि.ख. डभरा, जिला सक्ती	मिनी स्टेडियम निर्माण	अपूर्ण	निश्चित नहीं
06	रामभांठा, वि.ख. डभरा, जिला सक्ती	मिनी स्टेडियम निर्माण	अपूर्ण	निश्चित नहीं
07	फरसवानी, वि.ख. डभरा, जिला सक्ती	मिनी स्टेडियम निर्माण	अपूर्ण	निश्चित नहीं
08	चन्द्रपुर, वि.ख. डभरा, जिला सक्ती	उच्च स्तरीय खेल स्टेडियम निर्माण	अपूर्ण	निश्चित नहीं
09	मालखरौदा, वि.ख. एवं जिला सक्ती	इंडोर स्टेडियम बैडमिंटन हॉल निर्माण	अपूर्ण	निश्चित नहीं



अवर सचिव

प्रतापगढ़ शासन

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
सिआर, नया रायपुर, अटल नगर

परिशेष - चालीस
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 2650) की जानकारी

पंडरिया विधानसभा क्षेत्रों की शौचालय विहीन शासकीय शालाओं की जानकारी

विकासखण्ड	विधायकों की संख्या
कवर्धा	9
सहसपुर लोहारा	27
पंडरिया	129

Hisam
अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

A/B
सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़


परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 2669) की जानकारी

प्रपत्र
विषय:-लोक निर्माण विभाग अंतर्गत बिलासपुर के यदुनंदन से घुरु अमेरी रोड़ रेलवे क्रॉसिंग तक गौरव पथ की स्वीकृति।

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		मार्ग की अद्यतन स्थिति	मार्ग निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जाना है
		राशि (लाख में)	दिनांक		
1	जिला बिलासपुर के यदुनंदन नगर तिफरा, सब्जी मार्केट से घुरु अमेरी रोड़ रेलवे क्रॉसिंग तक गौरवपथ कार्य। लं. 3.50 किमी.	3 1587.71	4 28.10.24	5 निविदा दिनांक 11.02.2026 को स्वीकृत किया गया है।	6 निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।



अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर



मुख्य अभियंता
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक.नि.वि. नवा रायपुर अटल नगर

प्रश्न

निकाय को प्राप्त शिकायत

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत दिनांक	किस माध्यम से प्राप्त हुआ	निर्माण कार्य	शिकायत पर की गई कार्यवाही / जांच प्रतिवेदन का विवरण	जांच प्रतिवेदन पर कृत कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री संदीप अग्रवाल	11/01/2024	कलेक्टर को संबोधित	गौरव पथ	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरायपाली द्वारा आदेश क्र. 284 दिनांक 15.07.2024 द्वारा 03 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया, जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।	निरंक
2	श्री गुंजन अग्रवाल, पार्षद,	11/11/2024	कलेक्टर को संबोधित	गौरव पथ	कलेक्टर, सरायपाली को संबोधित पत्र पर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा पत्र दि. 15.01.2025 के माध्यम से 07 दिवस के भीतर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सरायपाली से जांच प्रतिवेदन चाहा गया। जिसकी जांच लोक निर्माण विभाग के उप अभियंता से कराई गई। निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप तथा कार्य निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पाया गया।	प्राप्त प्रतिवेदन निकाय के पत्र क्र. 13 दिनांक 03.04.2025 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया गया।
3	श्री योगेश कुमार यादव	08/01/2025	मान. मंत्रीजी के माध्यम से प्राप्त	गौरव पथ	जांच हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक 4173 दिनांक 22.05.2025 द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को प्रेषित।	प्रतिवेदन अप्राप्त
4	श्री अशोक अग्रवाल	8/4/2025	(सुशासन तिहार में प्राप्त शिकायत)	गौरव पथ	ब्रेकर के सामने का पोर्शन को काट दिया गया है। 10105 तक डामरीकरण का कार्य कर दिया जाएगा।	डामरीकरण करा दिया गया।
5	श्री मोनू अग्रवाल	9/4/2025	(सुशासन तिहार में प्राप्त शिकायत)	गौरव पथ	नाली की गुणवत्ता की ठीक है। सफाई का कार्य किया जा रहा है।	सफाई कार्य पूर्ण।
6	श्री मनीष अग्रवाल	9/4/2025	(सुशासन तिहार में प्राप्त शिकायत)	डामरीकरण	सुधार कार्य प्रगति पर है, मोटाई अनुबंध के अंतर्गत है।	सुधार कार्य पूर्ण।
7	श्री सुधीर चौधरी	9/4/2025	(सुशासन तिहार में प्राप्त शिकायत)	गौरव पथ	मिट्टी का उपयोग सोल्डर और फिलिंग में किया गया, पानी जाने के लिए अलग से छेद कराए जा रहे हैं, डामर का कार्य स्थिति के हिसाब से किया जा रहा है, डिवाइडर को अलर में पुराने सड़क के अनुसार है।	पानी के लिए छेद कराए जा चुके हैं।
8	श्री मनोज अग्रवाल	9/4/2025	(सुशासन तिहार में प्राप्त शिकायत)	गौरव पथ	छुटे हुए कार्य को कराया जा रहा है। डिवाइडर नाली का कार्य पूर्ण होने के बाद किया जाएगा।	डिवाइडर का कार्य कराया जा चुका है।

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत दिनांक	किस माध्यम से प्राप्त हुआ	निर्माण कार्य	शिकायत पर की गई कार्यवाही/जांच प्रतिवेदन का विवरण	जांच प्रतिवेदन पर कृत कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
9	श्री सुशील जैन	10/4/2025	(सुशासन तिहार में प्राप्त शिकायत)	गौरव पथ	जैन कालोनी के रास्ते को बना दिया गया है।	कार्यवाही पूर्ण।
10	श्री संजय सतपथी	11/4/2025	(सुशासन तिहार में प्राप्त शिकायत)	गौरव पथ	डिवाइडर के अनावश्यक जगह को बंद किया जाएगा वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। ट्रेफिक जाम न हो इस कारण डिवाइडर बंद नहीं किया गया है। नाली की उचाई और लेबल के हिसाब से स्लेब उपर-नीचे है जिसको पेवर के समय समान कर दिया जाएगा।	डिवाइडर के अनावश्यक जगह को बंद कर दिया गया है।
11	श्री नरेन्द्र सलूजा	11/01/2025	(सुशासन तिहार में प्राप्त शिकायत)	रोड चौकीकरण	कार्यालय नगर पालिका सरायपाली के पत्र क्र. 125 दिनांक 02.05.2025 द्वारा कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग महासमुंद को पत्र प्रेषित किया गया।	जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।
12	श्री नीलाम्बर नायक	12/4/2025	(सुशासन तिहार में प्राप्त शिकायत)	गौरव पथ	नाली कार्य पूर्ण होने पर संपूर्ण नाली की सफाई के उपरांत कार्य पूर्ण प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।	नाली का नियमित सफाई कराया जा रहा है।
13	श्री गंगाराम पटेल	12/4/2025	(सुशासन तिहार में प्राप्त शिकायत)	गौरव पथ	निकाय द्वारा यह कार्य किया जाएगा।	कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
14	श्री रणवीर मेश्राम	12/4/2025	(सुशासन तिहार में प्राप्त शिकायत)	गौरव पथ	उक्त मार्ग लोक निर्माण के आधिपत्य में है।	मांग के आधार पर लोक निर्माण विभाग से संपर्क करने पर बताया गया कि उनके बजट में सम्मिलित किया गया है।
15	मो. इरफान	13/04/2025	(सुशासन तिहार में प्राप्त शिकायत)	गौरव पथ	नाली के डक्कन तैयार है सेट होने पर उसके स्थान पर लगाया जा रहा है। कहीं भी खुदाई करके अभी नहीं छोड़ा गया है।	नाली को कव्हर करने की कार्यवाही प्रगतिरत है।
16	श्री राजेन्द्र उबोवेजा	13/04/2025	(सुशासन तिहार में प्राप्त शिकायत)	गौरव पथ	डामरीकरण के साथ-साथ रोड़ नाली और डिवाइडर को सुधारा जा रहा है।	सुधार कार्य कराया गया।
17	श्री उमेश प्रधान	13/04/2025	(सुशासन तिहार में प्राप्त शिकायत)	गौरव पथ	खोदे गए मिट्टी को एक स्थल पर एकत्रित किया गया है।	एकत्रित मिट्टी को अन्यत्र परिवहन करा दिया गया है।

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत दिनांक	किस माध्यम से प्राप्त हुआ	निर्माण कार्य	शिकायत पर की गई कार्यवाही/जांच प्रतिवेदन का विवरण	जांच प्रतिवेदन पर कृत कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
18	श्री गुंजन अग्रवाल	13/04/2025	(सुशासन तिहार में प्राप्त शिकायत)	गौरव पथ	मौसम के कारण डामरीकरण का कार्य नहीं हो पाया, मौसम ठीक होने पर कार्य किया जाएगा। सुबह शाम पानी डलवाया जा रहा है।	डामरीकरण कार्य पूर्ण।
19	श्री हर्षदीप सिंह	13/04/2025	(सुशासन तिहार में प्राप्त शिकायत)	गौरव पथ	मौसम के कारण डामरीकरण का कार्य नहीं हो पाया, मौसम ठीक होने पर कार्य किया जाएगा। सुबह शाम पानी डलवाया जा रहा है।	डामरीकरण कार्य पूर्ण।
20	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता	13/04/2025	(सुशासन तिहार में प्राप्त शिकायत)	गौरव पथ	मौसम के कारण डामरीकरण का कार्य नहीं हो पाया, मौसम ठीक होने पर कार्य किया जाएगा। सुबह शाम पानी डलवाया जा रहा है।	डामरीकरण कार्य पूर्ण।
21	श्री राहुल बग्गा	13/04/2025	(सुशासन तिहार में प्राप्त शिकायत)	डामरीकरण	कार्यालय नगर पालिका सरायपाली के पत्र क्र. 125 दिनांक 02.05.2025 द्वारा कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग महासमुंद को पत्र प्रेषित किया गया।	जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।
22	श्री जनाब खान	13/04/2025	(सुशासन तिहार में प्राप्त शिकायत)	रोड चौड़ीकरण	कार्यालय नगर पालिका सरायपाली के पत्र क्र. 125 दिनांक 02.05.2025 द्वारा कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग महासमुंद को पत्र प्रेषित किया गया।	जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।
23	श्री पंकज बिंसी, भारतीय युवा कांग्रेस छ.ग.	16/07/2025	कलेक्टर जिला-महासमुंद को संबोधित	गौरव पथ	निकाय द्वारा ठेकेदार को डिवाइडर में क्रॉसिंग छोड़े जाने संबंधी सूची उपलब्ध कराया गया।	कार्य पूर्ण।

उपरोक्त के अतिरिक्त मान. विधायक महोदया द्वारा विषय संज्ञान में लाने पर विभाग द्वारा कार्यपालन अभियंता क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उप अभियंता एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के निलंबन की कार्यवाही की गई। श्री कौशिक को जारी आरोप पत्रादि के संबंध में उनसे प्राप्त प्रतिउत्तर का परीक्षण मुख्य अभियंता से कराया जा रहा है। शासन के आदेश दिनांक 16.05.2025 द्वारा श्री शर्मा के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित किया गया है।

मुख्य सचिव कार्यालय से प्राप्त पत्र पर संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा गठित जांच दल से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें संचालनालय के पत्र क्रमांक 10775 दिनांक 02.12.2025 द्वारा अतिरिक्त जानकारी चाहा गया। जो क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 05.12.2025 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।


अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र - अ

विषय:- वि.स. डोंगरगांव में सड़क निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति।

क्र.	प्र.स. 33 (क्र. 1423) अनुसार स.क्र.	कार्य का नाम	प्रशा.स्वी. प्राककलन में पुल-पुलियों की संख्या	तक.स्वी. प्राककलन में पुल-पुलियों की संख्या	निर्माण किये गये पुल-पुलियों की संख्या	शेष पुल-पुलियों की संख्या	पुल-पुलिया निर्माण नहीं किये जाने के कारण	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (लाख में)	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	अनुबंधित राशि (लाख में)	स्वीकृत प्राककलन / तकनीकी स्वीकृति प्राककलन के अनुसार निर्माण नहीं किये जाने के कारण राशि में अंतर (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	डोंगरगांव के डोंगरगढ़-बोरतलाब मार्ग का निर्माण (महाराष्ट्र बार्डर) तक लंबाई 15.30 किमी.	4	4	3	1	01 नग पूर्व निर्मित पुलिया की स्थिति अच्छी होने के कारण निर्माण कार्य नहीं कराया गया।	1249.42 पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति	1185.26 पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति	1185.26	3.03
2	3	जिला राजनांदगांव वि.खं. डोंगरगढ़ के पिपरखारकला-बुढानछपार-मांगीखुटा-कारुटोला मार्ग लंबाई 12.90 किमी.	32	32	0	32	मार्ग की डामरीकृत सतह की चौड़ाई 3.00 मीटर थी जिसे 3.75 मीटर में चौड़ीकरण किया गया है, मार्ग की पूरी लंबाई में पूर्व निर्मित पाईप पुलिया 7.50 मीटर की चौड़ाई में अच्छी स्थिति में होने के कारण 32 नग पाईप पुलियों का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया।	549.95	504.86	415.44	77.39




अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

क्र.	प्र.स. 33 (क्र. 1423) अनुसार स.क्र.	कार्य का नाम	प्रशा.स्वी. प्राक्कलन में पुल-पुलियों की संख्या	तक.स्वी. प्राक्कलन में पुल-पुलियों की संख्या	निर्माण किये गये पुल- पुलियों की संख्या	शेष पुल- पुलियों की संख्या	पुल-पुलिया निर्माण नहीं किये जाने के कारण	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (लाख में)	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	अनुबंधित राशि (लाख में)	स्वीकृत प्राक्कलन / तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन के अनुसार निर्माण नहीं किये जाने के कारण राशि में अंतर (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	10	जिला राजनांदगांव वि.ख. डोंगरगढ़ के सेन्दरी नरसिंगपुर से कारीपाट मंदिर मार्ग लंबाई 3.90 किमी.	8	8	8	0	-	179.11	160.48 संशोधित तकनीकी स्वीकृति	458.09	0.00
4	11	जिला राजनांदगांव वि.ख. डोंगरगढ़ के बागरेकसा-कारुटोला-कोठीट मार्ग लंबाई 8.30 किमी.	19	19	10	9	मार्ग की डामरीकृत सतह की चौड़ाई 3.00 मीटर थी जिसे 3.75 मीटर में चौड़ीकरण किया गया है, मार्ग की पूरी लंबाई में पूर्व निर्मित पाईप पुलिया 7.50 मीटर की चौड़ाई में अच्छी स्थिति में होने के कारण 09 नग पाईप पुलियों का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया।	369.45	331.54 संशोधित तकनीकी स्वीकृति		18.45
5	14	जिला राजनांदगांव के आलीवारा से टेका हरदी मार्ग लं. 3.00 किमी. पुल-पुलिया सहित।	4	4	0	4	मार्ग पर स्थिति पूर्व निर्मित पुलिया की स्थिति अच्छी होने के कारण 04 नग पुलिया का निर्माण नहीं किया गया।	259.77	250.41	210.04	8.69
6	16	जिला राजनांदगांव के लालबहादुर नगर से नारायणगढ़ पहुंच मार्ग लंबाई 2.90 किमी.	9	9	7	2	कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार 02 नग पुलिया निर्माण की आवश्यकता नहीं।	292.60	284.93	238.50	4.58

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

क्र.	प्र.स. 33 (क्र. 1423) अनुसार स.क्र.	कार्य का नाम	प्रशा.स्वी. प्राक्कलन में पुल-पुलियों की संख्या	तक.स्वी. प्राक्कलन में पुल-पुलियों की संख्या	निर्माण किये गये पुल- पुलियों की संख्या	शेष पुल- पुलियों की संख्या	पुल-पुलिया निर्माण नहीं किये जाने के कारण	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (लाख में)	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	अनुबंधित राशि (लाख में)	स्वीकृत प्राक्कलन / तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन के अनुसार निर्माण नहीं किये जाने के कारण राशि में अंतर (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	17	जिला राजनांदगांव के डोंगरगांव बस्ती फोरलेन मार्ग के किमी. 23/4 से 26/10 = 3.60 किमी. का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य।	3	3	2	1	पूर्व में निर्मित स्लैब कल्वर्ट की स्थिति अच्छी होने के कारण स्लैब कल्वर्ट के स्थान पर नाली का निर्माण कराया गया है। (पूर्व विधानसभा सत्र के दौरान पुल-पुलिया का निर्माण नहीं किया गया था, वर्तमान में 02 नग पूर्ण एवं 01 नग आवश्यक नहीं है।)	1866.86	1612.79	1305.84	2.34
		योग:- 07 कार्य	79	79	30	49		4767.16	4330.27	3813.17	114.48

मुख्य अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लो.नि.रा. नगर रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र - ब


विषय:- वि.स. डोंगरगांव में सड़क निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति ।

क्र.	कार्य का नाम	किया गया अतिरिक्त कार्य		अतिरिक्त कार्य अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी	मूल्यांकन/सत्यापनकर्ता अधिकारी का पदनाम एवं दिनांक	अतिरिक्त कार्य संगठन के पश्चात शेष कार्य	कार्य में कुल व्यय राशि	टीप
		आइटम	राशि (लाख में)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डोंगरगांव के डोंगरगढ़-बोरतलाब मार्ग का निर्माण (महाराष्ट्र बार्डर) तक लंबाई 15.30 किमी.	-	-	-	-	-	1078.39	कार्य पूर्ण
2	जिला राजनांदगांव वि.खं. डोंगरगढ़ के पिपरखारकला-बुढ़ानछपार-मागीखुटा-कारुटोला मार्ग लंबाई 12.90 किमी.	नाली निर्माण कार्य।	16.82	अधीक्षण अभियंता	उप अभियंता 29.12.2021 अनुविभागीय अधिकारी 30.12.2021	-	377.94	कार्य पूर्ण
3	जिला राजनांदगांव वि.खं. डोंगरगढ़ के सेन्दरी नरसिंगपुर से कारीपाट मंदिर मार्ग लंबाई 3.90 किमी.	-	-	-	-	-	440.83	कार्य पूर्ण
4	जिला राजनांदगांव वि.खं. डोंगरगढ़ के बागरेकसा-कारुटोला-कोठीटोला मार्ग लंबाई 8.30 किमी.	-	-	-	-	-	-	कार्य पूर्ण


 अनुभाग अधिकारी
 लोक निर्माण विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर (छ.स.)

क्र.	कार्य का नाम	किया गया अतिरिक्त कार्य		अतिरिक्त कार्य अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी	मूल्यांकन/सत्यापनकर्ता अधिकारी का पदनाम एवं दिनांक	अतिरिक्त कार्य संपादन के पश्चात शेष कार्य	कार्य में कुल व्यय राशि	टीप
		आइटम	राशि (लाख में)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	जिला राजनांदगांव के आलीवारा से टेका हरदी मार्ग लं. 3.00 किमी. पुल-पुलिया सहित।	-	-	-	-	-	185.59	कार्य पूर्ण
6	जिला राजनांदगांव के लालबहादुर नगर से नारायणगढ़ पट्टुच मार्ग लंबाई 2.90 किमी.	-	-	-	-	-	238.50	अनुपूरक प्रस्ताव की परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। (कार्य पूर्ण)
7	जिला राजनांदगांव के डोंगरगांव बस्ती फोरलेन मार्ग के किमी. 23/4 से 26/10 = 3.60 किमी. का चौड़ीकरण एवं उन्नयन।	-	-	-	-	-	921.72	कार्य प्रगति पर।
योग:- 07 कार्य			16.82				3242.97	


 अनुभाग अधिकारी
 लोक निर्माण विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)


 मुख्य अभियंता
 कार्यालय प्रमुख अभियंता
 लो.नि.वि.मंत्रालय रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

परिशेष - चवालीस


परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 59 (क्र. 2711) की जानकारी

प्रपत्र

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा विगत वित्तीय वर्ष (2024-25) में मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु स्वीकृत योजना अंतर्गत कार्य का नाम एवं स्वीकृत राशि की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला	मरम्मत एवं पुनर्स्थापित हेतु स्वीकृत योजनाएं	
		स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4
1	रायपुर	-	-
2	बलौदाबाजार	-	-
3	गरियाबंद	-	-
4	धमतरी	-	-
5	महासमुन्द	-	-
6	दुर्ग	-	-
7	बालोद	-	-
8	बेमेतरा	-	-
	परियोजना खंड बेमेतरा	साजा समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत संधारण का कार्य। 01 नग (राज्य मद)	22.48
		नवागढ़ समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत संधारण का कार्य। 01 नग (राज्य मद)	39.43
	बेमेतरा समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत संधारण का कार्य। 01 नग (राज्य मद)	39.08	
9	राजनांदगांव	धीरी समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत संधारण का कार्य। 01 नग (राज्य मद)	14.39
		मोहारा समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत संधारण का कार्य। 01 नग (राज्य मद)	11.67
10	एम.एम.ए.सी.	आर्सेनिक समूह जल प्रदाय योजना अं.चौकी 01 नग (राज्य मद)	16.92
11	के.सी.जी.	-	-
12	कबीरधाम	पोण्डी समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत संधारण का कार्य। 01 नग (राज्य मद)	8.09
13	बिलासपुर	-	-
14	जी.पी.एम.	-	-
15	मुंगेली	-	-
16	कोरबा	चोटिया समूह जल प्रदाय योजना मरम्मत कार्य	85.62
17	जांजगीर-चांपा	ग्रामीण जल प्रदाय योजनांतर्गत निर्मित पानी टंकी का मरम्मत कार्य	54.56
18	सक्ती	-	-

क्र.	जिला	मरम्मत एवं पुनस्थापित हेतु स्वीकृत योजनाएं	
		स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4
19	रायगढ़	-	-
20	सारंगढ़-बिलाईगढ़	-	-
21	सरगुजा	-	-
22	बलरामपुर	-	-
23	सूरजपुर	हराटिकरा समूह जल प्रदाय योजना के संचालन-संधारण सुधार एवं रख-रखाव	87.13
24	बैकुण्ठपुर	-	-
25	जशपुर	-	-
26	एमसीबी	चिरमिरी आर्वधन जल प्रदाय योजना का मरम्मत एवं संधारण कार्य ।	250.00
27	बस्तर	कोसारटेड़ा समूह जल प्रदाय योजना का संधारण कार्य	50.00
28	दन्तेवाडा	नेरली समूह जल प्रदाय योजना का संधारण कार्य	25.00
		धुरली समूह जल प्रदाय योजना का संधारण कार्य	50.00
		छिंदनार समूह जल प्रदाय योजना का संधारण कार्य	25.00
29	बीजापुर	भोपापट्टनम-रालापल्ली समूह जल प्रदाय योजना का संधारण कार्य	100.00
30	सुकमा	-	-
31	कांकेर	-	-
32	कोंडागाँव	-	-
33	नारायणपुर	-	-
योग:-			879.37


अनुभाग अधिकारी
लोक स्वास्थ्य प्रात्रिकी विभाग
बिनालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-अ

15 फरवरी 2026 की स्थिति में संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र में नल कनेक्शन की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखंड	ग्राम संख्या	लक्ष्य	नल कनेक्शन प्रदाय	नल कनेक्शन शेष	शुद्ध पेयजल आपूर्ति नल कनेक्शन की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	गुरुर	121	28733	27000	1733	26095
2	बालोद	89	21451	20730	721	18697
	योग	210	50184	47730	2454	44792

Sulbani
 अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग
 भवलय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

15 फरवरी 2026 की स्थिति में संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन में गुणवत्ताहीन कार्यों की अद्यतन जानकारी

क्र.	योजना के क्रियान्वयन में गुणवत्ताहीन कार्य एवं सामग्री की शिकायत			शिकायत पर की गई कार्यवाही
	ठेकेदार का नाम	गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य	गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग	
1	2	3	4	5
1	माधव अग्रवाल	टंकी का सीढी कार्य गुणवत्ताहीन	-	ग्राम में टंकी की सीढी को तोड़कर पुनः निर्माण कार्य किया गया
		टंकी में लीकेज की समस्या	-	ग्राम में टंकी पर लीकेज की समस्या होने पर रिपेयरिंग कार्य किया गया
2	मुकेश कुमार साहू	पाइपलाइन में लीकेज की समस्या	-	ठेकेदार को निर्देशित कर पाइपलाइन मरम्मत कराया गया
3	रसूल खान	टंकी में लीकेज की समस्या	-	ग्राम में टंकी पर लीकेज की समस्या होने पर रिपेयरिंग कार्य किया गया
		टंकी में लीकेज की समस्या	-	ग्राम में टंकी पर लीकेज की समस्या होने पर रिपेयरिंग कार्य किया गया
		टंकी में लीकेज की समस्या	-	ग्राम में टंकी पर लीकेज की समस्या होने पर रिपेयरिंग कार्य किया गया
4	मानस गोयल	टंकी का सीढी कार्य गुणवत्ताहीन	-	ठेकेदार को नोटिस जारी कर गुणवत्ताहीन कार्य को तोड़कर पुनः गुणवत्तापूर्ण कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है
5	मोती गोयल	गुणवत्ताहीन बॉटम डॉम निर्माण कार्य	-	ग्राम में टंकी के बॉटम डॉम को तोड़कर पुनः निर्माण कार्य किया गया

Sharma
बहुभाग अधिकारी
लाभ स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग
भनालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर

परिवर्तित अतारकित प्रश्न संख्या 64 (क्र. 2742) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जल जीवन मिशन योजना में व्यय राशि

(राशि रू. लाख में)

क्र.	जिला का नाम	योजना प्रारंभ दिनांक से दिसंबर 2023 तक केन्द्रांश प्राप्ति एवं राज्यांश उपलब्धता का विवरण			योजना प्रारंभ दिनांक से दिसंबर 2023 तक केन्द्रांश व्यय एवं राज्यांश व्यय का विवरण			जनवरी 2024 से 20 फरवरी, 2026 तक केन्द्रांश प्राप्ति एवं राज्यांश उपलब्धता का विवरण			जनवरी 2024 से 20 फरवरी, 2026 तक केन्द्रांश एवं राज्यांश व्यय का विवरण		
		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल व्यय	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	जल जीवन मिशन राज्य कार्यालय	24.00	16.00	40.00	4.88	3.25	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	रायपुर	20531.80	19966.76	40498.56	20043.42	19505.13	39548.55	3329.83	8194.99	11524.82	3280.49	7865.31	11145.79
3	बलोदाबाजार	26182.01	26010.87	52192.88	25780.96	25624.22	51405.18	6613.81	30852.02	37465.82	6501.02	28384.86	34885.88
4	गरियाबंद	13721.61	13649.95	27371.56	13442.84	13387.49	26830.33	3047.69	10333.28	13380.97	2987.98	9483.05	12471.03
5	महासमुंद	26243.27	26067.93	52311.20	25358.45	25197.58	50556.03	3715.02	14856.18	18571.20	3660.31	13453.22	17113.53
6	धमतरी	15578.47	15442.05	31020.52	14624.68	14514.76	29139.44	3422.60	11217.23	14639.83	3054.98	9611.22	12666.19
7	दुर्ग	10255.55	10099.18	20354.73	10078.13	9947.91	20026.04	7497.01	23312.74	30809.75	7376.84	19519.66	26896.49
8	बेमतरा	13881.64	13719.94	27601.58	13249.08	13139.32	26388.40	3310.80	20797.74	24108.53	3238.39	20529.17	23767.56
9	बालोद	18911.70	18746.33	37658.03	18487.49	18352.85	36840.34	6851.17	20374.64	27225.81	6772.34	20186.61	26958.95
10	राजनांदगाव	23878.27	23599.88	47478.15	22480.14	22246.52	44726.66	6106.97	11858.04	17965.01	5935.22	11457.06	17392.29
11	कबौरधाम	19976.75	19845.43	39822.18	19538.51	19447.49	38986.00	4019.53	14420.14	18439.67	3913.42	14216.91	18130.33
12	खैरागढ़-छुईखदान-गडई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1073.01	4844.65	5917.65	1014.52	4077.99	5092.52
13	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5180.42	26375.43	31555.85	5162.56	26149.92	31312.48
14	बिलासपुर	16136.93	16023.53	32160.46	15541.43	15450.59	30992.02	5354.03	16270.98	21625.00	5300.11	16182.20	21482.31
15	मुंगेली	15668.74	15416.08	31084.82	14907.17	14697.89	29605.05	3934.37	13418.53	17352.89	3675.65	13184.88	16860.53
16	जाजगीर-चापा	36688.64	36367.76	73056.40	35747.88	35456.73	71204.61	7648.98	16960.39	24609.38	7581.25	15135.68	22716.94
17	कोरबा	13382.42	13207.33	26589.75	12808.13	12674.99	25483.12	11119.26	32620.46	43739.72	11037.49	32509.35	43546.84
18	रायगढ़	28065.23	27753.26	55818.49	26636.16	26378.46	53014.62	6946.56	25268.53	32215.09	6887.15	23012.84	29899.99
19	गोरेला पेंडा मरवाही	5666.89	5544.11	11211.00	5284.46	5202.81	10487.27	2093.05	5650.73	7743.78	1812.20	5414.29	7226.49
20	सारगढ़-बिलाइगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2316.74	29607.46	31924.20	2269.11	22961.41	25230.51
21	सक्ती	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1561.74	6747.50	8309.24	1532.11	6714.84	8246.95
22	अंबिकापुर	16631.88	16397.90	33029.78	15461.00	15321.15	30782.15	7905.79	25934.72	33840.51	7335.49	25394.61	32730.09
23	बलरामपुर	25701.56	25577.60	51279.16	23970.91	23879.22	47850.13	8351.95	23666.35	32018.30	7866.63	21931.25	29797.88

(राशि रू. लाख में)

क्र.	जिला का नाम	योजना प्रारंभ दिनांक से दिसंबर 2023 तक केन्द्रांश प्राप्ति एवं राज्यांश उपलब्धता का विवरण			योजना प्रारंभ दिनांक से दिसंबर 2023 तक केन्द्रांश व्यय एवं राज्यांश व्यय का विवरण			जनवरी 2024 से 20 फरवरी, 2026 तक केन्द्रांश प्राप्ति एवं राज्यांश उपलब्धता का विवरण			जनवरी 2024 से 20 फरवरी, 2026 तक केन्द्रांश एवं राज्यांश व्यय का विवरण		
		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल व्यय	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	सुरजपुर	17107.45	16886.96	33994.41	16827.70	16634.13	33461.83	4679.24	26552.59	31231.82	4609.93	26344.15	30954.08
25	कोरिया (बकुठपुर)	16710.40	16521.83	33232.23	16120.66	15955.06	32075.72	2308.99	8111.21	10420.19	2289.25	7980.13	10269.38
26	जशपुर	18708.55	18534.26	37242.81	18069.72	17909.75	35979.47	6532.67	22564.23	29096.89	6464.25	22058.86	28523.12
27	मनेंद्रगढ़-चिरामिरी-भरतपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1290.10	9064.32	10354.41	1248.42	8989.42	10237.84
28	बस्तर (जगदलपुर)	15200.35	15088.85	30289.20	15032.65	14942.21	29974.86	4866.79	14894.31	19761.09	4779.42	13585.36	18364.78
29	दत्तेवाड़ा	6947.17	6877.89	13825.06	6321.92	6286.30	12608.22	1611.99	6151.42	7763.41	1199.09	5211.82	6410.91
30	सुकमा	8638.89	8495.98	17134.87	8387.41	8298.75	16686.15	1229.35	6726.29	7955.64	1196.12	5700.80	6896.92
31	बीजापुर	18028.24	17897.51	35925.75	12456.39	12394.13	24850.52	713.51	3808.05	4521.56	587.20	3321.80	3909.00
32	कोड़गांव	17791.14	17710.86	35502.00	17548.81	17490.53	35039.34	3361.14	9830.39	13191.53	3267.75	9398.34	12666.09
33	नारायणपुर	8530.32	8453.26	16983.58	8381.31	8314.52	16695.83	907.46	3517.43	4424.89	890.70	3099.31	3990.01
34	काकिर	22916.16	22697.68	45613.84	19827.82	19712.73	39540.55	4988.97	15436.90	20425.87	4938.41	14859.04	19797.44
	कुल	497706.03	492616.97	990323.00	472420.11	468366.45	940786.56	143890.49	520239.86	664130.35	139665.79	487925.35	627591.14

for loan
अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 भविष्य, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र - ब

जल जीवन मिशन योजना में जल सुविधा प्राप्त घरों का विवरण

क्रमांक	जिला	योजना प्रारंभ दिनांक से दिसंबर 2023 तक जल सुविधा प्राप्त कर चुके घरों की संख्या	जनवरी 2024 से 20 फरवरी, 2026 तक जल सुविधा प्राप्त कर चुके घरों की संख्या
1	2	3	4
1	रायपुर	176914	5597
2	बलौदाबाजार	71400	120109
3	गरियाबंद	104600	32407
4	धमतरी	116719	37185
5	महासमुन्द	120325	83806
6	दुर्ग	91000	47862
7	बालोद	72393	83078
8	बेमेतरा	80703	75783
9	राजनांदगांव	89764	53069
10	मोहला-मानपुर-अं. चौकी	37750	11767
11	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	39647	24765
12	कबीरधाम	111000	57849
13	बिलासपुर	61834	68069
14	जी.पी.एम.	43960	4404
15	मुगेली	79309	5218
16	कोरबा	67449	16455
17	जाजगीर-चांपा	109910	42877

क्रमांक	जिला	योजना प्रारंभ दिनांक से दिसंबर 2023 तक जल सुविधा प्राप्त कर चुके घरों की संख्या	जनवरी 2024 से 20 फरवरी, 2026 तक जल सुविधा प्राप्त कर चुके घरों की संख्या
1	2	3	4
18	सक्ती	80568	57798
19	रायगढ़	76600	86981
20	सारंगढ़-बिलाईगढ़	38679	54433
21	अम्बिकापुर	30450	22735
22	बलरामपुर	88000	23736
23	सूरजपुर	65597	937
24	कोरिया	4521	7650
25	एम.सी.बी.	7736	12580
26	जशपुर	52432	29094
27	बस्तर	52000	30482
28	दंतेवाड़ा	15700	6633
29	बीजापुर	7000	16149
30	सुकमा	8010	24828
31	कांकेर	48423	37012
32	कोण्डागांव	54415	23397
33	नारायणपुर	5130	13906
योग		2109938	1218651

Sharma
 अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य प्राधिकारी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर को प्राप्त हुये राशि का विवरण

क्र.	भुगतान प्राप्तकर्ता संस्था का नाम	भुगतानकर्ता संस्था नाम	कार्य का विवरण	छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम को प्राप्त हुई राशि का विवरण	कब प्राप्त हुई माहवार विवरण
1	छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर	राज्य परियोजना कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन/समग्र शिक्षा, रायपुर	शालाओं के लिए मासिक पठन सामग्री-चर्चा पत्र के मुद्रण	704256.00	26.11.2019
			राज्य के समस्त हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में पुस्तकालय समृद्ध करने हेतु पुस्तकों का प्रकाशन	47605785.00	06.01.2020
			उपचारात्मक शिक्षण (सेकेण्डरी स्तर) के अंतर्गत वर्कशीट कक्षा-9वीं एवं 10वीं मुद्रण	54955272.00	31.03.2022
			उपचारात्मक शिक्षण (सेकेण्डरी स्तर) के अंतर्गत वर्कशीट कक्षा-11वीं एवं 12वीं मुद्रण	49607544.00	31.03.2022
			छत्तीसगढ़ शाला सिद्धि पुस्तिका मुद्रण संबंधी	8449119.00	31.03.2022
			शाला सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत पोस्टर एवं पठन सामग्री मुद्रण	45661122.00	02.04.2022
			एफ.एल.एन. के विभिन्न सामग्रियों का मुद्रण	124065392.00	02.04.2022
			रंगोत्सव (प्राथमिक स्तर) के अंतर्गत सामग्री मुद्रण	359100.00	02.04.2022
			फाउंडेशनल लिटरेसी प्रोग्राम रीड/होम के अंतर्गत स्टोरीबुक की 180 कहानियों का मुद्रण	162028109.00	02.04.2022
			अंगना म शिक्षा कार्यक्रम हेतु शैक्षणिक सामग्री मुद्रण	11292018.00	02.04.2022
			पढई तुंहर दुआर 2.0 के अंतर्गत तीन प्रकार के पुस्तिका सामग्री मुद्रण	7401546.00	02.04.2022
			समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण संदर्शिका मुद्रण	2125385.00	02.04.2022
सौ दिवसीय अभियान की मॉनिटरिंग एवं असर सर्वे का फोलो-अप के लिए सामाजिक अंकेक्षण हेतु विभिन्न प्रपत्र मुद्रण	2148192.00	02.04.2022			

AlSany


क्र.	भुगतान प्राप्तकर्ता संस्था का नाम	भुगतानकर्ता संस्था नाम	कार्य का विवरण	छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम को प्राप्त हुई राशि का विवरण	कब प्राप्त हुई माहवार विवरण
	छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर	राज्य परियोजना कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन/समग्र शिक्षा, रायपुर	व्यावसायिक पाठ्यक्रम की कक्षा-9वीं से 12वीं के पुस्तकों का मुद्रण	10451948.00	02.04.2022
			व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम की कक्षा-9वीं से 12वीं के पुस्तकों का मुद्रण	14355037.00	17.10.2023
			SMC/SMDC प्रशिक्षण संदर्शिका पुस्तिका मुद्रण	4247691.00	30.12.2023
			कक्षा-1 से 8वीं (हिन्दी माध्यम) निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण	330000000.00	21.10.2019
				254350786.00	20.12.2019
				300000000.00	15.10.2020
				202750495.00	16.03.2021
				201900000.00	30.03.2021
				200000000.00	20.11.2021
				114905510.00	14.03.2022
				250000000.00	08.08.2022
				257278572.00	17.03.2023
				250000000.00	08.05.2023
			150000000.00	29.09.2023	
288703685.00	03.01.2024				
2	छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर	कार्यालय जिला परियोजना, समग्र शिक्षा, जिला-गरियाबंद	समग्र शिक्षा के विभिन्न प्रचार-प्रसार हेतु 25 प्रकार के पोस्टर का मुद्रण	996631.00	31.03.2023
3	छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर	राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर	डी.एल.एड. पाठ्यपुस्तक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष मुद्रण	1609584.00	04.03.2022
			कॉफी टेबल बुक एवं विजन बुकलेट का मुद्रण	537032.00	27.04.2022
			शाला प्रबंधन समिति (SMC) प्रशिक्षण संदर्शिका पुस्तिका एवं पोस्टर मुद्रण	8158906.00	30.09.2022
				5832515.00	21.10.2022
				6301173.00	15.12.2022
			4732670.00	24.05.2022	
			टास्ट फोर्स के अंतर्गत कक्षा 1-5 के लिए निर्मित कक्षावार-विषयवार संदर्शिका पुस्तिका मुद्रण	20292168.00	15.09.2022
छ.ग. की महान विभूतियों पर सृजित पुस्तिका मुद्रण	454176.00	16.09.2022			


क्र.	भुगतान प्राप्तकर्ता संस्था का नाम	भुगतानकर्ता संस्था नाम	कार्य का विवरण	छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम को प्राप्त हुई राशि का विवरण	कब प्राप्त हुई माहवार विवरण
	छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर	राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर	एफ.एल.एन. प्रकोष्ठ से मुद्रित होने वाली वर्कबुक कक्षा-3 एवं 4 (गणित) का मुद्रण	6498260.00	24.02.2023
				1150732.00	27.02.2023
				6504694.00	31.03.2023
				5470880.00	10.05.2023
				5123229.00	24.05.2023
			प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की कहानी पुस्तकों का मुद्रण	22809645.00	06.04.2023
				19609964.00	27.04.2023
				12688656.00	06.07.2023
				12632130.00	26.07.2023
				16005846.00	11.08.2023
				16005846.00	11.08.2023
				4157477.00	17.08.2023
				752475.00	17.08.2023
				27248047.00	18.08.2023
				पत्रिका SAGES RAINBOW का मुद्रण	294006.00
			स्कूल रेडीनेस शिक्षण प्रशिक्षण संदर्शिका (मॉड्यूल) का मुद्रण	1191869.00	24.02.2023
			"नवा जतन" शिक्षक संदर्शिका पुस्तिका मुद्रण	3342820.00	17.08.2022
				694061.00	31.05.2023
			उपचारात्मक शिक्षण अंतर्गत वर्कबुक के मुद्रण (कक्षा-7वीं गणित+अंग्रेजी)	5637340.00	01.02.2023
				1534134.00	03.04.2023
269766.00	03.04.2023				
1641396.00	31.05.2023				
23153311.00	02.06.2023				
	19250674.00	14.06.2023			
4	छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर	लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेशित छात्रों हेतु SCHOOL ALMANAK 2021-22 पुस्तिका मुद्रण	2555392.00	18.02.2022
			बहुआयामी प्रगति पत्रक (Holistic Report Card) का मुद्रण	9009297.00	21.10.2022
			स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु एलमेनेक एवं मार्कशीट मुद्रण	7771480.00	27.03.2023
				159300.00	21.07.2023
			विधानसभा सत्र मार्च-अप्रैल 2020-21 विभागीय क्रियाकलापों का प्रशासकीय प्रतिवेदन मुद्रण	150295.00	10.02.2022

क्र.	भुगतान प्राप्तकर्ता संस्था का नाम	भुगतानकर्ता संस्था नाम	कार्य का विवरण	छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम को प्राप्त हुई राशि का विवरण	कब प्राप्त हुई माहवार विवरण
	छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर	लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर	विधानसभा सत्र मार्च-अप्रैल 2022-23 विभागीय क्रियाकलापो का प्रशासकीय प्रतिवेदन मुद्रण	116796.00	22.05.2023
			कक्षा-1 से 10वीं (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण	800000000.00	03.06.2019
				813171206.00	27.08.2021
				216127000.00	07.03.2022
				622746918.00	02.12.2022
				460538793.00	20.12.2022
				145871165.00	11.05.2023
				387583000.00	23.03.2024
5	छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर	छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर	पूरक परीक्षा वर्ष 2019 के हाई/हायर सेकेण्डरी हेतु उत्तरपुस्तिका मुद्रण	1718341.00	31.10.2019
			परीक्षा वर्ष 2021 की विभिन्न परीक्षाओं के लिये प्रपत्रों के मुद्रण	1903800.00	26.04.2021
			अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिका जमा करने/निकालने की पंजी प्रपत्र मुद्रण एवं परीक्षा केन्द्र पर उत्तरपुस्तिका पैकिंग का पंचनामा प्रपत्र मुद्रण	176000.00	22.07.2021
			20 पृष्ठीय उत्तरपुस्तिका मुद्रण	8855440.00	05.07.2022
				2039860.00	31.01.2023
			विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी उत्तरपुस्तिका वर्ष 2021 मुख्य एवं पूरक उत्तरपुस्तिका मुद्रण	7034000.00	14.07.2021
				17444320.00	27.08.2021
			क्लाथ लाईन लिफाफा मुद्रण	1374058.00	07.07.2022
				105732.00	
			विभिन्न परीक्षाओं के लिए केन्द्र प्रपत्र/निर्देश बुक मुद्रण	1903800.00	26.11.2021
			मण्डल कार्यालय मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 के विभिन्न प्रपत्र मुद्रण	1325405.00	16.11.2022
			मुख्य परीक्षा 2020 की परीक्षाओं हेतु उत्तरपुस्तिका बुकलेट मुद्रण	44574392.00	14.09.2020
			प्रायोगिक परीक्षा वर्ष 2020 के हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी हेतु उत्तरपुस्तिका मुद्रण	1778280.00	14.09.2020
सर्वे सामग्री छपाई	1020414.00	06.01.2020			

क्र.	भुगतान प्राप्तकर्ता संस्था का नाम	भुगतानकर्ता संस्था नाम	कार्य का विवरण	छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम को प्राप्त हुई राशि का विवरण	कब प्राप्त हुई माहवार विवरण
6	छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर	छ.ग. राज्य ओपन स्कूल, रायपुर	मुख्य परीक्षा मार्च-अप्रैल 2019 परीक्षा हेतु उत्तरपुस्तिका मुद्रण	294168.00	19.09.2019
			सत्र 2018-19 हेतु हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी पाठ्यक्रम मुद्रण	6012232.00	22.06.2019
				1586876.00	08.08.2019
			सत्र 2020-21 हेतु 20 पृष्ठीय मुख्य उत्तरपुस्तिका एवं 08 पृष्ठीय उत्तरपुस्तिका का मुद्रण	4028448.00	08.07.2021
			परीक्षा वर्ष 2021 की विभिन्न परीक्षाओं के लिये केन्द्र प्रपत्र/निर्देश बुक मुद्रण	1374058.00	04.08.2022
				146646.00	09.09.2022
			20 पृष्ठीय एवं 08 पृष्ठीय पूरक उत्तरपुस्तिका मुद्रण	3429308.00	06.06.2022
सत्र 2019-20 हेतु हाईस्कूल/हायरसेकेण्डरी पाठ्यक्रम अनुसार अध्ययन सामग्री मुद्रण	123859791.00	18.07.2020			
7	छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर	छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम्, रायपुर	उत्तरपुस्तिका एवं प्रपत्र मुद्रण	116966.00	05.08.2019
			वार्षिक परीक्षा 2020-21 के प्रश्न पत्रों, लिफाफा, उत्तरपुस्तिका का मुद्रण	120260.00	25.05.2021
			वार्षिक परीक्षा 2021-22 के प्रश्न पत्रों, लिफाफा, उत्तरपुस्तिका का मुद्रण	113756.00	15.11.2022
			प्रवेशिका प्रथमा रो प्रवेशिका पंचमी तथा प्रथमा प्रथम वर्ष से प्रथमा तृतीय वर्ष तक की पाठ्यपुस्तकें मुद्रण	2011251.00	28.03.2024
			संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण	1000000.00	21.12.2022
258162.00	31.03.2023				
8	छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर	राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, रायपुर	हमर लईका हमर स्कूल कार्यक्रम के ब्रोशर मुद्रण	18144.00	21.08.2019
			आंखर झांपी प्रवेशिका एवं अनुदेशक मार्गदर्शिका मुद्रण	20224908.00	04.11.2021
			शिक्षार्थी आकलन हेतु प्रश्न उत्तरपुस्तिका (QAB) मुद्रण	1613650.00	16.12.2021
				461380.00	06.07.2022
NLMA एवं TBC द्वारा क्रमशः छत्तीसगढ़ के महापुरुषों तथा विधिक साक्षरता पुस्तकों के मुद्रण	12994396.00	07.02.2022			

क्र.	भुगतान प्राप्तकर्ता संस्था का नाम	भुगतानकर्ता संस्था नाम	कार्य का विवरण	छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम को प्राप्त हुई राशि का विवरण	कब प्राप्त हुई माहवार विवरण
9	छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर	लोकसभा निर्वाचन-2019 के अंतर्गत मल्टीकलर डिजीटल वॉल पेपर/होर्डिंग	15677586.00	03.06.2019
			लोकसभा निर्वाचन-2019 में उपयोग होने वाले पोलिंग मटेरियल किट-लिफाफा का मुद्रण	28389848.00	03.06.2019
			लोकसभा निर्वाचन-2019 में उपयोग होने वाले डाक मतापत्रों से संबंधित लिफाफा का मुद्रण	4645204.00	03.06.20219
			लोकसभा निर्वाचन-2019 के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के पोस्टर मुद्रण	4642915.00	03.06.2019
			भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाये जा रहे Electors verification programme (EVP) के प्रचार-प्रसार हेतु Multicolour Digital Wall Paper/Hording के कार्य	6759842.00	14.11.2019
			मतदाता मार्गदर्शिका एवं अन्य प्रपत्रों का मुद्रण	10326291.00	17.03.2022
			विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 में उपयोग होने वाले Manual on EVM and VVPAT, December, 2022 (English edition-7) का मुद्रण	154430.00	08.08.2023
9	छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर	कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर जिला-बरतार	महापौर निधि/पार्षद निधि से शासकीय शालाओं में मैग्नेटिक ग्रीनबोर्ड प्रदाय संबंधी	5926484.00	07.11.2019
10	छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर	प्रबंध संचालक, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, रायपुर	नगर निगम क्षेत्र रायपुर अंतर्गत प्राथमिक शाला/पूर्व माध्यमिक शाला/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में मैग्नेटिक ग्रीनबोर्ड लगाये जाने संबंधी	16627776.00	11.11.2019
Total				7,43,77,97,937.00	


अनुभाग अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मन्त्रालय, रायपुर


 05.03.2024
महाप्रबंधक
 छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम
 नवा रायपुर

प्रपत्र-“ब”

तत्कालीन अपचारी अधिकारियों का नामवार, पदवार विवरण

- (1) श्री अशोक चतुर्वेदी, महाप्रबंधक
- (2) श्रीमती दीप्ति अग्रवाल, वरिष्ठ प्रबंधक वित्त
- (3) श्री सच्चिदानंद शास्त्री, प्रबंधक वितरण
- (4) श्री जे. शंकर, वरिष्ठ प्रबंधक प्रशासन
- (5) श्री संजय पिल्ले, उप प्रबंधक मुद्रण, छ.ग. पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर।

कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

h/sam
 छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम
 नवा रायपुर

09.03.2024
 महाप्रबंधक
 छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम
 नवा रायपुर

प्रपत्र

विषय :- जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के बजट में शामिल कार्य

क्र.	वित्तीय वर्ष	मांग संख्या	मद क्र.	कार्य का नाम	बजट प्रावधान की राशि (लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य की वर्तमान स्थिति	टीप
						राशि (लाख में)	दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सड़क कार्य (वर्ष 2024-25)									
1	2024-25	24/5054 (1222)	2587	विकासखंड खैरागढ़ के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खैरागढ़ पहुंच मार्ग लंबाई 2.00 किमी.	25.00	158.41	17.07.25	प्रगति पर	कार्य प्रगति पर
2	2024-25	24/5054 (1222)	2588	विकासखंड खैरागढ़ के करमतरा से घुमर्रा मार्ग लं. 4.00 किमी.	60.00	375.08	16.12.25	निविदा स्तर	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
3	2024-25	24/5054 (1222)	2589	विकासखंड खैरागढ़ के अतरिया मेन रोड से भोरभपुर मार्ग लं. 2.50 किमी.	25.00	-	-	प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित	राशि रु 351.71 लाख का प्राक्कलन दिनांक 20.05.2025 को शासन की ओर प्रेषित। स्वीकृति हेतु प्राक्कलन परीक्षण प्रचलन में।
4	2024-25	24/5054 (1222)	2590	विकासखंड खैरागढ़ के जंगलपुर से आमदानी पहुंच मार्ग लं. 5.00 किमी.	50.00	452.45	17.07.25	तकनीकी स्वीकृति स्तर पर	तकनीकी मूल्यांकन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
5	2024-25	24/5054 (1222)	2591	विकासखंड खैरागढ़ के नवागांव (कवर) से मण्डलाटोला पहुंच मार्ग लं. 4.00 किमी.	40.00	427.62	16.12.25	निविदा स्तर	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
6	2024-25	24/5054 (1222)	2593	चुगुर्दा से बांध नवागांव पहुंच मार्ग लं. 10.00 किमी.	100.00	-	-	प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित	राशि रु. 1518.47 लाख का प्राक्कलन दिनांक 05.07.2025 को शासन की ओर प्रेषित। स्वीकृति हेतु प्राक्कलन परीक्षण प्रचलन में।

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

क्र.	वित्तीय वर्ष	मांग संख्या	मद क्रं.	कार्य का नाम	बजट प्राक्धान की राशि (लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य की वर्तमान स्थिति	टीप
						राशि (लाख में)	दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2024-25	24/5054 (2457)	3367	विकासखंड छुईखदान के देवपुरा से मुरमुसी से बेन्दरी मार्ग पुल-पुलिया सहित निर्माण कार्य लं. 4.50 किमी.	90.00	-	-	प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित	राशि रु. 788.75 लाख का प्राक्कलन दिनांक 30.07.2025 को शासन की ओर प्रेषित। स्वीकृति हेतु प्राक्कलन परीक्षण प्रचलन में।
8	2024-25	24/5054 (2457)	3368	विकासखंड छुईखदान के गण्डई पण्डरिया व्हाया दौजरी मार्ग पुल-पुलिया सहित लं. 4.50 किमी.	70.00	477.10	10.02.26	तकनीकी स्वीकृति स्तर पर	तकनीकी स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
9	2024-25	24/5054 (2457)	3369	विकासखंड छुईखदान के काशीटोला से ढाप मार्ग लं 4.00 किमी.	60.00	-	-	प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित	राशि रु. 371.52 लाख का प्राक्कलन दिनांक 05.07.2025 को शासन की ओर प्रेषित। स्वीकृति हेतु प्राक्कलन परीक्षण प्रचलन में।
10	2024-25	24/5054 (2457)	3370	विकासखंड खैरागढ़ के टाऊन मार्ग का नाली सहित निर्माण कार्य लं. 4.205 किमी.	45.00	469.46	10.02.26	तकनीकी स्वीकृति स्तर पर	तकनीकी स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
11	2024-25	24/5054 (2457)	3371	विकासखंड खैरागढ़ के टिंगामाली से लक्षनाटोला मार्ग लं 3.00 किमी.	30.00	-	-	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं (मार्ग की संपूर्ण लंबाई बांध का डुबान क्षेत्र)
12	2024-25	24/5054 (2457)	3372	विकासखंड खैरागढ़ के कटेमा (आई.टी.बी.टी.) कैम्प से मुरकुट (आई.टी.बी.टी.) कैम्प महाराष्ट्र सीमा तक मार्ग लं 4.00 किमी.	40.00	186.70	11.12.24	प्रगति पर	कार्य प्रगति पर
13	2024-25	24/5054 (6485)	4327	जिला खैरागढ़ के अंतर्गत राज्यमार्ग पर जंक्शन सुधार का कार्य एवं आई.आर.सी. के प्रावधानुसार क्रैश बेरियर लगाने का कार्य	10.00	187.22	09.01.26	निविदा स्तर	निविदा दिनांक 20.03.2026 को खोली जाएगी।

अनुभाग अधिकारी
शहिक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

क्र.	वित्तीय वर्ष	मांग संख्या	मद क्र.	कार्य का नाम	बजट प्रावधान की राशि (लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य की वर्तमान स्थिति	टीप
						राशि (लाख में)	दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	2024-25	24/5054 (6485)	4344	जिला खैरागढ़ के विद्यमान सड़कों के रोड सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार सड़क सुधार एवं सुरक्षा उपाय कार्य	10.00	163.04	02.06.25	प्रगति पर	कार्य प्रगति पर
				योग - 14 कार्य	655.00	2897.08	-	03-प्रगति पर 03-निविदा स्तर 03-तकनीकी स्वीकृत स्तर पर 04-प्रशा.स्वी. अपेक्षित 01-आवश्यक नहीं	
भवन कार्य (वर्ष 2024-25)									
1	2024-25	67-4059 (3855)	197	खैरागढ़ में सर्फिट हाउस का निर्माण	40.00	304.27	08.09.25	निविदा स्तर	निविदा दिनांक 30.03.2026 को खोली जावेगी ।
2	2024-25	67-4059 (3855)	198	नवनिर्मित जिला खैरागढ़-गण्डई-छुईखदान में 02 नग एच-टार्इप, 02 नग एफ-टार्इप आवासीय भवन का निर्माण	10.00	-	-	प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित	राशि रु 68.65 लाख का प्राक्कलन दिनांक 13.06.2025 को शासन की ओर प्रेषित। स्वीकृति हेतु प्राक्कलन परीक्षण प्रचलन में।
3	2024-25	67-4059 (3855)	199	गण्डई के रेस्ट हाउस में 03 नग अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	10.00	-	-	प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित	राशि रु 130.68 लाख का प्राक्कलन दिनांक 04.12.2024 को शासन की ओर प्रेषित। स्वीकृति हेतु प्राक्कलन परीक्षण प्रचलन में।
4	2024-25	67-4059 (3855)	200	साल्हेवारा में विश्रामगृह का निर्माण	15.00	-	-	प्रचलन में	प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्राक्कलन परीक्षण प्रचलन में।
5	2024-25	67-4059 (3855)	201	छुईखदान के रेस्ट हाउस में 03 नग अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	10.00	-	-	प्राक्कलन स्तर पर	प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है ।



अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अहम नगर, रायपुर

क्र.	वित्तीय वर्ष	मांग संख्या	मद क्र.	कार्य का नाम	बजट प्रावधान की राशि (लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य की वर्तमान स्थिति	टीप
						राशि (लाख में)	दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	2024-25	67/4059 (8040)	478	उपजेल खैरागढ़ के मुख्य दीवार की ऊंचाई में वृद्धि का कार्य	18.83	-	-	प्राक्कलन स्तर पर	राशि रु 15.41 लाख का प्राक्कलन दिनांक 12.12.2025 के द्वारा प्रमुख महानिरीक्षक मुख्यालय जेल एवं सुधारालय सेवाएँ रायपुर को प्रेषित।
7	2024-25	67/4202 (8490)	661	जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई वि.खं. खैरागढ़ में शा.उ.मा.शाला चढ़ानी का भवन निर्माण	121.16	121.16	26.07.24	प्रगति पर	कार्य प्रगति पर
8	2024-25	67/4202 (5086)	811	शासकीय कन्या महाविद्यालय खैरागढ़ जिला खैरागढ़ छुईखदान गण्डई में भवन निर्माण	100.00	465.84	18.10.24	निविदा स्तर	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
				योग :- 08 कार्य	324.99	891.27		01-प्रगति पर 02-निविदा स्तर 02-प्रशा. स्वीकृति अपेक्षित 02-प्राक्कलन स्तर पर 01-प्रचलन में	
सेतु कार्य (वर्ष 2024-25)									
1	2024-25	24/5054 (7976)	2426	राजनांदगांव-कवर्धा मार्ग के किमी. 51/10 (राज्य मार्ग क्रं. 05) पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य।	50.00	346.77	29.09.25	निविदा स्तर	द्वितीय निविदा आमंत्रित Bid Opening की तिथि 06.03.2026 है।
2	2024-25	24/5054 (7976)	2427	राजनांदगांव-कवर्धा मार्ग के किमी. 55/10 (राज्य मार्ग क्रं. 05) में घिरघरी नाला पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य	35.00	434.85	29.09.25	निविदा स्तर	निविदा प्रक्रियाधीन

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

क्र.	वित्तीय वर्ष	मांग संख्या	मद क्र.	कार्य का नाम	बजट प्रावधान की राशि (लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य की वर्तमान स्थिति	टीप
						राशि (लाख में)	दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2024-25	64/5054 (4149)	8673	जिला राजनांदगांव के पिपलाकछार से पाण्डादाह मार्ग पर पुल निर्माण।	23.00	0.00	-	प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित	रु. 747.14 लाख का प्राक्कलन प्रशासकीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित। स्वीकृति हेतु प्राक्कलन परीक्षण प्रचलन में।
4	2024-25	64/5054 (4149)	8674	छत्तीसगढ़ राज्य को मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य से जोड़ने हेतु कटेमा-लिंडाझारी मार्ग पर बाघ नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।	50.00	264.24	11.12.24	प्रगति पर	कार्य माह 06/2026 तक पूर्ण होने की सम्भावित है।
5	2024-25	64/5054 (4149)	8675	नवागांव-बड़गांव मार्ग में बड़गांव नाला उच्चस्तरीय पुल निर्माण। योग : 05 कार्य	45.00	462.16	29.09.25	तकनीकी स्वीकृति स्तर पर	तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रचलन में
					203.00	1508.02		01-प्रगति पर 02-निविदा स्तर 01-तकनीकी स्वीकृत स्तर 01-प्रशा. स्वीकृति अपेक्षित	
सड़क कार्य (वर्ष 2025-26)									
1	2025-26	24/5054 (4336)	2526	जिला खैरागढ़ छुईखदान गण्डई के गण्डई, धमधा, खैरागढ़ शहरी क्षेत्र 4 लेन का निर्माण कार्य कुल लं. 6.00 किमी. खैरागढ़ शहरी भाग- 3.00 किमी गण्डई शहरी भाग- 3.00 किमी.	80.00	-	-	प्राक्कलन स्तर पर	प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
2	2025-26	24/5054 (4557)	2612	जिला खैरागढ़ छुईखदान के डोंगरगढ़ मार्ग में बी.टी. सिनिवल कार्य लं. 18.00 किमी.	108.00	-	-	प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित	राशि रु. 693.68 लाख का प्राक्कलन दिनांक 08.07.2025 को शासन की ओर प्रेषित। स्वीकृति हेतु प्राक्कलन परीक्षण प्रचलन में।



अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

क्र.	वित्तीय वर्ष	मांग संख्या	मद क्र.	कार्य का नाम	बजट प्रावधान की राशि (लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य की वर्तमान स्थिति	टीप
						राशि (लाख में)	दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2025-26	24/5054 (4557)	2613	जिला राजनांदगांव के खैरागढ़ लांजी मार्ग (एस.एच.-22) लं. 36.40 कि.मी. के किमी. 4 से 10 = 7.00 किमी. में मजबूतीकरण का कार्य	126.00	482.45	26.02.2026	तकनीकी स्वीकृति स्तर पर	तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
4	2025-26	24/5054 (4557)	2614	जिला राजनांदगांव के दाऊचौरा खैरागढ़ द्वारा मार्ग लं. 10.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	100.00	271.48	26.02.2026	तकनीकी स्वीकृति स्तर पर	तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
5	2025-26	24/5054 (4557)	4686	जिला खैरागढ़ छुईखदान गण्डई के विकासखंड छुईखदान के काशीटोला से दाप मार्ग लं. 4.00 किमी.	80.00	-	-	पुनर्वृत्ति	वर्ष 2024-25 के सरल कं. 09 में पुनर्वृत्ति।
6	2025-26	24/5054 (1222)	3068	जिला खैरागढ़ छुईखदान गण्डई के ग्राम बेलगांव से माहारा पहुंच मार्ग लं. 5.00 किमी.	100.00	-	-	प्राक्कलन स्तर पर	प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
7	2025-26	24/5054 (2457)	4125	जिला खैरागढ़ छुईखदान गण्डई के कामठा से हरदी पहुंच मार्ग लं. 3.00 किमी.	60.00	-	-	प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित	राशि रु. 363.07 लाख का प्राक्कलन दिनांक 15.09.2025 को शासन की ओर प्रेषित। स्वीकृति हेतु प्राक्कलन परीक्षण प्रचलन में।
8	2025-26	24/5054 (2457)	4126	जिला खैरागढ़ छुईखदान गण्डई के भीमपुरी से बोर्डई पहुंच मार्ग लं. 5.00 किमी.	100.00	-	-	प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित	राशि रु. 567.19 लाख का प्राक्कलन को शासन की ओर प्रेषित। स्वीकृति हेतु प्राक्कलन परीक्षण प्रचलन में।
9	2025-26	24/5054 (2457)	4127	जिला खैरागढ़ छुईखदान गण्डई के छुईखदान बकरकट्टा मार्ग लं. 8.00 किमी. का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य	200.00	-	-	प्राक्कलन स्तर पर	प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
10	2025-26	24/5054 (2457)	4128	जिला खैरागढ़ छुईखदान गण्डई के आश्रित ग्राम बांधटोला कोहका झोरी मार्ग लं. 3.00 किमी. का निर्माण कार्य	90.00	-	-	प्रचलन में	प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्राक्कलन परीक्षण प्रचलन में।

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

क्र.	वित्तीय वर्ष	मांग संख्या	मद क्रं.	कार्य का नाम	बजट प्रावधान की राशि (लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य की वर्तमान स्थिति	टीप
						राशि (लाख में)	दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2025-26	24/5054 (2457)	4129	जिला खैरागढ़ छुईखदान गण्डई के ग्राम घनेली से देवारीभाठ गाँवान होते हुए बड़ईटोला खैरागढ़ मार्ग लं. 9.00 किमी. चौडीकरण मजबूतीकरण उन्नयन कार्य	180.00	-	-	प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित	राशि रु. 1803.02 लाख का प्राकलन दिनांक 02.09.2025 को शासन की ओर प्रेषित। स्वीकृति हेतु प्राकलन परीक्षण प्रचलन में।
12	2025-26	24/5054 (2457)	4130	जिला खैरागढ़ छुईखदान गण्डई के घाघरा से कटेमा मार्ग लं. 9.50 किमी. का निर्माण कार्य पुल-पुलिया सहित	200.00	-	-	प्रचलन में	प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्राकलन परीक्षण प्रचलन में।
13	2025-26	24/5054 (2457)	4131	जिला खैरागढ़ छुईखदान गण्डई के ढारा-तोतलभरी-उदरीछापर-लछना-कटेमा लं. 9.00 किमी. का निर्माण कार्य पुल-पुलिया सहित	180.00	-	-	आवश्यक नहीं	(मार्ग की संपूर्ण लंबाई वन क्षेत्र के अंतर्गत)
14	2025-26	24/5054 (2457)	4132	जिला खैरागढ़ छुईखदान गण्डई के गाड़ाघाट से लछनाटोला मार्ग लं. 2.00 किमी.	180.00	-	-	प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित	राशि रु. 406.56 लाख का प्राकलन को शासन की ओर प्रेषित। स्वीकृति हेतु प्राकलन परीक्षण प्रचलन में।
				योग :- 14 कार्य	1784.00	753.93	-	02-तक स्वीकृति स्तर 05-प्रशा. स्वीकृति अपेक्षित 02-प्रचलन में 03-प्राकलन स्तर 01-आवश्यक नहीं 01-पुनरावृत्ति	

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

क्र.	वित्तीय वर्ष	मांग संख्या	मद क्र.	कार्य का नाम	बजट प्राक्धान की राशि (लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य की वर्तमान स्थिति		टीप
						राशि (लाख में)	दिनांक	राशि (लाख में)	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
भवन कार्य (वर्ष 2025-26)										
1	2025-26	67/4202 (5086)	1226	शासकीय कन्या महाविद्यालय खैरागढ़ में भवन निर्माण	200.00	-	-	पुनर्रवृत्ति	वर्ष 2024-25 के सं.क्र. 08 में पुनर्रवृत्ति	
2	2025-26	67/4216 (6645)	1441	नवीन जिला खैरागढ़-छुईखदान -गंडई में जी. ए.डी. क्वार्टर का निर्माण।	333.33	-	-	प्राक्कलन स्तर पर	प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।	
3	2025-26	67/4250 (8935)	1525	जिला खैरागढ़ छुईखदान गण्डई में स्थापित नवीन लाईवलीहुड संस्थान का भवन निर्माण	66.67	411.25	18.09.25	तकनीकी स्वीकृति स्तर पर	तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। (स्थल दिनांक 15.01.2026 को प्राप्त)	
4	2025-26	67-4059 (2450)	1023.28	जिला न्यायालय खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिलों के बाह्य न्यायालयों में पुरुष एवं महिलाओं एवं दिव्यांगजनों हेतु शौचालय निर्माण कार्य।	0.00	23.69	20.06.25	प्रगति पर	कार्य प्रगति पर	
5	2025-26	67-4059 (2450)	1023.68	ब्यवहार न्यायालय भवन खैरागढ़ जिला राजनांदगांव के प्रथम तल में अतिरिक्त न्यायालय कक्ष एवं अन्य अनुभाग हेतु कक्ष निर्माण कार्य।	0.00	106.79	01.07.25	प्रगति पर	कार्य प्रगति पर	
6	2025-26	67-4059 (4606)	387	जिला खैरागढ़ छुईखदान गण्डई के मॉडल उप पंजीयक कार्यालय छुईखदान का भवन निर्माण	80.00	-	-	प्राक्कलन स्तर पर	प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।	
योग :- 06 कार्य					680.00	541.73		02-प्रगति पर 01-तकनीकी स्वी. स्तर पर 02-प्राक्कलन स्तर पर 01-पुनर्रवृत्ति		

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

क्र.	वित्तीय वर्ष	मांग संख्या	मद क्र.	कार्य का नाम	बजट प्रावधान की राशि (लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य की वर्तमान स्थिति	टीप
						राशि (लाख में)	दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सेतु कार्य (वर्ष 2025-26)									
1	2025-26	24/5054 (4151)	2193	जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के बघमर्रा से करमतरा मार्ग में उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य (कार्य वर्ष 2025-26)	68.00	0.00	-	सर्वेस्तर पर	सर्वे एवं बोरिंग कार्य पूर्ण। प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
2	2025-26	24/5054 (4151)	2194	जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के धनगांव-गोदडी मार्ग पर आमनेर नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य	111.51	0.00	-	प्रचलन में	प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्राक्कलन परीक्षण प्रचलन में।
3	2025-26	24/5054 (4151)	2195	जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के खैरागढ़-अकरजन मार्ग (मु.जि.मा) मोती नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण	94.35	686.56	12.12.25	निविदा स्तर	निविदा प्रक्रियाधीन
4	2025-26	24/5054 (4151)	2196	जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के मानपुर पहाड़ी से मोहगांव (बालाघाट) राज्य मार्ग क्र. 21) में जंगलपुर नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण (कार्य वर्ष 2025-26)	84.00	0.00	-	सर्वेस्तर पर	सर्वे कार्य पूर्ण। बोरिंग कार्य किया जाना है।
5	2025-26	24/5054 (4151)	2197	जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के दुर्ग-जालबांधा मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 22) के किमी. 36/8 पर स्थित कुलही नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण	82.31	0.00	-	प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित	रु. 881.57 लाख प्राक्कलन प्रशासकीय स्वीकृति हेतु छ.ग. शासन को प्रेषित। स्वीकृति हेतु प्राक्कलन परीक्षण प्रचलन में।
6	2025-26	24/5054 (4151)	2199	जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के के गण्डई से कृतबांस मार्ग में स्थित सुरदी पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंचमार्ग निर्माण कार्य	54.60	342.83	16.12.25	निविदा स्तर	निविदा प्रक्रियाधीन

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

क्र.	वित्तीय वर्ष	मांग संख्या	मद क्र.	कार्य का नाम	बजट प्राक्धान की राशि (लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य की वर्तमान स्थिति	टीप
						राशि (लाख में)	दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2025-26	24/5054 (4151)	2200	जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के गण्डई-लिमो- दुल्लापुर मार्ग में स्थित करी नाला पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंचमार्ग निर्माण कार्य	50.40	382.05	16.12.25	निविदा स्तर	निविदा प्रक्रियाधीन
				योग : 07 कार्य	545.17	1411.44		03-निविदा स्तर 01-प्रशा.स्वीकृति अपेक्षित 01-प्रचलन में 02-सर्वे स्तर पर	



अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रावपुर



मुख्य अभियंता
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि., नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र-अ

जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई अंतर्गत राजकीय मार्ग क्र. 05 के 46/6 से 62 किलोमीटर जर्जर सड़क की मरम्मत।

क्र.	मार्ग का नाम	स्वीकृति राशि (लाख में)	स्वीकृति दिनांक	उकेदार का नाम	कार्यदिश दिनांक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्णता तिथि	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(वर्ष 2022 से 2025 के मध्य किया गया कार्य) उन्वयन एवं डामरीकरण								
1	जिला राजनांदगांव के राजनांदगांव कवर्धा पोण्डी मार्ग में उन्वयन एवं डामरीकरण कार्य (राज्य मार्ग क्र. -05) कि.मी. 46/6 से 62 =16.60 कि.मी.	639.10	22.12.2020	मै0 संजय सिंधी राजनांदगांव	07.08.2021	15.10.2021	03.02.2024	कार्य पूर्ण
मजबूतीकरण / नवीनीकरण / वार्षिक संधारण मद								
2	-----निरंक-----							



मुख्य अभियंता (प्रशा.)
कार्या. प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
भैरालास्य, अटल नगर, रायपुर

प्रपत्र-ब

जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई अंतर्गत राजकीय मार्ग क्र. 05 के 46/6 से 62 किलोमीटर जर्जर सड़क की मरम्मत।

क्र.	वर्ष	मार्ग का नाम	ठेकेदार का नाम	स्वीकृति राशि (लाख में)	कार्यादेश दिनांक	व्यय राशि (लाख में)	पी.जी. की अवधि	पी.जी. अवधि में कब कब कराये गये कार्य का विवरण		ठेकेदार के विरुद्ध मरम्मत कार्य न करने पर की गई कार्यवाही
								दिनांक	कि.मी.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2020-21	जिला राजनांदगांव के राजनांदगांव कवर्धा पोण्डी मार्ग में उन्नयन एवं डामरीकरण कार्य (राज्य मार्ग क्र.-05) कि.मी. 46/6 से 62 = 16.60 कि.मी.	मै० संजय सिंघी राजनांदगांव	639.10	07.08.2021	439.75	02.02.2029 तक	08.12.2025	46/6, 47/2-4,8-10 48/2, 49/8-10, 50/2, 51/4, 53/6-8 54/4,8,10, 55/10, 56/10,	ठेकेदार की एक श्रेणी पदावनत कम करने की कार्यवाही प्रस्तावित है।
								10.02.2026	57/2,8, 58/2,6,8,10, 61/2,10 62/2,8,10	
								11.02.2026		
								12.02.2026		




मुख्य अभियंता (प्रशा.)
कार्या. प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

परिशेष - पचास

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 74 (क्र. 2776) की जानकारी

प्रपत्र

विषय :- जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कामानार से दरभा तक सड़क निर्माण

क्र.	कार्य का नाम	लंबाई	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (करोड़ में) / दिनांक	संभावित व्यय (करोड़ में)	स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाने का कारण	निर्माण हेतु विभाग द्वारा किये गये प्रयास	सड़क निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कर लिया जावेगा?
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 के कि.मी. 25.530 से 31.540 जगदलपुर - सुकमा-कोन्टा मार्ग पर स्थित कागेर वैली राष्ट्रीय उद्यान के भाग में दो लेन सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य।	3	36.26 27.03.2025	5	6	7	8
2	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 के कि.मी. 14.200 से 25.530 एवं कि.मी. 31.540 से कि.मी. 55.700 के मध्य सड़क नवीनीकरण कार्य। (बैलेस वर्क) (जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के कि.मी. 22.00 से 47.00 = लम्बाई 25.00 कि.मी.)	35.49 कि.मी	15.95 30-06-2021 पुरोक्षित स्वीकृति 16.05 20.02.2024	15.95	धीमी गति के कारण दिनांक 11.11.2024 को अनुबंध निरस्त किया गया। शेष कार्य निविदा स्तर पर होने के कारण।	प्रथम निविदा में एकल निविदा पाये जाने के कारण द्वितीय निविदा आमंत्रित। निविदा आमंत्रण की तिथि 25.02.2026 निविदा खोलने की तिथि 01.04.2026	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं
3	जगदलपुर-सुकमा-कोन्टा मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के कि.मी. 14.200 से 51.00 एवं कि.मी. 55.700 से 57.00 में शाट मेटेनेस कॉन्ट्रैक्ट (एस.टी. एम.सी.) कार्य। (जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के कि.मी. 22.00 से 47.00 = लम्बाई 25.00 कि.मी.)	38.09 कि.मी.	4.02 29.07.2025	2.00	-	शेष कार्य हेतु तृतीय निविदा आमंत्रण में प्राप्त न्यूनतम निविदाकार के निविदा स्वीकृति हेतु दिनांक 26.09.2025 को भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं



अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

मुख्य अभियंता
कार्या. प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि. नवा रायपुर
अटल नगर (छ.ग.)

पारिशेष - इन्क्यावन

पारिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 75 (क्र. 2784) की जानकारी

"प्रपत्र अ"

जिला गौरैला-पेंडा-मरवाही स्थित खेलकूद स्टेडियम एवं आबंटित खेल सामग्री।

वर्ष 2020-21 से फरवरी, 2026 तक जिले को खेल के लिए प्रदान की गई राशि की वर्षवार जानकारी -

क्र.	योजना का नाम	योजना क्रमांक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	1079	500000	0	217500	500000	120000	150000
2	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	1190	500000	0	540000	540000	540000	540000
3	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	3459	0	150000	350000	400000	225000	255000
4	छत्तीसगढ़िया ओलंपिक	6646	0	0	4772000	5184000	0	0
5	खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	5223	100000	25000	25000	25000	25000	50000
6	छत्तीसगढ़ क्रीडा प्रोत्साहन योजना	7066	0	0	0	0	2175000	0
7	खेल अकादमी	7296	100000	8000	28800	0	0	0
	योग		1200000	183000	5933300	6649000	3085000	995000



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
राज्य खेलकूद संस्थान, अटल नगर

"प्रपत्र ब"

जिला गौरेला-पेंडा-मरवाही स्थित खेलकूद स्टेडियम एवं आबंटित खेल सामग्री।

जिला गौरेला-पेंडा-मरवाही अंतर्गत संस्थाओं को खेल सामग्री प्रदाय संबंधी जानकारी -

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	संस्था
1	2020-21	निरंक	निरंक
2	2021-22	निरंक	निरंक
3	2022-23	ग्रामीण खेल अभ्यास केंद्र योजना	फिजिकल कॉलेज पेंडा शा.उ.मा.वि. सरकारी पारा पेंडा शा.उ.मा.वि. कोटमी कला शा.उ.मा.वि. अड़ी शा.उ.मा.वि. पारसी शा.उ.मा.वि. निमधा शा.उ.मा.वि. लालपुर शा.उ.मा.वि. खोडरी शा.उ.मा.वि. मिश्रीदेवी
4	2023-24	ग्रामीण खेल अभ्यास केंद्र योजना	फिजिकल कॉलेज पेंडा शा.उ.मा.वि. सरकारी पारा पेंडा शा.उ.मा.वि. कोटमी कला शा.उ.मा.वि. अड़ी शा.उ.मा.वि. पारसी शा.उ.मा.वि. निमधा शा.उ.मा.वि. लालपुर शा.उ.मा.वि. खोडरी शा.उ.मा.वि. मिश्रीदेवी
5	2024-25	ग्रामीण खेल अभ्यास केंद्र योजना	जिला मुख्यालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग में कबड्डी मैट



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
भंडालय, नवा रायपुर, अटल नगर

6	2025-26	ग्रामीण खेल अभ्यास केंद्र योजना सत्र 2025-26 में खेल सामग्री प्रदान करना प्रस्तावित है।	फिजिकल कॉलेज पेंड्रा शा.उ.मा.वि. सरकारी पारा पेंड्रा शा.उ.मा.वि. कोटमी कला शा.उ.मा.वि. अड़ी शा.उ.मा.वि. पारसी शा.उ.मा.वि. निमधा शा.उ.मा.वि. लालपुर शा.उ.मा.वि. खोडरी शा.उ.मा.वि. मिश्रीदेवी
---	---------	---	---



जन्म सचिव
 पत्नीसद शासन
 शा.उ.मा.वि. युवा कल्याण विभाग
 नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-अ

जिला रायगढ़ में जल जीवन मिशन अंतर्गत किये गये कार्यों की अद्यतन स्थिति की विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विकास खंड	स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्य की संख्या	अपूर्ण कार्य की संख्या	अपूर्णता का कारण
1	2	3	4	5	6
1	रायगढ़	154	115	39	1. कोविड-19 महामारी के कारण निविदा, प्रक्रियाओं में विलंब,
2	पुसौर	171	91	80	2. मानव संसाधन की कमी होना,
3	खरसिया	156	100	56	3. सामग्री की सुगम उपलब्धता नहीं होना,
4	घरघोड़ा	153	94	59	4. ग्राम पंचायतों द्वारा टंकी निर्माण हेतु स्थल, उपलब्ध कराने में विलंब,
5	तमनार	135	50	85	5. समय-समय पर आबंटन की अनुपलब्धता,
6	लैलूंगा	280	71	209	6. योजना में ख्रोत असफल होना,
7	धर्मजयगढ़	299	119	180	7. समूह जल प्रदाय योजना की स्वीकृति एवं कायदेशि में विलंब होने के कारण इन-विलेज, ग्रामों में जल प्रदाय हेतु ख्रोत की कमी होना।
	योग :-	1348	640	708	-

Delaware
अनुभाग अधिकारी
लोक स्वास्थ्य एग्रीकल्चर विभाग
महालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर

जिला रायगढ़ में जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों में प्राप्त शिकायत का विवरण

क्रमांक	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2	3
1	शिकायतकर्ता श्री अशोक कुमार सा ग्राम पंचायत झगरपुर विकासखण्ड लैलूंगा जिला रायगढ़ द्वारा ग्राम झगरपुर में नलजल प्रदाय योजना के तहत अधूरा कार्य पूर्ण करवाने एवं बोतल्वा कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकदार एवं सरपंच/सचिव संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में शिकायत।	प्राप्त शिकायत के संबंध में कार्यवाही करते हुए दिनांक 03.02.2026 को योजना के समस्त कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ग्राम के प्रत्येक घरों में घरेलु नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया है।
2	शिकायतकर्ता श्रीमती दुहनी बाई बैगा, सदस्य जनपद पंचायत धरमजयगढ़ द्वारा तहसील धरमजयगढ़ के ग्राम पंचायत क्रिन्धा में नवनिर्मित नलजल टंकी अत्यंत जर्जर एवं हादसा होने गिर जाने के संबंध में शिकायत।	विभाग द्वारा ग्राम पंचायत क्रिन्धा में नवनिर्मित नलजल टंकी में आवश्यकतानुसार सुधार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
3	सरपंच ग्राम पंचायत कछार द्वारा सभी घरों में कनेक्शन पूर्ण होने उपरान्त पानी नहीं आने एवं सी0सी0 ढलाई कार्य अपूर्ण करने के संबंध में शिकायत।	टेस्टिंग कार्य प्रगतिरत होने के कारण सभी घरों में पानी नहीं आ रहा था। वर्तमान में टेस्टिंग कार्य पूर्ण कर ग्रामवासियों को घरेलु नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया है एवं योजना ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी गई है।

क्रमांक	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	शिकायत पर की गई कार्यवाही
4	शिकायतकर्ता सरपंच ग्राम पंचायत रेगड़ा द्वारा ग्राम में पाइप लाईन डालते समय अस्त-व्यस्थ कर दिया गया है, तोड़े गये कांक्रीट को यथावत् ढलाई करने के संबंध में शिकायत।	प्राप्त शिकायत के संबंध में विभाग द्वारा ग्राम पंचायत रेगड़ा द्वारा ग्राम में पाइप लाईन, तोड़े गये कांक्रीट को यथावत् ढलाई कर दिया गया है।
5	शिकायतकर्ता सरपंच ग्राम पंचायत बड़े भण्डार में नलजल योजना के तहत पाइप लाइन विस्तार के दौरान बस्ती तक खुदाई किये गये सड़को को मरम्मत करने के संबंध में शिकायत।	प्राप्त शिकायत के संबंध में विभाग द्वारा ग्राम पंचायत बड़े भण्डार में नलजल योजनाके तहत पाइप लाइन विस्तार के दौरान खोदी गई सड़को की मरम्मत कर उन्हें पूर्ववत् दुरस्तकराकर ग्रामीणों के आवागमन योग्य बना दिया गया है।

for hours.
अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य प्राधिकारी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

पारोक्ष - तिरपन

पारिवारिक अतारोकेत प्रश्न संख्या 78 (क्र. 2791) की जानकारी

प्रपत्र अ

वर्ष 2025-26 (27.02.2025 तक) में अहाता हेतु प्राप्त निविदा एवं अयोग्य घोषित निविदा की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला का नाम	प्राप्त निविदाओं की संख्या	तकनीकी रूप से अयोग्य निविदा की संख्या
1	2	4	5
1	रायपुर	66	5
2	बलौदाबाजार	29	0
3	गरियाबंद	3	0
4	महासमुंद	47	0
5	धमतरी	49	2
6	दुर्ग	141	1
7	बालोद	94	0
8	बेमेतरा	28	0
9	राजनांदगांव	14	0
10	कबीरधाम	22	0
11	जगदलपुर	1	0
12	नारायणपुर	0	0
13	कोण्डागांव	5	0
14	उ.ब. कांकेर	7	0
15	द.ब. दंतेवाड़ा	1	0
16	बीजापुर	0	0
17	सुकमा	0	0
18	बिलासपुर	82	0
19	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	1	0
20	मुंगेली	21	0
21	जांजगीर-चांपा	91	0
22	कोरबा	67	0
23	रायगढ़	39	1
24	जशपुर	8	0
25	सरगुजा	5	0
26	बलरामपुर	6	3
27	सूरजपुर	3	0
28	कोरिया	2	0
29	मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी	3	0
30	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	10	0
31	सक्ती	43	1
32	सारंगढ़-बिलाईगढ़	46	0
33	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	3	0
योग:-		937	13

वर्ष 2025-26 (27.02.2025 तक) में अहाता हेतु टेण्डर प्रक्रिया के विरूद्ध प्राप्त शिकायत एवं की गई कार्यवाही की जानकारी:-

क्र.	जिला का नाम	शिकायतकर्ता का नाम	प्राप्त शिकायतों का विवरण	शिकायतों पर जांच का विवरण एवं वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1	दुर्ग	श्री सौरभ कुमार चौहान, ग्राम मुडीपार पोस्ट खैरागढ़, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई	आनलाईन टेंडर प्रक्रिया में तकनीकी गड़बड़ी के कारण टेंडर भरने से वंचित होने की शिकायत।	ऑनलाईन सर्वर में तकनीकी खराबी संबंधी जानकारी से आवेदक को अवगत कराया गया, जिससे संतुष्ट होने पर की गई शिकायत में कोई भी कार्यवाही नहीं चाहने हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2	बेमेतरा	रोहित भारती	आन लाईन अहाता टेंडर छत्तीसगढ़ एक्सईएस वेब साईट में चालू हुआ किन्तु बेमेतरा जिले में टेंडर खुलते ही थानखहरिया अहाता गायब हो गया।	उक्त शिकायत की जांच कराये जाने पर निविदा प्रक्रिया पूर्णतः ऑन लाईन प्रक्रिया होना एवं जो पहले आओ पहले पाओ पद्धति अनुसार संचालित हुई है। प्रथम सफल निविदादाता के निविदा दर्ज करते ही उक्त अहाता का नाम वेबसाईट से स्वतः हट जाता है। अतः उक्त शिकायत निराधार पाई गई है।
3	जांजगीर-चांपा	श्री टीकाराम गुप्ता	विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2025 को अहाता टेण्डर में हुई गड़बड़ी शिकायत पर कार्यवाही बावत्।	वित्तीय वर्ष 2025-26 की अहाता प्रक्रिया में श्री टीकाराम गुप्ता कदम चौक चांपा जिला- जांजगीर-चांपा की शिकायत प्राप्त हुई जिसके अनुसार श्री टीकाराम गुप्ता को आबंटित देशी/विदेशी मदिरा दुकान चांपा के अहाता अनुज्ञप्ति में अहाता परिसर के मकान मालिक के द्वारा अवैध रूप से 1 लाख रू. प्रतिमाह मांगने की शिकायत पर की जांच किया गया तथा पुष्टि होना नहीं पाया गया। श्री टीकाराम गुप्ता को आबंटित अहाता अनुज्ञा निरस्त करने के संबंध सहायक आयुक्त आबकारी जिला- जांजगीर-चांपा द्वारा उन्हें दोनों अहातों हेतु निर्धारित सुरक्षा निधि को जमा किये जाने हेतु पत्राचार किया गया तत्पश्चात् दिनांक 13.06.2025 को अंतिम सूचना पत्र जारी करने पर भी सुरक्षा निधि जमा नहीं किये जाने पर दिनांक 16.06.2025 को अनुज्ञप्ति निरस्त कर व्यतिक्रमी सूची पर दर्ज कर दिया गया। तत्पश्चात् संक्षिप्त विज्ञप्ति दिनांक 23.06.2025 के अनुपालन में उपरोक्त दोनों अहातों को पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत ऑनलाईन पोर्टल पर प्रदर्शित कर दिया गया। चूंकि प्रथम निविदा प्राप्त होते ही निविदा प्रक्रिया स्वतः अवरूद्ध हो जाती है एवं उक्त दोनों अहातों का पहले आओ, पहले पाओ के अंतर्गत निर्वतन हो चुका था, इस कारण उक्त दोनों अहातों का ऑनलाईन प्रदर्शन बंद हो गया था। अतः उक्त प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
परिशिष्ट - चौवन

अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 1020) की जानकारी

प्रपत्र अ

अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय से संबंधित प्रकरण तथा गिरफ्तारियाँ और प्रकरणों में दोषसिद्धि/सजा की जानकारी						
अवैध शराब के निर्माण के दर्ज प्रकरण एवं की गई कार्यवाही की जानकारी:-						
क्रं	वर्ष	अवैध शराब निर्माण के दर्ज प्रकरण की संख्या	गिरफ्तार आरोपियों की संख्या	जप्त मदिरा की मात्रा (ली.में)	जप्त वाहनों की संख्या	दोष सिद्ध/सजा हुई प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	2022-23	615	414	8527.715	0	न्यायालय में लंबित
2	2023-24	476	241	12412.91	0	
3	2024-25	406	192	6551.095	0	
4	2025-26 (27.02.2026 तक)	379	211	14161.72	0	

अवैध शराब के परिवहन के दर्ज प्रकरण एवं की गई कार्यवाही की जानकारी:-

क्रं	वर्ष	अवैध शराब परिवहन के दर्ज प्रकरण की संख्या	गिरफ्तार आरोपियों की संख्या	जप्त मदिरा की मात्रा (ली.में)	जप्त वाहनों की संख्या	दोष सिद्ध/सजा हुई प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	2022-23	9	10	71.4	9	न्यायालय में लंबित
2	2023-24	5	6	158.43	5	
3	2024-25	6	6	9027.8	6	
4	2025-26 (27.02.2026 तक)	3	3	31.64	3	

अवैध शराब के विक्रय के दर्ज प्रकरण एवं की गई कार्यवाही की जानकारी:-

क्रं	वर्ष	अवैध शराब विक्रय के दर्ज प्रकरण की संख्या	गिरफ्तार आरोपियों की संख्या	जप्त मदिरा की मात्रा (ली.में)	जप्त वाहनों की संख्या	दोष सिद्ध/सजा हुई प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	2022-23	13	13	49.59	0	न्यायालय में लंबित
2	2023-24	25	25	78.36	0	
3	2024-25	14	14	24.96	0	
4	2025-26 (27.02.2026 तक)	12	12	36.42	0	

जिला बिलासपुर से आबकारी विभाग को प्राप्त राजस्व की वर्षवार जानकारी
(राशि करोड़ में)

क्रं	वर्ष	प्राप्त राजस्व
1	2	3
1	2022-23	577.07
2	2023-24	678.46
3	2024-25	729.39
4	2025-26 (27.02.2026 तक)	865.35

क्र.	वित्तीय वर्ष	सद का नाम	निकाय का नाम	स्वीकृत एस्टीमी की संख्या	निविदा जारी दिनांक	निविदा आमंत्रण संख्या	निविदा में भाग लेने वाली एजेंसियों की संख्या	अनुबंधित एजेंसी का नाम	कार्यदेश की तिथि	कार्य की अवधि	अनुबंध के नियम एवं शर्तें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			न.नि. मिलाई	1	3/4/2025	3	3	मेसर्स एचएनबी इंजीनियर्स प्रा.लि., पुणे	10/07/2025	27 माह	
2			न.नि. राजनांदगांव	2	12/2/2024	1	6	मेसर्स इन्चार्जो इन्फ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, दिल्ली	31/07/2025	27 माह	
3	2024-25	मिशन अमृत 2.0	न.नि. कोरबा	1	11/26/2024	1	5	मेसर्स इन्चार्जो इन्फ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, दिल्ली	05/08/2025	27 माह	एस्टीमी निर्माण तथा 15 वर्षों के संचालन एवं संधारण की शर्तें पर दिया गया।
4			न.नि. दुर्ग	2	7/7/2025	4	5	मेसर्स इको प्रोटेक्शन इंजीनियर प्राइवेट लि. चेन्नई	04/12/2025	27 माह	
5			न.नि. अंबिकापुर	3	11/29/2024	1	5	मेसर्स इन्चार्जो इन्फ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, दिल्ली	23/07/2025	27 माह	
			योग (मिशन अमृत 2.0)								
1			न.पं. पथरिया	2	2/27/2025	2	4	मेसर्स एविजयॉम इंडिया, बिलासपुर	07/10/2025	15 माह	
2			न.पं. सरगांव	2	2/27/2025	2	4	मेसर्स एविजयॉम इंडिया, बिलासपुर	07/10/2025	15 माह	
3			न.पं. पुसौर	4	10/17/2025	3	1	मेसर्स कादम्बरी टयूरवेलस, बिलासपुर	30/01/2026	15 माह	
4	2024-25	स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0	न.पा.परि. मनेन्द्रगढ़	2	5/26/2025	2	3	मेसर्स मेको टेक्नोलॉजिज प्रा. लि.	30/01/2026	15 माह	कार्यों हेतु आमंत्रित निविदा में उल्लेखित नियम एवं शर्तों के अनुरूप एस्टीमी निर्माण (इन्टरसेक्शन एवं डायवर्सन ड्रेन सहित) तथा 05 वर्षों के संचालन एवं संधारण हेतु कार्यदिशा जारी किया गया।
5			न.पं. मईलेदरी	2	2/25/2025	2	3	मेसर्स अविनाश बिल्डकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	07/10/2025	15 माह	
6			न.पं. वाइफकनगर	2	5/26/2025	3	5	मेसर्स अविनाश बिल्डकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	03/11/2025	15 माह	
7			न.पं. पाली	1	3/28/2025	2	2	मेसर्स अविनाश बिल्डकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	15/10/2025	15 माह	
8			न.पं. सरिया	2	12/23/2025	6	1	--	-	-	
9			न.पा.परि. बैकुण्ठपुर	1	5/26/2025	4	3	--	-	-	
10			न.पा.परि. शिवपुरचरचा	1	5/26/2025	3	2	--	-	-	
11			न.पा.परि. जशपुरनगर	1	12/16/2025	3	2	--	-	-	

क्र.	वित्तीय वर्ष	भद का नाम	निकाय का नाम	स्वीकृत एसटीपी की संख्या	निविदा जारी दिनांक	निविदा आमंत्रण संख्या	निविदा में भाग लेने वाली एजेंसियों की संख्या	अनुबंधित एजेंसी का नाम	कार्यदिश की तिथि	कार्य की अवधि	अनुबंध के नियम एवं शर्तें		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
12	2024-25	स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0	न.पं. खोंगापानी	2	9/1/2025	3	1	-	-	-	-		
13			न.पं. सीतापुर	1	12/24/2025	4	1	-	-	-	-	-	
14			न.पं. जखी	2	12/12/2025	4	4	1	-	-	-	-	
15			न.पा.परि. सूरजपुर	6	6/28/2025	4	4	4	-	-	-	-	
16			न.पा.परि. सारंगढ़	1	6/9/2025	2	2	2	-	-	-	-	
17			न.पा.परि. खरसिया	1	9/13/2025	2	2	1	-	-	-	-	
18			न.पा.परि. बलरामपुर	2	5/26/2025	3	3	2	-	-	-	-	
19			न.पा.परि. रामानुजगंज	1	10/31/2025	4	4	2	-	-	-	-	
20			न.पं. झगरखंड	2	6/13/2025	3	3	2	-	-	-	-	
योग (स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0)			38										
योग (2024-25)			47										
1			2025-26	स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0	न.पा.परि. महासमुंद	3	8/20/2025	1	3	मेसर्स एंड्रॉइड एसोसिएट्स प्रा.लि.	19/01/2026	15 माह	कार्यों हेतु आमंत्रित निविदा में उल्लेखित नियम एवं शर्तों के अनुरूप एसटीपी निर्माण (इंटरसेप्शन एवं डायवर्सन ड्रेन सहित) तथा 05 वर्षों के संभालन एवं संचारण हेतु कार्यदिश जारी किया गया।
2					न.पा.परि. तिल्दानेववा	2	8/14/2025	1	4	मेसर्स जयश्री बालाजी कंसल्टेशन कंपनी	02/02/2026	15 माह	
3			2025-26	स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0	न.पं. प्रेमनगर	1	9/4/2025	2	2	-	-	-	-
4	न.पं. मटगांव (सूरजपुर)	1			9/13/2025	2	2	2	-	-	-	-	
5	न.पं. कोतवा	1			9/22/2025	2	2	1	-	-	-	-	
6	न.पा.परि. पथलगांव	2			10/1/2025	2	2	3	-	-	-	-	
7	न.पं. किंगेश्वर	1			3/3/2026	5	5	-	-	-	-	-	
8	न.पं. मखारण	1			10/1/2025	2	2	2	-	-	-	-	
9	न.पा.परि. गरियाबांद	2			12/16/2025	2	2	-	-	-	-	-	
10	न.पं. छुरा	1			2/4/2026	7	7	1	-	-	-	-	
11	न.पा.परि. कुरुव	1			1/1/2026	4	4	-	-	-	-	-	
12	न.पं. मगरलोड	2			2/19/2026	3	3	-	-	-	-	-	
13	न.पं. कुरां	2			12/18/2025	5	5	-	-	-	-	-	

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	निकाय का नाम	स्वीकृत एस्टीमेट की संख्या	निविदा जारी दिनांक	निविदा आमंत्रण संख्या	निविदा में भाग लेने वाली एजेंसियों की संख्या	अनुबंधित एजेंसी का नाम	कार्यदेश की तिथि	कार्य की अवधि	अनुबंध के नियम एवं शर्तें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14			न.पं. आमदी	1	9/11/2025	2	2	-	-	-	-
15			न.पं. दुण्डरा	1	2/18/2026	3	-	-	-	-	-
16			न.पं. लक्ष्म	1	2/2/2026	5	-	-	-	-	-
17			न.पं. कस्तुरी	1	10/1/2025	2	1	-	-	-	-
18			न.पं. खरोडा	1	2/24/2026	6	-	-	-	-	-
19			न.पं. मटगांव (सारंगढ़-बिलाईगढ़)	1	1/6/2026	3	1	-	-	-	-
20	2025-26	स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0	न.पं. तुमगांव	1	2/20/2026	5	-	-	-	-	-
21			न.पं. अड़भार	2	1/29/2026	5	1	-	-	-	-
22			न.पं. बरमकेला	1	10/6/2025	2	1	-	-	-	-
23			न.पा.परि. बोदरी	2	11/11/2025	2	3	-	-	-	-
24			न.पं. उभरा	1	1/29/2026	4	1	-	-	-	-
25			न.पं. नवामढ़ (जांजीर-चांपा)	1	1/2/2026	5	1	-	-	-	-
26			न.पा.परि. जांजीरनैला	3	8/13/2025	1	5	-	-	-	-
27			न.पं. बलौदा	1	8/13/2025	1	3	-	-	-	-
28			न.पं. मल्हार	1	2/5/2026	3	1	-	-	-	-
29			न.पं. प्रतापपुर	1	1/30/2026	4	1	-	-	-	-
30			न.पं. पिथौरा	2	12/16/2025	2	1	-	-	-	-
31			न.पं. वराना	2	10/24/2025	1	2	-	-	-	-
32			न.पं. मानकैम	1	2/24/2026	4	-	-	-	-	-
33			न.पं. चंदखुरी	2	2/12/2026	4	1	-	-	-	-
34			न.पं. पालारी (बलौदावाजार)	2	2/6/2026	4	-	-	-	-	-
35			न.पा.परि. तखतपुर	1	2/7/2026	5	1	-	-	-	-
36			न.पं. किरोड़ीमलनगर	2	11/27/2025	2	2	-	-	-	-
37			न.पं. सारागांव	1	2/13/2026	4	-	-	-	-	-
38			न.पा.परि. कक्छा	1	2/19/2026	4	-	-	-	-	-
39			न.पं. धेरला	1	2/28/2026	3	-	-	-	-	-
40			न.पं. छुरीकला	1	1/16/2026	2	1	-	-	-	-
41			न.पं. खरोद	2	1/2/2026	2	1	-	-	-	-
42	2025-26	स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0	न.पा.परि. मुरोली	1	2/6/2026	3	1	-	-	-	-

(राशि रु. लाख में)

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	निकाय का नाम	स्वीकृत एसटीपी की संख्या	निविदा जारी दिनांक	निविदा आमंत्रण संख्या	निविदा में भाग लेने वाली एजेंसियों की संख्या	अनुबंधित एजेंसी का नाम	कार्यदेश की तिथि	कार्य की अवधि	अनुबंध के नियम एवं शर्तें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43			न.पं. परपोड़ी	1	1/1/2026	2	1	-	-	-	-
44			न.पं. साजा	1	1/1/2026	2	1	-	-	-	-
45			न.पा.परि. अहिवारा	2	2/2/2026	2	-	-	-	-	-
46			न.पा.परि. अकलतरा	1	3/2/2026	3	-	-	-	-	-
47			न.पा.परि. भाटापारा	2	2/16/2026	2	-	-	-	-	-
48			न.पं. अर्जुन्दा	2	2/5/2026	1	-	-	-	-	-
49			न.पा.परि. बलौदाबाजार	1	2/20/2026	1	-	-	-	-	-
50			न.पं. बिल्हा	2	2/19/2026	1	-	-	-	-	-
			योग (स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0)	71							
			योग (2025-26)	71							
			महायोग	125							



अनुयोग आधिकारी
 नक्षरीय प्रशिक्षण एवं विकास विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

विधानसभा अतारकित प्रश्न क्र. 1044

द्वारा श्री अजय चन्दाकर (वि.स.स.)

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक स्वीकृत एसटीपी की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	निकाय का नाम	स्वीकृत एसटीपी की संख्या	भौतिक स्थिति			रियल टाइम मॉनिटरिंग	पूर्णाता का प्रतिशत	अनुबंध अवधि के अनुरूप कार्य की स्थिति	यदि धीमी है तो		एलेंसी को मुगतान की गई राशि								
					पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ				कारण	एलेंसी के विरुद्ध की गई कार्यवाही									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1	2022-23	स्मार्ट सिटी फंड	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2	पूर्ण (वर्तमान में प्रारंभ एवं वीगिंग प्रगतिरत)	-	-	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा	100%	धीमी	कार्यादेश जारी करने के उपरान्त कार्यालय का सीमांकन कराये जाने वर्ष ऋतु में कार्य नहीं होने के कारण अरग नदी में पानी होने के कारण कार्य स्थल के नजदीक अन्य एलेंसी द्वारा सड़क निर्माण किये जाने के कारण तथा कार्य स्थल तक पहुँचने हेतु पट्टे मार्ग नहीं होने के कारण कार्य में विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त कार्यरत एलेंसी द्वारा भी कार्य पूर्ण किये जाने में विलम्ब किया गया है।	निविदा शर्तों के अनुरूप कार्य की धीमी प्रगति के कारण कार्यरत एलेंसी पर 3 प्रतिशत अर्थदण्ड राशि लगभग 26.07 लाख आरोपित किया गया है। उक्त अर्थदण्ड की कटौती का समयोजन आगामी चल देयक में किया जावेगा।	549.00								
		योग (स्मार्ट सिटी फंड)		2	1	1	-						1291.00								
		योग (2022-23)		2	1	1	-						1291.00								
1	2023-24																				
निरंक																					
योग (2023-24)																					
1	2024-25		न.नि. भिलाई	1	-	प्रगतिरत	-		2%	धीमी	स्थल विवाद	-	725.10								
2														न.नि. सजनांदावा	2	प्रगतिरत	4%	धीमी	स्थल विवाद	387.50	
3														मिशन अमृत 2.0	न.नि. कोरबा	1	प्रगतिरत	10%	सामान्य	-	442.00
4															न.नि. दुर्ग	2	प्रगतिरत	2%	सामान्य	-	201.00
5														न.नि. अंबिकापुर	3	प्रगतिरत	4%	धीमी	स्थल विवाद	302.00	
	योग (मिशन अमृत 2.0)	9	-	5	-			2027.60													
1			न.पं. पधरिया	2	-	प्रगतिरत	-		1%	सामान्य	-	-	-								
2														न.पं. सरगांव	2	प्रगतिरत	1%	सामान्य	-	-	
3														न.पं. पुसौर	4	प्रगतिरत	1%	सामान्य	-	-	

संबंधित नगरीय निकाय, परियोजना

निकाय, परियोजना

(राशि रु. लाख में)

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	निकाय का नाम	स्वीकृत एसटीपी की संख्या	भौतिक स्थिति			रियल टाइम मॉनिटरिंग	पूर्णाता का प्रतिशत	अनुबंध अवधि के अनुरूप कार्य की स्थिति	यदि धीमी है तो		एजेंसी को मुगतान की गई राशि
					पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ				कारण	एजेंसी के विरुद्ध की गई कार्यवाही	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2024-25	स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0	न.पा.परि. मनेन्द्रगढ	2	-	प्रगतिरत	-	प्रगतिरत	1%	सामान्य	-	-	-
5			न.पं. नईलेदरी	2	-	प्रगतिरत	-	इकाई (पीएमयू) द्वारा सतत निगरानी की जाती है।	1%	सामान्य	-	-	-
6			न.पं. वाडफनगर	2	-	प्रगतिरत	-		1%	सामान्य	-	-	-
7			न.पं. पाली	1	-	प्रगतिरत	-		1%	सामान्य	-	-	-
		योग (स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0)		15	-	7	-						
		योग (2024-25)		24	-	12	-						2027.60
1	2025-26	स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0	न.पा.परि. महासमुंद	3	-	प्रगतिरत	-	संबंधित नगरीय निकाय, परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) एवं परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा सतत निगरानी की जाती है।	1%	सामान्य	-	-	-
2			न.पा.परि. तिलदानेवरा	2	-	प्रगतिरत	-		1%	सामान्य	-	-	-
		योग (स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0)		5	-	2	-						-
		योग (2025-26)		5	-	2	-						-
		महायोग		31	1	15	-						3318.60

अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, नवी रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र

15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक स्रोत विहिन ग्रामों में नल कनेक्शन की स्थिति

क्र.	जिले का नाम	स्रोत विहिन गांव जिनमें नल कनेक्शन का कार्य पूर्ण किया गया है				स्रोत विहिन गांव जिनमें नल कनेक्शन का कार्य शेष है				शेष कार्यों की लागत (रु. लाख में)
		गांव का नाम	पूर्ण कनेक्शन कार्य	शेष कनेक्शन कार्य	गांव का नाम	पूर्ण कनेक्शन कार्य	शेष कनेक्शन कार्य	शेष कार्यों की लागत (रु. लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	रायपुर	आलेखुटा	230	0	-	0	0	0.00		
		मानिकचौरी	413	0	-	0	0	0.00		
		-	0	0	झांकी	216	25	45.30		
		-	0	0	सोनपैरी देवदा	15	219	80.47		
		-	0	0	देवदा	114	216	58.16		
		-	0	0	मादाडीह	142	16	26.90		
2	बलौदाबाजार	-	0	0	-	0	0	0.00		
3	गरियाबंद	-	0	0	-	0	0	0.00		
4	धमतरी	कुरमाझर	27	0	-	0	0	15.21		
5	महासमुन्द	-	0	0	-	0	0	0.00		
6	दुर्ग	-	0	0	-	0	0	0.00		
7	बालोद	-	0	0	-	0	0	0.00		
8	बेमतरा	भोथीडीह	262	0	बोरिया	78	5	0.35		
		सोनडोंगरी	113	0	जिया	280	5	0.35		
		चेट्टवा	157	0	देवगांव	170	5	0.35		
		-	-	-	नवलपुर	180	5	0.35		
		-	-	-	नेउर	147	128	8.92		

क्र.	जिले का नाम	स्रोत विहिने गांव जिनमें नल कनेक्शन का कार्य पूर्ण किया गया है			स्रोत विहिने गांव जिनमें नल कनेक्शन का कार्य शेष है			शेष कार्यों की लागत (रु. लाख में)
		गांव का नाम	पूर्ण कनेक्शन कार्य	शेष कनेक्शन कार्य	गांव का नाम	पूर्ण कनेक्शन कार्य	शेष कनेक्शन कार्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	हरमुडी	222	31	2.16
		-	-	-	अधियारखोर	247	105	7.32
		-	-	-	पटनाकांपा	6	130	9.06
		-	-	-	कामता	218	32	2.23
		-	-	-	तिलईपर	105	155	10.80
		-	-	-	धोबनीकला	24	286	19.93
		-	-	-	पेण्डी	309	371	25.85
		-	-	-	बुंदेला	36	174	12.13
		-	-	-	गाड़ाघाट	194	1	0.07
		-	-	-	मुगलाटोला	131	29	2.02
		-	-	-	गातापार (गोडमरफ)	150	10	0.70
		-	-	-	केवतरा	255	5	0.35
		-	-	-	लालपुर (डेहरी)	195	5	0.35
		-	-	-	न. कदई	1	310	21.60
		-	-	-	सिलघट पी	248	76	5.30
		-	-	-	जमघट	256	29	2.02
		-	-	-	चौगीखपरी	204	79	5.51
	बेमतरा	-	-	-	बोतका	102	9	0.63
		-	-	-	ताकम	246	6	0.42

क्र.	जिले का नाम	स्रोत विहिन गांव जिनमें नल कनेक्शन का कार्य पूर्ण किया गया है				स्रोत विहिन गांव जिनमें नल कनेक्शन का कार्य शेष है				शेष कार्यों की लागत (रु. लाख में)
		गांव का नाम	पूर्ण कनेक्शन कार्य	शेष कनेक्शन कार्य	गांव का नाम	पूर्ण कनेक्शन कार्य	शेष कनेक्शन कार्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9	राजनांदगांव	-	0	0	गब्दा	158	12	0.84		
10	एमएमएसो	-	0	0	-	0	0	0.00		
11	कैसीजी	-	0	0	-	0	0	0.00		
12	कबीरधाम	-	0	0	-	0	0	0.00		
13	बिलासपुर	-	-	-	-	-	-	-		
14	जी.पी.एम.	-	-	-	-	-	-	-		
15	मुंगली	-	-	-	-	-	-	-		
16	कोरबा	-	-	-	-	-	-	-		
17	जौजगीर-चांपा	-	-	-	परसापाली	304	7	77.10		
		-	-	-	बरबसपुर	190	63	57.29		
		-	-	-	भादा	116	13	59.86		
		-	-	-	बनाहिल	363	61	55.54		
		-	-	-	कमरीद	946	265	45.75		
18	सक्ती	-	-	-	-	-	-	-		
19	रायगढ़	-	-	-	बसंतपुर	109	12	51.15		
		-	-	-	परसा	151	40	59.66		

क्र.	जिले का नाम	स्रोत विहिन गांव जिनमें नल कनेक्शन का कार्य पूरा किया गया है				स्रोत विहिन गांव जिनमें नल कनेक्शन का कार्य शेष है				शेष कार्यों की लागत (रु. लाख में)
		गांव का नाम	पूर्ण कनेक्शन कार्य	शेष कनेक्शन कार्य	गांव का नाम	पूर्ण कनेक्शन कार्य	शेष कनेक्शन कार्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		-	-	-	दहीडांड	1	62	14.58		
		-	-	-	टेरासेमर	1	65	19.27		
		-	-	-	जगलमौहा	185	33	36.47		
20	सारंगढ-बिलाईगढ सरगुजा	-	-	-	-	-	-	-		
21	बलरामपुर	-	-	-	गाजरमुड़ा	76	24	47.46		
22	सूरजपुर	-	-	-	चरगढ	165	21	66.44		
23	कोरिया	-	-	-	नीलकंठपुर	178	108	90.87		
24	एम.सी.बी.	-	-	-	रेवला	6	2	11.29		
25	जशपुर	-	-	-	तेन्दुडांड	67	51	67.7		
		-	-	-	गिधडांड	1	152	73.41		
26	उंचडीह	42	0	-	-	-	-	-		
		-	-	-	सालामाली	133	20	102.46		
		-	-	-	बढाईखाना	79	34	37.08		
		-	-	-	छोटा बनाई	92	74	49.21		
		-	-	-	घुटरी	65	64	19.97		
		-	-	-	जकबा	119	72	13.18		
		-	-	-	कदमटोली	116	102	31.35		
		-	-	-	केरे	113	9	55.77		

क्र.	जिले का नाम	स्रोत विहिन गांव जिनमें नल कनेक्शन का कार्य पूर्ण किया गया है				स्रोत विहिन गांव जिनमें नल कनेक्शन का कार्य शेष है				शेष कार्यों की लागत (रु. लाख में)
		गांव का नाम	पूर्ण कनेक्शन कार्य	शेष कनेक्शन कार्य	गांव का नाम	पूर्ण कनेक्शन कार्य	शेष कनेक्शन कार्य	शेष कनेक्शन कार्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		-	-	-	किलिंग	45	44	19.24		
		-	-	-	नारायणपुर	93	9	21.16		
		-	-	-	पौडी	185	175	114.46		
		-	-	-	राईपाठ	64	3	41.32		
		-	-	-	रनपुर	7	1	64.77		
		-	-	-	टीमरला	126	113	40.56		
		-	-	-	बिरला	103	8	44.45		
		-	-	-	गड़ाई	137	9	156.89		
		-	-	-	गजमा	108	89	11.64		
		-	-	-	गीधा	351	324	46.71		
		-	-	-	हरडीपा	112	103	62.57		
		-	-	-	जकबा	68	50	17.95		
		-	-	-	खड्कोना	95	94	67.62		
		-	-	-	पंडरसिली	196	187	64.61		
		-	-	-	टूकटोली	45	31	20.60		
27	बस्तर	-	-	-	तुरपुरा-2	306	90	133.36		
		-	-	-	खोरखोसा	384	204	153.29		
		-	-	-	ईच्छापुर 2	367	66	201.35		
		-	-	-	मुण्डागढ़	65	131	168.47		

क्र.	जिले का नाम	स्रोत विहिन गांव जिनमें नल कनेक्शन का कार्य पूर्ण किया गया है				स्रोत विहिन गांव जिनमें नल कनेक्शन का कार्य शेष है				शेष कार्यों की लागत (रु. लाख में)
		गांव का नाम	पूर्ण कनेक्शन कार्य	शेष कनेक्शन कार्य	गांव का नाम	पूर्ण कनेक्शन कार्य	शेष कनेक्शन कार्य	शेष कनेक्शन कार्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		-	-	-	छापरभानपुरी-1	374	70	114.41		
		-	-	-	कलेपाल (बारूपाटा)	91	27	135.96		
		-	-	-	कामदेवकुरुषपाल	88	1	146.16		
28	दत्तवाड़ा	-	-	-	लावा	0	37	19.71		
29	बीजापुर	-	-	-	-	-	-	-		
30	सुकमा	-	-	-	गोगुण्डा	0	271	125.30		
		-	-	-	पोरोकोण्डासवली	0	96	70.75		
		-	-	-	पोरोकाकड़ी	0	18	28.91		
		-	-	-	छोटैगानगुलावा	0	31	37.23		
		-	-	-	तिम्मापेन्टा	0	43	25.90		
		-	-	-	पोरोगुमोड़ी	0	25	23.75		
		-	-	-	मिचीगुड़ा	0	74	43.70		
31	कांकर	कुरुहाडकट्टा	254	-	-	-	-	28.54		
		-	-	-	कोरेठा	76	10	27.35		
		-	-	-	चरभट्टी	233	55	42.03		
		-	-	-	चुचरूंगापुर	82	14	59.88		
		-	-	-	ढेडकोहका	240	51	69.61		
		-	-	-	राउरवाही	212	7	44.25		
		-	-	-	उईकाटोला	86	3	21.83		

क्र.	जिले का नाम	स्रोत विहिन गांव जिनमें नल कनेक्शन का कार्य पूर्ण किया गया है				स्रोत विहिन गांव जिनमें नल कनेक्शन का कार्य शेष है				शेष कार्यों की लागत (रु. लाख में)
		गांव का नाम	पूर्ण कनेक्शन कार्य	शेष कनेक्शन कार्य	गांव का नाम	पूर्ण कनेक्शन कार्य	शेष कनेक्शन कार्य	शेष कनेक्शन कार्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
32	कोण्डागांव	-	-	-	खड़पड़ी	104	14	14.62		
		-	-	-	ठेमागांव	165	94	15.58		
33	नारायणपुर	-	-	-	गुनेर	2	7	10.35		
		-	-	-	हरवेल	1	64	31.48		
		-	-	-	कोडोनार	1	26	17.73		
		-	-	-	दिवालुर	1	32	24.41		
		-	-	-	गढाकाल (कुचुल)	1	41	16.17		
		-	-	-	परियादी	1	19	33.08		
		-	-	-	टाहकावाड़ा	20	22	53.10		
योग			1498	0		12860	6716	4241.30		

Shyam
 अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 प्रधानालय, महामन्दी भवन,
 नवी सैयपुर, अटल नगर

परीशेष - सनतावन

अतारोकेत प्रश्न संख्या 5 (क. 1193) की जानकारी

प्रपत्र

क.	ब्लॉक का नाम	विद्यालय श्रेणी	दर्ज संख्या				शालात्यागी बच्चों की संख्या			
			2023-24		2024-25		2023-24		2024-25	
			बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बसना	प्राथमिक शाला	3179	3358	3201	3344	26	30	30	30
2		पूर्व माध्य.शाला	2010	2184	1877	2146	37	28	29	24
3		हाई स्कूल	209	237	200	228	14	9	1	0
4		हायर सेकेण्डरी स्कूल	1884	2294	1829	2337	12	7	0	0
5	पिथौरा	प्राथमिक शाला	9856	9773	9564	9416	18	11	74	35
6		पूर्व माध्य.शाला	6318	6232	6031	6015	36	32	35	30
7		हाई स्कूल	3255	3623	3195	3592	168	105	55	29
8		हायर सेकेण्डरी स्कूल	1892	2692	1949	2708	46	67	73	30

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय रायपुर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय

परोशेष्ट - अनठावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 1218) की जानकारी

पृष्ठ

जिला धमतरी अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में सत्र 2023-24 से 31.01.2026 तक कराये गए निर्माण कार्य एवं भुगतान की गई राशि तथा शेष राशि की जानकारी

क्र.	वित्तीय सत्र	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृत राशि (रूपये में)	भुगतान की गई राशि (रूपये में)	भुगतान हेतु शेष राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6
1	2023-24	प्राथमिक शाला भवन निर्माण	1947500	1624000	323500
2		अतिरिक्त कक्ष निर्माण	9802897	9003765	539738
3		बालक शौचालय निर्माण	4163000	3599978	543000
4		वालिका शौचालय निर्माण	2534000	2425424	90500
5		दीर्घ मरम्मत	350000	349602	0
6		वालिका शौचालय मरम्मत	6132000	5342614	739200
7		बालक शौचालय मरम्मत	84000	67200	16800
8		अतिरिक्त कक्ष	6867000	6507545	359455
9		पुस्तकालय कक्ष	2700000	2340000	360000
10		कला एवं सांस्कृतिक कक्ष	1392000	1390300	1700
11		विकासखण्ड छोट समन्वयक कार्यालय मरम्मत कार्य	2600000	2233400	325000
12		पीएमश्री शालाओं में अति.कक्ष, भवन मरम्मत, बालक/वालिका शौचालय मरम्मत	4026276	4018083	0
13		पीएमश्री शालाओं में रैनवाटर हार्वेस्टिंग	525000	445185	37500
14		पीएमश्री शालाओं में सोलर पैनल स्थापना	4200000	4200000	0
15		पीएम जनमन अन्तर्गत 50 सीटर बालक छात्रावास निर्माण	18653000	7461000	11192000
योग-			65976673	51008096	14528393
16	2024-25	अतिरिक्त कक्ष	3052000	1220800	1831200
17		प्रयोगशाला कक्ष	763000	305200	457800
18		अतिरिक्त कक्ष निर्माण	21868001	12804934	9059256
19		प्राथमिक शाला भवन निर्माण	3895000	1624000	2271000
20		उच्च प्राथ.शाला भवन निर्माण	2070000	863000	1207000
21		पीएमश्री शाला में अटल टिकरींग लैव निर्माण	1526000	763000	763000
22		पीएमश्री शाला में भौतिकी लैव निर्माण	763000	381500	381500
23		पीएमश्री शाला में कला एवं सांस्कृतिक कक्ष निर्माण	763000	381500	381500
24		पीएमश्री शाला में बालवाटिका अति.कक्ष निर्माण	2262207	1210500	1051707
25		पीएमश्री शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	754069	403500	350569
26		पीएमश्री शाला में बालवाटिका वालिका शौचालय निर्माण	543000	271500	271500
27		पीएमश्री शाला में दीर्घ मरम्मत कार्य	500000	250000	250000
28		पीएमश्री शाला में बालक शौचालय मरम्मत कार्य	90000	45000	45000
29	पीएमश्री शाला में पेयजल व्यवस्था	150000	75000	75000	
योग-			38999277	20599434	18396032
30	2025-26	पीएमश्री शाला में एकीकृत प्रयोगशाला कक्ष निर्माण	1526000	0	0
31		पीएमश्री शाला में बालक शौचालय निर्माण	362000	0	0
योग-			1888000	0	0
महायोग-			106863950	71607530	32924425

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मन्त्रालय, रायपुर

पारोक्ष - उन्सठ


अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 1365) को जानकारी


प्रपत्र "अ"

क्र.	केन्द्र / राज्य शासन	मद का नाम	योजनावार	कार्य का नाम	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
वर्ष 2023-24					
1	राज्य शासन	सामग्री और पूर्तियां	सरस्वती सायकल योजना	सायकल क्रय	24827893
2	राज्य शासन	सामग्री और पूर्तियां	पाठ्यपुस्तक योजना	पाठ्यपुस्तक	205725
3	राज्य शासन	सामग्री और पूर्तियां	—	गैर कार्यालयीन फर्नीचर	14479307
4	राज्य शासन	सामग्री और पूर्तियां	—	स्वच्छता सामग्री	4567528
5	राज्य शासन	सामग्री और पूर्तियां	—	विज्ञान सामग्री	4553008
6	राज्य शासन	कार्यालय व्यय	—	फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरण	6713179
7	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	दीर्घ मरम्मत	5313000
8	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	लघु मरम्मत	60000
9	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	निर्माण	1608083
10	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	बालक/बालिका शौचालय निर्माण	271500
11	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	शौचालय निर्माण	103000
12	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	प्रयोगशाला, कला एवं संस्कृति, पुस्तकालय निर्माण	860000
वर्ष 2024-25					
1	राज्य शासन	सामग्री और पूर्तियां	सरस्वती सायकल योजना	सायकल क्रय	26448238
2	राज्य शासन	सामग्री और पूर्तियां	पाठ्यपुस्तक योजना	पाठ्यपुस्तक	262463
3	राज्य शासन	सामग्री और पूर्तियां	—	गैर कार्यालयीन फर्नीचर	14278800
4	राज्य शासन	सामग्री और पूर्तियां	—	खेल सामग्री	716750
5	राज्य शासन	सामग्री और पूर्तियां	—	विज्ञान सामग्री	4569900
6	राज्य शासन	कार्यालय व्यय	—	फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरण	6990070
7	केन्द्र एवं राज्य	समग्र शिक्षा आकस्मिक मद	—	कार्यालयीन सामग्री	471798
8	केन्द्र एवं राज्य	समग्र शिक्षा आकस्मिक मद	—	जी.एस.टी. भुगतान	6471
9	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	अतिरिक्त कक्षा निर्माण	1831200
10	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	बालक/बालिका शौचालय निर्माण	638704
11	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	पुस्तकालय	1260000
12	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	कम्प्यूटर कक्ष	417595
13	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	दीर्घ मरम्मत	611415
14	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	प्रयोगशाला कक्षा	1025200
15	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	कला एवं संस्कृति कक्ष	556800
16	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	पीएमश्री निर्माण कार्य	3315500
17	केन्द्र एवं राज्य	प्रबंधकीय मद	—	स्टेशनरी हेतु	235939

Disa

क्र.	केन्द्र / राज्य शासन	मद का नाम	योजनावार	कार्य का नाम	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
2025-26 (जनवरी 2026 तक)					
1	राज्य शासन	सामग्री और पूर्तियां	सरस्वती सायकल योजना	सायकल क्रय	16766790
2	राज्य शासन	सामग्री और पूर्तियां	पाठ्यपुस्तक योजना	पाठ्यपुस्तक	1651132
3	राज्य शासन	सामग्री और पूर्तियां	—	गैर कार्यालयीन फर्नीचर	8512575
4	राज्य शासन	सामग्री और पूर्तियां	—	विज्ञान सामग्री	4324550
5	राज्य शासन	कार्यालय व्यय	—	फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरण	9368715
6	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	रैम्प	90000
7	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	455700
8	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	दीर्घ मरम्मत	586059
9	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	कम्प्यूटर कक्ष	792292
10	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	कला एवं संस्कृति कक्ष	391734
11	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	पुस्तकालय कक्ष	1613142
12	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	निर्माण कार्य	547800
13	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	बालक/बालिका एवं दिव्यांग शौचालय निर्माण	279683
14	केन्द्र एवं राज्य	निर्माण	—	अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, एवं पुस्तकालय कक्ष	1965603
15	केन्द्र एवं राज्य	प्रबंधकीय मद	—	स्टेशनरी हेतु	147030


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर


सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

प्रपत्र "ब"


क्र.	संस्था का नाम	सामग्री का नाम	क्रय तिथि	लागत	मात्रा
1	2	3	4	5	6
वर्ष 2023-24					
1	जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर	सायकल	8.5.2023	24827893	5930
2		केबिनेट विथ 1 लॉकर	8.5.2023	2288245	215
3		ऑफिस टेबल	8.5.2023	1309000	154
4		रिवालविंग चेंयर	8.5.2023	646888	88
5		स्टूडेंट डेस्क एवं बेंच	8.5.2023	8284731	5318
6		विजिटर चेंयर	8.5.2023	1395141	631
7		रिवालविंग चेंयर	28.6.2023	6600	2
8		कूडादानी	01.6.2023	310500	2070
9		मग्गा	01.6.2023	103500	2070
10		प्लास्टिक बास्केट	01.6.2023	828000	2070
11		प्लास्टिक झाडू	01.6.2023	1935018	6185
12		प्लास्टिक पी.ए.	01.6.2023	165600	2070
13		टायलेट ब्रश	01.6.2023	390250	1215
14		स्टूडेंट डेस्क एवं बेंच	10.8.2023	3847960	1117
15		बुरेटे रोटा फ्लो जनरल परपस	14.8.2023	511500	930
16		टेस्ट ट्यूब इन्टरचेंजेबल स्ओपर के साथ	14.8.2023	64860	3243
17		बीकर लो फोर्म विथ स्पाउट ग्रेटेड	14.8.2023	184474.8	1116
18		बीकर लो फोर्म विथ स्पाउट ग्रेटेड	14.8.2023	223200	1116
19		रिजेन्ट बॉटल एम्बर कलर संकरे मुह वाला	14.8.2023	892800	2232
20		टेस्ट ट्यूब इन्टरचेंजेबल स्ओपर के साथ	14.8.2023	24200	1210
21		बीकर लो फोर्म विथ स्पाउट ग्रेटेड	14.8.2023	446400	2232
22		रिजेन्ट बॉटल एम्बर कलर संकरे मुह वाला	14.8.2023	1116000	2232
23		टेस्ट ट्यूब ग्लास ट्यूबिंग राउंड बॉटल	14.8.2023	113274	9300
24		टेस्ट ट्यूब इन्टरचेंजेबल स्ओपर के साथ	14.8.2023	96940	4847
25		टेस्ट ट्यूब राउंड बॉटल हीट रजिस्टेंस	14.8.2023	161820	9300
वर्ष 2024-25					
1	जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर	सायकल	7.6.2024	26448240	6241
2		स्टूडेंट टाइप माईक्रोस्कोप	9.6.2024	1495000	230
3		प्लेन मिरर 1	9.6.2024	59616	2484
4		प्लेन मिरर 2	9.6.2024	74520	2484
5		वरकिंग मॉडल इलेक्ट्रिक प्लास्टिक बेस	9.6.2024	18400	46
6		बरेटे केपिसिटी	9.6.2024	49680	138
7		फ्लास्क 100 एम.एल	9.6.2024	23460	138
8		फ्लास्क फिल्टरिंग केपिसिटी 100 एम.एल	9.6.2024	26220	138
9		फ्लास्क फिल्टरिंग केपिसिटी 250 एम.एल	9.6.2024	31740	138
10		लिबिग कंडरसर लेंथ 300 एल.एल.	9.6.2024	55200	138

D/S

क्र.	संस्था का नाम	सामग्री का नाम	क्रय तिथि	लागत	मात्रा
1	2	3	4	5	6
11		पीपटस ट्रांसर वाल्युमेटिक केपेसिटी	9.6.2024	37536	552
12		पीपटस मेजरिंग ग्राउण्ड मोहर केपीसिटी	9.6.2024	41400	552
13		सिम्पल सेल	9.6.2024	23920	92
14		रिजेंट बॉटल एम्बर कलर नेरो केपेसिटी	9.6.2024	104880	552
15		टेस्ट ट्यूब राउंड बॉट विथ रिम 1	9.6.2024	50600	4600
16		टेस्ट ट्यूब राउंड बॉट विथ रिम 2	9.6.2024	64400	4600
17		ट्यूब कल्चर मिडिया प्लेट बॉटम	9.6.2024	92000	2300
18		वाल्युमेटिक मेजरिंग फ्लास्क	9.6.2024	77280	552
19		मूविंग कोल राउंड पेनल	9.6.2024	25300	92
20		डी.सी. गलवनोमीटर ए ग्रेड	9.6.2024	29900	92
21		रेसिडेंस कॉइल राउंड बैकसेलाईट	9.6.2024	36800	920
22		स्लाईड वायर रियोस्टैटस	9.6.2024	112700	92
23		ऑप्टिकल प्रिस्म ग्लास	9.6.2024	40204	92
24		ग्लास स्लैब साईज	9.6.2024	7728	184
25		ग्लास प्रिस्म	9.6.2024	12880	184
26		बैटरी एल्मीनेटर	9.6.2024	165600	92
27		डीटेल्ड साईस चार्टस	9.6.2024	193200	920
28		हॉट प्लेट	9.6.2024	248400	46
29		जोलस केलोरीमीटर निकल प्लेटेड	9.6.2024	28060	46
30		लिटमस पेपर	9.6.2024	39316	552
31		डिजिटल एनालिटिकल बैलेंस	9.6.2024	552000	138
32		वेट एंड ड्राय थर्मोमीटर	9.6.2024	13340	46
33		एंगल आयरन रेक	9.6.2024	186965	61
34		केबिनेट प्लेन फुल	9.6.2024	1207560	116
35		ऑफीस टेबल	9.6.2024	591020	116
36		रिवाँलविंग चेरर	9.6.2024	152250	29
37		स्टील स्टूल	9.6.2024	145668	183
38		स्टूडेन्ट डेस्क एवं बेंच	9.6.2024	7741386	4878
39		टेबल	9.6.2024	224634	29
40		विजिटर चेरर	9.6.2024	951200	400
41		स्टूडेन्ट डेस्क एवं बेंच	11.6.2024	539580	340
42		किताब	14.6.2024	96718	1503
43		किताब	18.6.2024	40263	664
44		किताब	19.6.2024	43243	672
45		किताब	20.6.2024	82239	1278
46		स्टूडेन्ट डेस्क एवं बेंच	11.7.2024	50784	32
47		ड्राय सेल बैटरी	10.1.2025	1860	2
48		बनसेन बर्नर	10.1.2025	1580	2
49		ग्रेडेड ग्लेडर	10.1.2025	2560	2
50		स्थटिस्कोप	10.1.2025	5040	3
51		मैग्नाग्रे ग्लेन	10.1.2025	900	5
52		एल्कोहॉल बर्नर	10.1.2025	1144	2
53		रेड क्रिकेट बॉल	19.1.2025	12500	10
54		लेदर बॉस्केटबॉल	19.1.2025	15500	10
55		मेट्रो पॉलीप्रोपाईन स्टेन्डर फुटबॉल गोल पोस्ट नेट	19.1.2025	9700	2
56		एल्युमिनियम एलॉय पोर्टेबल विथ विलस् फुटबॉल गोल	19.1.2025	50000	1

क्र.	संस्था का नाम	सामग्री का नाम	क्रय तिथि	लागत	मात्रा
1	2	3	4	5	6
57		फुटबॉल	19.1.2025	16500	10
58		खोखो पोल ऑफ हाईट 47 इंच	19.1.2025	20000	4
59		कॉस्को व्हॉलीबॉल लेदर	19.1.2025	14500	10
60		आयरन व्हॉलीबॉल पोल ऑफ हाईट 7 फीट	19.1.2025	32000	1
61		क्रिकेट पीच मैट	19.1.2025	18000	1
62		नॉयलेन बॉस्केटबॉल नेट	19.1.2025	1900	2
63		ब्लैक प्लास्टिक स्टॉप वॉच	19.1.2025	9500	10
64		हार्डवुड कैरम	19.1.2025	32400	6
65		एल्युमिनियम आर्चरी 33 इंच	19.1.2025	8600	5
66		एल्युमिनियम आर्चरी बो पेयर	19.1.2025	8000	1
67		सेट ऑल 3 स्टम्प एण्ड 2 बॉल्स	19.1.2025	5000	2
68		ग्रेफाईड हॉकी स्टीक्स	19.1.2025	27000	12
69		कलर बैडमिंटन नेट	19.1.2025	1700	2
70		क्रिकेट बैट	19.1.2025	6400	2
71		हॉकी गोल पोस्ट	19.1.2025	38500	1
72		जोनेक्स रेस्लिंग मैट	19.1.2025	309102	1
73		स्टील चैनल स्टैण्डर्ड विलयर जंप	19.1.2025	49998	6
74		स्टेनलैस स्टील यस 30	19.1.2025	9750	5
75		बैडमिंटन नेट पोलस्	19.1.2025	20200	1
76	जि.शि.अधि.जशपुर (समग्र शिक्षा)	अलमिरा बालाजी	14.5.2024	12542	1
77		चेयर हेक्टर	14.5.2024	10042	3
78		विन्डो क्लोथ	14.5.2024	2670	7
79		डोर क्लोथ	14.5.2024	2076	5
80		टेबल क्लोथ	14.5.2024	2877	7
81		ऑफिस टेबल	14.5.2024	4076	1
82		प्लास्टिक चेयर	14.5.2024	41526	50
83		डोर मेट	14.5.2024	593	2
84		वाइट बोर्ड	14.5.2024	4661	1
85		पेनड्राइव	14.5.2024	4322	6
86		कलर प्रिटर	14.5.2024	16059	1
87		एच पी वैकटस ग्रैमिंग लॉपटॉप 112 जेनरेशन	14.5.2024	133695	2
88		बैटरी ल्यूमिनस	14.5.2024	24746	1
89		स्पाईक वोलटेक 1.5	14.5.2024	1144	3
90		एच पी प्रिटर	14.5.2024	32542	2
91		एच पी डेस्कटॉप	14.5.2024	164407	2
92		क्लारिऑन स्पीकर	14.5.2024	28814	1
2025-26 (जनवरी 2026 तक)					
1	जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर	स्टूडेंट डेस्क एवं बेंच	19.8.2025	17881290	4762
2		लेबोरेटरी इक्युपमेंट फॉर हाई एण्ड हायर स्कूल कीट (विज्ञान)	19.8.2025	3664873	62
3		सायकल	12.9.2025	16766790	4142
4		हैंड वॉश	16.9.2025	49920	208
5		फिनाईल कलर	16.9.2025	74930	1270

क्र.	संस्था का नाम	सामग्री का नाम	क्रय तिथि	लागत	मात्रा
1	2	3	4	5	6
6		वाइपर	17.9.2025	43225	325
7		मग	18.9.2025	48000	1200
8		प्लास्टिक बकेट बड़ा	20.9.2025	49700	175
9		हैंड वॉश	21.9.2025	124675	511
10		झाड़ू सूपर ग्रीन	21.9.2025	166486	1880
11		पोंछा	21.9.2025	485685	1442
12		मग	21.9.2025	11250	23
13		फिनाईल कलर	21.9.2025	49800	830
14		प्लास्टिक बकेट बड़ा	21.9.2025	49875	175
15		प्लास्टिक बकेट छोटा	21.9.2025	49600	200
16		वाइपर	21.9.2025	49875	133



सहायक संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय


छत्तीसगढ़ नवा रायपुर


 अनुभाग अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 नवा रायपुर, अटल नगर

क्र.	प्राधिकृत समिति / प्रक्रिया	कार्य का नाम	आवश्यक आंकलन	स्वीकृति आदेश	तकनीकी अनुमोदन	मण्डल कय नियम/ जीएफआर के प्रावधान	निविदा		
							दर	निविदा संख्या	चयनित फर्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2023-24									
1	जिला स्तरीय समिति	निःशुल्क सरस्वती	5930	270	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
2		गैर कार्यालयीन फर्नीचर	1117	132	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
3		गैर कार्यालयीन फर्नीचर	285	132	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
4		पाठ्य पुस्तक	3165	274	हाँ	सीमित निविदा	65	3	किताब घर जशपुर
5		विज्ञान सामग्री	4173	198	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
6		विज्ञान सामग्री	5674	198	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
7		विज्ञान सामग्री	27911	198	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
8		कार्यालयीन फर्नीचर	2	5	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
9		कार्यालयीन फर्नीचर	13	66	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
10		कार्यालयीन फर्नीचर	23	66	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
11		कार्यालयीन फर्नीचर	30	66	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
12		कार्यालयीन फर्नीचर	378	66	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
13		कार्यालयीन फर्नीचर	31	66	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
14		कार्यालयीन फर्नीचर	28	66	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
15		कार्यालयीन फर्नीचर	213	66	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
16		कार्यालयीन फर्नीचर	48	66	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
17		कार्यालयीन फर्नीचर	195	66	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
18		कार्यालयीन फर्नीचर	129	66	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
19		गैर कार्यालयीन फर्नीचर	564	132	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
20		गैर कार्यालयीन फर्नीचर	280	132	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
21		स्वच्छता सामग्री	499	5	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
22		स्वच्छता सामग्री	140	5	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
23		स्वच्छता सामग्री	825	5	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
24		स्वच्छता सामग्री	623	5	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
25		स्वच्छता सामग्री	2350	5	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
26		स्वच्छता सामग्री	183	5	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
27		स्वच्छता सामग्री	9998	5	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
28		स्वच्छता सामग्री	775	5	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
29		स्वच्छता सामग्री	1002		हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
30		स्वच्छता सामग्री	130	5	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
31		गैर कार्यालयीन फर्नीचर	2122	132	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
32		गैर कार्यालयीन फर्नीचर	2068	132	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
2024-25									
1	जिला स्तरीय समिति	निःशुल्क सरस्वती सायकल	6241	409	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
2		विज्ञान सामग्री	7130	224	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
3		विज्ञान सामग्री	15364	224	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
4		कार्यालयीन फर्नीचर	7	92	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
5		कार्यालयीन फर्नीचर	25	92	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
6		कार्यालयीन फर्नीचर	74	92	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-

Handwritten signature

क्र.	प्राधिकृत समिति/ प्रक्रिया	कार्य का नाम	आवश्यक आंकलन	स्वीकृति आदेश	तकनीकी अनुमोदन	मण्डार कय नियम/ जीएफआर के प्रावधान	निविदा		
							दर	निविदा संख्या	चयनित फर्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		गैर कार्यालयीन फर्नीचर	1258	158	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
8		गैर कार्यालयीन फर्नीचर	950			सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
9		कार्यालयीन फर्नीचर	352	92	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
10		गैर कार्यालयीन फर्नीचर	1914	158	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
11		गैर कार्यालयीन फर्नीचर	246	158	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
12		गैर कार्यालयीन फर्नीचर	510	158	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
13		कार्यालयीन फर्नीचर	33	92	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
14		कार्यालयीन फर्नीचर	40	92	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
15		कार्यालयीन फर्नीचर	282	92	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
16		कार्यालयीन फर्नीचर	30	92	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
17		कार्यालयीन फर्नीचर	91	92	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
18		गैर कार्यालयीन फर्नीचर	340	158	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
19		पाठ्यपुस्तक	4117	422	हाँ	सिमित निविदा	65	3	मेसर्स किताब घर जशपुर
20		विज्ञान सामग्री	552	224	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
21		विज्ञान सामग्री	184	224	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
22		कार्यालयीन फर्नीचर	66	92	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
23		गैर कार्यालयीन फर्नीचर	32	158	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
24		गैर कार्यालयीन फर्नीचर	480	158	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
25		कार्यालयीन फर्नीचर	746	92	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
26		गैर कार्यालयीन फर्नीचर	1798	158	हाँ	सी.एस.आई.डी.सी.	-		-
27		खेल सामग्री	105	13716	हाँ	जेम पोर्टल	-		-
28	जिला स्तरीय समिति (समग्र शिक्षा)	कार्यालयीन सामग्री	-	262/ समग्र	हाँ	सीमित निविदा	-	3	मेसर्स घर संसार भारतीय स्टेट बैंक के पीछे जशपुर (छ.ग.)
2025-26 (जनवरी 26 तक)									
1	जिला स्तरीय समिति	निःशुल्क सरस्वती सायकल	4142	791	हाँ	जेम पोर्टल	-		-
2		गैर कार्यालयीन फर्नीचर	1615	358	हाँ	जेम पोर्टल	-		-
3		गैर कार्यालयीन फर्नीचर	2495	358	हाँ	जेम पोर्टल	-		-
4		स्वच्छता सामग्री	1939	3	हाँ	जेम पोर्टल	-		-
5		स्वच्छता सामग्री	1855	3	हाँ	जेम पोर्टल	-		-
6		स्वच्छता सामग्री	1295	3	हाँ	जेम पोर्टल	-		-
7		स्वच्छता सामग्री	2900	3	हाँ	जेम पोर्टल	-		-
8		स्वच्छता सामग्री	2270	3	हाँ	जेम पोर्टल	-		-
9		विज्ञान सामग्री	62	3	हाँ	जेम पोर्टल	-		-


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर


सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर


पारिशेष - साठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 1762) की जानकारी

प्रपत्र-अ

विषयवार शिक्षकों की कमी				
क्र.	विकासखण्ड	शाला का स्तर	विषय का नाम	आवश्यक शिक्षकों की संख्या
1	2	3	4	5
1	कोटा	प्राथमिक शाला		43
		पूर्व माध्यमिक	अंग्रेजी	89
			विज्ञान	6
			गणित	43
2	गौरैला	प्राथमिक शाला		15
		पूर्व माध्यमिक	कला	12
			अंग्रेजी	18
			गणित	17
			विज्ञान	14


 शिक्षक संयोजक
 शिक्षण विभाग
 जिला शिक्षण, जयपुर नगर


 सहायक संचालक
 लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़

प्रपत्र-ब

विधान सभा अतिरिक्त प्रश्न क्रमांक-1762								
संलग्न सहायक शिक्षक, शिक्षक (एल.बी.) एवं व्याख्याताओं की जानकारी								
क्र.	विकासखण्ड	संलग्न शिक्षक का नाम एवं पद नाम	मूल पदस्थापना संस्था का नाम	वर्तमान में संलग्न संस्था/कार्यालय का नाम	संलग्न होने की तिथि (कब से)	संलग्न होने का कारण	जारी किए गए आदेश का संदर्भ	क्या शिक्षक उसी वि.ख. में संलग्न हैं या अन्य वि.ख. (हाँ/नहीं)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गौरला							
निरंक								
2	कोटा	श्रीमती नीतू अनंत (सहा.शि.एल.बी.)	प्रा.शाला घूमा	प्रा.शाला नेयसा	22.09.2025	शा.प्रा.शा. घूमा के प्रधानपाठक के द्वारा छेड़छाड़ किये जाने की लिखित शिकायत पर	जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर का आदेश क्रमांक/11413/स्था.3/अध्यापन व्यवस्था/2025-26 दिनांक 22.09.2025	हाँ
		श्री पुरुषोत्तम चन्द्रा (सहा.शि.एल.बी.)	प्रा.शाला टिकरीपारा	प्रा.शाला जूनाशहर	14.01.2026	ग्राम टिकरीपारा के नागरिकों द्वारा संबंधित शिक्षक का विरोध करने के कारण	जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर का आदेश क्रमांक/581/शिका.जांच/2026 दिनांक 14.01.2026	हाँ
		श्रीमती पी.गीतांजली नायडू (शिक्षक एल.बी.)	पू.मा.शाला केकरा	स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम बालक बेलगढ़ना	01.09.2025	एकल शिक्षकीय होने के कारण	कलेक्टर, बिलासपुर के जनचौपाल आवेदन दिनांक 01.09.2025	हाँ



सहायक संचालक
शिक्षण, छत्तीसगढ़



आचार्य, शिक्षण
मंत्रालय, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

पारोशेष्ट - इकसठ

अतारांकित पत्र संख्या 13 (क्र. 1768) की जानकारी

/ लॉ.न./ स्था./ लेख/ सं. /

नगर पालिका निगम बीरगांव

भावेक /

दिनांक 27/01/2026

शाख का नं. 4501

27/01/2026

शामक

प्रति,

आयुक्त

नगर पालिका निगम बीरगांव

जिला-रायपुर (छ.ग.)

विषय :-

द रायपुर मिल मशीनरी मर्वेन्ट एसोसिएशन के ग्राम रावांभाठा, बीरगांव का राजीनामा तथा विद्यमान वाणिज्यिक भवन का विस्तृत सर्वेक्षण कर मानचित्र सहित जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में।

संदर्भ :-

आपका आदेश पृ.क्र./4988 दिनांक 29.01.2025

-00000-

महोदय,

विषयान्तर्गत आपके द्वारा नगर पालिका निगम बीरगांव के ग्राम रावांभाठा के खसरा नं. 412/5-6, 412/41, 412/120, 412/121, 412/37, 413/14, 413/15, 413/16, 412/122, 412/39 कुल रकबा 224930 वर्गफुट अर्थात् 20904.28 वर्ग मीटर (2.09 हेक्टेयर) में व्यवसायिक उपयोग हेतु द. रायपुर मिल मशीनरी मर्वेन्ट एसोसिएशन द्वारा निर्मित भवन का राजीनामा एवं विद्यमान वाणिज्यिक भवन का प्रतिवेदन एवं मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त पत्र के तारक्षम्य में समिति द्वारा मौके पर स्थल निरीक्षण कर मौजूदा भवन का विस्तृत नाप किया गया। तदनुसार स्थल पर मौजूदा भवन का मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रतिवेदन आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। विवरण निम्नानुसार है :-

विषयान्तर्गत लेख है कि नगर पालिका निगम बीरगांव के मौजा रावांभाठा खसरा नं. 412/5-6, 412/41, 412/120, 412/121, 412/37, 413/14, 413/15, 413/16, 412/122, 412/39 कुल रकबा 224930 वर्गफुट (2.09 हेक्टेयर) में व्यवसायिक उपयोग हेतु तत्कालीन बीरगांव नगर पालिका परिषद द्वारा पत्र क्रं. 503 दिनांक 31.03.2009 द्वारा भवन अनुज्ञा प्रदान की गई थी। (अनुज्ञा पत्र एवं मानचित्र की प्रति संलग्न।)

उपरोक्त अनुज्ञा अनुसार मुख्य मार्ग अन्तर्गत 752.47 वर्ग मीटर भूमि छोड़ी गई दर्शायी गई थी। किन्तु स्थल पर उपलब्ध वर्तमान मार्ग की चौड़ाई अनुसार आवेदक के भूमि में से सड़क अन्तर्गत केवल 141.91 वर्ग मीटर भूमि ही आ रही है। इस संबंध में आवेदक एवं उनके इंजीनियर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मुख्य मार्ग अन्तर्गत आने वाली भूमि को आवेदक की भूमि में से घटा कर शेष भूमि के आधार पर प्लॉट एरिया एवं निर्माण क्षेत्र की गणना की गई है। एवं तत्संबंधी मानचित्र राजीनामा हेतु प्रस्तुत किया गया।

अतिरिक्त निर्माण के राजीनामा हेतु आवेदक के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा नेट मूखण्डीय क्षेत्रफल 20762.37 वर्ग मीटर का 50 प्रतिशत अर्थात् 10381.00 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्र मू-तल पर अनुज्ञेय होने से 457.81 वर्ग मीटर तथा 597.19 वर्ग मीटर प्रथम तल पर अतिरिक्त निर्माण के राजीनामा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक से अनुज्ञा हेतु विहित फीस रु. 270463.00 समझौता शुल्क रु. 2532000.00 कुल राशि रु. 2802463.00 रसीद क्रं. 16/99 दिनांक 21.03.2014 व रेनवाटर हॉर्वेस्टिंग अमानत राशि रूपये 1149392.00 एफ.डी.आर. नं. 876135 दिनांक 21.03.2014 द्वारा जमा कराया गया। जो प्रचलित नियमों के अनुरूप था।

तदुपरान्त आवेदक को छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत शर्त राजीनामा दिनांक 24.03.2014 के अनुसार किया गया। जिसके तहत कुल 1055.00 वर्ग मीटर अप्राधिकृत सन्निर्माण का राजीनामा तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बीरगांव द्वारा किया गया था। जिसके शर्त क्रमांक 20 में स्पष्ट उल्लेख है कि भवन पूर्णता प्रमाण पत्र निकाय से प्राप्त करें। प्रमाण पत्र प्राप्ति के पूर्व भवन का उपयोग न करें। किन्तु आवेदक के द्वारा निकाय से भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।

स्थल पर किये गये निर्माण की अद्यतन स्थिति का विस्तृत सर्वेक्षण कर वर्तमान स्थिति स्पष्ट करते हुए मानचित्र तैयार कराया गया ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। जांच प्रतिवेदन संलग्न है। स्थल पर वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :-

1. एरिया स्टेटमेंट :-

विवरण	क्षेत्रफल	इकाई
कुल प्लॉट क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	20904.28	वर्ग मीटर
एरिया अंडर रोड विड्थ (वर्गमीटर)	141.91	वर्ग मीटर
नेट प्लॉट एरिया (वर्गमीटर)	20762.37	वर्ग मीटर

2. एरिया स्टेटमेंट तुलनात्मक सारणी :-

विवरण	स्वीकृत ले आउट अनुसार	भवन निर्माण अनुज्ञा अनुसार	राजीनामा अनुसार	वर्तमान विद्यमान निर्माण अनुसार	अंतर (राजीनामा अनुसार)	रिमार्क
कुल प्लॉट क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	20904.28	20904.28	20904.28	20904.28	0.00	कोई अंतर नहीं
एरिया अंडर रोड विड्थ (वर्गमीटर)	752.47	752.47	141.91	141.91	0.00	कोई अंतर नहीं
नेट प्लॉट एरिया (वर्गमीटर)	20151.81	20151.81	20762.37	20762.37	0.00	कोई अंतर नहीं

3. वर्तमान विद्यमान निर्मित क्षेत्र निर्माण अनुसार:-

ब्लॉक-ए

बेसमेंट फ्लोर प्लान		
भू-तल मेजनाईन सहित	2244.36	वर्ग मीटर
प्रथम-तल ऑफिस एरिया	2185.97	वर्ग मीटर
द्वितीय-तल गोदाम शेड	51.80	वर्ग मीटर

ब्लॉक-बी

बेसमेंट फ्लोर प्लान (पार्किंग)	2586.48	वर्ग मीटर
भू-तल मेजनाईन सहित	2586.48	वर्ग मीटर
प्रथम-तल ऑफिस एरिया	2740.22	वर्ग मीटर
द्वितीय-तल कम्युनिटी हॉल आर.सी.सी.	228.86	वर्ग मीटर
द्वितीय-तल गोदाम शेड	458.38	वर्ग मीटर

ब्लॉक-सी

बेसमेंट फ्लोर प्लान (पार्किंग)	563.2	वर्ग मीटर
भू-तल मेजनाईन सहित	1424.11	वर्ग मीटर
प्रथम-तल ऑफिस एरिया	1371.64	वर्ग मीटर
द्वितीय-तल गोदाम शेड	98.97	वर्ग मीटर

ब्लॉक-डी

बेसमेंट फ्लोर प्लान (पार्किंग)	-	
भू-तल मेजनाईन सहित	769.98	वर्ग मीटर
प्रथम-तल ऑफिस एरिया	842.19	वर्ग मीटर
द्वितीय-तल गोदाम शेड	248.98	वर्ग मीटर

कमशः पृष्ठ 3 पर

ब्लॉक-ई

बेसमेंट फ्लोर प्लान (पार्किंग)	-	
भू-तल मेजनाईन सहित	876.57	वर्ग मीटर
प्रथम-तल ऑफिस एरिया	876.57	वर्ग मीटर
द्वितीय-तल गोदाम शेड	123.49	वर्ग मीटर

ब्लॉक-एफ एंड एच

बेसमेंट फ्लोर प्लान (पार्किंग)	827.27	वर्ग मीटर
भू-तल मेजनाईन सहित	1890.17	वर्ग मीटर
प्रथम-तल ऑफिस एरिया	1701.16	वर्ग मीटर
द्वितीय-तल गोदाम शेड	313.82	वर्ग मीटर

ब्लॉक-जी

बेसमेंट फ्लोर प्लान (पार्किंग)	1521.51	वर्ग मीटर
भू-तल मेजनाईन सहित	1521.51	वर्ग मीटर
प्रथम-तल ऑफिस एरिया	1469.01	वर्ग मीटर
द्वितीय-तल गोदाम शेड	52.34	वर्ग मीटर

TOTAL

बेसमेंट पार्किंग एरिया ब्लॉक - (बी, सी, जी एवं एच)	5498.46	वर्ग मीटर
ब्लॉक ए से एच भू-तल (आर.सी.सी.) एरिया	11313.18	वर्ग मीटर
ब्लॉक ए से एच प्रथम-तल (आर.सी.सी.) एरिया	11186.76	वर्ग मीटर
ब्लॉक बी द्वितीय तल हॉल (आर.सी.सी.) एरिया	228.86	वर्ग मीटर
ब्लॉक ए से एच द्वितीय-तल शेड एरिया	1347.78	वर्ग मीटर
महायोग (विद्यमान)	24076.58	वर्ग मीटर
एफ.ए.आर. यूस्टड	1.16	
ग्राउण्ड कवरेज यूस्टड	54.49 प्रतिशत	वर्ग मीटर

4. विद्यमान सड़क एवं ओपन एरिया :-

सड़क	7831.43	वर्ग मीटर
ओपन एरिया	1021.22	वर्ग मीटर

5. निर्मित क्षेत्र तुलनात्मक सारणी :-

विवरण	स्वीकृत ले आउट अनुसार	भवन निर्माण अनुज्ञा अनुसार	राजीनामा अनुसार	अंतर	अधिक / कम	वर्तमान विद्यमान निर्माण अनुसार	अंतर (राजीनामा अनुसार)	रिमाक	अंतर (स्वीकृत ले आउट अनुसार)	रिमाव
भू-तल (वर्गमीटर)	7518.40	7220.91	7678.72	457.81	अधिक	11313.18	3634.46	अधिक	3794.78	अधिव
प्रथम-तल (वर्गमीटर)	8270.26	9226.39	9823.58	597.19	अधिक	11186.76	1363.18	अधिक	2916.50	अधिव
द्वितीय-तल (वर्गमीटर)	8270.26	9226.39	222.30	-9004.09	कम	1576.64	1354.34	अधिक	-6915.92	कम
कुल निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर)	24058.92	25673.69	17724.60	-7949.09		24076.58	6351.98		-204.64	

कमरा: पृष्ठ 4 पर

तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बीरगांव के द्वारा राजीनामा अनुसार भूतल पर क्षेत्रफल 7678.72 वर्ग मीटर, प्रथम तल पर 9823.58 वर्ग मीटर तथा द्वितीय तल पर 222.30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। जबकि अद्यतन वर्तमान स्थिति अनुसार भूतल पर 11313.18 वर्ग मीटर, प्रथम तल पर 11186.76 वर्ग मीटर तथा द्वितीय तल पर 1576.64 वर्ग मीटर निर्माण कर लिया गया है। इस प्रकार कुल अनुज्ञात क्षेत्र (राजीनामा) की तुलना में 6351.98 वर्ग मीटर अनाधिकृत निर्माण होना पाया गया है।

तत्कालीन नगर पालिका परिषद बीरगांव द्वारा अप्राधिकृत निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार देय शुल्क निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा कराया गया है एवं किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है।


उपरोक्तानुसार यह प्रतीत होता है कि आवेदक के द्वारा राजीनामा की शर्तों की अनदेखी करते हुए राजीनामा किये गये क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में निर्माण किया गया है। उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन और मानचित्र संलग्न कर सादर प्रेषित है।



(नितीश अमन साहू)
उप अभियंता
नगर पालिक निगम, बीरगांव
जिला-रायपुर (छ.ग.)



(कृष्ण विजय सिंह)
सहायक अभियंता
नगर पालिक निगम, बीरगांव
जिला-रायपुर (छ.ग.)



(केवल चंद साहू)
सहायक अभियंता
नगर पालिक निगम, बीरगांव
जिला-रायपुर (छ.ग.)



अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष - बैसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1949) की जानकारी

प्रपत्र


सड़क निर्माण में उपयोग मुरुम एवं गिट्टी की रायल्टी का भुगतान

क्र.	मार्ग का नाम	वर्ष	उपयोग में लाया गया सामग्री		निर्माण एजेसीयों के द्वारा शासन को रायल्टी की जमा राशि	कितनी-कितनी रायल्टी का भुगतान किस-किस कार्य के लिये कब-कब किया गया		निर्माण एजेसीयों द्वारा प्रस्तुत रायल्टी रसीद एवं उपयोग मुरुम, गिट्टी की मात्रा का मिलान विभाग द्वारा कराये जाने का प्रावधान है।
			मुरुम	गिट्टी		राशि	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नायकताड़ से खरोरा शहर मार्ग के गौरवपथ निर्माण कार्य।	2024-25	-	19816.91 घनमीटर	विभाग की जानकारी में नहीं	-	-	जी नहीं
		2025-26	-	4559.80 घनमीटर	-तदैव-	-	-	रायल्टी क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर मात्रा का मिलान करने का प्रावधान है।
2	जिला रायपुर के नवागांव-बेलटुकरी- भड़हा मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूती करण कार्य ल. 8.20 किमी (कार्य वर्ष 2021-22)	2024-25	-	39759.32 घनमीटर	-तदैव-	-	-	-तदैव-

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	सी. जी. आर. आई. डी. सी. एल. जिला अंतर्गत रायपुर के 1) दोदेकला पचेड़ा मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य लम्बाई 3.40 किमी. 1 2) सारागाँवदेवरी मार्ग किमी. 1/2 से 3/10 , 4/2 से 6/10 एवं 7/2 से 8/10 = 8.00 किमी. का उन्नयन एवं नवीनीकरण कार्य।	2024-25	—	24431.69 घनमीटर	—तदैव—	—	—	—तदैव—
	महायोग'—03			88567.72 (घनमीटर)				


अनुभाग अधिकारी
 लोक निर्माण विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर


 मुख्य अभियंता (प्रशा.)
 कार्या. प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.
 नवी रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पारोक्ष - तिरसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 2079) की जानकारी

प्रपत्र

हैण्डपंप तकनीशियनों के स्वीकृत पद, भरे पद एवं रिक्त पद की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	रायपुर	24	15	09
2	महासमुंद	30	15	15
3	धमतरी	24	14	10
4	बलौदाबाजार	30	19	11
5	गरियाबंद	30	12	18
6	दुर्ग	18	10	08
7	बालोद	29	17	12
8	बेमेतरा	23	11	12
9	राजनांदगांव	18	09	09
10	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	18	07	11
11	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	18	07	11
12	कबीरधाम	24	11	13
13	बिलासपुर	26	13	13
14	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	15	07	08
15	मुंगेली	18	09	09
16	कोरबा	30	17	13
17	जांजगीर-चांपा	29	13	16
18	सक्ती	20	08	12
19	रायगढ़	42	19	23
20	सारंगढ़-बिलाईगढ़	16	07	09
21	सरगुजा	41	23	18
22	सूरजपुर	35	21	14
23	बलरामपुर	35	20	15
24	कोरिया	12	08	04
25	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	18	10	08
26	जशपुर	48	26	22
27	बस्तर	41	19	22
28	दंतेवाड़ा	24	18	06
29	बीजापुर	30	21	09
30	सुकमा	19	15	04
31	कोण्डागांव	30	17	13
32	कांकेर	41	15	26
33	नारायणपुर	20	09	11
	योग	876	462	414

Lushan
अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य प्रांत्विकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नया रायपुर, अटल नगर

पारोक्ष - चौसठ

अतारोकेत प्रश्न संख्या 21 (क्र. 2087) की जानकारी

"प्रपत्र-अ"

धमतरी जिले में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि। श्रीमती अंबिका मरकाम

प्रश्नाधीन अवधि अंतर्गत धमतरी जिले में खेल मैदान एवं मिनी स्टेडियम निर्माण के संबंध में विकासखण्डवार विवरण -

क्र.	कार्यालय का नाम	स्थान एवं विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम
01	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	वि.ख.- कुरुद	अटल बिहारी वाजपेई स्टेडियम खेल मैदान कुरुद में सिंथेटिक एथलेटिक रनिंग ट्रैक निर्माण कार्य
02	जिला पंचायत	मगरलोड	ग्राम पंचायत करेली छोटी में मिनी स्टेडियम निर्माण

- राजीव गांधी खेल स्टेडियम के अंतर्गत स्टेडियम निर्माण कार्य की जानकारी निरंक है।


 अधीर सावित्र
 छत्तीसगढ़ शासन
 खेल एवं युवा कल्याण विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

"प्रपत्र-ब"

धमतरी जिले में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि। श्रीमती अंबिका मरकाम

प्रश्नाधीन अवधि अंतर्गत धमतरी जिले में खेल मैदान मिनी स्टेडियम निर्माण के संबंध में राशि का विवरण -

क्र.	स्थान का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि रु.
01	कुरुद, जिला धमतरी	क्रीड़ा प्रोत्साहन योजनांतर्गत कुरुद जिला धमतरी में इंडोर हॉल निर्माण कार्य	472.17 लाख
02	धमतरी, जिला धमतरी	क्रीड़ा प्रोत्साहन योजनांतर्गत धमतरी जिला धमतरी में इंडोर हॉल निर्माण कार्य	469.88 लाख


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 खेल एवं युवा कल्याण विभाग
 नया रायपुर, अटल नगर

परीशेष - पेंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 2148) की जानकारी

प्रपत्र

जिला रायगढ़ अंतर्गत वर्ष 2025-26 में कराये गये पेयजल टेस्टिंग की विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विकासखंड	वर्ष 2025-26 में पेयजल टेस्टिंग के लिए लिये गये सेम्पल की संख्या	टेस्टिंग करने पर फेल हुए (अमानक स्तर के पाये जाने वाले) सेम्पल की संख्या	खरा नही उतरने वाले मानकों की संख्या	अमानक स्तर पर पाये जाने वाले स्तौत पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
1	रायगढ़	478	0	0	-
2	पुसौर	439	0	0	-
3	खरसिया	375	0	0	-
4	घरघोड़ा	137	0	0	-
5	तमनार	57	0	0	-
6	लौंगा	208	0	0	-
7	धरमजयगढ़	404	0	0	-
योग :-		2098	0	0	-

Sharma
अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य प्राधिकारी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

पारोशेष्ट - छेंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 2163) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत वर्ष 2018 से 2026 की स्थिति में नलजल योजना के तहत घरों तक पाईप लाईन के माध्यम से जलापूर्ति के लिये प्रदाय किये गये कनेक्शन की विकासखंडवार एवं ग्राम पंचायतवार जानकारी


क्रमांक	विकासखंड	ग्राम पंचायत का नाम	प्रदाय किये गये नल कनेक्शन की संख्या(वर्ष2018 से2026 तक)
1	2	3	4
1	अम्बिकापुर	अड़ची	168
2	अम्बिकापुर	बड़ादमाली	612
3	अम्बिकापुर	बरगई	319
4	अम्बिकापुर	बरगवां	359
5	अम्बिकापुर	भालूकछार	87
6	अम्बिकापुर	कर्ग	592
7	अम्बिकापुर	खजुरी	227
8	अम्बिकापुर	कुम्हरता	120
9	अम्बिकापुर	कुनियाकला	245
10	अम्बिकापुर	मोतीपुर	252
11	अम्बिकापुर	नानदमाली	473
12	अम्बिकापुर	नवानगर	673
13	अम्बिकापुर	नवापाराकला	262
14	अम्बिकापुर	नवापाराखुर्द	71
15	अम्बिकापुर	पंपापुर	295
16	अम्बिकापुर	पोंण्डीकला	552
17	अम्बिकापुर	रकेली	306
18	बतौली	बालमपुर	306
19	बतौली	बांसाझाल	218
20	बतौली	बासेन	399
21	बतौली	बटईकेला	131
22	बतौली	बतौली	642
23	बतौली	बेलकोटा	223
24	बतौली	भटको	343
25	बतौली	बिलासपुर	464
26	बतौली	बिरिमकेला	444

क्रमांक	विकासखंड	ग्राम पंचायत का नाम	प्रदाय किये गये नल कनेक्शन की संख्या(वर्ष2018 से2026 तक)
27	बतौली	बिशुनपुर	282
28	बतौली	बोदा	401
29	बतौली	चिपरकाया	65
30	बतौली	चिरगा	408
31	बतौली	देवरी	170
32	बतौली	गहिला	355
33	बतौली	घोघरा	395
34	बतौली	घुटरापारा	148
35	बतौली	गोविन्दपुर	183
36	बतौली	झरगवां	285
37	बतौली	कालीपुर	177
38	बतौली	कपाटबहरी	333
39	बतौली	करदना	254
40	बतौली	खड़धोवा	364
41	बतौली	कुनकुरी	529
42	बतौली	ललाती	136
43	बतौली	महेशपुर	481
44	बतौली	मंगारी	415
45	बतौली	मांजा	205
46	बतौली	मानपुर	61
47	बतौली	नकना	311
48	बतौली	पोकसरी	729
49	बतौली	पोपरेंगा	198
50	बतौली	सलियाडीह	382
51	बतौली	सरमना	424
52	बतौली	सेदम	179
53	बतौली	शिवपुर	152
54	बतौली	सिलमा	375
55	बतौली	सुवारपारा	386
56	बतौली	तरागी	187
57	बतौली	टेडगा	127
58	बतौली	तेलईधार	473


क्रमांक	विकासखंड	ग्राम पंचायत का नाम	प्रदाय किये गये नल कनेक्शन की संख्या(वर्ष2018 से2026 तक)
59	बतौली	तिरंग	202
60	मैनपाट	आमगांव	114
61	मैनपाट	असगवां	35
62	मैनपाट	असकरा	92
63	मैनपाट	बंदना	631
64	मैनपाट	बरिमा	399
65	मैनपाट	बिसरपानी	216
66	मैनपाट	चैनपुर	247
67	मैनपाट	चिड़ापारा	253
68	मैनपाट	डांगबुड़ा	441
69	मैनपाट	हरामार	354
70	मैनपाट	जजगा	589
71	मैनपाट	जामढोढ़ी	361
72	मैनपाट	जामकानी	300
73	मैनपाट	कदनई	166
74	मैनपाट	कमलेश्वरपुर	123
75	मैनपाट	काराबेल	356
76	मैनपाट	करम्हा	78
77	मैनपाट	कतकालो	712
78	मैनपाट	केशरा	461
79	मैनपाट	खड़गांव	359
80	मैनपाट	कोट	755
81	मैनपाट	कोटछाल	412
82	मैनपाट	कुदारीडीह	244
83	मैनपाट	कुनिया	476
84	मैनपाट	कुनकुरीखुर्द	159
85	मैनपाट	लुरेना	183
86	मैनपाट	महारानीपुर	232
87	मैनपाट	मालतीपुर (कलजिवा)	114
88	मैनपाट	नर्मदापुर	1319
89	मैनपाट	पैगा	250
90	मैनपाट	परपटिया	165

क्रमांक	विकासखंड	ग्राम पंचायत का नाम	प्रदाय किये गये नल कनेक्शन की संख्या(वर्ष 2018 से 2026 तक)
91	मैनपाट	पथरई	144
92	मैनपाट	पेंट	184
93	मैनपाट	पिडिया	296
94	मैनपाट	राजापुर	339
95	मैनपाट	रजखेता	197
96	मैनपाट	रोपाखार	496
97	मैनपाट	सलाईनगर	144
98	मैनपाट	समनिया	140
99	मैनपाट	सपनादर	152
100	मैनपाट	सरभंजा	430
101	मैनपाट	सुपलगा	250
102	मैनपाट	उडुमकेला	482
103	मैनपाट	उरंगा	165
104	सीतापुर	आमाटोली	254
105	सीतापुर	आरा	443
106	सीतापुर	एरण्ड	260
107	सीतापुर	बगडोली	131
108	सीतापुर	बमलाया	178
109	सीतापुर	बनेया	418
110	सीतापुर	बंशीपुर	317
111	सीतापुर	बेलगवां	305
112	सीतापुर	बेलजोरा	463
113	सीतापुर	भरतपुर	333
114	सीतापुर	भवराडांड	30
115	सीतापुर	भिथवा	346
116	सीतापुर	भुसू	516
117	सीतापुर	चलता	288
118	सीतापुर	देवगढ़	992
119	सीतापुर	धरमपुर	282
120	सीतापुर	ढेकीडोली	315
121	सीतापुर	ढेलसरा	372
122	सीतापुर	ढोढ़ागांव	264

क्रमांक	विकासखंड	ग्राम पंचायत का नाम	प्रदाय किये गये नल कनेक्शन की संख्या(वर्ष2018 से2026 तक)
123	सीतापुर	गेरसा	401
124	सीतापुर	गिरहुलडीह	647
125	सीतापुर	गुतुरमा	406
126	सीतापुर	हरदीसांड	297
127	सीतापुर	केरजू	464
128	सीतापुर	खड़ादोरना	194
129	सीतापुर	कुनमेरा	221
130	सीतापुर	ललितपुर	409
131	सीतापुर	लिचिरमा	270
132	सीतापुर	मुस्ता	175
133	सीतापुर	नवापारा	269
134	सीतापुर	पेटला	924
135	सीतापुर	प्रतापगढ़	415
136	सीतापुर	राधापुर	496
137	सीतापुर	रायकेरा	618
138	सीतापुर	रजौटी	493
139	सीतापुर	रजपुरी	354
140	सीतापुर	सहनपुर	336
141	सीतापुर	सरगा	478
142	सीतापुर	शिवनाथपुर	156
143	सीतापुर	सोनतराई	522
144	सीतापुर	सूर	731
145	सीतापुर	उलकिया	451
कुल :-			48804


अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

सरल क्रमांक	जिला	नियुक्ति की संख्या
1	बलरामपुर	87
2	बस्तर	126
3	बीजापुर	34
4	दंतेवाड़ा	25
5	जशपुर	180
6	कांकेर	238
7	कोंडागांव	171
8	कोरिया	58
9	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	99
10	नारायणपुर	29
11	सुकमा	18
12	सूरजपुर	132
13	सरगुजा	122
कुल		1319


सहायक संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा सयपुर, अटल नगर

प्रपत्र - अ

सेतु संभाग रायगढ़ में पुल पुलिया निर्माण में विलम्ब।

31 दिसम्बर, 2025 की स्थिति में 4 वर्ष से अधिक पुराने पुल के निर्माण कार्य की जानकारी

क.	कार्य का नाम	अनुबंधक का नाम	अनुबंध क्र.
1	2	3	4
1	जिला रायगढ़ के ग्राम तेन्दुमुडी (खरसिया) से ग्राम बेहरामुडा (धरमजयगढ़) के बीच स्थित कुरकुट नदी में पुल निर्माण।	श्री विशम्भर दयाल अग्रवाल, लुडेग	16/डी.एल.ऑफ / 20-21
2	जिला रायगढ़ के रायमेर से ससकोबा मार्ग के माण्ड नदी पर पुल निर्माण।	श्री विशम्भर दयाल अग्रवाल, लुडेग	05/डी एल ऑफ 21-22
3	जिला रायगढ़ के तुरेकेला तिरु के बीच सपनई नाला वि.खं. खरसिया पर पुल निर्माण।	श्री विशम्भर दयाल अग्रवाल, लुडेग	12/डीएल ऑफ 21-22
4	जिला रायगढ़ के नरकालो बायसी मार्ग पर मांड नदी पर पुल निर्माण।	श्री विशम्भर दयाल अग्रवाल, लुडेग	22/डी.एल.ऑफ / 21-22
5	जिला रायगढ़ के बरमकेला बड़ेनवापारा मार्ग पर किंकारी नाला पर पुल निर्माण।	श्री विशम्भर दयाल अग्रवाल, लुडेग	20/डी एल ऑफ 21-22
योग:- 05 कार्य।			



अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रावपुर



मुख्य अभियंता,

कार्या. प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.,
श. नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)


प्रपत्र - ब

सेतु संभाग रायगढ़ में पुल पुलिया निर्माण में विलम्ब।
वर्ष 2025-26 में शामिल सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पुल कार्य की जानकारी

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन शासन स्तर को प्रेषित किया गया है।	कब तक प्राक्कलन शासन को भेजा जावेगा	कार्य किस संभाग द्वारा किया जावेगा
1	2	3	4	5
1	जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के खेरट से परधियापाली मार्ग जीरा नाला में वि.ख. बरमकेला मार्ग पर पुल निर्माण कार्य।	जी नहीं	प्राक्कलन तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रायगढ़
2	जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के गोडिहारी से साल्हे पहुँच मार्ग पर पुल निर्माण।	जी नहीं	प्राक्कलन तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रायगढ़
3	जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के गुडेली कंवरगुडा मार्ग में लात नाला पर पुल निर्माण।	जी नहीं	प्राक्कलन तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रायगढ़
4	जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के बरदुला से जशपुर पहुँच मार्ग पर पुल निर्माण कार्य।	जी नहीं	प्राक्कलन तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	लोक निर्माण विभाग (भ/स) सारंगढ़-बिलाईगढ़
5	जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के चारभांठा से सकरतुंगा मार्ग पर नकटी नाला पर पुल निर्माण कार्य।	प्राक्कलन दिनांक 18.02.2026 को प्रेषित।	-	लोक निर्माण विभाग (भ/स) सारंगढ़-बिलाईगढ़
6	जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के लाम्पीपाली से तौसीर मार्ग पर पुलिया निर्माण।	जी नहीं	प्राक्कलन तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	लोक निर्माण विभाग (भ/स) सारंगढ़-बिलाईगढ़
7	जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के अमोदा से बेन्दरा पारा के बीच पुल निर्माण कार्य।	जी नहीं	प्राक्कलन तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	लोक निर्माण विभाग (भ/स) सारंगढ़-बिलाईगढ़
8	जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के मुख्य सड़क नावापारा से आश्रीत ग्राम अमलीपाली के पास पुल निर्माण वि.ख. बरमकेला	प्राक्कलन दिनांक 04.08.2025 को प्रेषित।	-	लोक निर्माण विभाग (भ/स) सारंगढ़-बिलाईगढ़
	योग:- 08 कार्य।			



अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर



मुख्य अभियंता,

कार्या. प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

जिला-जांजगीर चांपा में अवैध शराब के निर्माण संबंधी दर्ज प्रकरणों की जानकारी:-
आबकारी विभाग की जानकारी:-

क्रमांक	वर्ष	अवैध शराब निर्माण के दर्ज प्रकरणों की संख्या	गिरफ्तार आरोपियों की संख्या	जप्त मदिरा की मात्रा (ली.में)	जप्त वाहनों की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	2022-23	434	242	13890.05	0	
2	2023-24	417	176	11903.86	0	
3	2024-25	187	68	6097.99	0	
4	2025-26 (31.01.2026 तक)	268	203	5694.59	0	
योग:-		1306	689	37586.49	0	

जिला-जांजगीर चांपा में अवैध शराब के निर्माण संबंधी दर्ज प्रकरणों की जानकारी:-
पुलिस विभाग की जानकारी:-

क्रमांक	वर्ष	अवैध शराब निर्माण के दर्ज प्रकरणों की संख्या	गिरफ्तार आरोपियों की संख्या	जप्त मदिरा की मात्रा (ली.में)	जप्त वाहनों की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	2022-23	0	0	0	0	
2	2023-24	0	0	0	0	
3	2024-25	0	0	0	0	
4	2025-26 (31.01.2026 तक)	0	0	0	0	
योग:-		0	0	0	0	

जिला-जांजगीर चांपा में अवैध शराब के परिवहन संबंधी दर्ज प्रकरणों की जानकारी:-
आबकारी विभाग की जानकारी:-

क्रमांक	वर्ष	अवैध शराब परिवहन के दर्ज प्रकरणों की संख्या	गिरफ्तार आरोपियों की संख्या	जप्त मदिरा की मात्रा (ली.में)	जप्त वाहनों की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	2022-23	4	4	61.00	4	
2	2023-24	1	1	7.00	1	
3	2024-25	6	8	54.76	6	
4	2025-26 (31.01.2026 तक)	11	14	137.18	11	
योग:-		22	27	259.94	22	

जिला-जांजगीर चांपा में अवैध शराब के परिवहन संबंधी दर्ज प्रकरणों की जानकारी:-

पुलिस विभाग की जानकारी:-

क्रमांक	वर्ष	अवैध शराब परिवहन के दर्ज प्रकरणों की संख्या	गिरफ्तार आरोपियों की संख्या	जप्त मदिरा की मात्रा (ली.में)	जप्त वाहनों की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	2022-23	37	50	572.03	37	
2	2023-24	31	33	532.62	31	
3	2024-25	30	36	693.14	31	
4	2025-26 (31.01.2026 तक)	46	58	1045.74	46	
योग:-		144	177	2843.53	145	

जिला-जांजगीर चांपा में अवैध शराब के विक्रय संबंधी दर्ज प्रकरणों की जानकारी :-

आबकारी विभाग की जानकारी:-

क्रमांक	वर्ष	अवैध शराब विक्रय के दर्ज प्रकरणों की संख्या	गिरफ्तार आरोपियों की संख्या	जप्त मदिरा की मात्रा (ली.में)	जप्त वाहनों की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	2022-23	5	5	3.80	0	
2	2023-24	48	48	147.54	0	
3	2024-25	7	7	24.48	0	
4	2025-26 (31.01.2026 तक)	11	12	35.10	2	
योग:-		71	72	210.92	2	

जिला-जांजगीर चांपा में अवैध शराब के विक्रय संबंधी दर्ज प्रकरणों की जानकारी :-


पुलिस विभाग की जानकारी:-

क्रमांक	वर्ष	अवैध शराब विक्रय के दर्ज प्रकरणों की संख्या	गिरफ्तार आरोपियों की संख्या	जप्त मदिरा की मात्रा (ली.में)	जप्त वाहनों की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	2022-23	348	349	3927.00	0	-
2	2023-24	522	520	13099.99	0	-
3	2024-25	201	204	4141.78	0	-
4	2025-26 (31.01.2026 तक)	263	266	3064.37	0	-
योग:-		1334	1339	24233.14	0	

परिशेष - सत्तर

अतारोकेत प्रश्न संख्या 39 (क्र. 2480) की जानकारी

क्र.	वर्ष	सीएसआर मद में राशि प्रदाय करने वाले उद्योग का नाम एवं पता	सीएसआर मद में प्रदान की गई राशि (रु.)	प्राप्त राशि से स्वीकृत कार्य का विवरण	कार्यस्थल	व्यय राशि (रु.)	कार्य की अद्यतन स्थिति	रिमार्क
1	2024-25	महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. रायगढ़ क्षेत्र जिला रायगढ़ (छ.ग.)	10,80,000.00	जिला अंतर्गत विकासखण्ड धरमजयगढ़ क्षेत्र के उपचारत टी.बी. मरीजों को स्वास्थ्य लाभ हेतु अतिरिक्त पोषण आहार प्रदाय करने हेतु। (सितम्बर 2024 से दिसम्बर 2025 तक)	धरमजयगढ़	10,20,000.00	पूर्ण	
2	2024-25	महाप्रबंधक मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ग्राम लारा, तहसील पुसीर, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	25,00,00,000.00	नगर पालिक निगम, रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत नालदा लाइब्रेरी सह कैफेटेरिया एवं सस्पेंशन ब्रिज निर्माण कार्य के संबंध में।	रायगढ़	25,00,00,000.00	प्रगतिरत	
3	2024-25	मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम सराईपाली, तहसील तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	2,21,365.00	ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कुरी गुफा, ग्राम कुरी, विकासखण्ड लौलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) के विद्युतीकरण हेतु।	कुरी	2,21,365.00	पूर्ण	
4	2024-25	मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.)	27,00,000.00	1984 के पूर्व का भूमि से संबंधित पुराने रिकार्ड नक्शा, अधिकार अभिलेख, मिसल रिकार्ड, बन्दाबस्त इत्यादि राजस्व अभिलेखों को ऑनलाईन प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराने हेतु	रायगढ़	4,40,000.00	प्रगतिरत	
5	2024-25	मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.)		मिशन उत्कर्ष "छू लो आसमान" योजना अंतर्गत रायगढ़ जिले के कक्षा 11वीं, कक्षा 12 वीं एवं महाविद्यालय के छात्रों को करियर काउन्सिलिंग गाइडेंस देने (दिनांक 21 नवम्बर 2025 को रायगढ़ एवं दिनांक 22 नवम्बर 2025 को पुसीर) हेतु	रायगढ़	13,00,000.00	पूर्ण	


10/03/2026

अनुभाग अधिकारी
याण्ड्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

6	2024-25	मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.)		रायगढ़ जिला अंतर्गत गुरुकुल आवासीय विद्यालय, के.आई.टी. भवन, गढ़मरिया विकासखण्ड पुसौर, अतिरिक्त सामग्री हेतु।	गढ़मरिया	-	प्रगतिरत्	
7	2024-25	मेसर्स सिंघल इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम तराईमाल, तहसील तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	10,00,000.00	रायगढ़ जिला अंतर्गत गुरुकुल आवासीय विद्यालय, के.आई.टी. भवन, गढ़मरिया विकासखण्ड पुसौर, अतिरिक्त सामग्री हेतु।	गढ़मरिया	1,76,800.00	प्रगतिरत्	
8	2024-25	मेसर्स सिंघल इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम तराईमाल, तहसील तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.)		नगर पंचायत पुसौर, जिला रायगढ़ अंतर्गत इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम में पलड लाईट (04 नग) क्रय करने हेतु।	पुसौर	2,00,000.00	प्रगतिरत्	
9	2024-25	मेसर्स स्काई एलॉयज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम टेमटेमा, तहसील खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	5,00,000.00	पुलिस लाईन, उर्वना, रायगढ़ (छ.ग.) में जिले के युवाओं को अग्निवीर फिजिकल प्रशिक्षण हेतु बाहर से आये युवाओं को पुलिस लाईन में ठहरने व अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु	रायगढ़	4,00,000.00	पूर्ण	
10	2024-25	मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, ग्राम तमनार, तहसील तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	50,00,000.00					व्यय किया जाना प्रस्तावित
11	2024-25	मेसर्स महावीर एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, ग्राम भंगारी, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	2,00,000.00					व्यय किया जाना प्रस्तावित
12	2024-25	मेसर्स मां काली एलॉय उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम पाली, तहसील रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	13,00,000.00					व्यय किया जाना प्रस्तावित
13	2024-25	मेसर्स स्कैनिया स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, 22 के.एम. स्कॉन, घरघोड़ा रोड, पूंजीपथरा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	18,00,000.00					व्यय किया जाना प्रस्तावित


 10/03/2026
 अनुभाग अधिकारी
 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

14	2024-25	मेसर्स अडानी पावर छोटे भण्डार, पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	20,00,000.00	—	—	व्यय किया जाना प्रस्तावित
15	2024-25	मेसर्स एस.के.एस. पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम बिजकोट, दरामुड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.)	10,00,000.00	—	—	व्यय किया जाना प्रस्तावित
योग :-			26,68,01,365.00	25,37,58,165.00		
16	2025-26	महाप्रबंधक मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ग्राम लारा, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	6,86,400.00	पुसौर खरसिया	2,74,560.00	प्रगतिरत्
17	2025-26	महाप्रबंधक मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ग्राम लारा, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	11,99,60,000.00	रायगढ़	11,99,60,000.00	प्रगतिरत्
18	2025-26	महाप्रबंधक मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ग्राम लारा, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	41,42,400.00	पुसौर	-	प्रगतिरत्
19	2025-26	महाप्रबंधक मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ग्राम लारा, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	16,00,000.00	रायगढ़	6,40,000.00	प्रगतिरत्
20	2025-26	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, तलाईपाली कोल माईन्स, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	5,92,800.00	रायगढ़	5,92,800.00	प्रगतिरत्
21	2025-26	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, तलाईपाली कोल माईन्स, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	4,77,200.00	रायगढ़	4,77,200.00	प्रगतिरत्


 10/03/2026
 अनुभाग अधिकारी
 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

22	2025-26	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, तलाईपाली कोल माईन्स, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	3,95,200.00	कलेक्टोरेट कार्यालय रायगढ़ (छ.ग.) में जनसुविधा हेतु सामुदायिक महिला शौचालय जीर्णोद्धार कार्य	रायगढ़	3,95,200.00	प्रगतिरत्	
23	2025-26	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, तलाईपाली कोल माईन्स, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	60,000.00	जिला कार्यालय संयुक्त भवन हेतु 02 नग वाटर कूलर एवं आर. ओ. उपलब्ध कराने हेतु।	रायगढ़	60,000.00	प्रगतिरत्	
24	2025-26	मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, ग्राम तमनार, तहसील तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	50,00,000.00	जिला अंतर्गत गुरुकुल आवासीय विद्यालय, के.आई.टी. भवन, गढ़मरिया, विकासखण्ड पुसौर में भोजन व्यवस्था हेतु अतिरिक्त मांग	गढ़मरिया	17,00,000.00	प्रगतिरत्	
25	2025-26	मेसर्स मां मंगला इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम नटवरपुर, तहसील रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	15,00,000.00	—	—	—	—	व्यय किया जाना प्रस्तावित
योग :-			13,44,14,000.00			12,40,99,760.00		
महायोग			40,12,15,365.00			37,78,57,925.00		

R.R.

10/03/2026

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष्य - इकहत्तर

अतारोकेत प्रश्न संख्या 40 (क्र. 2484) की जानकारी


प्रपत्र

विषय:-जिला बालोद अंतर्गत सड़क मार्ग निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		दिनांक 15.02.2026 की स्थिति में कार्य की प्रगति	अप्रारंभ होने का कारण	कब तक पूर्ण किया जावेगा	टीप
		राशि (लाख में)	दिनांक				
1	2 जिला- बालोद के ग्राम पसौद से झिटिया होते हुए कैंवटनवागांव तक सड़क निर्माण मार्ग लं. 8.10 कि.मी.	3 991.41	4 22.09.2023	5 अप्रारंभ	6 वित्तीय निर्देश 42/2023 के परिपालन में निविदा की कार्यवाही लंबित रखी गई है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	7
2	जिला बालोद के देवरी से नर्मदाधाम सुरसुली पडुच मार्ग लं. 2.70 कि.मी. का निर्माण कार्य पुल पुलिया सहित	439.53	22.09.2023	अप्रारंभ	वित्तीय निर्देश 42/2023 के परिपालन में निविदा की कार्यवाही लंबित रखी गई है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	
3	जिला बालोद के ग्राम जगन्नाथपुर से परसदा होते हुए ग्राम पापरा तक लं. 6.025 कि.मी. डामरीकृत सड़क निर्माण कार्य	694.74	22.09.2023	अप्रारंभ	वित्तीय निर्देश 42/2023 के परिपालन में निविदा की कार्यवाही लंबित रखी गई है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	
योग :- 03 कार्य		2125.68		03 अप्रारंभ			



अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर



मुख्य अभियंता
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोकनि.वि. नवा रायपुर अटल नगर

पारोक्ष - बहत्तर

अतारोकेत प्रश्न संख्या 41 (क्र. 2485) की जानकारी

प्रपत्र

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यरत (संविदा) शिक्षक/कर्मचारी

क्र.	जिले का नाम	संविदा हेतु स्वीकृत पद			संविदा हेतु कार्यरत पद				संविदा हेतु रिक्त पद		
		शैक्षणिक पद	गैर शैक्षणिक पद	कुल	शैक्षणिक पद		गैर शैक्षणिक पद		शैक्षणिक पद	गैर शैक्षणिक पद	कुल
					हिन्दी माध्यम	अंग्रेजी माध्यम	हिन्दी माध्यम	अंग्रेजी माध्यम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कोरिया	134	26	160	12	115	14	10	7	2	9
2	सरगुजा	338	69	407	43	221	0	11	74	58	132
3	जशपुर	311	108	419	52	164	43	41	21	16	37
4	रायगढ़	256	102	358	7	105	0	4	25	2	27
5	कोरबा	333	69	402	17	256	12	26	77	31	108
6	जांजगीर	205	43	248	23	163	0	40	19	3	22
7	बिलासपुर	431	63	494	0	235	0	52	84	14	98
8	कबीरधाम	201	45	246	26	150	0	35	25	10	35
9	राजनान्दगांव	229	49	278	18	187	0	37	24	12	36
10	दुर्ग	1011	216	1227	16	506	8	68	489	140	629
11	रायपुर	709	108	817	0	573	0	93	136	15	151
12	महासमुंद	207	22	229	18	146	0	21	43	1	44
13	धमतरी	221	40	261	0	170	0	13	47	28	75
14	कांकेर	402	70	472	67	329	49	27	87	10	97
15	बस्तर	416	202	618	0	368	0	192	48	10	58
16	दन्तेवाड़ा	152	40	192	37	98	0	29	17	11	28
17	नारायणपुर	94	13	107	6	35	10	1	53	2	55
18	बीजापुर	383	38	421	63	262	18	7	48	13	61
19	बलौदाबाजार	351	107	458	0	287	0	70	64	37	101
20	गरियाबन्द	246	42	288	31	161	6	24	54	12	66
21	मुंगेली	181	34	215	11	97	20	1	73	13	86
22	बालोद	432	89	521	8	361	0	69	65	22	87
23	बेमेतरा	365	64	429	48	224	5	50	93	9	102
24	कोण्डागांव	351	61	412	32	308	45	13	11	3	14
25	सुकमा	149	33	182	31	103	28	4	15	1	16
26	बलरामपुर	270	57	327	51	183	55	2	36	0	36
27	सूरजपुर	341	78	419	75	240	34	13	26	31	57
28	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	161	36	197	14	102	8	23	46	5	51
29	मोहला-मानपुर-अं. चौकी	142	26	168	9	107	0	24	21	2	23
30	खैरागढ़-छुईखदान-गं डई	149	22	171	14	104	0	17	31	5	36
31	सांगड बिलाईगढ़	188	33	221	0	178	0	27	10	6	16
32	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	145	44	189	12	118	31	13	15	0	15
33	सक्ती	250	35	285	18	156	21	10	76	4	80
योग		9754	2084	11838	759	6812	407	1067	1960	528	2488

Obut.
 अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 नवा रायपुर, अटल नगर

Rudra
 सहायक संचालक
 लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

परिशेष - तेहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 2583) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क्र	जिला	औ.नी. 2024-30 अंतर्गत एमओयू/ इनवीटेशन टू इन्वेस्ट/ अभिस्वीकृति प्राप्त औद्योगिक इकाई का नाम एवं पता	प्रस्तावित परियोजना स्थल	उद्योग की श्रेणी (मध्यम/ वृहद)	सेक्टर	कंपनी (विदेशी/ राष्ट्रीय)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुंगेली	मेसर्स अबरेल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, मुम्बई, महाराष्ट्र	ग्राम ढाकाचाका, डगनिया, जिला मुंगेली	वृहद	ऊर्जा (सोलर)	राष्ट्रीय	उत्पादन प्रारंभ, पूंजी निवेश 450 करोड़, रोजगार 45
2	बिलासपुर	मेसर्स हिन्दुजा रिनेवेबल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई, महाराष्ट्र	जिला बिलासपुर	वृहद	ऊर्जा (पीएसपी)	राष्ट्रीय	—
3	महासमुन्द	मेसर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, रायपुर	ग्राम जंगलबेड़ा, तह. सराईपाली, महासमुन्द, ग्राम चीतापाली, बोझिया, नवापारा, कटईपाली, जिला रायगढ़ एवं ग्राम महरूमकला, तह. घुमका, जिला राजनांदगांव	वृहद	ऊर्जा (सोलर)	राष्ट्रीय	—
4	बेमेतरा	मेसर्स अहम इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	ग्राम नेवनारा, तह. भिंभोरी, बेरला, जिला बेमेतरा	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	—
5	बिलासपुर	मेसर्स बिलासपुर माइनिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बिलासपुर	ग्राम खरकेना, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	—
6	रायपुर	मेसर्स यश फ़ैन्स एंड एप्लायंसेस लिमिटेड, ग्राम काठा, बददी, हिमाचल प्रदेश	सेक्टर 22, नवा रायपुर	वृहद	इलेक्ट्रॉनिक्स	राष्ट्रीय	—
7	बलौदाबाजार	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (रवान सीमेंट वर्क्स), बलौदाबाजार	ग्राम रवान, तह. सिमगा, जिला बलौदाबाजार	वृहद	सीमेंट	राष्ट्रीय	उत्पादन प्रारंभ, पूंजी निवेश 1544.03 करोड़, रोजगार 165
8	रायपुर	मेसर्स तारणी स्टील एलएलपी (यूनिट-2), रायपुर	ग्राम देवरी व छटौद तह. तिल्दा, जिला रायपुर	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	—
9	रायपुर	मेसर्स श्री राधे शक्ति स्पंज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	ग्राम चांपा व कोटा, तह. तिल्दा, जिला रायपुर	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	—
10	रायपुर	मेसर्स श्री नाकोड़ा इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	ग्राम सांकरा, तह. तिल्दा, जिला रायपुर	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	—
11	रायपुर	मेसर्स श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड, रायपुर (विस्तार परियोजना)	ग्राम टंडवा, कुदरू, तह. तिल्दा, जिला रायपुर	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	—
12	बेमेतरा	मेसर्स शिवालिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रायपुर	ग्राम कटालबोध, जिला बेमेतरा	वृहद	ऊर्जा (सोलर)	राष्ट्रीय	—

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

संयोजक, नया रायपुर, भद्रपुर नगर

13	बेमेतरा	मेसर्स शांति ग्रीन बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर, ओड़ीशा	ग्राम सरदा, तह. बेरला, जिला बेमेतरा	वृहद	इथेनॉल	राष्ट्रीय	---
14	रायपुर	मेसर्स साई मॉ स्टील एंड रोलिंग मिल प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	तिल्दा, रायपुर	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
15	कवर्धा	मेसर्स रिन्वू हाईड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	कवर्धा एवं बिलासपुर	वृहद	ऊर्जा (पीएसपी)	राष्ट्रीय	---
16	दुर्ग	मेसर्स रिलायंस बायो एनर्जी लिमिटेड, मुंबई	ग्राम जामगांव (एम), तह. पाटन, जिला दुर्ग तथा ग्राम भरनी, जिला बिलासपुर	वृहद	कम्प्रेसड बाँयो गैस	राष्ट्रीय	---
17	रायपुर	मेसर्स आरएजी फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	ग्राम जोता, तह. तिल्दा, जिला रायपुर	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
18	रायपुर	मेसर्स प्रासील इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	फार्मा पार्क, नवा रायपुर	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
19	बालोद	मेसर्स पैरा माइनिंग इण्डस्ट्रीज एलएलपी (पैरा स्टील इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड), कटनी, मध्यप्रदेश	ग्राम भरदा, चिल्हाटीखुर्द, जिला बालोद	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
20	बलौदाबाजार	मेसर्स मैक्स स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	ग्राम कुकुरचुंदा, जिला बलौदाबाजार	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
21	रायगढ़	मेसर्स मॉ मनसा आयरन एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, रायगढ़	ग्राम पाली, गेरवानी, जिला रायगढ़	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
22	बस्तर (जगदलपुर)	मेसर्स मॉ दुर्गा आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	ग्राम कुर्दी, तह. जगदलपुर, जिला बस्तर	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
23	मुंगेली	मेसर्स एलएन स्टील एंड एलायज प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता, प.बंगाल	ग्राम बड़ियाडीह, जिला मुंगेली	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
24	बलौदाबाजार	मेसर्स कृतिका स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, दुर्ग	ग्राम हथबंद, जिला बलौदाबाजार ग्राम दामांबोड़, तह. सिमगा, जिला बलौदाबाजार	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
25	राजनांदगांव	मेसर्स हीरा पावर एंड स्टील लिमिटेड, रायपुर	---	वृहद	ऊर्जा (सोलर)	राष्ट्रीय	---
26	बिलासपुर	मेसर्स आईमेक स्टील एंड पावर लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र	ग्राम सकरी, तह. सकरी, जिला बिलासपुर	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
27	रायपुर	मेसर्स पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, श्रीपेरम्बुदुर, तमिलनाडू	सेक्टर-5, नवा रायपुर, जिला रायपुर	वृहद	इलेक्ट्रॉनिक्स	राष्ट्रीय	---
28	रायपुर	मेसर्स बैद्यनाथ स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	ग्राम छपोरा, तह. तिल्दा, जिला रायपुर	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
29	बलौदाबाजार	मेसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, अहमदाबाद	ग्राम रवान, तह. व जिला बलौदाबाजार	वृहद	सीमेंट	राष्ट्रीय	उत्पादन प्रारंभ, पूंजी निवेश 1700 करोड़, सेजगार 117

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

30	राजनांदगांव	मेसर्स डूल्स पेट फूड प्राइवेट लिमिटेड, इंदामारा, राजनांदगांव	ग्राम तोलागांव, अमलीडीह, तह. डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव	वृहद	फूड	राष्ट्रीय	आंशिक उत्पादन प्रारंभ, पूंजी निवेश 615 करोड़, रोजगार 67
31	रायगढ़	मेसर्स प्रिज्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	ग्राम तुमीडीह व पूंजीपथरा, तह. घरघोड़ा, जिला रायगढ़	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
32	बिलासपुर	मेसर्स अग्रवाल चैनल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	ग्राम गुनसरी, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर	वृहद	ऊर्जा (सोलर)	राष्ट्रीय	---
33	महासमुन्द	मेसर्स मनोरमा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई, महाराष्ट्र	ग्राम बिरकोनी तह. व जिला महासमुन्द तथा ग्राम रसनी, तह. व जिला रायपुर	वृहद	फूड	राष्ट्रीय	---
34	बेमेतरा	मेसर्स आर एंड बी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	ग्राम चंदनू रवेली, जिला बेमेतरा	वृहद	इथेनॉल	राष्ट्रीय	---
35	दुर्ग	मेसर्स साई बायोएनर्जी छत्तीसगढ़ प्राइवेट लिमिटेड (साई बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, साई वीएसएलपी बायो एनर्जी प्रा.लि.), हैदराबाद, तेलंगाना	ग्राम बोरी नवागांव, जिला दुर्ग एवं खैरागढ़	वृहद	कम्प्रेसड बाँयो गैस	राष्ट्रीय	---
36	बेमेतरा	मेसर्स एपीआई इस्पात एंड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	ग्राम साजा, जिला बेमेतरा	वृहद	ऊर्जा (सोलर)	राष्ट्रीय	उत्पादन प्रारंभ, पूंजी निवेश 147 करोड़, रोजगार 35
37	बेमेतरा	मेसर्स रियल इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	ग्राम झींका, तह. नांदघाट, जिला बेमेतरा	वृहद	ऊर्जा (सोलर)	राष्ट्रीय	---
38	राजनांदगांव	मेसर्स कल्याणी इस्पात लिमिटेड (विस्तार परियोजना)	ग्राम कोपेडीह अंजोरा, तह. व जिला राजनांदगांव	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
39	राजनांदगांव	मेसर्स कल्याणी इस्पात लिमिटेड, रायपुर	जिला राजनांदगांव	वृहद	प्लास्टिक (पीसीसी पार्दर्मा)	राष्ट्रीय	---
40	दन्तेवाड़ा	मेसर्स हाला मोबिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	दन्तेवाड़ा	वृहद	ई.वी.	राष्ट्रीय	---
41	बिलासपुर	मेसर्स हिन्दुस्तान स्ट्रक्चरल पाईप्स लिमिटेड, रायपुर	ग्राम बिनौका, तह. मस्तुरी, जिला बिलासपुर	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	आंशिक उत्पादन प्रारंभ, पूंजी निवेश 56 करोड़, रोजगार 20
42	जांजगीर चांपा	मेसर्स देवी आयरन एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	ग्राम कुरमा, तह. बलोदा, जिला जांजगीर चांपा	वृहद	ऊर्जा (सोलर)	राष्ट्रीय	---
43	रायपुर	मेसर्स वक्रांगी मेटल एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	ग्राम टण्डवा, तह. तिल्दा, जिला रायपुर	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
44	रायपुर	मेसर्स क्लेन पेक्स लिमिटेड, बेंगलुरु (कर्नाटक)	नवा रायपुर	वृहद	टेक्सटाईल	राष्ट्रीय	---



अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

45	रायपुर	मेसर्स केन्स टेक्नोलाजी इंडिया लिमिटेड, मैसूर	नवा रायपुर	वृहद	इलेक्ट्रॉनिक्स	राष्ट्रीय	---
46	बेमेतरा	मेसर्स जीपीएसआर आर्या प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक	ग्राम सिलघट, तह. बेरला, जिला बेमेतरा	वृहद	कम्प्रेस्ड बॉयो गैस	राष्ट्रीय	---
47	जांजगीर चांपा	मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक	जिला मुंगेली	वृहद	अन्य (माइनिंग इक्वि. मेन्चु.)	राष्ट्रीय	---
48	रायपुर	मेसर्स एसआरवी नाइटटेक प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक	रायपुर	वृहद	टेक्सटाईल	राष्ट्रीय	---
49	छत्तीसगढ़ राज्य	मेसर्स ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक	छत्तीसगढ़ राज्य	वृहद	फूड	राष्ट्रीय	---
50	छत्तीसगढ़ राज्य	मेसर्स गोकलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक	छत्तीसगढ़ राज्य	वृहद	टेक्सटाईल	राष्ट्रीय	---
51	बस्तर (जगदलपुर)	मेसर्स ग्रीन टेक सॉल्यूशन्स, हैदराबाद	बस्तर	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
52	जशपुर	मेसर्स सारडा हाईड्रो पावर एलएलपी, रायपुर	ग्राम सिकीरमा व समडमा, तह. फरसाबहार, जिला जशपुर	वृहद	ऊर्जा (एचपीपी)	राष्ट्रीय	---
53	रायपुर	मेसर्स आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलीजेंस मटेरियल्स लिमिटेड, चेंगापटूर, तमिलनाडू	सेक्टर-5, नवा रायपुर, जिला रायपुर	वृहद	इलेक्ट्रॉनिक्स	राष्ट्रीय	---
54	कोरबा	मेसर्स केजेएसएल कोल एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, कोरबा, छत्तीसगढ़	ग्राम धतुरा, हरदी बाजार, सीपत रोड, कोरबा	वृहद	ऊर्जा (टीपीपी)	राष्ट्रीय	---
55	रायपुर	मेसर्स ज्यूपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड, कोलकाता	जिला रायपुर	वृहद	ऊर्जा (सोलर)	राष्ट्रीय	---
56	बेमेतरा	मेसर्स करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मेरठ, उत्तरप्रदेश	ग्राम अकोली, नांदघाट, जिला बेमेतरा	वृहद	ऊर्जा (पीटीएम)	राष्ट्रीय	---
57	रायपुर	मेसर्स एसजी ग्रीन बिल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	ग्राम सांकरा, रानिमं- तरपोंगी, तह. तिल्दा, जिला रायपुर	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
58	रायपुर	मेसर्स ओनिक्स श्री इनरसोल प्राइवेट लिमिटेड, राजकोट (गुजरात)	जिला रायपुर	वृहद	अन्य (ग्रीन हाईड्रोजन)	राष्ट्रीय	---
59	रायगढ़	मेसर्स जिंदल स्टील छत्तीसगढ़ लिमिटेड, रायगढ़	ग्राम कलमी, धनगर, बरमुड़ा, जोरापाली एवं गोजामुड़ा, तह. व जिला रायगढ़	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
60	रायगढ़	मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, रायगढ़	रायगढ़	वृहद	ऊर्जा (टीपीपी)	राष्ट्रीय	---
61	रायगढ़	मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, रायगढ़	तमनार, जिला रायगढ़	वृहद	ऊर्जा (सोलर)	राष्ट्रीय	---
62	रायपुर	मेसर्स वीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	ग्राम कुटेसर, जिला रायपुर	वृहद	प्लास्टिक	राष्ट्रीय	---
63	रायपुर	मेसर्स लाइसियम लाईफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात	रायपुर	वृहद	फार्मा	राष्ट्रीय	---
64	दन्तेवाड़ा	मेसर्स आर्सेलरमित्तल निपॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सूरत, गुजरात	दन्तेवाड़ा	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
65	दुर्ग	मेसर्स आईस्टार मटेरियल्स, दुर्ग	ग्राम मुरमंदा, जिला दुर्ग	वृहद	अन्य (डिफेंस)	राष्ट्रीय	---



अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

66	सरगुजा	मेसर्स अडानी इंटरप्राइजेस, अहमदाबाद, गुजरात	सरगुजा	वृहद	अन्य (केमिकल)	राष्ट्रीय	---
67	रायगढ़	मेसर्स सिंगल स्टील प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता	रायगढ़	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
68	रायपुर	मेसर्स केजीबी हाईब्रिड ग्रीन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	नवा रायपुर	वृहद	ई.वी.	राष्ट्रीय	---
69	बेमेतरा	मेसर्स ग्रीन एनर्जी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तर प्रदेश	ग्राम सिंगारडीह, तह. भिभौरी, जिला बेमेतरा	वृहद	ऊर्जा (पीएडब्ल्यू)	राष्ट्रीय	---
70	रायपुर	मेसर्स स्विफ्ट टेक्सटाईल्स प्राइवेट लिमिटेड, त्रिपुर, तमिलनाडू	नवा रायपुर	वृहद	टेक्सटाईल	राष्ट्रीय	---
71	छत्तीसगढ़ राज्य	मेसर्स रि-न्यू प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली	---	वृहद	ऊर्जा (सोलर)	राष्ट्रीय	---
72	रायपुर	मेसर्स ओम स्पंज, रायपुर (विस्तार परियोजना)	ग्राम मुनरेठी, तह. धरसीवा, जिला रायपुर	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	आंशिक उत्पादन प्रारंभ, पूंजी निवेश एवं रोजगार की जानकारी प्रदत्त नहीं
73	छत्तीसगढ़ राज्य	मेसर्स सरताज कंपनी लिमिटेड (सरताज फूड्स), ओसाका, जापान	छत्तीसगढ़ राज्य	वृहद	फूड	विदेशी	---
74	छत्तीसगढ़ राज्य	मेसर्स एसएस सांचा कंपनी लिमिटेड, ओसाका, जापान	छत्तीसगढ़ राज्य	मध्यम	इलेक्ट्रॉनिक्स	विदेशी	---
75	छत्तीसगढ़ राज्य	मेसर्स मार्डनटेक कार्पोरेशन लिमिटेड, कोरिया	छत्तीसगढ़ राज्य	वृहद	इलेक्ट्रॉनिक्स	विदेशी	---
76	रायपुर	मेसर्स प्राची एग्रीकल्चर एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	ग्राम परसाटोली, तह. कुसमी, जिला बलरामपुर	वृहद	ऊर्जा (एचपीपी)	राष्ट्रीय	---
77	सरगुजा	मेसर्स मोश वारया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रायपुर	ग्राम कोटपाली, तह. कुसमी, जिला सरगुजा	वृहद	ऊर्जा (एचपीपी)	राष्ट्रीय	---
78	सरगुजा	मेसर्स छत्तीसगढ़ हाईड्रो पावर एलएलपी, रायपुर	ग्राम थरगी, जिला सूरजपुर	वृहद	ऊर्जा (एचपीपी)	राष्ट्रीय	---
79	रायगढ़	मेसर्स छत्तीसगढ़ हाईड्रो पावर एलएलपी, रायपुर	ग्राम तेजपुर व भलुवापखाना, तह. धरमजयगढ़, जिला रायगढ़	वृहद	ऊर्जा (एचपीपी)	राष्ट्रीय	---
80	बालोद	मेसर्स श्री गुरुदेव राईस इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, राजनांदगांव	ग्राम कोटेरा, तह. डौण्डी लोहारा, जिला बालोद	वृहद	फूड (एगी राईस मिल)	राष्ट्रीय	---
81	बलरामपुर	मेसर्स बालाजी मार्बल एंड टाईल्स प्राइवेट लिमिटेड, बरगावन, कटनी, मध्यप्रदेश	ग्राम डिपाडीहकला, जिला बलरामपुर	वृहद	एल्युमिना	राष्ट्रीय	---
82	कांकेर	मेसर्स निहिचलानी स्टील इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, धमतरी	जिला कांकेर	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
83	रायपुर	मेसर्स हिन्दुस्तान कन्स्यूमर्स प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	नवा रायपुर, अटलनगर	वृहद	अन्य	राष्ट्रीय	---
84	बलौदाबाजार	मेसर्स एसकेए स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	जिला बलौदाबाजार एवं ग्राम भेजामैदानी, कुलिया, नवागांव एवं कनेरी, तह. गुरुर, जिला बालोद	वृहद	ऊर्जा (सोलर)	राष्ट्रीय	---



अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
भंडारालय, नवा रायपुर, अटल नगर

85	बिलासपुर	मेसर्स आरती कोटेड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	ग्राम अमेरी अकबरी, तह. बिल्हा, जिला बिलासपुर	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
86	रायगढ़	मेसर्स सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, नागपुर	ग्राम बिंझकोट एवं दरामुड़ा, तह. खरसिया, जिला रायगढ़	वृहद	ऊर्जा (टीपीपी)	राष्ट्रीय	---
87	दुर्ग	मेसर्स शिवालिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रायपुर	दुर्ग	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
88	महासमुन्द	मेसर्स शिवालिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रायपुर	ग्राम बेलसोडा, मुडेना रोड, महासमुन्द	वृहद	अन्य (आटोमोटिव)	राष्ट्रीय	---
89	छत्तीसगढ़ राज्य	मेसर्स शिवालिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रायपुर	स्थल चयनित नहीं।	वृहद	ई.वी. (लि.आ. बैटरी)	राष्ट्रीय	---
90	छत्तीसगढ़ राज्य	मेसर्स आरएसएलडी बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़	स्थल चयनित नहीं।	वृहद	इथेनॉल	राष्ट्रीय	---
91	रायगढ़	मेसर्स बी.एस.स्पंज प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता	ग्राम बड़गांव, तह. तमनार, जिला रायगढ़	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
92	बलौदाबाजार	मेसर्स श्री ईश्वर मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	ग्राम- मझगांव, रानिमं.- भाटापारा, तह. व जिला बलौदाबाजार	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
93	सरगुजा	मेसर्स मध्य भारत मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	ग्राम बरीमा, तह. मैनपाट, जिला सरगुजा	वृहद	अन्य (स्टोन चिप्स, ब्रिक्स)	राष्ट्रीय	---
94	सरगुजा	मेसर्स मॉ कुदरगढ़ी एल्युमिना रिफायनरी प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	ग्राम केसरा, तह. मैनपाट, जिला सरगुजा	वृहद	अन्य (स्टोन चिप्स, ब्रिक्स)	राष्ट्रीय	---
95	मुंगेली	मेसर्स मॉ कुदरगढ़ी एल्युमिना रिफायनरी प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	ग्राम सनवा, तह. सरगांव, ब्लॉक पथरिया, जिला मुंगेली	वृहद	एल्युमिना	राष्ट्रीय	---
96	राजनांदगांव	मेसर्स एसडीआरएम मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर, उत्तरप्रदेश	ग्राम जोरातराई, रानिमं- खैरझिटी, तह. एवं जिला राजनांदगांव	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
97	रायपुर	मेसर्स प्रगति डिफेंस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, बिलासपुर	नवा रायपुर	वृहद	अन्य (डिफेंस)	राष्ट्रीय	---
98	सक्ति	मेसर्स डीबी पावर एक्सपांशन लिमिटेड, भोपाल, म.प्र.	जिला सक्ती	वृहद	ऊर्जा (टीपीपी)	राष्ट्रीय	---
99	रायगढ़	मेसर्स रूंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता	ग्राम गढ़उमरिया, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
100	रायपुर	मेसर्स एसपीआरएन स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	ग्राम रायखेड़ा, तह. खरोरा, जिला रायपुर	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
101	रायगढ़	मेसर्स टोरेट पावर लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात	रायगढ़	वृहद	ऊर्जा (टीपीपी)	राष्ट्रीय	---
102	रायपुर	मेसर्स टोरेट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात	रायपुर	वृहद	फार्मा	राष्ट्रीय	---



अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
राज्य सरकार, अहमदाबाद

103	रायपुर	मेसर्स माला क्रियेशन प्राइवेट लिमिटेड, सूरत, गुजरात	रायपुर	वृहद	ऊर्जा (सोलर)	राष्ट्रीय	---
104	रायपुर	मेसर्स सफायर सेमीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात	रायपुर	वृहद	इलेक्ट्रॉनिक्स	राष्ट्रीय	---
105	बालोद	मेसर्स मिनरल डायनामिक्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	ग्राम गुदुम, तह. डौण्डी, जिला बालोद	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
106	रायपुर	मेसर्स पुनीत क्रियेशन, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई	रायपुर	वृहद	टेक्सटाईल	राष्ट्रीय	---
107	दुर्ग	मेसर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, जिला सिरौही, राजस्थान (विस्तार परियोजना)	अहिलारा, जिला दुर्ग	वृहद	सीमेंट	राष्ट्रीय	---
108	रायपुर	मेसर्स एविला फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, भयंदर, जिला ठाणे	रायपुर	वृहद	फार्मा	राष्ट्रीय	---
109	रायपुर	मेसर्स आईकॉन सोलर-एन पावर टेक्नालाजीस प्रा.लि., रायपुर	मंदिर हसौद, रायपुर	वृहद	ऊर्जा (सोलर)	राष्ट्रीय	---
110	राजनांदगांव	मेसर्स गेल इंडिया लिमिटेड	जिला राजनांदगांव	वृहद	अन्य (फर्टीलाइजर)	राष्ट्रीय	---
111	बेमेतरा	मेसर्स कैसफिश पेपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई	ग्राम गतवा बिरा, तह. बेरला, जिला बेमेतरा	वृहद	अन्य (पेपर)	राष्ट्रीय	---
112	बलौदाबाजार	मेसर्स संभव स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, रायपुर	ग्राम केसदा, तह. सिमगा, जिला बलौदाबाजार	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
113	रायपुर	मेसर्स संभव स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, रायपुर	ग्राम कुथरेल (यूनिट-2), तह. धरसीवा, जिला रायपुर	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
114	बलौदाबाजार	मेसर्स संभव ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड (नेवधा), रायपुर	ग्राम नेवधा, तह. सिमगा, जिला बलौदाबाजार	वृहद	स्टील	राष्ट्रीय	---
115	छत्तीसगढ़ राज्य	मेसर्स अडानी पावर लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात	छत्तीसगढ़ राज्य	वृहद	ऊर्जा (टीपीपी)	राष्ट्रीय	---
116	छत्तीसगढ़ राज्य	मेसर्स वंदना एग्रो साल्यूशन लिमिटेड, रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	मध्यम	अन्य (एग्री इक्वि. मेन्चु.)	राष्ट्रीय	---
117	छत्तीसगढ़ राज्य	मेसर्स नेक्सविन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	वृहद	फार्मा	राष्ट्रीय	---
118	महासमुन्द	मेसर्स 9एम इंडिया लिमिटेड, रायपुर	महासमुन्द	मध्यम	फार्मा	राष्ट्रीय	---
119	रायपुर	मेसर्स आईमेक लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र	नवा रायपुर	मध्यम	फार्मा	राष्ट्रीय	---
120	रायपुर	मेसर्स आईमेक इंटरनेशनल लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र	रायपुर	मध्यम	फार्मा	राष्ट्रीय	---
121	रायपुर	मेसर्स सारडा डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, रायपुर	रायपुर	मध्यम	फूड	राष्ट्रीय	---
122	बेमेतरा	मेसर्स श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड, रायपुर	ग्राम कोड़िया, जिला बेमेतरा	वृहद	ऊर्जा (सोलर)	राष्ट्रीय	---
123	कांकेर	मेसर्स ब्रजधाम इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	कांकेर	मध्यम	ऊर्जा (सोलर)	राष्ट्रीय	---
124	बेमेतरा	मेसर्स केशव विमला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	आनंदगांव, विख. बेरला, जिला बेमेतरा	मध्यम	कम्प्रेस्ड बॉयो गैस	राष्ट्रीय	---
125	बस्तर (जगदलपुर)	मेसर्स इप्टा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, जगदलपुर	जिला बस्तर	मध्यम	अन्य (नान मेटालिक मिनरल)	राष्ट्रीय	---
126	कांकेर	मेसर्स शंकरा लेटेक्स इण्डस्ट्रीज, धमतरी	औद्योगिक क्षेत्र, लखनपुरी, जिला कांकेर	मध्यम	फार्मा	राष्ट्रीय	---



अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

127	सुकमा	मेसर्स महानदी स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड, ननकठी, जिला दुर्ग	ग्राम छीदगढ़, फन्दीगुड़ा, जिला सुकमा	मध्यम	फूड	राष्ट्रीय	---
128	रायपुर	मेसर्स अरमानी ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज, रायपुर	जिला रायपुर	मध्यम	फार्मा	राष्ट्रीय	---
129	बेमेतरा	मेसर्स रक्षम रोलटेक प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	जिला बेमेतरा	मध्यम	अन्य (मेटल, बीम)	राष्ट्रीय	---
130	रायपुर	मेसर्स विटालिस हेल्थ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	नवा रायपुर	मध्यम	फूड	राष्ट्रीय	---
131	रायपुर	मेसर्स रोबोटिक्स इनबेडेड एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	जिला रायपुर	मध्यम	इलेक्ट्रॉनिक्स	राष्ट्रीय	---
132	रायपुर	मेसर्स दृष्टि डिजाइन एलएलपी, मुम्बई	जिला रायपुर	मध्यम	टेक्सटाईल	राष्ट्रीय	---



अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

क्र	औ.नी. 2024-30 अंतर्गत एमओयू/ इनवीटेशन टू इन्वेस्ट/ अभिस्वीकृति प्राप्त औद्योगिक इकाई का नाम एवं पता	प्रस्तावित परियोजना	प्रस्तावित पूंजी निवेश (करोड़ रु. में)	प्रस्तावित परियोजना स्थल	सेक्टर
1	2	3	4	5	6
1	मेसर्स सरताज कंपनी लिमिटेड (सरताज फूड्स), ओसाका, जापान	खाद्य प्रसंस्करण (11.45 मिलि. यूएसडी/100 करोड़ रु.)	100.00	छत्तीसगढ़ राज्य	फूड
2	मेसर्स एसएस सान्वा कंपनी लिमिटेड, ओसाका, जापान	खाद्य प्रसंस्करण (1 मिलि. यूएसडी)	8.85	छत्तीसगढ़ राज्य	फूड
3	मेसर्स एसएस सान्वा कंपनी लिमिटेड, ओसाका, जापान	इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग (2 मिलि. यूएसडी)	17.60	छत्तीसगढ़ राज्य	इलेक्ट्रॉनिक्स
4	मेसर्स मार्डनटेक कार्पोरेशन लिमिटेड, कोरिया	ईवी चार्जिंग मेन्युफेक्चरिंग यूनिट (12 मिलि. यूएसडी)	100.00	छत्तीसगढ़ राज्य	इलेक्ट्रॉनिक्स
योग			226.45		



अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : मुख्य अनुशांसाएं**अनुशांसा - (10+2) के स्थान पर नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना (5+3+3+4) 1****क्रियान्वयन :** वर्ष 2030 तक पूर्ण रूप से लागू किया जाना है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शाला परिसर में 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 10438 बालवाड़ियों के संचालन के साथ NEP 2020 द्वारा अनुशंसित अकादमिक संरचना 5+3+3+4 को लागू कर दिया है।

अनुशांसा - रटंत शिक्षा से दक्षता आधारित शिक्षा की ओर ।**क्रियान्वयन :**

राज्य द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को अनुकूलित कर आंशिक संशोधन के साथ राज्य की पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार की गयी है। NCERT द्वारा NEP 2020 को केंद्र में रखते हुए तैयार की गयी नवीन पाठ्यपुस्तकों को राज्य द्वारा सतत अनुकूलित कर लागू किया जा रहा है। आकलन को दक्षता पर केन्द्रित किया जा रहा है और शिक्षकों का नवीन पाठ्यपुस्तकों पर प्रशिक्षण निरंतर है।

अनुशांसा 3-6 वर्ष के बीच के शतप्रतिशत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्थादेखभाल और शिक्षा**क्रियान्वयन :** वर्ष 2030 तक पूर्ण रूप से लागू किया जाना है।

गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (Quality ECCE) के उद्देश्य से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं बालवाड़ी शिक्षकों को प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संदर्शिका, 3-4, 4-5, 5-6 आयु वर्ग के बच्चों के शिक्षण के लिए दैनिक लचीली शिक्षण योजना, गतिविधि पुस्तिका, विद्यार्थियों के लिए अभ्यास पुस्तिका अभ्यास पुस्तिका इत्यादि अकादमिक सामग्री बनाई गयी है। महिला बालविकास विभाग के साथ समन्वय कर इस संदर्भ में जागरूकता लाने के लिए शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षकों और SMC/SMDC सदस्यों के प्रशिक्षण में इस विषय को लगातार संबोधित किया जाता है। बालवाड़ी से संबंधित अकादमिक सामग्री का बच्चों की भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। बालवाड़ी की मॉनिटरिंग हेतु डैशबोर्ड का विकास किया गया है।

अनुशांसा - प्री-प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शत-प्रतिशत सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।**क्रियान्वयन :**

समावेशी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में शिक्षा में अनेक योजनायें संचालित हैं ताकि वर्ष 2030 तक कक्षा 1 से 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तर पर 100% सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

अनुशांसा कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों के लिए 3 माह का खेल आधारित शाला तत्परता कार्यक्रम (3 Months Playbased School Readiness Module)**क्रियान्वयन :** पूर्ण

NCERT के 'विद्या प्रवेश खेल आधारित शाला पूर्व तैयारी मॉड्यूल को अनुकूलित कर लागू किया जा चुका है।

अनुशंसा - कक्षा 3 के शतप्रतिशत विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्तकरना। (2026-27 तक)

FLN पर शिक्षकों का सघन प्रशिक्षण, अभ्यास पुस्तिकाओं का निर्माण, शिक्षण में जादुईपिटारा/स्थानीय जादुईपिटारा/ई-जादुई पिटारा / खिलोना किट का उपयोग करते हुए खेल/गतिविधि आधारित शिक्षण, नवीन पाठ्यपुस्तकों पर उन्मुखीकरण, बच्चों की प्रगति को मापने के लिए डैशबोर्ड का विकास, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए तैयार की गयी सामग्री का बच्चों की घर की भाषा/ मातृभाषा में अनुवाद इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं।

अनुशंसा- कला और विज्ञान, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों, व्यावसायिक और शैक्षणिकधाराओं के मध्य कोई सख्त अलगाव नहीं।

कक्षा 3 से कला शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का अध्यापन अनिवार्य विषय के रूप में, कक्षा 6 में इन विषयों के साथ व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गयी है।

अनुशंसा - विद्यार्थियों के लिए विषय चुनाव में लचीलापन।

लागू किया जाना है- 2030 तक

अनुशंसा - शिक्षा का माध्यम घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा।

कक्षा 1 एवं 2 की विषय हिन्दी की पाठ्यपुस्तक द्विभाषिक बनाई गयी है। बहुभाषा शिक्षा प्रशिक्षण में बच्चों की भाषा का कक्षा शिक्षण में महत्त्व, द्विभाषिक पाठ्यपुस्तकों का कक्षा में प्रभावी उपयोग पर भाषाई विविधता वाले संभागों में प्रशिक्षण दिया गया है। अनुशंसा स्कूल वर्ष के दौरान दो बार बोर्ड परीक्षा मुख्य परीक्षा एवं सुधार परीक्षा।

छत्तीसगढ़, स्कूल वर्ष के दौरान दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने वाला एक मात्र राज्य है।

अनुशंसा - समग्र प्रगति पत्रक (HPC) द्वारा 360 डिग्री आकलन।

कक्षा 1 से कक्षा 12 वीं तक के समग्र प्रगति कार्ड का निर्माण किया गया है।

अनुशंसा - प्रत्येक वर्ष प्रत्येक शिक्षक और शाला प्रमुख के लिए 50 घंटे का सतत व्यावसायिक प्रशिक्षण।

लागू किया जाना है। वर्ष 2030 तक ।

(राज्य प्रशिक्षण नीति का निर्माण किया गया है। वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर से शिक्षक प्रशिक्षण संचालित होते हैं। प्रत्येक शाला प्रमुख और हर शिक्षक के लिए अनिवार्य 50 घंटे के प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु Teacher Training Management System) विकसित किया जा रहा है।)

अनुशंसा - शिक्षक शिक्षा 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चरण-विशिष्ट, विषय-विशिष्ट शिक्षा स्नातक

लागू किया जाना है। वर्ष 2030 तक।

अनुशंसा - स्कूल परिसर और संकुल के माध्यम से कुशल संसाधन एवं प्रभावी प्रशासन।

विभाग के प्रस्तुतीकरण में उल्लेखित जानकारी अनुसार राज्य में संकुल व्यवस्था अंतर्गत 5540 संकुल केंद्र हैं। इन्हें प्रभावी प्रशासन एवं संसाधनों के आदान-प्रदान हेतु सुगठित एवं सशक्त बनाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किये जा रहे हैं।

अनुशांसा - प्रत्येक विद्यालय का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन, राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (SSSA) की स्थापना।

क्रियान्वयन :

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (SSSA) की स्थापना हेतु SCERT को नामित किया गया है। इस आदेश के अनुपालन में SSSA के गठन एवं संचालन की समयबद्ध एवं चरणबद्ध योजना अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

अनुशांसा - कक्षा 6 से इंटरशिप के साथ व्यावसायिक शिक्षा।

कक्षा 6 से एक अनिवार्य विषय के रूप में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गयी है। इंटरशिप के लिए बेगलेस डेज अंतर्गत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

अनुशांसा- स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार। (50% विद्यालयों में 2025 तक)

इसकी विषय पर अधिकृत जानकारी समग्र शिक्षा से लिया जाना उपयुक्त होगा। विभाग के प्रस्तुतीकरण में उल्लेखित जानकारी अनुसार व्यावसायिक शिक्षा का संचालन पूर्व में 592 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में, NEP 2020 लागू होने के पश्चात् नए 652 विद्यालयों में और प्रारंभ किये गए हैं।

अनुशांसा - शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा प्रौद्योगिकी

का न्यायसम्मत उपयोग सुनिश्चित करना। कक्षा 1 से 10 तक की पाठ्य पुस्तके QR Code युक्त (Energized Textbooks) है। PMeVidya अंतर्गत पीएम ई-विद्या अंतर्गत वर्तमान में 05 चैनलों से अध्यापन विडियो का प्रसारण किया जा रहा है। कक्षा 12 के लिए 02 चैनल, कक्षा 11 के लिए 01 चैनल, कक्षा 9 और 10 के लिए 01 चैनल, कक्षा 1, 2 एवं 3 के लिए 01 चैनल। विद्या समीक्षा केन्द्र VSK की स्थापना की गयी है। AI आधारित VSK केंद्र के माध्यम से योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग विश्लेषण तथा प्लानिंग की जा सकेगी।

अनुशांसा - शतप्रतिशत युवा और वयस्क साक्षरता हासिल करना। (2030 तक)

क्रियान्वयन

NEP 2020 लागू किये जाने के पश्चात् राज्य 875000 असाक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य मार्च 2026 में हासिल करने जा रहा है। वर्ष 2028 तक पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

अनुशांसा - भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में समावेश।

NCERT की पाठ्यचर्या एवं नवीन पाठ्यपुस्तकों को राज्य के संदर्भ में अनुकूलित किया गया है। शिक्षक प्रशिक्षणों के मोड्यूल में भारतीय ज्ञान परंपरा की एक मुख्य बिंदु के रूप में जोड़ा गया है।


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर


सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग.

पारिशेष - पचहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क. 2602) की जानकारी

(राशि रुपये में)

प्रपत्र-अ

सत्र 2023-24.


क्र. सं.	फर्म का नाम	भौतिक कर्म			कला संस्कृति कर्म				पुस्तकालय कर्म				प्रयोगशाला कर्म						शेष	
		मुद्रांतर राशि	बैंच	चेक	मुद्रांतर राशि	आफिस देवल	विजिटर बुकी	केबिनेट पलोन	मुद्रांतर राशि	आफिस देवल	मुद्रांतर राशि	विजिटर बुकी	स्टील केस	मुद्रांतर राशि	आफिस देवल	स्टील स्टूल	विजिटर बुकी	केबिनेट पलोन		आयन रेक
1	आयुष मैट्रन इंटरमीडिय	1959251.8	520	620	0	0	0	0	0	0	0	0	2798786.82	23	345	69	138	184	4758038.62	0.000
2	सुशीमाइड स्टील इंटरमीडिय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2798786.83	23	345	69	138	184	2798786.83	0.000
3	द्विचंदी वेदिगा वर्कर्स	3134802.88	832	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3134802.88	0.000
4	रणमति इंटरमाइजेज	15282164.02	4056	4056	1869341.1	89	89	89	2144112.21	87	87	174	9613224.31	79	1185	237	474	632	28928841.64	0.000
5	गोपाल फर्निचर	12441248.92	3302	3302	1634598.472	77	77	77	1971597.43	80	80	150	9491537.93	78	1170	234	488	624	25538882.75	0.000
6	मेसर्स आर.के.सिंग	3428690.64	910	910	424571.04	20	20	20	492899.36	20	20	40	2190354.91	18	270	54	108	144	6536515.95	0.000
7	मेसर्स रोशनी स्टील इंटरमीडिय	1469438.85	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1469438.85	0.000
8	मेसर्स सत्य साई इंटरमाइजेज	3918503.8	1040	1040	445789.59	21	21	21	542189.29	22	22	44	2677100.44	22	330	66	132	176	7583552.62	0.000
9	मेसर्स सुनील स्टील इंटरमीडिय	0	0	0	1358627.3	64	64	64	1454053.1	59	59	118	0	0	0	0	0	0	2812680.4	0.000
10	महावीर इंटरमीडिय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1825295.76	15	225	45	90	120	1825295.76	0.000
11	रानीमती उद्योग	8424782.73	2236	2236	806684.96	38	38	38	768638.97	32	32	64	3893964.28	32	480	96	192	256	13914070.94	0.000
12	एस.एस. लोहरी उद्योग	12833099.28	3406	3406	1422312.98	67	67	67	1675857.81	68	68	136	8152987.71	67	1005	201	402	536	24084257.76	0.000
13	सचदेव फर्निचर	1175551.09	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1175551.09	0.000
14	सिद्धी इंटरमाइजेज	2351102.16	624	624	275971.171	13	13	13	320384.582	13	13	26	1581922.99	13	195	39	78	104	4529380.903	0.000
15	सिद्ध इंटरमीडिय	1959251.8	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1959251.8	0.000
16	एस.के.एस.के. इंटरमाइजेज	7739044.61	2054	2054	812827.72	43	43	43	985798.72	40	40	80	4867455.35	40	600	120	240	320	14505126.4	0.000
17	सर्प इंटरमीडिय	0	0	0	360885.38	17	17	17	394319.49	16	16	32	0	0	0	0	0	0	755204.87	0.000

पिसा म
अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
भुवनेश्वर, रायपुर

प्रपत्र-ब

(राशि रुपये में)

क्र.	फर्म का नाम	सत्र 2024-25			
		स्टूडेंट बैंच	स्टूडेंट डेस्क	भुगतान राशि	शेष राशि
1	गणपति इन्टरप्राइजेस	21587	21587	80630746.95	0.000
2	गार्गी फर्नीचर	1330	1330	5011163	0.000
3	गोयल फर्नीचर	11191	11191	42067397	0.000
4	खण्डेलवाल सेल्स कांपोरेशन	7979	7979	30063212	0.000
5	मंगल प्रोडक्ट	4118	4118	15515767.13	0.000
6	आर.के.सेल्स	7654	7654	28073817	0.000
7	राधव इण्डस्ट्रीज	2602	2602	9803795	0.000
8	रानीसति उद्योग	6231	6231	23477111	0.000
9	राईसिंग स्टार इनोवेशन	2414	2414	9001255	0.000
10	एस.एस.लीहारी उद्योग	7086	7086	26698573.55	0.000
11	सत्य साई इन्टरप्राइजेस	3792	3792	14189504	0.000
12	एस.के.एस.जे. इन्टरप्राइजेस	1796	1796	6766954	0.000
13	उषा सूजील इन्डस्ट्रीज	4637	4637	17471251.13	0.000
14	विवान वेन्चर्स	2620	2620	9536281	0.000


 अनुभाग अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, रायपुर



पारिशेष - छिहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क.2618) की जानकारी

प्रपत्र

रायगढ़ जिले में निर्माणधीन पुलों का अनुबंध।

संभाग - : लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रायगढ़ (छ.ग.)

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		ठेकेदार का विवरण			टीप
		राशि (लाख में)	दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंध क्र.	अनुबंध दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जिला रायगढ़ के ग्राम तेन्दुमुडी (खरसिया) से ग्राम बेहरामुडा (धरमजयगढ़) के बीच स्थित कुरकुट नदी में पुल निर्माण।	1,123.06	20.02.2020	श्री विशंभर दयाल अग्रवाल, लुडेग	16/डी.एल. ऑफ / 20-21	06.11.2020	प्रगति पर (अक्टूबर 2/2 पूर्ण, पीयर 8/8 पूर्ण, स्लेब 5/9 पूर्ण, स्टील कार्य प्रगति पर)
2	जिला रायगढ़ के रायमेर से ससकोवा मार्ग के माण्ड नदी पर पुल निर्माण।	789.75	22.12.2020	श्री विशंभर दयाल अग्रवाल, लुडेग	05/डी एल ऑफ 21-22	28.06.2021	प्रगति पर (अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि.सेतु निर्माण मंडल, रायगढ़ के पत्र क्र. 330/सा./17-20/2020-21 रायगढ़, दिनांक 13.02.2026 के द्वारा अनुबंध पुर्नजीवित। वर्तमान में अक्टूबर 1/2 पूर्ण, पीयर 4/5 पूर्ण, 1/5 सबस्ट्रक्चर प्रगति पर है।)
3	जिला रायगढ़ के तुरकेला तिरर के बीच सपनई नाला वि.खं. खरसिया पर पुल निर्माण।	627.42	23.02.2021	श्री विशंभर दयाल अग्रवाल, लुडेग	12/डीएल ऑफ 21-22	08.12.2021	प्रगति पर (अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि.सेतु निर्माण मंडल, रायगढ़ के पत्र क्र. 322/सा./17-20/2020-21 रायगढ़, दिनांक 12.02.2026 के द्वारा अनुबंध पुर्नजीवित। वर्तमान में अक्टूबर- 1/2 पूर्ण, 1/2 सबस्ट्रक्चर प्रगति पर पीयर - 3/3 पूर्ण स्लेब - 3/4 पूर्ण - 1/4 प्रगति पर, पहुँच मार्ग में मिट्टी कार्य प्रगति पर)



अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

क.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		ठेकेदार का विवरण			टीप
		राशि (लाख में)	दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंध क्र.	अनुबंध दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	जिला रायगढ़ के नरकालो बायसी मार्ग पर मांड नदी पर पुल निर्माण।	1,385.13	23.02.2021	श्री विशंभर दयाल अग्रवाल, लुडेग	22/डी.एल. ऑफ/ 21-22	14.01.2022	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. सेतु संभाग रायगढ़ के पत्र क्र. 806/आडिटर/रायगढ़/2025-26 दिनांक 07.04.2025 के द्वारा अनुबंध की Clause 1.14 (With Penal Clause) के तहत अनुबंध निरस्त। माननीय उच्चतम न्यायालय में ठेकेदार द्वारा वाद दायर किया गया है। उक्त प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में प्रक्रियाधीन है, निराकरण उपरांत अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
5	जिला रायगढ़ के बरमकेला बडेनवापारा मार्ग पर किंकारी नाला पर पुल निर्माण।	1,303.05	23.02.2021	श्री विशंभर दयाल अग्रवाल, लुडेग	20/डी एल ऑफ 21-22	24.12.2021	प्रगति पर। (अबटमेंट 2/2 पूर्ण, पीयर 13/13 पूर्ण, स्लैब 7/7 पूर्ण, स्लैब कलवर्ट 2/2 पूर्ण, पहुँच मार्ग में मिट्टी कार्य प्रगति पर।)
	योग:- 05 कार्य।	5228.41					04 कार्य प्रगति पर, 01 न्यायालयीन प्रक्रिया में।

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंसालय, अटल नगर, रायपुर

मुख्य अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि., नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - सततर

अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 2636) की जानकारी

प्रपत्र

(1) वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 (दिनांक 15.02.2026 तक) की स्थिति में जिले में संचालित देशी/विदेशी शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के भर्ती की जानकारी :-

क्र	वर्ष	जिला का नाम	जिले में स्वीकृत पदों की संख्या				वित्तीय वर्ष में नवीन भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या				वित्तीय वर्ष में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या				कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिमाह निर्धारित वेतन की जानकारी			
			मुख्य विक्रयकर्ता	विक्रयकर्ता	मल्टीपर्पस	सुरक्षा गार्ड	मुख्य विक्रयकर्ता	विक्रयकर्ता	मल्टीपर्पस	सुरक्षा गार्ड	मुख्य विक्रयकर्ता	विक्रयकर्ता	मल्टीपर्पस	सुरक्षा गार्ड	मुख्य विक्रयकर्ता	विक्रयकर्ता	मल्टीपर्पस	सुरक्षा गार्ड
1	2022-23	जांजगीर-चांपा	66	170	66	131	5	27	17	8	66	170	66	131	18655	12675	अप्रैल 2022 से नवम्बर 2022 तक - 10140 दिसम्बर 2022 से मार्च 2023 तक - 10220	अप्रैल 2022 से नवम्बर 2022 तक - 10140 दिसम्बर 2022 से मार्च 2023 तक - 10220
2	2023-24		66	170	66	146	0	17	10	24	66	170	66	146	18655	12675	अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक - 10480 अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक - 10620	अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक - 10480 अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक - 10620
3	2024-25		48	121	48	113	2	28	23	29	48	121	48	113	18655	12675	11176	11176
4	2025-26 (15.02.2026 तक)		48	114	48	113	2	15	10	7	48	114	48	110	18655	12675	11176	11176
5	2022-23	सक्ती	जिला सक्ती नवगठित जिला होने से वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 तक की जानकारी मूल जिला जांजगीर-चाम्पा की जानकारी में सम्मिलित है।															
6	2023-24																	
7	2024-25		18	41	18	39	7	23	7	6	18	40	18	39	18655	12675	11176	11176
8	2025-26 (15.02.2026 तक)	19	40	19	39	4	11	4	7	18	38	19	37	18655	12675	11176	11176	

टीप:- 1. वर्षवार प्रतिस्थापन हेतु नवीन भर्तियाँ की गई।

2. वेतन राशि के अतिरिक्त ओवर टाईम राशि का भी भुगतान किया जाता है।

परोपेष्ट - अठहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 51 (क्र. 2652) की जानकारी

प्रपत्र अ

जिला कबीरधाम में संचालित एकल शिक्षकीय विद्यालय

क्रं.	विधान सभा	विकास खण्ड	एकल शिक्षकीय विद्यालय
1	2	3	4
1	कवर्धा	बोड़ला	शा.प्राथ.शा. महली
2	कवर्धा	बोड़ला	शा.प्राथ.शा. नेउरगांव कला
3	कवर्धा	बोड़ला	शा.प्राथ.शा. मुडवाही
4	कवर्धा	बोड़ला	शा.प्राथ.शा. भण्डार
5	कवर्धा	बोड़ला	शा.प्राथ.शा. प्रभाटोला
6	कवर्धा	बोड़ला	शा.प्राथ.शा. घानीखुंटा
7	पण्डरिया	स.लोहारा	शा.प्राथ.शा. टाटीकसा
8	पण्डरिया	पण्डरिया	आदि.कन्या आश्रम कामठी
9	पण्डरिया	पण्डरिया	शा.प्राथ.शा. बिरमपुर
10	कवर्धा	बोड़ला	शा.पू.मा.शा. बरबसपुर
11	कवर्धा	बोड़ला	शा.पू.मा.शा. कोयलारी
12	कवर्धा	बोड़ला	शा.पू.मा.शा. साल्हेवारा
13	पण्डरिया	स.लोहारा	शा.पू.मा.शा. मगरवाह
14	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.पू.मा.शाला करपीगोडान



सहायक संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़, नवा रायपुर



अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

जिला कबीरधाम में संचालित एकल शिक्षकीय विद्यालय

क्र.	विधान सभा	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम	पद	शिक्षक का नाम
1	2	3	4	6	5
1	कवर्धा	कवर्धा	शास.हाईस्कूल सुखातल्ल	व्याख्याता	श्री कुमार सिंह साहू
2	पण्डरिया	पण्डरिया	शा.उ.मा.वि. रूसे	व्याख्याता	श्री मुन्नालाल चंद्राकार
3	कवर्धा	कवर्धा	शा.उ.मा.वि. बिरकोना	व्याख्याता	श्रीमती प्रीति गुप्ता
4	पण्डरिया	स.लोहारा	शास. हाईस्कूल अचानकपुर	व्याख्याता	श्री रूपेन्द्र कुमार पाण्डेय
5	कवर्धा	स.लोहारा	शास. हाईस्कूल मोतिमपुर	व्याख्याता	श्री ओंकार गुप्ता
6	कवर्धा	बोड़ला	शास.हाईस्कूल खडौदाकला	व्याख्याता	श्री हरि प्रसाद शुक्ला
7	पण्डरिया	कवर्धा	शास.उ.मा.वि. मरका	व्याख्याता	श्रीमती उमेश्वरी भूआर्य
8	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.उ.मा.वि. कोडापुरी	व्याख्याता	श्री दिनेश कुमार तिवारी, व्याख्याता,
9	पण्डरिया	कवर्धा	शास.उ.मा.वि. पण्डरिया लघान	व्याख्याता	श्री माधवेश केसरी
10	कवर्धा	बोड़ला	शास. हाईस्कूल बोदा 03	व्याख्याता	श्री अनिल कुमार वर्मा
11	पण्डरिया	कवर्धा	शा.उ.मा.वि. झलमला	व्याख्याता	श्री अमजद खान
12	कवर्धा	स.लोहारा	शास.उ.मा.वि. उडियाखुर्द	व्याख्याता	श्रीमती मनोरमा विश्वकर्मा
13	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.उ.मा.वि. बा.चारभाठा	व्याख्याता	श्री अगनाथ
14	कवर्धा	कवर्धा	शास.उ.मा.वि. रवेली	व्याख्याता	श्रीमती प्रीति तिवारी
15	पण्डरिया	कवर्धा	शास.हाईस्कूल कोसमंदा	व्याख्याता	श्री रुपम पाण्डेय
16	पण्डरिया	कवर्धा	शास.उ.मा.वि. दशरंगपुर	व्याख्याता	श्रीमती अर्चना सोनी
17	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.उ.मा.वि. कोडापुरी	व्याख्याता	श्रीमती नीलू कश्यप
18	कवर्धा	बोड़ला	शास.उ.मा.वि. सारंगपुर कला	व्याख्याता	श्रीमती विमला महोबिया
19	कवर्धा	बोड़ला	शास.हाईस्कूल मिनमिनिया जंगल	व्याख्याता	श्री लक्ष्मीकांत साहू
20	पण्डरिया	कवर्धा	शास.उ.मा.वि. मरका	व्याख्याता	श्री बिसेन दास बर्मन
21	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.उ.मा.वि. कापादाह	व्याख्याता	श्री जनकराम गोयल,
22	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.उ.मा.वि. कोडापुरी	व्याख्याता	श्रीमती वर्षा पाण्डेय
23	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.उ.मा.वि. पोलमी	व्याख्याता	श्री अवध राम पटेल
24	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.उ.मा.वि. कुण्डा	व्याख्याता	श्रीमती पल्लवी तिवारी
25	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.उ.मा.वि. नेउर	व्याख्याता	श्री अजीत कुमार लहरे,
26	कवर्धा	बोड़ला	शास.उ.मा.वि. राजानवागांव	व्याख्याता	श्रीमती प्रियंका टोप्यो
27	कवर्धा	बोड़ला	शास.उ.मा.वि. जुनवानी जंगल	व्याख्याता	अंजोरी राम साहू
28	कवर्धा	बोड़ला	शास.उ.मा.वि. समनापुर	व्याख्याता	श्री शेखर
29	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.उ.मा.वि. सिंघनगढ	व्याख्याता	श्री विजय कुमार साव
30	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.उ.मा.वि. कुण्डा	व्याख्याता	श्री शिवनंदन सिंह सोनकर
31	पण्डरिया	कवर्धा	शास.उ.मा.वि. दशरंगपुर	व्याख्याता	श्री पूनम लाल सोनी
32	कवर्धा	बोड़ला	शास.उ.मा.वि. खैरबना कला	व्याख्याता	श्री रामावतार बांधकर
33	कवर्धा	बोड़ला	शास.उ.मा.वि. रेंगाखार कला	व्याख्याता	श्री गंगासागर जायसवाल
34	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.उ.मा.वि. रामपुर	व्याख्याता	श्रीमती सुरेखा चंद्रवंशी
35	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.उ.मा.वि. गैंदपुर	व्याख्याता	वर्षा शर्मा
36	कवर्धा	स.लोहारा	शास.उ.मा.वि. सिल्हाटी	व्याख्याता	श्री नोमेश चंद्राकर
37	कवर्धा	स.लोहारा	शास.उ.मा.वि. सुरजपुरा वन	व्याख्याता	श्री कन्हैया लाल साहू
38	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.उ.मा.वि. नवघटा	व्याख्याता	श्री रविकुमार गुप्ता
39	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.उ.मा.वि. कुकदुर	व्याख्याता	श्री कामराज सोनी
40	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.उ.मा.वि. खैरझिटी पुराना	व्याख्याता	श्री रेणुकांत गंधर्व
41	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.उ.मा.वि. पलानसरी	व्याख्याता	श्री इन्द्रजीत मरकाम
42	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.उ.मा.वि. कन्या पण्डरिया	व्याख्याता	श्रीमती संगीता दिवाकर
43	कवर्धा	बोड़ला	शास.उ.मा.वि. सिंधारी	व्याख्याता	संतोष कुमार कार्निंक
44	पण्डरिया	कवर्धा	शा.पू.मा.शा. झिरौनी	शिक्षक	श्री खेमराज जांगडे
45	कवर्धा	बोड़ला	मा.शा. खैरबनाखुर्द	शिक्षक	श्री पंचुराम धुर्वे कला


क्र.	विधान सभा	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम	पद	शिक्षक का नाम
1	2	3	4	6	5
46	कवर्धा	बोड़ला	शास.पू.मा.शाला कोयलारी	शिक्षक	श्री सुनील कुमार देशलहरे कला
47	कवर्धा	बोड़ला	कस्तु.गां.आ.वि. बोड़ला	शिक्षक	श्रीमती तारा मेरावी
48	कवर्धा	बोड़ला	मा.शा. राजानवागांव	शिक्षक	श्री पन्नालाल लोधी (कला)
49	पण्डरिया	पण्डरिया	आदि.बा.आश्रम मा.शा. दामापुर	शिक्षक	श्री अचल श्रीवास्तव कला
50	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.पूर्व.माध्य.शाला कन्या पण्डरिया	शिक्षक	श्रीमति उमाशशि भारद्वाज,
51	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.पू.मा.शा. नवमर्मव न्टिकैत	शिक्षक	श्री रमेश कुमार रावत कला
52	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.पूर्व.माध्य.शाला गोछिया	शिक्षक	ईश्वर राम धुर्वे
53	कवर्धा	स.लोहारा	शास.पूर्व.माध्य.शाला बीजाबैरागी	शिक्षक	पटवारी राम सिरमौर
54	कवर्धा	बोड़ला	शास.पू.मा.शा. सिंघनपुरी	शिक्षक	श्रीमती शशि तिवारी (हिन्दी)
55	पण्डरिया	कवर्धा	शा.पू.मा.शा. बन्दौरा	शिक्षक	श्रीमती अंजना ठाकुर हिन्दी
56	कवर्धा	स.लोहारा	शास.पूर्व.माध्य.शाला धनौरा बडे	शिक्षक	रीना जंघेल
57	कवर्धा	कवर्धा	शा.पू.मा.शा. शक्ति वार्ड कवर्धा	शिक्षक	श्रीमती संगीता बघेल हिन्दी
58	कवर्धा	बोड़ला	मा.शा. मुडघुसरी जंगल	शिक्षक	श्री प्रशांत कुमार शर्मा
59	कवर्धा	बोड़ला	मा.शा. बद्दो	शिक्षक	श्रीमती सुलोचना सिंह राजपूत विज्ञान
60	कवर्धा	कवर्धा	शा.पू.मा.शा. जरती	शिक्षक	श्रीमती पुष्पा मेरावी
61	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.पू.मा.शाला बदना	शिक्षक	नेमसिंह वर्मा
62	कवर्धा	स.लोहारा	शास.पूर्व.माध्य.शाला स.लोहारा	शिक्षक	कुसुमलता यादव
63	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.पू.मा.शाला तेलिया पानी ले.	शिक्षक	श्रीमती माहेनूर शेख
64	कवर्धा	बोड़ला	शास.पू.मा.शाला सरेण्डा	शिक्षक	जुनेश्वर पाटिल
65	पण्डरिया	कवर्धा	शास.पू.मा.शाला दुधिया	शिक्षक	श्रीमती ज्योति तिवारी
66	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.पूर्व.माध्य.शाला गोछिया	शिक्षक	मनीष कुमार क्षत्रिय
67	कवर्धा	स.लोहारा	शास.पूर्व.माध्य.शाला स.लोहारा	शिक्षक	श्रीमती गोमती मारकण्डेय
68	कवर्धा	बोड़ला	शास.पू.मा.शाला पण्डरीपानी	शिक्षक	संतोष कुमार मेरावी
69	कवर्धा	कवर्धा	शास.पू.मा.शाला घोठिया	शिक्षक	श्री गजराज सिंह राजपूत अंग्रेजी
70	कवर्धा	बोड़ला	शास.पू.मा.शाला शंभूपीपर	शिक्षक	श्री खिलेंद्र साहू (गणित)
71	कवर्धा	बोड़ला	शास.पू.मा.शाला लरबक्की	शिक्षक	श्री किरण कुमार यादव (गणित)
72	कवर्धा	बोड़ला	मा.शा. बैरख	शिक्षक	श्रीमती मंजू नागवंशी गणित
73	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.पू.मा.शाला तेलिया पानी ले.	शिक्षक	श्री सुनील कुमार वर्मा (गणित)
74	कवर्धा	कवर्धा	शा.पू.मा.शा. बिरकोना	शिक्षक	श्री शक्तिवन दास राय (गणित)
75	कवर्धा	बोड़ला	आ.बा.आ.सोनवाही	स.शि.	श्री राजेन्द्र मानिकपुरी (विज्ञान)
76	कवर्धा	बोड़ला	आ.बा.आ.सोनवाही	स.शि.	श्री सूरज कुमार वैष्णव (विज्ञान)
77	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. बोल्दा (सौरु)	स.शि.	श्री सुनील कुमार, सहा.शिक्षक ई, विज्ञान
78	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. झोला	स.शि.	श्री संतोष कुमार श्याम (विज्ञान)
79	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. अंजना	स.शि.	दीपक कुमार
80	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. पीपरखूंट	स.शि.	श्री रंजीत कुमार (विज्ञान)
81	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. साजाटोला	स.शि.	श्री विरेन्द्र कुमार (विज्ञान)
82	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. बांकी	स.शि.	श्री विजयपाल सिंह, सहा.शिक्षक ई, विज्ञान
83	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. धुमाछापर	स.शि.	श्री निर्मल कुमार पात्रे, सहा.शिक्षक ई, विज्ञान
84	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. खम्हरा	स.शि.	श्री कन्हैया निषाद (विज्ञान)
85	कवर्धा	बोड़ला	बा.आ. समनापुर	स.शि.	श्री पंकज कुमार गंधर्व (विज्ञान)
86	कवर्धा	बोड़ला	बा.आ. दलदली	स.शि.	श्री विवेक कुमार श्रीवास, सहा.शिक्षक ई, विज्ञान
87	कवर्धा	बोड़ला	बा.आ. दलदली	स.शि.	श्री प्रभात कुमार जांगड़े, सहा.शिक्षक ई, विज्ञान
88	पण्डरिया	पण्डरिया	शा.प्रा.शा.गभोड़ा	स.शि.	श्री इंद्रकुमार, सहा.शिक्षक ई, विज्ञान
89	पण्डरिया	पण्डरिया	शा.प्रा.शा. देवानपटपर	स.शि.	श्री राजेश कुमार उडके, सहा.शि. एल.बी., कला
90	पण्डरिया	पण्डरिया	शा.प्रा.शा. धुरसी	स.शि.	श्री इंदल दास, सहा.शि. एल.बी., कला
91	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. शीतलपानी	स.शि.	श्री पंचू राम मेरावी (कला)
92	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा.-सरेण्डा	स.शि.	श्री अशोक दास डहरिया कला
93	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. राजाढार	स.शि.	श्री रामप्रसाद मेरावी (कला)

क्र.	विधान सभा	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम	पद	शिक्षक का नाम
1	2	3	4	6	5
94	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. सिवनीकला	स.शि.	श्री बसंत कुमार सोनवानी
95	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. सिवनीकला	स.शि.	श्री कौशल प्रसाद तेली, सहा.शि. एल.बी., विज्ञान
96	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. लोहारटोला	स.शि.	श्री सुनिल चंद्रवंशी विज्ञान
97	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. बरेण्डा	स.शि.	श्री सुभाषचंद्र श्रीवास, सहा.शि. एल.बी., गणित
98	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. बहनाखोदरा	स.शि.	श्री राधवेन्द्र सिंह कला
99	कवर्धा	बोड़ला	बा.आ. समनापुर	स.शि.	श्री लीलेश्वर साहु (कला)
100	कवर्धा	बोड़ला	बा.आ. समनापुर	स.शि.	रामनाथ पात्रे
101	कवर्धा	बोड़ला	आदि. बा.आ. तरेगांव जंगल	स.शि.	श्री मनोज कुमार मेरावी (कला)
102	कवर्धा	बोड़ला	आदि. बा.आ. तरेगांव जंगल	स.शि.	श्री योगेश कुमार साहु (कला)
103	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला मजगांव	स.शि.	श्री जितेन्द्र कुमार काठले, सहा.शि. एल.बी.,
104	पण्डरिया	पण्डरिया	शा.प्रा.शा.लीहाटोला	स.शि.	श्री शैलेश कुमार बंजारे, सहा.शि. एल.बी., विज्ञान
105	पण्डरिया	पण्डरिया	शा.प्रा.शा. डेंगुरजाम	स.शि.	श्री तिहारी लाल धुर्वे
106	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला टेंगाटोला	स.शि.	श्री हेमन्त कुमार साहु
107	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला बांसाटोला	स.शि.	श्री यामलेश्वर प्रसाद साहु
108	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. डोंगरिया	स.शि.	खेलसिंह बैगा
109	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. जामुनपानी	स.शि.	श्री संदीप जोशी
110	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. बोईरकछरा नया	स.शि.	श्री नीलम कुमार
111	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. छितपुरीकला	स.शि.	श्रवण कुमार साहु
112	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. बोदा-03	स.शि.	श्री बजरु राम मेरावी (कला)
113	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. कोमो	स.शि.	श्री जगदेव पटेल (विज्ञान)
114	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. मगरवाड़ा	स.शि.	श्री ओमप्रकाश डाहिरे, सहा.शि. एल.बी., विज्ञान
115	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. तरसिंग	स.शि.	श्री संजय कुमार कोशले, सहा.शि. एल.बी.,
116	कवर्धा	बोड़ला	आदि. कन्या आ.अमेरा	स.शि.	श्री चंद्रकांत पाठक
117	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. पालक (बैरख)	स.शि.	शरद नागवंशी
118	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. परसाही	स.शि.	श्री भूपेन्द्र दास कला
119	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. तेन्दूटोला	स.शि.	श्री बलदेव सिंह मरकाम
120	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. पण्डरीपानी	स.शि.	श्री आसीन कुमार विश्वास (विज्ञान)
121	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. लीलादादर	स.शि.	श्री यशवंत कुमार रावटे (विज्ञान)
122	कवर्धा	बोड़ला	कन्या आश्रम मुडघुसरी मैदान	स.शि.	श्री तिलक राम चन्द्राकर (विज्ञान)
123	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. भलपहरी	स.शि.	श्री हेमराज जांगड़े (विज्ञान)
124	कवर्धा	बोड़ला	शा.प्राथ.शाला गुडली	स.शि.	श्री कमलेश कुमार डाहिरे, सहा.शि. एल.बी.,
125	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला बदना	स.शि.	श्री ईश्वर प्रसाद चेलक, सहा.शि. एल.बी., कला
126	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला बदना	स.शि.	श्री विनोद कुमार चंद्रवंशी, सहा.शि. एल.बी.,
127	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला प्राणखैरा	स.शि.	श्री घनश्याम बंशे, सहा.शि. एल.बी., कला
128	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला परसाटोला	स.शि.	श्री अशोक कुमार वर्मा
129	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला बदलहापारा	स.शि.	श्री सुखसिंह धुर्वे, सहा.शि. एल.बी., कला
130	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला पटुवा	स.शि.	श्री अशोक कुमार सिदार विज्ञान
131	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला नेऊर	स.शि.	श्री केशवराम सुधाकर, सहा.शि. एल.बी., कला
132	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला भीखमपुर	स.शि.	श्री जाहद उल्ला खान, सहा.शि. एल.बी., विज्ञान
133	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला उसलापुर	स.शि.	राजेश कुमार सोनी
134	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला करही	स.शि.	राजु वर्मा
135	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला धरमगढ़	स.शि.	श्री उदय सिंह राजपूत (विज्ञान)
136	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला धरमगढ़	स.शि.	श्री कुंजराम अनंत विज्ञान
137	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला सुरजपुरा ह.	स.शि.	उत्तम साहु
138	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला गैंदपुर	स.शि.	श्री प्रदीप सिंह ठाकुर विज्ञान
139	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. सिंधारी	स.शि.	श्री जयसिंह जोगी, सहा.शि. एल.बी., विज्ञान
140	पण्डरिया	कवर्धा	प्रा.शा. कुआं	स.शि.	श्री दिनेश कुमार मोहले
141	पण्डरिया	कवर्धा	शा.प्राथ.शा. नवागांव तमरुवा	स.शि.	रोहित साहु विज्ञान

क्रं.	विधान सभा	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम	पद	शिक्षक का नाम
1	2	3	4	6	5
142	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला ढोलाकापा	स.शि.	श्री संतोष कुमार कश्यप, सहा.शि. एल.बी., कला
143	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला कोसमंदा	स.शि.	कमलेश कुमार नेताम
144	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला भाटकण्डेरा	स.शि.	संतोष कुमार देशलहरे
145	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. सारंगपुरकला	स.शि.	श्री श्रीकांत वर्मा कला
146	कवर्धा	बोड़ला	प्राथ.शा.बोरिया	स.शि.	श्री परमेश्वर मेरावी,
147	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला गिरधारीकापा	स.शि.	श्री भरतलाल राठौर
148	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला प्राणखैरा	स.शि.	श्री गजेन्द्र बर्मन
149	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला रोखनी	स.शि.	श्री रामकुमार मण्डावी, सहा.शि. एल.बी., विज्ञान
150	पण्डरिया	पण्डरिया	शा.प्राथ.शाला भोईटोला	स.शि.	श्री संदीप पाण्डेय, सहा.शि. एल.बी., विज्ञान
151	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला कोदवागोडान	स.शि.	श्री मनीष शर्मा, सहा.शि. एल.बी., विज्ञान
152	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला अमलीमालगी	स.शि.	श्री गजेन्द्र सिंह गांगुली, सहा.शि. एल.बी., कला
153	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला उलट	स.शि.	युवराज कुमार विज्ञान
154	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला गोरखपुरखुर्द	स.शि.	श्री राजेश कुमार ठाकुर (कला)
155	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला बि.नगर	स.शि.	रामविलास गजराज
156	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. सारंगपुरकला	स.शि.	श्री यशवर्धन प्रसाद बख्शी विज्ञान
157	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. महाराजपुरडीह	स.शि.	श्री मदन सिंह कुसरे (विज्ञान)
158	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. तरेगांव मैदान	स.शि.	श्री अनीश शर्मा (विज्ञान)
159	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. माचापानी	स.शि.	श्री ओमप्रकाश ठाकुर (कला)
160	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. खुर्सीपार	स.शि.	श्री भुनेश्वर सिंह धुर्वे (विज्ञान)
161	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. घोघा	स.शि.	सत्यभामा चंद्रवंशी विज्ञान
162	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. कांदापारा	स.शि.	श्री अशोक कुमार हटिले (विज्ञान)
163	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. थुहापानी	स.शि.	श्री विजय कुमार बघेल (विज्ञान)
164	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. थैवरझोल	स.शि.	श्री चन्द्रवेश राणा (कला)
165	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. भलपहरी	स.शि.	श्री प्रमोद कुमार पाठक
166	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. भोंदा	स.शि.	श्री गोपाल जी पटेल (कला)
167	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. बैहरसरी	स.शि.	श्रीमती दुलेश साहू विज्ञान
168	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. बदनापानी	स.शि.	श्री संतोष मेरावी (विज्ञान)
169	कवर्धा	कवर्धा	प्रा.शा.जैतपुरी	स.शि.	मुकेश कुमार चंद्रवंशी कला
170	पण्डरिया	कवर्धा	प्रा.शा. बिपतरा	स.शि.	श्री अर्जुन सिंह मेरावी कला
171	पण्डरिया	कवर्धा	प्रा.शा. फांदातोड	स.शि.	अंजु सारथी
172	पण्डरिया	कवर्धा	प्रा.शा. बानो	स.शि.	श्री चुरामणी रजक कला
173	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला लिम्हईपुर	स.शि.	नंदनी नेताम विज्ञान
174	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला खैरजोंगरी	स.शि.	कृष्णावतार राजपूत, सहा.शि. एल.बी.,
175	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला गिरधारीकापा	स.शि.	श्री गजानंद कश्यप, सहा.शि. एल.बी.,
176	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला सेजाडीह	स.शि.	श्री सत्त कुमार बैगा, सहा.शि. एल.बी.,
177	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला देवगढ़िया	स.शि.	श्रीमती बालवती सिंह, सहा.शिक्षक ई,
178	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला गौरकापा	स.शि.	कृ.आरती पैकरा, सहा.शिक्षक ई,
179	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला अमलीटोला(कुई)	स.शि.	श्री अखिलेश सिंह बैस
180	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला कुई	स.शि.	श्री परमेश्वर सिंह सिदार, सहा.शि. एल.बी.,
181	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला सुकलीगोविंद	स.शि.	कृ. आरती प्रिया मिश्रा, सहा.शिक्षक ई, विज्ञान
182	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला सुकलीगोविंद	स.शि.	श्रीमती राखी तिवारी, सहा.शिक्षक ई, विज्ञान
183	कवर्धा	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला बितली	स.शि.	पूर्णिमा चंद्रवंशी विज्ञान
184	कवर्धा	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला पवनतरा	स.शि.	श्री दल्लूराम मरकाम
185	कवर्धा	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला पवनतरा	स.शि.	कमल कुमार देवांगन, सहा.शि. एल.बी., कला
186	कवर्धा	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला पवनतरा	स.शि.	श्री टामन सिंह
187	कवर्धा	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला बाजगुडा	स.शि.	श्री नंद कुमार घोरमारे कला
188	कवर्धा	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला दैहानडीह	स.शि.	कमल राम पाटिल
189	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला बनिया	स.शि.	कुमारी मधु कौशिक (विज्ञान)

क्र.	विधान सभा	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम	पद	शिक्षक का नाम
1	2	3	4	6	5
190	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला करही	स.शि.	अशोक कुमार विनायक विज्ञान
191	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला पैलपार	स.शि.	श्री सनकादिक मृचन्डे, सहा.शि. एल.बी., कला
192	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला पावले	स.शि.	श्री सुरेश कुमार साहू (विज्ञान)
193	कवर्धा	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला बासिनझोरी	स.शि.	श्री घनश्याम दास कुरे (कला)
194	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला बि.नगर	स.शि.	रामकुमार राज
195	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला गौरमाटी	स.शि.	श्री फुलचंद मोहले विज्ञान
196	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. खुस्मुण्डा	स.शि.	श्रीमती प्रीति वर्मा (विज्ञान)
197	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. सिंधारी	स.शि.	श्रीमति नर्मदा मेरावी (कला)
198	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. भोंदा	स.शि.	श्रीमती सती मरकाम (कला)
199	कवर्धा	बोड़ला	आदि.बा.आ. लरवक्की	स.शि.	श्रीमती अश्वनी मेरावी (कला)
200	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. भरेली	स.शि.	श्रीमती इंदिरा गुप्ता, सहा.शि. एल.बी., विज्ञान
201	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. धनडबरा	स.शि.	श्रीमती दुर्गा गौतम विज्ञान
202	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. हाथीडोब	स.शि.	श्रीमती अनिता सोनी कला
203	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. तारो	स.शि.	श्रीमती मनीषा पात्रे (विज्ञान)
204	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. बकोदा	स.शि.	श्रीमती अर्चना तिवारी विज्ञान
205	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. मिनमिनिया मै0	स.शि.	श्रीमती सुरेखा खान (विज्ञान)
206	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. मडमडा	स.शि.	श्रीमती रूबीना परवीन, सहा.शि.एल.बी., कला
207	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. बेंदरची	स.शि.	श्रीमती रंजीता वर्मा (विज्ञान)
208	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. बेंदरची	स.शि.	श्रीमती राधिका सोनवानी कला
209	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. भोंदा	स.शि.	कु0रामेश्वरी बांधे (विज्ञान)
210	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. महाराजपुर	स.शि.	श्रीमती प्रीति मंडावी
211	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. जेवड़नकला	स.शि.	श्रीमती पार्वती चंद्राकर विज्ञान
212	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. राजानवागांव	स.शि.	श्रीमती विभूति सिंह विज्ञान
213	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. राजानवागांव	स.शि.	श्रीमती ऊषा खरांशू विज्ञान
214	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. राजानवागांव	स.शि.	श्रीमती सुवर्णा केशरी (विज्ञान)
215	कवर्धा	बोड़ला	प्रा.शा. लाटा	स.शि.	श्रीमती उर्वशी धुवे, सहा.शि. एल.बी., कला
216	कवर्धा	बोड़ला	क.आ. रेंगाखारकला	स.शि.	श्रीमती सुमित्रा गौतम (कला)
217	कवर्धा	बोड़ला	बा.आ. दलदली	स.शि.	श्री छोटा सिंह चेचाम
218	कवर्धा	बोड़ला	आ.क.आ. बोक्करखार	स.शि.	श्रीमती कमला धुर्वे (विज्ञान)
219	कवर्धा	बोड़ला	बा. प्रा.शा. बोड़ला	स.शि.	श्रीमती अंजूला राजपूत (विज्ञान)
220	पण्डरिया	कवर्धा	प्रा.शा.जैतपुरी	स.शि.	श्रीमती संगीता भास्कर कला
221	पण्डरिया	कवर्धा	प्रा.शा. लघान	स.शि.	श्रीमती आकांक्षा झारिया कला
222	कवर्धा	कवर्धा	प्रा.शा. मक्के	स.शि.	श्रीमती भानूप्रिया साहू विज्ञान
223	पण्डरिया	कवर्धा	प्रा.शा. झिरौनी	स.शि.	कु.ममता मेश्राम कला
224	कवर्धा	कवर्धा	प्रा.शा. बीजाझोरी	स.शि.	श्रीमती यशोधरा मंडावी
225	कवर्धा	कवर्धा	प्रा.शा. बारदी	स.शि.	श्रीमती निधि पाण्डेय कला
226	पण्डरिया	कवर्धा	प्रा.शा. गोरखपुर	स.शि.	श्रीमती रीना बंदे
227	कवर्धा	कवर्धा	प्रा.शा. टीकरीपारा	स.शि.	श्रीमती तबस्सुम बेगम कला
228	कवर्धा	कवर्धा	प्रा.शा. कुटकीपारा	स.शि.	श्रीमती अनीता सिंह धुव
229	कवर्धा	कवर्धा	प्रा.शा. दुल्लापुर रवेली	स.शि.	श्रीमती पुष्पा मानिकपुरी
230	कवर्धा	कवर्धा	प्रा.शा. बिजई	स.शि.	कु. प्रभा श्रीवास्तव
231	कवर्धा	कवर्धा	प्रा.शा. थुहाडीह	स.शि.	श्रीमती सौनी नेताम कला
232	कवर्धा	कवर्धा	प्रा.शा. राम्हेपुर खुर्द	स.शि.	श्रीमती मंजूषा चन्द्रवंशी, सहा.शि. एल.बी.,
233	पण्डरिया	कवर्धा	प्रा.शा. खण्डसरा	स.शि.	श्रीमती ममता श्रीवास कला
234	कवर्धा	कवर्धा	प्रा.शा. दशरंगपुर खुर्द	स.शि.	श्रीमती मंजू चंद्राकर (विज्ञान)
235	कवर्धा	कवर्धा	प्रा.शा. कोडार	स.शि.	श्रीमती शिवकालि देवांगन कला
236	पण्डरिया	कवर्धा	प्रा.शा. कोसमंदा	स.शि.	श्रीमती सपना जाय कला
237	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला खैरझिटी पु.	स.शि.	श्रीमती विजय लक्ष्मी केशरवानी

क्रं.	विधान सभा	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम	पद	शिक्षक का नाम
1	2	3	4	6	5
238	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला बंदौरा	स.शि.	श्रीमती सीमा ध्रुव, सहा.शि. एल.बी.,
239	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला उदका	स.शि.	श्रीमती नूतन जांगड़े
240	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला सेन्हाभाठा	स.शि.	श्रीमती प्रीति कश्यप
241	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला डबरी	स.शि.	श्रीमती माया गबेल
242	पण्डरिया	पण्डरिया	आदि.कन्या आश्रम शा.कामठी	स.शि.	श्री अशोक कुमार सोनवानी
243	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला सिरमाडबरी	स.शि.	श्रीमती बिन्दु राजपूत, सहा.शि. एल.बी., कला
244	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला झिरियाखुर्द	स.शि.	श्रीमती शीला कश्यप
245	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला झिरियाखुर्द	स.शि.	श्रीमती सिन्धी सुनील राज, सहा.शि. एल.बी.,
246	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला सोनपुरी	स.शि.	श्रीमती रोशनी पाण्डेय
247	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला सेन्हाभाठा	स.शि.	श्रीमती केशनी लहरे, सहा.शि. एल.बी.,
248	पण्डरिया	पण्डरिया	आदि. कन्या आश्रम कुई	स.शि.	श्री टीकाराम खेर, सहा.शिक्षक,
249	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला केशलीगोडान	स.शि.	श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, सहा.शि. एल.बी.,
250	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला रमतला	स.शि.	श्रीमती नीतू तिवारी, सहा.शि. एल.बी., कला
251	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला पेण्डीखुर्द	स.शि.	श्रीमती रंजना गहवई
252	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला पाढ़ी	स.शि.	कु० कल्याणी मरकाम
253	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला पाढ़ी	स.शि.	श्रीमती निरुपा पटेल
254	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला सोमनापुर नया	स.शि.	कु० इंद्राणी साहू, सहा.शि. एल.बी., विज्ञान
255	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला सोमनापुर नया	स.शि.	श्रीमती मंजीता सिंह
256	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला पुसेरा	स.शि.	श्रीमती रेणु तिवारी, सहा.शि. एल.बी.,
257	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला पौनी	स.शि.	श्रीमती योगेश्वरी राजपुत
258	पण्डरिया	पण्डरिया	शास.प्राथ.शाला पौनी	स.शि.	श्रीमती डाली शर्मा, सहा.शि. एल.बी.,
259	कवर्धा	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला सुकतरा	स.शि.	हितेश्वरी ठाकुर विज्ञान
260	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला भटैलाटोला	स.शि.	श्रीमती लोकेश्वरी चंद्राकर कला
261	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला कौहारी	स.शि.	श्रीमती प्रीति नेले
262	कवर्धा	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला खजरीकला	स.शि.	श्रीमती श्वेता वर्मा
263	कवर्धा	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला विचारपुर	स.शि.	श्रीमती मंजु ध्रुवे
264	कवर्धा	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला तिलईभाट	स.शि.	लक्ष्मी बाई राज
265	कवर्धा	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला कुरलू	स.शि.	श्रीमती देवकुमारी पाडे
266	कवर्धा	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला मोहगांव	स.शि.	पूर्णिमा जंघेल
267	कवर्धा	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला सुकतरा	स.शि.	श्रीमती संतोषी गुप्ता
268	कवर्धा	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला नरोधी	स.शि.	रेणुका साहू
269	कवर्धा	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला सिंधनपुरी	स.शि.	कु. लक्ष्मी बैस
270	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला उडियाखुर्द	स.शि.	श्रीमती लक्ष्मी देवांगन
271	पण्डरिया	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला दानीघटोली	स.शि.	श्रीमती श्रीजया राय
272	पण्डरिया	कवर्धा	शास.प्रा.शाला बंदौरा	स.शि.	सुशील कुमार झारिया
273	कवर्धा	कवर्धा	शास.प्रा.शाला मरपा	स.शि.	श्रीमती शारदा नायक
274	कवर्धा	कवर्धा	शास.प्रा.शाला धरमपुरा	स.शि.	श्री जयप्रकाश वर्मा
275	कवर्धा	कवर्धा	शास. प्राथ.शाला तालपुर	प्र.पा.	अफसरि खान
276	कवर्धा	स.लोहारा	शास.प्राथ.शाला गुलालपुर	प्र.पा.	भागवत जायसवाल


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर


सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

स. क्र.	वर्ष	क्र.	जिला	स्वीकृत ग्रामीण पेयजल योजनाओं की संख्या	पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	अपूर्णता का कारण	कब तक पूर्ण की जायेगी	समय-सीमा में पूर्ण न कर पाने हेतु जिम्मेदार व्यक्ति व एजेसी के विरुद्ध उक्त अवधि में की गई कार्यवाही
		19	रायगढ़	-	-	-	-	-	-	-
		20	सारंगढ़-बिलाईगढ़	-	-	-	-	-	-	-
		21	सरगुजा	-	-	-	-	-	-	-
		22	सूरजपुर	-	-	-	-	-	-	-
		23	बलरामपुर	-	-	-	-	-	-	-
		24	जशपुर	-	-	-	-	-	-	-
		25	कोरिया	-	-	-	-	-	-	-
		26	एम.सी.बी.	-	-	-	-	-	-	-
		27	बस्तर	-	-	-	-	-	-	-
		28	दंतेवाड़ा	12	6	4	2	ठेकेदार द्वारा सामग्री नहीं मंगाई गई है	मार्च 2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित	समयवृद्धि हेतु नियमानुसार अर्थादण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
		29	सुकमा	-	-	-	-	-	-	-
		30	बीजापुर	-	-	-	-	-	-	-
		31	कांकर	-	-	-	-	-	-	-
		32	कोंडगाँव	-	-	-	-	-	-	-
		33	नारायणपुर	-	-	-	-	-	-	-
		योग		14	8	4	2			
2	2025-26	1	रायपुर	-	-	-	-	-	-	-
		2	बलौदाबाजार	-	-	-	-	-	-	-
		3	गरियाबंद	-	-	-	-	-	-	-

स. क्र.	वर्ष	क्र.	जिला	स्वीकृत ग्रामीण पेयजल योजनाओं की संख्या	पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	अपूर्णता का कारण	कब तक पूर्ण की जायेगी	समय-सीमा में पूर्ण न कर पाने हेतु जिम्मेदार व्यक्ति व एजेसी के विरुद्ध उक्त अवधि में की गई कार्यवाही
		4	धमतरी	-	-	-	-	-	-	-
		5	महासमुन्द	-	-	-	-	-	-	-
		6	दुर्ग	-	-	-	-	-	-	-
		7	बालोद	2	1	-	1	निविदा प्रक्रियाधीन	निविदा स्वीकृति के पश्चात	-
		8	बैमतरा	-	-	-	-	-	-	-
		9	राजनांदगांव	22	-	-	22	डी.एम.एफ. मद में कार्य स्वीकृत है। जिसका निविदा प्रक्रियाधीन है।	निविदा उपरांत कार्य किया जाना संभव होगा।	-
		10	एमएमएसी	-	-	-	-	-	-	-
		11	केसीजी	-	-	-	-	-	-	-
		12	कबीरधाम	-	-	-	-	-	-	-
		13	बिलासपुर	-	-	-	-	-	-	-
		14	मुंगेली	-	-	-	-	-	-	-
		15	गोरला-पेंडा- पुण्डरी	-	-	-	-	-	-	-
		16	जांजगीर-चांपा	-	-	-	-	-	-	-
		17	सक्ती	-	-	-	-	-	-	-
		18	कोरबा	-	-	-	-	-	-	-
		19	रायगढ़	-	-	-	-	-	-	-
		20	सारंगढ़-बिलाईगढ़	-	-	-	-	-	-	-
		21	सरगुजा	-	-	-	-	-	-	-
		22	सूरजपुर	-	-	-	-	-	-	-
		23	बलरामपुर	-	-	-	-	-	-	-
		24	जशपुर	-	-	-	-	-	-	-
		25	कोरिया	-	-	-	-	-	-	-
		26	एम.सी.बी.	-	-	-	-	-	-	-

स. क्र.	वर्ष	क्र.	जिला	ग्रामीण पेयजल योजनाओं की जानकारी					समय-सीमा में पूर्ण न कर पाने हेतु जिम्मेदार व्यक्ति व एजेंसी के विरुद्ध उक्त अवधि में की गई कार्यवाही	
				स्वीकृत ग्रामीण पेयजल योजनाओं की संख्या	पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	अपूर्णता का कारण		कब तक पूर्ण की जायेगी
		27	बस्तर	-	-	-	-	-	-	
		28	दंतेवाड़ा	5	1	-	4	2 बार आमंत्रित निविदाओं में निविदाकारों द्वारा भाग	मार्च 2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित	-
		29	सुकमा	-	-	-	-	-	-	-
		30	बीजापुर	15	-	5	10	- अपूर्ण योजनाएं प्रगतिरत है समय सीमा में पूर्ण किया जावेगा। - अप्रारंभ योजनायें	मार्च 2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित	-
		31	कांकिर	14	-	11	3	- अपूर्ण योजनाएं प्रगतिरत है समय सीमा में पूर्ण किया जावेगा। - अप्रारंभ योजनायें	मार्च 2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित	-
		32	कोडागाँव	-	-	-	-	-	-	-
		33	नारायणपुर	8	1	7	0	समयावधि में पूर्ण किया जावेगा	मार्च 2026 तक पूर्ण किया जाना लक्षित	-
		योग		66	3	23	40			

Sham
अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

स्वीकृत शहरी पेयजल योजनाओं की पूर्ण, अपूर्ण व अप्रारंभ, अपूर्णता के कारण, पूर्णता की तिथि एवं अपूर्णता हेतु उक्त अवधि में संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की वर्षवार व जिलेवार जानकारी

स. क्र.	वर्ष	क्र.	जिला	शहरी पेयजल योजनाओं की जानकारी						समय-सीमा में पूर्ण न कर पाने हेतु जिम्मेदार व्यक्ति व एजेंसी के विरुद्ध उक्त अवधि में की गई कार्यवाही
				स्वीकृत शहरी पेयजल योजनाओं की संख्या	पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	अपूर्णता का कारण	कब तक पूर्ण की जायेगी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2024-25	1	रायपुर	-	-	-	-	-	-	-
		2	बलोदाबाजार	-	-	-	-	-	-	-
		3	गरियाबंद	-	-	-	-	-	-	-
		4	धमतरी	-	-	-	-	-	-	-
		5	महासमुन्द	-	-	-	-	-	-	-
		6	दुर्ग	-	-	-	-	-	-	-
		7	बालोद	-	-	-	-	-	-	-
		8	बेमतरा	-	-	-	-	-	-	-
		9	राजनादगाव	1	1	-	-	-	-	-
		10	एमएमएसी	-	-	-	-	-	-	-
		11	केसीजी	-	-	-	-	-	-	-
		12	कबीरधाम	-	-	-	-	-	-	-
		13	बिलासपुर	-	-	-	-	-	-	-
		14	मुगेली	-	-	-	-	-	-	-
		15	गोरिला-पेंडा-मरवाही	-	-	-	-	-	-	-

स. क्र.	वर्ष	क्र.	जिला	स्वीकृत शहरी पेयजल योजनाओं की संख्या	पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	अपूर्णता का कारण	कब तक पूर्ण की जायेगी	समय-सीमा में पूर्ण न कर पाने हेतु जिम्मेदार व्यक्ति व एजेंसी के विरुद्ध उक्त अवधि में की गई कार्यवाही
		16	जाजगीर-चांपा	-	-	-	-	-	-	-
		17	सक्ती	-	-	-	-	-	-	-
		18	कोरबा	-	-	-	-	-	-	-
		19	रायगढ़	-	-	-	-	-	-	-
		20	सारंगढ़-बिलाईगढ़	-	-	-	-	-	-	-
		21	सरगुजा	-	-	-	-	-	-	-
		22	सूरजपुर	-	-	-	-	-	-	-
		23	बलरामपुर	-	-	-	-	-	-	-
		24	जशपुर	-	-	-	-	-	-	-
		25	कोरिया	-	-	-	-	-	-	-
		26	एम.सी.बी.	-	-	-	-	-	-	-
		27	बस्तर	-	-	-	-	-	-	-
		28	दंतेवाड़ा	-	-	-	-	-	-	-
		29	सुकमा	-	-	-	-	-	-	-
		30	बीजापुर	-	-	-	-	-	-	-
		31	कांकर	-	-	-	-	-	-	-
		32	कौडागाँव	-	-	-	-	-	-	-
		33	नारायणपुर	-	-	-	-	-	-	-
		योग		1	1	-	-	-	-	-

स. क्र.	वर्ष	क्र.	जिला	शहरी पेयजल योजनाओं की जानकारी					कब तक पूर्ण की जायेगी	समय-सीमा में पूर्ण न कर पाने हेतु जिम्मेदार व्यक्ति व एजेंसी के विरुद्ध उक्त अवधि में की गई कार्यवाही
				स्वीकृत शहरी पेयजल योजनाओं की संख्या	पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	अपूर्णता का कारण		
		21	सरयुजा	-	-	-	-	-	-	
		22	सूरजपुर	-	-	-	-	-	-	
		23	बलरामपुर	-	-	-	-	-	-	
		24	जशपुर	-	-	-	-	-	-	
		25	कारिया	-	-	-	-	-	-	
		26	एम.सी.बी.	-	-	-	-	-	-	
		27	बस्तर	-	-	-	-	-	-	
		28	दतेवाड़ा	-	-	-	-	-	-	
		29	सुकमा	-	-	-	-	-	-	
		30	बीजापुर	-	-	-	-	-	-	
		31	कोकर	-	-	-	-	-	-	
		32	कोंडागाँव	-	-	-	-	-	-	
		33	नारायणपुर	-	-	-	-	-	-	
		योग		5			5			

Sharma
अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग,
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष्ट - अस्सी

अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क्र. 2665) की जानकारी

प्रपत्र-अ

वित्तीय वर्ष 2023-24

सं.क्र.	निकाय का नाम	मद का नाम												नालंदा परिसर निर्माण									
		अधोसंरचना		राज्य प्रवर्तित		14वां वित्त		15वां वित्त		अमृत मिशन		प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी			जल आकर्षण योजना		स्वच्छ भारत मिशन शहरी		स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0		नालंदा परिसर निर्माण		
		स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय राशि	स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय राशि	स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय राशि	स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय राशि	स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय राशि	स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय राशि		स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय राशि	स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय राशि	स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय राशि			
1	न.पा. महासमुन्द	0.00	0.00	0.00	0.00	112.20	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	307.01	210.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.84	22.04	0.00	0.00
2	न.पा. बागबाहरा	135.67	135.67	169.68	143.15	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.92	8.75	0.00	0.00
3	न.पा. सरायपाली	4501.01	4073.28	0.00	0.00	275.25	256.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	न.प. पिथौरा	2850.23	2675.41	0.00	0.00	36.68	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	न.प. बरसाना	3197.98	3136.68	0.00	0.00	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	न.प. तुमगाव	243.24	234.42	401.44	238.96	49.68	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	10928.13	10255.46	571.12	382.11	716.70	695.09	0.00	0.00	0.00	0.00	307.01	210.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.76	30.79	0.00	0.00

(राशि रु. लाख में)

वित्तीय वर्ष 2024-25

सं.क्र.	निकाय का नाम	मद का नाम												नालंदा परिसर निर्माण									
		अधोसंरचना		राज्य प्रवर्तित		14वां वित्त		15वां वित्त		अमृत मिशन		प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी			जल आकर्षण योजना		स्वच्छ भारत मिशन शहरी		स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0		नालंदा परिसर निर्माण		
		स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय राशि	स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय राशि	स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय राशि	स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय राशि	स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय राशि	स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय राशि		स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय राशि	स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय राशि	स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय राशि			
1	न.पा. महासमुन्द	296.17	183.30	0.00	0.00	1105.38	476.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	न.पा. बागबाहरा	486.79	433.16	0.00	0.00	285.11	231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
3	न.पा. सरायपाली	326.75	300.41	0.00	0.00	291.26	264.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.09	19.09	0.00	0.00
4	न.प. पिथौरा	169.78	112.08	0.00	0.00	114.61	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	न.प. बरसाना	164.85	113.50	0.00	0.00	93.64	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
6	न.प. तुमगाव	288.76	172.60	0.00	0.00	57.33	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
	योग	1733.10	1315.05	0.00	0.00	1947.33	1178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.57	19.09	0.00	0.00

(राशि रु. लाख में)

अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशसन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

अधोसंरचना मद
वित्तीय वर्ष 2023-24

(राशि रु. लाख में)

सं.क्र.	निकाय का नाम	स्वीकृत कार्य (सड़क/नाली/पेयजल/स्ट्रीट लाईट/सीवरेज) की अद्यतन स्थिति				अप्रारंभ/ लंबित कार्य का कारण
		कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ/लंबित	
1	न.पा.महासमुन्द	0	0	0	0	
2	न.पा.बागवाहरा	3	3	0	0	
3	न.पा.सरायपाली	35	34	1	0	
4	न.पं.पिथौरा	53	52	1	0	
5	न.पं.बसना	18	18	0	0	
6	न.पं.तुमगांव	41	41	0	0	
	योग	150	148	2	0	

वित्तीय वर्ष 2024-25

(राशि रु. लाख में)

सं.क्र.	निकाय का नाम	स्वीकृत कार्य (सड़क/नाली/पेयजल/स्ट्रीट लाईट/सीवरेज) की अद्यतन स्थिति				अप्रारंभ/ लंबित कार्य का कारण
		कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ/लंबित	
1	न.पा.महासमुन्द	55	54	1	0	
2	न.पा.बागवाहरा	10	10	0	0	
3	न.पा.सरायपाली	28	28	0	0	
4	न.पं.पिथौरा	9	8	1	0	
5	न.पं.बसना	6	6	0	0	
6	न.पं.तुमगांव	9	8	1	0	
	योग	117	114	3	0	
	कुल योग	267	262	5	0	

14वें वित्त आयोग

वित्तीय वर्ष 2023-24

(राशि रु. लाख में)

सं.क.	निकाय का नाम	स्वीकृत कार्य (सड़क/नाली/पेयजल/स्ट्रीट लाईट/सीवरेज) की अद्यतन स्थिति				अप्रारंभ/लंबित कार्य का कारण
		कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ/लंबित	
1	न.पा.महासमुन्द	0	0	0	0	
2	न.पा.बागबाहरा	0	0	0	0	
3	न.पा.सरायपाली	0	0	0	0	
4	न.पं.पिथौरा	0	0	0	0	
5	न.पं.बसना	0	0	0	0	
6	न.पं.तुमगांव	0	0	0	0	
	योग	0	0	0	0	

वित्तीय वर्ष 2024-25

(राशि रु. लाख में)

सं.क.	निकाय का नाम	स्वीकृत कार्य (सड़क/नाली/पेयजल/स्ट्रीट लाईट/सीवरेज) की अद्यतन स्थिति				अप्रारंभ/लंबित कार्य का कारण
		कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ/लंबित	
1	न.पा.महासमुन्द	0	0	0	0	
2	न.पा.बागबाहरा	0	0	0	0	
3	न.पा.सरायपाली	0	0	0	0	
4	न.पं.पिथौरा	0	0	0	0	
5	न.पं.बसना	0	0	0	0	
6	न.पं.तुमगांव	0	0	0	0	
	योग	0	0	0	0	
	कुल योग	0	0	0	0	

15वें वित्त आयोग

वित्तीय वर्ष 2023-24

(राशि रु. लाख में)

सं.क्र.	निकाय का नाम	स्वीकृत कार्य (सड़क/नाली/पेयजल/स्ट्रीट लाईट/सीवरेज) की अद्यतन स्थिति				अप्रारंभ/ लंबित कार्य का कारण
		कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ/लंबित	
1	न.पा.महासमुन्द	0	0	0	0	
2	न.पा.बागबाहरा	9	9	0	0	
3	न.पा.सरायपाली	6	6	0	0	
4	न.पं.पिथौरा	8	8	0	0	
5	न.पं.बसना	7	7	0	0	
6	न.पं.तुमगांव	0	0	0	0	
	योग	30	30	0	0	

वित्तीय वर्ष 2024-25

(राशि रु. लाख में)

सं.क्र.	निकाय का नाम	स्वीकृत कार्य (सड़क/नाली/पेयजल/स्ट्रीट लाईट/सीवरेज) की अद्यतन स्थिति				अप्रारंभ/ लंबित कार्य का कारण
		कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ/लंबित	
1	न.पा.महासमुन्द	17	13	3	1	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2	न.पा.बागबाहरा	9	8	1	0	
3	न.पा.सरायपाली	15	15	0	0	
4	न.पं.पिथौरा	1	0	1	0	
5	न.पं.बसना	3	3	0	0	
6	न.पं.तुमगांव	3	2	1	0	
	योग	48	41	6	1	
	कुल योग	78	71	6	1	

अनुभाग आधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष - इक्यासी
अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 2676) की जानकारी

प्रपत्र

महासमुंद जिले में प्रस्तावित खेल मैदान, मिनी स्टेडियम। श्रीमती चातुरी नन्द

प्रश्नाधीन अवधि अंतर्गत महासमुंद जिले के निम्नानुसार स्थानों में खेल मैदान एवं मिनी स्टेडियम निर्माण के संबंध में विकासखण्डवार जानकारी -

क्र.	स्थान एवं वि.ख. का नाम	कार्य का नाम
01	ग्राम बेमचा, वि.ख. एवं जिला महासमुंद	खेल मैदान अधोसंरचना कार्य
02	ग्राम मचेवा, वि.ख. एवं जिला महासमुंद	बास्केटबॉल कोर्ट निर्माण कार्य
03	वि.ख. महासमुंद	सिंथेटिक फुटबाल ग्राउण्ड

राजीव गांधी खेल स्टेडियम संबंधित योजना वर्तमान में संचालित नहीं है।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
संचालक, नया रायपुर, अटल नगर

परीशिष्ट - बयासों

अतारोकेत प्रश्न संख्या 61 (क्र. 2692) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	निकाय का नाम	शिक्षा उपकर की राशि वित्तीय वर्ष (राशि रुपये लाख में)										कुल	शिक्षा उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-31 जनवरी 2026 तक	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	नगर निगम रायपुर	442.17	664.92	670.03	554.12	582.71	633.84	771.65	405.73	4725.17			
2	नगर निगम बीरागांव	4.79	6.21	6.83	12.87	14.80	20.08	14.10	14.33	94.01			
3	नगर पालिका भाटापारा	23.96	17.79	26.26	27.61	27.74	28.70	18.13	14.74	184.93			
4	नगर निगम धमतरी	21.05	21.59	24.61	24.70	27.28	29.17	30.86	202.17	381.43			
5	नगर निगम दुर्ग	3.72	3.80	3.70	4.19	4.91	5.62	3.12	2.60	31.66			
6	नगर निगम भिलाई	448.26	451.76	476.98	454.06	498.70	629.60	546.52	423.24	3929.12			
7	नगर निगम रिसाली	0.00	0.00	112.84	121.90	123.27	126.47	160.97	138.68	784.13			
8	नगर निगम भिलाई-चरोदा	5.88	5.32	8.01	7.40	8.64	6.83	9.81	4.67	56.56			
9	नगर पालिका जामुल	9.10	3.33	6.30	5.74	67.10	14.23	8.16	5.70	119.66			
10	नगर पालिका कुम्हारी	5.40	4.59	11.16	8.13	11.15	9.53	13.92	9.99	73.87			
11	नगर पालिका अमलेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70	10.47	5.72	23.89			
12	नगर पंचायत उतई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	3.11	5.75			
13	नगर पालिका बेमेतरा	4.92	4.13	3.43	5.76	7.28	8.48	6.61	4.68	45.29			

शिक्षा उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग निकाय क्षेत्रों में अवस्थित स्कूलों के मरम्मत संधारण, अतिरिक्त कक्षा निर्माण, स्वच्छता अंतर्गत शौचालय निर्माण, पेयजल व्यवस्था व अन्य कार्यों के संपादन साथ ही राज्य प्रवर्तित योजनान्तर्गत ज्ञान स्थली योजना में किया जाता है।

क्र.	निकाय का नाम	शिक्षा उपकर की राशि वित्तीय वर्ष (राशि रुपये लाख में)										कुल	शिक्षा उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग 12
		2018- 19	2019- 20	2020- 21	2021- 22	2022- 23	2023- 24	2024- 25	2025 - 31 जनवरी 2026 तक	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
14	नगर पालिका कवर्धा	0.00	5.21	6.77	5.75	7.47	7.04	8.34	4.82	45.40			
15	नगर निगम बिलासपुर	55.47	45.41	69.78	64.49	40.08	51.23	57.02	33.91	417.39			
16	नगर निगम कोरबा	88.59	25.44	52.01	84.48	56.01	65.47	105.79	90.80	568.59			
17	नगर पालिका जांजगीर नैला	8.39	12.38	15.18	14.57	15.44	15.22	20.09	7.28	108.55			
18	नगर निगम रायगढ़	50.66	44.12	65.02	47.44	61.01	64.19	74.23	67.22	473.89			
19	नगर पालिका खरसिया	2.34	2.53	4.72	3.59	4.74	3.27	5.07	3.70	29.96			
	योग:-	1174.7	1318.53	1563.63	1446.8	1558.33	1726.67	1867.5	1443.09	12099.25			

अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशिक्षण एवं विकास विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारोशेष - तिरासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 66 (क. 2722) की जानकारी

प्रपत्र-अ

नगर पालिक निगम, रायपुर क्षेत्रांतर्गत मशीनीकृत स्वीपिंग मशीन से सफाई हेतु सड़को की सूची

क्रमांक	मार्ग का नाम
1	सिद्धार्थ चौक से कमल विहार गेट (न्यू धमतरी रोड)
2	रेलवे स्टेशन से फूण्डहर चौक (अटल एक्सप्रेस वे)
3	अटल एक्सप्रेस वे चौक से कमल विहार चौक
4	सिटी सेंटर मॉल से किशन बाजार
5	लोधी पारा चौक से विधान सभा गेट नं. 3
6	विश्वराय चौक से नेता जी चौक
7	उषा प्राईड से रामकी पार्किंग सड्डू
8	फूण्डहर चौक से एयरपोर्ट
9	भूतेश्वर मंदिर से पुलिस लाईन गेट (बूढातालाब रोड)
10	चांदनी चौक से नील कंठेश्वर मंदिर (आईएसबीटी रोड)
11	एम्स हास्पिटल से हीरापुर चौक (मोहबा बाजार रोड)
12	मेकाहारा से एमएमआई हास्पिटल (केनाल रोड होते हुये)
13	सिद्धार्थ चौक से कमल होटल (संतोषी नगर होते हुये पुरानी धमतरी रोड)
14	जगन्नाथ चौक से जोन 8 कार्यालय
15	सिटी सेंटर मॉल से झंडा चौक होते हुये पंडरी कपड़ा मार्केट
16	तेलघानी नाका से खलबाड़ा चौक होते हुये जगन्नाथ चौक
17	भारत माता चौक से गोदवारा चौक
18	टांटीबध चौक से भनपुरी चौक
19	तात्यापारा चौक से तेलघानी नाका चौक होते हुये रामसागर पारा
20	कटोरा तालाब से कपूर होटल
21	नेताजी चौक से रिंग रोड
22	रिंग रोड से राजेन्द्र नगर
23	कटोरा तालाब से शैलेन्द्र नगर पुजारी पार्क होते हुये
24	पुजारी पार्क से टेगोर नगर
25	भगत सिंग चौक से जोगी बंगला होते हुये लक्ष्मी हॉस्पिटल
26	देवी लक्ष्मी हॉस्पिटल से मेमन हॉस्पिटल शैलेन्द्र नगर
27	ओसीएम चौक से सतपथी चौक
28	गुरुनानक चौक से श्याम नगर चौक
29	कैलासपुरी से बूढापारा
30	श्री हर नीलकंठेश्वर धाम से बस स्टेण्ड
31	बस स्टेण्ड से भाठागांव ओवरब्रिज
32	पेशनबाड़ा से कालीबाड़ी चौक
33	राम मंदिर से फूडहर चौक
34	राम मंदिर से वीआईपी चौक
35	मेकाहारा से वीआईपी चौक होते हुये शास्त्री चौक
36	फाफाडीह से रेल्वे क्रॉसिंग
37	रेल्वे क्रॉसिंग पलाई ओवर अंतिम छोर तक
38	पलाई ओवर अंतिम छोर से गनपुरी चौक तक

39	फाफाडीह से मेकाहारा
40	फाफाडीह से तेलघानी नाका होते हुये आमापारा
41	भगत सिंग चौक से अशोका टावर
42	अशोका टावर से कचना रेल्वे क्रॉसिंग
43	अशोका टावर से अशोका रतन विधान सभा
44	अंवति बाई चौक से हेमू कल्याणी चौक
45	खम्हारडीह थाना से अंवति विहार मेन रोड
46	शंकर नगर चौक से अंवति बाई चौक
47	पुरानी बस्ती से लाखे नगर
48	लाखे नगर से रायपुरा से महादेव घाट
49	49 रायपुरा चौक से गोल चौक से एनआईआईटी
50	सुंदर नगर से धुप्पड़ चौक
51	धुप्पड़ चौक से समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी
52	महिला थाना से सिद्धार्थ चौक
53	शास्त्री चौक से महिला थाना
54	काली मंदिर से कलेक्ट्रेड
55	पिकाडली होटल चौक से पहाड़ी चौक
56	पहाड़ी चौक कबीर चौक
57	मरीन ड्राइव चौक से न्यू राजेन्द्र नगर ओवरब्रिज
58	आमापारा से शास्त्री चौक
59	तात्यापारा से कंकाली हास्पिटल से राठौर चौक
60	आमापारा से टाटीबंध चौक
61	पुरानी बस्ती थाना से सीएम हाउस
62	पुरानी बस्ती थाना से कंकाली हास्पिटल चौक
63	आजाद चौक से सदर बाजार होते हुये कोतवाली
64	कोतवाली से मालवीय रोड़ होते हुये जैयस्तंभ चौक
65	जैयस्तंभ चौक माहदा पारा होते हुये फाफाडीह
66	फाफाडीह से फलाई ओवर ब्रेक से देवेन्द्र नगर टर्निंग
67	देवेन्द्र नगर टर्निंग से टिम्बर चौक
68	टिम्बर चौक से रामजानकी मंदिर
69	रामजानकी मंदिर से मंडी गेट
70	एक्सप्रेस वे से देवेन्द्र नगर पुलिस थाना



अनुभाग आधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
भवालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत मुख्यालय एवं जोन क्रमांक 01 से 10 अंतर्गत सफाई ठेकेदारों की जानकारी

क्र.	जोन क्रमांक	वार्ड क्रमांक	एजेंसी का नाम	स्वीकृत प्लेसमेंट कर्मचारी की संख्या
1	जोन क्रमांक 01	वार्ड क्रमांक 3/संत कबीर दास	मेसर्स आदित्य इंटरप्राइजेस (श्री गोलू साहू)	38
2		वार्ड क्रमांक 4/यातियतन लाल	मेसर्स वी.वी.इन्फ्रा (श्री अशोक उईके)	38
3		वार्ड क्रमांक 5/बंजारी माता	श्री शशांक मिश्रा	38
4		वार्ड क्रमांक 15/नेताजी कन्हैयालाल बाजारी	श्री अमर कुमार झा	38
5		वार्ड क्रमांक 16/वीर शिवाजी	श्री शशांक मिश्रा	38
6		वार्ड-क्रमांक-17/ठक्कर बापा	मेसर्स-अक्ष-इंटरप्राइजेस	38
7		वार्ड क्रमांक 18/बाल गंगाधर तिलक	श्री अमर कुमार झा	38
8		जोन गैंग	मेसर्स अक्ष इंटरप्राइजेस	15
9	जोन क्रमांक 02	वार्ड क्रमांक 6/वीरगंगा अवंती बाई	मोहिते इंटरप्राइजेस (कुनाल राव)	38
10		वार्ड क्रमांक 13/राजीव गांधी	मोहिते इंटरप्राइजेस (कुनाल राव)	38
11		वार्ड क्रमांक 14/रमण मंदिर	हार्दिक रिथालिया	38
12		वार्ड क्रमांक 26/दानवीर भामाशाह	श्री राजू कश्यप	38
13		वार्ड क्रमांक 27/इंदिरा गांधी	एस.एस.इन्फोटेक सेल्युशन (प्रो. संतोष सोनी)	38
14		वार्ड क्रमांक 28/शहीद हेमू कलाणी	मेसर्स ललित इंटरप्राइजेस (प्रो. ललित धात्रिय)	38
15		वार्ड क्रमांक 35/हवलदार अब्दुल हमीद	श्री राजू कश्यप	38
16		जोन गैंग	श्री राकेश सास्थी	15
17	जोन क्रमांक 03	ऑफिसर्स कॉलोनी	श्रीमती रेखा देवांगन, मठपारा	10
18		कपड़ा मार्केट	श्री राजू कश्यप	10
19		प्लेसमेंट सफाई कर्मचारी (अतिरिक्त)	श्रीमती रेखा देवांगन, मठपारा	17
20		वार्ड क्रमांक 12/कालीमाता	श्री दीपक जोशी	38
21		वार्ड क्रमांक 29/गुरु गोविंद सिंह	मेसर्स युनिवर्सल ऑटो इले. एवं मोटर रिपे. वर्कशॉप (श्री शानु)	38
22		वार्ड क्रमांक 30/शंकर नगर	श्री शिवकुमार सोनपिपरे	38
23		वार्ड क्रमांक 31/नेताजी सुभाषचन्द्र बोस	श्री दीपक जोशी	38
24		वार्ड क्रमांक 33/शहीद वीर नारायण सिंह	श्री सुजीत सिंग	38
25	वार्ड क्रमांक 47/मदर टेरेसा	श्री सुजीत सिंग	38	
26	वार्ड क्रमांक 48/गुरु घासीदास	मेसर्स श्री साई इंटरप्राइजेस	38	

क्र.	जोन क्रमांक	वार्ड क्रमांक	एजेंसी का नाम	स्वीकृत प्लेसमेंट कर्मचारी की संख्या
27	जोन नैंग	वार्ड क्रमांक 34/पं. रविशंकर शुक्ल	श्री शिवकुमार सोनपिपरे	15
28		वार्ड क्रमांक 43/ब्राम्हणपारा	मेसर्स कार्तिकेश्वर साहू	38
29		वार्ड क्रमांक 44/स्वामी विवेकानंद सावर बाजार	श्री रविन्द्र कुमार बागड़े	38
30		वार्ड क्रमांक 45/मौलाना अब्दुल रऊफ	मेसर्स श्रेयांश इंटरप्राइजेस	38
31	जोन क्रमांक 04	वार्ड क्रमांक 46/सिविल लाईन	प्रतीक इंटरप्राइजेस (प्रो. नारायण बंछोर)	38
32		वार्ड क्रमांक 57/भगवती चरण शुक्ल	मेसर्स युनिवर्सल ऑटो इले. एवं मोटर रिपे. वर्कशॉप (श्री शानु)	38
33		वार्ड क्रमांक 64/डॉ. विपिन बिहारी सूर	एस.एस.इन्कोटेक सेल्युशन (प्रो. संतोष सोनी)	38
34		जोन नैंग	मेसर्स श्रेयांश इंटरप्राइजेस	38
35		वार्ड क्रमांक 39/ठाकुर प्यारे लाल	श्री राजू कश्यप	15
36		वार्ड क्रमांक 40/पं. दीनदयाल उपाध्याय	मेसर्स रमेश शुक्ला	38
37		वार्ड क्रमांक 41/पं. सुंदर लाल शर्मा	मेसर्स कार्तिकेश्वर साहू	38
38	जोन क्रमांक 05	वार्ड क्रमांक 42/म. लक्ष्मीनारायण दास	मेसर्स महेश सोनी	38
39		वार्ड क्रमांक 66/वामनराव लाखे	मेसर्स आदित्य इंटरप्राइजेस	38
40		वार्ड क्रमांक 67/भक्त माता कर्मा	मेसर्स राकेश सारथी	38
41		वार्ड क्रमांक 68/डॉ. खूबचंद बघेल	मेसर्स महेश सोनी	38
42		वार्ड क्रमांक 58/श. पंकज विक्रम	मेसर्स कार्तिकेश्वर साहू	38
43		वार्ड क्रमांक 59/मोरेश्वर राव गद्रे	मेसर्स युनिवर्सल ऑटो इले. एवं मोटर रिपे. वर्कशॉप (श्री शानु)	38
44		वार्ड क्रमांक 60/चंद्रशेखर आजाद	त्रिशक्ति कंस्ट्रक्शन	38
45		वार्ड क्रमांक 61/डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	मेसर्स शांति ट्रेडर्स	38
46	जोन क्रमांक 06	वार्ड क्रमांक 62/श. राजीव पाण्डेय	मेसर्स शांति ट्रेडर्स	38
47		वार्ड क्रमांक 63/श. ब्रिगेडियर उस्मान	श्री संतोष सोनी	38
48		वार्ड क्रमांक 65/महामाया मंदिर	त्रिशक्ति कंस्ट्रक्शन	38
49		जोन नैंग	मेसर्स शांति ट्रेडर्स	38
50		बी.एस.यू.पी.	मेसर्स शांति ट्रेडर्स	15
51		वार्ड क्रमांक 22/पं ईश्वरी चरण शुक्ल	मेसर्स बालाजी कंस्ट्रक्शन	15
52		वार्ड क्रमांक 23/शहीद मनमोहन सिंह बक्शी	श्री राजू कश्यप	38
53		वार्ड क्रमांक 24/सरदार वल्लख भाई पटेल	श्री अमीत दुबे	38
54		वार्ड क्रमांक 25/संत रामदास	मेसर्स रजत इंटरप्राइजेस	38
55	जोन क्रमांक 07	वार्ड क्रमांक 36/तात्यापारा	श्री राजू कश्यप	38
56			श्री राजू कश्यप	38

क्र.	जोन क्रमांक	वार्ड क्रमांक	एजेंसी का नाम	स्वीकृत प्लेसमेंट कर्मचारी की संख्या
57		वार्ड क्रमांक 37 / शहीद बुडामणी नाथक	मेसर्स रजत इंटरप्राइजेस	38
58		वार्ड क्रमांक 38 / स्वामी आत्मानंद	श्री सुनील गुप्ता	38
59		जोन गैंग	श्री राजू कश्यप	15
60		वार्ड क्रमांक 01 / वीर सावरकर नगर	श्री अनिल गोलारे	38
61		वार्ड क्रमांक 02 / पं. जवाहर लाल नेहरू	श्री राजेन्द्र यादव	38
62		वार्ड क्रमांक 19 / डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	रजत इंटरप्राइजेस	38
63		वार्ड क्रमांक 20 / रामकृष्ण परमहंस	दानेश्वर सेन्ट्रे	38
64		वार्ड क्रमांक 21 / शहीद भगत सिंह	ओमप्रकाश झा	38
65		वार्ड क्रमांक 69 / माधवराव सप्रे	मेसर्स कार्तिकेश्वर कुमार साहू	38
66		वार्ड क्रमांक 70 / संत रविदास	मेसर्स युनिवर्सल ऑटो इले. एवं मोटर रिपे. वर्कशॉप (श्री शानु)	38
67	जोन क्रमांक 08	जोन गैंग	मेसर्स युनिवर्सल ऑटो इले. एवं मोटर रिपे. वर्कशॉप (श्री शानु)	15
68		बी.एस.यू.पी.	अनिल गोलारे	40
69		वार्ड नं. 02 कबीर नगर हाउसिंग बोर्ड	ललित इंटरप्राइजेस	33
70		जोन क्र. 08 अंतर्गत प्लेसमेंट के माध्यम से सफाई कार्य हेतु 09 श्रमिक उपलब्ध कराने जाने हेतु।	ओमप्रकाश झा	9
71		जोन क्र. 08 अंतर्गत प्लेसमेंट के माध्यम से वार्ड नं. 69 में पर्यटक स्थल की सफाई कार्य हेतु	श्री राजू कश्यप	10
72		स्वच्छता कमाण्डो	रविन्द्र कुमार बागड़े	8
73		वार्ड क्रमांक 07 / कुशाभाऊ ठाकरे	एस.एस.इन्फोटेक सेल्युशन (प्रो. संतोष सोनी)	38
74		वार्ड क्रमांक 08 / महात्मा गांधी	दीपक जोशी	38
75		वार्ड क्रमांक 09 / पं. मोतीलाल नेहरू	नंदगोपाल वर्मा	38
76		वार्ड क्रमांक 10 / रानी लक्ष्मी बाई	दीपक जोशी	38
77		वार्ड क्रमांक 11 / डॉ. भीमराव अम्बेडकर	राजेन्द्र कुमार यादव	38
78		वार्ड क्रमांक 32 / महर्षि वाल्मिकी	होमलाल डहरिया	38
79		वार्ड क्रमांक 51 / लाल बहादुर शास्त्री ,	होमलाल डहरिया	38
80		वार्ड क्रमांक 49 / रानी दुर्गावती	मेसर्स सिटी क्लीन सर्विसेस	38
81		वार्ड क्रमांक 50 / पं. विद्याचरण शुक्ल	मेसर्स अमित पाटकर	38
82		वार्ड क्रमांक 52 / डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	मेसर्स विशाल कोट्टीवार	38
83		वार्ड क्रमांक 53 / बाबू जगजीवन राम	मेसर्स सिटी क्लीन सर्विसेस	38
84		वार्ड क्रमांक 54 / कामरेड सुधीर मुखर्जी	मेसर्स विशाल कोट्टीवार	38
	जोन क्रमांक 10			

क्र.	जोन क्रमांक	वार्ड क्रमांक	एजेंसी का नाम	स्वीकृत प्लेसमेंट कर्मचारी की संख्या
85		वार्ड क्रमांक 55/रविन्द्रनाथ टैगोर	मेसर्स त्रिशक्ति कंस्ट्रक्शन	38
86		वार्ड क्रमांक 56/ले. अरविंद दीक्षित	मेसर्स अमित पाटकर	38
87		वी.आई.पी.युप-ए	मेसर्स अल्ट्रा क्लीन एंड केयर सर्विसेस	100
88	मुख्यालय	सेन्द्रल गैंग ग्रुप-बी	मेसर्स कार्तिकेश्वर कुमार साहू	50
89		महापौर स्वच्छता सेल	मेसर्स कार्तिकेश्वर कुमार साहू	80
योग:-				3147



अनुभाग अधिकारी
जनरीय प्रशमसन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

Total Pending Cases of Civil and Criminal, as on 15-02-2026

S. No.	District	Civil	Criminal	Total
1	Balod	1429	5417	6846
2	Baloda Bazar	2240	15717	17957
3	Balrampur at Ramanujganj	1537	6894	8431
4	Bastar- (Jagdalpur)	2333	8321	10654
5	Bemetara	1261	5537	6798
6	Bilaspur	14021	45727	59748
7	Dakshin Bastar (Dantewada)	442	1655	2097
8	Dhamtari	2684	6321	9005
9	Durg	5341	30001	35342
10	Janjgir-Champa	3425	17956	21381
11	Jashpur	1320	3853	5173
12	Kabirdham (Kawardha)	948	9115	10063
13	Kondagaon	776	2591	3367
14	Korba	2944	16976	19920
15	Korea at Baikunthpur	2215	10446	12661
16	Mahasamund	1785	10711	12496
17	Mungeli	1228	6258	7486
18	Raigarh	4984	23669	28653
19	Raipur	12089	88241	100330
20	Rajnandagon	3272	16349	19621
21	Surajpur	3359	9528	12887
22	Sarguja (Ambikapur)	3815	13755	17570
23	Uttar Bastar (Kanker)	1307	4199	5506
	Total	74755	359237	433992



Under Secretary

Government of Chhattisgarh

Law and Legislative Affairs of Department

Mantralaya, Navá Raipur, Atal Nagar (C. G.)

STATEMENT SHOWING THE DISTRICT WISE DISPOSED CIVIL AND CRIMINAL CASES IN THE DISTRICT JUDICIARY OF THE STATE (EXCLUDING FAMILY COURT OF THE CHHATTISGARH STATE FROM 01-01-2023 TO 31.12.2025)

S. No.	NAME OF DISTRICT	Year 2023			Year 2024			Year 2025		
		Civil	Criminal	Total	Civil	Criminal	Total	Civil	Criminal	Total
1	BALOD	611	8813	9424	695	10463	11158	887	14292	15179
2	BALODABAZAR-BHATAPARA	905	9251	10156	1404	11467	12871	1442	16444	17886
3	BALRAMPUR-RAMANUJGANJ	441	4944	5385	412	7969	8381	468	13934	14402
4	BASTAR (JAGDALPUR)	927	3439	4366	1229	6177	7406	1205	6351	7556
5	BEMETARA	851	3993	4844	741	6768	7509	824	11153	11977
6	BILASPUR	5715	33566	39281	6925	50459	57384	8469	83882	92351
7	DAKSHIN BASTAR (DANTEWADA)	402	6064	6466	487	13623	14110	314	18204	18518
8	DHAMTARI	947	6023	6970	1035	7486	8521	870	10116	10986
9	DURG	3180	28886	32066	3015	45906	48921	3536	60109	63645
10	JANJIR-CHAMPA	1644	11648	13292	1490	14361	15851	1537	16990	18527
11	JASHPUR	318	5840	6158	376	8427	8803	741	13653	14394
12	KABIRDHAM (KAWARDHA)	564	6499	7063	597	7569	8166	456	9538	9994
13	KONDAGAON	243	1812	2055	340	3186	3526	371	7607	7978
14	KORBA	1233	8559	9792	1810	13476	15286	1957	25411	27368
15	KORIA (BAIKUNTHPUR)	1011	7619	8630	1114	10025	11139	1143	12597	13740
16	MAHASAMUND	1083	11227	12310	1415	13630	15045	1255	18957	20212
17	MUNGELI	663	6468	7131	874	5637	6511	579	7539	8118
18	RAIGARH	1747	16518	18265	2275	27149	29424	2453	35134	37587
19	RAIPUR	6127	59394	65521	6219	67449	73668	6441	101596	108037
20	RAJNANDGAON	1978	15891	17869	2272	21884	24156	2090	25744	27834
21	SURAJPUR	1119	4012	5131	1363	5942	7305	1301	11677	12978
22	SURGUJA (AMBIKAPUR)	1130	6873	8003	1352	8418	9770	1834	16388	18222
23	UTTAR BASTAR (KANKER)	502	12602	13104	849	11609	12458	983	15055	16038
	GRAND TOTAL	33341	279941	313282	38289	379080	417369	41156	552371	593527

Rajendra

Under Secretary

Government of Chhattisgarh
Law and Legislative Affairs of Department
Mantralaya, Naya Raipur, Atal Nagar

पारोशेष्ट - पच्चासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 69 (क्र. 2735) की जानकारी

प्रपत्र-अ

विभाग के अधीन संचालित योजनाओं की मंडलवार जानकारी।

01. छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

क्र	योजना का नाम
1	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना
2	मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना
3	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना
4	मिनीमाता महतारी जतन योजना
5	मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना
6	मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना
7	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना
8	मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना
9	विशेष शिक्षा सहायता योजना
10	मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन योजना
11	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना
12	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना
13	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना
14	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना
15	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना
16	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना
17	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
18	बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना
19	श्रम मित्र योजना
20	सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिये आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना
21	दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना
22	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना
23	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
24	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना
25	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना
26	मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना
27	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना
28	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना
29	अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना
30	मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र योजना
31	मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र योजना


अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर


02. छ.ग.असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

क्र.	योजना का नाम
1	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना
2	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना
3	असंगठित कर्मकार समाचार-पत्र हॉकर सायकल सहायता योजना
4	मुख्यमंत्री कोटवार, सायकल एवं टार्च सहायता योजना
5	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना
6	मुख्यमंत्री राउत, चरवाहा एवं दूध दूहने वाले सायकल सहायता योजना
7	असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
8	फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता हेतु तराजू, बाट एवं टोकरी सहायता योजना
9	ई-रिक्शा सहायता योजना
10	कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना
11	धोबी हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
12	शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना
13	सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता योजना
14	असंगठित कर्मकार महतारी जतन योजना
15	नाई हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
16	असंगठित कर्मकार छात्रवृत्ति योजना
17	सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना
18	सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना
19	सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना
20	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
21	सफाई कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना
22	हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना
23	घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना
24	घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल तथा घरेलू महिला कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना
25	ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना


अनुपम अधिकारी
 श्रम विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रास्ता

03. छ.ग.श्रम कल्याण मंडल

क्र.	योजना का नाम
1	श्रमिकों हेतु खेल-कूद प्रतियोगिता
2	श्रम कल्याण केन्द्रों का संचालन एवं सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण
3	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना
4	श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना
5	स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर एवं निःशुल्क चश्मा वितरण
6	निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र एवं कृत्रिम अंग योजना
7	निःशुल्क सायकल वितरण योजना
8	मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना
9	निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण योजना
10	सिलोकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुर्नवास सहायता योजना
11	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना
12	मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना
13	खेल-कूद प्रोत्साहन योजना
14	निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना


अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
भदल नगर, नवा रायपुर

पृष्ठ-ब

जिला बालोद को वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में आबटित मद्दार बजट एवं योजनावार व्यय राशि की मंडलवार एवं वर्षवार जानकारी।

01. 0000 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

क्र.	योजना/मद का नाम	वर्ष 2022-23				वर्ष 2023-24				वर्ष 2024-25			
		जिला को आबटित बजट	व्यय राशि	मंडल द्वारा सीधे मुगतान	कुल व्यय	जिला को आबटित बजट	व्यय राशि	मंडल द्वारा सीधे मुगतान	कुल व्यय	जिला को आबटित बजट	व्यय राशि	मंडल मुख्यालय से डी.बी.टी. के द्वारा मुगतान	कुल व्यय
1	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	0	0	0	0	9176683	9176683	0	9176683	0	0	0	0
2	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	0	0	0	0	4914161	4914161	0	4914161	0	0	14340	14340
3	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	0	0	0	0	3762000	4062000	0	4062000	0	0	306000	306000
4	मिनीमाता महतारी जतन योजना	7445000	8445000	0	8445000	23440000	23460000	980000	24440000	11600000	11600000	8780000	20380000
5	मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	1551000	1264500	0	1264500	14061000	14347500	0	14347500	2762500	2762500	25067000	27829500
6	मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना	0	67000	0	67000	565763	672863	0	672863	743000	743000	1186000	1929000
7	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दिर्घायु सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000
8	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना	7483500	16101152	1780590	17881742	0	0	0	0	0	0	0	0
9	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना	0	0	0	0	0	10000	0	10000	0	0	131000	131000
10	दीदी ई रिक्शा सहायता योजना	0	200000	0	200000	800000	900000	0	900000	0	0	0	0
11	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	100000	2000000	0	2000000	3600000	3600000	100000	3700000	193337	1000000	5800000	6800000
12	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निशुल्क कार्ड योजना	0	0	69430	69430	0	0	1611010	1611010	0	0	1667200	1667200
13	मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना	46180000	27420000	0	27420000	52460000	71020000	8560000	79580000	13000000	13200000	35400000	48600000
14	मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना	170000	120000	0	120000	880000	920000	0	920000	330000	340000	5960000	6300000
15	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना	0	0	0	0	2393000	2393000	0	2393000	5063000	5063000	0	5063000
16	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना	0	0	0	0	6300000	6200000	0	6200000	0	0	0	0
17	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेशन सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000
18	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1331640	1331640
19	मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन योजना	25000	71026	0	71026	70000	58975	0	58975	0	421	0	421
20	पंजियन एवं योजनाओं के क्रियांवयन में होने वाले व्यय	0	0	0	0	276983	276983	0	276983	0	55745	0	55745
21	वेतन तथा मंहगाई भत्ता मद	250800	250800	0	250800	331648	295520	0	295520	317880	317880	0	317880
22	दूरभाष व्यय मद	0	7075	0	7075	10000	19121	0	19121	15000	15000	0	15000
23	डाक व्यय एवं टेलीग्राम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000
24	अन्य आकारिमक मद	0	5930	0	5930	10000	21506	0	21506	20000	23973	0	23973
25	स्टेशनरी मद	15000	15046	0	15046	20000	20360	0	20360	20000	18460	0	18460
26	सम्मेलन /शिविर/ कार्यशाला	120000	92702	0	92702	120000	130384	0	130384	0	6017	0	6017
	महायोग	63340300	56060231	1850020	57910251	123191238	142490056	11251010	153750066	34064717	35152996	85701180	120854175


अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर

टीप :- 1. मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना अंतर्गत वर्ष 2018 में प्रशिक्षण का भुगतान वर्ष 2022 में किया गया जिसमें 586 श्रमिकों का मानदेय/परीक्षा शुल्क/व्ही.टी.पी. को 1,61,01,152 राशि का भुगतान किया गया है एवं प्रश्नांकित अवधि में जिले में 967 श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के आर.पी.एल. प्रशिक्षण प्राप्त 735 प्रशिक्षणार्थियों के राशि रूपये 1780590/- का भुगतान मंडल मुख्यालय से किया गया है।

2. जिले द्वारा आबंटित राशि से अधिक व्यय प्रश्नांकित अवधि के पूर्व वित्तीय वर्ष में आबंटित बजट की राशि के शेष राशि से किया गया है।

3. दिनांक 17.09.2024 से योजनाओं में मंडल मुख्यालय स्तर से पात्र हितग्राहियों के खाते में राशि डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तांतरित किया जा रहा है, जिसके कारण योजनाओं में बजट आबंटन नहीं किया गया है।

02. छोगो असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

क्र०	रू. का नाम	योजना का नाम	वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25	
			जिला को आबंटित बजट	व्यय राशि	जिला को आबंटित बजट	व्यय राशि	जिला को आबंटित बजट	व्यय राशि
1	7435 असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मंडल	असंगठित कर्मकार महतारी जतन योजना	1,75,00,000	1,57,20,000	2,20,00,000	1,74,00,000	1,50,00,000	2,04,80,000
2		असंगठित कर्मकार छात्रवृत्ति योजना		22,500		2,99,500		7,69,500
3		असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना		17,00,000		43,00,000		74,60,000
4		ई-रिविशा सहायता योजना		50,000		0		0
योग				1,74,92,500		2,19,99,500		2,86,49,500
5	8977 असंगठित सफाई कर्मकार कल्याण मंडल	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	10,00,000	3,40,000	32,10,500	1,80,000	0	0
6		सफाई कर्मकार के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना		0		74,500		0
7		असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना		2,00,000		1,00,000		0
8		सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना		0		1,94,000		0
योग				5,40,000		5,48,500		0
9	8989 ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	34,00,000	27,80,000	76,00,000	28,60,000	0	0
10		ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना		10,750		99,250		0
11		असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना		6,00,000		15,00,000		0
योग				33,90,750		44,59,250		0
महायोग			2,19,00,000	2,14,23,250	3,28,10,500	2,70,07,250	1,50,00,000	2,86,49,500

टीप - 01. वर्ष 2024-25 में लाभान्वित किए गए 1918 कर्मकारों में से 876 कर्मकारों हेतु रु. 1,50,00,000/- का भुगतान जिला बालोद से एवं शेष 1042 कर्मकारों हेतु रु. 1,36,49,500/- का भुगतान मंडल द्वारा केन्द्रीयकृत डीबीटी के माध्यम से किया गया है।


अनुभाग अधिकारी
 श्रम विभाग, मंत्रालय
 अन्तर्गत नगर, नवा रायपुर

प्रपत्र-स

संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 03 वर्षों (वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में संचालित योजनाओं से लाभांवित हितग्राहियों की मंडलवार एवं योजनावार जानकारी

01. छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

क्र0	योजना का नाम	लाभान्वित श्रमिक संख्या
1	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	1357
2	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	14
3	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	729
4	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	1619
5	मिनीमाता महतारी जतन योजना	1125
6	मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	11939
7	मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना	180
8	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दिर्घायु सहायता योजना	2
9	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना	407
11	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना	9
12	दीदी ई रिक्शा सहायता योजना	5
13	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	50
14	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निशुल्क कार्ड योजना	33597
15	मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना	3249
16	मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना	103
17	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना	3182
18	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना	26
19	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना	1
20	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना	96
	महायोग	57690

टीप :- शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत जिला बालोद में संचालित भोजन केन्द्र के माध्यम वर्ष 2024-25 में 5,878 मिल (यूनिट भोजन) निर्माण श्रमिकों को वितरण किया गया है।


अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
बालोद नगर, नवा गढ़

02. छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

क्र0	योजना का नाम	लाभान्वित श्रमिक संख्या	रिमार्क
1	असंगठित कर्मकार महतारी जतन योजना	1056	तीनों प्रसूति योजनाओं को "असंगठित कर्मकार महतारी जतन योजना" में समाहित किया गया है।
2	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	13	
3	ढेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	69	
4	असंगठित कर्मकार छात्रवृत्ति योजना	538	तीनों छात्रवृत्ति योजनाओं को "असंगठित कर्मकार छात्रवृत्ति योजना" में समाहित किया गया है।
5	सफाई कर्मकार के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	14	
6	ढेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	57	
7	असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	41	
8	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना	56	
योग		1844	

टीप :- मंडल अंतर्गत संचालित शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत वर्ष 2024-25 में कर्मकारों को 1604 मिल (भोजन यूनिट) प्रदाय किया गया है।


अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर

03. छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल

क्र.	योजना का नाम	लाभान्वित श्रमिक संख्या
1	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना	401
2	निःशुल्क सायकल वितरण योजना	52
3	मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना	6
4	खेल-कूद प्रोत्साहन योजना	5
योग		464


 अनुभाग अधिकारी
 श्रम विभाग, मंत्रालय
 नगर, नवा रायपुर

परिशेष - छियासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 70 (क्र. 2747) की जानकारी

26/03/26
आधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
नवा रायपुर

प्रपत्र

क्र.	जिला	वर्ष	शासकीय/सार्वजनिक/प्राइवेट उद्योग का नाम एवं पता	सीएसआर मद में प्राप्त राशि (रु.)	प्राप्त राशि से स्वीकृत कार्य का विवरण	कार्यस्थल	व्यय राशि (रु.)	रिमार्क (कार्य स्वीकृति वर्ष)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रायपुर	2022-23	निरंक		छ.ग. पेशनर्स समाज कार्यालय रायपुर में कमरा, नाली एवं बाऊंड्रीवाल निर्माण कार्य	कलेक्टोरेट रायपुर	600000	22-23
2	रायपुर	2023-24	मे0 अडानी पावर रायखेड़ा तिल्दा	6800000	कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस भवन के साफ-सफाई, नाली निर्माण गार्डनिंग एवं सेप्टिक टैंक निर्माण कार्य	कलेक्टोरेट रायपुर	720000	22-23
3	रायपुर		मे0 जिन्दल स्टील एंड पावर रायगढ़	500000	संभाग स्तरीय युवा महोत्सव 2022-23 रायपुर जिले के प्रतिभागियों की भोजन व्यवस्था	रायपुर	85050	22-23
4	रायपुर		हीरा सीएसआर फाउंडेशन सिलतरा धरसीवा	1000000	संभाग स्तरीय युवा महोत्सव 2022-23 में निर्णायकों का मानदेय एवं अन्य व्यय	रायपुर	54250	22-23
5	रायपुर		भिलाई स्टील प्लांट भिलाई	5000000	राज्य स्तरीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाला पंडरी रायपुर में संचालित लैब में ए.सी. क्रय हेतु	पंडरी रायपुर	302000	22-23
6	रायपुर	2024-25	अल्ट्राटेक सीमेंट रवान बलौदाबाजार	1500000	नवीन दृष्टि दोष पाये जाने वाले स्कूल छात्र / छात्राओं के लिए 01 नग अतिरिक्त चश्मा	रायपुर	120640	23-24
7	रायपुर		जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमि0 अहिंवारा दुर्ग	3000000	नवीन दृष्टि दोष पाये जाने वाले स्कूल छात्र / छात्राओं के लिए 01 नग अतिरिक्त चश्मा	रायपुर	325780	23-24
8	रायपुर		नुवाको विस्तास कार्पो0 लिमि0 बलौदाबाजार	5000000	रायपुर रोजगार संगी वेबसाइट एवं मोबाईल एप	रायपुर	100000	23-24
9	रायपुर	2024-25	एसीसी लिमि0 जामुल दुर्ग	1500000	विधानसभा निर्वाचन 2023 में स्पीच के अंतर्गत मतदाताओं को मताधिकार के प्रयोग के लिए जागरूक करने विभिन्न गतिविधियों के आयोजन	रायपुर	500000	23-24
10	रायपुर		एसईसीएल बिलासपुर	9900000	सिविल लाईन्स रायपुर में इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के राज्य स्तरीय अत्याधुनिक रेडक्रास ब्लड बैंक के निर्माण हेतु	रायपुर	1000000	23-24
11	रायपुर	2024-25	अम्बुजा सीमेंट रवान बलौदाबाजार	1500000	सेजबहार इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में महिला शौचालय निर्माण कार्य	सेजबहार	2000000	24-25
12	रायपुर		मिवान स्टील लिमि0 कुरुद मंदिरहसौद	1000000	पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में सार्वजनिक प्रसाधन निर्माण कार्य	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय	300000	24-25
13	रायपुर	2024-25	एनटीपीसी लिमि0 कोरवा	2000000	कलेक्टर परिसर में जनदर्शन हेतु बैम्बु चौपाल निर्माण कार्य	कलेक्टोरेट रायपुर	535850	24-25
14	रायपुर		अग्रवाल स्पंज प्राय0 लिमि0 सिलतरा रायपुर	600000	कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऊगता सूरज नवा रायपुर हेतु (क्षेत्रफल-88 हे. पूर्व रोपित - 47914, नये पौधों की संख्या - 5000)	नवा रायपुर	6120500	24-25

15	रायपुर	2024-25	नाकोडा इस्पात लिमिटेड रायपुर	1700000	सेन्धबांधा नवा रायपुर हेतु (क्षेत्रफल-20 हे., पूर्व रोपित - 27000, नये पौधों की संख्या - 5000)	सेन्धबांधा नवा रायपुर	3795500	24-25
16	रायपुर		बजरंग पावर एंड इस्पात उरला रायपुर	1000000	14 अगस्त 2024 को आयोजित स्वतंत्रता दौड़ में शामिल होने वाले स्कूली छात्र/छात्राएं, खिलाड़ी, खेल संघ के पदाधिकारी एवं अधिकारी/कर्मचारी गणमान्य नागरिकों को कैप	रायपुर	63000	24-25
17	रायपुर		अल्ट्राटेक सीमेंट रवान बलौदाबाजार	500002	रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों हेतु ट्रेक सूट तथा कैप क्रय एवं टीशर्ट में लगाने हेतु 'रन फॉर यूनिटी' का स्टीकर प्रिंट	रायपुर	46100	24-25
18	रायपुर		निरंक		कलेक्टरेट भवन के कक्ष क्रमांक -15 एनआईसी में निर्बाध आपूर्ति हेतु बैटरी क्रय	कलेक्टरेट रायपुर	145433	24-25
19	रायपुर		निरंक		02 नग स्मार्ट बोर्ड डिस्प्ले प्रोजेक्टर सीपीवी आदि के साथ।	छोगो महाविद्यालय रायपुर	1000000	24-25
20	रायपुर		निरंक		डबल बीम यूवी विज़िबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की स्थापना	छोगो महाविद्यालय रायपुर	370000	24-25
21	रायपुर		निरंक		ग्राम मठपुरेना में प्रधानमंत्री / बीएसयूपी योजनांतर्गत निर्मित आवासीय परिसर में सीसीटीवी कैमरा	मठपुरेना रायपुर	7500000	24-25
22	रायपुर		निरंक		ग्राम भाटागांव में प्रधानमंत्री / बीएसयूपी योजनांतर्गत निर्मित आवासीय परिसर में सीसीटीवी कैमरा	भाटागांव रायपुर	6500000	24-25
			कुल योग :-	42500002			32184103	
23	महासमुंद		छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर	51806846	जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद (स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम विद्यालय तुमगांव/पटवा/कोमाखान जिला महासमुंद के आवश्यक सुविधाएं हेतु)	महासमुंद	51806846	-
24	महासमुंद	2023-24	एन.टी.पी.सी. लिमिटेड पश्चिमी क्षेत्र-2 मुख्यालय, नवा रायपुर	7200000	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (वि/या) महासमुंद (स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय के परिसर में हाई मास्ट लाईट कार्य हेतु) सहायक जिला परियोजना समग्र शिक्षा महासमुंद (कॉलेज के पुराना भवन के लघु मरम्मत एवं आवश्यक सामग्री क्रय कार्य हेतु)	महासमुंद	5200000	-
25	महासमुंद		एन.टी.पी.सी. लिमिटेड पश्चिमी क्षेत्र-2 मुख्यालय, नवा रायपुर	8000000	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (वि/या) महासमुंद (स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय के परिसर में हाई मास्ट लाईट कार्य हेतु)	महासमुंद	2188940	

Bal
10/03/26

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल

पारोशेष्ट - सत्तासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 75 (क्र. 2793) की जानकारी

प्रपत्र

अधोसंरचना मद

वित्तीय वर्ष 2023-24

नगर पालिका परिषद महासमुन्द

(राशि लाख रु. में)

क्र.	मरम्मत/उन्नयन हेतु स्वीकृत (सी.सी.रोड/बी.टी.रोड) का नाम	स्वीकृत राशि	क्या उक्त कार्य में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है? (हाँ/नहीं)	प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	योग	0.00		

वित्तीय वर्ष 2024-25

क्र.	मरम्मत/उन्नयन हेतु स्वीकृत (सी.सी.रोड/बी.टी.रोड) का नाम	स्वीकृत राशि	क्या उक्त कार्य में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है? (हाँ/नहीं)	प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	वार्ड क्र. 07 में दिनेश मसीहा घर से सनत साहू घर तक सी.सी.रोड (टॉप) मरम्मत कार्य।	1.00	नहीं	--
2	वार्ड क्र. 07 में मोहन भावनकर घर से वेत राम साहू घर तक सी.सी. रोड (टॉप) मरम्मत कार्य।	2.96	नहीं	--
3	वार्ड क्र. 07 शिव यादव घर से गल्लु खान घर तक सी.सी.रोड (टॉप) मरम्मत कार्य।	1.41	नहीं	--
4	वार्ड क्र. 07 में श्री यंशवंत ध्रुव घर से तारा कापसे घर तक सी.सी.रोड टाप मरम्मत कार्य।	0.46	नहीं	--
5	वार्ड 07 में 05 जगहों में सीसी रोड का मरम्मत कार्य। (अ) चोवा चंद्राकर फर्शी गली में सीसी रोड का मरम्मत कार्य (0.33) (ब) उषा पटेल घर से झंडा चौक तक सीसी रोड का मरम्मत कार्य (0.33) (स) पानी टंकी के सामने सीसी रोड का मरम्मत कार्य (0.53) (द) स्व. महेन्द्र साहू गली श्रेया काम्पलेक्स में सीसी रोड का मरम्मत कार्य (0.40) (इ) श्रेया काम्पलेक्स के पास सीसी रोड का मरम्मत कार्य (0.69)	2.33	नहीं	--
6	वार्ड क्र. 08 में संतोषी मंदिर पार्श्व घर से जाकिर घर तक सी.सी. रोड (टॉप) मरम्मत कार्य।	8.89	नहीं	--
7	वार्ड क्र. 14 में एच.बी.टी. टेंट से लकड़ी टाल तक सीसी रोड का मरम्मत कार्य।	10.13	नहीं	--
8	वार्ड क्र. 16 में शंकर पाण्डेय घर से सनत चन्द्राकर घर तक सी.सी. रोड (टॉप) मरम्मत कार्य।	1.98	नहीं	--
9	वार्ड क्र. 20 में कांग्रेस भवन से शुकरकेन दुकान तक सीसी रोड मरम्मत कार्य।	4.03	नहीं	--
10	वार्ड क्र. 21 में मंदिर से चंद्रिका घर तक सी.सी. रोड (टॉप) मरम्मत कार्य।	1.98	नहीं	--
11	वार्ड क्र. 24 में फुलवा निषाद घर से रेखा साहू घर तक सी.सी. रोड (टॉप) मरम्मत कार्य।	0.99	नहीं	--
12	वार्ड क्र. 26 में सिन्हा घर से खगेश्वर घर तक सी.सी. रोड (टॉप) मरम्मत कार्य।	0.79	नहीं	--
13	वार्ड क्र. 26 के दो जगहों में सीसी रोड का मरम्मत कार्य (अ) डॉ. अरविन्द घर से सौरभ शर्मा घर तक सीसी रोड मरम्मत कार्य (ब) योजना सिंह के घर से मिलाप यादव के घर तक सीसी रोड मरम्मत कार्य, लागत राशि 2.28 लाख।	2.28	नहीं	--
14	वार्ड क्र. 27 में कलेक्टोरेट रोड से साहू घर तक सी.सी. रोड (टॉप) मरम्मत कार्य।	1.84	नहीं	--
15	वार्ड क्र. 08 में आसिफ कुरैशी घर से जानी खान घर तक सीसी रोड टाप मरम्मत कार्य, लागत राशि 1.98 लाख।	1.98	नहीं	--
16	वार्ड क्र. 08 में बसंत पाशी घर से फटाका घर होते हुए राजेश शर्मा घर तक सीसी रोड टाप मरम्मत कार्य, लागत राशि 10.87 लाख।	10.87	नहीं	--
17	वार्ड क्र. 24 में पदमन घर के पास सीसी रोड टाप मरम्मत कार्य	0.79	नहीं	--
18	वार्ड क्र. 24 में राजू प्रजापति घर के पास सीसी रोड टाप मरम्मत कार्य	0.40	नहीं	--
19	वार्ड क्र. 24 में विष्णु पांडे घर से राजू प्रजापति घर तक सीसी रोड टाप मरम्मत कार्य।	1.84	नहीं	--
20	वार्ड क्र. 24 में विष्णु पांडे घर से डेरहा टेलर्स (रावण भाठा) सीसी रोड टाप मरम्मत कार्य।	5.93	नहीं	--
21	वार्ड क्र. 24 में लीलार घर के पास सीसी रोड टाप मरम्मत कार्य।	1.41	नहीं	--
22	वार्ड क्र. 24 में राजेश प्रजापति घर से हिलाल घर तक सीसी रोड टाप निर्माण कार्य।	1.80	नहीं	--
	योग	66.09		

वित्तीय वर्ष 2025-26 (28 फरवरी 2026 तक)

क्र.	मरम्मत/उन्नयन हेतु स्वीकृत (सी.सी.रोड/बी.टी.रोड) का नाम	स्वीकृत राशि	क्या उक्त कार्य में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है? (हो/नही)	प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	पुराना मलेरिया आफिस में रंग मंच वार्ड क्र. 29 से पन्ना लाल पटेल घर तक सी.सी.रोड (टॉप) मरम्मत कार्य।	2.49	नही	—
2	वार्ड क्र. 29 पुराना मलेरिया आफिस गली में सी.सी.रोड (टॉप) मरम्मत कार्य।	1.79	नही	—
3	वार्ड क्र. 29 में दुर्गा मंदिर के सामने (बरौंड चौक) में सी.सी.रोड (टॉप) मरम्मत कार्य।	2.99	नही	—
	योग	7.27		
	कुल योग	73.36		

नगर पंचायत तुमगांव

वित्तीय वर्ष 2023-24

(राशि लाख रु. में)

क्र.	मरम्मत/उन्नयन हेतु स्वीकृत (सी.सी.रोड/बी.टी.रोड) का नाम	स्वीकृत राशि	क्या उक्त कार्य में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है? (हाँ/नहीं)	प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही।
1	2	3	4	5
1	वार्ड क्र. 01 में नाना होटल से कर्मा सदन तक सी.सी. रोड टाप कार्य।	3.26	नहीं	--
2	वार्ड क्र. 01 में शुशी शॉप से मेलाराम घर तक सी.सी. रोड टाप कार्य।	3.16	नहीं	--
3	वार्ड क्र. 02 में लाला लहरे के घर से नंद चन्द्राकर के घर तक सी.सी. रोड टाप कार्य।	5.13	नहीं	--
4	वार्ड क्र. 03 में सामुदायिक भवन से पिट चन्द्राकर के घर तक सी.सी. रोड टाप कार्य।	2.19	नहीं	--
5	वार्ड क्र. 03 में सुनहरण सतनामी के घर से बजरंग चौक तक सी.सी. रोड टाप कार्य।	6.91	नहीं	--
6	वार्ड क्र. 04 में घोडल के घर से फ्रीडम चौक तक सी.सी. रोड टाप कार्य।	4.75	नहीं	--
7	वार्ड क्र. 07 में जोगी साहु के घर से शिव चौक तक सी. सी. रोड टाप कार्य।	3.95	नहीं	--
8	वार्ड क्र. 07 में अशोक सेन के घर से गोडधोवा तालाब तक सी.सी. रोड मरम्मत कार्य।	7.27	नहीं	--
9	वार्ड क्र. 07 में सुशील धीवर के घर से सुरेश निर्मलकर के बाडी तक सी.सी. रोड टाप कार्य।	4.15	नहीं	--
10	वार्ड क्र. 08 में मन्नाडे घर से महावीर घर तक सी.सी. रोड टाप कार्य।	3.26	नहीं	--
11	वार्ड 08 में झाडु पटेल के घर से परस मन्नाडे के घर तक सी.सी. रोड मरम्मत कार्य	2.85	नहीं	--
12	वार्ड क्र. 09 में शिव चौक से अटल चौक तक सी.सी. रोड टाप एवं चौडीकरण कार्य।	7.14	नहीं	--
13	वार्ड क्र. 09 में विष्णु शर्मा के घर से ओपन जीम तक सी.सी. रोड टाप कार्य	4.78	नहीं	--
14	वार्ड क्र. 09 रेस्ट हाउस के पास सी.सी. रोड टाप कार्य।	4.78	नहीं	--
15	वार्ड क्र. 09 में देवलाल साहू के घर से बसंत देवदास के घर तक सी.सी. रोड टाप कार्य।	1.43	नहीं	--
16	वार्ड 10 में अश्वनी निर्मलकर के घर के सामने सी.सी. रोड टाप कार्य।	2.26	नहीं	--
17	वार्ड 10 में मनोज साहू के घर से शंकर यादव के घर तक सी.सी. रोड टाप कार्य।	3.53	नहीं	--
18	वार्ड 10 में शंकर यादव के घर से लक्ष्मीनारायण यादव के घर तक सी.सी. रोड टाप कार्य।	3.63	नहीं	--
19	वार्ड 11 में लक्ष्मीनारायण यादव के घर से रामानंद के बाडी तक सी. सी. रोड टाप कार्य।	3.50	नहीं	--
20	वार्ड क्र. 11 में गौतम साहू के घर से शिव निर्मलकर के घर तक सी.सी. रोड टाप कार्य।	2.17	नहीं	--
21	वार्ड क्र. 11 में रामानंद के बाडी से गोकुल दुकान तक सी.सी. रोड टाप कार्य।	3.69	नहीं	--
22	वार्ड क्र. 12 में शंकर यादव के घर से श्याम साहू के घर तक सी.सी. रोड टाप कार्य।	3.55	नहीं	--
23	वार्ड 14 में दुकालु विश्वकर्मा के घर से बाबुलाल निर्मलकर के घर तक सी.सी. रोड टाप एवं चौडीकरण कार्य।	5.00	नहीं	--
24	वार्ड 14 में मेघु यादव के घर से डोमन यादव के घर तक सी.सी. रोड टाप कार्य।	2.95	नहीं	--
25	वार्ड क्र. 14 में सिया साहू के घर से राजकुमार निर्मलकर के घर तक सी. सी. रोड टाप कार्य।	3.95	नहीं	--
26	वार्ड 15 में बाबुलाल निर्मलकर से मीना के खेत तक सी.सी. रोड टाप कार्य।	3.64	नहीं	--
योग		102.88		

वित्तीय वर्ष 2024-25

(राशि लाख रु. में)

क्र.	मरम्मत/उन्नयन हेतु स्वीकृत (सी.सी.रोड/बी.टी.रोड) का नाम	स्वीकृत राशि	क्या उक्त कार्य में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है? (हाँ/नहीं)	प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही।
1	2	3	4	5
1	वार्ड क्र.06 बैगा बाबा से संतोष पटेल के घर तक सी.सी. रोड टॉप कार्य।	9.69	नहीं	—
2	वार्ड क्र.15 में पवन साहू के घर से नंदू ध्रुव के पास के घर तक सी.सी. रोड टॉप कार्य।	14.50	नहीं	—
3	वार्ड क्र. 15 मंगतु साहू के घर से धनुष ध्रुव के घर तक एव मेन रोड से रामचरण ध्रुव के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	2.89	नहीं	—
4	वार्ड क्र.08 में संतराम सतनामी के घर से सुनील सतनामी के घर तक सी.सी. रोड टॉप कार्य।	1.83	नहीं	—
योग		28.91		

वित्तीय वर्ष 2025-26 (28 फरवरी 2026 तक)

(राशि लाख रु. में)

क्र.	मरम्मत/उन्नयन हेतु स्वीकृत (सी.सी.रोड/बी.टी.रोड) का नाम	स्वीकृत राशि	क्या उक्त कार्य में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है? (हाँ/नहीं)	प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही।
1	2	3	4	5
1	————— निरंक —————			
योग		0.00	—	—
कुल योग		131.79		

अनुभाग आधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - अट्टासी

अतारोकेत प्रश्न संख्या 76 (क्र. 2800) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जिला दुर्ग एवं बेमेतरा के अंतर्गत बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को विगत 03 वर्षों में विभिन्न मदों से बोर खनन कार्यों की जानकारी

क्र.	संकाय का नाम	स्वीकृत वर्ष	बोर खनन हेतु विभाग को प्राप्त प्रस्ताव की संख्या	स्वीकृत कार्यों का विवरण (राज्य मद)	विधानसभा बेमेतरा अंतर्गत स्वीकृत/पूर्ण/अपूर्ण कार्यों का विवरण		
					स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1		2023-24	0	नगरीय निकायों में	0	0	0
			38	बसाहटों में	31	31	0
2	सिविल + मेकेनिकल संकाय	कुल योग-	38	गौठानों में	0	0	0
		2024-25	5	नगरीय निकायों में	3	3	0
3		कुल योग-	23	बसाहटों में	13	13	0
		2025-26 (दिनांक 28.02.2026 तक)	0	गौठानों में	0	0	0
		कुल योग-	28		16	16	0
		महायोग-	55	नगरीय निकायों में	0	0	0
			0	बसाहटों में	29	29	0
			0	गौठानों में	0	0	0
			55		29	29	0
			121	-	76	76	0

Sobhan
बहुपति अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 नवालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

स्वीकृत कार्यों में से भुगतान किये गये कार्यों तथा भुगतान लंबित कार्यों का वर्षवार एवं मदवार जानकारी

(राशि ₹. लाख में)

क्र-	संकाय का नाम	स्वीकृत वर्ष	भुगतान किये गये कार्यों का मदवार विवरण											
			मांग संख्या-20				मांग संख्या-64				मांग संख्या-41			
			भुगतान कार्य		लंबित कार्य		भुगतान कार्य		लंबित कार्य		भुगतान कार्य		लंबित कार्य	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2023-24	25	27.32	0	0.00	6	5.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1	सिविल + मेकेनिकल संकाय	2024-25	11	11.72	0	0.00	5	4.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		2025-26 (दिनांक 28.02.2026 तक)	13	14.00	0	0.00	16	16.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		कुल योग	49	53.04	0	0.00	27	26.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00

Dehans
अनुभाग अधिकारी
लोक स्वास्थ्य प्रांजिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर